राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3) सप्तम विधान सभा के तृतीय सत्र का 32 वां दिवस (संख्या 18

1] [2

मंगलवार,

दिनांक 24 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11–00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री नन्दलाल मीणा ।

समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में कार्यरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधीक्षक

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मंत्री महोदय, 4200 क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिए चलाये जा रहे छात्रावासों में कितने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति अधीक्षकों के पद पर कार्य कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन छात्रावासों के अधीक्षकों के पदों पर सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप व्यक्ति सेवारत नहीं हैं ?

(3) क्या सरकार इसकी पूर्ति के लिये आदिवासियों और हरिजनों की विशेष भर्ती करेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हर सहाय मीणा) : माननीय मंत्री महोदय तो 420 नहीं हैं। क्वेश्चन नाम से पुकारा जाता है इसलिये सदस्य 420 हो सकते हैं। मैं शुरू में नहीं कह सकता !

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत चलने वाले राजकीय छात्रावासों की संख्या सम्पूर्ण राजस्थान में 173 है और 173 की तुलना में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 16 छात्रावास अधीक्षक हैं ? आरक्षण नीति के अनुसार क्या 5 छात्रावास अधीक्षक शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे में कम नहीं हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, 173 जो छात्रावास रन कर रहे हैं उसमें जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के होस्टल सुपरिटेंडेंट हैं वह निर्धारित कोटा के मुताबिक पूरे हैं। कोई कमी नहीं है जिसके लिए कि और कुछ कहा जाय।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 16 पर्सेन्ट है ? तो क्या 12 परसेंन्ट जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण है उन 12 प्रतिशत स्थानों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की नियुक्ति की गई है और वह नियुक्ति पूरी है ? यदि पूरी नहीं है, तो खण्ड (3) में जो मैंने सवाल किया है क्या राजस्थान सरकार मंशा रखती है कि जो पूर्ति शिड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा नहीं हुई है उसकी पूर्ति की जाय ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स दोनों के मिला कर 28 पर्सेन्ट हैं यानि 16 पर्सेन्ट और 12 पर्सेन्ट उससे कहीं ज्यादा हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स दोनों का पूछ रहा हूं अलग अलग।

श्री हरसहाय मीणा : जो 28 पर्सेन्ट है उसके हिसाब से तो एक्सेस हैं। ज्यादा ले लिये हैं। यदि ट्राइब्स में कोई एक दो की कमी पड़ती है तो और ले लिये जायेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या मंत्री महोदय यह मानते हैं कि 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन राजकीय सेवाओं में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स में अलग अलग नहीं है ?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने इससे कब नकारा कि अलग अलग नहीं है। 16 पर्सेन्ट और 12 पर्सेन्ट अलग अलग ही है। उसके हिसाब से मैंने आपको अभी निवेदन किया कि शिड्यूल्ड कास्ट्स का 16 पर्सेन्ट और ट्राइब्स का 12 पर्सेन्ट है। जैसा मैंने श्रीमन्, अभी निवेदन किया कि 12 पर्सेन्ट के हिसाब से कहीं एक दो या तीन कम पड़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति कर दी जायगी।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा है "जी नहीं" सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है कि उसकी पूर्ति की जाय। मेरा निवेदन स्पष्ट है कि 12पर्सेन्ट शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण है उसमें 5 स्थान 173 छात्रावास अधीक्षकों की कुल पोस्ट हैं उसमें कम हैं। क्या राज्य सरकार कुल 5 स्थानों को निकट भविष्य में भरने का प्रयास करेगी ?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने निवेदन किया कि 12 पर्सेन्ट के हिसाब से जितना बनता है उसमें यदि एक दो या तीन पोस्ट कम भी हैं वैसे तो एक्सेस हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स दोनों के आंकड़े मिलाकर लेकिन 12 पर्सेन्ट के हिसाब से यदि कम पड़ता है तो एक दो या तीन अधीक्षक की और पूर्ति कर ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

अगला प्रश्न। श्री रामकिशोर मीणा।

मानपुर (जयपुर) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की जीप

421. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मानपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला जयपुर की सरकारी जीप खराब हालत में पड़ी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) इसके कब तक ठीक होने की सम्भावना है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, दिनांक 7–11–79 से। गाड़ी का पिछला एक्सल टूट जाने एवं डिफेन्शल में मेजर रिपेयर की खराबी के कारण।

(2) यूनीसेफ द्वारा स्पेयर पार्टस वाहन के लिए उपलब्ध कराये जाने पर ठीक होने की सम्भावना है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि पार्ट्स के बारे में बताया जाता है कि आयात करके लगाये जायेंगे। 79 में भी विधान सभा में यह प्रश्न उठाया गया था तो उस समय यही कहा गया था कि आयातित पुर्जे प्राप्त होने पर लगाये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 79 में सिर्फ 15 दिन गाड़ी चली थी। चार साल से लगभग यह गाड़ी पूर्णतया खड़ी है। वहां पर जो ड्राइवर्स थे उन्होंने सारे कल पुर्जे निकाल कर के दूसरी गाड़ी तैयार कर ली है। आज मैं मंत्री महोदय से निश्चित आश्वासन चाहता हूं कि यह गाड़ी कब तक चालू हालत में हो जायगी। यह नहीं हो पाती है तो क्या दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को यूनीसेफ की तरफ से गाड़ियां मिली हुई हैं उनकी रिपेयर्स यहीं के माध्यम से होती है लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स यूनीसेफ ही उनको देगी। इस स्थिति में राज्य सरकार वह पार्ट्स नहीं दे सकती है। यूनीसेफ से बार बार निवेदन किया है लेकिन उनके यहां से स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाये हैं। ज्योंही ये स्पेयर पार्ट्स हमें यूनीसेफ से मिल जायेंगे, गाड़ी की रिपेयर हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहूंगा कि गाड़ी के नहीं होने की वजह से या इस गाड़ी के खराब होने के कारण गाड़ी के होने से कार्य में जो तेजी होती उसमें किसी प्रकार कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो गाड़ी है उसके माध्यम से वहां का काम सुचारू रूप से चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 422

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भरतलाल (अनुपस्थित) :

कृपया आगे देखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

राजस्थान नहर क्षेत्र में स्थानीय प्रवासियों को भू-आंवटन

423. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में बीकानेर के निवासियों को जमीनें आवंटित नहीं की गयी हैं ? यदि नहीं, तो कितने लोगों को, जो भूमिहीन है, जमीनें आवंटित की गयी एवं उनमें से कितने लोगों को जमीन आवंटित करके खारिज की गयीं ? क्या सरकार काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 (III) में संशोधन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग भूमि आवंटन के 5–10 वर्ष बाद तक भी भूमि आवंटन खारिज कर देता है ?यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में पर्याप्त सुधार किये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में अन्य प्रान्तों के लोग भूमि पर कब्जे कर रहे हैं एवं भूमि आवंटित करा रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रवासी लोगों के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री राम किशन वर्मा) : बीकानेर में 1392 लोगों को भू-आवंटन किया गया । उनमें से 179 का भू-आवंटन निरस्त किया गया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 24 (III) नहीं है अतः संशोधन का प्रश्न नहीं उठता है ।

(2) नियमों में निर्धारित आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने अथवा तथ्यों को छुपाकर आवंटन कराने आदि की दशा में आवंटन निरस्त किया जा सकता है । इसके लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं है ।

(3) यदि अन्य प्रान्तों के किसी व्यक्ति द्वारा भूमि पर नाजायज कब्जे करने की शिकायत आती है तो कानूनी कार्यवाही करके उसे बेदखल कर दिया जाता है । गत कुछ ऐसी शिकायतें आई थी और शीघ्र कानूनी कार्यवाही कर अतिक्रमियों को बेदखल कर दिया गया था ।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बीकानेर में उपनिवेशन विभाग ने बेनामी शिकायत के आधार पर हजारों भूमिहीन लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया गया है जबकि, अध्यक्ष महोदय, वहां पर यह लोग पिछले दस वर्षों से काश्त कर रहे हैं और वहां इन लोगों ने, बेचारों ने, जमीन को सुधार कर उसे काश्त के काबिल बनाया पर फिर भी उन लोगों को बिना वजह बेदखल कर दिया गया है ?

श्री रामकिशन वर्मा : इस तरह के कोई मामले ऐसे हों कि जिनमें निर्दोष लोगों की जमीने ले ली गयी हैं तो उसमें जांच कराकर उनके लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान केनाल एरिया में भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं दी जाकर वहां पर राजस्थान से बाहर के लोगों को जमीनें दी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जा रही हैं, वहां पर राजस्थान के बाहर से लोग आकर बस रहे हैं। वहां पर इस प्रकार बाहर से आकर एक एक व्यक्ति ने सात-सात मुरब्बे जमीनें ले ली हैं वहां पर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बाहर से आकर लोग। दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के जो लोग भूमिहीन और पोंग डेम से आये लोग हैं उनको वहां पर जमीनें नहीं मिल रही हैं, उन्हें हम बसा नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा वहां पर पहले तो जमीनें मिल नहीं पा रही हैं और मिल जाती हैं तो उनको पांच पांच सात सात साल बाद वहां पर खेती करने के बाद भी बेदखल किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, ऐसे भूमिहीन लोग हैं जिनको कि सरकार ने खुद भूमि अलाट की है पर अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है। लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसके लिये राजस्थान सरकार क्या करने जा रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, अध्यक्ष महोदय। प्रवासी लोगों को जमीन दी नहीं जा रही है लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि पंजाबी हैं, सिन्धी हैं और उस एरिया को पंजाबी एरिया बना रहे हैं कोई गैन्दासिंह और कोई केसरीसिंह इस प्रकार नाम हैं और उन्होंने सात सात आठ आठ और मुरब्बे जमीनें ले ली हैं, पैसों के बल पर जमीन खरीद रहे हैं, भूमिहीन लोगों को बेदखल किया जा रहा है और ऐसे लोगों की शिकायतें की जाती हैं तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि ऐसे कोई मामले हों तो माननीय सदस्य मुझे बता दें उसके लिये जांच करवा कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का भाग दो क्या यह सही है कि उपनिवेशन विभाग भूमि आवन्टन के पांच से दस वर्ष बाद तक भी भूमि आवन्टन खारिज कर देता है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में पर्याप्त सुधार किये जायेंगे ? इसके तहत मेरा निवेदन है कि आज लोग वर्षों से वहां पर भूमि अलाट होने बाद भी बैठे हैं कोलायत और नाचना में तहसील के एरिया में। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों को भूमि आवन्टन होने के लिये वहां के तहसीलदार, ए० सी० सी० और० डी० सी० सी० ने जांच करके उन्हें सबूत पेश करने पर कि वह राजस्थानी ही हैं वहां पर जमीन अलाट की गयी थी और वह लोग वहां पर काश्त कर रहे हैं। जब वहां पर काश्त नहीं हो रही थी उस समय उन लोगों ने उस जमीन को तैयार किया फिर भी उन लोगों को वर्षों बाद उस भूमि से बेदखल किया जा रहा है। इस प्रकार से उन लोगों के साथ जमीनें खारिज करके अन्याय हो रहा है तो क्या सरकार इसके लिये कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को भूमि अलाट की गयी थी और जिन लोगों ने अनधिकृत रूप से आवन्टन करा लिये हैं और उसकी बाद में

(श्री रामकिशन वर्मा)

जब सूचना मिलती है तो सूचना मिलने के बाद में उसके लिये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। जो लोग नियमों में नहीं आते हैं उनको बेदखल किया जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अनियमित तौर से नहीं किये गये हैं पूरी तरह से स्क्रूटनी करने के बाद, तहसीलदार के पूरी जानकारी करने के बाद, वह लोग सन् 55 से पहले से वहां पर बसे हुए काश्त कर रहे हैं। वहां पर ए०सी० सी० ने जांच की और वहां पर चार पांच साल बाद खेती करने के बाद सबूत पेश होने के बाद यह कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने वहां पर जब उस जमीन पर कुछ नहीं था तब उस जमीन को डवलप किया है। पूरा खर्चा करते हैं और वहां पर विकास किया है। उन लोगों को अब बेचारों को बेदखल किया जा रहा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, भूमि जब अलाट की जाती है तब नियमों के अन्तर्गत आवन्टित की जाती है पर बाद में जब कोई शिकायत आती है और उसमें जांच करने के बाद कोई मामला ऐसा हो कि वह लोग भूमि आवन्टित कराने के हकदार नहीं हों तो उनको नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के बाद नियमानुसार बेदखल किया जाता है। लेकिन माननीय सदस्य अगर कहते हैं कि नियमों में वह लोग बेदखल नहीं होने चाहिये थे और उसके लिये उनके पास कोई सबूत हो तो वह सरकार को बतायें तो सरकार इसके लिये निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही करेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल एरिया में 192 भूमिहीन लोगों को जमीनों से बेनामी शिकायतों के आधार पर उपनिवेशन विभाग ने उनकी जमीनों से बेदखल किया है। अध्यक्ष महोदय, सक्षम अधिकारियों ने निर्णय करके उनको जमीनें अलाट की थीं और बाद में बेनामी शिकायतों के आधार पर उन लोगों की जमीनें खारिज की जा रही हैं। क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, बेनामी शिकायते और नामजद शिकायत में अगर तथ्य सही हैं तब तो कार्यवाही होगी लेकिन अगर यों ही बेनामी शिकायतें हैं तो इसके लिये जैसा कि मैंने निवेदन किया सदन में कि इस तरह के आदेश जारी कर दिये गये हैं कि कोई भी बेनामी शिकायत पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। पहले वह अधिकारी अपने रिकार्ड देख लेगा और उसके बाद में अगर कार्यवाही करनी होगी तो की जायगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बेनामी और नामजद शिकायतों का सवाल है अगर कानूनी तौर से वह गलत तरीकों से की गयी हैं तो उसको तो खारिज किया जावेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो माननीय सदस्य सरकार के नोटिस में ऐसे मामले लायें तो उस पर कार्यवाही की जावेगी।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि भूमिहीन लोगों को नहरी क्षेत्र में भूमि अलाट करने के बाद वह लोग पांच सात साल तक उस जमीन को लेवल में करके डवलप करते हैं लेकिन उसके बाद में भी सरकार

(श्री रामधन चौधरी)

उनको खारिज कर देती है इसके अलावा पैसे वाले लोग जाकर उन लोगों से गरीब लोगों से जमीन खरीद लेते हैं और इसमें सरकारी अधिकारियों को पैसा देकर जमीन नाम करा लेते हैं, आज कई राजस्थान के बाहर के लोग वहां पर जमीन ले रहे हैं जब कि वहां पर पाबन्दी लगी हुई है फिर भी लोग जमीनें ले रहे हैं तो इसके लिये क्या कार्यवाही सरकार कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । श्री राम सिंह विश्नोई ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । एक तो यह कि राजस्थान नहर के क्षेत्र में नागौर, बाड़मेर और जोधपुर जैसलमेर के लोगों को भूमि अलाट की गयी थी लेकिन वहां पर पानी की उस समय व्यवस्था नहीं होने के कारण वह लोग थोड़े दिन वहां पर रहते और कुछ दिन अपने गांव आ जातें, आते जाते रहने के कारणों से उन लोगों की जमीनें खारिज कर दी गयीं यह कह कर कि यह लोग यहां पर नहीं रहते हैं, क्या यह सही है ? दूसरा, क्या यह सही है कि गंगानगर जिले के कई सम्पन्न परिवार वालों ने वहां दुगुने से ज्यादा जमीन के मुरब्बे अपने नाम पर अलाट करा लिये हैं, मैं वैसे गंगानगर के लोगों की खिलाफत करने वाली बात नहीं कर रहा हूं लेकिन इनमें जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने पैसे के बल पर अपने आपको सन् 55 के पहले का बता कर तहसील, पटवारी, और बड़े-बड़े आफिसरों से मिलकर उन्हें हजारों रुपये देकर जमीनें अपने नाम करा लीं । इसमें लोगों ने एक एक मुरब्बे के लिये एस. डी. आर. वगैरहा को दस दस हजार रुपये दिये हैं और उनसे भूमिहीन होने का प्रमाण ले लिया और वहां पर जमीन अलाट करा ली और जो जोधपुर, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, जैसलमेर के जिन लोगों को जमीन अलाट हुई, नहर में चूंकि पानी नहीं आता था उस वक्त इसलिये वहां नहीं रहने के कारण उनकी जमीनें खारिज कर दी गयीं ?

श्री अध्यक्ष : वह बात आ गयी । आपने पूछ लिया ।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : वह बात आ गयी ।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन की जो परिभाषा है उसमें एक क्राइ-टेरिया बना हुआ है । और उस कानून कायदे के अनुसार जो उस परिभाषा में आते हैं उन्हें भूमिहीन माना जाता है और उनको भूमिहीन की तरह प्रायोरिटी में जमीन दी जाती रही है । इसके लिये आवंटन अधिकारी जो होता है उसको सारी व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ती है और जब कोई व्यक्ति कानून के अन्तर्गत भूमिहीन होता है तो उसको जमीन दी जाती है उसके अलावा सक्षम अधिकारी को ही अधिकार है कि अगर उसके पास कोई शिकायत आये तो वह नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करता है । अगर आपके पास कोई केसेज हों तो आप सरकार के नोटिस में लायें तो सरकार उस पर जरूर

(8)

(श्रीमती कमला)

कार्यवाही करेगी वैसे सरकार के खुद के अगर कोई नोटिस में बात आ जाती है तो सरकार खुद कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत करती है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 424

श्री भूरा राम।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 425

श्री भगवान दास डोसी।

(**अनुपस्थित** : कृपया आगे देखें)

श्री रामधन।

डीडवाना में कृषि उपज मंडी यार्ड का निर्माण

426. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीडवाना कृषि उपज मण्डी के लिये आज तक मण्डी की तरफ से कोई भवन (मण्डी यार्ड) की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार डीडवाना में कृषि उपज मण्डी यार्ड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि लाडनू कृषि उपज मण्डी नहीं है तथा इनको डीडवाना में शामिल किया हुआ है ? सरकार लाडनू में अलग से कृषि उपज मण्डी बनाने की व्यवस्था कब तक करेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि लाडनू में मण्डी टैक्स की बहुत बड़ी राशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। मण्डी समिति द्वारा अपने यार्ड में भवन आदि के निर्माण की व्यवस्था तब ही सम्भव है जबकि उसके पास स्वयं की निजी भूमि उपलब्ध हो। अभी तक भूमि का चयन करने के प्रयास किये जा रहे थे तथा अब तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त भूमि का चयन कर उसकी अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। मण्डी यार्ड के लिये उपयुक्त भूमि चयन कर उसे अवाप्त करने की कार्यवाही जारी है तथा इस भूमि का कब्जा मिल जाने पर उस पर मण्डी यार्ड बनाने की कार्यवाही जा सकेगी।

(3) जी हां। लाडनू अभी डीडवाना मण्डी की गौण मण्डी है। वहां पृथक कृषि उपज मण्डी समिति तब ही स्थापित की जा सकती है जबकि वहां पर होने वाले क्रय विक्रय से कम से कम 3 लाख रुपये वार्षिक आय प्राप्त हो।

(4) जी नहीं।

श्री रामधन चौधरी : लाडनू में जब तीन लाख की आय होती है तो क्या लाडनू में कृषि उपज मण्डी बनाने के लिये सरकार को कोई दिक्कत आ रही है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुकी हूं कि उसकी आय इतनी नहीं है कि उसको कृषि उपज मंडी बनाया जा सके।

1978–79 में सिर्फ 37,400 रुपये, 1979–80 में 2,05,000 रुपये और 1980–81 के अन्दर भी इतनी राशि है। तीन लाख बहुत नीचे है इसलिये कृषि उपज मण्डी बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि मण्डी यार्ड बनाने के लिये कितनी आय जरूरी है ?

श्रीमती कमला : मार्केटिंग बोर्ड के निर्णयों के अनुसार या प्रावधानों के अनुसार तीन लाख से नीचे की आय वालों को 'सी' कैटेगरी, 3 लाख से 5 लाख की आमदनी की जो मण्डियां हैं उनकी 'बी' श्रेणी और 5 से दस लाख की आमदनी वाली मण्डियों को 'ए' श्रेणी की कैटेगरी में रखा है और उससे ऊपर की मण्डियों को स्पेशल कैटेगरी में।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री सी.एल. कंवरिया (दूदू) : क्या यह सही है कि बारां कृषि उपज मण्डी की आय केवल 3 लाख है और उसको आपने इसी वर्ष 'ए' श्रेणी दे दी है ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : मुसावर की मण्डी की 30 हजार की भी आमदनी नहीं है ....

श्रीमती कमला : अभी जो निर्णय लिया गया है उससे पूर्व की कैटेगरीज हैं। इस निर्णय के बाद कैटेगरीज चेन्ज कर दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जगदीश तिवाड़ी।

श्री रामधन चौधरी : डीडवाना कृषि उपज मण्डी के लिये भवन तय किया गया था फिर कैन्सिल कर दिया, इसके बारे में मंत्री महोदया क्या फर्मा रही हैं ?

श्रीमती कमला : जमीन को एक्वायर करने के नोटिस जारी हो चुके हैं जैसे ही जमीन उपलब्ध हो जायगी जल्दी ही मण्डी यार्ड की कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जिला जयपुर में भेड़ एवं ऊन विभाग के कर्मचारियों के दावों का भुगतान

427. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या जिला जयपुर के अन्तर्गत आने वाले भेड़ एवं ऊन विभाग के समस्त कर्मचारियों का राणावत कमीशन (1968) के द्वारा निश्चित वेतनमानों के अनुसार वेतन अन्तर उठाया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के कुछ कर्मचारियों का वेतन बिना कारण स्पष्ट किये हुए 4–4 माह से रोका हुआ है?

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

(3) जिला जयपुर के कुछ कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय, यात्रा व्यय वर्ष, 1978 से क्यों रोक रखे गये हैं ?

राज्य मंत्री, वन (श्री दुलाराम) : (1) केवल एक कर्मचारी के अलावा समस्त कर्मचारियों का वेतन अन्तर उठा चुका है।

(2) जी नहीं।

(3) चिकित्सा व्यय किसी कर्मचारी का नहीं रुका हुआ है। यात्रा व्यय केवल दो कर्मचारियों का रुका हुआ है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि किसी कर्मचारी का भुगतान बिना कारण रोक रखा है ?

श्री दुलाराम : मैंने 'जी नहीं' कहा है।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : आपने नं० (2) के उत्तर में कहा....

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, श्री मालाराम का चार महीने का वेतन रुका हुआ है वह किसी कारण से, रुका हुआ है। बिना कारण नहीं रुका हुआ है। प्रशासनिक कारण हो सकते हैं जब तक उस त्रुटि को दूर नहीं करते, तब तक रुका हुआ रहेगा।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : आपने नं० (2) में कहा 'जी नहीं'।

श्री दुलाराम : आपने बिना कारण पूछा है, बिना कारण नहीं रुका है।

श्री छोगाराम बकोलिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां के डायरेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिये प्रशासनिक कारण बताये जा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर आर्डर। श्री रघुवीरसिंह कौशल।

श्री छोगाराम बकोलिया : कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है....

श्री अध्यक्ष : केवल एक कर्मचारी को नहीं मिल रहा है, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न।

बारां में उपज मण्डी क्षेत्र में निर्मित दुकानें

428. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी बारां, जिला कोटा ने मण्डी क्षेत्र में दुकानों का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कितनी दुकानों का निर्माण किया एवं उन पर कितना धन व्यय हुआ है ?

(2) क्या ये दुकानें किराये पर दे दी गयी हैं ? यदि हां, तो कब दी गईं व क्या किराया निश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो अब भी किराये पर न दिये जाने का क्या कारण है ?

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

(3) ये दुकानें किराये पर न दिये जाने से कृषि उपज मण्डी बारां को कितनी आर्थिक क्षति हो रही है ? इस क्षति के लिये कौन उत्तरदायी है ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) जी नहीं । मण्डी समिति बारां ने मण्डी क्षेत्र में नहीं अपितु अपने यार्ड में दुकानों का मय गोदामों के निर्माण किया है । 50 दुकान मय गोदामों का निर्माण किया गया जिस पर 38,64,999 रुपये व्यय हुए ।

(2) जी हां । कुछ दुकानें तथा गोदाम किराये पर दे दिये गये हैं । निर्धारित किराये की दरें इस प्रकार हैं: –

(1) दुकान, स्टोर, बरामदा व सामने का चबूतरे वाला भाग 300 रु०प्रति माह ।

(2) ऊपर का कमरा, स्नान घर, पैसेज मय जीने के 150 रु० प्रति माह ।

(3) दुकान, स्टोर व बरामदा वाला भाग 150 रु० प्रति माह

(4) केवल गोदाम वाला भाग 404 रु० प्रति माह ।

शेष बची दुकानों एवं गोदामों को किराये पर उठाने की कोशिश की जा रही है परन्तु व्यापारियों से निर्धारित किराया कुछ अधिक बताये जाने के कारण अभी तक पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है ।

(3) निर्धारित दर के अनुसार किराया न मिलने से करीब 42,854 रु० माहवार किराये की हानि हो रही है जिसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह जो 42 हजार रुपये माहवार का नुकसान हो रहा है कृषि उपज मण्डी बारां को, क्या सरकार अपनी नीति पर पुर्नविचार करेगी कि सारे राजस्थान के लिये एक ही नियम बना दिये जायं ? परिस्थितियों को देखते हुए किराया कुछ कम ज्यादा करना अलग-अलग मण्डियों पर हो, क्या इस पर भी दुबारा विचार कर रहे है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, जो भी मण्डी निर्माण कार्य होता है वह मंडियां वित्तीय बैंकों से पैसा लेकर और उनकी जो खुद की आय होती है, उससे मंडियों का निर्माण किया जाता है । मण्डियों के निर्माण के बाद जो कुल खर्चा होता है उसके हिसाब से एक गोदाम पर मिनिमम जितना खर्चा आया है उसका 12 प्रतिशत किराया तय किया जाता है । वैसे यह किराया 858 के हिसाब से बनता है चूंकि वहां के व्यापारियों को तत्परता से कुछ सहूलियत देने में मण्डी बोर्ड ने यह तय किया कि अलग–अलग सेक्शन में बांटकर दो, तीन, चार हिस्सों में किराये पर दिया जाय जिससे उनको सहूलियत हो जाये । जो दुकान; स्टोर, बरामदा लेना चाहता है उसको 300 रुपये, सिर्फ गोदाम लेना चाहता है 400 रुपये देगा । इस प्रकार सहूलियत देने की चेष्टा की गई है । वह शायद मिनिमम सहयोग कर रहे हैं । मण्डियों में और सुधार की दृष्टि से आपका सहयोग वांछित है । मण्डी

(श्रीमती कमला)

या बोर्ड की तरफ से ज्यादा कन्सेशन देना संभव नहीं होगा। नहीं तो जो मण्डियों का पैसा लगा हुआ है उसमें दिक्कत हो जायगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : क्या रामगंज मण्डी में 7।। पर्सेन्ट किराये पर दुकानें दे दी गई हैं और यह अधिकार आपने वहां के अधिकारियों को दे दिये हैं ? केवल सिद्धांत के कारण हजारों रुपये महीने का लॉस हो रहा है। बारां में जो 42 हजार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है वह न हो क्या आप इस पर दुबारा विचार करेंगी ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, वैसे विशेष रूप से इस मामले में मैंने आपको बताया कि इतना कन्सेशन तो कर दिया। दूसरा, आम तौर पर किराया कम पड़ता है। इसके लिये मैंने अधिकारियों से और वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी आये थे, उनसे भी बातचीत की है कि कुछ छोटी दुकानें और सामूहिक गोदाम बनाये जायं जिनमें रेजिडेन्सियल एकमोडेशन न बनाकर इस तरह बनाया जाय तो किराया भी कम होगा और जो जरूरत होगी, वह भी पूरी होगी। आगे इस मसले पर विचार किया जा रहा है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं क्या रामगंज मण्डी और बारां के लिये अलग अलग नियम हैं ?

श्रीमती कमला : किसी मण्डी के लिये छूट नहीं है। जैसे इस मण्डी के लिये कन्सेशन देने के लिये प्रावधान किया है। वैसे दूसरी जगह भी प्रेरित किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भैंरू लाल।

उदयपुर में जन जाति विकास क्षेत्र पर व्यय राशि

429. **श्री भैंरू लाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति विकास निगम, उदयपुर में जनजाति के विकास के लिये गत वर्ष कहाँ कहाँ से कितनी रकम आई और किन-किन मदों पर खर्च की गई ? कृपया ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या विकास कार्यों में जन प्रतिनिधि से सलाह ली जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन जाति विकास मंत्री (श्री हर सहाय मीणा) : (1) जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, उदयपुर को वर्ष 1979-80 में विकास कार्यों हेतु जो राशि प्राप्त हुई व व्यय की गई उसका ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) विकास कार्यों में जन प्रतिनिधि से सलाह ली जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री भैंरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह बताया, विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया, वह मिला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इस विभाग द्वारा अभी किन किन कार्यों में यह खर्चा किया जाता है और किस किस मद में किया जाता है, यह भी अवगत कराने का कष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष : पढ़ दीजिये आप। सूची है।

श्री हरसहाय मीणा : वैसे श्रीमन्, माननीय सदस्य को कॉपी तो मिल गई है फिर भी मैं पढ़ देता हूं।

श्री भैरू लाल मीणा : अभी मिली है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह कॉपी अभी अभी मिली है। हम पढ़ेंगे तभी तो कुछ बता सकते हैं।

(व्यवधान)

असेम्बली में जब हम आते हैं तब कागज आते हैं।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्य ने बताया, विधान सभा में आ जाते हैं तब कागज मिलते हैं। मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी हुई है और जो माननीय सदस्य हैं उसमें उनको भी रखा जाता है। ट्राइबल एरिया की कमेटी अलग बनी हुई है, एस.एफ.डी. की अलग बनी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें अलग से स्टाफ तो हैं नहीं। जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम के पास भी अलग से स्टाफ नहीं है-इंजीनियर वगैरह कुछ भी नहीं है। जो बजट होता है वह लम्प-सम डिपार्टमेंट को अलाट कर देते हैं। एस.एफ.डी. की जो कमेटी बनी हुई है उसमें प्रक्रिया के अनुसार चर्चा होती है और उसमें जो निर्णय होते हैं वे ले लिये जाते हैं।

श्री भैरू लाल मीणा : कौन सी कमेटी है, कब मीटिंग होती है ? हमें तो मालूम ही नहीं है।

श्री हरसहाय मीणा : यह तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑलरेडी बनाई हुई है। जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं वे भी उसके मेम्बर होते हैं।

श्री भैरू लाल मीणा : खाली गोल-माल जवाब दे दिया। किस तरह की कमेटी है, हमें भी मालूम होना चाहिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिलाधीश महोदय कोई सूचना नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन के माध्यम से प्रश्न पूछें।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : जिलाधीश महोदय कम से कम सूचित तो करें कि आपको किस किस कमेटी में नियुक्त किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्द लाल।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, सन् 79–80 में जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई और अगर बुलाई गई तो किस किस तारीख को बुलाई गई और किस किस को बुलाया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : यह स्पष्ट है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसी से सम्बन्धित है।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस विभाग में स्टेट की कितनी राशि है और केन्द्र से कितनी राशि प्राप्त हुई है और वह कहां कहां खर्च हुई है ?

श्री अध्यक्ष : मीटिंग हुई कि नहीं, खण्ड (2) में है।

श्री नन्दलाल मीणा : सन् 79–80 में जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम द्वारा किस किस तिथि को जन प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें किस किस को आमंत्रित किया गया ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, मैंने निवेदन किया, जिला स्तर पर जो कमेटी है जिसके माननीय सदस्य भी मैम्बर हैं। जिलाधीश महोदय ने मीटिंग बुलाई होगी तो इनफार्म किया होगा और नहीं बुलाई तो मैं लिख दूंगा कि माननीय सदस्य को सूचित करें और मीटिंग में बुलायें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि संविधान के अन्तर्गत एक जन जाति विकास परिषद् का निर्माण होना आवश्यक था, वह हुआ या नहीं ? उसका कोई बोर्ड बना हुआ है या नहीं, उसके सदस्य कौन कौन हैं और उसकी मीटिंग कब कब हुई ? इसका पूरा विवरण दें।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, यह तो अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री बाबू लाल बैरवा।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है। श्री बाबूलाल बैरवा। अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : पता ही नहीं है, वे पैसे भी लास्ट ईयर लैप्स हो गये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। श्री बाबू लाल बैरवा।

चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध।

430. **श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर पावन्दी लगी हुई है ? यदि हां, तो किस दिनांक व माह से लगाई गई है ?

(2) क्या स्थानान्तरण पर पावन्दी लगा देने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां । दिनांक 23-9-80 से ।

(2) जी हां । प्रशासनिक कारणों से केवल राज्य सरकार की स्वीकृति लेनें के बाद हीं स्थानान्तरण किये गये हैं।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जुलाई, 80 में कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनसे आम जनता को शिकायत है या वे काम करने में सही नहीं हैं या पब्लिक परेशान हैं उनसे फिर उनका स्थानान्तरण रद्द क्यों कर दिया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, किसी पर्टीक्यूलर के लिये इसमें पूछा नहीं हैं। स्थानान्तरण पर बैन किया हुआ है । 23-9-80 से बैन है और यह प्रशासनिक कारणों से हुआ है। फलां आदमी के लिए पूछते तो मैं कह सकता था पर इस प्रश्न में पर्टीकूलर केस का पूछा नहीं गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री बाबू लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जिन कर्मचारियों की आम शिकायत हैं

(व्यवधान)

बी. एल. गुप्ता, खेरली मण्डी में दोनों मियां-बीबी हैं उनके लिये शिकायत है, फिर भी उनका ट्रान्सफर रद्द कर दिया गया ।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, पर्टीकूलर केस पूछ रहे हैं । उसकी जानकारी मैंने की नहीं ।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : ×××

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज ।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, यह सही मामला है। ×××

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : शब्द अकारण काम में नहीं लायें।

एक माननीय सदस्य : ये कार्यवाही से निकाला जाय।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज का मतलब ही कार्यवाही से निकाला जाना है। एक्सपज कर दिया मैंने। प्रश्नकर्ता।

श्री बाबूलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आम शिकायत यह है कि स्थानान्तरण शिकायतों पर किये गये हैं। एप्लीकेशन करीब 20 लोगों की थीं, करेली मण्डी में उसका ट्रान्सफर हुआ था, उसके बाद डायरेक्टर, सी. एम. ओ. ने उसको कैन्सिल कर दिया, इसका क्या कारण है, मंत्री महोदय बतायें ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आप पर्टीकूलर केस के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने उसको एग्जामिन नहीं किया। आप व्यक्तिगत पूछ रहे हैं तो मैं कैसे बता सकता हूं। कोई दूसरा सवाल पूछिये, मैं जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। पूरे राजस्थान का पूछ। अलग है। अब आप····

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में 9 डाक्टर्स की कमी है, अभी तक स्थानान्तरण न करने से....

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, श्री हीरा लाल आर्य।

तहसील पीपल्दा में आवंटित उपनिवेशन भूमि

431 **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपल्दा तहसील में 1980 में कितनी उपनिवेशन भूमि का अलाटमेन्ट किया गया ? अलाटीज के नाम मय पता खसरा नम्बर रकबा आदि की पूर्ण जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इन सभी अलाटीज को कब्जा मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि विवादग्रस्त भूमि को भी अलाट किये जाने से ही किसानों को कब्जा नहीं मिल पाया है ?

(4) क्या सरकार इस प्रकार की अनियमितता करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) पीपल्दा तहसील में सन् 1980 में 340 व्यक्तियों को 1916 बीघा, एक बिस्वा भूमि आवंटित की गयी थी। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) 133 आवंटियों को जमीन पर कब्जा दिया जा चुका है। 207 आवन्टियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया जा सका क्योंकि उन्होंने नियमानुसार प्रथम किश्त की राशि जमा नहीं करायी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री हीरा लाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि जो अलाटमेंट हुए हैं उन सब के कब्जे मिल गये हैं। कुछ लोग बचे हैं, वे लोग तहसील में जाते हैं, पटवारियों के पास जाते हैं, तहसीलदार से कहते हैं, हमें कब्जा नहीं मिला है। कारण क्या है कि जिस जमीन का अलाटमेंन्ट किया है, उस पर दूसरे व्यक्ति काबिज हैं, इसलिए कब्जा लेने देते नहीं। गरीब लोग हैं वे बड़े परेशान हैं इस तरह के कितने ही मामले हैं, इस वजह से वे कभी तहसील में जाते हैं, जमीन पर जाते हैं, फिर थाने में जाते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। तहसील में जाकर चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो रहे हैं। क्या मंत्री महोदय ऐसे लोगों की चिन्ता करके उनको कब्जा दिलायेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय सदस्य अगर इस प्रकार के केसों के बारे में जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से जांच करके उनको नियमानुसार कब्जे दिलाये जायेंगे।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी तहसील में है, जिनको कब्जा नहीं मिल रहा है, वह तहसील में पहुंच जायेंगे। फिर कैसे कह रहे हैं कि सबको कब्जे दे दिये हैं ?

श्री रामकिशन वर्मा : सब को नहीं, किन्हीं लोगों को कब्जा नहीं दिया गया है। उनमें से 207 व्यक्तियों को अभी तक कब्जा नहीं दिया है क्योंकि उन्होंने नियमानुसार किश्तें जमा नहीं करायी हैं, जो जमा करायी जानी चाहिए।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, वह किश्त देने को तैयार हैं, मंत्री महोदय, वह केवल इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। जिनको जमीन अलाट की हैं उन पर दूसरे का कब्जा है। वह तो चाहते हैं, पैसा ले लो हम से।

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने कहा कि अगर कोई इस तरह की कब्जे की जमीनें हैं तो आप मुझे बतायें, उस पर कार्यवाही करके कब्जे दिलवाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती उजला अरोड़ा।

देवस्थान विभाग के व्यापारिक संस्थाओं का किराया

432. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेगें :—

(1) देवस्थान विभाग ने व्यापारिक संस्थानों को किराये पर दिये परिसर हेतु किराया वृद्धि किस आधार पर की है ? आधार योजना सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 20 रुपये मासिक की दुकान का किराया 1 229-00 रुपये तक भी किया गया है ? किस किस संस्थान का कब-कब, कितना-कितना बढ़ाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किराया वृद्धि भू-गृहादि कानून के अनुसार अन्य किरायों में परिवर्तन का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४)

देवस्थान मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) नवीन किराया निर्धारण निम्न सदस्यों की गठित कमेटी की सिफारिश के अनुसार किया गया है :—

(1) क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग संयोजक

(2) क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सदस्य

(3) क्षेत्रीय नगर दण्डनायक, जहां नगर दण्डनायक के पद न हों वहां उप खण्ड अधिकारी , सदस्य

(2) यह सही है कि दुकानों का किराया बढ़ाया गया है। जिन जिन आवासीय तथा व्यापारिक संस्थाओं का किराया दिनांक 1–7–78 से बढ़ाया गया है उसकी तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं। देवस्थान विभाग द्वारा नियन्त्रित एवं प्रबन्धित मन्दिरों की सम्प्रदायें राजस्थान भवन (किराया और बेदखली) अधिनियम, 1950 से मुक्त हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूंगी कि जब किराया बढ़ाया गया है उसका आधार देखा गया है क्या? मैं जानना चाहूंगी, मन्त्री महोदय से, क्या उनको जानकारी है कि उस स्थान पर जो देवस्थान की दुकानें हैं, क्या नगर परिषद् की दुकानों, निजी दुकानों, पी० डब्ल्यू० डी० की दुकानों, मन्दिरों की दुकानों के किराये कितने आनुपातिक हैं? आपने क्या इसकी जानकारी की?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, मैंने अभी निवेदन किया कि किराया जो बढ़ाया गया है, उसके लिये समिति गठित कर दी गयी थी। उसमें इस बात का जिक्र भी किया गया है कि मार्केट में दूसरी दुकानों का जो किराया है उसके हिसाब से जहां व्यापारिक नहीं हैं, उनका पी०डब्ल्यू० डी० से असेसमेंट कराकर नियम से किराया बढ़ाया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहूंगी, मन्त्री महोदय से, जो सूची मुझे भेजी गयी है, उसका अध्ययन क्या उन्होंने किया है? क्या उन्होंने जो किराया बढ़ाने का आधार लिया गया है, उसे देखा है? मुझे उसकी रूपरेखा नहीं दी गयी है सिर्फ सूची दी गयी है। मैंने पूछा था कि किन किन आधारों पर किराये की दरें बढ़ी हैं? वह निर्धारित जो आधार बना है, क्या उसको आप उचित समझते हैं?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि जो कमेटी बनायी गयी है, उसका फर्ज है कि वह किराया बढ़ाये। एक समिति और गठित की गयी है। उसका यह अवलोकन करने का कार्य है कि ये जो किराये बढ़े हैं, क्या वे उचित हैं? अगर उसमें कुछ ज्यादा हैं तो उसमें कुछ रिलेक्सेशन दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा, इस प्रकार की जो समिति है, उसकी आप भी सदस्या हैं उसमें हम देख लें और रिलेक्सेशन देने की बात, छूट देने की स्थिति में हैं, तो दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात जानना चाहती हूं, इसी के साथ निश्चित रूप से व्यावहारिकता की बात देखेंगे तो उस रिपोर्ट में आ जायगी, क्या आप अधिकारियों को आदेश देंगे कि अधिकारी सहयोग करें ? दूसरी बात कहना चाहूंगी कि मुझे जो सूची पेश की गयी, दी गयी है, वह भी अपर्याप्त है। अटल बिहारी जी के मन्दिर में राज्य सरकार ने कारखाना खोला है, इस कारण मन्दिर का जो वास्तविक काम है, पूजा आराधना, उससे लोग वंचित हो गये हैं उसमें किराये की दर क्या दी है। उसकी कोई कहीं सूची नहीं दी गयी देवड़ी जी के मन्दिर में कांग्रेस ने दफ्तर वर्षों पुराना खोला हुआ है, उसमें कितना किराया कांग्रेस ने दिया, कितना बढ़ाया है यह इस सूची में नहीं है। रामचन्द्र जी का मन्दिर विधान सभा के सामने है। मैं केवल यह पूछती हूं, माननीय मन्त्री महोदय बतायें कि क्या तीनों दफ्तर कोई किराया नहीं देते और देते हैं तो बकाया कितना है ? क्या किराया नहीं लिये जाने की योजना है ? यदि योजना है, तो कब तक किराया दे देंगे? देवस्थान की पूंजी, जो लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति से देते हैं....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूरा नहीं आया है। मुझे उत्तर दिलवायें कि निर्धारण की जो योजना है, उसमें जो कमेटी बनी हुई है, उसको सक्षम करने के लिए क्या अधिकारियों को आदेश दे दिया जायगा, जिन पर सरकारी किरायेदारी है ?

श्री अध्यक्ष : इतना लम्बा भाषण देने के बाद....

श्रीमती उजला अरोड़ा : दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दिला दें। अगर ऐसा है तो किराये की जो सूची पेश की गयी है, मैं पूछती हूं, इसमें उन मन्दिरों में....

श्री अध्यक्ष : आपने पूरे पूरक प्रश्न कर लिये। अब उनका उत्तर आने दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारी सूची सही नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि यह सही करायी जाय। दुकान का किराया 20 रुपये से 1229 रुपये किया गया है, यह किस आधार पर किया गया है ? 1229 रुपये....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रही हैं। पूरक प्रश्न तो पूछ नहीं रहीं आपने पूछ लिया। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या यह सूची करेक्ट है ? जो आधार मैंने रखा है मन्त्री महोदय के सामने....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, मैंने यह निवेदन किया था कि ऐसा कोई पर्टीकूलर केस है जिसमें बीस रुपये की जगह पर 1229) रु० प्रति माह किराया कर दिया गया है तो जैसा मैंने निवेदन किया माननीय सदस्या स्वयं उस कमेटी की मैम्बर हैं उनको इस बात की छूट दी गई है कि आया कहीं औसत से ज्यादा तो किराया नहीं बढाया गया है या नियमों का

(श्री हरसहाय मीणा)

उल्लंघन नहीं कर दिया गया है, उसको देख लें। उसके बावजूद ऐसा हो गया है और अगर वे मेरे नोटिस में लायें, तो मैं इसको जरूर देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या अगर एक जगह की होती तो मैं खड़ा नहीं होता। यह कई जगहों पर हुआ है कि किराया दस-दस, बीस-बीस, पचास-पचास गुणा बढ़ाया गया है। दुकानों के मामले में....

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं, पाइन्टेड प्रश्न।

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्टेड प्रश्न यह है कि प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस आधार पर ये किराये बढ़ाये जा रहे हैं। आपने कहा कि कमेटी बनाई गई। तो कमेटी का कोई आधार तो होगा कि दुगुना, चौगुना बढ़ायें। कोई प्रिंसिपल तो होगा। कितनी लाइफ है, कितनी लाइफ बाकी है, या यों ही दस गुणा, बीस गुणा किराया बढ़ा दिया गया ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में रेंट कण्ट्रोल एक्ट बना हुआ है 1953 का, उसमें प्रावधान है कि किराया कितना बढ़ा सकते हैं और उसकी क्या प्रक्रिया होगी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान रेंट कण्ट्रोल एक्ट के प्रावधानों को ध्यान में रख कर ही किराया बढ़ाया गया है या उसकी धाराओं का ध्यान नहीं रखा गया है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बाबूजी ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिया जावे। क्या यह सही है कि 20 रुपये से 1229) रु० किराया किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, उत्तर सुनिये पहले।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, मैंने निवेदन किया था कि जो किराया बढ़ाया गया है उसके लिए एक समिति है। उस समिति में इस बात का जिक्र किया गया है कि वहां का जो मापदण्ड है, जैसे कोई ऐसे नान-व्यापारी हैं उनका किराया तो पी. डब्ल्यू. डी. से असेसमेंट कराने के बाद तय किया गया और बाकी दूसरे जो व्यापारिक दुकानें हैं जिनको किराये से दिया जाता है, उनकी मार्केट रेट क्या है उनके आसपास की दुकानें जो साथ में हैं उनकी क्या रेट है, यह देखा जाता है। एक दुकान का किराया एक हजार रुपया है तो उसका तो नौ सौ रुपया लिया जा सकता है लेकिन हजार की जगह 12 सौ, तेरह सौ हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। इस तरीके से मार्केट

(श्री हरसहाय मीणा)

रेट के तुलनात्मक दृष्टि से किराया बढ़ाया गया है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कोई निश्चित प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बिराज जाइये अब।

श्री राजबहादुर : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : सभी प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दे दिये हैं।

श्री मालूराम।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए लिखित में दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

राजस्थान नहर की बुर्जी संख्या 428 के आउट लेट से सिंचित भूमि

433. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) [श्री मालूराम लेघा (श्री लूणकरण सर) की अनुपस्थिति में] : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर की बुर्जी संख्या 425 की बायीं ओर स्वीकृत डायरेक्ट आउट लेट के बजाय बुर्जी नं० 428 पर बनाया गया है जिसके कारण बुर्जी संख्या 425 से बनने वाले आउट लेट के मुकाबले इस आउट लेट से बहुत कम भूमि सिंचित हो रही है ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने अपने एक रिश्तेदार को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने की गर्ज से फेरबदल की है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो पूर्व स्वीकृत बुर्जी नं० 425 से निकलने वाले डायरेक्ट आउट लेट से कितनी भूमि सिंचित होने का अन्दाज था एवं 428 की बुर्जी के आउट लेट से अब कितनी भूमि सिंचित हो रही है ?

राज्य मंत्री, राजस्थान नहर (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, बुर्जी संख्या 425 की बायीं ओर स्वीकृत डायरेक्ट आउट लेट के बजाय बुर्जी नं०428 पर बनाया गया है। इससे जो सिंचित भूमि बुर्जी नं० 425 से होने वाली थी, उससे भी कम भूमि पर सिंचाई हो रही है। तो क्या मंत्री महोदय सम्बन्धित अधिकारी के ऊपर रेसपांसिब्लिटी फिक्स करेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा: इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता समझी जाएगी तो उसको देखा जाएगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसका जो डायरेक्ट आउट लेट बना हुआ है वह 425 की बजाय 428 पर परिवर्तित कर बनाया गया है। प्रश्न में स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि तत्कालीन अधिशासी अभि-

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

यन्ता ने अपने एक रिश्तेदार को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए 425 की बजाय 428 पर डायरेक्ट आउटलेट बनाया है जिससे जो सिंचित भूमि अधिक मात्रा में होनी चाहिए थी वह कम हो रही है। इससे इस विभाग को और उपनिवेशन विभाग को भारी नुकसान हुआ है। इस सम्बन्ध में क्या आप पर्याप्त जांच करा कर रेसपांसिबिलिटी फिक्स करेंगे ?

मंत्री, राजस्थान नहर (श्रीमती कमला): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की धारणा गलत है कि 425 बुर्जी संख्या पर आउट लेट बनना था और उसकी बजाय 428 पर बना दिया। दरअसल जब यह योजना बनी और जो प्रस्ताव चीफ इंजीनियर के यहां से अधिशासी अभियन्ता को 20-2-75 को भेजे गए उसके अन्दर 428 ही है और उसके बाद में 3-3-75 को अधिशासी अभियन्ता ने आदेश जारी किये। वह भी पूर्व के प्रस्तावानुसार 428 पर ही था और उसी के मुताबिक 428 बुर्जी पर आउट लेट बना है। इसलिए उनकी यह धारणा गलत है कि 425 से 428 कर दिया गया है। मुख्य रूप से 428 ही प्रस्तावित था। उसी के आदेश हुए और उसी की कार्यान्विति हुई है। इसलिए इसमें कोई दण्ड देने वाली बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा प्रश्न पूछ लूं तो स्थिति स्पष्ट हो जाय।

माननीय सदस्य ने प्रश्न में यह पूछा है कि पूर्व स्वीकृत बुर्जी नं० 425 से निकलने वाले डायरेक्ट आउट लेट से कितनी भूमि सिंचित होने का अन्दाजा था। इससे थोड़ा खुलासा हो जाना चाहिए कि अगर 425 पर बनाते तो कितनी भूमि सिंचित हो सकती थी और अब 428 पर करने से कितनी भूमि सिंचित हो रही है ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह 425 का तो प्रस्ताव ही नहीं था। 428 का ही प्रस्ताव था। प्रस्ताव मूल रूप में 428 का था और उसके बारे में तमाम आदेश 428 के ही हुए हैं। अब उसको अगर 425 पर बनाते तो कितनी भूमि सिंचित होती और 428 पर बना है तो कितनी भूमि सिंचित हुई है यह इससे बिलकुल पृथक सवाल है।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला: अध्यक्ष महोदय, इसमें पूछा गया है कि बुर्जी नं० 425 से निकलने वाले डायरेक्ट आउट लेट से अब कितनी भूमि सिंचित होने का अन्दाजा था और 428 की बुर्जी के आउट लेट से अब कितनी भूमि सिंचित हो रही है। यह स्पष्ट रूप से इस प्रश्न में पूछा गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया, इनकी शिकायत वाजिब मालूम होती है। आप देख लें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही हो सकती है कि अगर वहां डायरेक्ट आउट लेट बनता तो शायद ज्यादा

(श्रीमती कमला)

भूमि सिंचित हो जाती और वहां से निकाला गया इससे कम भूमि सिंचित हुई है। इसका विवरण अभी मेरे पास नहीं है लेकिन आपत्ति यह थी कि 425 के बजाय 428 कर दिया गया है, जो गलत है।

श्री अध्यक्ष : टेक्निकल उत्तर तो हो गया लेकिन 425 से ज्यादा सिंचित क्षेत्र बन सकता था और 428 पर बनाने से कम हुआ, यह मूल प्रश्न में ही है। आप इसकी जानकारी ले लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हम चाहते हैं कि इसकी टेक्निकल जांच होकर सदन को सूचित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न, 434।

देवली में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना

434. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि देवली, जिला टौंक में मुन्सिफ न्यायालय की आवश्यकता हेतु कोई मांग विगत सरकार एवं वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रस्तुत हुई थी? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं हुई है, तो सरकार इस पर अब क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार ने देवली जैसे महत्वपूर्ण कस्बे तथा क्षेत्र की जनता को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने के लिए मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई कार्यवाही की है एवं इस प्रश्न के औचित्य की जांच की है? यदि हां, तो इस आधार पर क्या स्थिति रही है?

(3) क्या सरकार देवली में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने के आधार पर सहमत है? यदि हां, तो यह न्यायालय कब तक स्थापित किया जाने वाला है?

विधि मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां, देवली जिला टौंक में मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोलने के लिए जो मांग विगत सरकार के समय प्राप्त हुई थी उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय की राय थी कि देवली क्षेत्र में कार्य की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए वहां न्यायालय स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर में इसका उत्तर भी आ गया है।

(3) जी नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या मंत्री महोदय, यह बतायेंगे कि देवली के लिए पहले निर्णय किया जा चुका था लेकिन तत्कालीन जनता पार्टी के मंत्री, उनियारा के दिग्विजय सिंह जी ने उन आदेशों को निरस्त करा कर देवली की बजाय उनियारा में न्यायालय स्थापित करा दिया?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन सरकार की बात कह रहा हूं। आज की सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। उस समय का निर्णय था कि देवली में न्यायालय नहीं खोला जावे। उस समय उच्च न्यायालय की राय भी यह थी कि देवली में न्यायालय खोलने का औचित्य नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या आपको जानकारी है कि देवली और उनियारा में कितने कितने मुकदमे होते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न तो तभी सामने आ सकता है जब कि आपके सामने मुकदमों की संख्या हो। देवली में न्यायालय नहीं खोल कर उनियारा में खोलने का आपका आधार क्या था ? मंत्री महोदय यह बतायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले आप भी पूछ लें।

श्री चतुर्भज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् 72 से हमारी मांग थी कि देवली के अन्दर इस अदालत को खोलने के लिए बहुत बार राज्य सरकार से निवेदन किया था और उसी के आधार पर योजना बनी थी। देवली नगरपालिका क्षेत्र में पहले से मिलिट्री क्षेत्र में राजस्थान राज्य के सारे भवन बने बनाए तैयार हैं। वहां के क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय देवली में ही खोलना था लेकिन इस स्थिति को छोड़ कर उनियारा में जनता पार्टी की सरकार के आते ही न्यायालय खोल दिया। जनता पार्टी की सरकार आयी तो उन्होंने तो यह कर दिया लेकिन आज तो अपनी सरकार है। आज हमारी सरकार है। वे गलती कर गये तो हमें तो सुधार करना चाहिए इसको उनियारा से हटा कर देवली में करना पड़ेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : जब उनियारा में न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया तो तुलनात्मक आधार तो होगा। जहां तक मुझे जानकरी है हाइ कोर्ट ने भी देवली को प्राथमिकता दी थी लेकिन उसके बाद आधार बदल गये। राजनैतिक आधार को ध्यान में रखते हुए आधार बदल गया जब कि देवली में नगरपालिका है, बड़ा शहर है, आसपास की ग्रामीण जनसंख्या बहुत है, मुकदमें वहां पर अधिक हैं, टौंक से चालीस माइल पर है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आप फिर से इस पर विचार करेंगे और इन आधारों को देखते हुए, देवली के औचित्य को देखते हुए, वहां पर मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के लिए हमें हाइ कोर्ट से राय लेनी पड़ती है और हाइ कोर्ट के आधार बने हुए हैं। गत समय में 3900 मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट

(श्री हीरालाल देवपुरा)

खोले गये उस समय भी हाइ कोर्ट की राय ली थी। माननीय सदस्य का यह कहना कि देवली के लिये राय ली थी उसको बदल कर उनियारा खोल दिया है यह जानकारी मेरे पास नहीं है। आज आपने बताया तो निश्चित रूप से इसको देखेंगे कि क्या बात है। आपकी ऐसी कोई बात है कि देवली का औचित्य है, वहां न्यायालय खोलना चाहिये उसके सम्बन्ध में मैं विचार करूंगा और माननीय हाइ कोर्ट से जानकारी प्राप्त करके आपके आधारों के आधार पर न्यायालय खोलना चाहिये या नहीं, उस आधार पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। एक प्रश्न और। श्री माधवसिंह दीवान।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माणार्थ आवंटित राशि

435. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत), श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) एवं **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में मुख्य मंत्री सहायता कोष से राजकीय चिकित्सालयों को भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी धनराशि किन-किन चिकित्सालयों को कब-कब आवंटित की गई। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इसके आवंटन का मापदण्ड क्या है?

चिकित्सा मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा)
(1) सूची संलग्न है।

(2) सम्बन्धित जिले से सिफारिश आने पर आवंटन किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में अस्पताल के लिये इस वर्ष 80-81 में पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। शेष राशि एक लाख रुपया कब तक दे दी जायगी?

श्री हीरालाल देवपुरा : कब तक दे दी जायगी, यह नहीं कह सकता हूं। इस फण्ड का आपरेशन विभाग के हाथ में नहीं है। मुख्य मंत्री के पास है। वहां से आपरेशन होता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मानसिंह देवड़ा : जैसा कि कैंसर अस्पताल के लिये भवन निर्माण कार्य हो रहा है, जो राशि जनता ने एकत्रित की थी, वह लगा दी गई है जन हित के लिये जो इतनी भयंकर बीमारी है, अगर वह पूरा हो जाता है तो हमें राहत मिलेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं इसके लिये प्रयत्न करूंगा कि, अध्यक्ष महोदय, शेष धनराशि शीघ्र प्राप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

(26)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगापुर में चकबन्दी कार्य

422. श्री भरतलाल (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगापुर (सवाईमाधोपुर) में चकबन्दी का कार्य कब हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर तहसील के ग्राम फुलवाड़ा, किशोरपुर, डोब इत्यादि गांव में किसानों ने चकबन्दी स्टाफ द्वारा नाजायज परेशान करने के कारण चकों पर कब्जा नहीं किया और आज दिन तक पुराने खसरा नम्बरों पर ही काश्तकार काबिज हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में गंगापुर तहसील में बन्दोबस्त (भू-प्रबन्ध) का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्राम फुलवाड़ा, किशोरपुर, डोब, गांवों का कार्य बदस्तूर काबिज खसरा नम्बरों के आधार पर ही किया जावेगा ? यदि हां, तो सरकार कब तक इस कार्य को कराने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों के काश्तकार सर्व सम्मत बदस्तूर काबिज खसरा नम्बरों के अनुसार ही बन्दोबस्त चाहते हैं।

उत्तर

(1) गंगापुर में चकबन्दी का कार्यक्रम सन् 1960–62 की अवधि में हुआ था।

(2) यह सही है कि ग्राम फुलवाड़ा, डोब, किशोरपुर के काश्तकार आज तक पुराने खसरा नम्बर पर ही काबिज हैं। चकबन्दी स्टाफ द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(3) यह सही है कि तहसील गंगापुर में भू–प्रबन्ध का कार्य चल रहा है। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार भू–प्रबन्ध अभिलेख प्रचलित जमाबन्दी की प्रविष्टियों के आधार पर तैयार किया गया है।

(4) उक्त ग्रामों के काश्तकारों ने इस प्रकार के आवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं जिसकी बाबत सम्बन्धित काश्तकारान को आवश्यक कदम उठाने बाबत लिखा गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन जांच कार्यवाही

430. श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वन विभाग के किन किन अधिकारियों के विरुद्ध अवैध रूप से जंगलों की कटाई व भ्रष्टाचार के मामले की जांच की कार्यवाही चल रही है ?

(2) इन मामलों की जांच को चलते हुए कितना समय हो गया है ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या इन अधिकारियों में किन्हीं के प्रति मामले भी साबित हो चुके हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दीपेन्द्रसिंह (वन मंत्री)

(4) जांच का बकाया कार्य कितने समय में पूरा हो सकेगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में जांच चालू होने सम्बन्धी सूचना सब अंकित है ।

(3) इन प्रकरणों में दो अधिकारियों क्रमशः सर्व श्री वी० के० पुरी, उप वन संरक्षक व दिनेशचन्द्र, सहायक वन संरक्षक के विरूद्ध मामले साबित हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त दोनों अधिकारियों को राज्य सेवा से आनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृति का दण्ड दिया गया है। परन्तु उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेशों के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गये हैं ।

(4) विभागीय जांच की कार्यवाही आयुक्त विभागीय जांच के अधीन नियमानुसार प्रगति पर है। जांच का बकाया कार्य कितने समय तक पूरा हो जायगा यह बताना कठिन है।

(सूची के लिए कृपया परिशष्ट 6 देखें)

बीकानेर क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलना

431. **श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)**: क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1981-82 में बीकानेर शहर व चारों तहसीलों में कहां-कहां नए पशु-चिकित्सालय खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार उन तहसीलों को प्राथमिकता देगी जहां वर्ष 1980-82 में एक भी पशु चिकित्सालय नहीं खुला है?

(2) कृपया बीकानेर शहर व तहसील कोलायत, नोखा, बीकानेर, लूणकरणसर के वर्तमान पशु चिकित्सालयों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कहां-कहां नए पशु चिकित्सालय खोले गये हैं व कहां-कहां नए खोलना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981–82 के नये पशु चिकित्सालय/औषधालय खोलने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। वर्ष 1981–82 में नये पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोलते समय विचार किया जावेगा।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) राजस्थान नहर क्षेत्र में कहीं पर भी नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान नहर क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में नये पशु चिकित्सालय खोलने का अभी विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

लाडनू तहसील के गैर मुमकिन अलगौर खसरा पर नाजायज कब्जा

432. **श्री रामधन चौधरी** (लाडनू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की लाडनू तहसील के गैर मुमकिन अलगौर खसरा नं. 1564 रकबा 25-1/2 बीघा पर मोहम्मद हुसैन काजी का नाजायज कब्जा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या खसरा नम्बर 1585 रकबा 47-1/2 बीघा पर भी सरदार खां पुत्र मोलाबक्स लाडनू का कब्जा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) जी हां। यह भी सही है। अतिक्रमियों की अपील पर राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 4-12-80 को बेदखली की कार्यवाही स्थगित कर रखी है।

न्यूरो सर्जिकल वार्ड एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर में शैयाओं का अभाव

433. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि एस.एम.एस. चिकित्सालय, जयपुर के न्यूरो सर्जिकल वार्ड में पर्याप्त शैयाओं के अभाव में मरीजों को नीचे सोने को बाध्य होना पड़ता है ?

(2) क्या इस वार्ड में गम्भीर रूप से घायल मरीजों को भर्ती किया जाता है ?

(3) यदि हां, तो क्या इस वार्ड में ग्रीष्म ऋतु में मरीजों की सुविधा के लिये वार्ड को ठंडा रखने हेतु कूलर की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दी जावेगी ?

(4) सरकार इस वार्ड में कब तक रोगी शैयाओं को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वार्ड में रेगूलर बेड की संख्या 36 है। कभी-कभी मरीजों के एक साथ अधिक आ जाने पर फर्श पर भी सुलाया जाता हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर शैयाएं बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

जनाना चिकित्सालय, जयपुर में विद्युत व्यवस्था

434. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के जनाना चिकित्सालय के लेबर रूम में विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ? क्या यह भी सही है कि कठिन समय में मोमबत्तियां जलानी पड़ती हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसी विषम स्थिति के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

श्री हरीश शर्मा (चिकित्सा मंत्री)

(2) क्या यह भी सही है कि इस चिकित्सालय में विधायकों की पत्नियों तथा अन्य महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता है ?

(3) क्या विधायकों द्वारा सदस्य राजस्थान विधान सभा का प्रमाण-पत्र देने पर भी नियमानुसार व्यवस्था नहीं की जाती है और ना ही कॉटेज वार्ड दिया जाता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस चिकित्सालय में रोगियों की उचित देखभाल नहीं की जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था को सुधारने हेतु क्या प्रयास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कठिन समय में इमर्जेन्सी लाइट व गैस बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अस्पताल के लिये जनरेटर खरीदने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जैसे ही कोई भी विधायक की पत्नि या उन पर आश्रित महिला इस चिकित्सालय में भर्ती होती है तो उन्हें काटेज वार्ड की सुविधा प्रदान कर दी जाती है, बाद में किराये के बदले उनसे एक प्रपत्र ले लिया जाता है।

(4) जी नहीं।

अजमेर चिकित्सालयों में व्हील चेयर्स व ट्रॉलियां

435. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय अजमेर में कुल कितनी व्हील चेयर्स व ट्रॉलियां हैं ?

(2) इनमें से कितनी व्हील चेयर्स और ट्रॉलियां टूटी फूटी हैं जिनकी तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन टूटी फूटी व्हील चेयर्स एवं ट्रॉलियों के उपयोग के कारण गम्भीर मरीजों को कष्ट एवं कठिनाई होती है ?

(4) क्या सरकार इन टूटी फूटी ट्रॉलियों एवं व्हील चेयर्स को ठीक ढंग से मरम्मत करने का या इनके बजाय नयी व्हील चेयर्स एवं ट्रॉलियां सप्लाई करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 40 व्हील चेयर एवं 60 ट्रॉलियां हैं।

(2) 15 ट्रॉलियां एवं 15 व्हील चेयर के मरम्मत की आवश्यकता है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

इनको ठीक कराते रहते हैं एवं समय-समय पर नई भी खरीदी जाती हैं।

राजपूताना तिब्बी कालेज, जयपुर

436. **श्री चाव खां** (कामां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर की पिछले साल परीक्षायें बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसन राजस्थान द्वारा ली गई थीं ? यदि हां, तो बोर्ड एवं राज्य सरकार के किस विधान के अनुसार यह परीक्षायें ली गयी थीं ?

(2) क्या यह सही है कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज जयपुर के प्रिन्सिपल पर पिछले साल 23फरवरी, 80 को लड़कों ने तेजाब फैंक कर हमला किया था ? प्रिन्सिपल द्वारा जिन हमलावर लड़कों को कॉलेज से निष्कासित किया गया, ऐसे लड़कों की रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन ने वर्ष 80 की परीक्षा किन नियमों के तहत ली ?

(3) राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज, जयपुर को 1926 ई. को पिछले दस सालों में सरकार ने कितनी कितनी अनुदान राशि दी ? कृपया वर्षवार अलग-अलग ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजपूताना यूनानी तिब्बी कॉलेज, जयपुर के मंत्री ने सरकार को रजिस्ट्रार बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसन द्वारा की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की सूचना दी थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। परीक्षायें राजस्थान यूनानी परीक्षा अनियम 1960 के अन्तर्गत की गई थीं।

(2) तेजाब फैंकने के बारे में राज्य सरकार के पास शिकायत आई थी। लड़कों को उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया था।

(3) राज्य सरकार द्वारा निम्न अनुदान राशि दी गई थी :—

1970-71	8000/-
1971-72	--
1972-73	—
1973-74	10,000/-
1974-75	--
1975-76	6,000/-
1976-77	—
1977-78	—
1978-79	--
1979-80	20,000/-

(4) जी हां। मामले में जांच कराई जा रही है।

कोटा जिले के लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिया गया ऋण

437. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला कोटा में लघु कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत मिनी ट्राइबल प्लान में अभी तक कितना धन व्यय किया गया ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल (कृषि मंत्री)

इस प्लान के अन्तर्गत कितना धन इसमें व्यय करने हेतु निर्धारित किया गया था ?

(2) जिला कोटा में कितने लघु एवं सीमान्त कृषकों को सन् 1980 में कितना ऋण दिया गया ? इसमें कितना अनुदान था ? 1979 में कितना ऋण दिया गया ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में लघु कृषक विकास अभिकरण के अन्तर्गत मिनी ट्राइसंम प्लान में अब तक 48719.46 रुपये व्यय हो चुके हैं। इस प्लान के अन्तर्गत 855070 रुपये खर्च करने हेतु निर्धारित किया गया था।

(2) लघु कृषक विकास अभिकरण कोटा द्वारा वर्ष 79-80 में लघु कृषक विकास योजना में 89 और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 143 लघु सीमान्त कृषक व कृषक मजदूरों को विभिन्न सहकारी व व्यवसायिक बैंकों से क्रमशः 311816 व 321493 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया था व इस अभिकरण द्वारा क्रमशः 100842 एवं 99809 रुपयों का अनुदान दिया गया। इसी प्रकार इसी वर्ष लघु कृषक योजना में 746 व एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 327 अन्त्योदय परिवारों को विभिन्न प्रयोजनार्थ विभिन्न सहकारी एवं व्यवसायिक बैंकों द्वारा क्रमशः 1013951 व 462587 रुपयों का ऋण उपलब्ध कराकर क्रमशः 378347 एवं 159477 रुपयों का अनुदान कोटा लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा दिया गया। इस प्रकार वर्ष 79-80 में कुल 1305 परिवारों को 2109847 रुपयों के ऋण के विपरीत 739475 रुपयों का अनुदान सुलभ कराया गया।

वर्ष 78-79 में लघु कृषक विकास योजना में 747 लघु कृषक/सीमान्त कृषक/कृषक मजदूरों व 1362 अन्त्योदयी परिवारों को (कुल 2109 परिवारों। 34.88 लाख रुपयों के ऋण दिला कर 11.70 लाख रुपयों का अभिकरण द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 78-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत 2 लघु कृषक व 13 अन्त्योदय परिवारों को 25740 रुपये के ऋण के विपरीत 9908 रुपयों का अनुदान अभिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार 78-79 में 2124 परिवारों को 35.14 लाख रुपये के ऋण विपरीत 11.80 लाख का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

चालू वित्तीय वर्ष में अप्रेल, 80 से सितम्बर, 80 तक लघु कृषक विकास योजना मद से 20 लघु कृषक/सीमान्त कृषक व कृषक मजदूरों को 62795 रुपयों के ऋण दिलाकर 18984 रुपयों का अनुदान अभिकरण द्वारा दिया गया। यह योजना अक्टूबर, 80 से समाप्त की जाकर एकीकृत ग्रामीण विकास योजना में शामिल करली गई। अतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 80-81 में अप्रेल 80 से दिसम्बर 80 तक 304 लघु कृषक/सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर, अन्त्योदय व ग्रामीण दस्तकारों को विभिन्न प्रयोजनार्थ 704256 रुपयों का ऋण व 252800 रुपयों का अनुदान उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार

(कृषि मंत्री)

वर्ष 80-81 दिसम्बर, 80 तक में 324 परिवारों को 767051 रुपयों के ऋण के विपरित 277784 रुपयों का अनुदान सुलभ कराया गया।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान

439. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए इस वर्ष कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है और अब तक कितनी राशि किस-किस कार्यों में व्यय की गयी है? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 80-81 वर्ष में 665·00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। जनवरी, 81 तक 407·54 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। जिलेवार व्यय का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है। जनवरी, 81 के अन्त तक कृषि, सिंचाई, पशुपालन एवं सहायक उद्योग व सनग्रोंक क्षेत्र में कुल 72464 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया जिसमें 14050 (अनुसूचित-जाति) 16725 अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति हैं। स्व-रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 6365 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 8788 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों में से 2602 व्यक्तियों को रोजगार भी दिया जा चुका है। इनका जिलेवार विवरण संलग्न सारणी नं. 2 में दर्शाया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजस्व मण्डल अजमेर

440. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व मण्डल, अजमेर के क्षेत्राधिकार में किन-किन अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अन्तर्गत विवाद निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्व मण्डल का गठन कुल कितने सदस्यों का है और वर्तमान में कितने सदस्य कार्यरत हैं?

(3) दिनांक 1 फरवरी, 1981 को राजस्व मण्डल के सम्मुख विभिन्न प्रकार के कुल कितने प्रकरण या विवाद विचाराधीन थे? इनमें से सबसे पुराना विवाद किस वर्ष का है और उसके बाद किस किस साल के कितने-कितने प्रकरण विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल में कुल सदस्यों की संख्या 9 है व एक पद अध्यक्ष का स्वीकृत है। वर्तमान में सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) वांछित सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(परिशिष्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

फसलों के बीज का प्रमाणीकरण

441. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहायक पौध संरक्षण अधिकारी, अजमेर को विभिन्न फसलों के बीज प्रमाणित करने का अधिकार नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर कृषि कार्यालय में बीज प्रमाणित करने की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि फर्म मै. मेहराम बीजराज, मदन गोपाल रोड, केसरगंज, अजमेर के ही बीजों को पौध संरक्षण अधिकारी अजमेर द्वारा सन् 1966 में प्रमाणित किया गया था ?

(4) बीज प्रमाणीकरण के बाद कब तक वैध रहता है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं।

(4) बीज प्रमाणीकरण के पश्चात् एक फसली वर्ष के लिए वैध रहता है।

लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना

442. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980 में लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदन-पत्र तैयार कराने हेतु अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़गढ़ के व्यक्तियों के किस किस प्रयोजनार्थ ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करवाये, कितनों को ऋण उपलब्ध हो चुका है ? कृपया पंचायत वार सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 में एवं वर्ष 1980 में प्रतापगढ़ तहसील के कितने आदिवासियों को किस किस प्रकार के कामों के लिये ऋण उपलब्ध करवाया गया तथा कितने प्रतिशत अनुदान की राशि सरकार द्वारा चुकायी गयी ?

(3) क्या ऋण प्रार्थना-पत्र तैयार करवाने के लिये पंचायत समिति स्तर पर कोई व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि वर्ष 1980 में लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र तैयार करने हेतु अभियान चलाया गया था। प्रयोजन-वार जितने व्यक्तियों के ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाए गये एवं उनमें से जिन्हें ऋण उपलब्ध करवाया गया का पंचायत वार विवरण संलग्न है ?

(2) लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 एवं 1980 में प्रतापगढ़ तहसील के जितने आदिवासियों

(कृषि मंत्री)

को विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया गया उसका वर्ष-वार एवं उद्देश्यवार विवरण संलग्न है ।

(3) ऋण प्रार्थना पत्र तैयार करवाने के लिए पंचायत समिति क्षेत्र में समय समय पर विशेष शिविर आयोजित किये जाते हैं जिसमें विकास विभाग, राजस्व विभाग, लघु कृषक विकास अभिकरण एवं सभी सम्बन्धित सहकारी एवं व्यवसायिक बैंकों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष में हर समय विकास अधिकारी एवं लघु कृषक विकास योजना के कृषि प्रसार अधिकारी पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा भी ऋण प्रार्थना पर स्पोन्सर दिये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

कृषि उपज मण्डी कोटा द्वारा सड़कों के निर्माण की स्वीकृति

443. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमण्डी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) कृषि उपज मण्डी कोटा ने जिला कोटा की लाडपुरा तहसील की कौन कौन सी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है तथा किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या कोटा झालावाड़ सड़क से जुड़ी रावठागांव की सड़क को उम्मेदपुरा ग्राम से भी जोड़ा जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, कोटा द्वारा लाडपुरा तहसील की जिन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है तथा प्रत्येक के लिये स्वीकृति राशि की सूचना उसके नाम के आगे अंकित कर दी गई है :—

क्र० सं०	**सड़क का नाम**	**स्वीकृत राशि**
1.	मण्डाना से मांडलिया	5,75,000
2.	धाकड़खेड़ी से उम्मेदगंज	3,80,000
3.	प्रहलादपुरा से बड़ोदिया	13,50,000
4.	अरणखेड़ा से बनियानी	6,95,000
5.	अप्रोच रोड अर्जुनपुरा तक	3,00,000
6.	अप्रोच रोड रावठा तक	5,30,000

(कृषि मंत्री)

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत राशि
7.	काला तलाब से चन्द्रसल तथा मानस गांव तक विस्तार	16,73,000

(2) इस बारे में जिला आयोजना समिति कोटा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायगा उसके बाद ही यह कहा जा सकेगा कि उम्मेदपुरा गांव इस सड़क से जोड़ा जा सकेगा या नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा सड़क की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त ही यह बतलाना सम्भव होगा।

अजमेर के चिकित्सालयों में शैयाओं में अभिवृद्धि

444. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में एलोपैथी के कितने अस्पताल, डिस्पेन्सरियां एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं और कहां कहां पर कितनी-कितनी शैयाएं इण्डोर पेशेन्ट्स के लिये किस-किस अस्पताल में हैं ?

(2) इण्डोर पेशेन्ट्स की चिकित्सा हेतु शैयाओं की वर्तमान संख्या कब से चली आ रही है।

(3) क्या सरकार नगर की बढ़ती आबादी को देखते हुए इन शैयाओं की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् सीमा अजमेर में कार्यरत डिस्पेंसरी चिकित्सालयों का विवरण निम्न प्रकार से है। नगर परिषद् अजमेर की सीमा में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है :—

क्र. सं.	नाम संस्था	रोगी शैया
1.	जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	818
2.	पुलिस चिकित्सालय, अजमेर	45
3.	जेल अस्पताल, अजमेर	16
4.	सिटी डिस्पेन्सरी, डिग्गी बाजार, अजमेर	शून्य
5.	सिटी डिस्पेन्सरी, गुलाब बाड़ी, अजमेर	शून्य

(चिकित्सा मंत्री)

क्र.सं.	नाम संस्था	रोगी शैया
6.	सिटी डिस्पेन्सरी, रामगंज, अजमेर	शून्य
7.	सिटी डिस्पेन्सरी, रामनगर, अजमेर	शून्य
8.	सिटी डिस्पेन्सरी, आदर्शनगर अजमेर	शून्य
9.	सिटी डिस्पेन्सरी, जी० आर० पी०, अजमेर	शून्य
१0.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, अजमेर (तीन)	शून्य

(2) निम्न चिकित्सालयों में उनके नाम के आगे अंकित रोगी शैयाएं कब से चली आ रही हैं अंकित है :—

नाम चिकित्सालय	कब से चली आ रही हैं
जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	1976 से
पुलिस चिकित्सालय, अजमेर	1974 से
जेल अस्पताल, अजमेर	1979 से

(3) समुचित वित्तीय प्रावधान होने पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का केजुअलटी रूम

445. **श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, अजमेर में केजुअलटी मेडिकल आफिसर का ड्यूटी रूम बहुत छोटा है, उसमें डाक्टरों के बैठने का स्थान बहुत कम है, मरीजों को लिटा कर देखने की कोई व्यवस्था नहीं है, गंभीर मरीजों को तुरन्त शैया उपलब्ध करा कर उपचार प्रारम्भ करने की सुविधा नहीं है, तथा इमर्जेन्सी ड्रग्स व वान्छित इक्विपमेंट भी उपलब्ध नहीं है ?

(2) क्या सरकार इस व्यवस्था में तुरन्त आवश्यक सुधार करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इसमें और आवश्यक सुधार के प्रयत्न जारी हैं।

अजमेर चिकित्सालयों के रिकार्ड रूम एवं भोजनशालाओं में समुचित व्यवस्था का अभाव

446. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अजमेर के रिकार्ड रूम के प्रभारी के रूप में स्टेटिशियन के बजाय कम्पाउण्डर तथा भोजन शाला के प्रभारी के रूप में डाइटिशियन के बजाय कम्पाउण्डर लगा रखे हैं ?

(2) क्या सरकार इस स्थिति को सुधार कर व्यवस्थित व सुचारू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्टेटिशियन व डाइटिशियन नाम का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) वर्तमान में कार्य में कोई बाधा चार नहीं आ रही है।

ग्राम मोडक के पास की सरकारी चौसला बीड़ पर अनधिकृत कब्जा

447. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की रामगंज मण्डी तहसील के ग्राम मोडक गांव के पास की सरकारी चौसला बीड़ पर रामचन्द्र ने कब्जा कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन गांवों में चारे की समस्या है और सरकार ने अकाल भी घोषित कर रखा है फिर क्यों नहीं यह बीड़ पूरी तरह मुक्त करवाई जा रही है ? कब तक बेदखल करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बीड़ से नाजायज कब्जा हटाने के लिये अतिक्रमी के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 9 के तहत कार्यवाही बेरकार है।

तहसील सीकर के कटरायल एवं दौलतपुरा ग्राम

448. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर तहसील के कटराथल एवं दौलतपुरा गांव की सम्मिलित जनसंख्या 1981 के अनुमानित आधार पर कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि एक ही गांव को दो राजस्व गांवों में वांटा गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कटराथल ग्राम के नाम से विद्यालय एवं औषधालय आदि दौलतपुरा में स्थापित हैं ? क्या यह इस कारण है कि दोनों गांव एक ही हैं और दौलतपुरा में अलग से कोई औषधालय तथा विद्यालय आदि नही हैं ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(4) क्या वर्तमान समय में चल रहे सेटलमेंट अभियान में दोनों गांवो को एक ही राजस्व गांव में बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील सीकर के ग्राम कटराथल 4788, दौलतपुरा 3,744, की सम्मिलित जनसंख्या 8,532, जनगणना 1981 के अनुसार अनुमानित है ।

(2) ग्राम कटराथल एवं दौलतपुरा, ठिकाना सीकर के समय से ही दो अलग अलग ग्राम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाते रहे हैं ।

(3) यह सही है कि कटरायल के नाम से औषधालय व विद्यालय ग्राम दौलतपुरा में स्थापित हैं । इसका कारण यह है कि दोनों ग्राम आस पास बसे हुए हैं जहां भूमि उपलब्ध थी वहीं दोनों ग्रामों के लिए औषधालय व विद्यालय स्थापित कर दिये गये, जो कटराथल के नाम से हैं । ग्राम दौलतपुरा के नाम कोई अलग से औषधालय व विद्यालय नहीं हैं ।

(4) तहसील सीकर के ग्रामों का वर्तमान भू–प्रबन्ध कार्य प्रारम्भ करने के समय ग्राम कटराथल एवम् ग्राम दौलतपुरा पृथक पृथक राजस्व ग्राम हैं । वर्तमान में भू–प्रबन्ध में इन दोनों ग्रामों को एक ही राजस्व ग्राम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जैसलमेर के पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पद

449. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जैसलमेर में समस्त पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों के कितने स्वीकृत पद हैं ?

(2) अधिकारियों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि हैं, तो कितने समय से और उन्हें कब तक करने की कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों की सूची 'क' संलग्न है ।

(2) रिक्त पदों की सूचना सूची 'ख' में अंकित है । रिक्त पदों की पूर्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जैसलमेर चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारी कर्मचारियों के रिक्त पद

450. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला जैसलमेर में स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों के विभिन्न विद्यमान पदों में

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

से कौन–कौन से कुल कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कितने समय से ? इन रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जायगा ?

उत्तर

रिक्त पदों की सूची संलग्न है। राजपत्रित पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है। शेष पद तकनीकी स्टाफ उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें।)

रामगंज मण्डी की राजस्व की भूमि पर खदान मालिकों द्वारा अनधिकृत कब्जा

452. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील रामगंज मण्डी की राजस्व की भूमि पर खदान मालिकों द्वारा चरागाहों व ग्राम रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जे किये जा रहे हैं तथा खानें खोदने से दुर्घटनायें होती रहती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार द्वारा इन खदान मालिकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि आवंटन समिति द्वारा अमभार की भूमि के आवंटित किये जाने व मौके पर जाकर भूमि बतलाने पर भी, आवंटियों को भूमि के पट्टे नहीं दिए गए हैं ?

उत्तर

(1) यह सत्य नहीं है। राजस्व को चरागाह व रास्ते की भूमि पर अवैध रूप से खान मालिकों द्वारा खानें खोदना नहीं पाया गया है। इस बारे में कोई प्रार्थना पत्र जेरकार भी नहीं है। खान मालिकों द्वारा राजस्व की चरागाह व रास्ते की भूमि पर कब्जा कर खान का मलवा पत्थर अवश्य डालते हैं जिससे कोई दुर्घटना होना नहीं पाया गया है।

(2) यह सत्य नहीं है। जो खदान मालिक राजस्व की चरागाह भूमि व रास्ते की जमीन पर तथा राजस्व भूमि पर नाजायज कब्जा कर मलवा व पत्थर आदि डालते है उनके विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम की धारा 41 के अन्तर्गत तावान कायम करते हुये बेदखली के आदेश दिये जाते हैं।

(3) ग्राम समाचार में कुल 27 व्यक्तियों को भूमि का आवंटन भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है इनमें से 2 व्यक्ति देवीलाल पुत्र नानूराम व श्री रतनलाल पुत्र नानूराम गूजर मुकन्दरा को आवंटन कन्डीशनल किया है। इन दोनों की भूमि रेलवे लाइन में जाने से भूमि के बदले भूमि आवंटन की थी परन्तु इन दोनों आवंटियों ने भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिया है यह मुआवजा राज्य कोष में जमा नहीं किया है। इसलिए इनको कब्जा व पट्टा नहीं दिया गया है। प्राप्त मुआवजा जमा कोष कराने पर पट्टा व कब्जा दिया जा सकेगा। बाकी 25 को पट्टा व कब्जा दे दिया है।

अजमेर में अमरूद की फसल में भयंकर बीमारी का प्रकोप

453. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर में अमरूद के पेड़ों को पिछले दो-तीन साल से कोई भयंकर बीमारी लग गयी है और उसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है तथा अमरूद के बगीचे बर्बाद हो रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है, कि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इस बीमारी की पहचान नहीं हो पायी है और न उन कीटाणुओं की पहचान हो पाई है जो कि इस बीमारी को जन्म देते हैं तथा फैलाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद भी कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अमरूद लगाने वाले किसानों को अनुपयुक्त कीटनाशक दवाइयां छिड़कने की राय देकर उनको लाखों रुपये की हानि पहुचाई है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो कृपया यह बतायें कि इनके द्वारा बतायी गयी दवाइयों से इस बीमारी पर कितना नियंत्रण हुआ और कितने अमरूद लगाने वाले लाभान्वित हुए ?

(4) इस बीमारी पर नियंत्रण पाने हेतु काम में ली गयी दवाइयों पर सरकार अब तक कितना अनुदान दे चुकी है और भविष्य में कितना अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है ।

उत्तर

(1) केवल गनाहेड़ा (पुष्कर) क्षेत्र में वर्ष 1979–80 में अमरूद के बागानों में फल मक्खी नाम कीट का प्रकोप सघन रूप से दृष्टिगत हुआ किन्तु विभाग द्वारा सामयिक कार्यवाही के फलस्वरूप बिना औषधियों के उपयोग के ही इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत स्वस्थ फल प्राप्त हुये । इस कीट की सघनता सीमित हो गई है तथा पूर्ण नियन्त्रण हेतु कार्यक्रम बना कर क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं । गत वर्ष 57 हैक्टेयर क्षेत्र में विभाग के परामर्शानुसार औषधियों के उपयोग से इस क्षेत्र के सभी कृषक लाभान्वित हुये तथा उन्हें इस वर्ष लगभग 80 प्रतिशत स्वस्थ फल प्राप्त हुये ।

(4) अभी तक इस संदर्भ में कोई अनुदान नहीं दिया गया है तथा भविष्य के लिए विपणन बोर्ड के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

जिला बालक अधिकारी, अजमेर के विरूद्ध आरोप की जांच

454. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री भागचन्द जैन, जिला बालक अधिकारी, अजमेर के विरूद्ध उनके सेवाकाल में कब-कब क्या-क्या शिकायतें अधिकारियों एवं मंत्रियों को प्राप्त हुई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(2) इन शिकायतों में से किन-किन शिकायतों की जांच कराई गई और उनके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या सरकार उन सब शिकायतों की गम्भीरता से जांच करा कर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री भागचन्द जैन, जिला बालक अधिकारी, अजमेर के सेवा काल में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं (1) पीड़ित मानव सेवा समिति, भरतपुर के शिकायत संबंधी पर्चे व एक समाज सेवी के नाम से शिकायती पत्र तथा अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महा संघ (समाज कल्याण विभागीय समिति) का शिकायत पत्र दिनांक 29–5–79 जिसमें निम्न आरोप लगाये गये थे :—

अ. आश्रम गृह भरतपुर की मृत आवासनी रंजना जिला अधिकारी श्री भागचन्द की वासना तृप्ति की मुख्य नायिका।

ब. जिला अधिकारी श्री भागचन्द जैन ने भरतपुर में 1 साल में लाखों रुपयों का धन पोषाहार केन्द्रों से कमाया।

स. श्री जैन ने राज्य सरकार के खर्चे पर जीप में सपरिवार फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा की यात्रा की।

द. श्री जैन के विरूद्ध पक्षपात का आरोप कि उन्होंने उनकी पत्नी गुणमाला जैन द्वारा 14–12–78 को जोइनिंग रिपोर्ट देने पर भी 4–4–79 तक आश्रम गृह का चार्ज नहीं दिलवाया।

घ. छात्रावासों के बिल फर्जी हस्ताक्षर करके राशि उठाई।

(2) जिला अजमेर डिप्रेस्ट क्लासेस फेडरेशन अजमेर के द्वारा 4-9-80 को शिकायत प्राप्त हुई। दोनों शिकायतों के संबंध में जांच अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं जांच अधिकारियों से से जांच प्रतिवेदन अपेक्षित हैं।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

वृक्ष लगाओ योजना

455. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 80-81 में राज्य में वृक्ष लगाओ योजना के अन्तर्गत कितना बजट खर्च किया गया और कितना शेष है ?

(2) यह योजना किसके नाम पर चलाई गई व क्यों चलाई गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में वृक्ष लगाओ योजना के अन्तर्गत 150–00 लाख रुपया का प्रावधान था। जिसमें से दिसम्बर 1980 तक 94.74 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है एवं 55.26 लाख रुपया शेष है।

(वन मंत्री)

(2) यह योजना राष्ट्रीय नीति के अनुरूप वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू की गई जिसका मुख्य उद्देश्य वनों का विस्तार एवम् वन सम्पदा का विकास करना है।

सैटलमेंट अभियान के अन्तर्गत नावां तहसील के कुछ गांवों को दांतारामगढ़ में शामिल करना

456. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में चल रहे सैटलमेंट अभियान में नावां तहसील, जिला नागौर के गांव उढील, लालास खोरण्डी एवं घावटा ग्रामों को दांतारामगढ़ तहसील जिला सीकर में शामिल करने का विचार है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(2) इस विषय में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला नागौर की तहसील नावां तथा जिला सीकर की तहसील दांतारामगढ़ में इस समय कोई भू-मापन/भू-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यवाही नहीं चल रही है। ग्राम उढील, लालास, खोरण्डी एवं घावटा को जिला सीकर में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

समाज कल्याण द्वारा संचालित छात्रावासों के अधीक्षकों के निलम्बन का प्रकरण

457. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ) एवं **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980-81 में कितने छात्रावासों के अधीक्षकों को निलम्बित किया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) निलम्बन किये जाने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ? क्या निलम्बन के पश्चात् निलम्बित कर्मचारी को अपनी सुविधानुसार उपस्थिति देनी होती है ? यदि हां, तो निलम्बित कर्मचारियों के मुख्यालय कहां-कहां रखे गये हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 80-81 में छात्रावास अधीक्षकों को निलम्बित किया गया जिनकी सूची नीचे दी गई है :—

क्र.सं.	नाम अधीक्षक	निलम्बन का दिनांक
1	2	3
1—	**श्री मनमोहनलाल बैरवा** छात्रावास अधीक्षक हिण्डौन (सवाई–माधोपुर)	जून, 80
2—	**श्रीमती चन्द्रकला रोकडिया** छात्रावास अधीक्षिका, गढ़ी (बासवाडा)	11-3-80

(समाज कल्याण मंत्री)

1	2	3
3—	**श्री भौंरीलाल वर्मा** छात्रावास अधीक्षक पुष्कर (अजमेर)	23-1-81
4—	**श्री सवाई लाल मेहता** छात्रावास अधीक्षक, चित्तौड़गढ़	16-12-80
5—	**श्री केशर सिंह** छात्रावास अधीक्षक, चौहटन (बाड़मेर)	जनवरी, 1981
6—	**श्री जयनारायण मल्होत्रा** छात्रावास अधीक्षक, इटावा (कोटा)	12-2-81
7—	**श्री सुमेरसिंह यादव** छात्रावास अधीक्षक, जालुपुरा (जयपुर)	16-2-81

(2) किसी भी राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी के खिलाफ सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण अथवा जानकारी प्राप्त होने पर जिसमें गंभीर अनियमिततायें पायी जायं, पहले प्राथमिक जांच कराई जाती है उसके पश्चात् यदि प्राथमिक जांच में ही तथ्यों की पुष्टि हो जाय तो उसे चार्ज शीट दी जाती है और यदि आरोप गम्भीर हो तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की दृष्टि से निलम्बित भी किया जा सकता है। निलम्बन के पश्चात् कर्मचारी को नियुक्त मुख्यालय पर उपस्थिति देनी होती है निलम्बित कर्मचारी का निलम्बन काल में मुख्यालय अधिकाशः वही स्थान होता है जहां उसका पूर्व में पदस्थापन हो अथवा विभाग के जिलाधिकारी का मुख्यालय होता है।

मिनी ब्लाक्स पर व्यय की गई राशि

458. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के आदिवासियों के विकास के लिये गत शासन में गठित मिनी ब्लाक्स पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ? कृपया अब तक व्यय की गई राशि का विवरण प्रत्येक मिनी ब्लाक के अनुसार, वर्षवार प्रस्तुत करें।

(2) मिनी ब्लाक्स पर व्यय हुयी राशि से कितने आदिवासियों को किस प्रकार आर्थिक लाभ पहुंचा ?

(3) क्या सरकार ने आदिवासियों के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा बनाने के लिये किसी समिति का गठन किया है ? यदि हां, तो कृपया समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों की प्रति सदन के पटल पर रखें। यदि समिति का गठन नहीं हुआ है, तो क्या सरकार ऐसी समिति के शीघ्र गठन का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के लिये 36 मिनी ब्लाक्स का अनुमोदन भारत सरकार ने किया है। इनके विकास के लिये भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जो राशि स्वीकृत हुई हैं वह इस प्रकार है:—

वर्ष 1978-79	1979-80	1980-81
31.50	190 लाख	190 लाख

इस योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों का

(जन जातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्रियान्वयन संबंधित जिला विकास अभिकरण/लघु कृषक विकास अभिकरणों द्वारा किया जाता है। उपरोक्त समस्त राशि इन संस्थाओं के पी.डी. अकाउन्ट्स से राज्य सरकार द्वारा हस्तान्तरण कर दी गई है। इसका विवरण जिलानुसार संलग्न है। लघु खण्डों के अनुसार राशि का वितरण लघु कृषक विकास अभिकरणों, जिला विकास अभिकरणों द्वारा किया जाता है। 1980-81 के लिये प्राप्त राशि में से 92 लाख का आवंटन किया जा चुका है व शेष राशि का आवंटन इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति से पूर्व कर दिया जावेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विकास कार्य अनुमोदित किये गये है :—

शिक्षा—

1. अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुफ्त पोषाक एवं किताबों के रूप में प्रोत्साहन।
2. आश्रम विद्यालयों का निर्माण
3. प्राथमिक शालाओं का निर्माण
2. ग्रामीण जल प्रदाय—

   नये कूप का निर्माण, पुराने कुओं को गहरा एवं हैण्ड पम्प्स लगवाना।
3. स्वास्थ्य–

   चल चिकित्सा इकाइयां
4. व्यक्तिगत लाभ की योजना–
   जनजाति के व्यक्तियों के लिये व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं।

(3) जहां तक प्रत्येक आर्थिक लाभ का प्रश्न है शिक्षा प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1978-79 में लगभग 56053 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण में 26 व्यक्तियों को तथा हिस्सा पूंजी अनुदान से 179 व्यक्तियो को लाभान्वित किया गया। आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 3 छात्रों को अनुदान दिया गया।

वर्ष 1979-80, 1980-81 की सूचना का संकलन किया जा रहा है।

ऐसी समिति के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा केकड़ी बीज उत्पादन का अस्वीकृत किया गया बाजरे का बीज

459. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व):–क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने सन् 1979 में केकड़ी के बीज उत्पादक किसान श्री अब्दुल मजीद का बाजरे का बीज रिजेक्ट कर दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके बावजूद श्री अब्दुल मजीद ने फर्म मेहराम बीजराज, अजमेर से मिलकर अपने ही टेग छपवाकर, वह रिजेक्टेड बाजरे का बीज किसानों को बेच दिया ?

(3) यदि हां, तो उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा केकड़ी के बीज उत्पादक श्री अब्दुल मजीद

(श्री कैलाश मेघवाल)

के बाजरा बीज उत्पादन क्षेत्र 15 एकड़ किस्म बी. के.–560 का निरस्तीकरण वर्ष 1979 में निर्धारित प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप नहीं होने के कारण किया था।

(2) इस विभाग के ध्यान में कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं लाई गई।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

पौध संरक्षण औषधियों के विक्रय हेतु लाइसेंस

461. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला अजमेर में पौध संरक्षण औषधियां बेचने के लाइसेंस किस किस को कब कब दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पौध संरक्षण औषधियां बेचने के लाइसेंस की यह अनिवार्य शर्त है कि इन औषधियों की दुकान में खाद्य सामग्री रखना व बेचना मना है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस तरह की चेतावनी जिला कृषि अधिकारी, अजमेर के देने के बावजूद भी कई व्यापारी पौध संरक्षण औषधियां एवं खाद्य सामग्री का व्यापार एक ही दुकान से कर रहे हैं ?

(4) क्या जिला कृषि कार्यालय, अजमेर ने सभी लाइसेंसधारियों की दुकानों का इस दृष्टि से चैकिंग किया गया है ? यदि हां, तो कब कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 के अन्तर्गत गत पांच वर्षों में पौध संरक्षण औषधियों के बेचने हेतु अजमेर जिले में दिये गये लाइसेंसों की सूची परिशिष्ठ "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां।

(3) मैसर्स मेहराम बीजराज केशरगंज, अजमेर द्वारा इस शर्त के उल्लंघन करते पाये जाने पर विभाग द्वारा उन्हें चेतावनी देकर दुकान में पौध संरक्षण औषधियों के अलग सैल की स्थापना करवा कर बेचान की कार्यवाही करादी गई।

(4) लाइसेंस प्रदत्त करने से पूर्व संबंधित व्यापारियों का चैकिंग किया जाता है तथा तत्पश्चात् भी अधिनियम के प्रावधानों के सही पालन की दृष्टि से विभाग के इन्सेक्टीसाइड द्वारा समय समय पर चैकिंग किया जाता है।

(परिशिष्ट "अ" के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान के वन सम्पदा क्षेत्र

462. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के कितने क्षेत्र में वन सम्पदा है ?

(2) वन सम्पदा के रख-रखाव व विकास की सरकार की घोषित नीति क्या है ?

(3) क्या वन विभाग व खनिज विभाग में वन क्षेत्र व खनिज क्षेत्र के विभाजन को लेकर विवाद है ? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों के लिये ?

(4) दिनांक 11 फरवरी, 1981 तक वन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कहां कहां

(श्री कैलाश मेघवाल)

कितनी कितनी योजनायें बनायी गयीं, उन पर अब तक क्या क्या कार्य हुआ तथा इन पर वनारोपण तथा प्रशासनिक मदों पर अलग अलग कितना खर्च हुआ ?

(5) क्या सरकार जयपुर के झालाना डूंगरी, मोडिया पहाड़, नरवरदास जी का खोला आदि स्थानों पर चल रही चेजा पत्थर की खदानों को बन्द कर उनके स्थान पर वनारोपण के कार्य को हाथ में लेना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 34,913.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय वन नीति के ही अनुरूप राज्य सरकार द्वारा वन सम्पदा के रख-रखाव एवं विकास की नीति अपनाई गई है ।

(3) खनिज विभाग व वन विभाग में वन क्षेत्रों व खनिज क्षेत्रों के विभाजन को लेकर कोई विवाद नहीं है । इस सम्बन्ध में वन सम्पदा की सुरक्षा एवं खनिज क्षेत्रों के दोहन की महत्वता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिसके अनुरूप कार्य किया जाता है ।

(4) वन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य योजना में जयपुर, भरतपुर, अलवर, अजमेर, टौंक, बून्दी, कोटा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, जिलों में भू-संरक्षण योजना में भरतपुर, अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जिलों में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बीकानेर, कोटा व गंगानगर जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर व उदयपुर जिलों में, मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीकर, झुन्झुनू, नागौर, पाली, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर व चूरू जिलों में तथा जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व सिरोही जिलों में दिसम्बर, 1980 तक 36,000 है० क्षेत्र में वृक्षारोपण एवम् 20,000 है० क्षेत्र में अग्रिम कार्य प्रगति पर था तथा वनारोपण पर 526.14 लाख रुपये की राशि एवम् प्रशासन पर 140.81 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है ।

(5) झालाना डूंगरी, मोडिया पहाड़, नरवरदासजी के खोले आदि स्थानों पर चल रही खानों को बंद करने के संबंध में विचार किया गया है और लिये गये निर्णय के अनुसार भविष्य में खानें मास्टर प्लान के अनुसार हरमाड़ा क्षेत्र एवं खो नागोरिया क्षेत्र में आवंटित की जावेंगी । झालाना क्षेत्र की अन्दर की पहाड़ियों को खनन से मुक्त रखा जावेगा । झालाना पहाड़ियों के पश्चिमी ढाल को छोड़कर अन्य स्थानों पर नई खान आवंटित नहीं की जावेगी । झालाना क्षेत्र में वर्ष 1979–80 एवं 1980–81 में वनारोपण कार्य कराये गये हैं । भविष्य में भी स्वीकृत योजनानुसार वनारोपण कार्य कराये जावेंगे ।

कृषि उपज मण्डी अन्ता द्वारा गौण मण्डी यार्ड निर्माण हेतु सिसवाली की अवाप्त की गई भूमि

463. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मन्डी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की कृषि उपज मण्डी समिति, अन्ता में गौण मण्डी यार्ड निर्माण हेतु सिसवाली में श्री कैलाशचन्द्र जैन की कृषि एवं बगीचे की 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि अवाप्त कर ली गई ? यदि हां, तो कब एवं किस धारा के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह भी सही है कि बहुत लम्बा समय गुजर जाने के बाद भी श्री कैलाश चन्द्र को भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इससे भूमि मालिक को जो क्षति हुई उसका जिम्मेदार कौन है ? इस पर सरकार क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड भी दे दिया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ? फिर भी मुआवजा नहीं दिये जाने के क्या कारण है व कितना रुपया मुआवजा का बनता है? इसमें भुगतान का सरकार का क्या विचार है ?

(5) किस तारीख तक मुआवजा दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। तथा राज. भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार भू-खण्ड की कीमत का भुगतान कर कब्जा लिया जाना शेष है।

(2) जी हां। भूमि के मुआवजे का प्रश्न अभी विचाराधीन है। क्योंकि मुआवजे की काफी राशि बतलाई गई है अतः इस भू-खण्ड विशेष के औचित्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करना आवश्यक है कि मण्डी समिति द्वारा इतनी राशि इसी भूखण्ड के लिये उपयुक्त है अथवा नहीं।

(3) चूंकि अभी कब्जा नहीं लिया गया है। अतः भूमि मालिक को कोई क्षति नहीं हुई है। अतः यह प्रश्न ही उठता।

(4) जी हां। एवार्ड दिनांक 1-8-79 को घोषित किया गया था। मुआवजे की राशि 200500/- रुपये बताई गई है। चूंकि इस विषय में अभी आवश्यक जांच की जा रही है। अतः भुगतान सम्बन्धी निर्णय उसके उपरान्त ही किया जाना सम्भव होगा।

(5) जब तक उपरोक्त जांच पूरी हो मुआवजे के भुगतान के बारे में निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

वह प्रस्ताव जिस पर राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायगा :—

(1) **सुश्री पुष्पा जैन, श्री घनश्याम तिवाड़ी व श्री नाथूसिह** : नाथपा झाखड़ी परियोजना में राजस्थान सरकार का स्वामित्व का अधिकार समाप्त हो जाने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

वे प्रस्ताव जो राज्य सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जा रहे हैं और जिनको स्वीकृति नहीं दी जा रही है :–

(2) **श्री रतनलाल ताम्बी व श्री बंशीलाल पटवा :** गत 20 मार्च को भीलवाड़ा जिले में भारी वर्षा व ओला वृष्टि से फसलों के नुकसान होने के विषय में।

(3) **श्री गुलाबचन्द कटारिया :** विकास अधिकारी सराड़ा जिला उदयपुर द्वारा फर्जी मस्टर रोल बनाना।

(4) **श्री मेघराज तावड़ व श्री यदुनाथ सिंह :** राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राज्य पथ परिवहन निगम की बसें न चलाकर निजी बसों को चलाने के विषय में।

(5) **श्रीमती विद्या पाठक :** सांगानेर तहसील के कुछ गांवों में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण ।

(6) **श्री मोहनलाल मोदी** : नीम का थाना तहसील में सप्लाई किये गये घटिया किस्म के हाथकर्घा यंत्रों के विषय में।

(7) **श्री कैलाश मेघवाल** : राजस्थान सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित उपहार के मार्फत राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष के अन्त में 70 लाख रुपयों की खरीद के विषय में।

ये प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है:–

(8) **श्री महाराम चौधरी :** पंचायत समिति मूंडवा व पंचायत समिति नागौर में कन्ट्रोल की वस्तुओं के वितरण में अनियमितताएं।

(9) **श्री त्रिलोकसिंह** : कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा उनके कर्मचारियों को 1-4-81 से सेवा मुक्त करने के विषय में।

सुश्री पुष्पा जैन, सदस्या, राजस्थान विधान सभा की ओर से बांसवाडा के न्यायिक मजिस्ट्रेट पर किये गये हमले के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी। इस स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से तथ्यों की सूचना प्राप्त हो गई है और इस पर सदन में दिनांक 26 मार्च, 1981 को एक वक्तव्य दिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : तथ्य क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। तथ्य मुझे वैसे याद हों, यह जरूरी नहीं है। वैसे यह मजिस्ट्रेट का मामला था इसलिये याद रह गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी स्मरण शक्ति पर हमें पूरा विश्वास है।

श्री अध्यक्ष : इसमें धोखा खा जायेंगे कभी।

वह प्रस्ताव जिसे व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा रहा है :–

(1) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर,** श्री दाऊदयाल जोशी, श्री अनंग कुमार जैन, व **श्री शोदानसिंह** : झालावाड़ जिले में सन्तरों के उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलना।

श्री रतनलाल ताम्बी ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी आपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में सूचना दी, राज्य सरकार को जानकारी के लिये भेजा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे इस का वहुत बड़ा अफसोस है। यही विषय पहले कई बार उठाया जा चुका है। 12 फरवरी को दिल्ली में इस समझौते के विषय में एक बात इस सदन में कही गई थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि वह अपने हितों, राजस्थान के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे और इस विषय में पूरी जानकारी करेंगे,,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप इस प्रकार भाषण देंगी तो फिर जानकारी नहीं लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : भाषण नहीं दे रही हूं। मैं अपनी बात कह कर आपसे व्यवस्था चाह रही हूं। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मसला है, जिस पर दो बातें ज्यादा कहनी पड़े तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सुनें। अध्यक्ष महोदय, अभी 17 तारीख को····

श्री अध्यक्ष : फिर इसके बाद हम आवश्यक नहीं समझेंगे जानकारी लेना।

सुश्री पुष्पा जैन : आप जैसा उचित समझें, अध्यक्ष महोदय, आप अपनी-व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनट में अपनी बात कहें। लेकिन इस विषय पर पहले विस्तृत चर्चा हो चुकी है सदन में।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, यह एक नया मामला है।

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है तो पर्याप्त कारण हैं राज्य सरकार से जानकारी लेने के।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इससे, जानकारी लेने से फायदा क्या है। पहले सदन में कई बार इस विषय में उठाये जा चुके मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। राजस्थान के हितों पर वहुत बड़ा कुठाराघात किया है। आप मुझे सुनें। 12 फरवरी को दिल्ली में मिटिंग हुई। उस बारे में माननीय सदस्यों ने, माननीय विरोधी दल के नेता, माननीय मदेरणा साहब ने, इस सदन में आवाज उठायी थी। मुख्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के हितों की अनदेखी नहीं होने देंगे और इस संबंध में जो कुछ कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे। 17 मार्च को, अध्यक्ष महोदय, एक सवाल के माध्यम से मूल सवाल उठाया गया, उसके बाद कई मुद्दे आये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा उन्हें इस नाथ्पा झाखड़ी परियोजना के समझौते के विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। महज समाचार पत्रों के आधार पर ये बातें कहीं गई हैं। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बारे में कोई नजरंदाजी नहीं की जायगी। जो कुछ राज्य सरकार कर सकती है, करेगी और जरूरत पड़ी तो वह कोर्ट में भी जायगी। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, जो मालिकाना हक है, इस मकान में हम

(सुश्री पुष्पा जैन)

भागीदार थे, जिसमें हमारे मालिक के हक हकूक के उन सबको समाप्त कर""

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ कह रही हैं, अखबार के आधार पर कह रही हैं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आप भी पेपर के आधार पर बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आज जो जानकारी मैं सदन को देना चाह रही हूं उसके अनुसार नाथपा झाखड़ी परियोजना में जो हम हिस्सेदार थे, वह सारे हक आज समाप्त हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गलत है।

सुश्री पुष्पा जैन : यहां तक कि हिमाचल जिसका कोई हिस्सा नहीं था वह हिमाचल हिस्सेदार हो गया. हकदार हो गया। यहां तक कि यू० पी० जिसका कोई लेनादेना नहीं था, वह मूल समझौते के अनुसार उसका खरीददार हो गया, 20 प्रतिशत का। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्थिति तो देखिये, हम कितने गिर गये हैं, कितने लापरवाह हो गये हैं राजस्थान के प्रति। आज हमें खरीददार होना पड़ रहा है। यह स्थिति है। यह कुम्भकर्ण सरकार कब जागेगी, यह जाग ही नहीं सकती। आपने क्यों इनको जानकारी के लिये भेज दिया। कुंभकर्ण भी 6 महीने में एक बार जागता था। लेकिन यह सरकार 8 महीने से, कई बार इस सदन में सवाल उठाये जाने के बावजूद, कहती रही कि उन्हें इस समझौते के बारे में कोई जानकारी नहीं और जो कुछ हो सकता हैं, सरकार करेगी। आज यह क्या जवाब देंगे जब कि सब कुछ तय हो चुका। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, नाथपा झाकड़ी समझौते पर जो कुछ हुआ, सो हुआ, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, दूसरी योजनाओं पर भी राजस्थान को बहुत बड़ा आघात होने वाला है। थीन डेम, मुकेरियां, आनन्दपुर साहिब इन सारी परियोजनाओं के राजस्थान पर बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे, इनसे राजस्थान बच नहीं सकेगा। उस स्थिति का जिम्मेवार कौन होगा? क्या आप होंगे ? या हम होंगे ? क्या यह सरकार इस जिम्मेदारी से महरूम हो जायेगी? तब किससे जाकर कहेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सदन में सरकार पूरी जानकारी दे कि वह क्यों इतनी देर सोती रही ? बार बार इस सदन में झूठे आश्वासन क्यों दिये ? कई बार सवाल उठाये। आपको अपनी नाकामयाबी की जानकारी नहीं थी ? आज इस सवाल का जवाब दें। जो कुछ हुआ, मैं जो कुछ जानकारी इस सदन में दे रही हूं, आज हम हमारे हकों से महरूम हो गये है, हम किरायेदार हो गये हैं, यह क्यों हो गया ? सरकार से मैं जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई नये तथ्य हों तो ....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : मैं नये तथ्य रख रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तथ्य तो जो नये पुराने हैं वे तो माननीय सदस्यगण देंगे। लेकिन सरकारी पक्ष की ओर से भी खेतसिंह जी ने कहा कि इस तरह का कोई समझौता नहीं हुआ। क्या मुख्य मन्त्री महोदय इस सदन में कह सकते हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : जब खेतसिंह जी कहते हैं ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अधिकृत नहीं हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बारे में आप चाहेंगे या अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो स्टेटमेंट दे देंगे। आप जो कुछ कह रहे हैं वह अखबार के आधार पर कह रहे हैं। आपने तो कह दिया कि सरकार गिर गई है। ऐसी बातों में कोई सार नहीं है। आप चाहेंगे तो स्टेटमेंट दे देंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि वह पार्टनर है। आप जो कुछ कह रहे हैं वह गलत बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री महोदय स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हैं इस प्रकार का संकेत मुख्य सचेतक महोदय कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ....

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो अध्यक्ष महोदय जब समय तय करेंगे तब। आज तो ऐसी डिमाण्ड है जिसमें बड़ा समय लगेगा। जब भी आप उचित समझेंगे, राजबहादुर जी उचित समझेंगे, तभी स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में बात कर लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि जो खेतसिंह जी कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां आपके चेम्बर में बैठ कर कई विधायकों के सामने, मैंने सुना है, कहा है कि हम खरीददार हो गये, हम खरीदने जा रहे हैं। राजस्थान के हितों को बेचा उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी भी थे वहां पर। उन्होंने भी यह बात सुनी है। पूछो उनको।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : मुख्य मन्त्री जी को उत्तर देना चाहिये कम से कम।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा निवेदन यह है, अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, जो नियम 50 है उसके अन्तर्गत राजस्थान के हितों के लिये कोई इससे बड़ा सवाल नहीं हो सकता और इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आज की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर विचार करें और इसलिये विचार करें कि राजस्थान के हितों की बलि चढ़ाई जा रही है। इसलिये या तो पहाड़िया जी आकर वक्तव्य दें। यह राजस्थान की आम जनता के हितों का सवाल है। मैं व्यवस्था चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, नियम 54 की धारा (2) के अन्तर्गत आप यह घोषणा करें कि सदन की आज की कार्यवाही रोक दी जाय और विचार किया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी आकर इस सदन को आश्वासन दें, अध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

राजस्थान के हितों को वेचा गया है । इस पर विचार नहीं किया गया है। यह बरदाश्त की बात नहीं है । इस पर विचार होगा इस सदन में और माननीय मुख्य मंत्री जी को आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा । पचास बार उन्होंने कहा है कि राजस्थान के हितों को बेंच कर आया हूं । पहाड़िया जी को कोई अधिकार नहीं है कि राजस्थान के हितों को वेच सकें ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, समाप्त करने का सवाल नहीं है । माननीय पहाड़िया जी जब तक वक्तव्य नहीं देंगे तब तक यह मसला साफ नहीं हो सकता । आज इस मसले पर कार्यवाही चलेगी । दूसरे मसलों पर कार्यवाही रोकनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इस तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता कि कोई मंत्री या मुख्य मंत्री जवाव नहीं देंगे तब तक सदन की कार्यवाही....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, एक वर्ष से चिल्ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । आसन पैरों पर है श्री नाथूसिंह ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आज ही इस मसले पर मुख्य मंत्री जी आकर बतायें कि सरकार का फैसला गलत है । यह स्वीकार करें कि खरीददार हो गये ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राजस्थान का अयोग्य मुख्य मंत्री राजस्थान को कहां ले जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, व्यवधान पैदा किया जा रहा है ।

व्यवस्था दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । श्री नाथूसिंह ।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकालो । इनको बोलने की जरूरत नहीं । ढाई साल तक भ्रष्टाचार करके इन्होंने क्या स्थिति की ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाओ चुपचाप । अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे दें कि चुपचाप बैठे रहें । ये वाक आउट करना चाहते हैं । इनको बाहर निकाल दो ।

(व्यवधान)

अगर बाहर ही जाना है तो सदन का समय क्यों बरबाद कर रहे हो

(व्यवधान)

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

यह ट्रेजरी बैंचेज भरी हुई हैं। तुम्हारी सरकार नाकामयाब थी। डुबो दिया सारे राजस्थान को। आपके मुख्य मंत्री सिर खुजाते रहते थे, अभी भी खुजा रहे थे।

(व्यवधान)

श्री जगनसिंह (बयाना) : तुम्हारे मुख्य मंत्री अयोग्य थे। इसलिए तुमको उधर आना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × ×

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

माननीय सदस्यगण, आप यह स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि जो इण्टर स्टेट मैटर्स हैं, उनको हल करने में टाइम चाहिये, एक लम्बी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है.........

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

इस सम्बन्ध में प्रश्न काल में एक घंटे का समय, जब यह प्रश्न आया था, लगा था। अब दुबारा यह प्रश्न उठाया है। यह जो नई परिस्थिति उपस्थित हो गई है तो उसके लिये जानकारी प्राप्त करने के लिये मैंने कहा था। उसके लिये इतने आवेश में आना.... (व्यवधान)...., इस तरह से .... आर्डर प्लीज, ...इससे समस्या का हल नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य, क्या इस तरह से गंभीर समस्या हल हो सकती है, क्या उस समस्या का हल निकाल सकते हैं? यदि मैं उचित समझूंगा तो उसके ऊपर कोई वक्तव्य दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन माननीय सदस्य आवेश में आकर यहां पर अव्यवस्था करते हैं तो उससे समस्या का हल नहीं हो सकता है।

श्री नाथूसिंह।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस गर्मागर्म वातावरण में माननीय सदस्य....

व्यवस्था का प्रश्न

सदन की कार्यवाही के अंश अंकित न करने की व्यवस्था

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे एक निवेदन करना है, सदन की कार्यवाही का संचालन करना और उसके लिये व्यवस्था देने का आपको अधिकार है और उस व्यवस्था का हम सर्वोपरि सम्मान करते हैं। लेकिन यहां पर कोई मसला उपस्थित होता है, और जिस तरह से सरकार का रुख चल रहा है, उसमें कई बार विरोधी पक्ष की ओर से ऐसे महत्वपूर्ण मसले, जो राजस्थान के भविष्य से सम्बन्धित है, पर यहां पर चर्चा उठानी पड़ती है। लेकिन आप बार बार

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

यह अंकित न हो, यह व्यवस्था देते हैं। यह असेम्बली की प्रोसिडिंग्स अनुसन्धानकर्ताओं के लिये एक महत्वपूर्ण रिकार्ड है। हम यह चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से चल रही है, इसलिए, माननीय अध्यक्ष, मेरा यह निवेदन है कि अंकित न हो, की व्यवस्था न दें। आखिर आने वाले इतिहासकार, अनुसन्धानकर्ता इस बात की जानकारी करेंगे कि इस सदन में ऐसे लोग भी बैठते थे, जो राजस्थान के हित के लिये, उसके भविष्य के बारे में भी आवाज उठाते थे। इस तरह यह जो व्यवस्था है अंकित न हो, यह स्पेअरिंगली ही आप प्रयोग में लें, ऐसे मसलों पर यही मेरा निवेदन है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ मेरे बारे में कहा कि गर्मागर्म वातावरण में मैं क्या करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आप क्या वृद्ध नेता है।

श्री राजबहादुर : ऐसे मौके पर मेरे जैसे आदमी की आवश्यकता है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय मुझे भी दें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दूं।

अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसन को अंकित न करने की व्यवस्था देने का जो अधिकार है, उसको बहुत ही स्पेअरिंगली काम में लेने के लिये कहा है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। अंकित न करने का, उस अवस्था में, उस स्थिति में मैं निवेदन कर देता हूं जब कि कई माननीय सदस्य एक दूसरे को सम्बोधित छोटे शब्दों में कर देते हैं। आप बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, इस तरह के कई गलत शब्द कह देते हैं, कई तरह के। मैंने तो बहुत ही माइन्डली इसको कहा है। उस स्थिति में मैं निवेदन कर देता हूं कि अंकित न हो।

दूसरे जो यहां कुछ भी कहा जा सकता है, वह आसन के माध्यम से, आसन की अनुमति से ही कहा जा सकता है। आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य नियमों का ध्यान न रखें और स्वयं ही भाषण देना प्रारंभ कर दें, भाषण सुनाई नहीं दे और फिर वे आवेश में आ जायें तो इस व्यवस्था को लेता हूं। आपने जो सुझाव दिया है, वह बहुमूल्य है, उपयोगी है। शायद मैं काफी दिनों से फ्रिक्वेन्टली इस को यूज कर रहा था। इस पाइन्ट पर सचेत हूं। इसको आम तौर से उस वक्त उपयोग करता हूं जब जोश में माननीय सदस्य बोलते हैं और भाषा पर संयम नहीं बरतते हैं। उस अवस्था में आम तौर पर इसका प्रयोग करता हूं वरना नहीं करता हूं, फिर भी माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है क्योंकि अपने यहां के रिकार्ड की एक पवित्रता है, वह इतिहास में जायेगा, इसको लगभग आने वाला जमाना कितना पढ़ेगा, कितना नहीं पढ़ेगा, यह तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन मेरी यह कोशिश रहती है कि जो कुछ भी रिकार्ड हो, वह अगली पीढ़ी के लिये अच्छा होना चाहिए, एक स्तर का होना चाहिये और उसमें जन हित निहित होना चाहिये। ऐसी मेरी कोशिश रहती है। मे कोशिश करूंगा।

श्री नाथूसिंह : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने....

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने व्यवस्था दी....

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सुन लें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप कहें। आपका व्यवस्था का प्रश्न।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी उसका आधार लेकर माननीय विरोधी दल के सभी सदस्य एक दम हल्ला करने लगे और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आखिर सदन की मर्यादा है। वह अंकित न हो, यह नियमानुसार आपने हुक्म दिया। आसन की अनुमति के खिलाफ कोई बात कही जाती है तो वह अंकित न हो, यह परम्परा रही है। उसके बाद सब माननीय सदस्य एक साथ बोलें, तो क्या वह अंकित करना सदन की मर्यादा है।....

श्री अध्यक्ष : बिलकुल सही है।

श्री चतुर्भुज : अंकित कैसे होगा जब सब एक साथ बोलेंगे। विरोधी दल के माननीय सदस्य सब एक साथ बोलेंगे तो हम को भी मौका मिलना चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है उस संबंध में निवेदन करना। इतना ही है कि आप कई बार यह पूछते हैं कि जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है वह किस नियम के मातहत किया है। मैं इस सदन से आपके माध्यम से यह जानकारी करना चाहूंगा कि अंकित न हो। इस प्रकार का अधिकार सदन ने माननीय अध्यक्ष को किस नियम के अन्तर्गत दिया है ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न नाथपा झाकड़ी और दूसरे कई प्रश्न जो राजस्थान से सम्बन्धित है, राजस्थान की जनता इन प्रश्नों पर बड़ी उद्वेलित है। मेरा आपसे निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : आप पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं या संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि राजस्थान के हित से जुड़े हुए 6–7 प्रश्न हैं। इसके लिये मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों का भी इस बारे में दृष्टिकोण है और राजस्थान की जनता इस बारे में कुछ जानना चाहती है इसलिए बड़ी कृपा होगी कि राज्य सरकार इन सारे प्रश्नों के ऊपर कोई एक दिन, पूरा दिन डिबेट को रखें और राज्य सरकार इन सारे प्रश्नों पर अधिकृत तौर पर तैयार होकर आवे। यह नहीं हो कि माननीय खेतसिंह कुछ और कहें, माननीय पहाड़ियाजी कुछ कहें और तीसरा कोई कुछ कहे। राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में पूरा विवरण आवे, इसके लिये मेरी आपसे प्रार्थना है। राजस्थान की जनता यह चाहती है, राजस्थान के विधायक यह चाहते हैं इसलिये इसके लिये एक दिन डिबेट मुकर्रर करवा दें और इस सारे प्रश्न पर चर्चा करें। यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला उठाया है नाथपा झाकड़ी का यह महत्वपूर्ण मामला है और इसीलिये इसको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया गया था और राज्य सरकार ने यह कहा था कि जब हमें जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो कोर्ट तक का सहारा लेंगे और पूरा प्रयास करेंगे। उस समय यह कहा था, कोई जानकारी नहीं है कि उनके बीच आपस में कोई समझौता हुआ है।

क्या हुआ इसके बाद! आज जो मामला समाचार पत्रों के माध्यम से पता लग रहा है और दूसरे लोग बोल रहे हैं और सरकार की तरफ से इस तरह की कानाफूसी हो रही है कि इस तरह का समझौता हो गया है। हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन से हमारा, राजस्थान का समझौता हो गया है कि वह 15 प्रतिशत बिजली राजस्थान को बेचेगा। अध्यक्ष महोदय, 29 जनवरी, 1955 को समझौता हुआ था, सतलज के पानी का जो समझौता हुआ था, रावी सतलज व्यास के पानी का जो समझौता हुआ था, उसमें सतलज के पानी में राजस्थान का हिस्सा था परन्तु हिमाचल का कोई हिस्सा नहीं था, यू.पी. का कोई हिस्सा नहीं था। पंजाब-राजस्थान का इसमें हिस्सा था। अध्यक्ष महोदय, उस समय इसमें काश्मीर का भी हिस्सा था और पंजाब का हिस्सा था। इतना ही नहीं 75 में पी.एम. अवार्ड में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का हिस्सा था। हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं था। लेकिन जो समझौता हुआ वह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, तीनों ने मिलकर किया। जो 533 करोड़ की योजना है उसमें कारपोरेशन 25 प्रतिशत हिस्सा देगा, हिमाचल 25 प्रतिशत हिस्सा देगा और हरियाणा 50 प्रतिशत हिस्सा देगा। जो बिजली बन कर तैयार होगी, एक हजार 20 मेगावाट....

श्री अध्यक्ष : सभी बातें पहले कही जा चुकी हैं। आप जो नयी परिस्थिति पैदा हुई है उसके बारे में बतायें।

श्री नाथूसिंह : यह, अध्यक्ष महोदय, वही बता रहा हूं। इसमें उन्होंने नया यह किया है अध्यक्ष महोदय, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने मिलकर बिजली बांटी है। 37 प्रतिशत हरियाणा और 27% हिमाचल प्रदेश लेंगे और 36 प्रतिशत कारपोरेशन को बिजली दी गयी है तो उस 36 प्रतिशत में राजस्थान सरकार ने कारपोरेशन के साथ समझौता किया है कि वह उसमें से 15 प्रतिशत बिजली राजस्थान को बेचेगा। उसमें से राजस्थान 15 प्रतिशत बिजली खरीदेगा और 20 प्रतिशत यू.पी. खरीदेगा। मेरा निवेदन करना यह है जो समझौता हुआ ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : जो मूल समझौता था यह उसके विपरीत है। यू.पी. बिजली खरीदेगा जो कि ....

श्री अध्यक्ष : ये सभी बातें जो आप कह रहे हैं पहले आ चुकी हैं। आप जो नयी परिस्थिति है उसके बारे में कह सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : नयी परिस्थिति ही बता रहा हूं कि इस समय कइ योजनायें हैं जिनके अन्दर हमारा अन्य राज्यों से डिस्प्यूट चल रहा है तो राजस्थान सरकार ने यह समझौता करके एक बहुत बड़ी भयंकर गलती की है और नयी परिस्थिति पैदा की है। वह यह कि मूल समझौते के बाहर जाकर बिजली खरीद ली। जितने प्रोजेक्ट पंजाब बना रहा है उनमें राजस्थान का हिस्सा है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, इसमें भी पंजाब का हिस्सा था। लेकिन पंजाब इसलिये चुप है कि यह समझौता हो जाये और राजस्थान बिजली खरीद ले, वह राजी हो जाये, तो इसी आधार पर वह राजस्थान को कुछ नहीं देगा। चाहे थोड़ा सा नुकसान हो जाये ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान का जो नुकसान हो रहा है वह यह है कि जो मालिक था वह खरीददार बन गया है। हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया है और इस सरकार ने यह समझौता कर लिया है। इन्होंने समझौता करते समय सोचा कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस मामले में राजस्थान के हितों की सुरक्षा करने में असफल रही है। राजस्थान की सरकार इसके लिये त्यागपत्र दे। मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। मैं यह मांग करता हूं। इनसे राजस्थान का भविष्य जुड़ा हुआ है। यहां के लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस तरह के जो और समझौते हैं उनमें राजस्थान को डिफीट खानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। समाप्त करें।

श्री नाथूसिंह : इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : राजस्थान के हितों की रक्षा करने में असफल रही है इसलिये सरकार इस्तीफा दे और मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें। यहां पर हीरालाल जी बैठे हुये हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वे पहाड़िया जी से पहले त्याग पत्र देकर हमारे साथ आयें....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। यह मसला ऐसा है जो कि राजस्थान की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है। राजस्थान के तीन करोड़ लोगों से ताल्लुक रखता है। यह ऐसा मसला है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री त्रिलोकसिंह : कोई भी राजस्थान के हकों को बेच नहीं सकता है। हमारी जिन्दगी को बेच नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइए। आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य। आप अनधिकृत रूप से सदन का समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य, बैठ जाइये। श्री रतनलाल ताम्बी, श्री बंशी लाल पटवा....

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार की ओर से वक्तव्य हो रहा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैं निर्णय दूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार क्या करेगी लेकिन....

श्री अध्यक्ष : सरकार से पूछ लूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : सरकार क्या वक्तव्य देगी ?

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेशों की पालना करता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाये। इसके बाद में आप मुझे मौका देंगे....

श्री अध्यक्ष : किस पर।

श्री राजबहादुर : इसी पर।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर किसी को भी डिबेट का मौका नहीं दूंगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं, माननीय सदस्य। इस तरह तो सभी माननीय सदस्य अनुमति मांगेंगे।

श्री राज बहादुर : मैं तो....

श्री अध्यक्ष : इस स्थगन प्रस्ताव को मैंने राज्य सरकार को जानकारी हेतु भेजा है। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को अभी उठाना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अभी उठाने की बात नहीं है....

श्री अध्यक्ष : वाद-विवाद का विषय नहीं होगा। इस पर चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजबहादुर : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन ठोस सुझाव तो दे सकता हूं। यह प्रश्न ऐसा....

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा ही तो हुई....

श्री राजबहादुर : यह प्रश्न ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह अभी विचारणीय विषय नहीं है। यह विषय सदन में अभी नहीं लिया जा रहा है।

श्री राजबहादुर : आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं तो यह भी रिकार्ड पर जाना चाहिये कि मैं इस पर अपने ठोस सुझाव रखना चाहता था लेकिन मुझे अनुमति नहीं....

श्री अध्यक्ष : अनुमति नहीं दी गयी। राजबहादुर जी अपने विचार रखना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं दी गयी।

श्री राजबहादुर : विचार नहीं ठोस सुझाव।

श्री अध्यक्ष : हां ठोस सुझाव रखना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं दी गयी।

श्री राजबहादुर: यही बात नहीं है। हमें इन सब से ऊपर उठकर देखना होगा कि केवल वक्तव्य हो जाये और यह चर्चा समाप्त हो जाये या फिर यह मामला शोर शराबे

(श्री अध्यक्ष)

में डूब जाये। इससे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरी विनती है कि इसको देखा जाये और सारे दलों के लोग मिलकर एक प्रस्ताव पास करके कम से कम केन्द्रीय सरकार को भेज तो सकते ही हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : इस पर विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। इस पर चर्चा नहीं होगी। अगला विषय।

गत 27 मार्च को भीलवाड़ा जिले में भारी वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के विषय में। श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, ये दो अलग-अलग प्रस्ताव थे। इनको आपने एक बना दिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यहां पर जो आब्जेक्शन लगाये गये हैं कि इस तरह का समझौता हो गया है, तो क्या सरकार की ओर से स्पष्टीकरण नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : सरकार के ऊपर निर्भर करता है।

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, जैसी आपने व्यवस्था दी कि इसको सरकार से जानकारी के लिये भेजा गया है। अगर आप कहेंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य दे तो वह भी दिया जायेगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी इन्टर स्टेट के मामले हैं उन पर सरकार पूरी तरह से जागरूक है और जब कभी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनना नहीं चाहते हैं तो बात दूसरी है। जितनी बातें आपने कही हैं, सरकार की तरफ से, उनका जवाब देने का अधिकार तो है ही। आप सुनें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से जागरूक है। चाहे नाथपा झाकड़ी हो, चाहे अनंगपुरा साहब या मुगेरिया हो। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिये, जब इस पर चर्चा होगी तब यह आयेगा कि आज की सरकार के लिए कहा जाता है लेकिन पिछली सरकार ने क्या किया ? जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इन पर सरकार ने काम शुरू नहीं होने दिया, काम शुरू नहीं हुआ था, इस पर अड़े हुये थे। लेकिन यह जनता पार्टी की सरकार के समय में काम शुरू हुआ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको जानकारी है क्या कि नाथपा झाकड़ी में काम शुरू हो गया है ? आप बोल क्या रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से निश्चित रूप से इसमें जोर लगाया जायेगा कि राजस्थान के हितों की सुरक्षा हो।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : समझौता कर लिया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा: बराबर लड़ेंगी। जहां कहीं जाना होगा सरकार जायेगी। मैं ऐसा कह रहा हूं""

(व्यवधान)

जो भी आदेश होगा सरकार उसका अक्षरशः पालना करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं दूंगा। पौण घंटे का समय ले लिया।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करेंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरा प्रस्ताव अलग है, आपने दोनों को जोइन्ट कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : ओलावृष्टि और फसलों के नष्ट होने के बारे में है क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : यही है—

श्री अध्यक्ष : आप इसी पर बोल लीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में 6,7 और 20 तारीख को दो बार ओलावृष्टि हुई जिससे शाहपुरा क्षेत्र की हुरड़ा पंचायत समिति में फसलों और जानवरों का भारी नुकसान हुआ है। 70,80 मील के एरिया में खरबूजा, ककड़ी, टमाटर की फसलें नष्ट हो गई। जहाजपुर में लगभग 1500 काश्तकारों की फसलें नष्ट हो गई। वहां पर किसानों को, जिनके पास दो-दो, तीन-तीन बीघा जमीन है, उसमें दो हजार, तीन हजार और पांच-पांच हजार का फर्टिलाइजर लगाना पड़ता है, वह सब ओलावृष्टि से नष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने वहां जाकर देखा है, रोते बिलखते व्यक्तियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। वहां पर एक तालाब है उसकी पाल टूट जाने से फसल उसमें डूब गई। इसके अलावा जो खलिहान में थोड़ा सा गेहूं था वह भी बह गया। इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वहां के किसानों में बड़ा भारी असन्तोष है, काफी परेशानी है। जो पिछले दो सालों से लगातार अकाल की चपेट में गुजर रहे थे उनकी फसलें इस साल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भी नष्ट हो गई हैं। इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर से टौंक तक का जो इलाका है उसमें बनास नदी बहती है। यहां पर खरबूजा, ककड़ी, टमाटर बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं और अहमदाबाद, बम्बई और इन्दौर तक जाते हैं। इसलिए आपके मार्फत मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाय। आर्थिक सहायता के साथ-साथ राहत के काम भी वहां पर तत्काल खोले जायें। मै आपको सही अर्ज कर रहा हूं। वे लोग पहले से ही मुश्किल में गुजर रहे थे। इस साल और उनका नुकसान हो गया है। अगर उनको राहत नहीं पहुंचाई जाती है तो उनके जो रोते बिलखते बच्चे हैं, उनका बहुत बुरा हाल होगा। इसलिए मेरा निवेदन हैं कि राज्य सरकार विशेष तौर से अगर इसकी जांच करना उचित समझे तो जांच करवाये, उनको ततकल सहायता और राहत देने की व्यवस्था करे। राहत कार्य खोले जिससे वे फिर अपनी फसल बोने में समर्थ हो सकें। उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जाय। वहां पर खरबूजा, ककड़ी और टमाटर की फसलें बहुत ज्यादा होती हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस प्रश्न को गम्भीरता से लेगी और लोगों को तत्काल-राहत देने की व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री वंशीलाल पटवा।

श्री पोरूराम (टी० वी०) : दो मिनट का टाइम मुझे देने की कृपा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र, टी वी, में अभी 21.3.81 को 12 बजे बहुत भयंकर ओलावृष्टि हुई इस दौरान कम से कम 30–35 बीघा कणक और सरसों की सूखी फसलें थीं उनमें बहुत खराबा हो गया। कलेक्टर को हिदायत देने की कृपा करें जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री वंशीलाल पटवा।

श्री वंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में, 20 तारीख को ओला वृष्टि हुई और बीस तारीख से पूर्व 15 तारीख के आस पास गुलाबपुरा और जहाजपुर क्षेत्र में बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई। उस इलाके में भयंकर नुकसान हुआ। 150 से 200 ग्राम के ओले पड़े। हवा तेज रफ्तारसे आई। मकानों की दीवारें गिर गई, चद्दरें उड़ गईं, बिजली की लाइनें गिर गईं और यहां तक, मैं आपको बताऊं, भीलवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तेज हवा के कारण तार उखड़ गये, बिजली के करेन्ट से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति आज भी अस्पताल में है। ओलावृष्टि से मवेशी मारे गये, पक्षी मारे गये। वे लोग पहले से ही अकाल में से गुजर रहे थे और यह दूसरा अकाल और उनके सिर पर आ पड़ा है। इस प्रकार की उनकी दयनीय स्थिति है। जो उनकी फसल खेतों में खड़ी थी वह उजड़ गई है। ऐसी दयनीय और भयंकर परिस्थिति हो गई है। किसानों का सब कुछ चौपट हो गया है। लेकिन इससे भी दयनीय स्थिति यह है कि वहां के प्रशासन ने कोई सर्वे नहीं कराया, न इसकी रिपोर्ट दी। इस तरह से जो स्थिति बनी है इस बारे में मेरा निवेदन है कि उससे उनको राहत पहुंचाई जाय। जिनके खेतों में फसल

(62)

(श्री बंशीलाल पटवा)

उजड़ गई, जो व्यक्ति मर गये जो मवेशी मर गये, उनको कम्पन्सेशन दिया जाय। लेकिन उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा : खाने के लिए अनाज उनको फ्री आफ कास्ट दिया जाय। लेकिन, मुझे लगता है, यह लूली-लंगड़ी सरकार इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं पर कोई ध्यान नहीं देती, सोई हुई है। भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जो इस प्रकार से दयनीय स्थिति बनी है उसके बारे में मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि उनको तत्काल राहत पहुंचाई जावे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंशीलाल पटवा : लेकिन यह सरकार ध्यान नहीं देती। अकाल में पक्षपात कर रही है। मेरा निवेदन है कि जो किसान भूखे, नंगे हैं, जिनकी फसलें चौपट हो गई हैं, जो मर गये हैं, उनको कम्पन्सेशन दिया जाय और उनको अनाज फ्री आफ कास्ट दिया जाय और वहां का सर्वे कराकर उसकी रिपोर्ट मगवाई जावे तथा तत्काल राहत पहुंचाई जावे। मेरा यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : अभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले की सराड़ा पंचायत समिति में विकास अधिकारी हैं, उन विकास अधिकारी के विरुद्ध एक लम्बे अरसे से कई भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं। श्रीमन् जिस बात को मैं उठा रहा हूं, वहां पर एक भगोरिया तालाब बन रहा है छोड़ासर पंचायत समिति सराडा में। वहां पर 1.6.-80 से मजदूर लगे हुए हैं। वहां पर जब काम चला तो 293 का मस्टर रोल इश्यू हुआ। मेरे पास नम्बर है। इन नम्बरों के मस्टर रोल इश्यू किये गये–41373 से 77 तक, 41406 से 8,9,10,11,12,13,14, 15, यानि 273 मजदूर लगाये गये। हर मजदूर की दस दिन की मजदूरी भरकर मस्टर रोल सौंपा गया। साधारणतः होता यह है कि मजदूरी की हाजरी लगाई जाती है। उन्होंने कितने दिन काम किया? उसके अन्दर पांच दिन खाली रह गये, 15 दिन का मस्टर रोल मिलता है। इन महाशयजी ने पेमेन्ट करने के बाद, अंगूठा लगाकर, दो दिन की हाजरी और बढ़ाकर, 293 लोगों का जो दो दिन का चावल था 15 क्वि. स्वयं लेकर अपने स्टाफ को बेच दिया और एकाध बोरी अपने घर ले गये। इस प्रकार की अनियमितता की जानकारी मिली है। वहां के लोगों के नाम के आगे हस्ताक्षर किये गये, अगूठे लगाये गये। जिलाधीश से लोगों ने शिकायत की। जिलाधीश ने उनको बुलाकर डराया धमकाया भी। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि विकास अधिकारी एक ऊंचे पद पर बैठता है। लगभग जिनका सारा पेमेंट पास हो चुका है और 8 महीने होने आये हैं। सरकार बार बार घोषणा करती है कि पिछला सारा पेमेंट कर दिया लेकिन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

मेरे पास जो सारे आंकड़े हैं जो-जो काम चल रहे हैं किस किस तारीख को चले हैं ग्रौर उनमें जे. ई. एन. ने सर्टीफाई कर दिया ग्रौर नापतौल हो गया उसके बाद भी लगभग 48 किवंटल गेहूं एक पंचायत को नहीं दिया गया। यहीं नहीं, इस महाशय ने इससे भी ग्रधिक काम किया । वहां वर्षों से 33 वृक्ष वाऊंडरी वाल में लगे हुये थे, इस महाशय ने काटकर 650 रुपये काटने के तो पंचायत समिति से ले लिये ।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापका स्थगन प्रस्ताव केवल मस्टर रोल्स के विषय में है ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके ग्रागे ग्रौर पाइंटस भी हैं । ग्रापने केवल शार्ट में लिखा है, पूरा नहीं लिखा है । काटने का पैसा तो उन्होंने पंचायत समिति से उठाया लेकिन बेचने से जो पैसे की ग्राय हुई वह उन्होंने गायब कर दी । यहां तक कि 5 शीशम के पेड़ थे जिनकी लकड़ी काटकर स्वयं ग्रपने घर ले गया । इस समय मंत्री महोदय बैठे हैं । उन्होंने भी शिकायत की थी जिस समय वृक्ष कटे थे, लेकिन उसके पश्चात् ग्राज तक कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हुई । इस तरह से एक नहीं ग्रनेक एलीगेशन्स हैं । ट्रांसफर्स के लिए पैसे । यहां तक कि जो पंचायत की राशि चुकाई, जिसके ग्रगर 8 हजार रुपए हैं तो जब तक 500 या एक हजार रुपए सरपंच देकर नहीं जाय तब तक उसको लटकाये रखा जाता है । 8-9 महीने तक मजबूर होकर दान-दक्षिणा देनी पड़ती है । ग्रतः पंचायत मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ग्राप चाहते हैं कि इस प्रकार के बेईमान लोगों को सजा मिले, यदि ग्रापकी इच्छा ही नहीं तो भगवान मालिक है देश का । लेकिन मैं चाहूंगा कि 12-13 चार्जेज हैं ग्राप चाहें तो लिखित में दे सकता हूं । ग्राप उनकी जांच करायें । वह तब हो सकेगी जब एक बार इस व्यक्ति को उस स्थान से हटायें, नहीं तो कोई भी सरपंच गवाही देने की स्थिति में नहीं होगा। क्योंकि किसी न किसी बहाने वह ग्रधिकारी उनको परेशान करेगा । ग्रगर एक महीने भी उसको हटाकर उसकी जांच करायें ग्रौर जांच में निर्दोष पायें तो फिर उसको वहीं लगायें, कोई एतराज नहीं, लेकिन जांच करेंगे तो पायेंगे कि साल डेढ़ साल में लाखों के घोटाले उन्होंने विभिन्न कामों में किए हैं । ऐसे ग्रादमी को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए । जो कम से कम पकड़ा ही नहीं जाता बड़ी मुश्किल से गांव के लोग; जो हिम्मत करते हैं ग्रौर लिखकर देते हैं कि हमारी हाजरी फर्जी लगाई गई, हमने काम नहीं किया, मस्टर रोल भर दिया, उसके बाद चावल उठाए हैं । इसलिए ग्रापके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसको वहां से हटाकर सारे प्रकरण की जांच करायें तब तथ्य सामने ग्रा सकेंगे ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसें न चलाकर निजी बसों को चलाने के विषय में ।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): ग्रध्यक्ष महोदय, यह राज्य की नीति संबंधी सवाल है लेकिन सरकार ने इस ग्रोर कोई ध्यान नहीं दिया । उससे पहले 10 दिसम्बर ग्रौर 30 दिसम्बर को सरकार ने ग्रधिसूचना

(श्री मेघराज तावड़)

जारी की। वहां 9 मार्ग हैं और अधिसूचना जारी होने के बाद कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता कि गाड़ियां वहां नहीं लगाई जायं। उसके बाद भी मुख्य मंत्री ने टेलीफोन पर कहा कि अभी उनको रोक दिया जाय। माननीय परिवहन मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। वहां के लोगों ने जब भूख हड़ताल की तो भूख हड़ताल तुड़वाई और कहा गया कि 10 तारीख तक गाड़ियां चलाई जायंगी लेकिन उसके बावजूद आज तक गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं। इसके लिए कौन दोषी है? या तो चेयरमैन हैं, वह गाड़ियां नहीं चलने देते हैं या फिर मंत्री महोदय ऊपर से दबाव डालकर इन मार्गों पर गाड़ियां नहीं चलने दे रहे हैं। हमारी यूनियन ने लैटर लिखा। मैं सदन की मेज पर रखूं आपकी इजाजत से। तो मैं पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहता हूं कि जो मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं उन पर तुरंत गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। उसमें कोई बात हो तो फिर यूनियन के लोग हैं और जनता मांग कर रही है। आंदोलन पर उतर आयेंगे। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे ऐसा मौका नहीं दें। आज जो फायदा प्राइवेट लोगों को मिल रहा है वह सरकार को मिले, इसके लिए तुरंत राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसें चलाई जायं।

इतना ही नहीं उस क्षेत्र में भी कोटड़ा-सिरोही का इलाका कई दिन पहले राष्ट्रीयकृत किया जा चुका है लेकिन सरकार जहां डामर रोड है वहां भी गाड़ियां नहीं चलाती। वहां अविलंब गाड़ियां शुरू करवाई जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्रीमती विद्या पाठक। सांगानेर तहसील के कुछ गांवों में सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी मैंने इसी तरह का सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मगर मेरी जानकारी सही है तो उस स्थगन प्रस्ताव का उत्तर भी संभवतः आया है। मुझे विश्वास है कि अब आप उस विषय में शीघ्र व्यवस्था देंगे। आज का मेरा स्थगन प्रस्ताव सांगानेर कस्बे में ही एक खोखावास पंचायत का हल्का लगता है वहां श्री भौंरीलाल पुत्र श्री खींवरा ने अपनी कृषि भूमि तो बेच दी, एक पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति को बेच दी और सरकारी भूमि जो चरागाह है, उस पर अतिक्रमण पिछले बहुत महीनों से करता चला आ रहा है। चरागाह हर गांव में बहुत ही असेन्शियल रूप से रखा जाता है। विशेष बात यह है कि इस चरागाह की स्थिति ऐसी है जो बिलकुल रोड साइड पर है और जिसकी आज के दिन मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी विशेष बात यह है कि चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के बाद, इस चरागाह भूमि में अपने लिए कुछ मकान बनवाने के बाद, उस चरागाह भूमि का एक भाग बेचने की व्यवस्था भी करली है। जिसके 8 हजार रुपए एडवांस यह व्यक्ति जो भौंरीलाललाल पुत्र श्री खीमरा है, ले चुका है और बाकी पैसे मिलने वाले हैं।

(श्रीमती विद्या पाठक)

अध्यक्ष महोदय, इस मामले में भूतपूर्व तहसीलदार सांगानेर जो थे श्री मदनलाल शर्मा उन्होंने 16-6-80 को 91 की कार्यवाही के लिए आदेश भी दिया और जो अभी तहसीलदार है उसको इस आदेश का मालूम भी है पर उन आदेशों पर कार्यवाही न करके अतिक्रमण का दायरा बढ़वाते जा रहे है। यह सब वहां के स्थानीय राजस्व अधिकारियों की जानकारी में है। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि सांगानेर तहसील का सारा स्टाफ पुनः वही आ गया, जो 1977 से पहले था, इसलिए कारनामे भी वही हो रहे हैं जो उससे पहले थे। तहसीलदार ने, 16-6-80 का जो 91 का आदेश था, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है उसको दबा दिया गया है। असेन्शियली जो 18/16 का एन्क्रोचमेंट उस चरागाह पर किया था, आज के दिन 45/60 का हो गया है। इसी तरह से आज के जो वर्तमान तहसीलदार हैं उनसे इस विषय में एस.डी.एम. ने भी रिपोर्ट मांगी थी। उसी विषय में कुछ स्थानीय लोगों ने लैंड कन्वर्शन अधिकारी को भी रिपोर्ट दी है कि पहले इस तरह के इल्लीगल कन्वर्शन अनजाने में हो गए हैं. अब ये कन्वर्शन न किये जायं। परन्तु इस विषय में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। पिछले बहुत महीनों से मामला चल रहा है। इस विषय में एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि जो पिछली बार मैंने दूसरी भूमि के बारे में, जो इसी साइट पर इसी मैन रोड पर स्थित है, अवैध अतिक्रमण के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था तो उसके बाद स्थानीय, वहां के तहसीलदार पटवारी और गिरदावर थे और यू.डी.सी. थे, लोगों का कहना है क्योंकि ये विधान सभा में ले गए हैं इसलिए अब आप कार्यवाही भी वहीं से करवायें। मैं निवेदन करूं कि अगर यह अशोभनीय स्थिति आई है जो निरंकुशता अधिकारियों में आई है। यह स्वयं में सरकार के लिए चिन्ता व सोचने की बात है। इस विषय में आप सरकार से जानकारी लें। उस जानकारी के लिए निश्चित समय दें। इसी तरह से आगे 4 कैसेज मेरे पास इसी रोड के हैं जिनको स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से रखूंगी। इन पर सामुहिक व्यवस्था दी जाय कि इस तरह की कार्यवाही आगे न हो और सरकार अपना स्टेटमेंट जरूर दे।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल मोदी। नीम का थाना तहसील में सप्लाई किये गये घटिया किस्म के हाथकर्घा यन्त्रों के विषय में।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, नीम का थाना तहसील के 150 व्यक्तियों को जिसमें अधिकांश हरिजन हैं करीब 90 प्रतिशत हरिजन हैं 23-3-78 को जनता पार्टी की सरकार के समय में मई, जून 78 में हाथ करघा यन्त्र बांटे गये थे। अध्यक्ष महोदय, एक एक यन्त्र 1214 रुपये के थे। इसमें अध्यक्ष महोदय, 50 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा दी गयी थी और उसमें से बाकी 607 रुपये स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर नीम का थाना शाखा से लोन पर दिये गये थे। अध्यक्ष महोदय, इन हाथ करघा यन्त्रों की स्थिति यह है कि इसमें

(श्री मोहन लाल मोदी)

इतने घटिया किस्म के यन्त्र सप्लाई किये गये हैं कि आज तक चालू नहीं किये गये हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, उन यन्त्रों के लिये स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखा ने 607 रुपये लोन पर साढे दस प्रतिशत तिमाही चक्रवर्ति ब्याज के रूप में दिये गये और इसके अलावा दस रुपया माहवार आई.सी. चार्जेज के उन्होंने और लगाये है। अब स्थिति यह है, अध्यक्ष महोदय, वह लोगों के ऊपर ब्याज का रुपया चढ़ रहा है। वह यन्त्र जो सप्लाई किये गये थे काम में नहीं आ रहे है। अध्यक्ष महोदय, उन यन्त्रों की सप्लाई करने वाली कम्पनी थी हिन्दुस्तान सैल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज कोरपोरेशन जयपुर। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को वहां पर जो लोन दिया गया था वह अंगूठा लगा कर दिया गया था और यह यन्त्र आज तक काम नहीं आये। इसके साथ में उन लोगों को वह पैसा हाथ में नहीं दिया गया था वह पैसा सीधा ही बैंक की शाखा से ही दिया गया था उस कम्पनी को और अब वह यन्त्र बेकार पड़े हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि किसी तरह उनकी बिक्री हो जाय। जो यन्त्र, अध्यक्ष महोदय, 1214 रुपये की कीमत के थे और आज तीन वर्ष हो गये हैं उस स्थिति को देखते हुए इन यन्त्रों की कीमत आज 1500 रुपये हो जानी चाहिये थी लेकिन आज उन यन्त्रों को कोई भी 500 रुपये में लेने को तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आज तीन साल हो जाने से स्टेट बैंक उन लोगों के खिलाफ में कोर्ट में कार्यवाही कर रही है। उन लोगों के खिलाफ में दावे हो रहे हैं। हरिजनों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। वह लोग कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। वहां पर कोर्ट में उनके खिलाफ में डिग्री होंगी उनके मकान और जमीन कुडक होंगी। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वह हिन्दुस्तान सैल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन से इस संबंध में बातचीत करे जिन्होंने इस प्रकार के हाथ करघा यन्त्रों को सप्लाई किया है। आप उनसे बातचीत करके उनसे ऐसा प्रावधान करावें कि जो सब्सिडी सरकार ने दी है उसको काटकर बाकी के पैसों में सरकार उनको कम्पनी को ही वापिस दे ताकि उन गरीब लोगों का भला हो सके। नहीं तो, अध्यक्ष महोदय, वह गरीब 150 व्यक्ति बरबाद हो जायेंगे। वहां पर लोगों में बहुत भारी असन्तोष है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं दूसरी तरफ इस तरह से मदद के बजाय गरीबो को परेशान किया जा रहा है। गरीबों को वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उन 150 गरीब व्यक्तियों को सरकार बचावे। सरकार उस कम्पनी को यह आदेश देवे कि वह अपने उन हाथ करघा यन्त्रों को उनके यहां से उठा लेवे। जो लोन की रकम है वह रद्द की दी जावे। अध्यक्ष महोदय, जो उन पर 607 रुपये की राशि बकाया थी वह बढ़ कर 922 रुपये 85 पैसे हो गयी है इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वह इस संबंध में गरीब हरिजनों को बचावे और उनको राहत दिलावे।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका जो आधार है वह यह है कि 31 मार्च आ रहा है, वैसे राज्य सरकार ने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि इस साल में कोई नये फर्नीचर नहीं खरीदे जावें । लेकिन अगर फर्नीचर नहीं खरीदा जावेगा तो पैसा खर्च नहीं होगा और पैसा खर्च नहीं होगा तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ और दूसरे जो राजस्थान में उपभोक्ता सहकारी संघ हैं उनका काम कैसे चलेगा । अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता सहकारी संघों को यह सुविधा मिली हुई है कि उनके यहां के माल का जो बिल बनाकर दिया जाता है उनका चुकारा कर दिया जाता है और उसके लिये टेन्डर की भी आवश्यकता नहीं है । यह व्यवस्था सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के लिये है । अध्यक्ष महोदय आज हो क्या रहा है कि आज राजस्थान भर के डिपार्टमेंट्स में साल भर तक कोई फर्नीचर नहीं खरीदा गया था उसके लिये मार्च में आर्डर आ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें ।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अब फर्नीचर के आर्डर खरीद के लिये आ रहें हैं । आज, अध्यक्ष महोदय, उपहार जो कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का है उसके यहां तो फर्नीचर है नहीं । उसके पास आर्डर आये हैं अलमारी के उसके पास कोई अलमारी नहीं है, पर अध्यक्ष महोदय, उपहार से जो समान खरीदा जाता है उसमें चूंकि टेन्डर की आवश्यकता नहीं होती है तो जो विभाग वहां से फर्नीचर खरीद रहे हैं, नियमों के अनुसार आर्डर देने पर वह विभाग यह लिखता है कि सामग्री प्राप्त हो गयी । अध्यक्ष महोदय, सामग्री प्राप्त होने के बाद ही चुकारा होता है लेकिन माल पहले नहीं पहुचता है उस नीति की अवहेलना की जाती है । पेमेन्ट हो जाता है तो सारे फर्नीचर जो मंगवाये जाते हैं वह दूसरों से मंगा कर दिये जाते हैं और इस प्रकार एक त्रिकोण बन जाता है । इसमें उपहार के अधिकारी, दूसरे फर्नीचर खरीदने वाले, विभाग के अधिकारी, तीसरे, जो व्यक्ति माल सप्लाई करता है उपहार को । अभी पिछले दिनो में, अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के डिप्टी इन्सपेक्टर ने गोदरेज की अलमारी के लिये आर्डर उपहार को दिया । यहां पर पेमेन्ट भी मिल गया लेकिन वहां पर गोदरेज के बजाय गुडएज की आलमारी भेज दी गयी । जब वहा पर गुडएज की आलमारी पहुंची तो उन्होंने वहा पर माल लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने सारा केस पुलिस में दे दिया । अब उपहार के अधिकारी मिल कर उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जैसी कि उनकी हमेशा से ही प्रवृति है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक इस प्रकार से दो लाख का माल तो खरीदा जा चुका हैं और अभी ७० लाख का माल और खरीदना है । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अनियमिततायें हो रही हैं और जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें पैसा विभाग द्वारा आ जाता है और

(श्री कैलाश मेघवाल)

उपहार अपने एजेन्ट को कह देता है कि तुम माल सप्लाई कर दो। उसके बाद में वह माल किस स्तर का होता है कोई देखता नहीं है, न उसकी कोई जांच होती है। इसके इसके अलावा रिसीविंग अधिकारी की खुद की पहले तो मिली भगत होती है दूसरे वह बोल भी नहीं सकता क्योंकि रिसीविंग अधिकारी खराब माल अगर आ जाये तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने पहले ही एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया है, प्राप्त कर लिया है। एक बात तो यह है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में किसी तरह की वित्तीय अनियमितताये नहीं हों वित्तीय नियमों की अवहेलना नहीं हो और जो भी माल खरीदना हो तो स्वच्छ आधार पर खरीदा जाना चाहिये। पर इस तरह से नहीं खरीदा जाय। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई सवाल आपको दिये लेकिन आपने, श्रीमान, उन सवालों को डिस्अलाउ कर दिया। बस मैं इतना ही कहना चाहता था और मेरा उद्देश्य यही है कि वहां पर जो खुली लूट मची हुई है उसको समाप्त किया जाय। यहीं कहते हुए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : **श्री महाराम**। पंचायत समिति मून्डवा व पंचायत समिति नागौर में कन्ट्रोल की वस्तुओं के वितरण में अनियमितताये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही सदन में निवेदन किया था कि आज सहकारी आंदोलन को विफल बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार बहुत है और वितरण व्यवस्था बहुत खराब है। मेरा यह स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास आप सूचना मंगाने के लिये भेजते तो अच्छा होता क्योंकि जब गांवों में सूचना के लिये बात जाती तो वहां पर गांवों में चर्चा होती और उसका असर गांवों में पड़ता। इसलिये अगर आप सूचना के लिये जिलाधीश को लिखते तो पता लग सकता था कि किस तरह से आज वहां पर वितरण में अव्यवस्था और भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा।

श्री महाराम चौधरी : तो मैं इस पर बोलूं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : अब बोलने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे से चेम्बर में मिलें।

श्री महाराम चौधरी : सहानुभूति के साथ-साथ आप इसको जल्दी भी करावें तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष : खाली सहानुभूति से तो काम चलेगा नहीं, जल्दी भी की जायगी।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यहां क्षेत्रीय वन विभाग के अधिकारी ने, जो मजदूर वहां काम करते थे मुद्दत से उनको 1 अप्रैल से हटाने का नोटिस दिया है कि वह नौकरी से हटा दिये जायेंगे। मैं आपकी मार्फत सरकार से मांग करूंगा कि उन लोगों के साथ जो मुद्दत से यहां जीवन यापन कर रहे थे,

(श्री त्रिलोकसिंह)

नौकरी कर रहे थे, अपने बाल-बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे और वह निहायत गरीब लोग हैं, जो 7 रुपये रोज की मजदूरी पर काम करते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाय उनको नौकरी पर बहाल रखें। और यह वजह बताकर कि बजट में गुंजाइश नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस सरकार में करोड़ों का वारान्यारा होता हो ऐसी हालत में उन गरीब मजदूरों को जो बहुत ही थोड़ी मजदूरी पर काम करते हैं, रात दिन मिट्टी खोदते हैं और पेड़ों को लगाते हैं और जबकि बहुत बड़ी शिकायत है कि वन विभाग में बहुत धांधली है. वनों को बर्बाद किया है तो कम से कम जो पेड़ों की हिफाजत करते हैं, दरख्त लगाते हैं और पानी देते हैं मुद्दत से काम कर रहे हैं, उनको आये साल हटाकर नयी नियुक्तियां की जाती हैं, उनको स्थाई तौर से रखा जाय और उनको नौकरी से नहीं हटाया जाय, यह मैं सरकार से मांग करूंगा।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, हमारा था····

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था में शामिल नहीं किया है। यह दीर्घकालीन व्यवस्था है माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, हमने दिया था····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। स्थगन प्रस्तावों का विषय नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कृषि उपज मण्डी····

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य कृपया····

श्री दाऊदयाल जोशी : नागपुर के सन्तरों के बाद झालावाड़ का ही नम्बर आता है····

श्री अध्यक्ष : जिस दिन कृषि की डिमाण्ड थी उस दिन सन्तरों का नाम नहीं लिया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आता····

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों में भी नम्बर नहीं आता और डिमाण्ड पर भी नम्बर नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : अच्छा एक माननीय सदस्य कह दें दो मिनट के लिए।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले में और विशेषकर भवानी मंडी क्षेत्र में सन्तरे का उत्पादन अधिक होता है और वहां कृषि उपज मण्डी भी है लेकिन उपज मण्डी प्रांगण में सन्तरे की मण्डी नहीं लगाकर उसकी परिधि से बाहर लगाई जाती है। वहां पर किसानों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। न पीने का पानी है और न किसानों के पशुओं के लिए कोई पानी पीने की व्यवस्था है। वहां पर मन के हिसाब से माल लिया जाता है और दो किलो ज्यादा लिया जाता है। कारज का काटा जाता है ....

श्री अध्यक्ष : आजकल क्या भाव चलता है वहां पर ?

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : 300 रुपया क्वि. दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार वहां किसानों का बड़ा शोषण हो रहा है। किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि जो सन्तरे की मण्डी है वह मण्डी प्रांगण में नहीं लगाकर दूसरी जगह लगाई जाती है। वहां किसानों को किसी प्रकार सुविधा नहीं है और उनको माल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय और जो मण्डी प्रांगण है वहीं पर सन्तरे की मण्डी लगाई जाय क्योंकि अपने देश में इसका दूसरा स्थान है। विशेषकर अपने प्रदेश में तो इसकी विशेष खेती होती है। तो मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जो मण्डी प्रांगण है, वहीं पर मण्डी लगाई जाय और किसानों की सुविधा की दृष्टि से यह मांग करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के अन्दर नागपुर के बाद में झालावाड़ का दूसरा स्थान है और वहां पर सन्तरे का उत्पादन भारी मात्रा में होता है लेकिन वहां सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से, उनको उचित सुरक्षा नहीं देने की वजह से, काश्तकारों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है। आम काश्तकार को जैसे ही सन्तरा पैदा होता है फौरन बेचना पड़ता है और कई काश्तकार अपने उत्पादन को बाहर ले जाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए उनको वहीं बेचना पड़ता है और कम मूल्य पर बेचना पड़ता है और वास्तविक फायदा है वह उस काश्तकार को नहीं मिल पाता है बल्कि दूसरे व्यापारी लोग हैं, जो उसमें पैसा इनवेस्ट करते हैं वह सस्ते भाव में खरीदकर महगे भाव में बेचते हैं। मेरी मांग है कि वहां पर सन्तरों का इतना भारी उत्पादन होता है तो वहां सरकार को ओर से कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे जूस उद्योग की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके माध्यम से काश्तकार अपने सन्तरों को रख सकें। जो काश्तकार काफी मेहनत के बाद सन्तरा उत्पादन करते हैं उसके माध्यम से उसको उचित मूल्य मिल सकता है। वहां जूस उद्योग की व्यवस्था हो जायगी तो उससे काश्तकारों को वास्तविक फायदा होगा। इसलिए मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय को विशेष रूप से ध्यान में रखकर वहां कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाय और जूस उद्योग की व्यवस्था की जाय।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिनियम का परिशोधित पाठ

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बन्दी अभिज्ञान अधिनियम, 1956, का अधिनियम संख्या (2) (शुद्धि पत्र सहित) परिशोधित पाठ सदन की मेज पर रखता हूं।

इस अधिनियम का परिशोधित पाठ गत विधान सभा में सदन की मेज पर रखा गया था, परन्तु राजस्थान राज भाषा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(अनुपूरक उपबंध) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इसको प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : खनिज मंत्री जी,

प्रतिवेदन

श्री नानालाल (राज्य मंत्री, खनिज): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत–

(i) राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1979-80 एवं

(ii) राजस्थान स्टेट मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखों का विवरण वर्ष 1979-80 सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1980-81 के विवरण

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1980-81के विवरण का उपस्थापन।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रस्तुत करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुमति दी गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1980-81 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जवाई बांध से जोधपुर नगर को पानी दिये जाने से पाली जिले के किसानों में व्याप्त असंतोष

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री गोकुलचन्द्र शर्मा, श्री सूरजपालसिंह, श्री रतनाराम चौधरी, श्री शिवदानसिंह, श्री माणकमल मेहता। जवाई बांध से जोधपुर नगर को पानी दिये जाने से पाली जिले के किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, नियम 131 के तहत राज्य सरकार का ध्यान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर को पानी देने के बारे में आकर्षित कर रहा हूं। जोधपुर स्टेट के समय पाली शहर के पास, एक बांध बनाया गया, जिसका नाम सुमेरसमंद था, वह बांध आज हेमावास के नाम से जाना जाता है। स्टेट के समय में पानी की कमी होने के कारण जोधपुर के लिए एस.एस. डब्ल्यू. चैनल नाम से नहर बनाई गई और जोधपुर को पेयजल सप्लाई करने का इन्तजाम किया गया। वह पानी लगातार चलता रहा। उसके बाद सन् 42 में तत्कालीन जोधपुर स्टेट ने एक बांध जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर के पास बनाना शुरू किया। इसका सर्वे चालू करने के बाद सन् 46 में इसका काम शुरू हुआ और सन् 47 में देश स्वतन्त्र हो जाने पर राजस्थान प्रदेश द्वारा यह स्कीम केन्द्रीय सरकार के सामने स्वीकृति हेतु सी.डब्ल्यू. एण्ड पी.सी. के समक्ष रखी गई। पहले यह स्कीम मल्टीपर्पज थी, जिसका पर्पज था कि इस

(72)

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम से जो भी इलेक्ट्रिक पैदा होगी वह सुमेरपुर के नजदीक के गांवों को दी जायगी और इससे निकला हुआ पानी नजदीक के गांवों को कपास पैदा करने के लिये दिया जायगा। यहां पर पाली मिल, कपड़े की मिल पहले से चल रही थी, उसको सहायता मिलेगी। इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि पीने के पानी की सप्लाई इस बांध से की जायगी, लेकिन तत्कालीन केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री, श्री के. एल. राव, जो उस समय सी. डब्ल्यू. एण्ड पी. सी. के सदस्य थे, इस स्कीम को देखने मौके पर आये। श्री एफ. एफ. फरग्यूसन, जिन्होंने इस स्कीम को बनाया था, जोधपुर स्टेट समाप्त हो जाने के बाद बाम्बे सीमेन्टेशन कम्पनी में चले गये थे, को भी वहां बुलाया गया और वहां निर्णय लिया गया कि इस प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज न बनाकर केवल इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जाय, क्योंकि जवाई नदी पैरीनियल नहीं है, इसके अन्दर लगातार पानी नहीं आयेगा, जिसे ड्राप करते हुये इर्रिगेशन स्कीम स्वीकृत की और उसी के आधार पर इस बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यह निर्णय सन् 1950-51 के करीब लिया गया था। शुरू से स्टेट टाइम से या सी.डब्ल्यू. एण्ड पी. सी. से सैंक्शन होकर आने तक और काम पूरा होने तक कहीं यह प्रावधान नहीं था कि इस बांध से जोधपुर या अन्य किसी जगह पीने के लिये पानी दिया जायगा। इस बांध का एक लाख 6 हजार एकड़ कमाण्ड एरिया तय किया गया उसकी 157 मील लम्बी नहरें बनाई गई और, अध्यक्ष महोदय, वहां पर फुल्ली डवलप्ड कमाण्ड एरिया किया गया जहां पर कि आज 10,223 काश्तकार इस कमाण्ड एरिया में स्थित हैं, जो इसके ऊपर निर्भर हो रहे हैं। उसके बाद जोधपुर में पानी की डिमाण्ड होने के कारण वहां पानी की कमी होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि राजस्थान केनाल का काम बहुत लेट होगा, उसमें समय लगेगा और अस्थाई तौर से कुछ थोड़ा बहुत पानी यहां से जोधपुर दिया जाय ताकि जोधपुर में पानी की सप्लाई की समस्या का समाधान हो सके और 400, 500 एम.सी.एफ.टी. पानी इस बन्धे से दे दिया जाये क्योंकि 400, 500 एम. सी. एफ. टी. पानी डैड स्टोरेज इस बांध से रहता है, सिंचाई में कोई अन्तर नहीं आयेगा। यह निर्णय राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक मानवता के नाते लिया जिसका स्थानीय काश्तकारों ने भी कोई एतराज नहीं किया।

(1.22 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

इस पानी को यहां से सप्लाई करने के लिये पी. एच. ई. डी. द्वारा साण्डेराव से पाली तक 35 मील लम्बी नहर बनाने के लिये स्वीकृति दे दी गई और इस जवाई के पानी को जोधपुर देने के लिये हेमावास तक जोड़ दिया गया। उस समय 40 क्यूसेक्स पानी देने का निर्णय लिया गया था जो धीरे-धीरे सन् 65 और 71 में पाकिस्तान की लड़ाई होने के कारण या वहां की जनसंख्या बढ़ने के कारण वहां पर पानी की जैसे-जैसे आवश्यकता बढ़ती रही पी. एच. ई. डी. ने जवाई बांध के पानी को ज्यादा लेने की कोशिश चालू रखी, इसके लिये नहर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिये हजारों, लाखों और

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

करोड़ों का खर्चा दिया। जो केनाल 40 क्यूसेक्स पानी के लिये 1960 में बनाई गई थी वह पी. एच. ई. डी. ने 90 क्यूसेक्स पानी लेने तक बढ़ा दी 'और उससे 90 क्यूसेक्स पानी ले जाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय क्योंकि यह ज्वलंत समस्या थी और जोधपुर को पानी देना था दूसरा कोई आलटरनेट नहीं था और पानी कहीं से इम्पोर्ट कर नहीं सकते थे, दूसरा कोई समाधान राज्य सरकार के पास नहीं होने से अस्थाई निर्णय किया गया था कि जब जोधपुर पेयजल पोकरण लिफ्ट योजना बनेगी तभी स्थाई समाधान होगा। राजस्थान लिफ्ट केनाल बन जायगी तो इस पानी को बन्द कर दिया जायगा। इसी बात को सोचते हुए जवाई बांध के काश्तकार सोचते रहे कि जब भी लिफ्ट केनाल बन जायगी इसका पानी हमको मिल जायगा और फिर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। इस बीच में, एक निवेदन और करना चाहता हूं इस सप्लाई के बीच में साण्डेराव से हेमावास (पाली) के बीच में जो भी गांव हैं, वहां पानी की स्केयरसिटी थी। आर. आई. सर्कल पाली तहसील आदि में पानी की शार्टेज थी उस शार्टेज को पूरा करने के लिये जवाई केनाल से पानी देना शुरू कर दिया। 80 और 90 क्यूसेक्स पानी जा रहा है, पाली जिले के सैकड़ों गांवों को पानी इसी नहर से देना शुरू कर दिया, तो आज समस्या यह है कि जवाई कमाण्ड एरिया के काश्तकार यह सोच रहे थे कि पोकरण की लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार हो जाय और पी. एच. ई. डी. से छुटकारा हो जायगा और उधर पी. एच. ई. डी. ने एक नया काम शुरू किया है, बताते हुये कि पानी लासेज बहुत ज्यादा होते हैं, जितना पानी हम छोड़ते हैं, जोधपुर तक पहुंच नहीं सकता है। इन्होंने एक स्कीम बनाई और वर्ल्ड बैंक से स्वीकृत कराई। इन्होंने यह तय किया है कि जवाई के पानी को जोधपुर पहुंचाने के लिये पाइप के थ्रू लेकर जायं। मैं इसके बीच में एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जिस वक्त यह साण्डेराव से पानी ले जाने की स्कीम बनाई गई थी केवल 35 मील थी। पाइप लाइन से पानी ले जाने के तखमीने में तत्कालीन विभागाध्यक्षों ने चीफ इन्जीनियर और टेक्निशियन्स ने सुझाव दिया था कि अगर इतनी लम्बी पाइप लाइन से पानी ले जायेंगे, तो पाइपों में सिल्ट जमा हो सकती है और वाटर सप्लाई बन्द हो जायगी। मेरी समझ में नहीं आता उस बात को ध्यान में नहीं रखकर हम 100 मील लम्बी पाइप लाइन के द्वारा पानी ले जाना चाहते हैं। मैं यह समझता हूं कि यह पी. एच. ई. डी. की अदूरदर्शिता है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद पी. एच. ई. डी. यह समझता होगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह जवाई बांध पी. एच. ई. डी. की ही धरोहर है। मैंने यह पहले निवेदन कर दिया है यह पी एच. ई. डी. की धरोहर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने मानवता के नाते और कोई दूसरा आलटरनेट नहीं होने के कारण ही जोधपुर को पानी देने के लिये जवाई से स्वीकृति दी थी न कि यह पी. एच. ई. डी. का बांध है और इससे पानी देना लाजिमी है।

इसके अलावा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं जिस टाइम यह स्कीम बनी थी शायद पी० एच० ई० डी० वाले भूल गये थे कि हमारे पाली जिले की कन्डीशन क्या होगी। पी० एच० ई० डी०, सारा

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

विभाग यह जानता है कि पाली जिले का जितना भी पशुधन है वह ओपन चैनल के ऊपर निर्भर है। मान लीजिये पाइप लाइन के थ्रू पानी लेकर गये तो पाली जिलेके पशु-पालक पूरी तरह से तबाह हो जायेंगे और वहां इससे भारी असन्तोष पैदा हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शायद पी० एच० ई० डी० वाले यह सोचते होंगे कि डाइवर्शन की स्कीम जोधपुर पानी देने के कारण ही स्वीकृत हुई है और मान लीजिये जोधपुर को पानी देने की समस्या हल नहीं होती, तो डाइवर्शन का दस करोड़ रुपया नहीं मिलता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जवाई बांध का बी सी रेश्या नहीं बनता था। जवाई बांध से जोधपुर को पानी देंगे, तो इसका समाधान हो जायगा। यह गलत बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सात हजार मिलियन सी० एफ० टी० स्कीम पर ओरिजिनल में ढाई करोड़ खर्च हुआ, अतः इस स्कीम पर 50 करोड और खर्च कर दिया जाय तब भी इसका बी० सी० रेश्या ज्यादा अच्छा होगा अतः यह भी इनका भ्रम है।

(विराम)

मेरा निवेदन है कि जब से इस बांध से परमानेन्ट यह पाइप लाइन से पानी ले जाने की स्वीकृति हुई है और जिसके लिये काफी हलचल हुई है। समाचार पत्रों में समाचार भी आये हैं तब से सैंकड़ों तार राज्य सरकार के पास और मेरे पास आये हैं। अब मैं निवेदन करता हूं कि वहां की किसान यूनियन सक्रिय हो गई है और पूरे जिले में असन्तोष हो गया है। हो सकता है जबर्दस्त असन्तोष के साथ एजीटेशन शुरू हो जाय। 10281 कल्टीवेटर्स में से 8993 कल्टीवेटर्स, जो 40 बीघा से नीचे है, के हित को देखते हुए यह गलत काम हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से राज्य सरकार को कि इसके लिये पुनः विचार करे। मेरा एक निवेदन और है पोकरण योजना पर पी० एच० ई० डी० वाले कह सकते हैं, किन्तु इस पर उन्होंने सोचा ही नहीं, दूसरी ओर स्कीम में यह साफ बताया है कि जोधपुर को पानी देने का स्थाई समाधान केवल पोकरण लिफ्ट योजना है लेकिन टेम्प्रेरी बेसिस पर जवाई से पानी ले जायेंगे 86 तक, क्योंकि पोकरण लिफ्ट योजना मंहगी पड़ रही है और खर्चा ज्यादा आ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है जिस पाइप लाइन पर 40 करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, 20 करोड़ या 16 करोड़ का एस्टीमेट अभी बनता होगा, किन्तु मैं राज्य सरकार और मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह पूरी स्कीम 40 करोड़ या 50 करोड़ की होगी। क्योंकि एक साल में 40 करोड़ खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जवाई से जोधपुर पाइप लाइन का काम सस्ता पड़ेगा, 30 करोड़ में यह काम कर सकेंगे और पोकरण लिफ्ट का काम महंगा पड़ेगा। यह सोचना सही नहीं है एक लाख एकड़ जवाई कमाण्ड भूमि बर्बाद हो जायगी और इस पर किये गये खर्च या यह कहिए कि राजस्थान कमाण्ड में एक लाख एकड़ भूमि डवलप्ड करने का खर्चा पोकरण लिफ्ट के तखमीने में से कम करके तखमीना लगाना चाहिये।

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

दूसरा निवेदन यह है कि ग्राज सबसे ज्यादा ज्वलन्त समस्या यह है कि जवाई को पिछले 77 के चुनाव में जनता सरकार ने राजनैतिक द्वेषता पूर्ण नीति के कारण क्योंकि पश्चिमी राजस्थान से ज्यादा कांग्रेसी जीतकर ग्राये थे, ग्रतः जनता सरकार ने द्वेषतापूर्ण योजना को हमारे सामने रखा है। हमारे प्रदेश को 40 करोड़ की हानि दे देना चाहते हैं। मैं कहता हूं इसकी एक कमेटी बना दीजिये। पी० एच० ई० डी० वालों पर विश्वास मत कीजिये। पहले भी यह हुग्रा था कि लूनी बेसिन पर बांध बनाने जा रहे हैं, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हमारे यहां मोतीलाल कमेटी बनाई थी ग्रौर उसमें भी यह विचार हुग्रा था कि बांध बनाया जाय या नहीं। मैं सुझाव देना चाहता हूं इस पूरी योजना को एक ग्रच्छे तकनीशियन से एग्जामिन करवाई जाय कि कौनसी योजना मंहगी पड़ेगी ग्रौर किस प्रकार जोधपुर को स्थाई रूप से पेयजल दिया जायगा।

ग्रन्त में एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं ग्रगर राज्य सरकार ने पी० एच० ई०डी० के ग्रधिकारियों के भरोसे यह योजना चालू की तो हो सकता है पाली जिले में बड़ा भारी ग्रसन्तोष पैदा हो जाय। जोधपुर के हमारे यहां पर चीफ व्हिप बिराजे हैं, परसरामजी भी हैं, दूसरे भी माननीय सदस्य हैं वे भी मेरे से सहमत होंगे इस बात के लिये कि पोकर का पानी ग्राना चाहिये ग्रौर जवाई जोधपुर पर ग्रस्थाई तौर पर जो 40 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है वह व्यर्थ किया जा रहा है। यह बड़ा भारी नुकसान है ग्रौर ग्राज की परिस्थितियों में हमारा यह प्रदेश इसको बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस योजना पर पूर्णतया विचार करके निर्णय ले ग्रौर काम को तुरन्त बन्द करवायें। ग्रन्त में मैं उम्मीद करता हूं,

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके ग्रौर किसी तकनीशियन से राय लेकर बाद में इस योजना को चालू कराने का विचार करें।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिह।

(ग्रनुपस्थित)

श्री रतना राम।

(ग्रनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : ध्यान ग्राकर्षण गलत दे दिया। सब चले गये।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : इसलिये कि इसको ग्राप तुरन्त बन्द करवा दें नहीं तो जन प्रतिनिधियों का गला पकड़ेंगे।

(व्यवधान)

तुम्हारा गला कमजोर था इसलिये उधर चले गये।

श्री सभापति : श्री माणक मल मेहता।

(ग्रनुपस्थित)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदय, जैसे-जैसे टाइम चेन्ज हुग्रा प्रायोरिटीज भी चेन्ज होती गई। ग्राज से 15-20 साल पहले ज्यादातर सरकार की

(श्री माधवसिंह दीवान)

यह योजना थी कि किस तरह शहरों में पानी दिया जाय। गांवों के लिये तो सोचते ही नहीं थे और गांवों के लिये पूरे फण्ड भी नहीं थे कि उन पर विचार किया जाय। उस समय जोधपुर शहर को कैसे पानी पहुंचाया जाय तो यही था कि जवाई और हेमावास से पानी पहुंचाया जाय। पाली जिले में दो तहसीलें हैं रोहित और सोजत इन दोनों तहसीलों में पानी की भयंकर समस्या है। कई रीजनल योजनाएं बनाई जाती हैं और दो चार साल में पानी एग्जास्ट हो जाता है हम लोग इतना सहन करते हुए कि जोधपुर शहर को पानी देना जरूरी है तो दे दिया जाय लेकिन अब जब अगले साल तक राजस्थान केनाल नाचना तक आ जायगी और जोधपुर शहर को ओरिजनल प्लान में जब सम्मिलित किया हुआ है तो अब इस समय 30–40 करोड़ रुपया फालतू वेस्ट करके केवल इस केनाल को चेन्ज करके ही किया जाय, यह ठीक नहीं है। पाली जिले में भयंकर असन्तोष है। वहां के लोग पानी के लिये मर रहे हैं और 40 करोड़ खर्च करके टेम्प्रेरी तौर पर पानी जोधपुर ले जाया जायगा तो कहां तक बर्दाश्त करेंगे ? जयपुर के आफिसर्स मनमानी करके यहां पर बैठे-बैठे केवल प्लान बना लें और यहां कहें कि वर्ल्ड बैंक ने पैसा सैंक्शन कर दिया इसलिये हम क्या करें। यह तो आपके गलत प्लान देने पर कर दिया इसलिये मेरा निवेदन है कि यह 40 करोड़ रुपया बन्द करके इमीजियेट राजस्थान केनाल में लगायेंगे तो दो-चार साल में पानी पहुंच जायगा। हम लोगों को कतई एतराज नहीं है कि नहर से पानी चालू रहे जब तक राजस्थान केनाल से पानी नहीं आये। परन्तु जब राजस्थान केनाल से पानी आये तो नहर वाली योजना को बन्द करके रोहित और सोजत तहसील को पीने का पानी दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान और सदन का ध्यान जोधपुर से पानी नहीं देने के लिए आकर्षित किया। सभापति महोदय, आपने देखा होगा कि जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन जयपुर के बाद दूसरा बड़ा शहर है जिसकी आबादी 5 लाख है और इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं, पाली, रोहित और सोजत के गांव और मेरे क्षेत्र के गांव करीब दस लाख जनसख्यां इस नहर से प्रभावित होती है। अगर नगर को पानी बन्द करते हैं तो कम से कम 10 लाख आदमी 5–6 महीने के अन्दर प्यासे मर सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। यह पानी, बाँध, नदी, नाले, जमीन, ये किसी के बाप की बपौती नहीं हैं। राजस्थान नहर जो भाखड़ा से निकलती है, अगर वे कह दें कि हम इसको पानी नहीं देना चाहते तो न गंगानगर और न यहां कहीं पानी आ सकता है और यह बात कहना कि जवाई नहर हमारे लोगों की सम्पत्ति है, बिलकुल बे-बुनियाद बात है। अगर जवाई नहर से उदयपुर के लोग, अरावली पहाड़ के लोग, जो आदिवासी हैं, वह पानी रोक दें तो मैं आपसे, माननीय सभापति, पूछ सकता हूँ कि ये लोग क्या करेंगे ? पानी ऊपर से वे रोक देंगे। इसलिए पानी कोई रोक नहीं सकता, नदी नालों पर किसी का अधिकार नहीं है

(श्री रामसिंह विश्नोई)

मानवीय दृष्टिकोण से सबसे पहले पानी पीने के लिए है उसके लिए प्रयास होना चाहिए, उसके बाद अगर पानी मिलता है तो यह जो माननीय सदस्य हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, जिन्होने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं, लोकल आदमी नहीं हैं, जो इससे इफेक्टेड होने वाले हैं, जो अपने को बिलकुल गरीब किसान कहते हैं, जिसको आप सीमान्त किसान कहते हैं, जो बिलकुल पाली से बाहर के लोग हैं, जिन्होंने बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं उन्होंने लाबी बनाकर इन लोगों को बाध्य किया है कि ये यहां पर बोलें।....

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : एक बात काश्तकारों के बारे में है कि 8993 लोकल हैं जिनके पास सिर्फ 40 बीघा से भी कम रकवा है और बाकी करीब 1200 किसान ऐसे हो सकते हैं, हमारे माननीय सदस्य जैसा बता रहे हैं। तो ऐसे तो वहां पर ही नहीं, कही भी राजस्थान में मिलेंगे लेकिन वे गरीब काश्तकार :

(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : मुझे, माननीय सदस्य, किसीके लिए आपत्ति नहीं है, उनकी जमीन होती है या इनको पानी नहीं मिलता या क्षेत्र में लोगों को पानी नहीं मिलता है तो इनकी आत्मा को क्लेश होता होगा, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है । लेकिन यह पानी जोधपुर को वर्षों से मिलता है, अब अगर बंद करने की बात कहें तो हमारे तो आदमी मर जायेंगे। इनकी तो जमीन, और हमारे आदमी। इनकी जमीन का नुकसान होगा वहां हमारे मवेशी, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और पूरे 5–10 लाख लोग तबाह हो जायेंगे मर जायेंगे, खत्म हो जायेंगी'। जोधपुर की आज यह स्थिति है और राजस्थान कैनाल की बात बता रहे हैं। राजस्थान नहर का पानी आने के अन्दर आपको कई वर्ष इन्तजार करना पड़ेगा आज सीमेण्ट के अभाव के अन्दर यह स्थिति है कि लोग 20 लाख साल में पूरी नहीं कर सकते । कब तक पूरी करेंगे? उसके बाद बिजली कहां से देंगे ?. जब बिजली नहीं होगी तो फिर ऊपर पानी कैसे लिफ्ट करेंगे. यह तो बहाने हैं। यह तो कोई काम होने वाला नहीं है, इसलिए राजस्थान नहर के भरोसे अगर आपने कोई योजना बनाई तो मैं कहूंगा कि अपनी गोद में बच्चा होगा व पेट वाले का भरोसा करना बिलकुल निरर्थक बात है। इस बात पर तवोज्जह नहीं दी जानी चाहिए, इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। ध्यानाकर्षण ये तो मानवीय दृष्टिकोण है, इनको नहीं रखने देना चाहिए। इस योजना पर केवल 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इसमें पाली और जोधपुर के 10 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और केवल 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि इसको राजस्थान केनाल से लायेंगे तो उसमें कम से कम 70 करोड़ रुपये इस राजस्थान सरकार के खर्च होंगे, जो सम्भव नहीं है, सरकार की वित्तीय स्थिति माली हालत नहीं है, कि वह इतने रुपये खर्च कर दे। मानलो इतना रुपया खर्च कर भी दें तो बिजली सीमेण्ट, कोयला, के अभाव में जो कमी है वह पूरी होने वाली नहीं है । इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, आप विराज रहे हैं, इन लोगों के पाली के 4–5 आदमियों के कहने से अगर आपने इस तरह का कदम उठाया तो यह तो आन्दोलन करेंगे या नहीं करेंगे पर हम उनसे पहले

78

(श्री रामसिंह विश्नोई)

आन्दोलन करके आपका चक्का जाम कर देंगे। अगर आपने इनकी बात सुनी तो हम यहां पर ठीक कहते हैं, केवल चन्द व्यक्ति हैं, अपने फार्मों को पानी देने के लिए योजना बनायी है, जिन्होंने इन लोगों को आगे किया है। बाकी आज तक कहां चले गये थे? सदियों से पानी देते आये हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे इसको सतलज से पानी देते आ रहे हैं, ऐसा स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि आज केवल 20 साल से सन् 57 से पानी देते आ रहे हैं ....

श्री सभापति : आप बाद में स्पष्टीकरण कर लीजिएगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, दो मिनट ही बोलूंगा और जोधपुर वालों की बोलती बन्द हो जायगी। आप बोलने तो दें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आज पाली जिले के जिन विधायकों ने ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आसन तो हुजूर बार-बार पैरों पर ही रहता है, मारे तो हम जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अगर सदन की व्यवस्था को बनाकर नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिन सदस्यों ने दिया था, वह उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे। जो माननीय सदस्य इससे प्रभावित होते हैं, उनको बोलने का 2–2 मिनट का अवसर दिया है, मेरा निवेदन है कि जोधपुर के जवाई बांध से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं। आपके सचिव महोदय ने मेरा नाम ही नहीं लिखा है। आप इस बात की जांच कराइये ध्यानाकर्षण की कापी मंगवाइये, मेरा उसमें नाम है, मैं उसमें बोलूंगा।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है और जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने निवेदन किया है, मैं उसके बारे में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर इनको दिया तो मैं खुद स्पष्टीकरण दूंगा।

श्री सभापति : माननीय भैरूंसिंह जी केवल दो मिनट आप।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं पाली जिले का रहने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि जोधपुर को जवाई बांध का पानी न दिया जाय। लम्बे अर्से से विगत कई वर्षों से जोधपुर वालों को उसी नहर

(श्री भैरू सिंह गुर्जर)

से पानी दिया जा रहा है। सवाल तो इस बात का है, हम यह नहीं कहते कि पानी नहीं दिया जाय, पानी अवश्य दिया जाय, सदियों तक दिया जाय। हमें कोई असंतोष नहीं होगा, कि 40 करोड़ रुपया इस अकाल की परिस्थिति में व्यर्थ बिगाड़ रहे हैं, उससे पाइप लाइन बनाओगे, जहां-जहां नहर जाती है, खोदे बने हुए है, जगह-जगह लाखों मवेशी उससे पानी पीते हैं। लाखों गांव वाले, जिनके कुओं में खारा पानी है, उस नहर से वे मीठा पानी लेकर पीते हैं, अगर वह पाइप लाइन बन जायगी, सभापति महोदय, तो कम से कम वह बेघरबार हो जायेंगे, पानी कहां से पियेंगे? वह हजारों लाखों पशु पानी कहां से पियेंगे। इसलिए हम तो कहते हैं, 40 करोड़ रुपये अकाल की स्थिति में पाइप लाइन पर खर्च कर रहे हो, पाइप लाइन पर खर्च नहीं करके, जोधपुर डिवीजन में अकाल के नाम पर लगा दो, कम से कम लोगों को रोजगार तो मिल जायगा। इसलिए मेरा तो निवेदन है, पुरजोर निवेदन है कि लोगों का पानी का मामला है उसमें आग लगा नहीं सकते। दूसरी कोई बात होती तो उसमें अब तक आग लगा देते। कृपा करके आप 40 करोड़ रुपये बचाइये और वह नहर जाने दीजिए। 40 करोड़ रुपये अकाल के नाम पर लगाइये ताकि लोगों को वैसे ही रोजगार मिल जायगा।

श्री सभापति : श्री अहमद बक्श सिन्धी।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : सदरे मोहतरम, यह मसला ऐसा है, जिस पर किसी इलाके के रहने वालों को कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि ये नहर जब बनायी गयी थी, जवाई बांध से जोधपुर तक, 50-60 साल पहले, वह सिर्फ जोधपुर के पानी के लिए बनायी गयी थी। ये इत्तफाक है कि बीच में पाली आता है। पाली वालों की अगर उनके घर में से होकर नहर निकलती है, मिल्कियत नहीं होती, मिल्कियत तो जोधपुर की है। लेकिन ये अक्लमन्दी की गयी कि नहर को खुला रखा गया। खुला रखने से यह पता लगा कि पानी एक तिहाई भी जोधपुर नहीं पहुंचता। बाकी काफी वेस्ट हो जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है या बीच में से लोग गड़बड़ियां कर लेते हैं। पानी निकाल लेते हैं।

श्री भैरू सिंह गुर्जर : पानी की चोरी कौन करेगा चाचा?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : सवाल ये है—

एक माननीय सदस्य : पानी की चोरी नहीं होती।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : पानी की चोरी भी होती है। तो सवाल यह है कि अगर वहां से इस खयाल से कि पानी जाया न हो, बेकार न जाय, अगर नल के जरिये से वहां से जोधपुर लाया जाता है तो इनको क्या एतराज हो सकता है। किसी और को, आपके मवेशियों को पानी चाहिए, आपके आदमियों को पानी चाहिए, टोंटी लगाकर पानी दे देंगे, आपको। खेलियां बना देंगे।

एक माननीय सदस्य : कोई एहसान कर रहे हैं क्या?

श्री अहमद बक्श सिन्धी : इस पानी का हक है जोधपुर को, मुकम्मल हक है, कोई उसमें हिस्सेदार नहीं है। हमारी मेहरबानी समझिये कि आपको पानी देंगे। ये कोई गुस्से होने की बात नहीं है। कोई तेज होने की बात नहीं है। मेहरबानी करके, आप पानी के मालिक मत बनिये, मालिक जोधपुर है, पाली नहीं है।

श्री भंरूसिंह गुर्जर : बांधों को उठा ले जाओ।

श्री सभापति राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य ।

श्री बनवारीलाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने जवाई बांध से जोधपुर नगर को पानी दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जोधपुर नगर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति अब से लगभग 40 वर्ष पूर्व पाली में स्थित हेमावास बांध से की जा रही थी। 1955 के अकाल के पश्चात् जवाई बांध से जोधपुर को पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया एवं जवाई-साण्डेराव-हेमावास के मध्य नहर बनाई गई। सन् 1959 में कार्य पूरा किया गया तथा तभी से जोधपुर नगर को जवाई एवं हेमावास बांधों से जल उपलब्ध हो रहा है। इन स्रोतों से जल आपूर्ति न केवल जोधपुर नगर की बल्कि पाली नगर तथा पाली व जोधपुर जिलों के कई ग्रामों की भी की जाती है। अकाल की स्थिति में कई ग्रामों के तालाबों को भी इस जल द्वारा भरा जाता है।

जोधपुर नगर की वर्तमान 5 लाख जन संख्या को जवाई एवं हेमावास बांधों से औसतन लगभग 85 लाख गैलन, रामपुरा स्थित नलकूपों से लगभग 25 लाख गैलन तथा शहर में स्थित लगभग 11 कुएं तथा 8 नलकूपों से लगभग 8 लाख गैलन पेयजल की मात्रा प्रतिदिन प्राप्त होती है। वर्तमान में नगर के औद्योगिक व अन्य प्रतिष्ठानों तथा नगरीय जन संख्या की लगभग 150 लाख गैलन पेयजल की प्रतिदिन आवश्यकता है। गर्मियों में यह लगभग 190 लाख गैलन तक पहुंच जाती है। जोधपुर में इस समय लगभग 35 हजार जल सम्बन्ध हैं। लगभग 36 लाख गैलन पानी सेना, वायुसेना, रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र इत्यादि संस्थानों को भी दिया जाता है। जवाई से जोधपुर तक नहर की लम्बाई 186 कि. मी. है। इस पूर्ण लम्बाई में से 170 कि. मी. तक पानी ढाल के अनुसार बहता है। शेष 16 कि.मी. में पानी 8 स्थानों पर पम्प करके नगर में स्थित तख्तसागर में डाल दिया जाता है जहां से फिल्टर करने के पश्चात् इसका वितरण किया जाता है।

नगर की पेयजल की बढ़ती हुई मांग को पूर्ण करने की दृष्टि से लगभग 34.64 करोड़ रुपये की पुनर्गठित योजना बनाई गई है जिसे विश्व बैंक परियोजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना में वर्तमान में साण्डेराव से हेमावास तक की नहर में होने वाले जल रिसाव को बचाने की दृष्टि से इसकी गहराई बढ़ाने तथा लाइनिंग में सुधार करने का प्रस्ताव है। हेमावास से कुड़ी तक बनी नहर के स्थान पर आर. सी. सी. की पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव है। योजना में शेष राशि शहर में वितरण

(श्री बनवारीलाल)

व्यवस्था के सुधार, पम्पगृहों के निर्माण इत्यादि पर व्यय की जानी प्रस्तावित है। इस योजना में जोधपुर नगर की जनसंख्या को वर्ष 1991-92 तक लगभग 120 लीटर पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की मात्रा से दिया जावेगा इसके अतिरिक्त औद्योगिक एवं अन्य संस्थानों को भी आवश्यकतानुसार पेयजल का वितरण किया जा सकेगा। साथ ही पाली नगर को लगभग 45 लाख गैलन तथा नहर के आस पास स्थित 136 ग्रामों को 22 लाख गैलन जल की आपूर्ति प्रतिदिन की जा सकेगी। इस सम्पूर्ण योजना से जोधपुर नगर की लगभग 6 लाख जनसंख्या, पाली नगर की लगभग 1.40 लाख जन संख्या व गावों की लगभग 1.50 लाख जन संख्या लाभान्वित होगी।

वर्तमान में जवाई बांध से जोधपुर हेतु लगभग 76 क्यूसेक्स पानी गर्मियों में छोड़ा जाता है जिसमें से जोधपुर हेतु लगभग 30 क्यूसेक्स पानी पहुंचता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जवाई बांध से साण्डेराव तक की नहर में लगभग 8.5 क्यूसेक्स, साण्डेराव से हेमावास नहर में लगभग 11 क्यूसेक्स एवं पाली से जोधपुर तक लगभग 26 क्यूसेक्स अर्थात् कुल 45.50 क्यूसेक्स पानी की मात्रा रिसाव के कारण नष्ट हो जाती है। पुनर्गठित योजना में इस प्रकार के प्रावधान प्रस्तावित हैं कि इस रिसाव की मात्रा को बचाने पर एवं नहर की कुछ क्षमता बढ़ाने पर जोधपुर नगर की आवश्यकता को वर्ष 1991–92 तक पूर्ण किया जा सकेगा।

जहां तक प्रश्न है जोधपुर नगर को राजस्थान नहर से पेयजल आपूर्ति का, इस प्रस्ताव का एक प्रारम्भिक अनुमान बनाया गया था। इस अनुमान में यह पाया गया कि राजस्थान नहर के वर्ष 1982-83 तक नाचना ग्राम तक पहुंचने की सम्भावना है। नाचना ग्राम से रामदेवरा, पोकरण, रतन, घांबल, छाबा, शेरगढ़, भंवर होते हुए जोधपुर की दूरी लगभग 250 कि० मी० है। इस लम्बाई में से लगभग 60 कि० मी० दूरी में पाइप लाइन डालनी होगी एवं पानी को जोधपुर तक पहुंचाने में लगभग 12 मेगावाट विद्युत की एवं 120 कि० मी० लम्बी विद्युत लाइन की आवश्यकता होगी। इस योजना में पानी को लगभग 175 मीटर ऊंचा उठाना पड़ेगा। जहां नाचना ग्राम से जोधपुर तक पानी लाने पर इतना अधिक खर्चा आयेगा वहां लगभग 200कि० मी० लम्बी नहर में अत्यधिक जल रिसाव गम्भीर समस्यायें पैदा करेगा। कुल मिला कर इस व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति पेयजल दरों में भारी वृद्धि करनी पड़ेगी जो नगर की जन संख्या के सामर्थ्य से बाहर होगी। अनुमानों के अनुसार यदि जवाई–हेमावास योजना को क्रियान्वित किया जाय तो 1979 वर्ष में नई दर 3.22 रु० प्रति 1000लीटर आती है यह दर राजस्थान नहर योजना के क्रियान्वयन में 12.00 रु० प्रति 1000 लीटर आती। इन्हीं दरों को वर्ष 1985 का आधार मान कर निकाला जाय तो क्रमश: 2.40 तथा 3.85 आती है इस प्रस्ताव का प्रारम्भिक अनुमान 1980–85 में लगभग 55 करोड रु० तथा 1986–92 में लगभग 78 करोड रु. आंका गया है। नगर की वितरण व्यवस्था में सुधार आदि का कार्य इसमें सम्मिलित है।

(श्री बनवारीलाल)

जवाई बांध से जोधपुर व पाली नगरों एवं ग्रामों की जल पूर्ति की आवश्यकता से प्रस्तावों का यह अर्थ नहीं है कि राजस्थान नहर स्रोत से योजना को अस्वीकार कर दिया गया है। इसी योजना में यह प्रावधान किया गया है कि सन् 1991–92 में राजस्थान नहर से भविष्य की आवश्यकता हेतु आवेदन मांगे गये हैं जिसमें लगभग तीन वर्ष लगेंगे तथा इसका पूरा व्यय विश्व बक वहन करेगा।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : एक प्रश्न ....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : इसके बाद में सवाल ही पैदा नहीं होता है ।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : मैं मंत्री महोदय से एक जानकारी करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि इन्होंने जो तखमीना बताया है 55 करोड़ का यह तो सन् 85 के बाद की बात है लेकिन आज का तखमीना क्या है ? आज जो खर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में इसके अन्दर कहीं पर भी समावेश नहीं है । इस जवाब के अन्दर नहीं बताया गया कि आज राजस्थान केनाल से शुरू करते हैं और 86 तक पूरा करते हैं तो उस पर क्या खर्चा आएगा ? एक बात ।

दूसरी बात यह है कि पोकरण लिफ्ट की बात करते हैं कि पानी का हमें इतने मीटर लिफ्ट करना पडेगा, आज भी जवाई का पानी जा रहा है, खुद ने मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है अपने बयान में कि उनको भी लिफ्ट करना पड़ रहा है । तो यहां पर भी लिफ्ट करना पड़ रहा है तो वहां पर भी लिफ्ट करना पड़ेगा । बिजली की समस्या यहां पर होगी तो वहां पर भी पैदा होगी, इसमे कोई संदेह की बात नहीं है । इससे योजना पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा मैं यह भी जानकारी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार....

(व्यवधान)

श्री अहमद बक्श सिंधी : व्यवस्था का सवाल है। पाइन्ट आफ आर्डर ।

सवाल यह है कि मंत्रीजी के बयान के बाद कोई सवाल करना हो तो कर सकते हैं। यह बयान नहीं है ।....

श्री सभापति : सवाल ही कर रहे हैं। तशरीफ रखिये ।

(व्यवधान)

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा : क्वेश्चन के रूप में ही रख रहा हूं। मेरा एक सवाल और है कि जो अभी जवाई बांध से पानी दिया जा रहा है, पहली बात तो यह है कि यह जवाई बांध पी.एच.ई.डी. का बंधा ही नहीं है। यह सिंचाई विभाग का है, राजस्थान सरकार का है । मैं एक बात और कहता हूं कि राजस्थान सिंचाई एक्ट के अनुसार जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं वे मिल्कियत सिंचाई डिपार्टमेंट की है। यह भी मंत्री

(श्री गोकुलचन्द्र शर्मा)

महोदय मुझे बताये कि सिचाई विभाग की स्वीकृति के अभाव में उनके स्रोत पर योजना बनाना कहां तक न्यायोचित है ?

दूसरी बात, जो जवाई बांधमें आरक्षित करते हैं, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह तकनीकी आधार पर नहीं है। पी.एच.ई.डी. जो पानी आरक्षण करवा देते हैं वह पानी जोधपुर पहुंचा ही नहीं सकते हैं। हमारे कल्टीवेटर्स काश्त से महरूम रह जाते हैं इस प्रकार अभी तक....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : फिर हम बोलेंगे।

श्री गोकुल चन्द्र शर्मा : 4147 मिलियन सी.एफ.टी. पानी आरक्षित करने के बाद जोधपुर नहीं ले जा सके और वह पानी बांध में पड़ा रहा, यह क्यों ? सभापति महोदय, मुझे इजाजत दें, तो मैं बता सकता हूं। साल वाइज 1960 से अभी तक प्रति वर्ष कितना-कितना पानी बांध में पड़ा रहा।

श्री सभापति : केवल प्रश्न।

श्री रामसिंह विश्नोई : मांग पर बोल सकते हैं।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : नहीं, नहीं। हम तो अभी स्वीकार करा कर रहेंगे, इसको।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज, बातें न करें।

श्री बनवारी लाल : माननीय सदस्य ने दो तीन प्रश्न किये। एक प्रश्न यह किया कि आज कितना खर्चा होगा।...नाचना तक राजस्थान केनाल आयी नहीं है, आज तक का एस्टीमेट बनाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और उसकी आवश्यकता भी क्या है। दूसरा, आपने यह कहा कि जवाई बांध स्टेट के टाइम में पानी पीने की सुविधा के लिये बनाया गया था। दूसरा, इसके अलावा आपको तकलीफ है सिंचाई की दृष्टि से आज के युग में इन्सान को जिन्दा रखने के लिये पानी पिलाना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि सिंचाई करें।

(व्यवधान)

अगर इन्सान जिन्दा रहेगा तो काम कर सकेगा, खेती भी कर सकेगा।

श्री भैरूसिंह गुर्जर : पानी के बिना खायेगा क्या ? खाने को चाहिये पानी के साथ-साथ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : व्यवस्था का प्रश्न है, एक मिनट आप बैठिये। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर माननीय चीफ व्हिप के प्रभाव में आ रहा है इससे मुक्त कराया

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

जाय ताकि स्वतंत्र रूप से जवाब ग्रा सके। स्वतंत्र रूप से जवाब ग्राना चाहिये।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करे।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह धाकड़ मंत्री हैं, यह उनके प्रभाव में ग्रा ही नहीं सकते हैं।

श्री बनवारीलाल : सभापति महोदय, इसके ग्रलावा माननीय सदस्य को डर है कि पाइप लाइन डालने के बाद बीच के गांवों को पानी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी स्थिति नहीं है। पाइप लाइन दूसरी साइड से जायगी ग्रौर जो ग्रोपन केनाल है बराबर बनी रहेगी। गर्मियों में मवेशी को बचाने की दृष्टि से मवेशी को दिक्कत ग्राती है उसके लिये केनाल से समय समय पर इन्हीं पाइप लाइन में पानी छोड़ेंगे ग्रौर वह तालाब जिनका पानी सूख जाता है, मवेशियों के लिये, उन तालाबों को भरने का हम प्रावधान रखेंगे जिससे वहां के लोगों को मवेशी के लिये दिक्कत नहीं ग्रावे।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : फिर वही प्रभाव।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर :सबसे पहला सवाल यह है कि यह चालीस करोड़ रुपया क्यों बिगाड़ा जा रहा है जब पानी उधर से जायगा तो यह चालीस करोड़ रुपये क्यों कुएं में डाले जा रहे हैं?

श्री सभापति : स्पष्टीकरण के लिये केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : यह जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, जैसे डिपार्टमेंट ने बनाकर दिया वैसा का वैसा यहां बोल दिया।

(व्यवधान)

इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है।

श्री बनवारी लाल : ग्राप मेरे से डिस्कस करलें डिपार्टमेंट का जवाब तो होगा ही।

श्री माधवसिंह दीवान : ग्रापको इस सवाल पर पॉलिटिकल ही विचार करना पड़ेगा। यह इश्यू बड़ा पॉलिटिकल हो गया है, ग्रगर ग्राप ऐसा का ऐसा लागू करना चाहेंगे तो पाली की जनता लागू करने नहीं देगी।

श्री बनवारी लाल : जहां ग्रावश्यकता होगी राजनैतिक ग्राधार नहीं लिया जायगा। इन्सान की पूर्ति के लिये पानी पिलाने की दृष्टि से राजनैतिक दृष्टि से नहीं सोचा जायगा।

श्री माधवसिंह दीवान : पाली के ग्रादमी प्यासे मरें ग्रौर दूसरों को पानी पिलायें, यह न्याय वहां पर कतई नहीं चलेगा।

श्री बनवारी लाल : बीच में पाली नगर के ग्रामों को पानी दे रहे हैं।

श्री सभापति : ग्रापका उत्तर ग्रा गया है, ग्रब स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, हम पानी नहीं जाने देंगे। ग्राप मेरी बात

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

सुनिये। अगर ऐसा हुआ तो विद्रोह होगा, लोगों में असन्तोष फैलेगा। मंत्री महोदय पाली चलकर दौरा करें, लोगों में कितना असन्तोष है। हम पानी नहीं जाने देंगे, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। जिन सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया था उन्होंने स्पष्टीकरण चाह लिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : जोधपुर से आये हैं माननीय सदस्य, आप इनको बोलने दीजिये। उनकी भावना की कद्र कीजिये, उनके मन में रह जायगी बात।

श्री सभापति : अब वक्तव्य तो हो नहीं सकता है। स्पष्टीकरण आपने कर लिया। सदन का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं?

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर नगर स्थित चम्पा बाग की जमीन को विश्वविद्यालय के भावी विकास हेतु न देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा बेचान किये जाने से छात्रों में व्याप्त असंतोष

शिक्षा मंत्री, श्री चन्दनमल बैद, उदयपुर नगर स्थित चम्पा बाग की जमीन को विश्वविद्यालय के भावी विकास हेतु न देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा बेचान किये जाने से छात्रों में व्याप्त असंतोष के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री) : उदयपुर नगर में स्थित चम्पा बाग नाम की भूमि आराजी नं. 1025 रकबा 31 बीघा एवं 1026 रकबा 37 बीघा 10 बिस्वा श्री पैलेस हाउस होल्ड उदयपुर के नाम से भू-अभिलेख में दर्ज है। उपरोक्त इन्द्राज सम्वत् 2009 के सैटलमेंट के बाद किये गये हैं। जिलाधीश उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 1025 के कुछ हिस्से पर महल बने हुए हैं व शेष भूमि में सं. 2036 तक बराबर काश्त हो रही थी। चम्पा बाग को भूतपूर्व महाराणा की निजी सम्पत्ति में व्यक्तिगत सम्पत्ति माना गया है।

2. चम्पा बाग की भूमि उदयपुर विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान एवं मानविकीय संस्थान के समीप स्थित है। मानविकीय संस्थान की विभिन्न संकायों के भविष्य में विस्तार किये जाने की आवश्यकता संभावित है और इसके लिये चम्पा बाग की भूमि के अलावा समीप में और कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इस भूमि को विश्वविद्यालय के लिये अवाप्त करवाने के लिये स्थानीय छात्रों ने आंदोलन किया और छात्र संघ के पदाधिकारी, जिलाधीश, उदयपुर एवं कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय से भी मिले।

3. उदयपुर विश्वविद्यालय से दिनांक 6.3.1981 को विभाग में उपरोक्त भूमि को विश्वविद्यालय के लिये राजस्थान अवाप्ति अधिनियम 1955 के तहत अवाप्त करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर जिलाधीश, उदयपुर की टिप्पणी मांगी गई है। टिप्पणी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री सभापति : जिन सदस्यों ने इस संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, वे निम्न हैं, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री सी. पी. जोशी और श्री मेघराज तावड़।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मंत्री महोदय के वक्तव्य से बहुत कुछ मामला अपने आप हल हो गया। फिर भी कुछ तथ्य हैं जो एक्वीजिशन में हमारी मदद करेंगे। जिस ढंग से, उसकी अवाप्ति का जितना धन बताया जा रहा है, कि यह इतनी मंहगी है, उसमें शायद····

श्री चन्दनमल बैंद : मंहगी सस्ती की बात मैंने कहीं नहीं कही। आपने यह कहा मंहगी है, मैंने तो नहीं कहा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : आपने नहीं कहा, मैं मानता हूं। लेकिन उस समय यह आपके सामने बिन्दु आयेंगे। मैं कुछ तथ्य दे रहा हूं, जिन तथ्यों के आधार पर, उसकी बिक्री हुई है, जिस ढंग से बिक्री हुई है, उसका 'जो अमाउन्ट दिया गया है, वह हमारी अवाप्ति में बहुत बड़ी मदद करेगा। श्रीमन्, वास्तव में यह जो जमीन है, यह गुलाब कंवर चेरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है। और उन्होंने अपनी विल की कि, मेवाड की विधवाओं के लिये इससे धन एकत्रित करके उनकी भलाई के लिये काम में लिया जाय। इस आधार पर एक इर्रेवोकेबिल जनरल पावर आफ अटार्नी दिया गया। आज दिन तक इर्रेवोकेबिल पावर ऑफ अटार्नी का शब्द नहीं है लेकिन साधारणतः इसको काम में लेने लग गये हैं। इस तरह पावर आफ अटार्नी लिया गया। उसमें कुछ ऐसे तथ्य जो आपकी मदद करेंगे, इसमें लिखा है:– "know all men by these Presents that I, Maharana Bhagwat Singh Mewar, son of His Late Highness Shree ji Maharana Bhupal Singh Mewar, Udaipur, Chairman Rajmata Gulab Kanwarji Charitable Trust by virtue of the authority given to me by the resolution dated 6th Oct, 78 of the Board of Trustee and in the terms of the agreement for sale executed between the Trustees and the Vendeers, M/s G.T. Enterprises, Udaipur. यहां जो 6 अक्टूबर का उन्होंने रेफरेंस दिया कि ट्रस्ट के जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने कोई प्रस्ताव पास करके ट्रस्टी अथवा चेयरमैन को अधिकार दिये कि निगोसियेशन करें, बातचीत करें, कोई सेल करें या कुछ करें। यह जो 6 अक्टूबर है, श्रीमन्, मैं उस समय यू. आई. टी. का मैंबर था। यह अप्रेल 79 में हमने मिनट्स बुक मंगाई थी देखने के लिये कि किस आधार पर पावर आफ अटार्नी दिये गये तो आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि उस दिन मिनट्स बुक पेश की गई वह एक दिन पहले लिखी गई और उसमें किसी भी ट्रस्टी के हस्ताक्षर नहीं थे। हमने इसको रखने के लिये कहा तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि हम हस्ताक्षर करा देंगे। हमने फाइल पर नोट लगाया कि 6 अक्टूबर के दिन जिस प्रकार ट्रस्टी ने निर्णय किया उसमें किसी भी ट्रस्टी के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिये पावर आफ अटार्नी या समझौता कराने का महाराणा के अधिकार का प्रश्न ही नहीं होता। क्योंकि उन्होंने 8 नवम्बर 1978 का पावर आफ अटार्नी लिख दी लेकिन हमने जो मिनट्स बुक देखी है, अप्रेल, 79 में देखी, तब तक हस्ताक्षर नहीं थे इसलिये पावर आफ अटार्नी का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। इसके अलावा अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है। उसमें लिखा है कि ट्रस्ट प्रापर्टी केवल ट्रस्टी के किसी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सदस्य को नहीं दी जा सकती। उसको इस प्रकार उपयोग करने का इसमें 48 और 47 में—"Trusts Act (1882) Ss-48-47-Sale of Trust Property-No trustee can delegate performance of acts relating to sale to co-trustees." तो फिर थर्ड पार्टी ने निगोसियेशन किया, जी. पी. एंटरप्राइजेज से, यह तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उनको यह करने का कोई अधिकार ही नहीं है और जब उनको अधिकार ही नहीं तो फिर गलत ढंग से पावर आफ अटार्नी दिया गया।

यह बहुत बड़ा सेठ है और पैसे के कारण बहुत बड़ा जोम है और पिछली हमारी सरकार के समय लगातार प्रयत्न करता रहा लेकिन हमने अप्रूव नहीं किया। हमने कहा कि यह तो पब्लिक यूज के लिये होगी किसी व्यक्ति के लिये प्रापर्टी को बेचना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से यह मामला वैसे का वैसा पड़ा रहा, लेकिन जब से हमारी सरकार गई उसके पश्चात् और आपके 8 महीने के शासन में, इस आठ महीने में ही इस व्यक्ति ने इसका सब डिवीजन नहीं कराया और 150 प्लाट बेच चुका है और लोगों को जबर्दस्ती उलझा रहा है। बार बार यू. आई. टी. ने कहा 23 बार, मेरे पास सूची है यू.आई.टी. ने 23 बार इसके विज्ञापन निकाले अखबारों में कि यह भूमि कोई व्यक्ति न खरीदे। 18-4-80 से लेकर 27-10-80 तक लगभग 19 अखबारों में उन्होंने इस बात को छपाया। मैं वर्डिंग्स पढ़ता हूं, "न्यास द्वारा समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को आगाह किया जाता है कि चंपा बाग नामक भूखण्ड निवास के लिये क्रय न करें" उसके पश्चात् भी यह व्यक्ति लगातार बेचता चला जा रहा है और बेचता इसलिये जा रहा है कि उसको इसका आश्वासन मिला है कि तुम इसको विक्रय कर दो हम तुम्हारा सब डिवीजन अप्रूव करवा देंगे। अन्यथा अगर इसको बेचना ही होता तो पिछले दो ढाई साल का समय निकला उसमें भी बेचता, लेकिन उस समय किसी का प्रोटेक्शन नहीं मिला लेकिन इस समय प्रोटेक्शन मिलने के कारण लोगों को फंसाया है। श्रीमन्, यही नहीं, इस आदमी ने कितना धोखा किया है कि 5 रुपये फीट के हिसाब से रजिस्ट्री करवाता जा रहा है जब कि कलेक्टर और वहां के सैक्रेटरी ने रजिस्ट्री बन्द करवाई फिर ऊपर के प्रेशर के आधार पर रजिस्ट्रियां प्रारंभ हो गई। 5 रुपये फीट में करा रहा है और लोगों को 16 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। इस तरह से यह तो उनके स्वयं के डाकूमेंट से स्पष्ट है कि इस जमीन में से एक टुकड़ा लायन्स क्लब को हाल के लिये दिया, उसमें उन्होंने लिखा है कि लायन्स अध्यक्ष के. पी. भटियाणी और टाया के सौजन्य से 10,500 वर्गफीट की अनुमानित लागत 1.60 लाख की है इसका मतलब 16 रुपये फीट के हिसाब से लोगों को बेच रहा है और 5 रुपये फीट के हिसाब से रजिस्ट्री करवा रहा है और कोई अधिकार न होते हुए भी, सारे अधिकारों को ताक में रख कर, नियमोपनियमों को ताक में रख रहा है। इसके कारण से छात्रों में असंतोष पैदा हुआ। वी. पी. साहब भी एक फंक्शन में वहां गये थे, कराया था, उसमें जब मालूम हुआ कि कालेज की बाउण्डरी के पास इतनी जमीन है जो विश्वविद्यालय को मिले तो विश्वविद्यालय की प्रगति हो सकती

(88)

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है तो उन्होंने सरकार को कागजात भेजे कि इसको एक्वीजिशन की कार्यवाही प्रारंभ की जाय। कलेक्टर साहब ने भी कागजात भेजे और छात्रों ने भी 11 फरवरी को उदयपुर विश्वविद्यालय बन्द रखा और लगभग दो ढाई हजार छात्रों ने जुलूस निकाल कर कलेक्टर से मांग की कि इस भूमि को एक्वायर करें और विश्वविद्यालय की भविष्य की उन्नति के लिये, विकास के लिए इसको दें। क्योंकि आज भी उदयपुर विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान का सबसे पुराना ला कालेज है आज भी उसका कोई भवन नहीं है, हमेशा कभी दो महीने इधर और 4 महीने उधर क्लासेज लगती हैं। ला कालेज का भवन नहीं है, वाणिज्य समुदाय का भवन नहीं है अलग से। इसी प्रकार कई फैकल्टीज अलग अलग यूनिवर्सिटी में होनी चाहिये उन सब के विकास के लिये यह अत्यंत आवश्यक है, इसलिये यह भ्रम पैदा करने का प्रयत्न है, क्योंकि वे बहुत बड़ी हस्तियां हैं और उन्हें करोड़ों रुपये कमाने का अवसर मिलेगा। उनकी इस नीयत के कारण लगातार इसको सेल करने जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं ने अपने बयान में एक जगह कहा है कि जो मट्टाणी मालिक बन कर इसको बेच रहा है उन्होंने अपने बयान में बताया कि 1975 में 15 लाख रुपये देकर मैंने महाराणा से इसका पावर आफ अटार्नी प्राप्त किया। यह 15 लाख रुपये का पावर आफ अटार्नी नहीं श्रीमन्, यह तो सेल हुई लेकिन किसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी बच जाय, सरकार के खजाने में पैसा न जाय और किस तरह से ब्लैक मनी बनाने के साधन निकलें। क्या पावर आफ अटार्नी 15 लाख में मिलती है? श्रीमन, यह पावर आफ अटार्नी नहीं, शब्दों से ही पता लगता है, जगह जगह सेल का प्रयोग किया है। यही नहीं, श्रीमन्, इसमें और भी कई गड़बड़ियां हैं। रजिस्ट्रेशन जो है, अगर ट्रस्ट है तो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन आफ पब्लिक ट्रस्ट....

श्री चंदनमल बैद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं वह बहुत कीमती है लेकिन इस प्रश्न से संबंधित नहीं है न शिक्षा विभाग से है। जो कुछ भी हाई कोर्ट के, यू. आ. ई. टी. के निर्णय हुए, दूसरी कानूनी किताबों के हवाले सारे दे रहे हैं, ये बहुत कीमती हैं, बेशकीमती हैं इससे मैं इन्कार नहीं करता लेकिन शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री सभापति : जो विभाग से संबंधित प्रश्न है....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : श्रीमन, मैं इसीलिये निवेदन कर रहा हूं आपके सद्प्रयत्न होते हुए भी आपको कह रहा हूं कि इसको अवाप्त करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि यह व्यक्ति अपने आपको पैसों के बलबूते पर घमण्डी अनुभव करता है। यह आपके सारे प्रयत्नों को जगह जगह कानून के रोड़े खड़े करके आपको वहीं का वहीं खड़ा कर देगा और बेच कर लोगों को फंसा देगा। लोगों का पैसा उलझा लेगा और भारी संख्या तैयार करके जनमत तैयार करेगा कि इसको किसी भी तरह से

(व्यवधान)

आप इस भय के कारण मैं यह सारे रेफरेन्स दे रहा हूं। ट्रस्ट अगर बना है, चाहे वह चेरीटेबल ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, वह नहीं हुआ 5

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हजार से अधिक की प्रापर्टी है तो असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान से उसकी परमिशन लेनी चाहिये जब कि यह उस प्रापर्टी को बेचे चला जा रहा है। इसलिये मैं आपसे, आपने जो वक्तव्य दिया; उससे तो पूरी तरह संतुष्ट हूं, मैं चाहूंगा कि आप उदयपुर विश्वविद्यालय के भविष्य के विकास के लिये कठोरता के साथ इसको अवाप्त करें। ये पैसे वाले बवण्डर खड़ा करें कि इसमें हमारा एक करोड़ रुपया लगा है, यह मार्केट वेल्यू है, यह सब बेकार है क्योंकि स्वयं ने 15 लाख में महाराणा से खरीदी और 15 लाख उसकी वेल्यू होगी यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मेघराज।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : सभापति महोदय, काफी पाइन्ट तो माननीय मंत्री जी ने क्लीयर कर दिये और जो दूसरे बचे हुए थे, वे साथी कटारिया जी ने पूरे कर दिये। मैं सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में

(व्यवधान)

काफी मेहनत की और सबसे पहले उदयपुर में चंपा बाग बेचा जा रहा था, उसके लिये कागजात चल रहे थे उसमें मैंने अपना स्टेटमेंट दिया था, एतराज किया था उसके बाद शिक्षण संस्थाओं, उदयपुर के स्थानीय, लोकल नागरिकों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। चंपा बाग इतना बड़ा बाग है, इतना बड़ा भूखण्ड है उसके 383 प्लाट काट कर, सभापति महोदय, वे अपना लाभ कमाना चाहते हैं। 15 लाख में खरीदा। और एक करोड़ की लागत से वह उसको सेल करना चाहते हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं मैं तो उस समय के माननीय लोकल सेल्फ, गवर्नमेंट के, मंत्री जी से कहना चाहता हूं, आरोप लगाना चाहता हूं कि उन्होंने इस जमीन के सब डिवीजन अप्रूवं करवाने के लिये यू आई. टी. को भेजा, साथ में नक्शा भेजा और उन्हीं के लोगों ने, हमारे जो संसद सदस्य हैं, भूतपूर्व माननीय माली जी, उन्होंने माननीय हनुमान प्रसाद जी को एक लैटर लिखा। और उन्होंने यह लिखा है कि यह जो जमीन बेची जा रही है चम्पाबाग की वह गैर कानूनी है। इसको सरकार को अवाप्त करना चाहिये। यह महाराजा की प्रापर्टी नहीं है। वह तो पहले ली जा चुकी है। यह ट्रस्ट के नाम से लोगों को धोखा देने के लिये है। सभापति महोदय, यह व्यक्ति सोने का स्मगलर रहा है और आज वह जमीन की तस्करी में संक्रिय है और इसी के साथ जुड़ा हुआ है गट्टानी जो पहले सीमेन्ट फैक्ट्री में था और आज वह रेयान्स में है। सभापति महोदय, इन दोनों व्यक्तियों ने इस जमीन को बेचने का सौदा कर लिया है। यह दोनों व्यक्ति भ्रष्ट हैं। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि इस जमीन को एक्वायर करना चाहिये था। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण था, क्यों नहीं इसको अवाप्त करने की कार्यवाही की गई? यू. आई.टी. को अवाप्त करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी। आज यू. आई. टी. के पास 60 लाख रुपया मौजूद है। फिर 35 लाख न देकर करोड़ों की जमीन को उनके हाथ में देने की क्यों कोशिश की? यह किस का श्रेय है? वहां पर जी. टी. नगर बसाने के नाम पर प्लाट काट रहे हैं। यह पैसे वालों के नाम पर

(श्री मेघराज तावड़)

नगर बसा रहे हैं। काला धन को लेकर आप नगर को बसाना चाहते हैं अपने नाम पर........

(2. 21 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं और यह आरोप लगाता हूं कि मंत्री महोदय ने इनका पक्ष लिया है चाहे किसी भी तरफ से। मंत्री महोदय पक्ष न लेते और सख्त कार्यवाही शुरू कर देते, परन्तु कोई सख्त कार्यवाही शुरू नहीं की गई, तो उसके पीछे मंशा क्या थी? यही नहीं, सभापति महोदया लोकसभा के चुनाव के टाइम में जनता पार्टी ने भी इस गट्टानी से 8 लाख रुपये का चन्दा लेने का तय किया था जिसमें पचास हजार तो उसी समय दिये थे और उसमें एक लाख रुपया बाकी रह गया। मैं यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी ने भी इसमें चन्दा न लिया हो। सभापति महोदया, यह बात अब सामने आई है। यह मसला यहां तक जनता के बीच में पहुंचा तब यह मालूम हुआ है। मैं मांग करता हूं कि यू. आई. टी. इस जमीन को अवाप्त करे और यदि यू. आई. टी. अवाप्त नहीं करती है तो वहां पर कच्ची बस्ती बसाने के लिये हम सक्षम हैं। हम इस जमीन को नहीं जाने देंगे और वहां पर कच्ची बस्ती बसायेंगे। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर आप विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अवाप्त नहीं करते हैं, विश्वविद्यालय को नहीं देते हैं, सरकार अवाप्त नहीं करती है, गरीबों को प्लाट नहीं देते हैं, तो मैं यह मांग करता हूं कि सरकार द्वारा इसको अवाप्त कर गरीबों को प्लाट अलाट किये जायं लेकिन किसी भी तरह से ऐसे तस्करों को नहीं पनपाया जाय। यही शब्द कहता हुआ मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उन पर कार्यवाही करें, चाहे वह महाराणा हो, चाहे वह गट्टानी हो ऐसे तस्करों को जेल के सींखचों में खड़ा किया जाय अगर सरकार में दम है, अगर सरकार तस्करों को रोकना चाहती है तो निश्चित तौर से इनको कटघरे में खड़ा करे।

सभापति महोदया, यही नहीं आगे उदयपुर के आस पास जो जमीन को ये लेने जा रहे हैं, हरिदास मगरी। मैं लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि आज जो सौदा किया जा रहा है हरिदास मगरी का उस पर आप रोक लगावें। और यह महाराणा का क्या करें। उदयपुर में जो पिछोला झील है, वहां का पानी जनता पीती है, उसमें गंदा पानी जाता है। मैं पूछना चाहता हूं जलदाय विभाग क्या कर रहा है? क्यों नहीं इस गंदे पानी को उठा कर अलग करता है? क्या आपने कोई स्वीकृति दी है? सभापति महोदया, मैं पूछना चाहता हूं कि वह जो गंदे पानी की नालियां हैं वह बाहर निकालना चाहिए........

श्रीमती सभापति : माननीय सदस्य गंदे पानी की बात कहा से आ गई?

श्री मेघराज तावड़ : माननीय सभापति महोदया, वहां की जनता पानी पीती है क्या यही स्वास्थ्य विभाग का प्रदूषण को साफ करने का ध्येय है ? सभापति महोदया, मैं केवल इसलिए बात कह रहा हूं कि सरकार इस ओर जो जमीन बेची जा रही है, उसको एक्वायर करें और वह जमीन विश्व-विद्यालय को दी जाय। फिर कहना चाहता हूं कि नहीं दी गई तो वहां पर कच्ची वस्ती का झण्डा लगेगा, कच्ची वस्ती बसेगी, चाहे गोलियां चलें, कुछ भी हो जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदया, मेरा नाम आया है इस मामले में। सभापति महोदया, यह चम्पा बाग का किस्सा बहुत पुराना है और मैं बहुत संक्षेप में केवल दो मिनट में निवेदन करना चाहूंगा। यहां यू. आई. टी. बनी हुई थी जिसके अध्यक्ष श्री मदनलाल धूपड़ थे जिसके सदस्य एक विधायक महोदय थे। सभापति महोदया, आप इसकी कार्यवाही मंगा कर देखें। सभापति महोदया मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस भूमि का डिवीजन, सब-डिवीजन करने की दृष्टि से किस सीमा तक कार्यवाही की गई, क्यों की गई, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। एक तारीख तय की गई, जिस बैठक के अन्दर सब-डिवीजन होने वाला था, वह हनुमान प्रसाद प्रभाकर था जिसने उस दिन राज्यपाल महोदय के सलाहकार को कह कर के तीन दिन पहले यू० आई० टी० को भंग करवाया था। इस लिये संभावना थी कि चम्पा बाग का सब डिवीजन किया जाने वाला था। सारी पत्रा-वली तैयार हो चुकी थी। सारी पत्रावली को सीज की जाय। यह जनता पार्टी की यू० आई० टी० बनी हुई थी। उसने क्या नोटिंग किया है और किस तरह से सब डिवीजन को अप्रूव करने की बात कही गयी है, उसको देखा जाय और उसके बाद किसी के सम्बन्ध की कोई बात कही जाय।

(व्यवधान)

इसलिये मैं यह मांग करना चाहता हूं कि जो जनता पार्टी के समय की यू० आई० टी० थी उसने उस सम्बन्ध में किस सीमा तक आगे बढ़ कर कार्यवाही की, क्या उसको आवासीय जमीन माना गया, क्या इस सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई और किस सीमा तक कार्यवाही की है उसकी कहानी मैंने आपको बता दी। जहां तक शिक्षा विभाग के लेने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती है। उदयपुर की आवासीय दृष्टि से, विश्व-विद्यालय की दृष्टि से इसको लेते हैं या शहर के लिये कोई योजना बनती है और कोई जमीन अवाप्त की जाती है तो मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। परन्तु यह कहना कि कांग्रेस ने कुछ किया या मन्त्री महोदय ने, मैं, सभापति महोदया, केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, केवल आपकी जानकारी के लिये कि जितने भी नोटिफि-केशन हुए हैं कि कोई नहीं खरीदे, यह किस के राज में हुआ है, यह मैं पूछना चाहता हूं ? फरवरी, 1980 के बाद यह हुए हैं। तीसरी बार नोटिफिकेशन हुआ है कि इसको नहीं खरीदा जाय। यह नोटिफिकेशन इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार इस

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

तरह की भूमि को किस प्रकार का मानती थी। मंत्री चाहता तो नोटिफिकेशन को रोक सकते थे, रोकने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने कुछ बातें कही हैं। मैं इसके लिये तैयार हूं। आप हाउस के कोई दो, तीन माननीय सदस्यों को अपाइन्ट कर दें और यू० आई० टी० की सारी प्रोसिडिंग्स जो शुरू से लेकर अन्त तक हुई है उसको देख लिया जाय और अगर उसमें कुछ चीज नहीं मिले तो आपको त्याग पत्र देकर जाना पड़ेगा सब डिवीजन की कार्यवाही के लिये वरना मैं जाने को तैयार हूं....

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं चैलेन्ज को मन्जूर करता हूं, सभापति महोदया, आपने इस पर विचार किया है और विचार की प्रक्रिया को प्रारंभ रखी थी और आपने उसे रोका नहीं था, यह मैं प्रूव कर दूंगा....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : में आपको कह रहा हूं कि तीन आदमियों की कमेटी बना दी जाये। सारी प्रोसिडिंग्स को देख लीजिये और देखने के बाद....(व्यवधान)....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभकर : मैंने यह कहा है ....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कोई भी बड़ा आदमी सब डिवीजन नहीं करा सकता है। मैं तकनीकी कमेटी का चेयरमैन था। उसका एक एक डाकूमेन्ट बोल रहा है। वह एग्रीकलचर लैण्ड थी। इस बात को प्रूव करने के लिए डाकूमेन्ट मंगवाये गये थे। वह एग्रीकलचर लैण्ड है या नहीं। इस बात का एक-एक शब्द है। यह पावर आफ अटार्नी मंगवायी गयी है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं, हमारे राज में एक भी प्लाट नहीं काटा गया है किसी को भी नहीं दिया गया और किसी भी व्यक्ति ने हमारे राज में एक भी प्लाट नहीं खरीदा। यह आपके राज में प्लाट काटे गये हैं, प्लाट बिके हैं। आप इन प्रोसिडिंग्स को मंगा कर देख ले मंत्री महोदय ने मौखिक आश्वासन दिया है कि तुम कर लो हम देख लेंगे····

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : इस तरह के निराधार आरोप लगाने से पहले कांच में अपना मुंह देख लें गुलाबचन्द कटारिया जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यदि हम पर आरोप सही निकले तो हम इसी समय सदन छोड़कर जाने को तैयार हैं और यदि सही नहीं हो तो आपको सदन छोड़ना पड़ेगा····

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। नगर विकास न्यास की सारी कार्यवाही मंगायी जाय। इसमें किस सीमा तक कार्यवाही की गयी थी, उस कार्यवाही का क्या फल होने वाला था, वह निश्चित रूप से दिख जायगा····

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : सभानेत्री महोदय, यह जो कार्यवाही हुई है ये दोनों कांग्रेस और जनता पार्टी के राज में हुई है इसलिये मैं आपसे मांग करता हूं कि आप कमेटी बैठाकर जांच करा लें जिसकी गलती निकले उसको सजा दी जाय····

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के तीन सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की जाय इसकी जांच के लिये····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : इसकी जांच करायी जाय। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से मांग करता हूं कि कमेटी बनायी जाय और इसकी जांच की जाय····

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : सभापति महोदया····

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यू. आई. टी. में जो बाद में काण्ड हुआ इन सारी बातों की जांच के लिये एक कमेटी सदन के तीन सदस्यों की बनायी जाय और उसका नाम····

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मंत्री महोदय ने जो प्रतिक्रिया की है आरोप प्रत्यारोपों के संबंध में तो क्या वे अपने विभाग द्वारा इसकी जांच करवाना चाहते हैं? सरकार की क्या जिम्मेदारी है इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिये और इसकी जांच करवानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : डिबेट तो मेरी है, माननीय सभानेत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

उदयपुर नगर स्थित चम्पा बाग की जमीन को विश्वविद्यालय के भावी विकास हेतु न देकर किसी एक व्यक्ति द्वारा बेचान किये जाने से छात्रों में व्याप्त असंतोष

श्री मेघराज तावड़ : स्वायत्त शासन मंत्री होते आज का जवाब उनको देना होता उनके जरिये से जवाब मिलता तो ठीक होता। यह मामला दोनों तरफ से टाला जा रहा है और अब यह स्वायत्त शासन मंत्री के ऊपर आ रहा है। स्वायत्त शासन मंत्री नहीं हैं....

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : सभानेत्री महोदय, यह बयान शिक्षा मंत्री से मांगा गया है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग से संबंधित जितनी बातें थीं वह बता दी और उसके बारे में किसी माननीय सदस्य को कोई एतराज भी नहीं है, आपत्ति भी नहीं है। अब, सभापति महोदया, मुझे दुख है कि संतान

(श्री चन्दनमल बैद)

तो मेरी है और दूसरे उसको हड़प रहे हैं। अगर माननीय सदस्य यह कहें कि उनकी शिकायत राजस्व विभाग से और यू. आई. टी. विभाग से,....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : स्वायत शासन विभाग से इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी चाहिये तो काल अटेंशन या दूसरे स्टेटमेंट इन विभागों के मंत्रियों से लेना चाहिये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहां तक शिक्षा विभाग का संबंध है, मैंने शिक्षा विभाग की जो स्थिति थी वह स्पष्ट रख दी। यह जो सारी सूचनायें राजस्व विभाग और यू. आई. टी. विभाग और लोकल सेल्फ विभाग से सम्बन्धित मेरे सामने आयी हैं वे मेरे लिये अच्छी सूचना हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे राजस्व मंत्री जी और यू० आई० टी० मंत्री जी इन सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि स्पष्ट स्टेटमेंट आ गया है और आगे कोई उस स्टेटमेंट पर प्रश्न पूछ नहीं रहा है ऐसी हालत में जो चर्चा है वह समाप्त की जाय।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त की गई

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कमेटी नहीं बनायेंगे तब तक पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या असलियत है....

(व्यवधान)

मैं चाहता हू कि इसकी कमेटी ....

श्री मेघराज तावड़ : इसकी जांच की जाय, इसके बारे में मंत्री महोदय आश्वासन देना चाहते हैं वह दिलायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मंत्री महोदय ने चैलेंज दिया है, माननीय सदस्य ने चैलेंज स्वीकार किया है, यह अहम प्रश्न मैं समझता हूं कि यह बड़ा गम्भीर मसला है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप वरिष्ठतम सदस्य हैं इस सदन के, इस नाते से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अहम प्रश्न है, सारी चर्चा आपने सुनी है, मंत्री महोदय पर चार्ज लगाये गये हैं, माननीय सदस्य ने चार्ज लगाये हैं तो इस जॉच से दूध का दूध और पानीका पानी हो जायगा। तीन सदस्यों की कमेटी बनायी जाये और पहले भी इस प्रकार की ....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह बोल रहे हैं, व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इनको तो आप रोक नहीं रही हैं हम दो मिनट के लिये बोलते हैं तो आप कहती है कि व्यवधान कर रहे हैं। यह च्यवनप्राश का मामला नहीं है ....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह, माननीय सभापति महोदया स्कूल नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। शान्त रहें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : नहीं बोलने दिया जायगा। हम व्यवधान करेंगे

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चंद कटारिया : मैं कह रहा था कि जांच करायें मैं इसकी मॉगकर रहा हूं।........

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं चम्पा बाग काण्ड की जांच कराने की चुनौती मंजूर कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय सभापति महोदया, श्रीमान हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जांच कमेटी बिठायी जाय....

एक माननीय सदस्य : सभानेत्री महोदय, जांच कमेटी बैठाना, जांच कराना यह जनता पार्टी की प्रक्रिया है, आयोग बैठाना इनका काम है। इससे पैसा फालतू खर्च होता है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : श्रीमान माननीय सदस्य, यह खोपड़ी का मामला है दिमाग का है और आपका इससे संबंध नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : दिमाग का मामला आ गया है दवा की जरूरत है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इस पर बहस हो गयी है समाप्त हो गयी है।

(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : एक निवेदन करना है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रस्ताव है कि....

व्यवस्था का प्रश्न

स्पष्टीकरण में उल्लिखित पत्रावलियों की सदन पटल पर प्रस्तुति

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मेरा प्रश्न यह है, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आपके सामने वाद विवाद आया है, सारे विवाद में इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है और उस पक्ष से प्रभारी मंत्री तो नहीं हैं लेकिन केबिनेट मंत्री ने अपनी बात कही है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

दोनों ने एक दूसरे पर चार्ज लगाये हैं। इसमें चम्पा बाग की पत्रावली का उल्लेख आया है और चुनौतियां दी गयी हैं। मैं ऐसा समझता हूं, माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ऐसे आरोप लगे हैं कि पैसा खाया गया है, इस तरह के चार्ज लगे हैं, तो मेरा निवेदन यह है, माननीय सभापति महोदया, आसन से निवेदन करता हूं कि पूर्व में विधान में ऐसा होता रहा है कि ऐसी विवादास्पद पत्रावली सदन के अध्यक्ष द्वारा मंगायी जाती रही है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप चम्पा बाग की पत्रावली अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था के निर्देश दें जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा क्योंकि विधान सभा के रिकार्ड में भी देखने का मौका मिल जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि पत्रावली मंगाने के निर्देश दें आप व्यवस्था दें।

श्री त्रिलोकसिंह : मेरा भी इस तरह का आग्रह है।

श्री सभापति : इसके ऊपर तो अध्यक्ष महोदय ही निर्णय कर सकते हैं, मै तो यह निवेदन करूंगी कि अब अनुदान की मांगों के ऊपर प्रस्ताव रखा जाय।

श्री मेघराज तावड़ : पाइन्ट आफ आर्डर....

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप व्यवस्था नहीं करती हैं। अध्यक्ष महोदय नहीं हैं तो हमको आसन से आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या यह समझ लें कि जो बातें हुयी हैं उन पर कोई व्यवस्था नहीं मिली और यह मामला रफा-दफा हो गया।?

श्री सभापति : माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय ही ऐसा कर सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : व्यवस्था देने का अधिकार आप अध्यक्ष के लिये सुरक्षित रख रही हैं क्या, यह माना जाय ?

श्री सभापति : यह भी अध्यक्ष महोदय से पूछकर ही कर सकती हूं।....

श्री मेघराज तावड़ : पहले इस पर व्यवस्था नहीं हो जायगी तो आगे की कार्यवाही नहीं चलेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मुझे क्षमा करें। यह मैं नहीं दे सकूंगी। आज की मांगों पर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, इसकी व्यवस्था तो आप दे देंगी इसमें अध्यक्ष महोदय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। नियमों में ऐसी व्यवस्था है, किसी भी डाक्यूमेन्ट को सदन में रेफर किया जाता है तो सदन का अधिकार हो जाता है कि उन डाक्यूमेन्टस को सदन की मेज पर रखवाया जाय ताकि माननीय सदस्य उसको देख सकें। मैं समझता हूं, आप नियमों से परिचित हैं, ऐसी व्यवस्था पूर्व में भी बहुत बार हो चुकी है उनसे भी आप परिचित हैं। कम से कम यह व्यवस्था तो आप निश्चित रूप से करेंगी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही कि जिन डाक्यूमेन्ट्स को यहा पर रेफर किया गया उनको सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री सभापति : आपने भी वही बात कही जो वह कह रहे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें अन्तर है, उन्होंने कहा कि पत्रावली मंगाकर अध्यक्ष महोदय देखें, मैं यह कह रहा हूं कि जिन सरकारी डाकूमेन्ट का रेफरेन्स यहां दिया गया है उनको देखने का अधिकार किसी भी माननीय सदस्य का हो जाता है। इसलिए उन डाक्यूमेन्ट्स को सदन की मेज पर रखवाया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह वात कही कि फाइल को मंगाकर अध्यक्ष महोदय देख लें, इस प्रकार की परम्परा तो हाउस में पहले रही है लेकिन ऐसी परम्परा नहीं रही है कि फाइल को लाकर सदन की टेबल पर रख दिया जाय और हर एक माननीय सदस्य उसको देख सकें, ऐसी परम्परा इस हाउस में कभी नहीं रही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि मुख्य सचेतकजी मेरी बात को समझ ही नहीं पाये। मैंने फाइल शब्द का प्रयोग ही नहीं किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डाकूमेन्टट्स तो फाइल में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: डाक्यूमेन्ट्स नहीं, जिन डाकूमेन्ट्स का रेफरेन्स दिया गया, उन डाकूमेन्ट्स को जिनको रेफर किया गया वह हाउस की प्रापर्टी हो जाती है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने किसी डाक्यूमेन्ट का रेफरेन्स नहीं दिया। आप मौजूद नहीं थे। मैंने किसी डाक्यूमेन्ट का रेफरेन्स नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपका स्टेटमेंट सुना था, उसमें कोई डाक्यूमेंट का रेफरेन्स नहीं है लेकिन बाद की चर्चा में डाक्यूमेन्ट्स का रेफरेन्स आया है, जिससे आप कहें कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है ....

श्री चन्दनमल बैद : वह सरकारी चर्चा नहीं है, मैंने जो स्टेटमेंट दिया है वह सरकार का वक्तव्य है, माननीय सदस्यों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसको सरकारी वक्तव्य नहीं कह सकते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मानते हैं कि प्रभाकर जी ने जो कुछ कहा है वह सरकारी वक्तव्य नहीं है। प्रभाकरजी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा उसको मैं नहीं कहता....

श्री चन्दनमल बैद : प्रभाकर जी ने पर्सनल रेफरेन्स में कहा है, सरकार की तरफ से नहीं कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रभाकर जी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन में सरकारी डाक्यूमेन्ट्स का रेफरेन्स दिया है।

श्री चन्दनमल बैद : पर्सनल एक्सप्लेनेशन में कुछ भी कह सकते हैं लेकिन वह पर्सनल

(श्री चन्दनमल बैद)

एक्सप्लेनेशन रहेगा, सरकारी वक्तव्य नहीं होगा। यहां पर कोई भी व्यक्ति पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे उसको गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं कह सकते। आप तो इतने पुराने सदस्य हैं। उसको सरकारी स्टेटमेंट नहीं कह सकते, सरकारी स्टेटमेंट तो वह है जो मैंने दिया। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान बहुत सी बातें कही हैं, सम्बन्धित मंत्रीजी ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन जो बात उन्होंने कही वह सरकार का स्टेटमेंट नहीं है, यह सब जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, माननीय चन्दनमल जी ने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। प्रभाकरजी ने कहा है वह गवर्नमेंट एन्डोर्स नहीं करती।

श्री चन्दनमल बैद : घुमाइये मत, गवर्नमेंट एन्डोर्स करती है या नहीं यह दूसरी बात है लेकिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह एक ही बात है, गवर्नमेंट एन्डोर्स नहीं करती, यह गवर्नमेंट का स्टेटमेंट नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : इसमें बहुत फर्क है, जितने भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, किसी बात को गवर्नमेंट एन्डोर्स करती है या एन्डोर्स नहीं करती है यह अलग बात है, लेकिन जितने भी माननीय सदस्य बोलें हैं वह सरकार की तरफ से नहीं बोले हैं, सरकार के बिहाफ पर केवल मैं बोला हूं इसमें फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, चाहे पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया, यह स्पष्ट है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन में जिन गवर्नमेंट्स के डाक्यूमेंट्स का रेफरेन्स दिया गया है वह सिर्फ इस आधार पर कि प्रभाकर जी मन्त्री रहे हैं अगर मंत्री नहीं होते तो डाक्यूमेंट्स उनकी पजेशन में नहीं आते, पर्सनल नॉलेज में नहीं आते।

श्री चन्दनमल बैद : यह यू.आई.टी. की बात है, गवर्नमेंट की भी नहीं है, यू.आई.टी. के रिकार्ड की बात कही है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मेघराज तावड़ : जिन बातों को हमने उठाया है उनका तसल्ली से जवाब मिलना चाहिये, जवाब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यह हमारे अधिकार की बात है, यह....

(व्यवधान)

मैं आपसे कह रहा हूं इस तरह से नहीं चल सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सवाल यह है कि यू. आई. टी. के डाक्यूमेंट्स को रेफर करने की बात माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने स्वीकार की है। यू. आई. टी. के डाक्यूमेंट्स को रेफर किया गया, यू. आई. टी. के डाक्यूमेंट्स भी गवर्नमेंट के डाक्यूमेंट्स हैं जिनकी चर्चा हो गई, जिनको रेफर कर दिया गया, इसलिए उनको देखने का हमारा अधिकार हो जाता है।

श्री सभापति : यह यू. आई. टी. के डाक्यूमेंटस हैं, उस समय का जिक्र है जब यू.आई.टी. मिनिस्टर नहीं थे, यह जानकारी उस वक्त की है, पहले का जिक्र है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदया, बहुत आदमियों की जमीनों के डाक्यूमेंट्स को उन्होंने रेफर किया है, लेकिन है तो गवर्नमेन्ट के डाक्यूमेंट्स। मिनिस्टर होने से पहले का जिक्र हो यह दूसरी बात है, पहले का हो तो क्या हुआ ?

श्री सभापति : ये जो जिक्र कर रहे हैं उन्होंने डाक्यूमेन्ट कब देखा जब मिनिस्टर नहीं थे, मिनिस्टर की हैसियत से नहीं देखा था, पुरानी बात है।

श्री यदुनाथसिंह : फिर फाइल कैसे देख ली ?

श्री मेघराज तावड़ : जब मंत्री महोदय इस विभाग के मंत्री थे, उस समय की बात चल रही है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मेरे पास फाइल नहीं आई।

श्री राजबहादुर : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं, श्री चन्दनमलजी की बात मैंने सुनी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, ठीक से समझा है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि वह कहां तक युक्तिसंगत है और नियमों में है। पहली चीज तो उन्होंने कही कि जो स्टेटमेन्ट प्रभाकर जी ने दिया है....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने स्टेटमेन्ट नहीं, पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया है।

श्री राजबहादुर : आप स्पष्टीकरण कह दें, भाषण कह दें, लेकिन मिनिस्टर की हैसियत से दिया....

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : नहीं, मैंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया।

श्री सभापति : आपने जो कहा वह पर्सनल जानकारी के आधार पर कहा।

(व्यवधान)

क्षमा करें, आसन पैरों पर है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं इस बात को हवा में नहीं रहने देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, इसका स्पष्ट निर्णय हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है. मैं आपको याद दिलाऊं, कुछ नियम ध्यान में रखे जायं। आप स्थान ग्रहण करें, आप एक मिनट रुकिये, पेपर्स को देखकर मैं कुछ कहना चाहती हूं, मेरा निवेदन माननीय सदस्यों से यह है कि....

(व्यवधान)

जो बातचीत हुई, कटारिया जी ने और आपने जो कुछ कहा प्रभाकर जी ने व्यक्तिगत तौर पर उसका जवाब दिया।

यह मिनिस्टर की हैसियत की बात न होकर सेल्फ एक्सप्लेनेशन की बात है। दूसरा, अगर आप पेपर्स रखने के लिए कहते हैं तो यह प्रोविजन 288 में है, किताब आप हाथ में रखते हैं।

"Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

(100)

(श्री सभापति)

यह स्पष्ट हो जाता है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी, आज अकाल जैसे विषय पर बहस हो रही है, आप अपने अपने जिलों की और क्षेत्रों की बात कहेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगी शीघ्र ही विचार शुरू कर दें ताकि अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आप अपनी बात कह सकें।

श्री राजबहादुर : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदया, आपने जो भी प्रोविजो पढ़ा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रोविजो कब अप्लाई होगा, जो बयान माननीय प्रभाकरजी ने दिया, जिस जिम्मेदारी और जिस ढंग के साथ मन्त्री होते हुए कहा कि गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है, और यह कहा कि बात साबित हो जायगी तो पत्रावली साफ है। उस पत्रावली में कुछ पैराग्राफ्स को रेफर करते हुए कहा कि उस समय के तत्कालीन यू. आई. टी. के अध्यक्ष, श्री मदनलाल दुग्गड़ और तत्कालीन यू. आई टी. के सदस्य श्री गुलाबचंद कटारिया की नोटिंग इस प्रकार की है, वह सब आपने सुना है लेकिन यह रेफरेंस देने के बाद पहला प्रोविजन यह है यदि कोई मंत्री, इसमें नहीं लिखा है, "किसी वक्तव्य में या पर्सनल एक्सप्लेनेशन में यदि कोई मंत्री सदन में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धत करे जो सदन के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को मेज पर रखेगा।"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अगला प्रोविजो बाद में आएगा। पहला कहता है कि उसको रखना है, उन्होंने पत्रावली का रेफरेंस दिया है। भूतपूर्व यू. आई. टी. मंत्री के रूप में जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप चम्पाबाग की जमीन के बारे में लगाए हैं, उनको पूरी जानकारी है, उन्होंने पूरी पत्रावली देखी है इस तरह का आरोप है कि टेलीफोन से आदेश दिया। यह बात भी सत्य है, जैसे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि उक्त लैंड का डिवीजन हुआ, कांग्रेस सरकार बन गई उसके बाद उक्त जमीन की सेल चालू हुयी है उसके बाद पट्टे बेचे गए, उससे पहले एक भी पट्टा नहीं बेचा गया। इसलिए रेलेवन्ट डाक्यूमेंटस हैं और इस सारी बात का निर्णय करने के लिए इन डाक्यूमेंटस को मंगवाकर सदन की मेज पर रखने चाहिए या व्यवस्था के प्रश्न के बारे में आपको आदेश देने चाहिए।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजबहादुर : मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं ? आपने जिस रूल का हवाला दिया है उसमें पहले प्रोविजन में शब्द आया है 'quote' "If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :"

It has been quoted in the House in its fullness and thoroughness.

(श्री राजबहादुर)

यह सवाल बिलकुल रेलेवंट है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन देते हुए मिनिस्टर थे या नहीं, वह अलग बात है But he has quoted a paper.

श्री माणकमल मेहता (पाली) : Not in the capacity of a minister. It has been clerified. चन्दनमल जी ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि मिनिस्टर की कैपेसिटी में नहीं है।

श्री राजबहादुर : He is a Minister.

चन्दनमल जी का कथन था उसके लिए मेरा कहना है कि अगर कोई मंत्री कोई पेपर कोट करता है तो उसका धर्म हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है कि उसको सदन में रखे और सदन में उक्त पेपर रखने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता, बल्कि जैसा आरोप और प्रत्यारोप है, सारे सदन का ही नहीं बल्कि जनता और सारे प्रदेश का, हमारे वर्तमान सिस्टम पर विश्वास की बात है, जहां इस प्रकार के गम्भीर आरोप लगाए जा रहे हैं उसके लिए परम्पराओं का क्या होगा ? लोगों का विश्वास होगा हमारी ईमानदारी पर ? इसलिए इस मामले की जांच की जो मांग है वह उचित है जब तक तह तक नहीं पहुंचेंगे। I am using the word quote उन्होंने सदन में कोट किया है। He has quoted the paper. इसलिये उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करें।

(2.52 म. प.)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पीठासीन)

श्री अध्यक्ष : कौन सा रूल ?

श्री माणकमल मेहता : रूल 288 में है In the capacity of a minister श्री प्रभाकर जी ने पोजिशन बिलकुल साफ कर दी है कि सदन के सामने मैंने स्टेटमेंट दिया not in the capacity of a minister. लेकिन उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर एक बात कही है। तो जानकारी के आधार पर जो बात कही जाती है उसके लिये सरकार बाउंड नहीं है। यह उस रेफरेंस में पढ़ा जायगा, मंत्री की कैपेसिटी में नहीं कहा तो उसके लिए बाउंड ही नहीं है, यह अप्लाई होता ही नहीं है।

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चम्पाबाग के बेचान का मामला चल रहा है तो मेरा निवेदन है शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष महोदया, मिनिस्टर साहब की पैरवी कर रहे हैं अगर मंत्री महोदय अनुपस्थित होते तो इस बात का सदन फैसला करता है। मंत्री महोदय विराजमान हैं, वह खुद स्पष्टीकरण करें कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सदस्य के नाते किया है या सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से बात कही है। दूसरा, मेरा निवेदन है कि इधर से आरोप लगाया कि पहाड़िया जी के चुनाव में दो लाख रुपए उन्होंने लिए हैं, उधर से कहा 4 लाख। मेरी आपत्ति है दोनों तरफ से बेबुनियादी बातें करके सदन का समय खराब करते हैं इसलिए दोनों तरफ इन्क्वायरी करके सदन के सामने स्पष्टीकरण होना चाहिए, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : अध्यक्ष महोदय, इस पूरी चर्चा में मैं भी सौभाग्यवश इसी सदन में उपस्थित था और मैंने पूरी चर्चा....

श्री अध्यक्ष : मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उपस्थित नहीं था।

श्री सूर्यकुमार : श्रीमन्, इस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय फर्मावें उससे पहले इस संबंध में मेरा एक रेलेवंट निवेदन है। माननीय श्री कटारिया ने जो आरोप लगाया, प्रोसिडिंग्स उसकी गवाह है, मुलायजा फर्मावें। वह आरोप मंत्री श्री हनुमान प्रभाकर पर नहीं लगाया, वह हनुमान प्रभाकर के नाम से आरोप लगाया गया, मंत्री शब्द का प्रयोग नहीं है।

दूसरी बात, श्री हनुमान प्रभाकर ने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है। श्री हनुमान प्रभाकर मंत्री बाद में हैं, पहले वह इस सदन के सदस्य हैं उसके बाद मंत्री हैं, इसलिए जो कुछ स्पष्टीकरण दिया है वह एक व्यक्ति श्री हनुमान प्रभाकर के खिलाफ जो आरोप माननीय श्री गुलाबचन्द ने लगाए हैं उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दे रहे हैं, मंत्री की हैसियत से उनका कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए मुलाइजा करें, आज यदि प्रभाकरजी मंत्री नहीं होते और श्री गुलाबचद आरोप लगाते तो एक विधायक होने के नाते, इस सदन के सदस्य होने के नाते, उनको अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार नियमों ने दिया है। इसलिए मंत्री होने की स्थिति को कन्फ्यूज नहीं किया जाना चाहिये। केवल चर्चा में आरोप प्रत्यारोप और स्पष्टीकरण तक ही इसको सीमित रखा जाना चाहिए।

श्री चाव खां (कामां) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को 25 मिनट हो चुके हैं, सारा समय खराब हो रहा है, दोनों तरफ से दावा है।

श्री अध्यक्ष : बात ठीक है।

श्री चाव खां : दोनों तरफ से दावे किये जा रहे हैं, आप सारी बात सुन रहे होंगे मुझे यकीन है, लेकिन मेरा सुझाव है कि सदन यहां पर बैठा हुआ है, वह मुगालते में है। अगर कोई गुनाहगार साबित होता है और सजा देना नहीं चाहते तो सदन माफ भी कर सकता है लेकिन इसकी फाइल वगैरह जो कुछ भी सरकार के पास में है लेकर इसका उत्तर दें, कौन सच्चा कौन झूठा है, मिल जायगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें मैं एक बात पूछना चाहता था। जिस समय माननीय प्रभाकर ने स्टेटमेंट दिया उनके पास कोई पेपर्स थे क्या ?

एक माननीय सदस्य : नहीं।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : हनुमान जी मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष : अब भी हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि पेपर्स, जिनके बारे में कहा जा रहा है, माननीय श्री प्रभाकर ने कहा और रेफर किए गए वह सदन में रखें जायं और रेफर किया गया है, रूल 288।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

वह रूल बिल्कुल स्पष्ट है कि जब कोई मंत्री अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं उस समय किसी पत्रावली को रेफर करें तो वह सही है। आज स्टेटमेंट था शिक्षा मंत्री का शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट के दौरान जब चर्चा चल रही थी तो माननीय प्रभाकर के विरुद्ध आरोप लगाए गए। उन आरोपों के संबंध में प्रभाकर ने अपना स्पष्टीकरण दिया उस स्पष्टीकरण में संभवतः इन्होंने अपनी जानकारी में कुछ पत्रों को रेफर किया, वह यहां नहीं हैं, न शिक्षा मंत्री के पास हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि सदन में रखे जायें। रूल 288 इस समय लागू नहीं होता है क्योंकि प्रभाकर जी जो स्टेटमेंट दे रहे थे मंत्री की हैसियत से नहीं, इस सदन के सदस्य के नाते दे रहे थे। जो उन्होंने आरोप लगाया था उसका जवाब दे रहे थे इसलिए जिन पत्रों की मांग की जा रही है कि सदन में रखे जायें, प्रस्तुत किये जायें, वह मांग सही नहीं है, अनुचित है उसको स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस सदन के इतिहास में या लोकतन्त्र के इतिहास में यह शायद पहला मौका होगा कि जब इस प्रकार का विवाद सदन में खड़ा हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के इतिहास में और संसदीय जीवन में इस प्रकार की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई होगी। अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल वाले माननीय सदस्य पता नहीं क्यों प्रभाकरजी की मंत्री पद से हैसियत कम करने के पीछे पड़े हुए हैं वह किसी भी समय उनको हटाना चाहते हैं। उन्होंने इस बात की शुरूआत इस थोड़े समय के लिये कर उन्हें मंत्री नहीं रहने दिया। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आप प्रभाकर जी की, वह मंत्री रहें, मदद करें। आप सदन में भी इसको स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं समझता हूं आप प्रभाकर जी की मदद करें, उनकी हैसियत मंत्री पद की मानेंगे और यह मानेंगे कि उन्होंने जब से मन्त्री परिषद की शपथ ली है तब से लेकर आज दिन तक वह मन्त्री हैं और तब तक रहेंगे जब तक की वह रेजिग्नेशन नहीं दे दें। इसलिए वह अपना मंत्री पद का दायित्व भी निभा रहे हैं और अपने आपको मन्त्री पद से मुक्त नहीं समझ सकते न हो सकते हैं। यह प्रश्न यहां पर संसदीय मन्त्री जी जब उत्तर दे रहे थे तब उठा। मैं नहीं समझता कि संसदीय मन्त्रीजी की क्या इच्छा इसके पीछे थी, यह तो वह ही जानें या फिर भगवान जानें। लेकिन इतनी बात जरूर वह अपने दिमाग में रखें कि जब एक व्यक्ति एक बार मिनिस्टर बन जाता है जब तक वह रेजिगनेशन नहीं दे देता मंत्री रहता है, एक तो यह प्रश्न है मेरा। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि क्या उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे, या उन्होंने पेपर पढ़ कर सुनाया क्या।

श्री अध्यक्ष : पेपर्स हाथ में थे क्या ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं समझता हूं कि इस नियम की इसमें रेलेवेन्सी नहीं है। क्योंकि मैं किसी पेपर को हाथ में नहीं रखूं और उसको याद करके आ जाऊं....

श्री अध्यक्ष : हां, किसी के हाथ में नहीं हो मानलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, अध्यक्ष महोदय, मानले कि किसी के हाथ में नहीं हो कोई भी व्यक्ति अगर इस रूल से बचने के लिये जुबानी याद करके आ जावे पेपर या फाइल लेकर नहीं आवे और यहां पर आकर उसको कोट कर दे। यहां पर जिस प्रकार से यह पढ़ कर सुनाया गया मैं समझता हूं कि इस रूल की रेलेवेन्सी नहीं हैं मंत्री महोदय ने उस पेपर को कोट किया अब उन्होंने किस सन्दर्भ में उसको कोट किया उसका विषय क्या था, अगर कोई मन्त्री उसको सदन में कोट कर दे तो वह माननीय सदस्यों के लिये राइट बन जाता है कि वह इस सन्दर्भ में कहें कि पूरे पेपर सदन की मेज पर रखे जावें। अगर कोई मिनिस्टर यह कह दे कि वह डाकूमेंट सदन की मेज पर रखना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है तो बात अलग है। यही एक प्रिविलेज मन्त्री के पास है जिससे वह यह कह सकता है कि यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैंने कहां पेपर पढ़ा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने पेपर पढ़ा या नहीं पढ़ा लेकिन मैं समझता हूं कि आपको अपनी याददाश्त पर इतना तो भरोसा होगा ही आप अपनी स्मरण शक्ति पर इतना अविश्वास नहीं करते कि आपको कोई चीज याद नहीं रहे। आपने पेपर नहीं पढ़ा लेकिन उसका जिस्ट हाउस में बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि पेपर हाउस में पढ़ा जाय। उन्होंने उसको कोट किया, यहां पर उसका रेफरेंस दिया गया है, यहां पर सिर्फ कोट करना ही पर्याप्त है। अब इसमें जो प्रोविजनो की शरण लेनी थी वह मन्त्री महोदय ने पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है, वह नहीं ली और न ही जिस प्रोविजनो के तहत छूट मिल सकती है उस प्रोविजनो का संसदीय मन्त्रीजी ने ही क्लेम किया है। अध्यक्ष महोदय, न प्रभाकर जी ने क्लेम किया न संसदीय मंत्री जी ने क्लेम किया और न ही अन्य सदस्यों ने ही क्लेम किया। इसका मतलब यह है कि वह पेपर पब्लिक इन्ट्रेस्ट के डाकूमेंट नहीं थे। जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट डाकूमेन्ट नहीं थे तो सदन की मेज पर रखे जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये इसको सदन की मेज पर रख दिया जाय ताकि जिस सन्दर्भ में प्रभाकरजी ने माननीय सदस्य के बारे में कहा, जबकि वह मन्त्री नहीं थे, इस तरह का निर्णय माननीय सदस्य के लिये हुआ यह कहा तो उनको भी अपनी सफाई देने के लिये मौका मिल जायगा। इसलिये मैं यह चाहता था कि इसको सदन की मेज पर रख दिया जावे।

अब अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि क्या मन्त्री महोदय मंत्री होते हुए व्यक्तिगत रूप से कोई कोट करके वक्तव्य दे सकते हैं? क्या उस हालत में उनकी हालत मन्त्री की रहती है या नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह जो प्रोविजो है, अध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि....

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास में है, आर्डर, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, विपक्ष के नेता महोदय ने एक पाइन्ट आफ आर्डर उठाया कि श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर जो

(श्री अध्यक्ष)

वर्तमान में मन्त्री हैं, सदन के समक्ष एक व्यक्तव्य दिया जिसमें कुछ सरकार के अथवा यू. आई. टी. के पत्रावलियों के बारे में कुछ बातें उद्धृत कीं। इसलिये आपकी मांग है कि वह पत्रावली सदन की मेज पर रखी जानी चाहिये। यदि अपन पढ़ें नियम 288 को, इसमें है :—

Papers quoted to be laid on the Table-If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table :

Provided that this rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to of such a nature that their production would be inconsistent with public interest :

इसमें एक प्रोविजो और है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वह मैंने पढ़ लिया है उसमें जिस्ट का मतलब है। मैंने उसको रेफर नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : इसमें हैं Provided further that where a Minister gives in his own words a summary or gist of such despatch or State paper it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table.

यानि अपने शब्दों में सारांश कहें, पत्रावली को अथवा पत्र उसको पढ़ना आवश्यक नहीं होगा। उस पत्र को सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि सीधा स्टेट पेपर्स होना चाहिए। यू. आई. टी. कोई सरकारी विभाग तो है नहीं। यह तो स्टेट्यूटरी बाडी है उस पर सरकार का नियन्त्रण अवश्य है लेकिन वह कोई स्टेट पेपर नहीं है। दूसरे यहां पर मन्त्री महोदय ने याददाश्त के कारण समरी रूप से पत्रावली का जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उस पर निर्णय लिया गया उनको रेफर किया तो यह जरूरी नहीं है कि इन परिस्थितियों में उस पेपर को या फाइल को अपने पास रखे हों। उन्होंने याददाश्त पर यह कह दिया तो इसमें इसको सदन की मेज पर रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने यह उठाया कि मंत्री होने के बाद जब तक वह रेजिगनेशन नहीं देते हैं वह मंत्री रहते हैं कि नहीं।

एक माननीय सदस्य : घर में भी।

श्री अध्यक्ष : इसके लिए जहां तक आफिशियल ड्यूटी का प्रश्न है उस वक्त वह मंत्री ओहदेदार माना जाता है जैसे कि एक थानेदार है वह अपनी ड्यूटी अन्जाम देता है तो थानेदार है लेकिन जब थानेदार इधर उधर जाता है और लोगों से लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौच करता है, राह चलते और वर्दी में नहीं है या वर्दी में भी है तो वह प्रोटेक्शन क्लेम नहीं नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जब आफिशियल ड्यूटी पर हों वह अपने ओहदे पर है जब वह अपने ओहदे से संबंधित उत्तरदायित्व निभाता है तो उस वक्त उसकी हैसियत मंत्री की होती है लेकिन कई अवसर ऐसे आते हैं जब कि मंत्री पद पर तो होता

(श्री अध्यक्ष)

है लेकिन वह व्यक्ति मंत्री नही माना जाता। जैसे सदन में बैठा हो, मंत्री है, लेकिन जिस विभाग की ओर से उत्तर दे रहा है उस विभाग का वह मंत्री नहीं है।

उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाये जा रहे हैं इसलिये उन्होंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया। इसलिए मंत्री चौबीसों घंटे ही मंत्री होता है यह बात सही है उसका आशय यह है कि वह जब कभी कोई आदेश दे उसके विभाग के संबंध में तो वह आदेश मान्य होगा लेकिन किसी व्यक्ति की निजी या व्यक्तिगत हैसियत है वह भी साथ में बनी रहती है। उसका मैंने पूर्व में भी उदाहरण दिया कि जब वह स्पष्टीकरण दे रहे थे उस वक्त मंत्री की ड्यूटी परफार्म नहीं कर रहे थे। एक विधायक के नाते या एक व्यक्ति के नाते, जिसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया था, उसका स्पष्टीकरण दे रहे थे। जिस फैसले का, जिस निर्णय का अथवा जिन पत्रावलियों की उन्होंने चर्चा की वह अपनी याददाश्त से की थी, मैं समझता हूं, ऐसी परिस्थितियों में न तो मंत्री की तारीफ में आते हैं। उन्होंने जो यहां स्पष्टीकरण दिया उस हैसियत में मंत्री की हैसियत में नहीं आते और जिन पत्रावलियों को रेफर किया, प्रथम तो वह स्टेट की पत्रावलियां नहीं थीं। अगर किसी तरह से स्टेट की पत्रावलियां भी मानें तो उनको उन्होंने रेफर नहीं किया था केवल उनकी समरी। सारांश के रूप में यहां रखी थी। इसलिए मैं पाइन्ट आफ आर्डर को निरस्त करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार की व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुसार श्री हनुमान प्रसाद जी प्रभाकर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जिस समय उन्होंने अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया उस समय वह मंत्री नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : उस काम के लिए नहीं थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जिस समय उन्होंने वक्तव्य दिया उस समय मंत्री थे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री थे।

श्री माणकमल मेहता : अध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्था देने के बाद भी यह प्रश्न उठा सकते हैं क्या ? यह अपने आपमें परिपूर्ण व्यवस्था है उसके बाद प्रश्न नहीं उठा सकते। जब चैलेन्ज कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं चैलेन्ज नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था को मैंने मान लिया। मैं इस स्थिति में हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है जिस समय श्री हनुमानप्रसाद जी प्रभाकर ने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण दिया उस समय वह मंत्री नहीं थे।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : उस विभाग के नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका और स्पष्टीकरण कर दूं। किसी व्यक्तिगत काम के लिए मंत्री जी जा रहे हैं तो सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, टेलीफोन का उपयोग नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जब ड्यूटी पर हैं

(श्री अध्यक्ष)

तो मंत्री हैं और जब प्राइवेट या निजी मामला है तो मंत्री की हैसियत से नहीं रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रसंग तो इसी समय का था। आपने जो भी व्यवस्था दी है उसका प्रसंग यह है कि मंत्री महोदय ने जिस समय अपना स्पष्टीकरण दिया उस समय वह मंत्री नहीं थे। प्रसंग यही है। आपने उदाहरण दे दिया कि घर पर काम कर रहे हैं या निजी काम कर रहे हैं उस समय मंत्री की हैसियत नहीं रहती। मानता हूं, यहां घर की बात नहीं है। यहां सदन में बैठे हैं, सदन में बैठकर उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया। आपकी सारी रूलिंग का तात्पर्य यह है कि जिस समय उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया वह मंत्री की हैसियत से नहीं दिया। मंत्री की हैसियत से नहीं दिया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह मंत्री नहीं हैं क्योंकि मैं आज भी यह मानकर चलता हूं कि एक बार मंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद वह मंत्री जिस समय तक रेजिगनेशन नहीं दे या इनसाल्वेन्ट प्रूव नहीं कर दिया जाय रेजिगनेशन देने के लिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं है या क्वालीफाइड नहीं है सदन की सदस्यता के लिए, उस समय तक लगातार वह केबिनेट में मिनिस्टर रहेंगे। केबिनेट के मिनिस्टर वह नहीं हैं आपके हिसाब से।....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : आपने स्पष्ट बता दिया कि वह संबंधित मंत्री नहीं थे इसलिए संबंधित जब नहीं हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने तो कहा है कि संबंधित हैं....

श्री हरिदेव जोशी (बांसवाड़ा) : मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि वह यहां इस चीज को इस रूप में देखें। माननीय सदस्य अभी विरोधी दल के नेता के रूप में सदन में विराजमान हैं, आपको पान खाने की तलफ हो रही है और पीछे से कहते हैं कि बाहर जा रहे हैं जरा एक पान भी लेते आना। कभी विरोधी दल का नेता पान नहीं मंगवा रहा है, वह भैरोंसिंह जी मंगवा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आप विरोधी दल के नेता हैं लेकिन जब आप घर पधारते हैं तो क्या आप वहां भी ऐसा ही करते हैं जैसा यहां करते हैं? वहां दूसरी तरह का बर्ताव करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग सब पीछे क्यों पड़ रहे हैं प्रभाकर जी के।

श्री हरिदेव जोशी : आपने अपने व्यक्तित्व का दूसरी तरह से उपयोग किया है। तो आदमी जिस तरह से अपने व्यक्तित्व का उपयोग करता है उस समय वह वह हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि वह किसी प्रकार से मंत्री नहीं रहें मैं समझता हूं कि इससे काम नहीं चलेगा। जोशीजी इससे काम नहीं चलेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अब मैं आगे कुछ नहीं कहूं इसलिए काफी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको गम्भीरता से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कोई व्यक्तिगत श्री प्रभाकर जी के खिलाफ बोल रहा हूं ऐसी स्थिति नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस रूलिंग का अर्थ किसी भी कोर्ट में चला गया या कहीं भी चला गया तो इसके बहुत बुरे कान्सीक्वेन्सेज होंगे। आज तक स्थिति यह है कि मंत्री आज मंत्री रहता है। मान लीजिये कि मन्त्री की हैसियत से आपने आर्डर दिया कि मंत्री अपने घर पर काम पर जाय तो मंत्री नहीं रहता। मंत्री के कुछ प्रिविलेजेज हैं। जो आदमी प्रिविलेजेज का उपयोग करता है वह मंत्री की हैसियत से करता है। आज श्री प्रभाकर जी को मोटर मिलती है तो मंत्री की हैसियत से प्रिविलेज है वह यों नहीं छोड़ देते। वह दूसरे विभाग से संबंधित चर्चा कर रहे हैं लेकिन प्रिविलेजेज के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक मंत्री प्रिविलेजेज का उपयोग कर रहा है उस समय तक मंत्री अलग नहीं है। मंत्री किस प्रकार से अलग होगा वह हमारे कान्स्टीट्यूशन में है कि वह रेजिगनेशन देने से ही अलग हो सकता है। आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 5 मिनट के लिए मिनिस्टर है और 5 मिनट के बाद मिनिस्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वह व्यवस्था नहीं दें। इस प्रश्न को आप पोस्टपोन करें और इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें कि किस समय मंत्री की हैसियत नहीं रहती। सदन में यह पहला मौका है जिस समय किसी मिनिस्टर ने कहा कि मैं मंत्री की हैसियत से नहीं कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि यहां जोशी जी सबसे पुराने सदस्य हैं....

श्री हरिदेव जोशी : आप भी पुराने हैं और मैं भी पुराना हूं।

श्री अध्यक्ष : सबसे पुराने आप दोनों ही हैं।

श्री हरिदेव जोशी : दूसरी बार फिर निवेदन करना चाहता हूं खड़े होकर मैंने थोड़ी देर पहले इसी प्रश्न के दूसरे साइड के बारे में शिक्षा मंत्री जी की बात कही थी। जब एक मिनिस्टर किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है अथवा कोई स्टेटमेंट दे रहा है और दूसरा मिनिस्टर उसे इन्टरवीन करके उसको करेक्ट करने के लिए या सप्लीमेन्ट करने की बात करता है तब वह मिनिस्टर यह नहीं कह सकता कि मैं स्टेट गवर्नमेंट की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं। उस समय वह जब मिनिस्टर उसको सप्लीमेन्ट करता है अथवा करेक्ट करता है या सपोर्ट करता है। परन्तु जब किसी एलीगेशन का कोई जवाब देता है, चाहे वह कोई भी हो मिनिस्टर हो, तब वह उस रूप में नहीं बल्कि जो एक्यूज्ड किया गया है वह एक्यूज्ड का जवाब दे रहा है इसलिए उसकी स्थिति बिलकुल भिन्न हो जाती है। मैं विरोधी दल के माननीय नेता की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मिनिस्टर होने से किसी का व्यक्तिगत व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। उसका व्यक्तिगत व्यक्तित्व हमेशा जिन्दा रहता है। लेखक लिखता है, कवि है कविता लिखता है, कवि जब कविता लिखता है तब उसका व्यक्तित्व मंत्री नहीं रहता, मंत्री नहीं लिखता वह लेखक और कवि लिखता है इसलिए हम यह कह दें कि उसने जो कविता

(श्री हरिदेव जोशी)

लिखी है वह कविता गवर्नमेन्ट की श्रोपीनियन है क्योंकि वह चौबीसों घण्टे मिनिस्टर है। यह बात सही नहीं है। इसलिए जहां व्यक्ति ने व्यक्तित्व स्पष्ट करने के लिए कोई व्यक्तिगत बात कही तो निश्चित रूप से उसका व्यक्तिगत आचरण है.मंत्री का आचरण नहीं है। मैंने अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा था अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास नहीं होगा कि जूनियर मिनिस्टर कोई बात कह रहा है और मुख्य मंत्री इन्टरवीन करता है तो वह मिनिस्टर का वक्तव्य नहीं है। बल्कि वह मिनिस्टर का जो वक्तव्य है उसको सप्लीमेंट करता है····

श्री अध्यक्ष : उलटा ज्यादा जिम्मेदारी है।

श्री हरिदेव जोशी : ज्यादा जिम्मेदारी से वह कहता है। दोनों चीजों में भेद करना होगा। आज जो प्रश्न उपस्थित है निश्चित रूप से कहीं कोई मतभेद नहीं होना चाहिये। यह केवल एक व्यक्ति का है। व्यक्तित्व एम. एल. ए. का है क्योंकि वह यहां इस सदन में बैठने का अधिकारी है। उन्होंने तत्काल इसको सुना इसलिये उन्होंने करेक्ट करने की बात कही। इस सदन के सदस्य नहीं होते तो फिर पेपर के जरिये से या दूसरे किसी जरिये से करेक्ट करने की कोशिश करते। इतना ही फर्क है। इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं कान्स्टीट्यूशन के जरिये क्लीयर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कान्स्टीट्यूशन में जो स्टेट के संबंध में प्रोविजन्स हैं वह निकाल नहीं पाया लेकिन लोक सभा और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के बारे में जो प्रोविजन्स हैं वही स्टेट की केबिनेट के लिये लागू होते हैं। इन प्रोविजन्स में लिखा है आर्टिकल 75 में है

(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.

स्टेट में है during the pleasure of the Governor.

तो जो कानूनी स्थिति है न कोई धंध काम है न और कोई काम है। जब तक गवर्नर के पास उनका रेजिगनेशन नहीं जाता उस वक्त तक मिनिस्टर रहता है। उसको आप टेक्निकली बदलना चाहें कि मिनिस्टर किस हैसियत के अन्दर सरकारी काम करता है किस हैसियत में नहीं करता है इसके फार रीचिंग कान्सीक्वेन्सेज हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप पर्सनल मंत्री मण्डल के साथ इस बात को न लें। कोई मिनिस्टर पैसे खाता है, पैसे खाता है उस समय कहता है कि मंत्री की हैसियत से नहीं खाये। क्या जवाब होगा? कोई मिनिस्टर अगर कोई आफेन्स करता है और कहता है कि मंत्री

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

की हैसियत से आफेंस नहीं किया है व्यक्ति की हैसियत से आफेन्स किया है, क्या नतीजा होगा? इसलिये इसको आप किसी प्रकार से डिसटिंश नहीं कर सकते। क्यों आप रेखा खींचना चाहते हैं कि किसी मंत्री की हैसियत से है या किसी व्यक्तिगत हैसियत से है, इसकी रेखा नहीं खींची जा सकती। इसलिये मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस रूलिंगके प्रश्न पर विचार करें, गम्भीरता से विचार करें और कोई डाकूमेंट या बुक देखना चाहें उसके बाद ही यदि व्यवस्था दें तो ठीक है, नहीं तो इसके परिणाम बुरे होंगे, इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस लिहाज से निवेदन कर रहा हूं कोई मिनिस्टर, कोई एम. एल. ए. से मिनिस्टर होता है कहीं भी क्रिमनल आफेन्स से इम्यून नहीं है क्योंकि अगर वह कुछ भी काम करता है वह लायेबल है पनिशमेंट के लिये मगर एक आदमी यह कहे कि वह मिनिस्टर है इसलिये जो कुछ भी काम कर रहा है वह मिनिस्टर काम कर रहा है। आप यहां से घर जाते समय सब्जी खरीद रहे हैं तो क्या मिनिस्टर ने सब्जी खरीदी है अथवा अमुक की बीवी के हस्बेण्ड ने खरीदी है। मैं इसलिये कह रहा हूं भैरोंसिह जी, कि आप इस चीज में जो थिन दोनों के बीच भेद है, उसको समझने के लिये आप आग्रह कर रहे हैं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मिनिस्टर के तौर पर दिया है। मिनिस्टर को देना क्या था, उनका तो नाम ही नहीं लिया गया। मगर उन्होंने यह समझकर कि जो उनकी बावत कहा गया है इसको वे साफ करें केवल उस व्यक्ति ने बोला है। इस सदन में एम. एल. ए. के रूप में बैठने का अधिकार था। यदि यह किसी आफिसर के लिये कहा गया होता वे कहीं आफिशियल गैलरी में बैठे भी होते तब भी उसको बोलने का अधिकार नहीं था, वे बोल नहीं सकते थे। तो जो थिन मार्जिन है दोनों के बीच में उसको समझने में आपने जो रूलिंग दी है बिलकुल करेक्ट है और कहीं भी रिवीजन की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थिति स्पष्ट हो गई है, मैं और स्थिति साफ कर दूं। कोई मंत्री महोदय, किसी व्यक्ति से दस लाख रुपये उधार ले जाय तो क्या वह सरकार के ऊपर डिग्री होगी क्या? व्यक्तिगत हैसियत अगर उसकी नहीं रहती है। दूसरा यह है कि वह किसी के लिये अपमानजनक शब्द काम में ले ले उसकी मानहानि का कोर्ट में दावा करे दस लाख की डिग्री हो गई तो क्या स्टेट गवर्नमेंट भरेगी? पर्सनल कैपेसिटी....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप एक बात बता दीजिये, मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट है या नहीं, पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, सारी चीज स्पष्ट हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : जब तक मिनिस्टर है पब्लिक सर्वेंट भी है और यह स्टेट गवर्नमेंट भी है लेकिन फंक्शन का डिवीजन है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर पब्लिक सर्वेन्ट है....

श्री अध्यक्ष : Doing his official duty आपने जो फर्माया, फैसले नहीं होंगे। हजारों फैसले हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी कौंसिल के लिए एक आदमी की व्यक्तिगत हैसियत कब होती है उसकी सार्वजनिक और आफिशियल हैसियत कब होती है। इसके बारे में हजारों फैसले हैं ...

(व्यवधान)

सदन के लिये मान्य हों तो सुन लीजिये। जब मंत्री आफिशियल कैपेसिटी में जवाब दे तो अपना दाहिना हाथ ऊंचा कर दे और प्राइवेट हैसियत से जवाब दें तो लैफ्ट हैण्ड ऊंचा कर दे कि प्राइवेट कैपेसिटी में बोल रहे हैं इससे ज्यादा व्यवस्था नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, एक बात साफ करना चाहता हूं। सवाल इस बात पर उठा था कि प्रकरण यू. आई. टी. के सम्बन्ध में था वह जमीन शिक्षा विभाग को दी जाय इसलिये शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था....

श्री अध्यक्ष : आप वापस वहीं जा रहे हैं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, घसीट कर नहीं ला रहा हूं। सवाल उठता है जो आरोप लगाये हैं, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जनता पार्टी का राज था चाहे कांग्रेस पार्टी का राज था, दोनों के टाइम में गलतियां हुई हैं। यह जो घोटाले हुए हैं दोनों के टाइम में हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय माननीय मंत्री जी, प्रभाकर जी उस विभाग से संबंधित मंत्री थे इसलिये उन्होंने भी फाइल पर प्रकरण पर कहीं न कहीं अपनी राय दी है, इसलिये हमने यह व्यवस्था मांगी थी कि फाइल इस सदन में लाई जाय और आपके द्वारा देखा जाय तो दोनों के दावे गलत होंगे। आपके द्वारा न्याय मिल जायगा, हम चाहते थे आप इस पर व्यवस्था फर्मायें।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार जी।

श्री सूर्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, कन्फ्यूजन को मोर कन्फाउंडेड करने की कला किसी-किसी को ही हासिल होती है। मैं इस संबंध में दो बातें निवेदन करना चाहूंगा। एक तो मिनिस्टर होना और मिनिस्टर की हैसियत से कोई बात कहना या कोई काम करना, दोनों में निश्चित रूप से अन्तर है उस अन्तर को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं इस बात के लिये निश्चित हूं कि जहां विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने प्रश्न उठाया कि मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं रहता क्या ऐसी कोई स्थिति हो सकती है हाउस में ? मेरी समझ में हो सकती है। अगर बजट पर कोई जनरल डिस्कशन हो, गवर्नर एड्रेस पर जनरल डिस्कशन हो तो मंत्री परिषद का कोई सदस्य अपनी व्यक्तिगत हैसियत के नाते, सदस्य होने के नाते अपने विचार

(112)

(श्री सूर्यकुमार)

प्रकट कर सकता है। जब मंत्री परिषद् से मंत्री अलग हटकर के अपने विचार प्रकट कर सकता है इसलिये मेरे ख्याल में ऐसा कोई प्रावधान है....

श्री यदुनाथ सिंह : कोई परम्परा नहीं रही है....

श्री सूर्यकुमार : और इसलिये इस अन्तर को निश्चित रूप से समझने के लिये कन-फ्यूजन को मोर कन्फ़ाऊडेड नहीं करें जो स्थिति है उस स्थिति को हम वहीं तक रहने दें।....

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर बदल जाते हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बहुत ही महत्वपूर्ण मसलों पर आगे चर्चा होने वाली है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा इस विषय पर अब चर्चा समाप्त की जाय।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मौलिक बात यह है कि उन्होंने प्राइवेट कैपेसिटी में कहा, एज ए मिनिस्टर नहीं कहा, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यहां जो मैटर था वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट का था। यदि किसी मिनिस्टर का पब्लिक इन्ट्रेस्ट पर सदन में स्टेटमेंट आता है तो इसको,

It cannot be devoid of the reality that he spoke as a Minister in the Government. Does he not speak in this capacity ?

इस चर्चा में चार्जेज हुए, काफी चार्जेज हुए। प्राइवेट मैटर के बारे में कहा होता तो मैं आपकी बात मान लेता लेकिन जब सदन में एक पब्लिक मैटर डिस्कस हो रहा है तब....

श्री अध्यक्ष : इस पर मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री राजबहादुर : यह व्यवस्था आपकी सिर आंखों पर है लेकिन यह एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेबिल नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, झगड़ा यहां से शुरू हुआ कि दोनों तरफ के माननीय सदस्यों द्वारा मांग की गई कि जांच कराई जाय। जब दोनों पक्षों की तरफ से जांच की मांग की जाती है तो जांच कराने के लिये एक समिति की मांग थी। मंत्री महोदय ने हां की, तो एक समिति बना ली जाय ताकि यह प्रकरण समाप्त हो जाय। मंत्री की हैसियत से कहा है या एम. एल. ए. की हैसियत से कहा है....

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी कहा यदि कोई मंत्री बाजार से 10 लाख रुपया उधार ले जाय तो....

एक माननीय सदस्य : यह बाजार नहीं है, सदन है। मान लीजिये कोई मंत्री 6 महीने तक इस सदन में मंत्री रहा, जैसे श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया मंत्री तो थे लेकिन एम. एल. ए. नहीं थे। वे अगर इस तरह की बातं नहीं करते तो वे अपना एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वोट नहीं दे सकते थे और सब काम कर सकते थे।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय यह चाहता हूं इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने, जिनको उनके नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये कहा उससे मूल प्रश्न से सदन का ध्यान खिच गया है। एक तरफ तो यह कहते हैं कि असत्य भाषण कर रहे हैं लेकिन मैं कहता हूं कि माननीय हरिदेव जी उससे भी आगे बढ़ गये है और अपने अपने पक्षों को बचाने के लिए मूल प्रश्न से सदन का ध्यान हटा दिया है ....

(व्यवधान)

यह दो माननीय सदस्यों का प्रश्न है, एक माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया का और एक मा. हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी का। मैं चाहता हूं इन दोनों को न्याय मिलना चाहिए ताकि ये अपना जवाब दे सकें और इस सदन के सामने निष्कलंक होकर सामने आ सकें।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा समाप्त हुई।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : कैसे हुई, यह मूल प्रश्न तो बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

दो-तीन माननीय सदस्यों ने कहा कि दोनों पक्षों ने मूल प्रश्न को छोड़ दिया और सदन की एक कमेटी होनी चाहिये, वह जांच करे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कोई भी जांच कमेटी नियुक्त करने का प्रशासनिक मामलों में सरकार को अधिकार है, सरकार अपने प्रति उत्तरदायी है लेकिन यह नहीं हो सकता है कि मैं डिसाइड करके कोई कमेटी मुकर्रर करूं। सदन से निर्णित कोई चीज होती है तो बहुमत से उसका निर्णय होता है–प्रस्ताव लाकर कि एक कमेटी गठित की जाय। माननीय सदस्यों को ऐसा कोई करना है तो दूसरा माध्यम यह है कि आप कोई प्रस्ताव ले आयें। उसके अलावा हम जो कुछ निर्णय देते हैं वह बहुमत के आधार पर देते हैं। केवल सदन को संचालित करने के लिए अधिकार जरूर है और हम उसके लिए फैसला दे देते हैं। वह फैसला ठीक है, गलत है, इसकी कोई अपील होती नहीं है। बुद्धि और विवेक के अनुसार हम फैसला करते हैं लेकिन हमारे फैसले में न किसी का धन लेते हैं और न किसी की सम्पत्ति लेते हैं। यहां कोई बाधा होती है तो उसको खुलासा कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बदल जाते हैं, अगर परिस्थितियां ऐसी हों तो हम भी बदल सकते हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अब मैं अधिक समय नहीं लेने दूंगा।

(व्यवधान)

अब माननीय सदस्य कोई नहीं बोलेंगे, इस विषय पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी कहा कि कोई मंत्री 10 लाख रुपये उधार मांगता है तो वह व्यक्तिगत हैसियत से मांगता है तो क्या 10 लाख रुपये मंत्री बनने से पहले भी मिल सकते थे क्या ?

श्री अध्यक्ष : दस रुपये कह दें, दस लाख न सही।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य....

श्री दाऊदयाल जोशी : एक ने आरोप लगाया दूसरे ने स्वीकार किया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है.... स्थान ग्रहण कीजिये।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या-44. प्राकृतिक आपदाओं से राहत व मांग संख्या-27. पेयजल

आय-व्ययक (बजट) 1981-82 द्वितीय अवस्था। अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। निम्नांकित अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मांगों का प्रस्तुतिकरण।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर !

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (मंत्री, अकाल राहत) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-34, प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15 करोड़ 47 लाख 90 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : पेयजल मंत्री।

श्री बनवारी लाल (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51 करोड़ 59 लाख 84 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या-34 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-34, मुख्य शीर्षक प्राकृतिक आपदाओं से राहत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(1) जयपुर क्षेत्र के कुओं को गहरा कराने की आवश्यकता के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

(2) प्रतापगढ़ तहसील में अभावों के बावजूद अकाल क्षेत्र घोषित न किया जाना एवं पुनःगिरदावरी न किया जाना चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

(3) जोधपुर संभाग में अकाल से निपटने हेतु राहत कार्य समय पर न खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (जूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

(4 एनीकट व खड़ीन की योजनाओं का सर्वे करवाया जाय। जिससे अकाल के समय उसके अनुरूप कार्य कराया जा सके इस पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

(5) कुंओं को गहरा कराने तथा जीर्णोद्धार समय पर कराये जाने में सरकार की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन)

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) :

(6) राजस्थान प्रति वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है अतः उसके स्थाई हल हेतु प्रयत्न की आवश्यकता है इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

(7) प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लियेदीजाने वाली सहायता संबंधी अनुदान पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) :

(8) प्राकृतिक आपदाओं से राहत समय पर ग्रामीण क्षेत्रोंमें नहीं मिलती है जिस पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

(9) जैसलमेर जिले में भयंकर अकाल से उत्पन्न स्थिति में पशुधन को बचाने के लिये पर्याप्त पानी एवं घास पशु आहार की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. जैसलमेर जिले में भयंकर अकाल से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये पूरे राहत कार्य खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. जैसलमेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के लिये पीने के पानी तथा धूप व आंधी से बचाव के लिये छाया की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

12. अग्नि पीड़ित परिवारों की तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जावे तथा कुल क्षति का 25 प्रतिशत सहायता के रूप में नगद राशि दी जावे इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़):

श्री भालूखां (चूरू):

13. बाढ़ व अकाल की रोकथाम हेतु समुचित व प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

14. प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को राहत देने हेतु चर्चा के लिये।

15. प्राकृतिक आपदाओं का स्थायी हल निकालने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

16. सन् 1979 में बाढ़ में जिन-जिन लोगों के घर बह गए थे उन्हें आज तक भूमि बसाने हेतु नहीं दी गई है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

17. बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में पड़ने वाले अकाल क स्थायी हल निकाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)

18. बाड़मेर जिले में निरन्तर अकाल से प्रभावित जनसंख्या को 25 रु. प्रतिमाह प्रति व्यक्ति आधा ऋण व आधा अनुदान दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)
श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

19. अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल से प्रभावित बेरोजगार लोगों को राहत कार्य चालू कर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

20. राज्य सरकार द्वारा और अधिक राहत कार्य खोले जावें इस पर चर्चा के लिये

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

21. बाड़मेर जिले में पड़े भीषण अकाल के निवारण हेतु स्थायी योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. बाढ़ से बालोतरा परगना में लूनी नदी के टूटे हुए किनारों को बंधवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा)

23. अकाल राहत कार्यों में मजदूरों को मजदूरी दिलाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

24. ग्राम हाथीदेह (सीकर) में बाढ़ से हरिजनों के मोहल्ले के निवासियों के मकानों को बहने की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

25. अकाल राहत कार्यों को शीघ्राति-शीघ्र पूरा करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

26. उदयपुर जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों के कर्ज माफ करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री धाराराम फुलवारिया (सिवाना)

27. अकाल राहत कार्य खोलने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

28. प्रतापगढ़ तहसील को अकालग्रस्त क्षेत्र न घोषित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

29. कोटा जिले की रामगंज मंडी एवं लाड़पुरा तहसील में अकाल होने पर भी राहत कार्य प्रारम्भ नहीं करना इस पर चर्चा के लिये।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर)

31. डीडवाना क्षेत्र के गांवों में भयंकर अकाल होने के बावजूद अभी तक राहत कार्य शुरू नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

32. राहत कार्यों की कमी से जनता में हो रहे आक्रोश के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

33. बाढ़ व अकाल के स्थायी समाधान हेतु ठोस योजना के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत)

34. तहसील कोलायत जिला बीकानेर के हर अकालग्रस्त गांव में अकाल राहत कार्य तुरन्त शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्राकृतिक आपदाओं अकाल की स्थिति से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

36. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

37. बाढ़ की चपेट में आने वाले संभावित क्षेत्र वाले गांवों की सुरक्षा हेतु बाढ़ नियंत्रण कार्य को युद्ध स्तर पर कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने हेतु अकाल राहत कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जायं, इस पर चर्चा के लिये।

39. प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए अनुदान, ऋण नकद राशि आदि तुरन्त दिलाई जाये इस पर चर्चा के लिए।

श्री केसरी चन्द चौधरी (किशनगढ़)

40. अकाल सहायता विभाग की शिथिलता एवं निष्क्रियता पर चर्चा के लिए।

श्री मोहन लाल मोदी (नीम का थाना)

41. सीकर जिले में चालू राहत कार्यों को गतिशील बनाने हेतु चर्चा के लिए।

श्री भैंरू लाल (उदयपुर ग्रामीण)

42. अकालग्रस्त क्षेत्रों के कृषकों के कर्जे माफ कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

43. भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

44. वर्षाकाल में मेंढ़ा नदी में (चौमू क्षेत्र) आने वाले बाढ़ से ग्राम हस्तेडा की ऐतिहासिक मस्जिद व ग्राम को खतरे से बचाने पर चर्चा के लिए।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

45. पं सं. उदयपुर वाटी (झुंझुनू) क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से राहत हेतु अकाल सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

46. अकाल की चपेट में आये किसानों को सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त कराने हेतु चर्चा के लिए।

47. अकाल क्षेत्रों में पशुओं के लिए चारे की समुचित व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए।

48. केशोरायपाटन में अकाल राहत कार्य को तेज गति देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

49. अकाल राहत कार्य खोलने, आगजनी रोकने के लिए समुचित प्रबन्ध व सावधानियां बरतने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

50. पाली जिले में अकाल राहत कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

51. अकाल राहत कार्यों के तहत रोहट तहसील में खडीन के कार्य शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

52 भयंकर अकाल की स्थिति होने के कारण सागवाड़ा क्षेत्र में अधिक राहत कार्य खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा)

53. जालोर जिले में अकाल राहत कार्य अधिक खोलने बाबत चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)

54. दांतारामगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

55. जोधपुर जिले में नये ज्यादा अकाल राहत कार्य खोलने बाबत चर्चा के लिए।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

56. अकाल राहत कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली)

57. राज्य में सूखे से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री लच्छुराम (मण्डावा)

58. झुन्झुनू जिले में अकाल राहत कार्य न खोलने पर चर्चा के लिए।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

59. राजस्थान में बार बार पड़ने वाले अकाल का सामना करने हेतु स्थाई हल निकालने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

60. मांगरोल, पीपल्दा कलां, इटावा तथा खातौली कस्बों को बाढ़ से बचाने हेतु चर्चा के लिये,

श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

61. अग्नि बाढ़ ओलावृष्टि या सर्दी आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त आवश्यक मदद पहुंचाने की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

62. प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

63. प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को राहत देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

64. प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

65. बगरू नगर पालिका में प्रलयकारी वर्षा से पीड़ित व्यक्तियों को राहत दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

66. उदयपुर जिले में गत 33 वर्षों से अकाल की स्थिति रहने पर भी योजना बनाकर स्थायी समाधान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

67. अकाल राहत कार्यों में कार्यरत मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. भरतपुर जिले की बाढ़ में गिरदावरी बदल के अभावग्रस्त घोषित कर वहां कोई राहत कार्य नहीं चलाने पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

69. टोंक में पर्याप्त राहत कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

70. अग्निकांड, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल शर्मा (हिण्डौली)

71. हिन्डौली क्षेत्र में अकाल की गंभीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

72. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत पंचायत समिति मनोहरथाना एवं बकानी क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों में सड़क निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर)

73. राजस्थान में अकाल से निपटने हेतु स्थायी हल ढूंढने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

74. अकाल क्षेत्र घोषित करने के लिए एक निश्चित तरीका निश्चित कराने विषयक चर्चा के लिये,

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

75. जयपुर जिले की तहसील बस्सी में प्रति वर्ष बाढ़ से हो रही बर्बादी से बचाने के लिये बाढ़ नियंत्रण कार्य जटवाड़ा दूधली–मोहनपुरा, बैनाड़ा एवं भूडला तिलपट्टी के अपूर्ण कार्यों को पूरा कराये जाने हेतु चर्चा के लिये,

76. अग्नि पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान किये जाने हेतु पंचायत समितियों को आवश्यक राशि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

77. जालौर जिले के बाड़मेर जिले से लगते गांव जिनमें अकाल की भयंकर स्थिति है में अकाल राहत कार्यक्रम खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

78. बांदीकुई क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. अकाल राहत कार्य प्रारंभ न किये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. अकाल के बावजूद तहसील बसवा में किसानों से बकाया राशि वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

81. डूंगरपुर जिले में भयंकर अकाल होने पर भी राहत कार्यों की कमी से उत्पन्न स्थिति से निबटने के लिए राहत कार्य खोले जाने पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

82. प्राकृतिक आपदाओं का स्थाई हल करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

83 अकाल ग्रस्त गांवों में ग्रामीणों की आवश्यक उपभोग की वस्तुएं सस्ती, सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. राज्य में पर्याप्त अकाल राहत कार्य न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. राज्य में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों से बकाया ऋण वसूल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

86. अकाल राहत कार्यों में व्याप्त घोर अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

87. अकाल के स्थायी हल हेतु व्यापक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

88. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्थायी कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

89. अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बीकानेर जिले के पुराने बान्ध, तालाब, जोहड़ बीड जैसे कोलायत, गजनेर, दियातरा पीलापबन्धा, गोलरी, हरसीलाव, संसीलाव, शिवबाडी, घड़ीसीसर आदि पर खुदाई एवं मरम्मत कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर)

90. अजमेर नगर पालिका में आए हुए पुष्कर क्षेत्र के अभावग्रस्त गांव में राहत कार्य का अभाव एवं पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्य गांवों में अकाल राहत कार्य न होने से जनता में रोष पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़)

91. अकाल राहत की समुचित व्यवस्था के अभाव में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

92. अकाल से प्रभावित बेरोजगार लोगों की क्रय शक्ति बनाये रखने एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर राहत प्रदान करने हेतु जयपुर जिले की बस्सी तहसील में जिला अकाल सहायता समिति से प्रभावित अकाल राहत कार्य सड़क-तूंगा से बाड़ा पदमपुरा सड़क, बस्सी से निमोड़िया सड़क, देवगांव ग्राम पोलिया से गोनेर, जयपुर-गोनेर रोड रोपाहाड़ा से फाल्यावास एवं जयपुर-नायला रोड से बेनाड़ा वाया कूंथाडा, घाटा यथाशीघ्र स्वीकृत कर राहत कार्य आरम्भ किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

93. पाली तहसीलमें अकाल की विभीषिका से उत्पन्न भयावह स्थिति से निबटने के लिये चारे, पानी व अन्य समस्याओं के निबटाने के सम्बन्ध में एवं यथोचित राहत कार्य खुलवाने में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री माणकमल मेहता)

94. पाली क्षेत्र में अकाल की विभिषिका को सदैव के लिए समाप्त करने के लिये सुझाव देने हेतु समिति के गठन करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुरजाराम (नोखा)

95. राहत कार्यों को गतिशील करने और उनका स्थाई हल खोजने पर चर्चा के लिये।

96. नोखा क्षेत्र में राहत कार्यों की कमी तथा उन्हें अधिक खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

97. अजमेर नगर में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले एक लाख नागरिकों के बाढ़ बचाव को प्रभावी एवं स्थाई व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या-27 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या–27 मुख्य शीर्षक पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी पेयजल की योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. प्रतापगढ़ तहसील में प्रस्तावित नल योजना की स्वीकृति न होने तथा हैण्ड पम्प योजना चालू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

3. तहसील प्रतापगढ़ में पेयजल योजना की स्वीकृति के अभाव से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

4. रीजनल पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने तथा उनको दी जाने वाली विद्युत में कटौती न करने हेतु चर्चा के लिए।

5. गांवों में लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों की जरूरत न होने तथा विश्व बैंक योजना में गांव वालों से $2\frac{1}{2}$ % राशि वसूल करने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

6. बीकानेर में जल प्रदाय की घोर अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

7. उदयपुर नगर में आज की परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुये जल वितरण व्यवस्था का समुचित विकास करने पर चर्चा के लिये

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

8. नलकूप योजना शेखावाटी क्षेत्र के लिये अनुपयुक्त है अतः इस योजना को टी. डी. एस. स्कीम में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये।

9. सीकर जिले के ग्राम कटरायस दौलत पुरा मे पानी की अनियमित सप्लाई एवं शुद्ध जल वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. सीकर नगर जल प्रदाय योजना द्वारा नगर में पानी वितरण में असफल होने एवं जल सप्लाई बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

11. ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार को दूर किया जाकर विभिन्न ढाणियों में भी पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

12. आबादी के आधार पर सवाई माधोपुर में जलदाय योजनाओं का विस्तार करने पर चर्चा के लिए।

13. सवाई माधोपुर, मान टाउन नगरपालिका द्वारा पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध न कराने पर भी दी जाने वाली अनुदान राशि के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

14. कालाखो, वरखेड़ा, दुब्बी आदि ग्रामों के जलदाय योजनाओं को अविलम्ब मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथसिंह (नदवई)

15. सरकार समस्याग्रस्त क्षेत्रों मेंपेयजल की व्यवस्था में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर)

16. जैसलमेर जिले में समुचित पेयजल व्यवस्था हेतु प्रारम्भ की गई योजना के क्रियान्वयन में विभागीय निष्क्रियता से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

17. दीगोद क्षेत्र में पेयजल की अत्यन्त कमी है, अनेक जगह गंदा पानी पीने से स्नायु रोग (नहरूआ)से लोग पीड़ित हैं अतः शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

18. हर गांव में विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में नये कुयें खुदवाकर पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा के लिए।

(124)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

19. अलवर नगर परिषद की सीमा में आने वाले सभी क्षेत्रों में पाइप लाइनें डालने व वाटर वर्क्स से जोड़ने हेतु चर्चा के लिए।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

20. शहरों एवं गांवों में पेयजल संकट को दूर किया जावे, इस पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

21. जयपुर जिले की बस्सी तहसील की ग्राम पंचायत भटेरी के 5 ग्रामों में जहां पेयजल जहरीला हो गया है वहां प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

22. डूंगरगढ़ व चूरू विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित कराये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

23. अजमेर व जोधपुर नगरों की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की व्यवस्था के विस्तार पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर)

24. झाब, हेमा गुडा व सांकड सरनाऊ स्कीम में वर्तमान में जो पानी दिया जा रहा है वह खारा है अतः झाब को फागोतरा से व सांकड की स्कीम को दूसरे गांव में बने ट्यूबवैल से जोड़ा जाकर मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री अमीन खां (शिव)

25. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सब-डिवीजन बाड़मेर व जैसलमेर में जलदाय विभाग का सुपरिन्टेंडेन्ट इंजीनियर हैड-क्वाटर बाड़मेर व चीफ इन्जीनीयर मुख्यावास जोधपुर रखाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर)

26. पीने के पानी की समस्या हल करने हेतु जोधपुर शहर के कुए, रोलर कटवाकर पम्प सैट (बिजली) लगवायें जायं तथा राजस्थान नहर से लिफ्ट सिस्टम द्वारा पानी वाया फलौदी के रास्ते जोधपुर लाया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

27. जिन ग्रामों में प्रतिवर्ष अकाल के समय टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने में लाखों रुपया खर्च करने पड़ते हैं उसके बजाय उन ग्रामों के लिये प्राथमिकता के आधार पर स्थायी पेयजल योजना द्वारा पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. बाड़मेर जिले की पेयजल हेतु राजस्थान नहर से लिफ्ट योजना आरम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

29. भरतपुर जिले में पेयजल की अत्यधिक कमी को शीघ्र दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

30. डग विधान सभा क्षेत्र के पंचपहाड़ कस्बे में ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण हेतु चर्चा के लिये ।

31. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु विभिन्न योजनायें चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

32. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।

33. प्रदेश में पेयजल सुविधायें और अधिक उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

34. पूंजीपतियों से विभाग द्वारा पानी की बकाया राशि वसूली नहीं करना और आम जनता को इस सम्बन्ध में परेशान करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये ।

35. कोटा जिले की लाड़पुरा एवं रामगंजमण्डी तहसीलों में पेयजल की भारी कमी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

36. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में नल योजना की क्रियान्विति हेतु चर्चा के लिये ।

37. राज्य में पेयजल की समुचित व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने हेतु चर्चा के लिये ।

38. बगरू नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के बाबत चर्चा के लिये ।

39. विवेकानन्द गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर में गटर लाइन डाले जाने हेतु चर्चा के लिए ।

40. गिरजाघर के सामने विवेकानन्द कालोनी आदर्श नगर एवं धन्नादास की बगीची जयपुर में गटर लाइन मुक्ति मार्ग के चौराहे तक डाले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री कमलेन्द्र सिंह (वल्लभनगर)

41. उदयपुर क्षेत्र में पेयजल योजना के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

42. टौंक और निवाई शहर में अपर्याप्त जल वितरण की स्थिति में भी न्यूनतम शुल्क में कमी न करने पर चर्चा के लिये ।

श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना)

43. डीडवाना क्षेत्र के गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये ।

126

श्री रामरघुनाथ सिंह चौधरी (डेगाना)

44. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पानी कतई नहीं है अथवा खारा है, को प्राथमिकता से पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

45. डेगाना जंक्शन पर ड्रेनेज की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

46. ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

47. जयपुर शहर को पेयजल व्यवस्था में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये ।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

48. उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में जल व्यवस्था में कमी पर चर्चा के लिए ।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद)

50. गांव कोशीवाड़ा, सेमा सलोदा, भैंसाखमेड पंचायत समिति द्वारा पांच वर्ष पूर्व रुपये जमा कराने के बाद में भी जल योजना प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए ।

51. हैंड पम्प कार्य के लिये ठेकेदारों से 20% अधिक दर पर अन्य प्रदेश की दरों में ठेका स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए ।

52. हैंड पम्प कार्य के लिये ठेकेदारों के एग्रीमेंट में धरोहर राशि पेनल्टी क्लाज एवं लक्ष्य के नियमों की अनुपस्थिति में राज्य के राज्य कोष में लाखों रुपए के हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए ।

53. सन् 1981-82 तक गांव सालोर में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

54. बीकानेर शहर की कच्ची बस्तियों व पुराने शहर में पेयजल की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

55. कोलायत तहसील जिला बीकानेर के खारे पानी के गांवों में तुरन्त पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

56. टोडारायसिंह एवं देवली क्षेत्र में पेयजल योजना के बारे में चर्चा के लिए ।

श्री लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम)

57. राजस्थान में पेयजल योजना सम्पूर्ण रूप से प्रभावी न होने पर चर्चा के लिए ।

श्री भैंरूसिंह गुर्जर (खारची)

58. ग्रीष्मकाल में छोटे गांवों में पेयजल वाहनों द्वारा पहुंचाने हेतु चर्चा के लिए ।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

59. ग्राम नवाव, चान्दुर करवाड़ा, कोटड़ा मुनक्ला, सीकंवाड़ा, भाक सामसीएं, जसवन्तपुरा में पीने के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिए।

60. डीगांव में पेयजल हेतु जनरेटर की व्यवस्था की जाय या जल प्रदाय योजना से जोड़ा जाय, इस पर चर्चा के लिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां)

61. प्रभावग्रस्त गांवों में तुरन्त पेयजल की व्यवस्था करने सम्बन्धी चर्चा के लिए।

62. छीपा बड़ौद में पेयजल की कमी के कारण वहां के निवासियों में बेचैनी उत्पन्न हो रही है, इस पर चर्चा के लिए।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़)

63. अजमेर किशनगढ़ की जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द)

64. प्रदेश में पेयजल की विकट समस्या को शीघ्र हल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर)

65. रेवदर तहसील जिला सिरोही में तथा आबू रोड तहसील के ग्रामों में अपर्याप्त पेयजल योजना के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

66. सवाई माधोपुर जिले के टोडाभीम व नादौती तहसीलों के गांवों में शुद्ध पेयजल की शीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (दानपुर)

67. बांसवाड़ा जिले में छोटे-छोटे गांवों में हैंड पम्प एवं सार्वजनिक कुओं की व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

68. पेयजल योजना पर शीघ्र अमल किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर)

69. ब्यावर नगर के पेयजल की शीघ्र समुचित व्यवस्था की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

70. चौमूं क्षेत्र के किशनमानपुरा, निवाणां तिगरिया, जाटावाली, लोहरवाड़ा, आदि ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डीग)

71. हैन्ड पम्प्स लगाने एवं कुंईयों को तत्काल गहरी कर पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह देवड़ा (सरदारपुरा)

72. जोधपुर शहर को जवाई से पाइप लाइन द्वारा व राजस्थान नहर से लिफ्ट द्वारा पेयजल पहुचांने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द ग्रामलिया (चौरासी)

73. रामसोर (हरिजन बस्ती,)पीठ(हरिजन बस्ती), मांडली, बलवनिया ग्रादि गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाडा)

74. जालौर जिले में ग्रधिक पेयजल योजनाग्रों की स्वीकृति प्रदान करने बाबत चर्चा के लिये ।

श्री जेठमल बरबड़ (परवतसर)

75. परबतसर तहसील के ग्रामों में ग्रामवासियों के लिये स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़)

76. सामेर, बासड़ी तनरलवाता तथा जीनवास ग्रामों में खारे पानी के स्थान पर मीठे पेयजल की व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्धों में चर्चा के लिए ।

77. सीकर जिले में पेयजल के लिए हैण्ड पम्प के स्थान पर बिजली के पम्पिग सैट लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री भरोसी राम (हिण्डौन)

78. राज्य सरकार जिला सवाईमाधोपुर में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने में ग्रसफल रही, पर चर्चा के लिये ।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

79. पेयजल योजना को गतिशील बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

80. क्षेत्रीय जल योजना को क्रियाशील बनाने के क्रम में चर्चा के लिए ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

81. नगर सवाईमाधोपुर में जनसंख्या के ग्रनुसार पानी का पाइप छोटा होने से कम पानी मिलता है, इसलिए नई पाइप लाइन लगाकर लोगों को पीने का पानी दिया जावे, इस पर चर्चा के लिए ।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

82. राज्य सरकार कुशलगढ़के ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने में ग्रसफल रही है, पर चर्चा के लिये ।

83. राज्य सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम सज्जनगढ़, डुगरा में नलकूप योजना पूर्ण करने में ग्रसफल रही है, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) :

84. करौली क्षेत्र में पेयजल योजना का विस्तार कर गांवों में पेयजल उपलब्ध किया जाए, इस पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छराम (मण्डावा)

85. मंडावा (झुंझुनू) में पानी की टंकी के निर्माण में हो रहे विलम्ब से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा)

86. सराड़ा तहसील में पेयजल के अभाव के कारण जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू)

87. ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

88. पीपल्दा कलां, बसेरी कलां, करवाड़ अयाना तथा लुहावद में नल योजना लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. इटावा, खातोली, गेंत्ता में नल योजना के कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. पीपल्दा क्षेत्र में करीब 75 गांवों में पीने के पानी का नितान्त अभाव है उनमें पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

91. इन्द्रगढ़ तथा मांगरोल में उच्च जलाशय टंकियों की क्षमता बढ़ाये जाने तथा ड्रेनेज सिस्टम लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. मांगरोल तथा इन्द्रगढ़ में हरिजन बस्तियों में नल लगाने के संबंध मे चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़)

93. खारे पानी वाले गांवों में तथा शहरी क्षेत्र के बाहरी मोहल्लों में मीठे पेयजल की व्यवस्था हेतु चर्चा के लिए।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़)

94. कस्बों व ग्रामों में शीघ्र पेयजल योजना बनाकर पानी देने व पानी निष्कासन के लिए नालियां बनवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)

95. बनीपार्क क्षेत्र में पानी का उचित प्रेशर अधिक देर तक नहीं आने से व्याप्त जन-आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

96. प्रदेश में पेयजल की गम्भीर समस्या पर चर्चा के लिए

श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर)

97. बाड़मेर पेयजल समस्या का निराकरण करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

98. पानी के बिल्स जमा कराने हेतु नगर में काउन्टर न होने तथा जलदाय विभाग पाइप लाइन बदलने के लिये प्रन्यास से रकम लेता है लेकिन पुराना पाइप प्रन्यास को नहीं देकर स्वयं विभाग ले लेता है, इससे जनता परेशान है, पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

99. पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति में रेगिस्तान एवं टोंक में एक से आधार रखने पर चर्चा के लिये।

100. समस्या ग्रस्त ग्राम के आधार न्याय संगत एवं तर्क संगत न होने से पेयजल की उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं)

101. पेयजल योजनायें बनाने के मापदण्ड पर पुनः विचार हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

102. गांवों में पीने के पानी की काफी कमी है अतः हैण्ड पम्प आदि लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़)

103. पेयजल योजनायें बनाते समय जन प्रतिनिधियों से सुझाव आमन्त्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

104. पंचायत समिति मनोहरथाना क्षेत्र में कार्यरत बोरिंग मशीनों की बार बार खराबी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

105. जिला झालावाड़ क्षेत्रान्तर्गत अकलेरा कस्बा की पेयजल नल योजना की पाइप लाइन के चालू कार्य को शीघ्रता से कराने हेतु चर्चा के लिये।

106. पंचायत समिति मनोहर थाना क्षेत्र केल्हास ग्राम पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम रानीपुरा वैल्या ल्हासी को पाइप लाइन द्वारा जोड़ा जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोकुलचन्द्र शर्मा (सुमेरपुर)

107. पेयजल योजना को व्यवस्थित ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानसिंह (भादरा)

108. गंघेली–शाहवा क्षेत्रीय जल योजना को भादरा तहसील के उप गांवों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

109. जल प्रदाय योजना में अजमेर नगर में 73 हैंड पम्प सफल गये हैं अतः घनी आबादी वाले पश्चिम क्षेत्र में 200 हैंड पम्पों से पानी उपलब्ध कराया जावे तथा रिजर्व टैंक को बड़ा बनाया जाय इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

110. जयपुर जिले की बस्सी तहसील में अकालग्रस्त क्षेत्र के ग्राम भटेरी, कानेटी, पेभपुरा, गढ़ोली आदि ग्रामों में जहां पानी जहरीला हो गया, पीने योग्य नहीं है, टैंकर द्वारा पेयजल उपलब्ध करा कर तत्काल राहत प्रदान किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

111. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रांगण में हैण्ड पम्प लगाये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

112. जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति क्षेत्र में जटवाड़ा, टहटड़ा, बड़वा, पाटन, भटेरी, कूंथाड़ा कलां एवं खुर्द, दूघली--सुजानपुरा, मोहनपुरा, काशीपुरा, माधोगढ़–ग्वालनी, सांभरिया में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नल योजना आरम्भ किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री सी एल. कंवरिया (नाथद्वारा)

113. खारे पानी व स्वास्थ्य हानि कारक पानी वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मीठे पेयजल की योजना लागू की जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

114 सांचोर में ग्रामीण व नगरीय पेयजल योजना को अलग अलग किया जाय तथा सांचोर के बड़े-बड़े कस्बे चीतलवाना अरणाल केसूरी हदेतर की भी अल योजनाएं बनाई जायं जहां पानी खारा है और हैण्ड पम्प खराब हो रहे हैं उसको ठीक कराया जाय इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री भेरूंलाल (उदयपुर ग्रामीण)

115. पेयजल योजना के तहत उन गांवों में जहां पानी की कमी हो, चाहे वे गांव अप्रोच रोड से दूर भी हों कुंओं से पेयजल की पूर्तिकी जानी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़)

116. पश्चिमी राजस्थान में विकट पेयजल की समस्या के समाधान बाबत चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

117. डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा क्षेत्र में पेयजल के विकट संकट पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

118. सुजानगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है तथा खारे पानी से उत्पन्न स्थिति से प्रभावित क्षेत्र में मीठे पेयजल की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री लच्छूराम (मण्डावा)

119. ग्रामीण क्षेत्रीय जल योजनाओं की शीघ्रातिशीघ्र लागू करने हेतु चर्चा के लिये।

(132)

(श्री लच्छूराम)

120. पेयजल योजना केवल आबादी के आधार पर न बनाकर मानवता के आधार पर बनाई जावे, इस हेतु चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

121. गुरू नानक कालोनी एवं दाऊदपुर में नल की लाइन डलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

122. जयपुर जिले के समस्त कस्बों में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

123. बांदीकुई व बसवा कस्बे में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये ।

124. कच्ची बस्तियों में पीने का पानी उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

125. राज्य में हैण्ड पम्प योजना लागू करने में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

126. राज्य में सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

127. ग्रीष्मकाल में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल समस्या गम्भीर होने की संभावना पर चर्चा के लिए।

128. हैंड पम्पों की योजना में कमियों पर चर्चा के लिये ।

129. शुद्ध पेयजल के अभाव में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने के विषय में चर्चा के लिये ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

130. बीकानेर में गम्भीर पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा नये कुयें खोदकर पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

131. बीकानेर को पेयजल की निर्धारित मात्रा जो राजस्थान नहर से मिलने वाली थी वह नहीं मिल सकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

132. बीकानेर शहर के अन्दरूनी हिस्सों में पीने के पानी की पर्याप्त कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये ।

श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा (पुष्कर)

133. पुष्कर क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निवारणार्थ आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

134. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में दिनांक 28.2.81 को सहायक अभियन्ता (सिविल व यांत्रिक) के पदोन्नति में बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़)

135. पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में जल प्रदाय योजनाओं के लिये निर्धारित दोषपूर्ण माप दण्ड के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

136. पाली शहर एवं रोहट एवं पाली पंचायत समिति की पेयजल योजनायें अपर्याप्त हैं अतः नई स्कीम्स बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजाराम (नोखा)

137. पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की विकट समस्या है अतः उसके समाधान के लिये आवश्यक कदम उठाकर पेयजल की शीघ्र व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

138. अजमेर नगर में वर्तमान आवादी को पर्याप्त पानी पूरे समय उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

139. रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी)

140. कोटा जिले की रामगंज मंडी तहसील में पालिश फैक्ट्रियों से जल प्रदूषण बड़े उद्योगों से वायु प्रदूषण से उत्पन्न समस्या पर एवं मंडल को सक्षम अधिकारी नहीं देने पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

141. बीकानेर शहर में गन्दे पानी के निकास हेतु लाइन डालने व सूरसागर में डाले जाने वाले गंदे पानी को बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 के सम्बन्ध में मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है। मैं प्रभारी मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने प्रगति विवरण सदन के माननीय सदस्यों को वितरित किये हैं। उसके अनुच्छेद एक में, जो पृष्ठ राजस्थान में पेय जल की समस्या है,

(3. 38 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन अहमद, सभापति, पदासीन)

इसका उन्होंने चित्रण खींचा है। उन्होंने अपने विवरण में दिया है राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जहां पेयजल की व्यवस्था पर जन साधारण को इतना परिश्रम करना पड़ता है कि वह अपनी शक्ति व साधन का उपयोग सामाजिक उत्थान के कार्य में नहीं लगा सकता है। मंत्री जी, मैं आभारी हूं, प्रगति विवरण (अ) पृष्ठ (4) में इस बात का भी उल्लेख किया है कि पश्चिमी राजस्थान में पानी 80 मीटर से 130 मी०और कहीं कहीं तो 200 मीटर गहरा है, वहां पानी कई स्थानों पर अत्यधिक खारा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल स्त्रोत दूर-दूर तक उपलब्ध नहीं हैं अथवा भू-गर्भ में उपलब्ध पेयजल अत्यधिक फ्लोराइट, नाइ-

(134)

(श्री परसराम मदेरणा)

ट्रेट इत्यादि रसायनों से युक्त है । मैं समझता हूं, नये प्रभारी मंत्री जी, पश्चिमी राजस्थान में आज पानी की समस्या है, राज्य की सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रारम्भ में ही पिछले सत्र में इस बात की घोषणा की थी-सरकार का कमिटमेंट है कि आने वाले वर्षों में, जो अब केवल चार साल शेष रहते है, राजस्थान के 24 हजार 37 समस्या ग्रस्त गांवों की जलापूर्ति करेंगे, जल उपलब्ध करायेंगे । लेकिन सभापति महोदय, मुझे यह प्रगति विवरण पढ़कर बहुत आश्चर्य हुआ कि छठी पंचवर्षीय योजना में जहां 24 हजार 37 समस्या ग्रस्त गांव हैं जिनके लिये कुल मिलाकर आपने 358 करोड़ की धन राशि की आवश्यकता महसूस की है, आपका जो प्रावधान है सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में वह केवल 108 करोड़ का है, उस 108 से आगे लिखते हैं, इन 108 करोड़ में से हम केवल सात हजार गांवों को पानी उपलब्ध करा सकेंगे । अभी जो आपने आंकड़े दिये हैं 6,675 गांवों को आप पानी उपलब्ध करा चुके हैं, सात हजार को और करायेंगे । इसका मतलब यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 12-13 हजार गांवों को ही पानी उपलब्ध करा सकेंगे । इसका मतलब यह हुआ साढ़े दस हजार गांव 84-85 में जो छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, इस सत्र की भी अवधि समाप्त हो जायगी और आपका कार्यकाल समाप्त हो जायगी, तब तक उन गांवों को पानी उपलब्ध नहीं करा सकेंगे । आपके पास में धनराशि नहीं थी, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि अगर आप उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो आप अपनी घोषणाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन करना चाहते हैं, इसकी सूचना इस सदन को काफेंडेन्स में लेकर आपको अर्लिएस्ट देनी चाहिए । अर्लिएस्ट नहीं देकर अगर इस बात की बराबर घोषणा करते गये,हैण्ड पम्प की योजना बहुत यूजलेस स्कीम है, इसको हाथ में लेकर, तो मैं समझता हूं जिस प्रगति विवरण में जो आपने पश्चिमी राजस्थान को पीने के पानी की समस्या का जो चित्रण किया है, या तो चित्रण आपके स्वयं के अनुमोदन से नहीं है या जो अनुमोदन कर रहे हैं, उनके पास कोई योजना नहीं है । इसलिए मुझे, सभापति महोदय, इस बात का बहुत दुख है कि आज जो योजना पश्चिमी राजस्थान में बनायी जा रही हैं, न तो वह योजना व्यावहारिक है और न योजना की क्रियान्वित से ह्यूमन पापूलेशन को पानी उपलब्ध होने वाला है । मैं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रभारी मंत्री जी के पास गवर्नमेंट के चीफ व्हिप बैठे हैं, गवर्नमेंट के चीफ व्हिप ने थोड़े दिनों पहले एक पत्र यहां के चीफ इंजीनियर पी. एच. ई. डी. को लिखा था उन्होंने इस बात का निवेदन किया था, कि आप हमारे वहां पश्चिमी राजस्थान की जो इकानामी है, वह एनीमल हस्बेन्डरी बेस्ड है क्योंकि हमारी इकानामी पशुधन पर आधारित है इसलिए यहां किसी भी योजना को बनाते वक्त, चाहे पम्प और टैंक की योजनायें हैं चाहे क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, आपको वहां की जो पशुधन की संख्या है, पशुओं की संख्या है, उसका भी उसमें समावेश करना चाहिए, योजना में । क्योंकि वहां के लोग

(श्री परसराम मदेरणा)

आप ये समझते हों कि वे पानी पीते रहें और आप पानी पशुओं को नहीं देंगे तो पशु उनके लिए जान से ज्यादा प्यारे हैं। इसलिए उनकी इकानामी नष्ट हो जायगी और यही कारण है, सभापति महोदय, कि जो क्षेत्रीय योजनायें बनी हैं, लम्बी लम्बी टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचा है, शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि बीच में आने वाले गांव में पेयजल मनुष्यों के लिए और रूरल पापूलेशन के लिए पानी की व्यवस्था की गयी है इसलिए बीच में अपने मवेशियों को पानी पिलाते हैं और पिलाने के फलस्वरूप जो छोर के गांव, जहां आपकी रीजनल पाइप लाइन को बिछाये हुए 10-10 साल हो गये हैं, लेकिन आपके टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुच रहा है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी से यह भी जानना चाहता हूं, केवल जो आंकड़े हमारे यहां सैन्सस कमिश्नर ने पब्लिश किये हैं उसमें भी बड़ी आश्चर्यजनक बात साबित हुई है, पश्चिमी राजस्थान की आबादी बढ़ी है, पूरे राजस्थान की तो 32 पर्सेन्ट बढ़ी है लेकिन पश्चिमी राजस्थान की आबादी 32 पर्सेन्ट से ज्यादा बढ़ी है, इसका मतलब यह है कि जो आपने रीजनल पाइप लाइन योजनायें बनायी हैं और जो ह्यूमन पापूलेशन को, मरदमशुमारी का का आधार 1971 की सैन्सस रखा है। 1971 की सैन्सस न लेकर जब राजस्थान में पापूलेशन बढ़ गयी है और 1981 के अन्दर जब राजस्थान की पश्चिमी जिलों में हर जिले की बढ़ोतरी 32 पर्सेन्ट के ऊपर है, जो रीजनल पापूलेशन में आपने कैटल पापूलेशन को कन्सीडर नहीं किया है और कैटल पापूलेशन के सम्बन्ध में आप कहते हैं, हमारी और भारत सरकार की नीति यह है कि हम कैटल पापूलेशन के लिए कतई तौर पर प्रोविजन नहीं रखने वाले हैं। गवर्नमेन्ट के चीफ व्हिप ने नये चीफ इंजीनियर को एक लैटर थोड़े दिन पहले एक महीने भर पहले लिखा उसका रेलेवेन्ट पैरा पढ़ना चाहता हूं: -

According to the existing policy of the State & Central Government no provision is being taken for cattle in drinking water supply schemes, hence there does not arise any question of depriving the cattle by providing Hand Pumps in schemes."

इसका मतलब यह हुआ कि आप न तो उसका, उस दिन आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि ऊट के पेट में 12 थैलियां होती हैं उन थैलियों से 150 गैलन पानी एक साथ पीता है और हैण्ड पम्प से पानी निकालते निकालते आपको साढ़े 47 मिनट लगेंगे और भैंस को पानी पिलाते हुए करीबन आपको साढ़े 45 मिनट लगेंगे। तो मैं सोच रहा था हैण्ड पम्प के बारे में कि यह योजना प्रेक्टिकल नहीं है, यह व्यावहारिक नहीं है और यह समस्या का समाधान नहीं कर सकती। लेकिन कैटल पापूलेशन को इन्क्लूड नहीं करने का मतलब यही होता है, मन्त्री महोदय, कि आप पश्चिमी राजस्थान की समस्या दो पैराग्राफ में, या तो आपने पढ़ा नहीं है या अनुमोदन नही किया है, आप कैटल पापूलेशन जब तक इन्क्लूड नहीं करोगे तब तक पश्चिमी राजस्थान की समस्या का समाधान स्थायी नहीं है और समाधान स्थायी नहीं है तो टेम्परीली किसी भी समाधान का जो पैरा

(श्री परसराम मदेरणा)

फिनियल निष्कर्ष आप लेना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आप अपने कमिटमेन्ट को भी किसी तरह पूरा करने का प्रयास करेंगे तो करते करते ही, मैं समझता हूं कि रेगिस्तान में बिना पानी के अभाव में आदमी थक जाता है। मैं भी जब आंठवीं क्लास में पढ़ता था, एक दफा घोड़े पर था, मैं भी थक गया था, मरते मरते बचा था लेकिन पानी नहीं मिला था, पीने के लिए। जब मैं नौखा तहसील से आ रहा था, इसके बीच में कई लोग प्यासे मर जाते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि उसी प्यास से मरने वालों की तरह यह सरकार भी थकेगी। आपने प्रावधान 108 करोड़ का रखा है और इसके प्रावधान में 250 करोड़ चाहिए। आप कभी स्वीडन की बात करते हैं, कभी नीदरलैण्ड की बात कर रहे हैं, कभी दूसरी संस्थाओं के सामने आप जा रहे हैं। लेकिन जब आपने यह घोषणा की सदन में कमिटमेन्ट किया तो आपको पता होना चाहिए था कि कौन कौनसी योजना के अन्दर टोटल आउट–ले ड्रिंकिंग वाटर के अन्दर पर्याप्त धनराशि का प्रोविजन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे अगर नहीं कर सकने की बात थी, आपका इमेजीनेशन नहीं था, वीजन नहीं था तो आपको ऐसी लफ्फाजी नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी जो आंकड़े दिये हैं मेरा दूसरा मिनिस्टर पर चार्ज भी है। सभापति महोदय, यह वह है कि जो पिछले साल हमें प्रगति विवरण दिया, उसमें इन्होंने लिखा कि हमने 5222 गांवों को लाभान्वित कर दिया है और ये वहां पर नहीं हैं। अब जो प्रगति विवरण दिया है इसमें आप कह रहे हैं कि हम 6,675 गांवों को लाभान्वित पिछले वर्ष तक कर चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 80–81 में आपने 1816 गांवों को लाभान्वित किया तो ये संख्या 6038 होनी चाहिये लेकिन आप कह रहे हैं 6675 गांव ही लाभान्वित हुए हैं। ये दोनों आंकड़े मिस लीड करने वाले हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने जो कुछ भी कहा है या जो आंकड़े दिये हैं, या तो ये आंकड़े गलत हैं, इनमें से कोई न कोई आंकड़ा गलत है। वह जो आपके पास बैठे हैं गैलरी में, वह समझ गये हैं, आप भी उनसे समझ लीजिए और इसका मतलब यह है कि आपने हाउस को मिस लीड किया है, हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच किया है इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया इस हाउस के समाप्त होने तक, तो आपके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जायगा, प्रक्रिया के अन्दर जिसका प्रावधान है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के अन्दर जो रीजनल पाइप लाइन बनाने जा रहे हैं उसमें ये केवल कैटल पापूलेशन को ही ध्यान में नहीं रुक रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ये 1981 की सेन्सस को ध्यान में नहीं रख रहे हैं और ह्यूमन पापूलेशन के रिक्वायरमेन्ट के इनके पास असेसमेंट नहीं हैं तो किसी प्रकार की योजना बनी है, वह निश्चित रूप से फेल होने वाली है और फेल होने के अन्दर आप कई तरह के तर्क देते हैं, उसके अन्दर। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको एक स्पेशल केस राजस्थान का

(श्री परसराम मदेरणा)

रेगिस्तान जो अपने आप मेंएक समस्या-ग्रस्त क्षेत्र है, मैं क्षेत्रवाद की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन सरकार स्वयं महसूस करती है कि वहां की पानी की समस्या अन्य क्षेत्रों की समस्या से भिन्न समस्या है और उसका समाधान उस क्षेत्र के लिए अलग प्रकार की कोई यार्डस्टिक आपने नहीं बनायी या दूसरे प्रकार की गाइड लाइन इश्यू नहीं की, तो मैं समझता हूं आप पश्चिमी राजस्थान के साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं कर सकेंगे वो न्यायसंगत व्यवहार इसलिए नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने जो रीजनल पाइप लाइन या पाइप लाइन की स्कीम, बनाने के लिए जो स्कीम थी, उसमें आपने निश्चित तौर से इस बात के डायरेक्शन गवर्नमेन्ट के निर्देश थे कि नार्मल एरिया, सैमी डेजर्ट एरिया और डेजर्ट एरिया के बीच में 1,3,6 का अनुपात रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसलमेर, जोधपुर, चूरू बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर के बीच में, भरतपुरके बीच में 1–6 का रेशो रहना चाहिए। ये वो गाइड लाइन है। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, अभी तक इस गाइड लाइन सकसेसर गवर्नमेंन्ट ने कोई तबदीली नहीं की है, और जब तक ये प्रिन्सिपल के ऊपर पालिसी के ऊपर सरकार कोई भी परिवर्तन नहीं करती है या संशोधन नहीं करती है तो ये गाइड लाइन अभी तक लागू है और इस गाइड लाइन का आखिरी पेरा है वह इस प्रकार है :

Total allocation should be divided into broad categories 1st in proportion of 1/3/6 to availability of feasible schemes.

स्कीम में तो अवेलेबिलिटी है लेकिन आप जो है, कैटल को शामिल नहीं करते हैं, इसलिए आप मर्दमशुमारी और मालशुमारी दोनों के आंकड़े आपके समक्ष रखिये और तब आप हमारे क्षेत्र की कोई भी स्कीम बनाइये। आपने इसमें लिखा है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, सभापति महोदय, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो अभी तक रीजनल पाइप लाइन बनी हैं, यदि फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले तैयार होती थी और आपको सोर्स की कोम्पीटेंसी और अवेलेबिलिटी के बारे में आप एश्योर्ड थे, तो फिर पूरी की पूरी रीजनल पाइप लाइन योजना, जिन योजनाओं पर कम से कम छः सात करोड़ के आस-पास आप खर्चा कर चुके हैं जिसमें भी पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किस प्रकार से रीजनल पाइप लाइन को हाथ में लेने की सोचते हैं। सभापति महोदय, सरकार को पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक्सप्लोरेटली ट्यूब वैल खोद लेने चाहिएं और एक्सप्लोरेटली ट्यूब वैल से आप निश्चित हो जावें कि यहां पर सोर्स है, उसके उपरान्त ही दूसरे रीजनल पाईप लाइन के कंस्ट्रक्शन और दूसरे कार्य हाथ में लेना चाहिए।

मैं यहां पर, सभापति महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैंड पम्प की स्कीम, जो आप वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट और रेगुलर प्लान के अन्दर चालू करने जा रहे हैं, आपने कुछ संख्या निर्धारित की है।

(श्री परसराम मदेरणा)

आपके कुछ लक्ष्य हैं, 2700 गांवों को अगले वित्त वर्ष के लिए उसमें ज्यादा हैण्ड पम्पस् हैं। आप मेहरबानी करके वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की जो भी आपकी रिपोर्ट है हमने अभी तक देखी नहीं है, यह सदन देखना चाहेगा कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में कौन-कौन से गांव ले रहे हैं। किस-किस प्रकार की योजनाओं को उस गांव में लागू करने जा रहे हैं। इसलिए, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर वितरित कीजिए। यदि आपके पास में उसकी प्रतियां नहीं हैं तो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आपकी स्वीकृत हुई है, वह सदन की मेज पर रखी जावे ताकि माननीय सदस्य उसको देख सकें।

सभापति महोदय, मुझे ऐसी जानकारी मिली है, अभी मंत्री जी के आदेश से जगह-जगह पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंगें हुई थी और हमसे यह पूछा गया था कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए कौन कौन सी स्कीम्स की प्राथमिकता हम देने जा रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि आपका प्रावधान क्या है? प्रावधान का अभी पता नहीं है। तो प्रावधान का पता नहीं, तो स्कीम दस लाख, बीस लाख, तीस लाख की होगी, क्या होगी? मैं मंत्री जी से मिला था उनके चैम्बर में, उस वक्त भी मैंने उनसे निवेदन किया था और मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप वर्ल्ड बैंक की और दूसरे इन दोनों की योजनाओं के अन्दर आप सोचते हैं कि अगले साल में जो प्रावधान 37 करोड़ 21 लाख का करने जा रहे हैं, उसमें अलग अलग जिलों को आप कितनी धनराशि आवंटित करेंगे, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट और नोन वर्ल्ड बैंक कवर्ड एरिया में, ताकि हम प्रायरिटि निर्धारित कर सकें वरना वी आर ग्रोइंग इन दी डार्क। मैं यहां पर भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मुझे सूचना मिली है कि अभी तक कुल मिला कर पी. एच. ई. डिपार्टमेंट ने 70 करोड़ की योजनायें स्वीकृत कर दी हैं और हमसे प्रायोरिटि पूछी है। छठे प्लान में 108 करोड़ का प्रावधान है जिसमें से 70 करोड़ की योजनायें स्वीकृत हो चुकी है। इसके बाद में 38 करोड़ रुपया बचा है और 38 करोड़ के लिए मेहरबानी करके लम्बी 2 लिस्टें गवर्नमेंट की तरफ से मत मांगिये मंत्री महोदय। मैं ऐसा समझता हूं कि पुरानी योजनायें चल रही हैं उनका आगमेंटेशन करने के लिए जो फाइनेंशियल कमिटमेंट मांगा है वह करीबन बीस करोड से कम नहीं है। इसलिए 70 करोड़ और 20 करोड़ मिला कर 90 करोड़ तो समाप्त हो चुका है। अब आपके पास में 18 करोड़ है और तीन साल और बाकी रहेंगे। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने आपके फण्ड्स आपके पास में हों और आपको निश्चित तौर पर उम्मीद हो कि इन 2 फाइनेंशियल एजेंसीज से, इन राज्यों से, राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से हमको धन उपलब्ध होने वाला है, वह हमको कम्यूनिकेट कर दीजिए, वरना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं फयूटाईल और हमको एक्सरसाइज करा के, हमारा ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहते हैं वह लगने वाला नहीं है क्योंकि हमें मालूम है कि आप धनराशि इण्डीकेट नहीं कर रहे हैं।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले कांग्रेस सरकार ने यह

(श्री परसराम मदेरणा)

निर्णय लिया था कि पश्चिमी राजस्थान के लोग आर्थिक तौर पर बहुत गरीब हैं पानी की बडी 2 पाइप लाइनें बिछानी पड़ती है। इसमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन जिसका पहले पांच परसेंट के आस पास पब्लिक कंट्रीब्यूशन रीजनल पाइप लाइन के लिए गावों को देना पड़ता था वह है जो है कम करके मैंने दो परसेंट किया था, और दो परसेंट करने के बाद में फिर उसको वैव कर दिया। वैव करने के बाद में सभापति महोदय, अभी यह मंत्री जी के आने के बाद में कुछ ही दिन पूर्व सरकार ने जो भी स्कीम हाथ में ली हैं, छोटे 2 गांवों की, जो पांच पांच, छः छः लाख की छोटी रीजनल पाइप लाईन्स हैं, जहां पर चालीस हजार, पचास हजार और 58 हजार रुपये पब्लिक कंट्रीब्यूशन मांगा है जहां कि लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। जहां पर चरस और दूसरे जो साधन हैं, दो सौ मीटर गहरे कुंए से पानी निकालने के लिए सात हजार रुपये के साधन उसके पास हों, तो वह एक लीटर पानी निकाल सकता है। वहां बारह में से दस महीने तक कुए पर बैठा हुआ है, वह खेती नहीं कर सकता है, मजदूरी के लिए बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास पशुधन है। ऐसी सूरत में पब्लिक कंट्रीब्यूशन रखना और इस प्रकार के आदेश निकालना और पूर्व में जो सरकार की नीति और सरकार के मंत्री-मण्डल का निर्णय था, उसमें यूनिलेटर्ली जो मंत्री द्वारा या विभाग द्वारा संशोधन किया जाता है और 26 जिलों को बराबर उसके अन्दर एट पार ट्रीट करना और एट पार ट्रीट करके जहां पर पानी कड़वा है, दूसरे एरिया से पाइप लाइन आ रही है जहां पर हजारों रुपया एक एक गांव में जहां पर मजदूर लगे हुए हैं और पावर्टी लाईन के नीचे जिन अन्त्योदयी लोगों की आप बड़ी भारी बातें करते हैं, प्रतिपक्ष के नेता जी उधर है, उनका निवास भी उधर है और अकाल का निवास भी उधर ही है। ऐसी सूरत में हैण्ड पम्प को उसमें निकाल देना और बाकी सभी योजनाओं के लिए पब्लिक कंट्रीब्यूशन ढाई परसेंट का आधार बना देना, मैं समझता हूं कि उस इलाके के साथ में बहुत बड़ा अन्याय होगा और बाकी मंत्रीजी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करेंगे।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप रीजनल पाइप लाइन के सम्बन्ध में अभी जो भी योजना बनाने जा रहे हैं, कैटल पापुलेशन के अलावा आप सोर्स को एश्योर्ड करके और उसके बाद में जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार ऐसी फिजिबल योजना बनाइये ताकि उसमें कैटल और ह्यूमन पोपुलेशन को पानी मिल सके।

यहां पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यहां पर एक उल्लेख किया, अभी मैं यहां पर लेट आया था लेकिन आज सुबह जवाई-हेमावास वर्ल्ड बैंक पाइप लाइन के सम्बन्ध में कुछ चर्चा चली थी। इस सम्बन्ध में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप यह सोच रहे थे कि पाइप लाइन से या चैनल से जोधपुर पानी पहुंचाने के अन्दर आपको जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है वह नहीं पहुंच रहा है तो आपने 1979 के फ्लड्स के बाद में आपने जो डेढ करोड़ रुपयों का रिपेयर्स और लाइनिंगका खर्चा किया। सीमेंट वगैरा

(श्री परसराम मदेरणा)

का वह काहे के लिए किया और दूसरा अगर आप तर्क यह देते हैं कि क्योंकि यह पाइप लाइन ही चैनल के पैरेलल आएगी कैनाल भी चालू रहेगी और पाइप लाइन भी चालू रहेगी ताकि कैनाल से पानी लेते हैं तो इन विलेजेज और आदमियों को पानी की और कैटल पोपुलेशन के लिए सुविधा नहीं होगी, क्योंकि पानी ओवर-फ्लाई हो रहा है, तो मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि यह 60 क्यूसेक की नहर और डेढ करोड़ रुपया पी. एच. इ. डिपार्टमेंट खर्च कर रहा है, काम कम्पलीट नहीं हुए और आप इसलिए कर रहे हैं कि इसका पानी ज्यादा फ्लो होकर जोधपुर को वह पानी मिल जावे। इसलिए इस पाइप लाइन से जोधपुर को पानी देना चाहते हैं और 85-86 के अन्दर उसी वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अन्दर आप चैनल राजस्थान कैनाल से लाना चाहते हैं, तो यों भी पानी का ओवर फ्लेट हो जाएगा। पानी की जितनी क्षमता का, जितने क्यूसेक की जोधपुर की जितनी आबादी है, जितनी बढ़ी हुई आबादी है या जो विलेजेज हैं कि जरूरत हैं तो उसमें पानी उड़ जाता है, वेस्ट बहुत होता है। आप राजस्थान कैनाल की चैनल वहां से क्यों ला रहे हैं? आप इस योजना के सम्बन्ध में पुनर्विचार करें। इन शब्दों के साथ में मैं मांग संख्या 27 के संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मांग संख्या 34 के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी जोधपुर आये थे। उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि मार्च के अन्त में कुछ काम प्रारम्भ कर दिये हैं, जोधपुर जिले में जहां हमेशा पिछले अकाल के समय में डेढ़ पौने दो लाख मजदूर काम पर लगाये गये हैं, मार्च में पचास हजार मजदूर काम पर लगाये जायेंगे। मंत्री जी वहां पहुंचे और तीन तारीख को हमें आपने सर्क्यूलेट किया था आंकड़ा, उसमें उस समय जोधपुर में 19 हजार लेबर थे। आपके पहुंचने के बाद वह संख्या 21 हजार नौ सौ के आसपास हो गई, इसका मतलब है कि एक हजार बढ़े। 19,800 थे 21,900 हो गये।

एक माननीय सदस्य : दो हजार बढ़े।

श्री परसराम मदेरणा : दो हजार नहीं बढ़े। आपने आने के बाद जो तत्परता दिखायी, जो आपने निर्देश दिये, और आपके निर्देश देने के बाद जो आज असर हुआ है तारीख आज 24 है, 400 आप बता रहे थे, 20 दिन के अन्दर 1200 लेबर बढ़े। इसका मतलब फोर लेबर रोज नहीं बढ़े। काम सैंक्शन करने की वहां पर जो घोषणा की थी वह संख्या 30/40 के आसपास है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब एक ही दिख रहा है, रिलीफ डिपार्टमेंट के पास आपरेट करने की एबीलिटी इम्पासिबिल दिख रही है, वह आपरेशन आपरेट करने की एबीलिटी उसमें नहीं है जो कुछ कमियां हैं, उनको दूर किया जाकर वहां के लोगों को राहत दी जानी चाहिये। मैं यही इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची): व्यवस्था का प्रश्न है। जिन्दगी और मौत का प्रश्न है मैंने सुबह अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही थी। मैं आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से निवेदन करता हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं उससे पहले आपके

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

भी बच्चे होंगे, और मां बहिनों के भी बच्चे हैं। मैं जिस प्रकार चुनकर अपने मां-बाप को छोड़ कर जयपुर आया, सभापति महोदय, अगर मुझे कुछ हो जाये तो उनका पीछे खयाल कौन करेगा ? सभापति महोदय, महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान से सुनिये ।

आज सुबह प्यास लगी। पानी पीने के लिये नल खोला। सभापति महोदय, राजवंशी जी इस पानी को पीकर देखें, इसमें सांप का बच्चा है। अगर यह सांप का बच्चा मेरे पेट में चला जाता तो क्या हालत होती मेरी ? सभापति महोदय, विधायक-नगर की टंकिया साफ नहीं की जाती। विधायक नगर का पानी इतना गन्दा है, वहां की टंकियां साफ नहीं है, यह अफसोस का प्रश्न है।

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय, त्याग पत्र दे दें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मंत्री महोदय त्याग पत्र नहीं दें । सभापति महोदय, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिये। यह सांप का बच्चा, यह तैर रहा है, यह जिन्दा है। मैं सदन की मेज पर रखता हूं। यह जिन्दगी और मौत का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, नागरिकों की और विधायकों की । इसलिये मेहरबानी करके इसकी जांच करवाईये ।

श्री यदुनाथ सिंह : इसको बड़ा होने दीजिये।

श्री सभापति : ऐसा है यह पानी की शीशी, आप बेहतर यह है कि पी. एच. इ. डी. मंत्री को दे दें, वह जांच करवायेंगे ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैं हमेशा कोई बात करता हूं, आपके माध्यम से तो यह सांप का बच्चा शीशी में बन्द करके आपके माध्यम से····

श्री सभापति : यह जांच करा लेगें।

एक माननीय सदस्य : सदन की प्रापर्टी है । सदन में यहां रखकर इसकी जांच करवाइये। सांप जिन्दा रहना चाहिये, यह जिम्मेदारी है। सांप जिन्दा रहना चाहिये, मर नहीं जाये। इसका ध्यान रखा जाये, अकाल राहत मंत्री जी सांप को जिन्दा रखेंगे भूख से मर नहीं जाये।

श्री यदुनाथ सिंह : सांप मर गया तो सांप का हिसाब लेंगे। सांप जिन्दा रहना चाहिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय सभापति महोदय, बहुत गंभीर मसला है, मंत्री महोदय की ओर से वक्तव्य आना चाहिये। 50 एम. एल. एज. का सवाल है। हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, मंत्री महोदय ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय अपने डिपार्टमेंट से जांच करा लेगें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जहां विधायक रहते है, उनके साथ यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य के साथ इस तरह की खिलवाड़ भविष्य में न किया जाये। इसका आश्वासन दिया जाये।

(व्यवधान)

(142)

श्री महाराम चौधरी : मौत और जिन्दगी का सवाल है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : जब मैं जवाब दूंगा, उस समय आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सभापति : जानकारी लेंगे अपने डिपार्टमेंट से।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अफसरों क्या फोकट की रोटी लेते हैं। फोकट की तनख्वाह लेते हैं। इतने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ? नौ महीने से सफाई नहीं करवायी है। इसका जवाब दिलवाइये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, आज के विषय पर मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं उससे पहले, आसन द्वारा दी गई कल की व्यवस्था के बारे में पुनः आसन को याद दिलाना चाहूंगी। कल सुबह प्रश्न काल के दौरान मेरे पहले प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने उसे स्थगित करने को कहा था लेकिन आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी, वह ताड़ना दी गई थी कि कम जितना संभव हो सके पूरी सूची तहसील वाइज उपलब्ध कराई जाये। मंत्री महोदय ने कहा था कि जितना हो सकेगा, वह भरसक प्रयत्न करके तहसील वाइज सूची दे देंगे। मुझे दुख है कि उन्होंने सूची नहीं दी है। वह तो कोई बात नहीं। लेकिन चुनांचें यह व्यवस्था आसन के मार्फत हुई थी, लिहाजा कम से कम इतना तो उनका कर्त्तव्य था, इतनी तो उनकी आसन के प्रति निष्ठा होनी चाहिये थी कि वह खड़े होकर आसन से क्षमा याचना करते कि सूची उपलब्ध कराने में वह कामयाब नहीं हो सके। मुझे बड़ा खेद है कि इस सरकार की नजर में आसन की, सदन की, यह निष्ठा हो तो वह जनता के प्रति कितनी निष्ठावान रहेगी, इसका उदाहरण मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, अकाल के बारे में हम अपनी बात शुरू करें और कहें कि हमारे यहां पर कितना अकाल है, और कितना आपने दूर करने का प्रयत्न किया है, वह तो बाद की बात है। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि राजस्थान में इतना भयंकर अकाल है माननीय हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री को फुर्सत मिल गई कि वह राजस्थान के अकाल क्षेत्र के गांवों का दौरा कर सकें लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय पहाड़िया, राजस्थान के मुख्य मंत्री को इतना होश नहीं रहा, उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वह राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर सकते। आज जब संजीदा मसले पर बहस हो रही है, उस समय एक पलको सदन में आकर अपनी सूरत दिखा सकते ? बड़े अफसोस की बात है। इसके बावजूद हम अपनी मांगों की तरफ, हम अपनी समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन मुझे शक है, आप इस ओर कितना ध्यान देंगे। कितना तवज्जोह देंगे, भगवान करें आपको सद्बुद्धि हो, आप अब भी इन गांवों का, अभाव ग्रस्त गांवों का, दौरा शुरू करे उनकी सुध बुध लेना शुरू करें, ताकि राजस्थान में भीषण अकाल है, उनका मुकाबला हम सब मिलकर कर सकें। भारत सरकार को इस सरकार द्वारा ज्ञापन दिया गया, इसमें आपने 173 करोड़ रुपया

(सुश्री पुष्पा जैन)

अकाल पर खर्चा होना बताया। जिसमें अकाल पशुधन, चारा, पानी की व्यवस्था-आदि का व्यय शामिल है। मुझे समझ में नहीं आया, आपकी एडवांस प्लानएसिस्टेंस और मार्जिनल मनी सब मिलाकर जितनी आपकी मनी सोर्सेज थे, उसमें आप 42 करोड़ का प्रावधान कर पाये। आपने बजट में दिया है, आपने कहा कि 57 पाइन्ट समथिंग, 57.89 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है। 57.89 करोड़ का व्यय अनुमानित किया लेकिन 42 करोड़ का प्रावधान किया और 57.89 करोड़ का अनुमान बता दिया। बाकी पैसे का प्रावधान कहां से करें इसका कोई हवाला नहीं दिया बजट में और सदन को बताया भी नहीं।

सभापति महोदय, चार लाख लोगों को 7 रुपया पर डे पर काम दिया जायेगा। आपने बताया कि इतने मजदूर काम कर रहे हैं। तो या तो ये गलत बयानी कर रहे हैं या सरकार के आंकड़े गलत हैं। 4 लाख को काम दिया जायेगा तो, सभापति महोदय, 28 लाख रुपये पर डे होते हैं प्रति महीने 9 करोड़ और 4 महीनों में 36 करोड़ मजदूरी के होते हैं। बाकी चारा, पशु संरक्षण और अन्य सारी अकाल की व्यवस्था कहां से करेंगे मुझे समझ में नहीं आता।

पीने के पानी का मदेरणा जी ने कहा था कि हैण्ड पंप की व्यवस्था बिल्कुल यूजलैस है। मैं उनकी बात से इत्तफाक करके कहना चाहूंगी कि सरकार उस पर विचार करे। आप खांमखां "पैसा फेंको तमाशा देखो" वाली बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, बिलकुल यह बात चरितार्थ होती हैं। आप व्यर्थ पैसा फेंक रहे हैं उनका कहीं समुचित योगदान होना चाहिये, कोई उपयोगिता होनी चाहिये। व्यर्थ पैसा फेंक कर इस तरह से वाह-वाही लेना चाहते हैं तो वह नहीं मिलेगी। आप कुछ समाधान कीजिये। इस तरह हैण्ड पंप लगाने का लालीपाप दिखा कर आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों पर कहा कि पिछली सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो आज तक न तो इस सरकार ने कन्फेशन किया कि हम पिछली सरकार के अनुसार चलना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि एक क्विंटल अनाज पिछली सरकार के समय में अकाल राहत के संबंध में प्रत्येक पंचायत को दिया जाता था लेकिन इस सरकार के समय में आज पंचायतों के पास इतना अनाज नहीं कि समस्या को निपटाने के लिये कोई भी अकाल राहत किसी परिवार को दे सके। फूड फार वर्क में आपने कई बातें कही, नाम भी तबदील कर दिया और अब इसको दूसरी तरह से करना चाहते हैं लेकिन जो हालत गांवों में है, आपने भी दौरा किया होगा। माननीय सदस्यों ने भी दौरे किये होंगे, 15 हजार काम राजस्थान में चलाने थे। जो अकाल पीड़ित है जिनकी न तो सरकार व्यवस्था कर पाई है और न कोई काम आरंभ करवाये हैं।

सभापति महोदय, जनता शासन में 17 लाख की सहायता असहायों के लिये दी गई थी लेकिन इस सरकार ने असहायों की अभी

(सुश्री पुष्पा जैन)

तक कोई भी मदद नहीं की है जब कि उनकी बात कही गई है।

अकाल के बारे में माननीय सदस्यों ने काफी कुछ कहा। मैं एक ज्वलंत उदाहरण पेश करना चाहूंगी। माननीय पहाड़िया जी ने भरतपुर में जो चुनाव लड़ा था सभापति महोदय, 22 अक्टूबर को उसकी गिरदावरी हो चुकी थी, 15 अक्टूबर तक हो चुकी थी और उसका गजट नोटिफिकेशन छप चुका था लेकिन उसके बाद भरतपुर का गजट नोटिफिकेशन वापिस छपा। 22 अक्टूबर को भरतपुर में खराबा था 2 प्रतिशत लेकिन 12 दिसम्बर को 67 प्रतिशत खराबा हो गया। यह अपने आप में अनोखा उदाहरण है। 12 दिसंबर को वापिस गिरदावरी करवाई जाती है उसमें 67 प्र.श. खराबा

(4-15 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन.)

बताया गया है। 11 दिसंबर को कलक्टर महोदय जयपुर में आते हैं और 15 को वापिस चले जाते हैं। 22 दिसंबर को जो रिपोर्ट दी उसका सर्वे करा के लेकर आये उस पर एस.डी.ओ. ने इतना खराबा कायम करने से मना कर दिया। जिसका परिणाम क्या निकला, एस.डी.ओ. का ट्रांसफर करवा दिया धौलपुर और दूसरे एस. डी. ओ. से रिपोर्ट पर साइन करवा दिये। यह हालत है सरकार की, यह पक्षपातपूर्ण रवैया है सरकार का।

सभापति महोदया, अन्त में, इधर तो भरतपुर की हालत बताई कि किस प्रकार दुबारा गिरदावरी हुई और सेन्टपरसेंट दुबारा खराबा बता कर दुबारा नोटिफिकेशन कराया गया। दूसरी तरफ जो तवज्जाए आमेर की ओर, मैं नहीं जानती और भी कई सदस्य होगें जिनके साथ पक्षपात किया होगा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण पेश करना चाहूंगी। सभापति महोदया, यह जो बजट दिया गया है इसमें आमेर विधान सभा क्षेत्र के शत प्रतिशत गांवों में अकाल घोषित किया गया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पडता है कि इसमें प्रस्ताव लाने के बावजूद आमेर विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक भी काम अकाल राहत के रूप में शुरू नहीं करवाया गया है। वहां एक भी मजदूर को काम नहीं दिया गया है। मैं दौरे पर गई तो मालुम हुआ कि गरीब लोग, औरतें, रो रहे हैं। वे कहने लगे कि जनता शासन में कम से कम मजदूरी तो मिल जाती थी, पेट तो भर लेते थे, लेकिन आज बच्चे हमारे सामने रो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और उनको इतनी भी मजदूरी नहीं मिलती कि कम से कम पेट पाल सकें। जब मंत्री महोदय जवाब दें तो यह पक्षपात छोड़कर, राजनैतिक भावना को भुला कर कुछ करें। यह जनता का तो कसूर नहीं है। कांग्रेसी प्रत्यासी हार गया, जनता पार्टी का प्रत्यासी जीत गया, आपकी सरकार बन गई, आप बहुमत में आ गये तो यह जनता का तो कसूर नहीं है। उसकी सजा देनी है तो हमें दें, लेकिन जनता ने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया है। आपको तो खुश होना चाहिये कि आप बहुमत में आ गये हैं। अगर आप पक्षपातपूर्ण रवैया अपनायेंगे तो भविष्य में आपकी

(सुश्री पुष्पा जैन)

क्या हालत होगी ? लिहाजा मैं चाहूंगी, सभापति महोदया, मंत्री महोदय इसका खास तौर से जवाब दें। हो सकता है मैं गलती कर रही हूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में तीन तहसीलों में, आमेर तहसील में 33 पंचायतें हैं, जमवा रामगढ़ में 11 और जयपुर में मिलाकर कुल 46 पंचायतें हैं जिनमें एक भी गांव उदाहरण के तौर पर बता दें कि उन्होंने कोई अकाल राहत का कार्य शुरू करवाया है। बड़े दुख की बात है। जो अकाल राहत की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्ष स्वयं मंत्री महोदया हैं, उनके सामने जिक्र आया तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव दीजिये। सभापति महोदय, मैंने ढ़ाई लाख से नीचे प्रस्ताव दिये और 2 लाख से ऊपर के प्रस्ताव भी दिये और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 14-3 को अभी रिसेंटली जो मीटिंग बुलाई गई और सारी कार्यवाही पर मोहर लगवाने के लिये कहा गया तो मैंने कहा हमारी विधान सभा क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं दिया होगा। मैंने कहा कि आप जरा मिनिट्स देखिये। वह देखी गई तो आपको ताज्जुब होगा कि सारे के सारे प्रस्ताव निकाल दिये गये। एक भी उसमें नहीं लगाया गया और, सभापति महोदया, यह कह कर टाल दिया कि राज्य सरकार को भेजे हैं। अब राज्य सरकार स्वीकार करे या न करे। ऐसी सूरत में आपके मार्फत मंत्री महोदय से मैं चाहूंगी कि अगर उनके नोटिस में यह बात थी तो पुनर्विचार करें और अगर नोटिस में नहीं थी तो मैं ध्यान दिला रही हूं, खासतौर से अनुरोध कर रही हूं कि वे पुनर्विचार कर जवाब देते समय बतायें कि किसी गांव में काम शुरू करवाया है या नहीं और अगर नहीं करवाया तो अकाल घोषित क्यों किया है। अगर आप चाहती हैं कि जो कुछ किया वह गलत था, आपको उसका पश्चाताप है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का हक है, कोई भीख नहीं ले रहे हैं। राजस्थान सरकार के नुमाइन्दे के रूप में आप यहां बैठे हैं इसलिये आपसे कह रही हूं। कोई और होता तो निश्चित रूप से उसे कहती। इसलिये आप ध्यान देकर हमारे आमेर विधान सभा क्षेत्र के अकाल घोषित गांवों में जल्दी से जल्दी काम चालू करवावें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत (अनुपस्थित) श्री महेन्द्रकुमार (अनुपस्थित) श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी) : सभापति महोदया, मैं पहले सरकार के बारे में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान के अन्दर सभी जिले अकाल ग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं परन्तु कौन से जिले किस तरह अकाल से प्रभावित है, यह बात अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो जो जिला भयंकर अकाल से प्रभावित है, जिस जिले में अकाल की विभीषिका भयंकर है, उस जिले की जनता अकाल से पीड़ित रहेगी और उनको कोई राहत नहीं मिल पायेगी।

सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर पश्चिमी राजस्थान जिसके अन्दर बाड़मेर जिला जो कि पाकिस्तान की सीमा पर

(श्री हेमाराम चौधरी)

श्राया हुआ है, वहां पर जो ग्रकाल है वैसा शायद राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं है....

श्री चन्द्रवीर सिंह : जैसलमेर में है।

श्री हेमाराम चौधरी : जैसलमेर, बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में है। राजस्थान सरकार ने यह सोच करके राजस्थान के अन्दर अकाल की भयंकर समस्या है, किस जिले में ज्यादा पड़ता है, यह सोच करके राजस्थान सरकार ने हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रोग्राम बाड़मेर जैसलमेर जिले में रखा था लेकिन जितनी सहायता मिलनी चाहिये थी उतनी सहायता नहीं मिल रही है। इसलिये मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो सहायता दी गई है, वह नगण्य है। बाड़मेर जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें ताकि वे लोग जिन्दा रह सकें। बाड़मेर, जैसलमेर जिले के अन्दर संवत् 2025, 1036 यानि 1968-69 और 1969-70 में ये दो भयंकर अकाल पड़े थे। उसके बाद यह तीसरा अकाल पड़ा हैं। कई गांवों में दो दो साल से, कई गांवों में तीन साल से और कई गांवों में चार साल से अकाल है। इस तरह की स्थिति है। संवत् 2025 में अकाल पड़ा था तो संवत् 2024 के अन्दर बाड़मेर जिले के अन्दर अच्छा जमाना था। इतना अच्छा कि सरकार अनाज नहीं खरीद सकी, व्यापारी अनाज नहीं खरीद सके और वहां की अनाज की मंडियों में ढेर लगा रहता था। उसके बाद संवत् 2025 में अकाल पड़ा था, तब हमारी गवर्नमेन्ट ने जो मदद की उसका विवरण में दूं तो उस समय जो सहायता दी गई थी उसके अनुपात में इस साल वह मदद बिलकुल ही कम है। हमारे जिले के अन्दर संवत् 2025 में मजदूर लगाये थे, दिसम्बर में 1 लाख 24 हजार, जनवरी में 1 लाख 30 हजार 350, फरवरी में 1 लाख 39 हजार 824, मार्च में 1 लाख 24 हजार 364, अप्रेल में 1 लाख 39, 639, मई में 1,70,000 और जून में 1,70,5661 यह 1968-69 की बात है। उस समय जो जनसंख्या थी उससे आज की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। इसको भी साथ में कान खोल कर सुन लें और मद्दे नजर रखें तो इस समय हमारे जो मजदूर काम कर रहे हैं, जिसका विवरण प्रतिवेदन में है, उसके अनुसार वहां पर 50,000 मजदूरों को काम दिया गया है जबकि मार्च में 1,24,364 मजदूरों को काम दिया गया था। उस समय बाड़मेर की कितनी जनसंख्या थी और अकाल की विभीषिका भी संवत् 2025 के मुकाबले इतनी ज्यादा खराब है। इसलिये मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर लोग अकाल से जूझ रहे हैं। एक एक दाने को तरस रहे हैं। अपनी जिन्दगी, मौत के साथ खेल रहे हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता नहीं पहुंचेगी तो खराब हालत होगी और उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आदमी अनशन एक महिने भी करे तो वह मरता नहीं है। एक दिन छोड़ कर आल्टरनेट खाना खावे तो मरता नहीं है। एक टाइम खाना खावे तो उसकी मौत नहीं होगी। यह तो मैं कह सकता हूं कि उनका स्वास्थ्य गिरता जायेगा और उनकी काम करने की शक्ति क्षीण होगी और आने वाले समय के अन्दर बरसात होगी तो क्या

(श्री हेमाराम चौधरी)

होगा। काम नहीं हो सकेगा। भूखा आदमी क्या कर सकता है। उसकी काम करने की शक्ति क्षीण हो सकती है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो मजदूर लगे हुए हैं और जो उनको पेमेन्ट हुआ है उसके बारे में, मैं थोड़ा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां पर शुरू शुरू में नवम्बर के अन्दर टेस्ट रिलीफ वर्क खुले हैं, बाड़मेर में। टेस्ट रिलीफ वर्क खुले हैं जिसके अन्दर नवरातीपुरा में एक टेस्ट वर्क खुला है। जहां पर हमारे देशकी प्रधान मत्री आई थी, जिन्होंने उसी टेस्ट रिलीफ वर्क को देखा था लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि इस टेस्ट रिलीफ वर्क पर लगे हुए मजदूरों को 70 पैसे से लेकर 1·50 रुपये तक का भुगतान किया गया है। सभापति महोदया, यह जो पेमेन्ट इस सड़क पर किया गया है, वहां किसी सड़क पर, इतना कम पेमेंन्ट और किसी सड़क पर नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है? इसके पीछे षड़यन्त्र है। मंत्री महोदय इसकी जांच करावें कि यहां इस सड़क पर इतना कम पेमेन्ट क्यों हुआ है, जबकि बाकी की सड़कों पर 70 पैसे से 1·50 रुपया इससे ज्यादा हुआ है। इसी सड़क के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सड़क चल रही है, उसका अर्थ वर्क का काम है, उसके पेमेन्ट की बात हो रही है, जो लेवल शुदा है। वहां पर पेमेन्ट हुआ है चार रुपये से साढ़े चार रुपये तक और जिसके अन्दर नाप किया जा सकता है, चार रुपये तक उसका पेमेन्ट किया गया है और जो मिट्टी है उसका ढंग से नाप नहीं हुआ है। मनमाने ढंग से इन गरीब मजदूरों के साथ अन्याय किया गया है और जानबूझ कर उनके पेमेन्ट में भारी कटौती की गई है। या तो यह है कि इनको कम पेमेन्ट किया गया है या जानबूझ कर ज्यादा पेमेन्ट किया गया है, ठेकेदारों को लाभ पहुंचानेके लिये। दोनों में से एक बात अवश्य है। घोटाला इसमें जरूर हुआ हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इसकी जांच अवश्य करावें। या तो सरकारी कर्मचारी क्योंकि इस सड़क के ऊपर हमारी प्रधान मंत्री आई इसलिये बदनाम करने के लिये ऐसा कर रहे हैं। इसलिये मंत्री महोदय इस ओर अवश्य ध्यान दें।

अब हमारे जिले के अन्दर जो सरकारी कर्मचारी, पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी और नीचे के अधिकारी हैं, वे किस तरह से मजदूरों को परेशान करते हैं, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। समय कम होने से पेश नहीं कर सकता हूं लेकिन यह एक सड़क का उदाहरण पेश किया है। उसके बारे में मंत्री महोदय जांच करेंगे तो निश्चित रूप से मामला साफ नजर हो जायेगा।

बाड़मेर जिले के अन्दर अकाल राहत कार्य बाड़मेर लोको से शिवगंज तक चलता है जिसके ऊपर 16-2-1981 से 28-2-1981 तक एक 15 दिन का सप्ताह होता है। वहां जो काम चला है, उसके पेमेन्ट के बारे में मैं थोड़ा आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मस्टर रोल नं. 30666 से 30680, इसके जो वहां पर जूनियर इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर हैं, उन्होंने किस तरह से इसके अन्दर मेजरमेन्ट चढ़ाया है, किस तरह से पेमेन्ट इनका बनाया है,

(श्री हेमाराम चौधरी)

उसका थोड़ा मैं बयान करूंगा। मस्टर रोल नं. 30666 से 30672 तक यह मस्टर-रोल है, इसमें पहले जूनियर इन्जीनियर से 4·10 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से पेमेन्ट चढ़ाया है। यह मस्टर रोल है, इसको मंगवा कर देखा जाये। इसके बाद में उन्होंने इसको काट कर के 3·10 पैसा 3·13 पैसा चढ़ाया है। सभापति महोदय, इसको बाद में काट कर 1.74 पैसा चढ़ाया है। यह तो इस मस्टर-रोल के बारे में कह रहा हूं। इससे साफ जाहिर होगा कि इस तरह से पहले चढ़ाया गया है, 1.74, 4.13 इस तरह कांटा-छांटी की गई है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, भ्रष्टाचार, रिश्वत खोरी हो सकती है, या दूसरा कोई कारण हो सकता है, या हमारी सरकार को बदनाम करने का कारण हो सकता है, लेकिन गरीब के साथ भारी अन्याय हुआ है। इसकी आप जांच करें कि इस तरह से जिस अधिकारी ने किया है, उसको तुरन्त बरखास्त किया जाये। यही नहीं, इस तरह के कई मामले हैं परन्तु मैं एक ही पेश करना चाहूंगा। इसकी डिटेल मैं और पेश करना चाहूंगा। इस रोड के ऊपर मस्टर रोल 30673, 30680 जिसके अन्दर पहले 3.90 पैसा चढ़ाया, फिर उसको काट कर 2.09 पैसा किया और फिर उसको काट कर 1.74 पैसा किया है। इस तरह से इस रोड के ऊपर इसी सप्ताह का मस्टर रोल है 31069 से 310711, यह मस्टर रोल है इस पर पहले 2.45 चढ़ाया है। फिर उसको काट कर 1.43 पैसा चढ़ाया है। इसी तरह से इस रोड पर इसी सप्ताह के मस्टर रोल 31072, 31074 व 31075, इनके ऊपर इतनी कांटा छांटी की गई है कि कहीं पर भी जगह नहीं रही इसलिये इसके ऊपर स्लीप चिपका दी गई। सफेद कागज चिपका कर दुबारा और यह सारा काम किया गया है। उसी रोड पर मस्टर रोल नम्बर 31 हजार 77 में 2 रुपये 45 पैसे और फिर 2 रुपये 66 पैसे और 1 रुपया 43 पैसे किये गये हैं। इस तरह से धान्धली इस सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैल रही है अधिकारी अकाल राहत में लगे हुये मजदूरों का पेमेंट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तो इस तरह की धान्धली हो रही है। मैंने अभी आपके सामने इसका उदाहरण पेश किया है और भी इस तरह के कई उदाहरण हैं, अगर मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनको अलग से पेश कर सकता हूं। इस तरह से हमारे गरीब मजदूरों के पेमेंट में कमी हो रही है। जानबूझकर पी० डब्लू० डी० के कर्मचारी और अधिकारी उनके पैसों में कमी करते हैं क्यों करते हैं, इसका एक बड़ा कारण है वह यह है कि जो पेमेंट हो रहा है, वह अब राजस्व अधिकारी की मार्फत हो रहा है जिसके कारण पी० डब्लू० डी० के पास पैसा नहीं आ रहा है। जिन मजदूरों का पेमेंट काटा गया है निश्चित रूप से उन्होंने मजदूरों से पैसे लेने की बात की होगी और मना करने पर ही उनके पेमेंट में कटौती की गयी है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर इस तरह से घोटाले हो रहे हैं इसकी जांच करावें। एक और उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता। जो श्रमिक सड़को पर काम करता है उसको 70 पैसे का पेमेंट किया जाता है। तो क्या आपके यहां पर चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक किसी की तनख्वाह में कटौती हुई है? क्या जिनको तनख्वाह दी

(१४९)

(श्री हेमाराम चौधरी)

जाती है वे हमेशा काम ही करते है उनके काम के मेजरमेंट का क्या मापदण्ड है कि चपरासी ने या मुख्य सचिव ने इतना काम किया है इसके कारण उनको इतना पेमेंट किया जायेगा। लेकिन अकाल राहत के अन्दर मजदूरों को जिसको सरकार जिन्दा रखना चाहती है, उसको किसी तरह बचाना चाहती है, दूसरी तरफ आप उनका पेमेंट काट रहे हैं ? आपके अधिकारी लोग और कर्मचारी लोग उनका पेमेंट काट रहे हैं। यह हो सकता है कि उनमें से कुछ काम नहीं करते हों लेकिन इसमें दोष उन मजदूरों का नहीं है कि वे कम काम करते है। दोष तो वहां के पी.डब्लू.डी. के कर्मचारियों का है अधिकारियों का है जो काम नहीं कराते हैं। उनसे काम नहीं लेते हैं बैठे रहते हैं। सलावड़ा गुड़ा रोड़ पर हजारों मजदूर लगाये गये थे। करीब पांच छः हजार मजदूर लगाये गये थे। उन पर कोई कन्ट्रोल नहीं कर रहा है। कोई काम करे तो कैसे करे क्या करे, कोई कराने वाला नहीं है। इस तरह से जब कोई काम कराने वाला नहीं है तो काम किस तरह पूरा करें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि वहां पर जो मेजरमेन्ट करते हैं वह सब का एक साथ करते हैं। बीस-बीस अलग-अलग गैंग है उनका अलग-अलग मस्टर रोल है, लेकिन उनके काम को अलग-अलग नहीं नापा जाता है, एक साथ करते हैं। तो, श्रीमान, इस तरह से जो कम काम करते हैं और जो ज्यादा काम करते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ आदमी ऐसे हो सकते हैं जो काम नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के जो वहां काम नहीं करते हैं, सड़कों पर घूमते हैं यह सम्भव है, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनको पेमेंट होना चाहिये। जब उनको पेमेंट नहीं होता है तो वे निराश हो जाते हैं। जो लोग काम नहीं करते हैं उनको भी 1.74 रुपये मिलते हैं और जो लोग काम करते हैं उनको भी इतना ही पैसा मिलता है। उनको पूरा पैसा नहीं मिलता है उतना ही पैसा मिलता है, फिर काम क्यों करें। कारण यह है काम न करने का इसलिये मंत्री महोदय सावधान करें अपने कर्मचारियों को, कि वे काम लें। कैसे आदमी काम नहीं करेंगे लेकिन उनमें काम लेने की भावना नहीं है। ओवरसियर वहां पर नहीं आता है, ए. इ. एन. नहीं जाता है, और बाड़मेर में बैठे-बैठे ही काम होता है। वे एक पैसे की तकलीफ नहीं करते हैं। कर्मचारी तकलीफ नहीं करेंगे तो मजदूरों का क्या हाल होगा, यह सोचने की बात है। शायद मंत्री महोदय इसका जवाब देंगे। जो मेजरमेंट किया जाता हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वह सारा एक मस्टररोल के पीछे लिख दिया जाता है। हर मस्टर रोल का अलग-अलग नाम से नहीं चढ़ाया गया है। एक साथ चढ़ाया गया है, बीस-बीस का एक साथ चढ़ाया जाता है। फिर उसी हिसाब से उनका पेमेंट कर दिया जाता है तो जो काम करेगा उसको भी उसी हिसाब से मिलेगा और नहीं करेगा तो भी उतना ही पैसा मिलेगा। इसलिये कृपया इसमें सुधार करें जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिल सके। ऐसी व्यवस्था कर्मचारी करें और सरकार करे कि पेमेंट ज्यादा से ज्यादा मिल सके, अकाल के अन्दर मदद मिल सके, जिससे कि इस अकाल का मुकाबला किया जा सके।

(150)

(श्री हेमाराम चौधरी)

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि सात रुपये की मजदूरी देने की घोषणा की गयी है, उससे हमारे यहां के मजदूरों को फायदा होने वाला नहीं है। जो स्टेन्डर्ड है मेजरमेंट का, जो फेमीन के अन्दर कम किया गया था 70 प्रतिशत को 100 प्रतिशत मान लिया गया था। अब पी. डब्लू. डी. की रेट से करना शुरु किया है जिससे कि अगर पी. डब्लू. डी. की रेट से करायेंगे तो उनको उतना ही पैसा मिलने वाला है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस अकाल के अन्दर लोगों को समय पर भोजन नहीं मिले जिससे कि उनकी शक्ति क्षीण हो जायेगी जो बूढे हैं, उनके यहां पर काम करने वाला नहीं है वह भी फेमीन पर लगेगा, एक औरत भी लगेगी। इस तरह से सब आदमी बराबर काम नहीं कर सकते हैं इसलिए जो मेजरमेंट हैं उसमें कटौती करें। यह मदद का मामला है या नहीं। इस तरह से दूसरी जगह काम करते हैं तो इतना काम नहीं करेंगे तो पेमेंट नहीं मिलेगा।

दूसरी निवेदन यह है कि औजारों की कमी है। आज जो पत्थर तोड़ने का काम है वह विना औजार के तोड़े नहीं जा सकते हैं और तगारी आदि का प्रश्न है जो औजार हैं वह नहीं है। सलवाडा गुढा रोड पर औजार है लेकिन बाकी जो काम चल रहे हैं, वहां पर नहीं है। बिना औजारों के कैसे काम करेंगे। फिर उनकी मजदूरी कम की जायेगी तो तगारी वह काम करने के लिये क्या अपने घर से लायेगा? रेती और फावड़ा भी नहीं देते हैं, जो ग्रेवल का काम है वह भी है बिना औजारों के नहीं हो सकता है। आज औजारों की बड़ी भारी कमी है। इसलिये यह सारी व्यवस्था करें। कर्मचारी औजार नहीं देते हैं तो दोषी कौन है, काम में लगे हुये एक हफ्ता हो गया है लेकिन औजार नहीं दिये गये हैं तो उनको तो एक हफ्ते की मजदूरी का पेमेंट नहीं मिलेगा। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने औजार चाहिये वे देने चाहिये। उनको उपलब्ध करायें ताकि काम में कटौती न हो और गरीबों के साथ न्याय हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम किये जा रहे हैं, सड़कों पर अकाल राहत के तहत, उसके अन्दर केवल मिट्टी का काम करवा रहे हैं और ग्रेवल आदि का काम अभी भी नहीं हो रहा है। जो मिट्टी का काम है वह पांच 10 दिन में मिट्टी समतल हो जायेगी, सारा पैसा बेकार जा रहा है। इसलिये निवेदन करूंगा कि वह ग्रेवल का काम मिट्टी के साथ हो बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि वह उससे भी पहले हो और अर्थ-वर्क हो तो ही विकास का काम हो सकता है। इसको भी आप मद्दे नजर रखें।

एक आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर एक तरफ तो सरकार करोड़ों रुपयों के पेड़ लगा रही है और एक तरह भारी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। जब तक भूखे आदमी को रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी तो वह पेड़ काटेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसलिये उसको जब तक काम नहीं देंगे तो पेड़ भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। यही स्थिति रही तो जो पेड़ हैं, जो पहले ही संख्या में काफी कम है वह भी सारे कट जायेंगे। बिलकुल उजाड़ हो जायेगी। आने वाले समय में गांवों में जो तीसरे चौथे साल वर्षा होती है वह भी समाप्त हो जायेगी। उसकी सम्भावना समाप्त हो जायेगी सारे पेड़ कट जायेंगे और सरकार जो नये पेड़ लगाने पर खर्च कर रही है वह व्यर्थ जायेगा।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से और निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि मुझे मालुम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने एडवान्स प्लान असिसटेन्स के रूप में पांच प्रतिशत राशि दी है। इसके लिये मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि पूरा सदन प्रस्ताव पास करके भेजे कि यह राशि पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत की जाये। आखिर वह पैसा खर्च तो होना ही है, चाहे इस साल में हो चाहे अगले साल में हो, लेकिन जब इस साल हालत खराब है तो इस साल दे दें तो काम का भी विकास हो सकेगा और लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा जिससे कि वह अपना जीवनयापन कर सकता है....

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : पेयजल की समस्या के बारे में वैसे तो परसराम जी बहुत सारा निवेदन कर गये हैं लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्य : अकाल बहुत ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष :इसलिये तो कह रहा हूं कि समय कम है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें इसलिये कम-कम बोलें।

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर में ज्यादा है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह जो प्रगति विवरण है 80–81 का इसमें बताया गया है पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की जटिल समस्या है लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिये कोई योजना नहीं बनी----

श्री अध्यक्ष : आपके वहां पर कुओं में पानी कितनी गहराई पर है, औसतन।

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे यहां पर 300–400 फीट पर है इसलिये हैंड पम्प लगाने का तो वहां पर प्रश्न ही नहीं है। वर्ष 80–81 के जो आंकड़े पेश किये गये हैं, जितने गांवों में पानी पहुंचाया गया है तो विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर ही आते हैं। बाड़मेर में 40 गांवों में और जैसलमेर के अन्दर 20 गांवों को पानी में लिया गया है। तो एक तरफ तो प्रगति विवरण में यह बताया है पश्चिमी राजस्थान में पानी की इतनी गम्भीर समस्या है, जितनी किसी जिले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपके वहां पर कुओं की गहराई क्या है, आम तौर से ?

152

श्री हेमाराम चौधरी : हमारे यहां पर कुएं तीन सौ और चार सौ फूट तक गहरे हैं। एक तरफ जैसलमेर के 20 गांव और बाड़मेर के 40 गांवों को 81-82 में पानी देने का लक्ष्य रखा गया है जबकि जैसलमेर में सबसे कम गांवों को लिया गया है और दूसरे नम्बर पर बाड़मेर के। सारे आकड़ों को पढ़कर बताऊं तो ज्यादा समय लगेगा, यह प्रगति विवरण में है। इसलिए हमारे जिले के गांव जो समस्याग्रस्त हैं कुल 40गांव लिये हैं, अगर यह निश्चित है तो पश्चिमी जिलों में पेयजल की समस्या की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए इस संख्या को ठीक करें और 81-82 में संख्या बढ़ावें और हमारे यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो पानी की समस्या है, उसको हल करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न था उसका जवाब मुझे मिला है–मैंने पूछा था–बाड़मेर जिले के ग्राम भोजासर, छाड़वा, नीसर, सोमेसरा नया, सोमेसरा जूना, भिशुलिया, साजन की ढाणी, सेवनियाला, सरजू चिमनजी, सरणू पानजी, सरणू भीमजी की ग्रामीण जनता के लिये पेयजल कहां से उपलब्ध हो रहा है? इसका उत्तर मिला है—ग्राम भोजासर एवं सेवनयाला के अतिरिक्त ग्रामों के ग्रामवासी अपनी पेयजल आवश्यकता ग्राम में अथवा ग्राम के आसपास स्थित स्रोतों से पूर्ण कर रहे हैं। ग्राम भोजासर एवं सेवनयाला में जिलाधीश द्वारा टैंकरों से व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें लिखा है आसपास में स्थित स्रोतों से पानी दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने प्रश्न में पूछा था, इन ग्रामों के आसपास 100 किलोमीटर तक पीने का पानी मीठा नहीं होने से इन ग्रामों की जनता को पेयजल की विकट समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप कहां से पानी दे रहे हैं। वहां पर पानी के टांके बने हुए हैं जिसमें लोग बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, और पीने के काम में लेते हैं, स्नान नहीं करते, मवेशियों को नहीं पिलाते, दो तीन साल से वहां पर बरसात भी नहीं हुई, उन गांवों की क्या हालत होगी। भोजासर में मन्त्री महोदय ने बताया कि टैंकरों से पानी पहुंचा रहे हैं। टैंकरों की बाड़मेर जिले में बहुत कमी है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : तो अध्यक्ष महोदय, जब पानी की योजनायें बनती हैं तो उन गांवों को प्राथमिकतायें दी जानी चाहिये। जहां पर पानी की किल्लत है, पाताल में भी पानी नहीं है। पाताल में भी पानी उपलब्ध हो तो हमारे यहां बाड़मेर के लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, हाथ से निकाल लेते हैं, हैण्ड पम्प की बात नहीं करेंगे। इन्होंने उत्तर में दिया है "जी नहीं"। लेकिनमैं कहता हूं यह बिलकुल गलत है। 100 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है इसकी जांच कराई जावे। जो गांव बताये गये उनके सौ किलोमीटर से नजदीक पानी कहां है? तीस चालीस किलोमीटर में, आस पास में जो गांव है, वहां की जो योजनायें बनी उनको ही पूरा पानी नहीं मिलता है, वे इनको पानी नहीं लेने देते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इन गांवों में गम्भीर समस्या है, प्राथमिकता के आधार पर इन गांवों की समस्या को हल करना चाहिये, नहीं तो कभी समस्या हल नहीं हो सकेगी।

एक निवेदन मेरा यह है, हमारे यहां पर आठ दस वर्ष पहले योजना बनी थी,

(श्री हेमाराम चौधरी)

हौज बन गये, पाइप लाइन डल गई, लाखों रुपया खर्च कर दिया, ट्यूब वैल्स के लिए, लेकिन पानी की क्षमता नहीं देखी, ग्राज तक उन गांवों में एक बूंद भी पानी नहीं दिया, उन योजनाओं पर लाखों रुपया खर्च हो चुका है। मेरा निवेदन है कि पहले उन गांवों को ग्राप लें, जिन पर लाखों रुपया खर्च हो गया है, हम वहां पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पाइप उठाकर ले जाओ। हम उनको ग्राश्वासन देते हैं कि पानी ग्रायेगा। लेकिन दस वर्षों में भी पानी नहीं पहुंचे तो क्या उम्मीद करें कि पानी मिल जायगा। ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया, 6ठी पंचवर्षीय योजना में पहले उन गांवों को प्राथमिकता दी जायगी जिनके 6 किलोमीटर नजदीक में पानी नहीं है, या जहां पर पानी से बीमारियां फैलती हैं, उन गांवों को पहले लेंगे। उसी तरह की समस्या हमारे जिले में है। हमारे यहां 1972 में सर्वे हुग्रा था उस समय····

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ग्रार्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : जो गांव लिये गये, उसके ग्राधार पर····

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, ग्रार्डर ग्रार्डर।

श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज मांग संख्या 34 ग्रौर 27, दो मांगें हैं, प्राकृतिक ग्रापदाग्रों से राहत ग्रौर पेयजल योजना, दोनों की दोनों ऐसी मौलिक हैं ग्रौर इतनी निराशाजनक है स्थिति इनके सम्बन्ध में, क्षमा करें, बजट में जो प्रावधान है इनके लिये उसके विषय में कहने में भी बहुत संकोच होता है, जो विवरण दिया गया है इनके सम्बन्ध में उस पर काफी टीका टिप्पणी, बहुत ही मार्मिक ढंग से ग्रौर ग्रांकड़ों सहित भोपालगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने दी, उनका उत्तर ही पूरा मिल जाय तो शायद सदन को सन्तोष मिले।

(व्यवधान)

मैं जानता हूं समस्या बहुत कठिन है, कोई नई मन्त्री जी की बनाई हुई नहीं है। मुझे जो खेद है, ग्रौर उस खेद में मैं स्वयं भी ग्रपने ग्रापको दोषी मानता हूं, सब को दोषी मानता हूं कि यह सदन ग्रपनी इस बात की जिम्मेदारी महसूस करता है या नहीं कि क्या—ग्रंग्रेजी का एक फ्रेज कह दें—

Shall we continue tinkering with the problem or shall we evolve a real and effective remedy for these ills, problems ?

क्या हम खाली इन समस्याग्रों को ऊपर से ही टटोलते रहेंगे या कोई मौलिक इलाज भी करेंगे ? यदि सचमुच वास्तव में कुछ करना है, तो यह tinkering खिलवाड़ करने से कम नहीं चलेगा बहुत ही बड़ी रकम 80 करोड़ की खर्च हो रही है ग्रकाल राहत के कार्यों पर, यह दर्शाया गया है। ग्रकाल

(श्री राजबहादुर)

राजस्थान में न मालूम कब से पड़ता आया है, कितने सौ करोड़ रुपया राजस्थान के बनने से अब तक खर्च हो चुका है पर राहत नहीं मिली।

एक माननीय सदस्य : भरतपुर में अकाल है क्या ?

श्री राजबहादुर : मैं ईमानदारी से कह सकता हूं, भरतपुर में अकाल नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कहीं कहीं पर····

एक माननीय सदस्य : आप वहां गये नहीं, आपको मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बाड़मेर का कुछ माननीय सदस्य दौरा करें तो मालूम हो जायगा।

एक माननीय सदस्य : शहर में ही घूमते हैं....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : इस प्रकार का प्रश्न पूछा मत करो, क्योंकि मैं सच बोलूंगा, मैं समझता हूं, कहीं फसल अच्छी नहीं है, पर कहीं कुछ में बहुत ही अच्छी हुई है जैसी पिछले पांच वर्षों में नहीं हुई। सर्वथा अकाल कह दिया जाय, मैं विवश हूं, उसका उत्तर तो यही होगा कि जैसा अकाल और जगह है, राजस्थान में वैसा नहीं है। फिर भी कोई अकाल के कार्य तो नहीं हो रहे हैं न कोई वसूली वगैरह से राहत दी जा रही है। लेकिन मैं सोच रहा था अभी आंकड़े दिये गये हैं मन्त्री जी द्वारा और राज्यपाल जी द्वारा, उसमें यह कहा गया था कि हमारे राजस्थान के लगभग 23 हजार गांवों में अकाल है और एक करोड़ 65 लाख व्यक्ति प्रभावित हैं अकाल से। एक करोड़ 65 लाख लोगों के बारे में अकाल राहत कार्य खोले गये हैं और कहा गया है 20 करोड़ खर्च हो चुके हैं और 80 करोड़ खर्च करना है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति क्या बनती है ? यह जो स्टेटमेन्ट देखा, आज प्रसारित किया गया, इसमें लगता है, रिलीफ वर्क्स को लिया गया तो कुल मिलाकर, पी. डब्ल्यू. डी. इर्रीगेशन, फारेस्ट, सोइल आदि अदर्स मिल मिलाकर 337568 आदमियों को काम दिया जाना बताया गया है। मान लीजिये एक परिवार में छः भी हैं तो प्रति परिवार में 5 के औसत से 18 लाख, 19 लाख व्यक्तियों को आबादी में कुछ राहत मिली होगी 1करोड़ 65 लाख में से।

श्री अध्यक्ष : पुराना गणना के अनुसार है, अब ज्यादा हो गई होगी।

श्री राज बहादुर : अब ज्यादा होगी। मैं तो विनती यह कर रहा था टिन्करिंग विद दी प्राब्लम, समस्या से खिलवाड़ है यहां यह मखौल है एक तरह से, क्या यह कोई शर्म की बात नहीं ? आज हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं, राजस्थान की समस्या के बारे में वह कहते हैं, राज्यपाल महोदय ने बड़े ही मार्मिक शब्दों में कहा, अध्यक्ष जी आपने भी कहा, "भाग्यशाली है वह इलाका जिनमें अकाल की काली छाया नहीं देखी", यह है चित्रण आपके शब्दों में, और राज्यपाल महोदय ने कहा राजस्थान की मूलभूत समस्या राजस्थान का विशाल रेगिस्तान और बार-बार पड़ने वाला अकाल है, सामने दो मन्त्री साहिबान

(श्री राजबहादुर)

बैठे हैं मैं कहता हूं 6ठी पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के बजट में, पिछले वर्ष के बजट में कोई संकेत है कि आप इन समस्याओं से राजस्थान को कैसे बचायेंगे ? किस बेसस के ऊपर, किस मौलिक आधार पर राजस्थान की रेगिस्तान और अकाल की समस्या की और इस पेयजल की समस्या को हल करने के लिये क्या विचार किया है। विचार क्या है, कन्सेप्शन क्या है ? आपका इस हेतु विजन क्या है ? अंडरस्टैंडिंग क्या है ? बतायें तो सहीं। अगर नहीं है तो कुछ करिये। सेंटर की मदद मांगिए कि हमारे पास योजना नहीं है हम नहीं कर सकते। आप हमारा मार्ग दर्शन करिये—सेन्टर से कहिये....

श्री अध्यक्ष : आपने गहरे से गहरा कितने फीट का कुआं देखा है ?

श्री राजबहादुर : मैंने गहरे से गहरा 60 हाथ का देखा है, 60 हाथ का मतलब है 90 फीट, वरना 15 या 30-40 फीट का होता है हमारे यहां वह।

श्री अध्यक्ष : और कहीं देखा हो ?

श्री माणक मल मेहता : आप कभी बाड़मेर जैसलमेर नहीं गये।

श्री राजबहादुर : बाड़मेर जैसलमेर तो मैं गया हूं लेकिन वहां का पानी नहीं पिया हुआ है। उन कुओं में जहां जहर होता है, पीने से आदमी मर जाता है। ऐसा नहीं है, मैं राजस्थान में काफी घूमा हुआ हूं। सदन में एक बात की बार बार शिकायत होती है हैंड पम्प्स लगाने की योजना की। हमारे यहां हैंड पम्प्स बड़े सफल हैं और आपको मालूम होना चाहिये कि यह हैंड पम्प्स की योजना क्यों आई थी। यह निश्चित कार्य के लिए आई थी, वह कार्य पूरा हुआ अब इस योजना की आवश्यकता क्या है, आपके जैसलमेर और बाड़मेर में हैंड पम्प्स ले जायेंगे तो क्या होगा ? जहां सब-सोइल वाटर ऊंचा होता है, वहीं काम आ सकती है वह भी थोड़े दिनों के लिए, स्थाई नहीं होता, वहां भी कोई संतोष नहीं है निरर्थक है, लेकिन यह है कि यह निश्चित कार्य के लिए आये थे वह पूरा हुआ इतना नाराज मत होइए इस बात पर। आप सब भागीदार हैं उस कार्य में। इसलिए यह कहना कि हैण्ड पम्प के द्वारा पेयजल की योजना भूपालगढ़ में आ रही है, जैसलमेर में आ रही है, बाड़मेर में आ रही है, यह उज्र आपको तब उठानी चाहिए थी जब समय था, समय निकल गया, बयाना में लगाना होगा तो लग जायेंगे लेकिन मैं निवेदन कर रहा था थोड़ा बहुत सोच लें मौलिक रूप से। क्या यह सदन अपने जीवन काल में इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करना चाहता है ? कोई ठोस योजना हम सोचेंगे, रखेंगे क्या ? अगर बनवारी लाल जी जो धौलपुर से आते हैं जहां पानी की कमी नहीं है, धौलपुर और राजाखेड़ा भी भाग्यशाली है, पास के एरिया से यमुना से पानी लाया जा सकता है वह मिल जाय तो वही अच्छा होगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमको सोचना चाहिये, और क्षेत्रों के लिये हम सब का भाग्य जुड़ा हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर से, निश्चित बात है, हम इससे निकल नहीं सकते। इसका एक मात्र उपाय है जो जल

(156)

(श्री राजबहादुर)

के साधन हैं उनको संजोयें। मैं फिर उसी बात पर आना चाहता हूं उसके बिना दूसरा उपाय नहीं है। इस सदन में सदन के इस जीवन काल में मैं प्रस्ताव लाऊं या आप लायें यह आपको कहना पड़ेगा कि कहां कहां से राजस्थान को पानी मिल सकता है, वरना हमदर्दी छोड़ें, कह दो उत्तर प्रदेश और पंजाब वालों को कि क्यों झूठी हमदर्दी दिखाते हो। अगर राजस्थान को हिंदुस्तान का भाग माना जाता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की मदद के लिए बाहर वालों को आना पड़ेगा, बिजली और पानी की व्यवस्था में और झूठें आंकड़ों से काम चलने वाला नहीं है, इनसे कोई फायदा पहुंचने वाला नहीं है।

अब एक समस्या है जिसकी बहुत चर्चा होती रही। मैंने उसका अध्ययन कर लिया था एक मित्र के कहने पर। मैं जो कुछ समझा हूं उस बारे में मैं किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन यह निश्चित बात है कि दो योजनायें चल रही हैं। एक तो विश्व बैंक ने योजना दी है 35 करोड़ की कि जवाई हेमावास को डवलप किया जाय उसके द्वारा जोधपुर सिटी की जो आवश्यकता है उसको 1991 तक मीट किया जाय। दूसरी आरंभ होगी उसके अनुसार 40 करोड़ की योजना 1986-87 में वह 1991-92 में जाकर पूरी हो जायगी लेकिन इस बीच में क्या होगा? केनाल का नेटवर्क जवाई का इर्रीगेशन पर्पज के लिए हो चुका और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया वह निरर्थक पड़ा है। साथ साथ और जो नहरों और पाइप्स से लाईनिंग की जा रही है वह बिलकुल यूजलेस होगा इन वर्षों में। अगर जोधपुर को पानी की आवश्यकता है तो जोधपुर के लिए पैसा मांग लीजिए। खेतों को पानी दो, अगर खेतों को पानी देना है तो जोधपुर की व्यवस्था आज करनी है, कल करनी है, जवाई-हेमावास योजना पर 35 करोड़ के बाद भी 1991-92 तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पायेंगे? कारण क्या है? पी. एच. ई. डी. के इंजीनियर्स, मैंने सुना है, मैं समझता हूं ठीक ही होगा, सोचते हैं कि नाचना तक राजस्थान केनाल आनी है, वह 1985-86 से पहले नहीं आयेगी इसलिए राजस्थान केनाल का नाचना तक पानी नहीं आ सकता। जैसे एक माननीय सदस्य ने कहा, वह निश्चित हो चुकी है कि नाचना तक पानी की कोशिश की जाय तो 1982-83 में ही पहुंच सकता है उसके बाद तो नाचना पोकरण केनाल से तीन जिलों को फायदा होता है—बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तीन जिलों के....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय 8 बजे तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री राजबहादुर : यह 40 करोड़ की रकम खर्च की जायगी 1986-87 में,

(157)

(श्री राजबहादुर)

अगर उस पर आज काम शुरू हो जाय, 1981-82 में शुरू हो जाय, इसको 1985-86 तक खतम कर दिया जाय तो निश्चित रूप से दोनों के दोनों काम बन जायेंगे, शहरों और कस्बों को भी फायदा होगा, और किसानों को भी फायदा होगा। तो मेरी दो विनती हैं, एक तो आप मौलिक रूप से सोचिये, समस्या का समाधान करें कैसे रेगिस्तान काबू में आये, आपने छोटी मोटी वन की योजनायें बनाईं, एक डेढ़ करोड़ रुपये लगाये, पेड़ वहां उगाये जा सकेंगे। जहां पानी हो मौलिक समस्या तो पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं होगा तो पेड़ सूख जायेंगे। इसलिए जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते।

दूसरी बात, जो आप टिंकरिंग विद दी प्राब्लम कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। अकाल राहत कार्यों में सड़क बन जाती है लेकिन अकाल के बाद वह गायब हो जाती है, इर्रीगेशन वर्क्स निरर्थक पड़ जाता है। एक सदस्य ने बताया 10-10 साल हो गए हैं, कुओं में पानी के दर्शन नहीं हुये या जो पाइप पड़े हैं उनमें पानी के दर्शन नहीं। 100 साल वेट करिये, अगर हमारे सोचने का तरीका यही रहा और मौलिक रूप से उपाय नहीं ढूंढे तो इन आपदाओं से छुटकारा नहीं पा सकेंगे।

सतलज के बारे में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सचमुच रेगिस्तान और अकाल की है। पूरी तरह से अकाल को त्याग और तपस्या के साथ बर्दाश्त करें और कोई स्थाई हल निकालें जिससे आने वाली पीढ़ियां यह सकें कि एक पीढ़ी ऐसी आई थी जिसने मौलिक रूप से सोचकर अपनी कुर्बानी देकर यह किया है, कुछ समाधान किया है। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कुछ मामलों के अन्दर....

एक माननीय सदस्य : इनका दुबारा नाम आ गया? हमारा एक बार आया, इनका नाम पहले भी बोला गया।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, आपके साथ न्याय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगें अकाल और पेयजल के सम्बन्ध में हैं, कुछ मुद्दों को संक्षेप में उठाना चाहूंगा। राजस्थान में अकाल की भयंकर स्थितियां हैं। इसमें हम कहीं संदेह नहीं कर सकते लेकिन बार बार सदन के सामने मन्त्री महोदय का ध्यान, अकाल राहत मन्त्री का ध्यान हमने इस तरफ आकर्षित किया है कि जहां पर आर्थिक कठिनाई के अन्दर राजस्थान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पर अकाल के अन्दर मुस्तैदी से कुछ काम हाथ में लिए हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है जिस जिले से हम चुनकर आए हैं, मन्त्री महोदय की नजर उस जिले पर नहीं पड़ती। क्योंकि राजस्थान में सब जगह अकाल घोषित किये गये हैं और 25 जिलों के अन्दर घोषित किया गया लेकिन सवाई माधोपुर में केवल मात्र 65 गांवों में अकाल घोषित किया गया। मैं परसों ही माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के साथ, चेतरामजी हम सब

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

एक दौरे पर सवाई माधोपुर आये थे। जिस क्षेत्र से हम निकले वह क्षेत्र था जहां 65 गांव अकाल में घोषित किये गये हैं जो बौंली क्षेत्र में आता है। सही मायने में वहां अकाल के लक्षण ही नहीं हैं। वहां अनाज खड़ा है, अकाल की छाया नहीं आती है। उन गांवों में तो जिलाधीश ने इस ढंग से अकाल घोषित किया लेकिन जहां पर टोडाभीम एरिया है, जहां पर हिंडौन एरिया है, करौली और सपोटरा एरिया है, जहां पर काफी कठिनाई है, जहां पर अकाल की सारी समस्यायें हैं पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, जहां पर मवेशियों को चारा उपलब्ध नहीं है आज वहां अकाल घोषित नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में समय तो निकल गया हमारी बात कहते कहते, आपने उस मामले पर ध्यान नहीं दिया, न हमें कभी आपने आश्वासन दिया कि आप इसके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि अकाल राहत मन्त्री मदद नहीं करना चाहते। समय निकल गया। अगर आप आंख मींचकर बैठे रहे तो हमको फिर कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए, मैं समझता हूं, अकाल के मामले में लम्बी बात नहीं कहना चाहता लेकिन खास तौर से पेयजल की बात कहूंगा। जलदाय विभाग ने जिस प्रकार की बात अपनी अनुदान की मांगों में रखी, छठी योजना के आंकड़े जब देखते हैं, विश्व बैंक की प्लान को देखते हैं तो ऐसा लगता है शायद वर्तमान मन्त्री महोदय ने सारे मामले को गम्भीरता से नहीं समझा है। अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व जनता पार्टी के शासन काल में जनता पार्टी के जो पी० एच० ई० डी० के मन्त्री थे उन्होंने पता नहीं किस तरह से जलदाय योजनायें बनायीं कि राजस्थान के अन्दर पेयजल की योजनायें सफल ही नहीं हो सकती हैं। वह ऐसी योजनायें हैं कि उन विस्तृत योजनाओं की क्रियान्विति होना एक विडम्बना ही लगती है। अध्यक्ष महोदय, पहले सौ करोड़ की योजना बनायी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर उसे क्रियान्वित करना था उसे अब बढ़ाकर 136 करोड़ की योजना बनायी जा रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस पैसे को जलदाय विभाग गंगानगर जिले में खर्च कर रहा है। वहां पर योजना बनायी जा रही है मेरी समझ में नहीं आता वहां पर पानी की कहां कमी है। सीकर और झुंझुनू की कोई बात होती तो समझ में आ सकती थी क्योंकि वहां पर पानी नीचे बहुत गहरा है लेकिन पाली, जोधपुर, अजमेर ऐसे जिले हैं वहां पर मंत्री महोदय और अधिक पैसा खर्च करने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या राजस्थान के वह दस जिले ही हैं जहां पर कि पानी की कमी है दूसरी जगह पानी की कमी नहीं है क्या ? आपने इन जिलों को लिया लेकिन आपने किन जिलों को इग्नोर किया ? आपने राजस्थान में जैसलमेर को इग्नोर किया, आपने राजस्थान में बाडमेर को इग्नोर किया और राजस्थान में आपने इनोर किया बीकानेर को आपने इग्नोर किया सवाई माधोपुर, टौंक और भरतपुर को। एक तरफ आप 136 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं आपने उस पैसे को सिर्फ सीमित कर रखा है राजस्थान के उन दस जिलों पर ही। क्या राजस्थान के दूसरे जिलों में पानी की आवश्यकता नहीं है ? क्या आप राजस्थान के दूसरे 16 जिलों को पानी उपलब्ध कराना

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

नहीं चाहते ? मैं मन्त्री महोदय को खास तौर से इस बात को निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस मामले को गम्भीरता से सोचें। क्योंकि उनका एरिया भी डांग एरिया से जुड़ा हुआ है और प्रभाकर जी का भी एरिया ऐसा है जो कि डांग एरिया से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर और करौली का क्षेत्र विशेष तौर से डांग एरिया से जुड़ा हुआ है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मुझे पहले की सरकार ने इसको इग्नोर किया वह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन अब आपकी सरकार इन राजस्थान की बड़ी सिटीज जयपुर, कोटा, जोधपुर वीकानेर में 70 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही हैं, इसमें भी आपने उन दस जिलों को ले लिया, आखिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप चाहते क्या हैं ? इसमें आपने वीकानेर को छोड़ दिया पर यह तीन जिले तो वैसे के वैसे ही आपने ले लिये। मुझे कोई इन तीन जिलों से, अध्यक्ष महोदय, नाराजगी नहीं है कि वहां की पेयजल की समस्या को क्यों हल किया जाय, लेकिन अध्यक्ष महोदय, यहां पर राजस्थान के दो सौ चुनाव क्षेत्र से आये हुए माननीय सदस्य बैठे हैं। सभी की समस्यायें हैं, सभी जगह पर पानी की कमी है। पिछले सत्र में हमने इस बात की ओर जब ध्यान मुख्य मन्त्री जी का आकर्षित किया था तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और यहां पर सदन में आश्वासन दिया था कि जिस प्रकार से यह योजना बनी है उस पर पुर्नविचार किया जायगा। इसका आश्वासन दिया था इसके बाद भी इस तरह से किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के प्लान को देखने से, पता लगा इस वर्ष 108 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन उसमें भी आपने उन दस जिलों में ही यह पैसे खर्च करने का प्रावधान रखा है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? क्या राजस्थान में पेयजल की समस्या सिर्फ दस जिलों में ही हैं दूसरे 16 जिलों में कोई पेयजल की कोई समस्या ही नहीं है ? क्या आप पेयजल की समस्या की योजनाओं में उन 16 जिलो को नहीं जोड़ना चाहते, वर्ल्ड बैंक की योजना में आप उनको नहीं जोड़ना चाहते हैं ? छठी योजना में आप उन दस जिलों को जोड़ रहे हैं। वहां भी आप इनको नहीं जोड़ने जा रहे हैं तो आखिर आपका विचार क्या है ? क्या राजस्थान के यह 16 जिले पानी के लिये त्राहि त्राहि करें ? क्या आपकी उनके लिये कोई योजना नहीं है ? आखिर आपके किस प्रकार के अधिकारी हैं जो इस प्रकार की योजनायें बना रहे हैं ? मेरी समझ में नहीं आता है। राज्य मन्त्री जी शायद तुगलक की विचार धारा के हैं जो कि सारी योजनाओं को इन दस जिलो में ही सीमित करना चाहते हैं। केवल उन जिलों के लिये योजनायें बना रहे हैं। आखिर मन्त्रीजी इन 16 जिलों की ओर अपना ध्यान कब आकर्षित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माफ करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में आश्वासन देने के बावजूद गवर्नमेन्ट की जो दूसरी और योजनायें बन रही हैं जिसमें प्लान की 416 स्कीम हैं उसमें भी उन दस जिलों के ही नाम हैं उसमें भी इस स्कीम को बड़ा दिया है। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे कि इन 16 जिलों को जिसमें खास तौर से सवाई

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माधोपुर जिले को नजरअन्दाज किया जा रहा है ? आप दूसरे क्षेत्रों को पेयजल की समस्या से क्यों वन्चित रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद पड़ता है पिछले साल हमारे मन्त्री महोदय ने सदन के सभी माननीय सदस्यों को बुलाया था। उनसे पूछा कि आपके पेयजल की क्या समस्यायें हैं। मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी है, वह जलदाय विभाग की योजनाओं के द्वारा राजस्थान के सभी जिलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह योजनायें किस प्रकार बनी हैं कि इनमें भरतपुर, टौंक, सवाई माधोपुर का नाम नहीं है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जब तक सवाई माधोपुर जिला, टौंक, भरतपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों के लिए विशेष रूप से यहां पर योजनायें लागू नहीं करेंगे तब तक वहां की पानी की समस्या का हल नहीं हो सकेगा। इसलिये मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप इन जिलों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने हैण्ड पम्प्स से पेयजल की समस्या का निदान करने के लिये योजना बनायी है ठीक है, अगर आप गांव गांव और राजस्थान की ढाणी ढाणी में पानी पहुंचाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसी कि मुझे जानकारी है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के पास केवल 50 रिंग है और हैण्ड पम्प्स के लिये जिन रिंग्स की आवश्यकता है उसके लिये इतने से काम नहीं चल सकता। दूसरे हैण्ड पम्प्स के लिये सीधी जमीन चाहिये वह समतल जमीन में काम कर सकते हैं। दूसरे जो यह 50 मशीनें हैं वह कहां पर हैं ? यह मशीनें कहां गयी हैं ? कहां पर पड़ी हैं, क्या वह खराब हो गयी हैं या कहां है ? अगर आप उन मशीनों को भी राजस्थान के 26 जिलों के अन्दर बांटे तो भी राजस्थान के हर जिले को दो दो मशीनें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि वह कहां पर हैं। खराब हो गये हैं तो कहां ठीक होने गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता है....

एक माननीय सदस्य : भरतपुर में हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुझे तो जानकारी है नहीं, आपको जानकारी होगी। अगर भरतपुर में लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, उसके पड़ौसी जिलों में भी लग जाय, सवाई माधोपुर में तो भी अच्छा है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन पम्प्स के लगने के लिये जमीन समतल होना बहुत जरूरी है, लेकिन मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर और करौली के क्षेत्र में यह नहीं लग सकेंगे क्योंकि वहां पर जमीन समतल नहीं है। हमारा पहाड़ी इलाका है और जहां से हनुमान प्रभाकर जी जीतकर आये हैं वहां भी उनके सब डिवीजन में पहाड़ी इलाका है, इसलिये उन इलाकों के लिये आप दूसरी योजनाओं को क्रियान्वित करें, तो वहां की पेयजल की समस्या का हल हो सकता है। इसके लिये आपको विस्तृत योजनायें बना कर चालू करने की आवश्यकता है। अब मन्त्री महोदय को एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि वनपेन्ट टैंकर्स को वहां पर लगाते हैं तो समस्या का हल थोड़ा बहुत हो सकता है। इसमें बिजली से भी पानी आ सकता है दूसरे डीजल से भी

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

चल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि वहां पेयजल की समस्या को अधिक प्राथमिकता दी जाय। इसके अलावा एक बात अन्त में और कहना चाहता हूं आज जो वाटर वर्क्स की आपकी जो प्रशासनिक मशीनरी है वह कुछ अच्छी नहीं है। उसमें खामियां हैं, खामियां यह हैं कि जहां हमारे राजस्थान में आर. एस. ई. बी. में सात चीफ इन्जीनियर हैं और दो टेक्निकल मेम्बर्स हैं, वहां पर हमारे वाटर वर्क्स के अन्दर एक चीफ इन्जीनियर है और एक टेक्निकल मेम्बर है है। सब कुछ काम एक चीफ इन्जीनियर ही देखता है जिसका नतीजा यह होता है कि वह पूरी तरह से सभी जगह पर ध्यान नहीं दे सकता है। इसके लिये आपको मशीनरी को विस्तृत करने की आवश्यकता है। आज एक चीफ इन्जीनियर की मोनोपोली है, आप किसी भी आदमी की मोनोपोली मत बनाइये जब तक आप इनकी मोनोपोली नहीं तोड़ेंगे तब तक आप अपनी योजनाओं को सफलता पूर्वक नहीं चला सकेंगे। आज एक चीफ इन्जीनियर के पास सारी पावर केन्द्रित हैं ठेकेदार से लेकर दूसरी सभी मशीनरी उसी तरफ देखते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आप इसमें अधिक से अधिक सुधार करके योजनाओं को क्रियान्वित करें। कुछ चीफ इन्जीनियर बढ़ावें कुछ टेक्निकल मेम्बर बढावें तथा साथ में उनको इडिन्पेण्डेंट काम देकर योजनाओं को सही तरह से चालू करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मन्त्री महोदय मेरी बात को समझ गये होंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय मुझे सिर्फ दो मिनट का समय बोलने को दिया जाय। मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत समस्या के संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाते समय सबसे पहले मैं अकाल राहत मंत्री नहीं कहकर अकाल मंत्री ही कहूं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाल राहत कार्य जो हमारी तहसीलों के अन्दर और जिलों के अदर होने चाहिए थे वह काम कतई शुरू नहीं हुए हैं खास करके नागौर तहसील में जो 216 गांव हैं वह सब के सब अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं जिनकी 2 लाख हैक्टेअर भूमि इस अकाल से प्रभावित है और करीब 3 लाख की जनसंख्या इस अकाल से प्रभावित है। इसी तरह से करीब 6 लाख पशु भी इस अकाल समस्या से ग्रसित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्य समय पर शुरू नहीं होने की वजह से जो हमारे फलौदी क्षेत्र के मजदूर, किसान हैं वह अपने क्षेत्र छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह मजदूरी की तलाश में चले गए, और इसी वजह से जो इस समय जनगणना हुई उसमें उनके आंकडे दर्ज नहीं किये गये। वह आंकड़े दर्ज नहीं किये जाने के कारण जो आपका प्लान बन रहा है आगे आने वाले समय में या जिस क्षेत्र में गरीब लोग और अनुसूचित जाति के लोगों की गिनती होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई, अगर उनकी गिनती होती तो जो उनके हक हैं वह उनको मिलते, यह बड़ी भारी भूल रह गयी है। मैं तो

(11.2)

(श्री महाराम चौधरी)

आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां बरसात हो जाय तो उनकी गिनती करके उनको वापिस सम्मिलित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों के अन्दर पेयजल की भंयकर समस्या है अकाल होने की वजह से और बरसात नहीं होने की वजह से कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। आज स्थिति यह हो गयी है कि उन क्षेत्रों के अन्दर आदमियों को पानी निकालने के लिए दस-दस, बारह-बारह घंटे कुएं के पास बैठे रहना पड़ता है। बहुत सी जगह तो ऐसी परिस्थिति है कि आदमी को चड़स के साथ में कुएं के अन्दर उतरना पड़ता है और उनको धोवों से भर भर कर फिर पानी को बाहर निकालना पड़ता है। यह समस्या है हमारे यहां पानी की। अभी 4 तारीख को फेमिन रिलीफ कमेटी की मीटिंग होने वाली थी हमारे जिले में, श्री प्रभाकर जी आप बहुत दूर से नागौर आये और रात के 8 बजे तक इन्तजार किया, इन्तजार करने के बाद में आपने हम लोगों के सामने जिस तरह के वायदे किये उन वायदों में से एक भी वायदे की पूर्ति नहीं हुई है। आपने यह आश्वासन दिया था कि 7 दिन या 10 दिन के अन्दर नागौर जिले के अन्दर 25 हजार मजदूरों की संख्या हो जानी चाहिए। स्थिति यह हुई है कि पिछली 3 तारीख तक जो आंकड़े हमारे यहां दिये गये हैं उनके अनुसार 9331 मजदूरों की संख्या थी और आज 23-3-81 को जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार वहां मजदूरों की संख्या 8727 हो गयी है। यानि आपके आने के बाद में हमारे वहां जो कार्य शुरू किये हुए थे उनमें भी मजदूरों की संख्या कम रह गयी है। हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र एक तरह से ढाणियों में बसने वाला है और ढाणियों में पानी पिलाने की व्यवस्था की बात करते हैं तो जो क्षेत्र नहीं देखे हुए हैं उन अधिकारियों के समझ में नहीं आता। पिछले दिनों में जब हमारे क्षेत्र की पानी की समस्या के बारे में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि सब आदमियों को कुएं के पास क्यों नहीं ले आते हैं। उनको मालूम नहीं है कि सैंकड़ों सालों से और पीढ़ियों से जो आदमी अपने खेतों के अन्दर अपनी वस्ती बना बनाकर वहीं रहते हैं, वहीं उनका पशुधन है और वहीं यह समस्या होती है। उनको पानी पिलाने के लिए आपने हमारे क्षेत्र के अन्दर पिवाई का पैसा देने की जो व्यवस्था की है उसमें यह है कि एक गांव के अन्दर एक कुएं के 40 रुपये के बजाय अब आपने 60 रुपया कर दिये हैं। हमारे एक कुएं पर पूरा का पूरा गांव पानी नहीं पी सकता। मैंने इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर भी और मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था कि हमारे गांव के पूरे क्षेत्र में कम से कम किसी गांव में 5 कुएं हैं सार्वजनिक और किसी जगह 4 हैं और कहीं पांच-दस ऐसे गांव हैं जिनके अन्दर दस-दस और ग्यारह-ग्यारह कुएं हैं उन सभी कुओं पर मानव और जानवर पानी पीते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पिवाई की जो व्यवस्था कर रहे हैं उसमें मेरा यह निवेदन है कि पिवाई की व्यवस्था में कम से कम जितने भी उस गांव के अन्दर सार्वजनिक कुएं हैं उन सब कुओं को आप

(श्री महाराम चौधरी)

पिवाई का पैसा दीजिए । दें, तो कम से कम बांटकर दें । एक कुएं की पिलाई का पैसा देने से सब आदमी लाभन्वित नहीं गिने जायेंगे ।

(5.15 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

मैं जलप्रदाय के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपने समस्याग्रस्त गांवों की केटेगरी बनाई है उस सम्बन्ध में वापस आपको सोचना पड़ेगा । कटेगरी बनाते समय 1.6 किलोमीटर के अन्दर और 15 मीटर पानी जहां गहरा है यह केटेगरी बना दी । इस तरह की केटेगरी से पश्चिमी राजस्थान की जल समस्या बिलकुल दूर नहीं हो सकती । इस संबंध में आपको सोचना पड़ेगा । दूसरे जो क्षेत्र हैं अलवर, भरतपुर या जहां जल स्तर ऊंचा है और जहां नदी नाले भी आते हैं हमारे वहां न तो नदी नाले हैं और न दूसरे हो सकते हैं इसलिए आपको पश्चिमी राजस्थान के लिए तो एक टार्गेट बनाना पड़ेगा और यह केटेगरी इस तरह से बनानी पड़ेगी कि जिसमें 3 कि० मी. या 2 कि० मी० के अन्दर अन्दर आपको पानी उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा ।

दूसरे सदस्यों ने इस जलप्रदाय योजना के संबंध में बहुत कुछ कह दिया लेकिन आपकी इस लिस्ट के अन्दर मवेशियों को कतई शामिल नहीं किया गया है । यह भयंकर कमी है । इसके साथ ही साथ ढाणियों के बजाय बस्ती, गांव कहना शुरू कर देंगे तब आपकी समझ में आयेगा । शहरी क्षेत्रों में और यहां मोहल्लों में पानी दिलाने की व्यवस्था आप करते हैं तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो बस्ती के अन्दर या ढाणियों के अन्दर रहते हैं उनके लिए पानी आप क्यों नहीं उपलब्ध कराते हैं? यह आप फील नहीं करते हैं तो आपकी यह योजनायें कतई काम नहीं आयेंगी । गांव का सिर्फ नाम ही नाम है बहुत सी जगह तो 5-7 घर हैं वहां पानी उपलब्ध करा रहे हैं और जो ढाणी में रहने वाले हैं उस जगह पानी का प्रबंध नहीं करते हैं । इसलिए हमने यह महसूस किया है, जो शहरों के अन्दर बोलने वाले लोग हैं उनके लिए तो सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो लोग रहते हैं उनकी आप पूरी तरह से अवहेलना कर रहे हैं और कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं । इसलिए मैं जलप्रदाय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप पहले इन क्षेत्रों की जगह का दौरा करें और दौरा करने के बाद में बड़े बड़े अधिकारियों को आपके साथ ले जायं उनके

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथ में पलाइंग विजिट ही नहीं करें बल्कि गांव के अन्दर एक एक रात रहें तो आपको महसूस होगा कि गांवों में किस तरह से पानी उपलब्ध हो रहा है और समस्या कितनी भयंकर है ।

मैं अंत में, मेरे पास काफी लम्बी चौडी बातें कहने की हैं लेकिन समय कम होने की वजह से मैं तो कहते कहते बीच में दो तीन बातें भूल भी गया हूं । मेरा तो यही कहना है कि हमारी तो मजदूरी और पानी की जो सबसे पहले और प्रथम समस्या है इसको कम से

(श्री महाराम चौधरी)

दूर कर दीजिए उसके बाद में हमारी दूसरी समस्यायें आती हैं। आप मौके पर जायेंगे, इन समस्याओं के प्रति आपके दिल में भावना होगी और समस्याओं को निपटाने की आपकी सामर्थ्य होगी तब यह मिट सकेंगी।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री श्रीराम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्रसिंह !

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, आज जिन मांगों पर यह सदन विचार कर रहा है वह मांगें राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़ी हुई हैं, दुर्भाग्यवश पिछले तीन सालों से ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं कि यदि केवल हम सरकार की आलोचनायें अथवा कमियां दिखाते रहें तो, मैं समझता हूं, जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं उस स्थिति में हम अपना सहयोग नहीं दे पायेंगे और जिस समस्या को सब को मिलकर निपटाना है उस समस्या को हम निपटा नहीं पायेंगे। इसलिये मैं इस अवसर पर यह कह दूं तो भी गलत नहीं होगा कि इस राजस्थान में अकाल कई सालों से पड़ रहा है लेकिन यह पहला वर्ष है कि जब राजस्थान सरकार ने नवम्बर में टैस्ट वर्क शुरू किये हों। नवम्बर में टैस्ट वर्क शुरू करके लोगों को काम देना शुरू किया है और यदि नवम्बर से लेकर आज तक के आंकड़े उठाये जायं तो यह स्पष्ट विदित होगा कि सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिये बड़ी मुस्तैदी से काम किया है और····

एक माननीय सदस्य : केवल विचार ही विचार किया है, काम नहीं हुए हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : मुस्तैदी से काम करते हुए मैं अपने जिले की स्थिति बता सकता हूं। जहां नवम्बर में हमने 5 हजार मजदूरों से काम शुरू किया था आज हमारे जिले में 57 हजार मजदूर काम कर रहे हैं। यदि यह सरकार जागरुक नहीं होती, यदि यह सरकार काम नहीं करना चाहती होती तो मैं समझता हूं कि यह 57 हजार मजदूर आज नहीं लगे होते····

एक सदस्य : भीलवाड़ा में····

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठे बैठे बात नहीं करें।

एक माननीय सदस्य : खड़े होकर।

श्री सभापति : खड़े होकर भी नहीं बोलेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह : सभापति महोदया, जहां यह काम हो रहे हैं, उसके साथ साथ अनुभव के तौर पर मैं राज्य सरकार से अपने सुझाव भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने यह घोषणा की कि 16 तारीख के बाद मजदूरों को 5 रुपये की बजाय 7 रुपये मजदूरी दी जायगी। इस घोषणा के होने से वे सब मजदूर बहुत प्रसन्न हुए कि सरकार ने हमारी मजदूरी बढ़ाई है और मजदूर आज भी इस बात से प्रसन्न हैं कि 16 तारीख के बाद आज दिन तक मस्टर रोल नहीं बने और पेमेंट नहीं हुआ, वे समझकर बैठे हैं कि 16

(168)

(श्री देवेन्द्र सिंह)

तारीख से 31 मार्च तक का जो काम होगा उसके हमें 7 रुपये के हिसाब से मिलेगा लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है, सभापति महोदया, 5 रुपये में 70 पर्सेन्ट काम लिया जाता है और 7 रुपये में पूरा काम लिया जायगा। एक व्यक्ति के लिये 7 रुपये में 100 फीट मिट्टी खोदना असम्भव बात है। पी. डब्ल्यू. डी. जो काम निकलाता है, जो मजदूर काम करता है उसके साथ एक कोई सहायक काम करता है। उसके बाद 100 फीट मिट्टी निकाली जा सकती है और फेमिन में यदि 7 रुपये का काम पूरा करने के लिये कोई मजदूर लगाया जायगा तो वह नहीं लगाया जा सकता। इसलिये मेरी आप से प्रार्थना है कि जैसे 7 रुपये की बढ़ोतरी की है उसके साथ यदि टास्क बढ़ा देते हैं तो वह टास्क नहीं बढ़ाना चाहिये। अगर राज्य सरकार की यही मन्शा है तो निश्चय ही राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है अन्यथा यह घोषणा कोई मायने नहीं रखती है। आदरणीय सभापति महोदया, आपने पेमेन्ट्स के सबंध में एक एजेन्सी कायम कर रखी है और वह एजेन्सी है तहसील। उस तहसील में जिस तरह से काम चल रहा है, पी. डब्ल्यू. डी. के काम चल रहे हैं, इर्रीगेशन के काम चल रहे हैं, सोइल कन्जर्वेशन के काम चल रहे हैं, फारेस्ट डिपार्टमेंट के काम चल रहे हैं और अकाल के तहत एक योजना चालू की गई, पंचायतों के माध्यम से कार्य चल रहे हैं। इतने पेमेंट्स एक साथ एक समय में एक एजेन्सी कर सकेगी यह सम्भव नहीं है और उसी के परिणाम स्वरूप आज पेमेंट्स डिले होते हैं। फरवरी और जनवरी तक के पेमेंट्स आज कई जगह बाकी हैं, इसलिये पेमेंट की जो एजेन्सी है इसको आप डिवाइड कर दीजिये। मैं यह नहीं कहता आप किससे पेमेंट करायें, आपकी जिससे इच्छा हो करवायें लेकिन इसको डिवाइड करके पेमेन्ट करायें इस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। सभापति महोदया, राज्य सरकार ने एक आदेश निकाला कि चाहे मेजरमेंट हो न हो एक पखवाड़े में प्रत्येक मजदूर को 2।। रुपये के हिसाब से दे दिये जायेंगे और 2।। रुपये जो शेष रहते हैं वह मेजरमेंट होने के बाद दिये जायेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मंशा इस संबंध में कितनी ही अच्छी रही हो लेकिन वहां पर बैठे अधिकारी और ओवर सियर ने इस आदेश का दुरुपयोग किया है। 2।। रुपये चुकाने के बाद यह कभी नहीं सोचते कि बाकी के काम का पेमेंट करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी में जो काम किया है, 2।। रुपये की राहत दे दी, बाकी पैसा मेजरमेंट होकर नहीं दिया। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि 2।। रुपये वाले सिस्टम को समाप्त किया जाय। मजदूर को एक दफा में पूरा पेमेंट हो ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करें।

आदरणीय सभापति महोदया, फेमिन के बारे में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि राज्य सरकार ने जिला स्तर पर अकाल राहत समितियां बनाई हैं। जब अकाल राहत समितियां बनाई गई, हम ऐसा मान कर चले थे कि अकाल राहत समितियों को राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। उन अकाल राहत समितियों में जन-प्रतिनिधि शामिल हैं, वह

(श्री देवेन्द्र सिंह)

जो योजना प्रस्तुत करेंगे, वहां के जिलाधीश एक हैड होने के नाते स्वीकृति प्रदान करके उन कामों को चलायेंगे। लेकिन मुझे दुःख होता है कहते हुए कि पिछली 7 तारीख को भीलवाड़ा जिला अकाल राहत समिति की बैठक हुई उसमें हमारे यहां पर हम सब लोग मौजूद थे। हमसे प्रस्ताव लिये गये, 7 तारीख से आज 24 तारीख हो गई, जो प्रस्ताव हमने पेश किया, अकाल राहत समिति में आश्वासन दिया गया कि यह आदेश प्रसारित कर देंगे, उनमें से वहां के जिलाधीश ने केवल तहसील में 58 काम मन्जूर किये हैं बाकी सारा जिला एक तरफ रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के अधिकार जिनका दुरुपयोग वहां के जिलाधीश करें वह अधिकार मत दीजिये। वह अधिकार जिला अकाल सहायता समिति को दिये जायं। यह आदेश उनके सामने निकले, स्वीकृति प्रस्तावों के अनुसार हो, काम उनकी देखरेख में हों। आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि गरीब मजदूर जो काम कर रहा है अधिकारी जाकर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसकी हाजरी काटने में जितना तत्पर है उतनी तत्परता अकाल राहत काम को चलाने में लगाये तो, मैं समझता हूं, ज्यादा उपयुक्त होगा।

आदरणीय सभापति महोदया, मैं आपके 5 मिनट जल प्रदाय योजना के संबंध में लेना चाहूंगा। जल प्रदाय योजना जैसा मुझे बताया गया, सारे राजस्थान में सरकार पांच साल में प्रत्येक गांव को पानी देना चाहती है लेकिन जिस गति से यह योजनायें बन रही हैं और जिस गति से काम चल रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 सालों में इस गति से प्रत्येक गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। आदरणीय सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की बात निवेदन करके इस विभाग में कितना घपला हो रहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कुछ दिन पहले करीब 6 महीने हो गये, पी. एच. ई. डी. के चीफ इन्जीनियर से मिला उनसे कहा कि आपने पी. एच. ई. डी. की स्कीम्स लगा रखी हैं उनसे एक बूंद पानी आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। आपने मोटरें खरीद कर डाल दीं, पाइप लेकर डाल दिये, बिजली वालों को तंग करके आपने कनेक्शन रिलीज करवा लिये और उनके मिनिमम चार्जेज चालू हो गये, आज 8 महीने और साल भर हो गया एक बूंद उस कुएं में से पानी नहीं निकला बल्कि जो औरतें उस कुएं से पानी निकाल कर घड़े भरती थीं आपने उसके आगे फाउन्डेशन लगाकर उसको भी बन्द कर दिया। जब मैंने यह शिकायत चीफ इंजीनियर को की तो उन्होंने कहा गांव बतावो, मैं जांच करूंगा। मैंने गांव बताया तो उन्होंने चिट्ठी लिखी भीलवाड़ा के ए. ई. एन. को, जो दोषी है। उन्होंने कहा आपने मेरी शिकायत कर दी, मैंने बताया शिकायत नहीं वास्तविकता है, लेकिन, सभापति महोदया, उसके बावजूद भी आज तक उस गांव को एक बूंद पानी नहीं मिला। पाइप लगे हुए हैं, मीटर भी लगा हुआ है लेकिन न वहां टंकी है न वहां पानी है। आज तक पानी उस गांव में नहीं पहुंचा है, आज

(श्री देवेन्द्र सिंह)

तक सुनवाई नहीं। परिणाम क्या हुआ ? चीफ इंजीनियर साहब ने देखा हमारी बहुत शिकायत करते हैं तो वहां का जे. ई. एन. था उसको दूसरी जगह रख दिया। 6 महीने तक लड़ना पड़ा, 6 महीने वहां पोस्ट खाली रही और बराबर लड़ते रहने के बाद वापस पोस्ट आई। फिर भी उनको सन्तोष नहीं हुआ। आदरणीय सभापति महोदया, एक लिस्ट सन् 81-82 की, कि भीलवाड़ा जिले में क्या क्या काम होंगे, यह लिस्ट वहां की एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रस्तुत हुई। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो तहसीलें आती हैं जहां 30 और 38 तक गांव हैं जो जल प्रदाय योजना के तहत आते हैं। वहां पर मेरी तहसील में केवल 7 गाँव लेना चाहते हैं। मैं उन चीफ इंजीनियर साहब को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। वे 20-25 वर्ष से राज्य सेवा करके चीफ इंजीनियर बने होंगे तो मैंने भी 20-25 वर्ष सार्वजनिक काम किया है। मैं उनके सामने झुकूंगा नहीं, मैं लड़ने वाला हूं। चीफ इंजीनियर साहब अपना डिपार्टमेंट समझ करके जितने सबआर्डिनेट इंजीनियर बैठे हैं उनका उपयोग नहीं करते हैं। यदि एक ठेकेदार से दस हजार का काम करवाना है तो उसको सीधे चीफ इंजीनियर साहब ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हैण्ड पम्प के बारे में आप अपने क्षेत्र में मालूम करके....

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं मालूम करके आया हूं, आप चाहे तो गांववार लिस्ट दे सकता हूं। आप समय दें तो इसलिए नहीं की घंटी बजा दी। मैं गांववार, जिलेवार, लिस्ट देकर सिद्ध कर सकता हूं कि चीफ इंजीनियर घपला करना चाहता है। जहां तीन हार्स पावर की मोटर से पानी निकल सकता है वहां पर इन्होंने साढ़े सात हार्स पावर की मोटर लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं साढ़े सात हार्स पावर की मोटर का कितना चार्ज होगा-क्या पंचायत समिति उसका चार्ज दे सकेगी ? उसका परिणाम यह होगा कि डिस-कनेक्शन होगा और सरकार का यह उत्तर आयेगा कि हमने पानी उपलब्ध करा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय को कि इस तरह के घपलेबाजी को रोकिये, चीफ इंजीनियर पर रोक लगाइये और दूसरे इंजीनियरों का भी उपयोग कीजिये। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो मैं निश्चित रूप से निवेदन कर सकता हूं कि पिछले ढाई साल में हैण्ड पम्पों के तहत जितने घोटाले हुए हैं, आप इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी करायेंगे तो मैं तैयार हूं। मैं आशा करता हूं आप मेरी बातों पर ध्यान देकर कार्यवाही करायेंगे। अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अभी वर्ल्ड बैंक की बात कही गई....

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षेप में, समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र सिंह : लास्ट मिनट। मैं भीलवाड़ा जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा शहर को मेजा बान्ध से पानी मिलता है वहां से ओपन नहर से पानी आता है, इतना गन्दा पानी आता है कि वह पीने लायक नहीं रहता है। पिछले 7-8 साल से राज्य सरकार के सामने पाइप लाइन द्वारा मेजा बान्ध से

(श्री देवेन्द्र सिंह)

पानी लाने की वात है इस वारे में कितनी ही योजनाएं बन चुकी हैं लेकिन वह योजना ग्रभी तक क्रियान्विति नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदया, वर्ल्ड बैंक से जितना दूसरे जिलों को पैसा दिया है उतना क्या भीलवाड़ा जिले को मिला है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले की ग्रोर ध्यान देकर मेजा वान्ध से पाइप लाइन से पानी लाकर उस कस्वे को शुद्ध पानी मिल सके, ऐसी व्यवस्था करिये। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री बंशीलाल।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : ग्रादरणीय समानेत्री जी, ग्राज सदन में पेय जल ग्रौर ग्रकाल समस्या पर विचार किया जा रहा है। जहां तक मेरे जिले का ग्रौर मेरे क्षेत्र का प्रश्न है ग्रकाल की दृष्टि से समूचे राजस्थान में जहां ग्रकाल है वहां मेरे जिले में सवसे ग्रधिक ग्रकाल की छाया है–भीलवाड़ा जिले में सबसे ग्रधिक ग्रकाल की छाया है ग्रौर उससे भी ग्रधिक मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में है। ग्रकाल की स्थिति में जिन तौर तरीकों के ग्राधार पर वहां पर काम हो रहा है उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। वहां राजनैतिक भेद-भाव वरते जा रहे हैं। प्रति माह ग्रकाल राहत कमेटी की बैठक होती है, उसमें हम प्रस्ताव देते हैं, विचार करते हैं लेकिन इसके बाद भी वहां पर जो कोई भी निर्णय लिये जाते हैं, स्टेप लिये जाते हैं, उसका एक्जीक्यूशन प्रशासन की ग्रोर से बराबर नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप ग्राज वहां पर श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो स्थिति मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कही, जो हमारे बनेड़ा क्षेत्र के विधायक महोदय है, उन्होंने सरकार की बड़ी तारीफ की। नवम्बर से जो टेस्ट वर्क प्रारम्भ किये हैं उसमें उन्होंने पांच हजार मजदूरों से काम की वात कही। जहां तक श्रमिकों को काम देने का प्रश्न है, मैं समझता हूं, सभी विधायक वराबर जोर देते ग्राये हैं। नवम्बर में 16 हजार मजदूर 16 तारीख से काम करेंगे यह घोषणा की गई लेकिन उस माह केवल पांच हजार मजदूरों को ही काम दिया गया है जबकि ऐसी दयनीय स्थिति है कि वहां के मजदूर भूखों मर रहे हैं। हमारी मांग करने के बाद भी, निवेदन करने के वाद भी वहां श्रमिकों का काम नहीं दिया गया है ग्रौर ग्राज जिस ढंग से काम छेड़ा गया है, मेरे ग्रपने विधान सभा क्षेत्र में बत्तकों का खेडा जोतिया सोलंकियें का खेडा ग्रादि में सड़कों के ग्रधूरे काम हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि जितने ग्रधूरे काम हैं, हम पूरे करवायेंगे माण्डल व भीलवाड़ा विधान सभा क्षेत्र ले लीजिये वहां पर जितने ग्रधूरे काम पिछले वर्ष हुए थे, ग्राज भी ग्रधूरे पड़े हुए हैं। उन कामों में वहुत कम काम शुरू किये गये हैं, ग्राज उन कामों के वारे में हम निरन्तर कहते ग्राये है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा जिला ग्रकाल से ग्रसित है लेकिन वहां पर श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो दो दो सौ श्रमिक रोजगार मांगने की दृष्टि से ग्राते हैं, कलेक्टर साहवान को भी ज्ञापन देते हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर राजनैतिक चश्मे के ग्राधार पर निर्णय ले लिये जाते हैं। जिला स्तर पर जो निर्णय लिये जाते हैं उनका एक्जीक्यूशन होने के बजाय नये प्रपोजल की स्वीकृति दे

(श्री बंशीलाल पटवा)

दी जाती है। अकाल राहत कमेटी में जो निर्णय हुए नहीं उसके बाद भी दबाव डाल करके मन चाहे तौर तरीकों के आधार पर आदेश करवा लिये जाते हैं और उस प्रकार के प्रपोजल नहीं होते हुए भी नये काम तैयार करवाये जाते हैं। रिलीफ कमेटी के निर्णय के विपरीत इस तरह के काम करवाये जाते हैं ऐसी स्थिति भीलवाड़ा जिले की है। आप सोचिये एक ओर तो यह स्थिति है कि सड़कों के काम नहीं किये जा रहे हैं और पंचायतों ने जो प्रपोजल ग्रामीण विकास योजना के वे भी काम नहीं हो रहे हैं। फूड फार वर्क तो इस सरकार को पसन्द नहीं आया क्योंकि यह योजना जनता सरकार की थी इस योजना में 25 हजार का काम था वह भी अधूरा पड़ा है। पंचायत ने जो 12-12 प्रपोजल दिये हैं उनमें से दो दो काम के आदेश दिये हैं बाकी जो अधूरे काम थे, उनकी स्वीकृति नहीं दी गई। अकाल राहत के नाम पर सारा ढोंग रचा जा रहा। जो काम छेड़े जा रहे है नहीं के बराबर हैं। भीलवाड़ा जिले में 57 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अकाल राहत मंत्री जी से कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने श्रमिक काम कर रहे हैं। मेरे साथ भेदभाव बरता जा रहा है और मेरे क्षेत्र को राजनैतिक चश्मे के आधार पर देखा जा रहा है, यह तरीका उचित नहीं है। यहां से उस क्षेत्र के लिये कोई सैंक्शन नहीं भेजी जाती है अगर कोई सैंक्शन भेजी भी जाती है तो सोचा जाता है कौन से विधायक का काम है, किस विधान सभा क्षेत्र का काम है।

कहा जाता है हमको कि सामूहिक आधार पर जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी से, क्योंकि अकाल एक ऐसी समस्या है जिसके लिए ट्रेजरी बैंचेज वाले, विरोध पक्ष वाले, सब मिलकर काम करें, सामूहिक रीति से हम इस अकाल का मुकाबला करें लेकिन हमारे साथ इस तरह का भेदभाव बरता जाता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि हम सामूहिक रूप से, जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी से काम करना नहीं चाहते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि कहां काम हुए, कहां नहीं हुए। यदि मान लो कहीं काम हुआ तो आपत्ति नहीं, हो रहा है तो आपत्ति नहीं। लेकिन जहां आरम्भ किये गये हैं, वहां श्रमिकों को काम मिलना चाहिये, लोग भूखे हैं बेरोजगार हैं, उनको काम दिया जाना चाहिए। लेकिन वहां इस तरह की स्थिति निर्मित कर दी गयी जिसके तहत मेरे क्षेत्र में गांव के गांव देख लीजिए आज श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। हमने पिछली बार इस तरह का एक सुझाव दिया था कि मान लो मुख्य सड़क एक है, उसके इर्दगिर्द गांव है, 5 किलोमीटर में यदि कोई गांव पड़ता है तो उसको अप्रोच रोड से जोड़ दिया जाय, लेकिन उसका एक्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा करने से है उस समय श्रमिकों को काम भी मिल सकता है और 5–5 किलोमीटर की दूरी के जितने गांव हैं, मुख्य सड़कों से जोड़े जा सकते हैं। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि पिछले साल जो स्वीकृतियां दी गयीं, वह भी इतनी देरी से दी गयीं और लिखा जाता है कि 31 मार्च के अन्त तक ये काम पूरे करने होंगे। अब आप सोचिये कि 13 तारीख को स्वीकृति आती है. किसी की 16 तारीख को स्वीकृति दी गई। कम समय में 31 मार्च तक कैसे काम पूरा होगा?

(श्री बंशीलाल पटवा)

ऐसी दयनीय स्थिति हमारे जिले में है, जिस तरह से अकाल राहत के तहत जनता पार्टी सरकार 84 करोड़ का अनाज केन्द्र से लायी, आज क्या यह सरकार एक दाना भी लायी, सेन्टर से? केन्द्र से लायी, नहीं ला पायी और पिछली बार ये स्थिति थी कि अकाल राहत के दौरान अकाल राहत कार्यों पर जिन लोगों को काम नहीं दिया जाता था या नहीं दे पाते थे, उनको एक रुपया दिया जाता था ताकि वे लोग भूखे नहीं मरे। इस तरह की स्थिति थी। पचायतों को जिस तरह से एक क्विन्टल अनाज दे दिया जाता था कि गांव में कोई भूखा है तो भूखा नहीं रहे। इस दृष्टि से अनाज पचायत के मार्फत वितरित हो जाता था लेकिन आज स्थिति यह है कि पंचायत को एक क्विन्टल अनाज नहीं दिया गया और कुछ इस तरह का पैसा जिस तरह से पिछले अकाल राहत कार्यों में पिछली सरकार ने 17लाख रुपया असहायों के सहायता के लिये अकाल राहत के रूप में दिये थे, उस तरह की कोई व्यवस्था इस वर्ष नहीं है। इस तरह की स्थिति है मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन मैं इस आधार पर कहना चाहता हूं कि भूखे मर सकते हैं, मेरी बात को तो स्वीकार न करेंगे एतबार करेंगे या नहीं लेकिन पिछली सात तारीख को भीलवाड़ा जिला अकाल राहत समिति की बैठक हुई थी, उसमें आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के विधायक ने यह आरोप लगाया था कि आसीन्द विधान सभा के क्षेत्र में एक व्यक्ति भूख से मर गया। इस सरकार ने काम नहीं दिया, इस कारण वह मरा है यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसकी जबानी है, जो आसीन्द विधान सभा क्षेत्र से जीत कर आये विधायक महोदय हैं। उन्होंने कहा है और भीलवाड़ा जिला अकाल राहत कमेटी की प्रोसिडिंग्स में है। आज चाहे वे ना कर दें, मैंने उस समय प्रोसिडिंग्स में नोट कराया है। समाचार-पत्रों में छपा है, आसीन्द के विधायक........

एक माननीय सदन: यह गलत बात है।

श्री बंशीलाल पटवा: इस तरह का उन्होंने कहा है, सही है। यह गलत हैं आज वे भले ही इन्कार कर दें लेकिन प्रोसिडिंग्स में है, वह प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख ली जाय और जो कुछ भी स्थिति दयनीय बन रही है तो इसके लिए सरकार को दोष नहीं देना चाहता हूं लेकिन सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, यथार्थता की नीति पर आये। भेदभाव नहीं वरतें और जहां अकाल राहत कार्य खोले जाने चाहिए, वहां खोलने चाहिए। जैसलमेर हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे जहाजपुर हो, लेकिन कार्य खोले जाने चाहिए। जो भेदभाव वरते जा रहे हैं, इससे बाज आयें। मेरा यही निवेदन है। मैं सोचता हूं कि अकाल राहत समितियां जगह जगह जिला स्तर पर बनायी हैं, सहयोग के आधार पर जो कमेटियां बनीं, उसमें विधायक हैं, एस. डी. ओज हैं, बी. डी. ओज हैं, कलैक्टर है, ए डी. एम. हैं, सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन राज्य सरकार ने जो व्यवस्था की है उनमें कांग्रेस के 2-2,3–3 व्यक्ति और घुसे हैं उनको नामजद करने के लिए परि-पत्र जारी किये हैं। उन लोगों को उसमें रखा है। उसमें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन सवाल यह है कि अकाल के नाम पर

(श्री बंशीलाल पटवा)

यदि सामूहिक जिम्मेदारी से, सामूहिक रेस्पान्सिबिलिटी के आधार पर विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर मुकाबला करें, तो इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि आपने कांग्रेस के सदस्यों को या कांग्रेस के प्रतिनिधियों को, जो विधायक नहीं हैं, रखा है। उसी आधार नीति के अन्तर्गत क्यों नहीं कम्युनिस्टों को रखना चाहते हैं, क्यों नहीं जनता पार्टी के सदस्यों रखना चाहते हैं, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य व्यक्तियों को रखना चाहते हैं, क्यों नहीं मार्क्सवादियों को रखना चाहते हैं? यदि अकाल राहत के नाम पर अकाल का मुकाबला आप करना चाहते हैं तो सभी दलों के प्रतिनिधियों को जिला स्तर पर समितियों में लेना चाहिए। दलबन्दी की भावना से अकाल राहत कार्यों को नहीं देखना चाहिए और अकाल का दलबन्दी के आधार पर मुकाबला करना चाहेंगे, तो मैं सोचता हूं उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। निकलेंगे भी तो सीमित मात्रा में निकलेंगे। यदि सामूहिक रूप से, सामूहिक जिम्मेदारी से सभी दलों का सहयोग लेकर काम करेंगे, मुकाबला करेंगे, उनके प्रतिनिधियों को रखेंगे, तो उसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, परिणाम भी अच्छे निकलेंगे। मेरा यह भी अकाल राहत कार्यों के बारे में निवेदन है, स्थिति यह है कि पंचायतें काम करना चाहती हैं, उन्होंने प्रपोजल्स भेजे हैं लेकिन उनको मस्टर रोल जारी नहीं किये गये हैं जबकि मैंने जिलाधीश को पत्र लिखे हैं कि इन सरपंचों को मस्टर रोल नहीं मिले हैं। कहते हैं कि मुहैया नहीं हुए, जयपुर से नहीं आये, छपे नहीं। इस बात को कहकर टाल दिया जाता है। पंचायत के 12-12 कामों के प्रपोजल्स आये हैं, 2–2 काम स्वीकार किये जाते हैं, उनके मस्टर रोल नहीं देते फिर आप अकाल का मुकाबला किस तरह से करना चाहते हैं? ये जो अर्ज करना चाहता हूं, ये जवानी नहीं, ये सारी बातें रिकार्ड पर हैं। आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि यथार्थता के अधार पर एक नीति तय की जाय, नीतिगत व्यवहार के आधार पर सारे निर्णय हों। उसका एक्जीक्यूशन ईमानदारी के आधार पर किया जाय। ऐसा हमने किया तो निश्चित रूप से अकाल का मुकाबला कर सकते हैं, उसके परिणाम भी अच्छे निकल सकते हैं। मेरा निवेदन इस बारे में इतना ही है कि जो सड़कें नहीं ली गयीं, चाहे कोई भी जिला हो, जहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं, वहां पर तुरन्त खोले जायं। समस्या यह है कि सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर सभी का सहयोग लेकर इसका मुकाबला किया जाय। यही निवेदन अकाल की दृष्टि से है। आपसे पेयजल की दृष्टि से थोड़ा सा, संक्षेप में और निवेदन करना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त में।

श्री बंशी लाल पटवा : पेयजल के बारे में मेरे पूर्व साथी देवेन्द्र सिंह ने भीलवाड़ा नगर की दृष्टि से बात कही। मेजा डेम से जो पानी भीलवाड़ा को मिलता है, जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 7 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी से नहर से पानी आता है, पानी आकर टैंकों में आता है इस दृष्टि से पानी की भी शार्टेज रहती है। पानी सूख

(172)

(श्री बन्शीलाल पटवा)

जाता है, बहकर आता है, पानी अशुद्ध होता है। आज जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की रिपोर्ट मिली, इसमें शुद्ध पानी देने की बात कही गयी है लेकिन कथनी और करनी में अन्तर है। यह स्कीम वहां पर कई वर्षों से चल रही है। कई कांग्रेस के विधायक थे उस समय भी बात आयी, जनता पार्टी के समय भी यही बात आयी। जनता सरकार के समय यह प्रपोजल्स तैयार हुए, भीलवाड़ा में यह स्कीम तैयार हुई और भील - वाड़ा शहर के टैंकों तक पाइप लाइन डाली लेकिन पिछली बार एक प्रश्न का उत्तर मिला उसमें ना कर दिया गया। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जनता गवर्नमेंट के समय स्कीम बनी थी और यह स्कीम भेजी गयी उसको ड्राप कर दिया गया। भीलवाड़ा नगर....

(व्यवधान)

श्री सभापति : व्यवधान नहीं करें।

श्री बंशीलालपटवा : एक लाख से ऊपर की आबादी का भीलवाड़ा है। उसमें 10–12 गांव रूरल एरियाज के भी हैं। जो छोटे छोटे गांव हैं, कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी प्रेशर के अभाव में चढ़ नहीं पाता और कुछ पाइप लाइन ऐसी छोटी हैं, कहीं-कहीं तो एक इंच की पाइप लाइन है। अब जल प्रदाय विभाग है, मुझे इनकी बुद्धि पर तरस आता है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि भीलवाड़ा नगर में जो पाइप लाइन बिछायी थी, 2–2, 3–3 मंजिल की बिल्डिंगे हैं, उनके नीचे पाइप लाइन बिछी पड़ी हैं, आज उसकी सफाई तक नहीं कर सकते हैं। परिणामस्वरूप लोगों को गंदा पानी मिलता है। न नक्शा देखा न कुछ देखा, पाइप लाइन डाल दी गयी। आज शुद्ध पानी नहीं दिया जाता है इस तरह की दयनीय स्थिति है कि रूरल एरियाज के गांव अरबन एरियाज में पड़े हैं उनका व भीलवाड़ा नगर में जहां पानी का संकट है कुएं डेढ़ डेढ़ सौ हाथ गहरे हैं, जहां पानी नहीं पहुंच पाता। जैसे खालरा गांव में एक कुआं सवा सौ हाथ गहरा होते हुए भी पानी नहीं है। 2–2 किलो मीटर दूर से लोग पानी लाते हैं। लेकिन दो किलोमीटर पर भी कुएं सूखे पड़े हैं।

जल प्रदाय की दृष्टि से मेरा यह निवेदन है कि मेजा डेम से लेकर भीलवाड़ा वाटर वर्क्स टैंक तक पाइप लाइन बिछाई जावे। यह स्कीम जो ड्राप की गई थी उसको फिर से लिया जावे।

इसके साथ साथ कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी नहीं चढ़ पाता है, छोटी लाइन है, जहां पर भार ज्यादा है उनका विभाजन किया जावे। इस तरह की समुचित व्यवस्था की जावे, जिसके तहत मई और जून में प्रेशर से नहीं तो कम से कम टूंटी से पानी मिल जावे, दो चार बाल्टी पानी मिल जावे और वह पीने के काम में आवे। क्योंकि मेजा डेम से होते हुए पाइप लाइन नहीं होने के कारण जो पानी भीलवाड़ा आता है वह पानी रास्ते में आधा रह जाता है और जो पानी पहुंचाता है वह भी शुद्ध पानी नहीं पहुंचाता है, इसलिए पाइप लाइन डाली जावे।

दूसरी बात, यह है कि जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर पानी का अभाव है वहां

(श्री बन्शीलाल पटवा)

पर कुओं को गहरा किया जावे, नए खोदे जावें और पानी की व्यवस्था की जावे।

इसके अतिरिक्त....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें। अब जल्दी समाप्त करें।

श्री बंशीलाल पटवा : संक्षेप में ही दो मिनट में यह कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आज भी दो सौ कुइयां हैं जिनकी मैंने सूची जिलाधीश को दी है। वह कुइयां या तो सूख गई हैं या वे इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनमें पानी दो सौ डेढ़ सौ फुट गहरा है। मई जून में क्या स्थिति होगी यह कोई नहीं कह सकता है। भीलवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चले जावें तो ऊपर से ही पानी की इस तरह की स्थिति आयेगी कि लोग गर्मी में पानी नहीं पी सकेंगे। गर्मी में चार चार रुपये में पानी का पीपा मिलेगा। इस तरह की स्थिति भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की है वहां पर दो सौ ऐसी कुइयां हैं जिनकी सूची दी है, जिले की सूची को उठा कर देखें तो बारह सौ कुइयां मिल जायेंगी लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र से जिलाधीश को जो सौ कुइयों की सूची मैंने दी थी उसमें से केवल छः कुइयों की स्वीकृति की है बाकी

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नहीं दी गई मई, जून में किस तरह की स्थिति पैदा होगी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। मेरा अन्त में यही निवेदन है कि पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे और पाइप लाइनें जहां डलवानी हों वहां डाली जायं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : और गांवों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सभी माध्यमों से की जावे। मेरा यही निवेदन है कि यथार्थता के आधार पर नीतिगत व्यवहार हो ताकि समुचित ढंग से यथार्थता के आधार पर निपटा जा सके, ऐसा करने से रिजल्ट भी अच्छे निकलेंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : कांग्रेस के माननीय घनश्याम जैन।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा भी नम्बर था। मैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय के पास चला गया था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज आर्डर प्लीज आपका नाम 5 बजकर 18 मिनट पर पुकारा गया था। उस समय आप यहां पर नहीं थे।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय सभापति महोदया, प्रगतिशील विधायक दल का अभी एक भी सदस्य नहीं बोला है।

(व्यवधान)

(174)

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदया, पहले मैंने अध्यक्ष जी से पूछा था उस समय मेरा नाम नहीं था। मैं तो दो ही मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : इनका नाम पुकार लिया गया है, उसके बाद इस तरफ के एक सदस्य होंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सिर्फ दो ही मिनट में अपनी बात कह देता हूं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें, कृपया।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, प्रगतिशील विधायक दल को कोई समय नहीं दिया गया है।

व्यवस्था का प्रश्न

नाम पुकारने के समय सदन में अनुपस्थित सदस्य को कटौती प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का अन्त में अवसर

श्री अनगंकुमार जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सभापति महोदया, आपने अभी व्यवस्था दी थी कि जिनका नाम पुकारा जाएगा, उस समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, फिर आपने फर्माया कि इनको बोलने के बाद में एक माननीय सदस्य इधर के बोलेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो सदस्य लगातार बैठे रहते हैं और जो यहां से चले जाते हैं जिनका नाम पुकारा गया, तो वे यहां मिलते नहीं हैं इसलिए उनका नम्बर सबसे आखिर में आना चाहिये।

श्री सभापति : सुझाव तो मानने योग्य है माननीय सदस्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उसमें थोड़ी सी गलतफहमी है मैं मुख्य सचेतक महोदय से मिलने चला गया था।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रतनलाल ताम्बी : भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को 25 मिनट दिए गए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर, सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपको ही अपने पाइन्ट बता देता हूं, आप ही बोल लेना। मेरे लिए क्या पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें. कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदया, जब किसी भी माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाता है और जब वे स्वयं उपस्थित नहीं हैं तो यह सदन का अपमान माना जाता है, ऐसे अपमान करने वालों को बोलने देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपकी आपत्ति जयपुर की राइवलरी में ठीक तो नहीं कही जा सकती है। माननीय सदस्य ने कैच आउट किया है....

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य,···· प्लीज···· माननीय सदस्य····आर्डर प्लीज····कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य····

श्री नानूराम : सभापति महोदया, मेरा नाम है।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक महोदय से जिन नामों की सूची आई है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री नानूराम : लिस्ट में मेरा नाम है।

श्री सभापति : क्या नाम है आपका ?

श्री नानूराम : मेरा नाम नानूराम है।

श्री सभापति : आप मुख्य सचेतक महोदय से बात कर लें····कृपया स्थान ग्रहण-करें····माननीय सदस्य····

कटौती प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का दलवार अवसर

श्री रतनलाल ताम्बी : पाइन्ट आफ आर्डर। सभापति महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस दल वाइज समय निर्धारित किया था मैं समझता हूं कि उसकी पालना नहीं हो रही है। दल विशेष का ध्यान रखा जा रहा है। प्रगतिशील दल के एक भी सदस्य को अभी तक अवसर नहीं दिया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय निर्धारित किया है....

श्री रतनलाल ताम्बी : उसकी पालना नहीं हो रही है।

श्री सभापति : उस लिस्ट के अनुसार बोलने के लिए सबको कहा जा रहा है। माननीय श्री घनश्यामजी।

श्री कमला भाई मीणा: माननीय सभापति महोदया, लिस्ट में कमला भाई का नाम है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुख्य सचेतक से बात करिये और उनके पास से जो लिस्ट आएगी उसी की मान्यता है।

श्री कमला भाई मीणा : लिस्ट में नाम है कमला भाई का।

श्री सभापति : मुख्य सचेतक से बात करिये।

श्री अमराराम चौधरी : घनश्यामजी के बाद किस का नाम है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके मुख्य सचेतक से एक स्लिप मिली है जिसमें श्री शोभराज जी और घनश्याम जी को पहले बोलने के लिए कहा गया है। पहले घनश्यामजी का नाम पुकार लिया गया है। माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री घनश्याम जी।

श्री देवीसिंह भाटी : भाटी से न्याय हो जावे। न इधर के बोले, न उधर के बोलें, भाटी का न्याय कर दें। मैं बोल लेता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें....आर्डर आर्डर....

माननीय श्री घनश्याम जी !

श्री कमला भाई मीणा: माननीय सभापति महोदया, लिस्ट में नाम है या नहीं, पढ़ कर हमको बताया जावे।

श्री सभापति : आप अपने मुख्य सचेतक जी से बात करिये वे ही इसका जवाब देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री सभापति : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करें, कृपया।

कटौती प्रस्तावों पर विचार व्यक्त करने का अवसर देने के आधार

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है

(5.57 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कि बोलने का जो क्रम निर्धारित किया जाता है उसमें तीन तरह की बातें आती है। एक तो वह कि जिन्होंने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, एक लिस्ट तो वह है। दूसरी लिस्ट वह है जिसे मुख्य सचेतक महोदय या दल के नेता देते हैं और तीसरी लिस्ट वह है कि जो बीच बीच में लोगबाग पर्ची दे देते हैं। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि कम से कम आप कौन से क्रम से बोलने की व्यवस्था दे रहे हैं यह बताने की कृपा करें ताकि हमारा नम्बर हो तो बोलें वरना नहीं तो हम बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष : तीन ही नहीं, तरीका एक और भी है, आसन की आई भी कैच करनी होती है। तीन पूरे हों तो भी अवसर नहीं मिले इसलिए एक चौथा यह भी है। इसमें ऐसा है कि कौन से सचेतक ने किस क्रम में नाम दिये हैं, यह गोपनीय है यह हम बताते नहीं हैं। दिस इज चेयर सीक्रेट। यह मैं आपको निवेदन कर दूं चूंकि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा समय का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य अपने सुझाव दे सकें यह व्यवस्था हम करने को तैयार हैं। इसके लिए चाहे हमको अगर आप चाहें, माननीय सदस्य चूंकि ज्यादा बोलने को उत्सुक हैं, तो छूट भी रख सकते हैं। क्योंकि डिबेट कारगर हो, डिबेट में मूल्यवान सुझाव आवें, जनता की तकलीफों को आप यहां पर रख सकें, इसकी पूरी सुविधा देंगे। एक साथ तो सभी माननीय सदस्य बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा सा धीरज रखिये।

श्री देवीसिंह भाटी : लास्ट में आप फर्मा देंगे, कि दो दो मिनट बोलो।

श्री अध्यक्ष : पहले हम ही बोलें और इस बात पर आप नाराज हो जावें यह नहीं होगा। यह आप हम पर छोड़िये। यह अवसर देंगे बोलने का लेकिन तीन तीन माननीय सदस्य एक साथ बोलें, एक बार में तो एक ही बोलेंगे। लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, फिर कोई माननीय सदस्य कहेंगे कि हमारे दल की तरफ से एक भी नहीं बोला। यह सब तरह की समस्यायें हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब माननीय सदस्य थक जायेंगे तब हम यहां से जायेंगे।

श्री नानूराम कुमावत : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जैसा कहा कि हमारे यहां चार व्यवस्थाएं हैं। जो कटौती प्रस्ताव दिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सौ बातों की एक बात अर्ज कर दी। जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे उनको बुलाकर यहां से जायेंगे। आपको धीरज रखना पड़ेगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हुक्म हो तो दो मिनट मैं अर्ज कर दूं।

श्री अध्यक्ष : जिन्होंने पहले कटौती प्रस्ताव दिये हैं, पहले ही व्यवस्था दी हुई है कि कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे। यह आवश्यक नहीं है कि जितने माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं सब के सब माननीय सदस्य इसमें हिस्सा लें। यह भी आवश्यक नहीं है। फिर भी सब कुछ होते हुए भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप जब कह देंगे कि अब डिबेट खतम कर दी जाय तब करेंगे। धीरज रखिये। हम क्रम में नाम पुकारते रहेंगे। कौन किस इलाके से आते हैं, कहां अकाल की विभीषिका है, यह हम पर छोड़िये। धीरज रखिये।

(व्यवधान)

श्री नानूराम।

एक माननीय सदस्य : जिनका कभी नाम आने वाला ही नहीं है।

श्री अध्दक्ष : नहीं आने वाला है यह आशा नहीं है, वह माननीय सदस्य हिस्सा नहीं लें, इसका जवाब मेरे पास। इसके सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन जो बोलने के लिये इच्छुक हैं, उनका नाम जरूर आयेगा। श्री नानूराम जी पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहे हैं। आर्डर प्लीज बैठ जाइये। हां, क्या कहना चाहते हैं आप।

श्री नानूराम : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कटौती प्रस्ताव दिये उस लिस्ट में हमारा नाम है, मुख्य सचेतक जी ने जो लिस्ट दी है उसमें तीसरा नाम है हमारा, फिर बाद में तीसरी जो फर्माते हैं केटेगरी पर्ची देने वाली, उसमें भीलवाड़ा जिले में फर्स्ट नाम हमारा, फिर अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दी उसमें दूसरा नाम हमारा तो यह नाम बीच में कहां गायब हो गया यह पूछना चाहता था, बस और कुछ नहीं ?

श्री अध्यक्ष : गायब कहीं हुआ ही नहीं। नाम यहीं है, नाम पुकारा जायगा। श्री घनश्याम जी।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री घनश्याम तिवाडी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप नहीं।

श्री घनश्याम जैन (बेगूं) अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल और पेयजल की समस्या पर कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में अकाल का बहुत गंभीर संकट है। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, बेगूं विधान सभा क्षेत्र से, वहां 462 गांवों में से 277 गांवों को अकालग्रस्त घोषित

(श्री घनश्याम जैन)

किया है । मेरी मांग यह है मैंने कई बार निवेदन भी किया कि 462 गांव ही समस्याग्रस्त हैं, न पीने का पानी है, फसलें प्राय: नष्ट हो चुकी हैं, मेरा निवेदन है कि 462 गांवों को ही अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय ताकि वहां पर राहत कार्य शुरू हो सकें। जो राहत कार्य शुरू हुए हैं, जो टेस्ट-वर्क शुरू हुए हैं वह एक ही हिस्से में शुरू हुए हैं, एक हिस्सा पूरा ऐसा बचा है, जहां पर एक भी टेस्ट वर्क या अकाल राहत कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैंने कुछ सड़कों के प्रपोजल रखे थे, उसमें जैसे पारसोली से छोटा खेड़ा, बेगूं से चरछा, मेहेसरा से भैंसोडगर, रतनपुरा, लुहारिया, गोपालपुरा नदबाई से तेजपुर, राजगढ से महेसरा, राजगढ़ से दुगार, महेसरा से मैंसराडगर आदि सड़कें हैं, यदि इन पर राहत कार्य शुरू नहीं करेंगे पूरा हिस्सा ऐसा बच जायगा, जहां पर लोगों को राहत नहीं मिलेगी । मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किये जायं। ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके व उसका फायदा उठा सकें। दूसरा अकाल राहत कार्यों में सडकें फिर भी ली हैं लेकिन सिंचाई योजना पर ध्यान नहीं दिया गया है। सिचाई पर बोलते समय मैंने कुछ योजनाओं का जिक्र किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा उन योजनाओं को हाथ में लेकर सिंचाई की ओर ध्यान दिया जाय ताकि उन तालाबों से अगली बार सिंचाई हो सके और अकाल की समस्या नहीं आये ।

जहां तक पेयजल की समस्या का सवाल है, मेरा क्षेत्र इस मायने में बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है । बेगूं खास जहां कभी पानी खतम नहीं हुआ, अब की बार एक भी कुएं में पानी नहीं है। पानी की ऐसी गम्भीर समस्या कभी नहीं हुई है । 15 हजार की बस्ती है लेकिन आधा घंटे मोटर चलती है, नौ सौ पाइप कनेक्शंस हैं जहां ढाई लाख लीटर पानी की आवश्यकता है वहां केवल 45 हजार लीटर पानी दे पा रहे हैं । एक्स. ईएन, पी. एच. ई. डी. ने एक योजना प्रस्तावित की है, चार लाख दस हजार रुपये की। इसमें मेरा निवेदन है शीघ्र ही दो ट्यूब वैल, 20 हैण्ड पम्प और दो कुओं, जहां से पानी लिया जा रहा है, को गहरा कराया जाय ताकि बेगूं की जनता को पानी मिल सके । इसके अलावा जो पानी के सम्बन्ध में समस्याग्रस्त गांवों को लिया गया है, न मालूम इनका क्या क्राइटेरिया है, समझ में नहीं आता । जहां समस्या है, उन गांवों को नहीं लेते हैं और जहां समस्या नहीं है, उन गांवों को ले लिया जाता है । जिला आयोजना समिति ने 57 गांव प्रस्तावित किये थे, उसमें से केवल सात गांव लिये । उसमें भी कई गांव ऐसे हैं डोराई, झालरवावडी, भांडाकुडी, जावरा खुर्द, जोधापटेल की खेडी, बस्सी, श्रीनगर, पतलोई मंडोसरी, जवाहर नगर, टोलों का लुहारिया, पतलोई प्रतापपुरा टांकरदा, बागपुरा, उमरथुणा, मणकेशर है। यहां सभी आदिवासी बसते हैं, पहाड़ी पर है, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों को बहुत जल्दी पानी की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिये । एक डोराई गांव है, पहाड़ी पर बसा हुआ है । लोग कम से कम एक किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही यहां पानी की

(श्री घनश्याम जैन)

व्यवस्था की जाय। एक नागणी बड़ोली करके गांव है, यहां पर बूंद बूंद करके झरना बहता है, पूरा गांव कटोरी कटोरी पानी लाकर मटके भरता है। वहां ऐसी भीड़ लगती है, कुत्ते भी मुंह देते हैं, गाय भी पीती है, पंछी भी पीते हैं, मेरा निवेदन है कि इस गांव में जल्दी ही वहां नीचे टैंक बनाकर पाइप लाइन देकर पानी की व्यवस्था की जाय। झालरबावड़ी तीर्थ स्थान हैं यहां हजारों तीर्थ यात्री आते हैं, लेकिन पानी सुविधा नहीं होने की वजह से यात्री बड़े परेशान होते हैं। मेरा यह निवेदन है कि यहां पानी की व्यवस्था की जाय। एक धावदकलां गांव है, यहां हर साल कोई घर ऐसा नहीं है, कोई आदमी नहीं बचा जिसके नारू नहीं निकला हो। मेरा निवेदन है कि ऐसे गांवों में, जहां बीमारी फैलती है, हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय। इसके अलावा पारसोली व भीगोचर में नल योजना लागू हो चुकी है मगर आधे गावों में नल लगे हैं और खास तौर से यहां पर हरिजन बस्ती, एस.सी.और एस.टी.के लोग रहते हैं, वहां पर पानी की सुविधा नहीं है मेरा निवेदन है कि इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पाइप लाइन से जोड़ना चाहिये। इसके अलावा कई ऐसे गांव हैं, बोराव, एकलिंगपुरा, जावदा आदि गांव हैं जहां हमें पी एन टी.स्कीम ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएें लगानी चाहिये। इसके अलावा ठुकराई, राजगढ़, नदबाई में मोटर तो डिपार्टमेंट की तरफ से लगा दी गई है, लेकिन आज तक चालू नहीं हुई है, अतः मेरा निवेदन है कि केवल मोटर लगा देने से काम नहीं चलेगा। चालू करनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो समस्याग्रस्त गांव हैं, चाहे पानी की दृष्टि से, चाहे अकाल की दृष्टि से, शीघ्र ही काम शुरू करवाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : पांच मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीराम जी को खतम करने दें। यह दो मिनट बोलनें वाले हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : बस ज्यादा नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा है, मेरे जो सुझाव हैं, मैं माननीय दोनों मंत्री महोदय को दे देता हूं, वह स्वीकार कर लें, मुझे आश्वासन दे दें, मैं छुट्टी कर लेता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

नाम पुकारने के समय सदन में अनुपस्थित सदस्य को कटौती प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करने का अन्त में अवसर

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक की परम्परा यह है जो सदस्य कटमोशन देते हैं ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैंने कटमोशन दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : और बोलने के लिये नाम देते हैं जब उनका नाम पुकारा जाय

180

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और वह सदन में नहीं रहें तो उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है । मेरे कथन की पुष्टि में जो व्यवस्था पूर्व में दी गई है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं : "शिक्षा विभाग पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा चुकने के पश्चात् जब श्री मुक्ति लाल मोदी ने कहा कि उनका भी एक प्रस्ताव था जिसे प्रस्तुत करने की उन्हें आज्ञा दी जाय तो अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया :–"आप को बोलने की इजाजत इसलिये नहीं दी जा सकती है कि जो सदस्य कटमोशन्स रख चुके हैं उनको सदन में हाजिर रहना चाहिये था। जब नम्बर आता है और उस वक्त सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, तो यह सदन का बड़ा भारी अपमान है। समय पर उनको यहां पर रहना चाहिये और नाम काल किये जाते हैं उस वक्त अनुपस्थित रहते हैं तो यह लगता है कि वे सदन की परवाह नहीं करते और अपने काम की ज्यादा परवाह करते हैं" और इस स्थिति में इनको बोलने की इजाजत नहीं दी गई थी । या तो इस व्यवस्था को आप बदल दें।

श्री अध्यक्ष : यह बात ठीक है इस व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : व्यवस्था का ध्यान रखते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, बता दें कौन कौन से क्रम में रखते हैं फिर मेरा नाम कब आयेगा, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : यह सदन चलेगा तब तक आपको हाजिर रहना चाहिये।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, यह पुरानी व्यवस्था को ओवर रूल कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनको अनुमति देकर जो पुरानी व्यवस्था है पहले उसको over rule करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने व्यवस्था बताई है उससे पहले नाम पुकार लिया था, अगर उनका नाम दुबारा न पुकारें तो यह और भी अनादर होगा।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री श्रीराम गोटेवाला : विराजो आप। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात निवेदन करूंगा। अकाल राहत के संबंध में केवल इतनी सी बात निवेदन करना चाहता हूं अकाल राहत मंत्री जी के सामने कि यह बहुत बड़ा चेलेन्ज है उनको, राजस्थान बनने के बाद में हम लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रुपये अकाल राहत पर व्यय कर चुके हैं और आज भी जिस प्रकार राजस्थान के 26 जिलों में,10-20 तहसीलों को छोड़ कर अकाल घोषित किया हुआ है। इस विषय में, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, जिस प्रकार और चुनौतियां स्वीकार करते हैं, क्योंकि सदन में जितनी आलोचना, प्रत्यालोचना उनकी होती है उतनी शायद ही किसी की होती हो और मैं यह मान कर चलता हूं कि जिसमें कुछ करने की हिम्मत होती हैं जो दबंग होते हैं और मजबूती से किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं उनकी आलोचना, प्रत्यालोचना होना स्वाभाविक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मस्का ठीक है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मस्का तो भई हमारी तो पार्टी की बात है, आप लोग कर लेना। मैं एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री जी से, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1956 में नेहरू जी भी चिन्तित थे अकाल ग्रस्त क्षात्रों से राजस्थान की 40 प्रतिशत भूमि हमेशा अकाल की चपेट में आती रहती है उसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने कई बातें सोची थीं और एक डेजर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना भी की गई थी। एक इजराइल का विशेषज्ञ भी यहां आया था उसने रिपार्ट भी दी थी और कहा था कि यहां पर मिल्क बेस, मटन बेस और वूलन बेस बनाकर अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में काम करोगे तो स्थाई रूप से रोजगार दे पाओगे, ठीक प्रकार से अकाल का मुकाबला कर पाओगे। ठीक है कि साढ़े छः सौ करोड़ का खर्चा किया है और आज भी इन्सान को, पशु धन को जिन्दा रखने के लिये जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए कितना धन खर्च करना पड़े वह खर्च किया जाय लेकिन स्थाई रूप से हल निकाल सकें इसकी भी व्यवस्था की जाय। इसके साथ जो मेरा मेन सब्जेक्ट है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट का फर्माया था इसलिये मैंने अन्दर से आकर आवाज दी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं आपके इशारे को समझ रहा हूं। मैं अनुरोध कर रहा हूं। मैं अब जलदाय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और लम्बे चौड़े आंकड़ों की भाषा में न जाकर 24 हजार गांव समस्याग्रस्त राजस्थान में हैं आपकी रिपोर्ट में, जो प्रगति विवरण दिया है उसके अन्दर मंत्री जी ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि पांच साल में सारी समस्याओं का हल कर लेंगे। माननीय मंत्री महोदय, जो कि उत्साही भी हैं, इसको भले ही चमचागिरी कह दें, लेकिन एक बात का अनुरोध करूंगा, हमें इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा, हमारे यहां आज भी 30-32 साल बाद भी गांवों में जो प्राब्लम है उसको हल करेंगे लेकिन पांच साल में 25 हजार गांवों में जल व्यवस्था करने की बात करते हैं इस प्रकार के टार्गेट हैं उनसे लगता नहीं कि पांच साल में व्यवस्था पूरी कर पायेंगे।

मैं जयपुर शहर की पेय-जल समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि पेय-जल समस्या की जो उपलब्धियां हैं उसमें जो नगरीय अन्तर है, उसमें आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कुल 200 नगरों जिनकी 71 की जनगणना के अनुसार 49.12 लाख की आबादी है, वर्तमान में विभाग द्वारा समस्त नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है अतः नगरों में शत प्रतिशत जनसंख्या को पेय जल उपलब्ध है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं. मैंने निवेदन किया था कि यहां कच्ची बस्तियां और गन्दी बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोगों के लिये लाइन तो पहुंच गई है लेकिन वहां पर न तो पी. एस. पी. कनेक्शन दिये जा रहे हैं न कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को यह कह कर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
कि नगर विकास न्यास एन. ओ. सी. नहीं देता इसलिये हम उनके लिये सारी व्यवस्था नहीं करेंगे। बहुत विनम्रतापूर्वक, अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ तो लाइन डाल दी गई है दूसरी तरफ आपका वायदा है कि रहने के लिये मकान और रोजगार की सुविधा की व्यवस्था करेंगे। एक तरफ आप मकान बनाते नहीं, लोगों को जमीनें देते नहीं, दूसरे लोग किसी भी तरीके से आकर बैठे हैं। शहर की आबादी 6 लाख से 10 लाख हो गई उनकी आप व्यवस्था करने की सोचते नहीं, जबकि पानी की लाइन पहुंच गई, स्वयं आपने कहा है कि शत-प्रतिशत लोगों को पानी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय, आप इसकी व्यवस्था करने की बात करें और इस बात का सदन में जवाब दें, इस बात के लिये आश्वस्त करें कि उन लोगों को पानी के कनेक्शन देंगे और जल पिलाये जाने की व्यवस्था करेंगे। जो समाज का वीकर सेक्शन है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय ज्यादा ले लिया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं सीवरेज लाइन की बात कह कर खतम कर रहा हूं। मेरा सुझाव है। आपने लिखा है कि सीवरेज लाइनों में, जल निस्सारण योजना में जलदाय विभाग संपूर्ण व्यवस्था करेगा। 14 करोड़ की विश्व बैंक की योजना है जल निस्सारण के लिये। आज शहरों में, आप अपनी रिपोर्ट में फर्मा रहे हैं कि हमने उत्तरी क्षेत्र में सीवरेज लाइन और गटर लाइन डाल दी है। मैंने स्वयं आपके अधिकारियों को दिखाया है, अभी तक बहुत से क्षेत्र इससे वंचित हैं। और जो राजस्थान में सबसे बड़ा शहर है जिसकी 10 लाख की आबादी हो गई है उसमें आज भी लोग सिर पर मैला ढोकर चलते हैं इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं अनुरोध करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात की घोषणा करें। उनके पास एक व्यवस्थित विभाग है यहां जो सीवरेज लाइन की स्कीम, सफाई व्यवस्था, सीवरेज लाइन डलवाने की व्यवस्था है इस सारी व्यवस्था को जल दाय विभाग स्वयं करने का फैसला भी कर चुका है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : साहब, एक मुद्दे की बात, एक मिनट····

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : मैं सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक प्रकोप से····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य 7-8 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं बहुत जल्दी बोलूंगा। मैं सबसे पहले प्राकृतिक प्रकोप से, राजस्थान में अकाल से जो जनता प्रभावित है उसके संबंध में निवेदन करना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहूंगा। मैं इस बात के लिये तो राज्य सरकार, राज्य के अकाल मंत्री जी और अकाल राहत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना किये बिना नहीं रह सकता कि इस बार राजस्थान में सुनियोजित ढंग से अकाल राहत के काम करने में पहल की, गिरदावरी जल्दी की गई, टैस्ट वर्क जल्दी शुरू हो गये, लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य विषयों पर मुझे लगता है कि जल्दी में ध्यान नहीं दिया गया। इस संबंध में मुख्य रूप से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अभी तक गांवों में काम करने वाले लोगों के पास पर्याप्त रूप से औजार उपलब्ध नहीं हैं जो जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाये जायं तो जो समस्या आज आ रही है, कई लोगों को काम नहीं मिल रहा है औजार नहीं होने से, वह दूर हो जायगी। दूसरी समस्या भुगतान की है। इस प्रकार व्यवस्था की है कि आधा पहले और आधा मेजरमेंट के बाद पेमेंट करेंगे, इसमें मेजरमेंट की व्यवस्था पूरी नहीं है इसके लिये टेक्निकल स्टाफ आपके पास उपलब्ध नहीं है। भय और आतंक है कि दूसरी बार पैसा मिलेगा या नहीं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो नई व्यवस्था है उसको बदल कर पुरानी व्यवस्था ही कायम की जाय। एक बार में ही समय पर भुगतान होना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था करें।

मैं अकाल राहत मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर अकाल राहत कार्यों के तहत 58 हजार श्रमिक काम कर रहे हैं जबकि आवश्यकता वहां पर एक लाख की है। राजस्थान के दूसरे जिलों के मुकाबले भीलवाड़ा जिले में अकाल की विभीषिका ज्यादा है। इसको राज्य सरकार ने माना है। इस बात के लिये मैं वहां के जिला प्रशासन को भी बधाई दिये बिना नहीं रह सकता हूं कि वहां पर सुनिश्चित ढंग से काम शुरू किया गया है कुछ जगह काम की कामियां हैं। मैं समझता हूं कि उस ओर भी ध्यान दिया जायगा। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव पहुंच रहे हैं उनकी स्वीकृतियां भी बराबर पहुंच रही हैं।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि पेयजल के बारे में भी अकाल सहायता विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी से कुओं को गहरा किये जाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो अप्रेल, मई में क्या स्थिति होगी? आज ही चिन्ताजनक स्थिति है। आज ही पानी की कमी है। एक-दो मील से लोग पानी ला रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि चाहे अकाल सहायता मद से या जन-स्वास्थ्य विभाग के मद से पानी देने की व्यवस्था करें।

गांवों के अन्दर अनाज उपलब्ध नहीं है और लोगों का शोषण हो रहा है। उधार देने में मनमानी रेट ली जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी कुछ दिन पहले मैं जोधपुर की तरफ गया था। पश्चिमी राजस्थान को, वहां कि हालत को मैंने देखा है। वहां पर स्थिति गंभीर है। इस ओर भी मंत्री महोदय ध्यान दें यह मैं अनुरोध करूंगा क्योंकि वहां की हालत गम्भीर है। पश्चिमी राजस्थान के लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : जोधपुर में आप कहां तक पधारे हैं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : जोधपुर और बिलाड़ा तक गया हूं।

श्री अध्यक्ष : वह तो बहुत दूरा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे यह महसूस हुआ है वहां की स्थिति अच्छी नहीं है।....

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ये मेरे साथ जोधपुर तक गये थे....

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि अकाल राहत मंत्री जी को उस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उस दृष्टि से लोगों से मिला हूं। मैंने उन से कहा है कि मैं अवश्य ही कहूंगा और इसलिये निवेदन कर रहा हूं। सात रुपया मजदूरों को दिये जाने की घोषणा की गई थी, यह घोषणा अभी तक जिलों में नहीं पहुंची है। मैं चाहूंगा कि इसके आदेश जारी होने चाहिये और इसके आधार पर काम होना चाहिये। इसका जो आधार बनाया गया है, जो मिट्टी खोदने का काम है, दो व्यक्ति 70/80 फीट से अधिक मिट्टी नहीं खोद सकते हैं। यह मजदूरों का शोषण है। आप इसको बंद करें। यह अन्याय हो रहा है दो दो व्यक्तियों के मिट्टी दने पर भी काम पूरा नहीं हो रहा है, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही जो पंचायत समिति में काम हो रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी काम करा रहे हैं, जो इन कामों को देखते हैं, वे काम पूरा नहीं करा पाते हैं कि उनका ट्रान्सफर हो जाता है और इस चक्कर में पंचायत समिति के काम अधूरे रह जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति में जो काम हो रहे हैं, उनमें आप इस तरह की व्यस्वथा करेंगे कि 31 मार्च, 1981 तक आपके दिसम्बर से जनवरी तक के जो काम हैं उन अधिकारियों का तबादला न हो और पंचायत समिति की मार्फत भुगतान की आप व्यवस्था करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

इसके साथ साथ एक बात और कहता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। चार, पांच दिन पहले भयंकर बरसात हुई थी इससे जहाजपुर, कोटड़ा में काम करने वाले करीब 2500 किसानों की फसलें जो वाणिज्यिक हैं रजका, टमाटर, प्याज, खरबूजा ककड़ी वह समाप्त हो गई। उनको तत्काल राहत देने के लिये मंत्री महोदय, ध्यान दें। पंचायत समिति की मार्फत जो काम शुरू किये गये हैं उसमें पूरी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण वह काम अधूरे रह जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार निर्णय करेगी।

अकाल के सम्बन्ध में, जैसा मैंने निवेदन किया है दो-तीन बातें मुख्य हैं। एक तो अकाल के अन्दर जो भी काम लिये जाय वे स्थायी महत्व के हों। आज वहां पर मिट्टी डाली जा रही है या पत्थर तोड़े जा रहे हैं वह पत्थर सड़क तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो सामग्री है वह लोग ले गये हैं। करोड़ों, लाखों रुपयों का सामान सड़क पर नहीं पहुंच पाता है। वह पड़ा रह जाता है। वह सड़क पर पहुंचाया जाय। डामर करवाई जाय, ग्रेवल कराया जाय। इसकी कोई प्लानिंग होनी चाहिये उसके अनुसार काम होना चाहिए : यह मेरा

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सुझाव है । मेरे इलाके में जहाजपुर, माण्डल और कोटड़ी में पहाड़ी इलाका है। राजस्थान को हरा भरा बनाने की बात की जाती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि अकाल राहत के अन्तर्गत वन विकास कार्यक्रम को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम हाथ में लिया जाना चाहिए । इसके लिए विभाग के तकनीकी अधिकारियों की मार्फत मास्टर प्लान तैयार करके कार्यक्रम बनाया जाय । यह निवेदन करते हुए जैसा मैंने कहा है अकाल राहत कार्य मेरे जिले में एक अच्छे तरीके से चल रहे हैं परन्तु आम तौर से राजस्थान में कोई विशिष्ट तरीके से, प्लानिंग के जरिये होने चाहिये । भीलवाड़ा जिले में 50 हजार श्रमिक और एक हजार काम शुरू किये गये हैं फिर भी उस इलाके में कमी है । इस दृष्टि से मैंने सुझाव दिये हैं उन पर मंत्री महोदय विचार करें ।

जिला प्रशासन मुस्तैदी से इन कार्यों का संचालन कर रहा है । जिस गति से कार्य चल रहे हैं, प्रशासन ने सहयोग दे कर इस काम को आगे बढ़ाया है । उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अन्त में जन स्वास्थ्य के बारे में बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि मेरे इलाके में बनास नदी 50/60 मील चलती है । इस नदी के जरिये पांच सात गांवों को एक लाइन जा रही है कोटड़ा तहसील चीटाकर, बसनिया ये सीधे ही इस लाइन से जोड़े जा सकती हैं । ये बड़े बड़े गांव हैं । इन गांवों को पानी देने की योजना बनाई जा सकती है । मेरा आपसे निवेदन है कि इसके साथ साथ जो समस्याग्रस्त गांव हैं, वे आपके प्रतिवेदन के हिसाब से 1100 गांव हैं....

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ, माननीय सदस्य । आर्डर प्लीज ।

श्री नानूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री देवेन्द्र सिंह : बोल चुके ।

श्री गोविन्द सिंह ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की गंभीर विभीषिका के ऊपर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं और जो वस्तु-स्थिति है उसमें बहुत अन्तर है । मैं उनसे बहुत ही विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर सकें, उनकी जांच कर सकें तो उसमें यह पायेंगे कि जैसे हम क्षेत्रों में जाते हैं वहां पर वस्तु स्थिति का सामना करना पड़ता है तो उस समय मालूम पड़ता है कि जो आंकडे दिये जा रहे हैं और जो फेमिन में कार्य कराये जा रहे हैं उनमें कितना अन्तर है । श्रीमान्, राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर को ढाई लाख रुपये तक के कार्य स्वीकार करने की अनुमति दी गयी है । अभी मैं परसों अजमेर कलेक्टर के पास गया । उनसे मिलकर आ रहा था तो उन्होंने बताया कि स्वीकृत तो कर दिया गया है, ढाई लाख

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

के काम शुरू करा सकते हैं लेकिन पैसा नहीं दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वीकृति के साथ साथ यदि पैसा नहीं दिया तो स्वीकृति किस काम की है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि प्रत्येक परिवार के कम से कम दो व्यक्तियों को अकाल राहत में रोजगार दिया जायगा. परन्तु मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि अजमेर जिले में कोई योजना नहीं है वहां के गांवों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के दो आदमियों को उसमें रोजगार मिल सके। स्थिति इतनी असंतुलित है कि कई कई जगह तो एक ही क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के हजारों आदमियों को और परिवार के कई कई आदमियों को काम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एक परिवार के दो आदमियों को तो क्या कहना है पूरे के पूरे गांव को कोई काम मुहैया नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां इस असंतुलन को दूर करें। जो जिला प्रशासन है उनसे कहें कि ऐसी कोई योजना चालू करायें, तखमीना बनाकर पेश करें, जिससे हर गांव के हर व्यक्ति को, कम से कम परिवार के दो व्यक्तियों को हमारी घोषणा के अनुसार काम उपलब्ध हो सके, रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अकाल में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह पेमेंट की है, इसके तरीके की है। पेमेंट का जो तरीका बनाया गया है उसके अनुसार पेमेंट के काम में बहुत दिक्कतें हैं। इसमें तरीका यह है कि काम तो पंचायत करायेगी, पेमेंट बी० डी० ओ० करेगा और जो तहसीलदार है वह उसकी जांच करेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि जनवरी में जो काम किये गये थे, टेस्ट वर्क, उनका पेमेंट अभी तक भी नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा इसमें यह है कि तब तक पेमेंट नहीं होगा जब तक कि उसका मेजरमेंट नहीं हो जाय और मेजरमेंट करने के लिये दो पंचायत समितियों में एक ओवरसियर है, उसके पास इतना ज्यादा ओवरलोड वर्क है कि वह उसका मेजरमेंट नहीं कर पाता है। अभी तक तीन चार साल पहले के कामों के मेजरमेंट नहीं हुये हैं और जो नये काम हैं उनका पेमेंट होगा, मेजरमेंट होगा यह बहुत ही संदिग्ध है। यह वास्तविकता भी है, इस वजह से सरपंचों ने, पंचायत के लोगों ने काम करने से इन्कार कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि जन प्रतिनिधि के सम्मुख कर्मचारियों को वरीयता दी गयी हैं और जन प्रतिनिधियों को अस्वीकार किया गया है। हो सकता है कुछ सरपंच भ्रष्ट हों, दो चार हों, लेकिन सारे के सारे सरपच भ्रष्ट हों, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो प्रोसिजर है, जो इस प्रोसिजर में इस तरह की रुकावटें हैं, इसको ऐसा बनाना होगा कि 15 दिन के बाद पैसे मिल जाये। अगर यह नहीं करेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, हमारा जो यह अकाल राहत का मन्सूबा है हर व्यक्ति को काम देने का, वह पूरा नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय, अजमेर और ब्यावर में जो नगरपालिकायें हैं उस क्षेत्र के आस-पास के 20–25 गांवों को भी सन् 75 में नगरपालिका की सीमाओं में मिला लिया गया है पर वे गांव डवलप नहीं हुये हैं और हर दृष्टि से अभी भी गांव ही हैं। नगरपालिका ने वहां पर कोई काम नहीं किया है, जन

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

सुविधायें उपलब्ध नहीं करायी हैं इस तरह से नगरपालिका की सीमा में आ जाने से उनका दुर्भाग्य बढ़ गया है । उनका विकास नहीं हो रहा है । आज वहां कोई दूसरा काम भी नहीं हो रहा है, बल्कि आज अकाल की इतनी बड़ी विभीषिका है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर नगरपालिका क्षेत्र में कई ग्राम हैं जहां अकाल है, उन लोगों को भी रोजगार मुहैया कराने की समुचित व्यवस्था प्रदान करें । लोगों की हालत खराब हो रही है वे उससे मुक्ति पा सकें ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चारे के बारे में निवेदन चाहूंगा । मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है । मुझे दुःख है कि अजमेर में कोई चारे का भण्डार नहीं है । अजमेर के रास्ते से जो पशु निष्क्रमण कर रहे हैं उन पशुओं के लिये चारा डिपो खोला जायें । मैंने अजमेर में कोई चारा डिपो नहीं देखा । मेरे को वहां पर किसी चारा डिपो को देखने का सौभाग्य नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय, जब भी अकाल पड़ता है, लोगों की स्थिति नहीं है कि वे बाजार भाव पर चारा खरीद सकें । पंचायत समितियों को पांच पांच हजार रुपया दिया गया है । यह पांच हजार की राशि दी गयी यह तो अच्छा है लेकिन यह इतनी कम है कि वे इस राशि से दो ट्रक ही खरीद पाते हैं । उस पैसे को लेने जाना पड़ता है । फिर वापस लोगों से इकट्ठा करके फिर चारा लाना पड़ता है इसलिये पंचायतें काम करने को तैयार नहीं हैं । ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये इलाके हैं जहां पर पर्याप्त चारा है वहां से सरकार रेल के द्वारा चारा मंगाये ।

पूर्व में भी जब जब अकाल पड़ा है कन्सेशनल रेट पर चारा मंगाया गया है और कन्सेशनल रेट पर ही बांटा गया है । जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होगी मैं समझता हूं कि पशु धन है उसका भला नहीं होगा, लाखों जानवर चारे के अभाव में मर जायेंगे । इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये वर्ना जो पशु धन है उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, अभी इस स्टेटमेंट में निष्क्रमण पर भी दो लाइनें रखी गयी हैं । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व राजस्थान से जो मध्य प्रदेश को पशु जाते हैं भीलवाड़ा के रास्ते से, वहां से कुछ आदमी आये थे । उन्होंने कहा था कि वहां पर काफी पशु राजस्थान के मध्य प्रदेश की सीमा के ऊपर इकट्ठे हैं और वहां के, जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं, वे उन्हें वहां जाने से रोक रहे हैं । उनकी हालत खराब हो गयी है । वे न तो आगे जा सकते हैं न ही वापस आ सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी चाहिये कि राजस्थान से अकाल की वजह से पशुओं का निष्क्रमण हो रहा रहा है और अन्य प्रदेशों के अधिकारीगण उनको जाने नहीं दे रहे हैं । पशुओं के साथ आदमी भी जाते हैं तो जितने पशु जाते हैं उनसे 100-200 रुपये लेकर तो उनको जाने देते हैं और को नहीं जाने देते हैं । पैसा लेकर पशुओं को जाने दिया जाता है । इसलिये निवेदन करूंगा कि इस संबंध में सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिये ।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

अब दो शब्द मैं पेयजल के संबंध में, आप घंटी बजायें, उससे पहले कहना चाहूंगा। नसीराबाद और उसके साथ अजमेर पेयजल की दृष्टि से कई सालों से बहुत ही संकटग्रस्त हैं। उसमें नसीराबाद बहुत बड़ी छावनी है वहां पर बहुत दिनों से डिवीजन बनाने की योजना सुरक्षा विभाग में चल रही है। अगर वहां डिवीजन बनाया जाता है तो वहां पर करीब 15-20 हजार सेना के जवानों के रहने की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन यह योजना करीब पांच सालों से इसलिये नहीं हो पा रही है कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जब तक पानी नहीं होगा यह व्यवस्था नहीं हो पायेगी। इसलिये उसकी बहबूदी के लिये पानी चाहिये और वह नहीं मिल रहा है। उस वजह से, अध्यक्ष महोदय, अजमेर का जो विकास है वह रुका हुआ है। जो बड़े उद्योग वहां लगने चाहिये उनमें बड़ी कठिनाई आ रही है। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं पीने का पानी आगामी कुछ माह में बहुत ही कम हो जायगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राजमहल योजना के नाम से जो योजना सरकार के पास है उस पर शीघ्र कार्यवाही कर उसको शीघ्र स्वीकृत कराने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री महावीरप्रसाद जैन : राजमहल नहीं है, कुशलगढ़ योजना है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप कुछ भी कह लीजिये। इसी के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, चम्बल से लिफ्ट इर्रीगेशन की, अजमेर जो कि ऊंचे अल्टीट्यूट पर बसा हुआ है, एक योजना है। पानी देने की। इर्रीगेशन की डिमाण्ड पर भी मैंने निवेदन किया था। इस योजना को जिलाधीश से स्वीकृत कराकर धनराशि उपलब्ध कराने के लिये, प्लानिंग कमीशन से स्वीकृत कराने के लिये, प्रारम्भिक कार्यवाही जल्दी से जल्दी कराई जानी चाहिये ताकि अजमेर जिले को पेयजल की समस्या से थोड़ी राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने मैं अरज करणो चाहूं के, ईं मामले में राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरा निवेदन है जितने भी गांवों में ग्रामीण बैठे हैं, उनमें से कितनों को आपने मजदूरी दी, इसके लिए आप खुलासा करने की कृपा करें। राजस्थान में टैस्ट रिलीफ वर्क्स की एक नई परम्परा आपने शुरू की है, यह आपने नवम्बर में शुरू की और यह तय किया कि टैस्ट रिलीफ वर्क्स शुरू किये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की क्या नीति है, यह मैं नहीं जानता। हमारे यहां भी लोग खुश हुए कि टैस्ट वर्क्स होंगे और मजदूरी मिलेगी, लेकिन उनको तीन-तीन महीनों से मजदूरी नहीं मिली जबकि आपका उद्देश्य यह है कि लोगों को मजदूरी मिल जायगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पिछले दिनों अकाल राहत परामर्शदात्री समिति की बीकानेर में मीटिंग हुई, पी. डब्ल्यू. डी. के लोग भी उसमें आये। यह तय हुआ कि दस हजार

(श्री देवीसिंह भाटी)

से ऊपर के जो काम हैं वह पी. डब्ल्यू. डी. करेगी। पंचायत नहीं करेगी। इसके बाद जब दुबारा अकाल राहत परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई, तो पी. डब्ल्यू. डी. से 19 वर्क्स की प्रोग्रेस मांगी गई, पी.डब्ल्यू. डी. के अधिशासी अभियन्ता महोदय ने हाथ ऊपर कर दिये कि हमारे बस का रोग नहीं है, हम दूरस्थ क्षेत्र में नहीं जा सकते, हमारे पास कोई साधन नहीं हैं, हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। आखिर एक नई मिसाल पैदा हुई, जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि इन कामों को ग्राम पंचायत ही कराये। एक तरफ कहते हैं कि दस हजार से ऊपर के काम पंचायत नहीं करवा सकती और उसके उपरान्त पी. डब्ल्यू. डी. ने हाथ ऊपर कर दिया कि हम इसको करने को तैयार नहीं हैं। हमने पहले भी विशेष तौर से कहा कि वे मौके पर नहीं जायेंगे और गांव वालों से माथा फोड़ी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं दिया। हकीकत यह है कि पी.डब्ल्यू.डी. कहीं भी इन्ट्रेस्टेड नहीं है कि दूरस्थ गांवों में जाकर काम कराये और लोगों को राहत पहुंचा सके। इसलिए मेरा निवेदन है, जो मैंने सुझाव दिया है उस पर गौर करें और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करें। जो लोग दूरस्थ गांवों में आशा लगाये बैठे हैं, आपने घोषणा की है कि हर ग्रामीण को मजदूरी देंगे और उनको गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जैसी कि घोषणा की गई थी, बीकानेर में पांच हजार क्विण्टल घास का स्टाक किया जायगा और उसकी रेट रखी 45 से 48 रुपया क्विण्टल तक घास मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, एक ग्रामीण जिसकी हालत पहले से ही खराब है, सेठ का कर्जा है, गाय ऊंट के चारे की व्यवस्था करने में क्या वह सक्षम है 45 से 48 रुपये क्विण्टल का चारा खरीदने के लिये? इसके लिए मेरा सरकार से मार्फत आपके निवेदन है कि उनको चारा खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाय और उनको राहत पहुंचाई जाय।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात गांवों में पीने के पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस बारे में राज्य सरकार क्या निर्देश देने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के लूणकरणसर में तीन टैंकर और नोखा और कोलायत में दो-दो टैंकर लगाये गये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोलायत में टैंकर कम हैं क्योंकि वहां कहते हैं, राज्य सरकार का निर्देश है कि एक टैंकर को 200 किलोमीटर चलना होगा, इसके ऊपर तहसीलदार ने रिपोर्ट की कि कच्चा रास्ता है इसलिए सौ मील से ज्यादा नहीं चल सकता है, वे लोग अधर-झूल में हैं यह मांग की गई थी कि ज्यादा टैंकर मिलने चाहिये, जो वहां पर नहीं दिये गये। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर पीने के पानी की कमी है वहां पर व्यवस्था करने की कृपा करें तो उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा। मैंने जिलाधीश को लैटर लिखा था 3. 3.81 को उसका जवाब आया है 16 मार्च को। उन्होंने मेरे को पत्र लिखा है कोलायत तहसील में 68 हजार की जनसंख्या है और उन्होंने लिखा है कि 657 स्वीकृत कर पा रहे हैं जिस पर 2184 कृषकों को मजदूरी

(श्री देवीसिंह भाटी)

दी जा रही है। 68 हजार की जनसंख्या और 2184 कृषकों को मजदूरी। मेरी कोई गलत भावना नहीं थी, अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने बार बार निवेदन किया था, जिलाधीश द्वारा यह बताया गया है, मैं बार बार निवेदन कर रहा था, आप फर्मायें तो मैं बता सकता हूं कितनी दूरी पर कार्य मन्जूर किये। एक रणधीसर 10 किलोमीटर, जमासर 20 किलोमीटर, परसीपुर 20 किलोमीटर, बागसर 32 किलोमीटर, घलूरी 24 किलोमीटर, बीजेरी 18 किलोमीटर, इस दायरे में 24 किलोमीटर में पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण के लिए क्या यह संभव है जो यह आशा लगाये बैठा है वह सरकार की तरफ और जनप्रतिनिधि की ओर नजर लगाये बैठा है कि उसको गांव में ही मजदूरी मिलेगी? क्या वह सोच सकता है 24 किलोमीटर जाकर काम पर लगे? इससे तो वह गंगानगर में जाकर 20 रुपये रोज का काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण लोग बराबर सरकार की ओर यह आशा लगाये बैठे हैं कि मजदूरी मिलेगी ताकि वे अपना और गाय, बकरियों का पेट पाल सकें। इसलिए अगर आपको रिलीफ देनी है तो मेरा निवेदन है कि यह कोई पार्टी की बात नहीं है, जैसे भी हो राहत देने की कृपा करें, नवम्बर से वे आस लगाये बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से ग्रामीण लोग हमारे पास आये तहसील झालोदी से लोग आये उन्होंने बताया कि चोपासर से बुवड़ी 4–5 माइल की दूरी है, हमारे यहां कैम्प लगना चाहिये। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्र हैं। मैं पश्चिमी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मन्त्री महोदय उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जो शहरों के नजदीक रहने वाले हैं, जो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा है, जो राजनैतिक दृष्टि से सजग है वह जिला प्रशासन व तहसीलदार को प्रेशराइज कर सकता है। लेकिन गांव वाला इस हालत में नहीं है कि वह घेराव करे, जबर्दस्ती करे, ऐसा वातावरण बनाये। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, मंत्री महोदय, आप हंसी में मत लें, मेरी भावना को समझें। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं अभी होली पर वहां गया हूं, मुझे एक एक को जवाब देना पड़ा, उन्होंने कहा, आपने कहा था कि अकाल राहत खोले जायेंगे, मैंने कहा निश्चित रूप से खुलेंगे। मैंने सदन में निवेदन किया है और मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। वैसे तो मेरे क्षेत्र की काफी समस्यायें थीं, मैंने देखा अगर आप मुझे मौका दे दें। फेमिन के बारे में निवेदन करूंगा कि 1978–79 में परिवहन का जो किराया ग्राम पंचायत को मिलना चाहिए था उसके लिए अभी तक फैसला नहीं हुआ। वहां से जो गेहूं उठाकर अपने ग्राम पंचायत हैडक्वाटर्स में ले जाना चाहते थे, उसका जो डिफरेंस था, जिनकी ग्राम पंचायत शहर से दूर, पंचायत समिति से काफी दूर पड़ती थी उसका फैसला होना चाहिए क्योंकि उसमें फंसती है ग्राम पंचायत और सरपंच। जो गेहूं ले जाते हैं, जो गेहूं ले गए उसमें पहले आश्वासन दिया गया था कि छीजत मिलेगी। पहले एफ. सी. आई. के गोडाउन से उठाते हैं उसके बाद वे अपने गांव में ले जाते है, कई जगह कच्चे रास्ते हैं जिनको सिविल

(श्री देवीसिंह भाटी)

गाड़ी में न ले जाकर फोर व्हिलर में ले जाना पड़ता है। उसके लिए भी प्रस्ताव आया हुआ है जिला प्रशासन से। मेरा निवेदन है कि इस पर जल्दी निर्णय हो जाय, ग्राम पंचायत पर अलग से भार न पड़े लोग बार बार तंग न करें।

मैं पानी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं इन दिनों ज्यादा नहीं बोला हूं इसलिए थोड़ा समय दें। वैसे मैं आभारी हूं और स्वागत करता हूं कि हमारे पी. एच. ई. मंत्री ने यह शुरूआत की है कि क्षेत्रीय विधायकों को बुलाकर मीटिंग करते हैं और जनरल समस्याओं पर बातचीत की है, थोड़ा बहुत संतुष्ट भी किया है ऐसी बात नहीं है। उनसे मैंने निवेदन किया था कि यह कहां तक न्यायसंगत है, एक तरफ अधिशासी अभियन्ता ने जैसे हमने प्रस्ताव भेजा कि फलां गांव में लगते ही आधा किलोमीटर राजस्थान मेन केनाल जाती हैं वहां से पानी दे दें। उसके बाद लैटर आया वहां से कि 1.95 लाख रुपए इसकी लागत है उसके ढाई पर्सेंट आप जमा करा दें। अध्यक्ष महोदय, आप गांव वालों से क्या चाहते हैं ? पानी अगर आपको लेना है तो ढाई पर्सेंट जमा करायें, अगर गांव में बिजली लेनी है तो 5 पर्सेंट जमा करा दें। अगर स्कूल बनाना है तो आधा पैसा जमा करायें तब वरीयता दी जायगी। आज गांव वाला ऐसी स्थिति में नहीं है कि हर चीज का सरकार को पैसा दे दे। आखिर उसके पास क्या है ? वह थोड़े दिन निकाल रहा है हांलाकि मंत्री महोदय ने बताया, विश्व बैंक की भी शर्त थी, परन्तु गवर्नमेंट से सहायता दिलाकर ऐसी व्यवस्था करायें क्योंकि केनाल जितनी भी है हर जगह यह समस्या खड़ी होगी और गांव वालों की ऐसी स्थिति नहीं है।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं शहर के अन्दर कच्ची बस्तियों में जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है, पानी भी नहीं है वहां जैसे फ्लेट रेट चार्ज करते हैं उनकी पहली शर्त होती है, उसमें लिखा है वन टेप वन फेमिली 15), दूसरे में लिखा है वन टेप वन फेमिली 10)। यह दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। कृपया जांच करें क्योंकि वे उसी बस्ती के रहने वाले हैं। एक 1971 से पहले वाला है, एक तिकड़मी है और दूसरा सीधा सादा है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। कच्ची बस्तियों में पानी के लिए हमने बार बार निवेदन किया हांलाकि यू. आई. टी. फंडस देगी परन्तु वहां कच्ची बस्तियों में क्योंकि एकदम आबादी बढ़ी है और आबादी बढ़ने से स्टेंड एक होता है, 4 हजार की आबादी के बीच में, वहां औरतें जाती हैं, औरतों की आदत बात करने की ज्यादा होती है, झगड़े होते हैं सर फूटते हैं, घड़े, टूटते हैं इसलिए दो हजार की आबादी पर एक स्टेंड होना चाहिए....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : जो मेरी बीकानेर शहर में कान्स्टीट्यूएंसी पड़ती है उसके अन्दर भी सीवरेज में पहले विश्व बैंक से कार्य चल रहा है। उसके अलावा रेलवे लाइन पर एक गंदा नाला चलता है और एक सार्दूल कालोनी में गन्दा नाला चलता है, चारों तरफ लोग बुरी तरह से फंसे हुए

(श्री देवीसिंह भाटी)

हैं, लोगों का जीना हराम हो रहा है इसलिए उन्होंने बार बार निवेदन किया है। मीटिंग करके फंड्स तय करायें तो अच्छा रहेगा। अध्यथ महोदय, आपने समय दिया, मैं बहुत आभारी हूं पर अकाल राहत मंत्री से दुबारा निवेदन करूंगा, प्लीज, कोलायत के माइने दूरस्थ गांवों में मजदूरी वास्ते जो लोग बैठे हैं उनको मजदूरी दिलायें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, यदि इतिहास के पृष्ठों को पलट कर देखें तो अकाल हमेशा अनादि काल से पड़ता आ रहा है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण हमारे पश्चिमी राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ता रहा है। इस साल भी पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल है। असमान वर्षा के कारण, अनावृष्टि के कारण अकाल है इस अकाल के निराकरण के लिए जो सरकार उपाय कर रही है. वह बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है। पहले पुराने समय में अकाल पड़े, उस समय लोगों ने वृक्षों की छालें खाकर अपना जीवन व्यतीत किया लेकिन अब साधन उपलब्ध है। लोग चंद्र लोक तक पहुंच रहे हैं और इस सदन की बाड़मेर के प्रति, जैसलमेर के प्रति सबकी सहानभूति रही है और है। जहां मेरा क्षेत्र है, बालोतरा, वहां पर इस साल 11 गांव हैं उनको अकाल ग्रस्त में नहीं लिया है। जिलाधीश ने इसके लिए लिखा था कि इनको अकाल के अन्दर लिया जाय। जहां जोधपुर में शायद एक गांव होगा, बाड़मेर में, जहां मेरी तहसील में 11 गांव अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किए गए हैं वहां लोगों के पीने के पानी की आज विकट समस्या है। तालाबों में पानी नहीं है, दीवाली पर जो थोड़ा बहुत पानी था उसमें गोमूत्र यानि पशुओं ने पेशाब कर इतना गंदा कर दिया था, फिर भी उनको पीना पड़ता था, तो ऐसे गांव जो अकाल में नहीं लिए गए हैं उनकी सूची भेज दी गई है, उनको शीघ्र ही अकाल में लिया जाय और वहां अकाल राहत कार्य खोले जायं।

मैं निवेदन करूंगा कि इस अकाल के निराकरण के लिए, जो अपने सामने बार बार कठिनाई रहती है, हमें कोई रचनात्मक कार्य करना चाहिए, वह अभी तक नहीं हो रहा है। आज सबसे पहले अकाल के निराकरण के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम वहां पानी पहुंचायें। लेकिन वहां पानी नहीं होने से लोग अपना घरबार छोड़कर दूर दूर मजदूरी के लिए जाते हैं। वैसे पानी मेरे क्षेत्र में है लेकिन वहां गांवों के अन्दर पानी नहीं पहुंचा है। जनता सरकार के दिनों में बिलकुल ही कोई स्कीम नहीं बनी। जब खेतसिंह के पास विभाग होगा उस समय एक दो गांवों में पानी जरूर पहुंचा होगा। उसके बाद किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा। लोग कड़ुवा पानी पीते हैं और आज भी टैंकर्स से, मेरे 30 गांव ऐसे हैं जहां टैंकर्स से पानी जाता है, जन संख्या बढ़ गई है और एक सप्ताह में एक टैंकर जाता है, लोग मटकियां लेकर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। जो शक्तिशाली होते हैं उनको पानी मिलता है और दूसरों को, गरीबों को पानी नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं इस समस्या के समाधान के

(श्री अमराराम चौधरी)

लिए स्थाई योजना बनाई जाय ? आज बहुत से माननीय सदस्यों ने राजस्थान नहर के बारे में कहा, लेकिन आज ऐसा मालूम पड़ा कि राजस्थान नहर तीव्र गति से जो आनी चाहिए थी, उसका जो काम होना चाहिए वह नहीं हुआ, गति कुछ धीमी हो गई है। यहां पर यह भी कहा गया है कि सुमेरपुर से पानी आ रहा है और वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर भी वहां जोधपुर में पानी लाने की योजना बनायी जा रही है। पानी अगर आता है तो आना चाहिये। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान नहर की जो लिफ्ट इर्रीगेशन की स्कीम है जो कि नाचना की तरह बन रही है यह मन्द गति से काम चल रहा है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि तेजी से लायी जानी चाहिये। उससे गांवों में पाइप लाइन भी आयेगी और इधर पानी भी आयेगा तो बढ़ती हुई जनसंख्या को लाभदायक होगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो स्कीम्स बनती है उनमें वाटर लेवल बहुत नीचा जा रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि आने वाली पीढी के लिये एक यह बहुत ही भारी प्रॉब्लम हो जायगी जैसी कि प्रॉब्लम आज हमारे लिये बिजली की हो रही है। वैसी ही प्रॉब्लम उनके लिये हो जायगी। इससे कुओं में पानी नहीं रहेगा। आज से पचास साल बाद में यह सभी फेल हो जायेंगे, उनके सामने भयंकर समस्या बिजली की हमारे लिये हो रही है वह समस्या उनके लिये हो जायगी। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह राजस्थान नहर का काम और लिफ्ट इर्रीगेशन की जो स्कीम है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। यह तो जल्दी ही पूरी होनी चाहिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा जन स्वास्थ्य मन्त्री जी से आपके माध्यम से कि हमारे यहां पर उन्होंने कुछ जलदाय विभाग की स्कीम्स शुरू की हैं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने यह मेहरबानी की है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इसके साथ साथ मैं उन्हें यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जानी चाहिये, और यह योजनायें सिर्फ कागजों में ही नहीं रहनी चाहिये। अगर यह कागजों में ही रह गयी है तो, हमारे यहां के लोग पानी से तरस कर मर जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आज की आबादी जो है वह सन् 71 की जनसंख्या से बहुत अधिक बढ़ गयी है उसके ऊपर हमारे यहां पर हर साल अकाल पड़ जाता है। हमारे यहां की किसानों की यह हालत है कि हमारा किसान कर्ज में ही जन्मता है, कर्ज में ही जिन्दा रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। इस तरह की आर्थिक अव्यवस्था हमारे यहां के किसानों की है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर अकाल हर दूसरे नहीं तो तीसरे साल पड़ता ही है, इसलिये मैं अकाल राहत मन्त्री जी से यह निवेदन विशेष तौर से करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर आप जो रोड्स अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत बना रहे हैं वह ऐसे रोड्स बनायें जो कि डामर रोड हों। अगर रोड्स नहीं भी बनायें तो कोई बात नहीं, हमारे यहां पर राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी लाया जाय ऐसी मेरी मान्यता है स्वयं की। आप चाहे रोड्स मत लावो, आप चाहे दूसरे काम नहीं करो

(194)

(श्री अमराराम चौधरी)

तो कोई बात नहीं लेकिन आप राजस्थान नहर को जल्दी से जल्दी ले आवो हमें रोड्स की जरूरत नहीं है अगर आप पहले राजस्थान केनाल लाते हैं तो, क्योंकि आज जो भी रोड्स आप अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बना रहे हैं वह कच्ची रोड्स बना रहे हैं। लोगों को रोजगार देने के लिए यह काम तो जब फेमिन वर्क्स खतम होंगे तब समाप्त हो जायेंगे। आज भी हमारे उधर आपको मजदूर कम मिल रहे हैं और अब वैसे भी तीन महीनों में फेमिन वर्क्स समाप्त होने वाले हैं जो आप ग्रेवल रोड्स बनाने जा रहे हैं थोड़े दिनों बाद ही वहां पर सारी रेत जो आप डाल रहे हैं वह उड़ जायगी, वहां पर रेत ही रेत हो जायेगी और वापस धोरे हो जायेंगे। इस तरह आपका जो जैसा फेमिन में खर्च हो रहा है वह फालतू जायगा। इस लिए अगर आपको रोड्स ही बनानी हैं तो आप छोटी छोटी अप्रोच रोड्स बनायें, जो कि लाभकारी हो सकती हैं। अब जैसे मिलिट्री एरिया है उसमें 45 किलो मीटर डिफेन्स की रोड है, उस एरिया में डामर रोड बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वहां के मजदूर कहां जायेंगे अगर वहां काम आप पूरा नहीं करा सकेंगे तो वहां भी पैसे आपके बेकार जायेंगे, क्योंकि अभी फेमिन के काम तीन माह बाद समाप्त हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यही हालत पानी की रही तो हमारे इधर के लोगों को कोई ताज्जुब नहीं, आज स्थिति ऐसी है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां पर लोग, दूसरी जगहों के यह मगरावती की तरफ के लोग अपनी बेटियों की शादी यह कह कर नहीं करते हैं कि वहां पर पानी की कमी है। जब अभी वहां पर लोगों ने सुना है कि सरकार ने कुछ स्कीम्स सैंक्शन्स की हैं उससे लोगों में गांवों में खुशी की लहर दौड़ गयी है। उन्हें इस बात की खुशी है कि जब हमारे यहां पर पानी आयेगा, तो जो मगरावती की लड़कियों की हमारे यहां पर शादी नहीं होती है वह अब होने लगेगी। आज स्थिति, अध्यक्ष महोदय, यह है कि हमारे यहां पर औरतों को तीन-तीन, चार-चार मील से अपने सिर पर घड़े रख कर पानी लाना पड़ता है। इससे कई बार तो, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां की औरतों के सिर के बाल भी उड़ जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहां पानी कड़ुवा है। वह पीने के लायक भी नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि हमारे यहां पर लूणी नदी है वहां पर पानी के स्रोत उसके किनारे पर है। मैं सुनारा के अन्दर, जहां पर की पानी के स्रोत हैं, कलेक्टर साहब को भी ले गया और उन्हें लेजाकर बताया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस बावड़ी के कुए का, सर्वे कराकर पानी की योजना चालू की जाती है, तो दस गांवों को पानी दिया जा सकता है। वहां पर एक्स.-एनहसाब को भी ले गया, उन्होंने भी उसको देखा और सर्वे कराया इसलिये उस स्कीम को इस साल अगर आप चालू करवा दें तो काफी लोगों को राहत मिल सकती है। इसके लिये तो मैं इतना भी कह सकता हूं कि अगर सरकार पैसा खर्च करना नहीं चाहती तो कम से कम सरकार हमें धन नहीं मैटीरियल ही दिला दे, तो हम पैसा हमारे पास से लगाकर उस

(श्री ग्रमराराम चौधरी)

योजना को चालू कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां के लोग पानी की बून्द के लिये तरसते-तरसते मर जायेंगे। एक बात मैं और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि मेरे क्षेत्र में लूणी नदी है, जहां पर कई बार बाढ़ आ जाती है। मैंने बाढ़ के सम्बन्ध में भी कटौती प्रस्ताव रखे हैं उसके लिए मेरी मान्यता है कि लूणी नदी के किनारे अगर आप वन लगायें, तो लूणी नदी के किनारे जो बाढ़ के कारण कट जाते हैं वह कटने बन्द हो जायेंगे और जो किनारे डेमेज होते हैं वह डेमेज भी नहीं होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाये जायं इससे किनारे कटेंगे नहीं और हमारी वन सम्पदा भी बढ़ेगी। आज तो स्थिति यह है कि हमारे यहां की वन सम्पदा जो कि 33 प्रतिशत होनी चाहिये वह सिर्फ 22.8 प्रतिशत ही है। जबकि यह 33 प्रतिशत होनी चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री ग्रमराराम चौधरी : अगर आप वन अधिक से अधिक लगा देंगे तो जो अकाल हमारे यहां पड़ते हैं वह भी खतम हो जायेंगे। इसलिये मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, पेयजल और प्राकृतिक आपदाओं के विषय में काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार आज सदन में प्रस्तुत किये। राजस्थान प्राकृतिक विपदाओं से ग्रसित है और हमारे राजस्थान में पेयजल की भी भारी कमी है। पूरा राजस्थान इस समस्या से त्रस्त है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 30-35 साल से इस इलाके में लगातार प्रयत्नों के बावजूद इस समस्या का समाधान जिस स्तर पर होना चाहिये वह उस स्तर पर नहीं किया जा सका। दो तीन साल पहले तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने भी पांच साल के लिये एक योजना बनायी थी कि हम राजस्थान की जनता की सभी जगह पेयजल की समस्या को हल कर देंगे ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था।

(7.09 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा था कि हम पांच साल के अन्दर अन्दर इस समस्या को मिटा देंगे। लेकिन, सभापति महोदय, यह बात करते करते पांच साल पहले ही उनकी पार्टी सत्ता से च्युत हो गयी और इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसी तरह का नारा हमारी सरकार ने भी दिया कि पांच साल में पेयजल राजस्थान के गांवों की जनता को सुलभ कराने के लिये प्रोग्राम बनाया है। मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। हैण्ड पम्पप्स के मार्फत और पुराने सोर्सेज से बिजली के द्वारा पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से लोगों को सब्जबाग दिखाये गये हैं ताकि लोगों को शान्त किया जा सके। लेकिन, सभापति महोदय, यह समस्या बढ़ी है इस पर तवज्जोह दी जाय। अगर मन्त्री महोदय अपने कुछ बड़े-बड़े अधिकारियों को लेकर जैसे मुख्य अभियन्ता हैं और बड़े-बड़े टेक्निशियन्स हैं इनके, यहां

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पर सभी बैठ कर इस पर बात करें, बाद में योजना बनायी जावे और फिर उस पर कोशिश करें ताकि इस समस्या का समाधान जल्दी से किया जा सके। वास्तव में ट्रेडीशनल सोर्सेज जो हमारे हैं राजस्थान के, जो आज सदियों से लोग उनसे पानी पीते ही हैं, सभापति महोदय, लोग पानी तो पीते हैं। उसमें सुधार लाकर ठीक किये जायं। जो सदस्य यह कहते हैं कि हमारे यहां पर पानी नहीं आयेगा, हमारे यहां पर लोग मर जावेंगे तो मैं कह सकता हूं कि कोई मरेगा नहीं। हां, इतना जरूर है कि लोगों को पानी के बिना तकलीफ होती हैं उनको दस-दस, बीस-बीस मील से पानी लाना पड़ता है और इसके अलावा वहां पानी खारा है। दूर से पानी लाना पड़ता है। वह अपने परिवार के एक दो सदस्यों को पानी लाने के लिये, पानी की व्यवस्था करने के लिये रखते हैं। अपने मवेशियों के लिए भी, उनके परिवार के सदस्य पूरे दिन तक, एक दो व्यक्ति उस काम में रहते हैं, जिसका कारण यह होता है कि उन लोगों को अपनी जीविका उपार्जित करने में दिक्कत होती है इससे उन लोगों की माली हालत सुधर नहीं सकती है क्योंकि सारा समय पानी की व्यवस्था करने में ही खर्च करना पड़ता है। इसलिए सरकार का भी फर्ज है कि जितनी जल्दी हो सके इसका सही समाधान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरे साथी मांग करते हैं कि हमारे यहां ऐसा होना चाहिए, वहां नल योजना होनी चाहिए। मैं ठीक कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बहुत ज्यादा स्कीम्स बनी हुई हैं पेयजल की और हम सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे लूणी क्षेत्र के अन्दर बहुत ज्यादा स्कीम्स उन्होंने बनाई हुई हैं लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि स्कीम बनने के बाद विभाग के अधिकारीगण जिनकी मजबूरी समझे कि वहां पानी नहीं पहुचा पाते हैं। दूसरी ओर जब अकाल पड़ता है तो जहां पानी की विभिषिका होती है वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की जाती है क्योंकि कागजों में वहां पानी बताया हुआ है जबकि वहां पानी नहीं पहुंचता है। गांव के लोगों के अन्दर पहले भावना थी, चन्दा करके जो कुएं चलाते थे वह अब नहीं चलाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि पेयजल की स्कीम बन गयी। तो एक एक ट्यूबवैल से दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह गांव जोड़ दिये गये हैं। वहां साल में एक बार भी पानी नहीं जाता है। केवल कागजों के अन्दर गांव दिखाये गये हैं। इसलिए सबसे पहले जो उन गांवों की स्कीम बनी हुई हैं जहां पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली की वजह से या अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण या किसी भी कारण से आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं आपको बूस्टर लगाकर या बिजली की सुव्यवस्था करनी चाहिये या कोई भी तरीका निकाल करके जो स्कीम बनी हुई है, जो समस्याओं से ग्रसित इलाके थे, जो दस दस साल पहले स्कीम पानी की बनाई गई थीं, जहां खारा पानी था और मीठा पानी नहीं मिलता था आज भी वही की वही स्थिति है। केवल योजना बनाने से, हौज या टैंक बनाने से या पाइप लाइन लगाने से समस्या दूर नहीं हुई है। पानी वहां जाता है जहां योजना है और वहां से

(श्री रामसिंह विश्नोई)

ज्यादा से ज्यादा दूसरे गांव को पानी मिल जाय लेकिन और गांवों को पानी नहीं पहुंचता है । मंत्री महोदय चाहें तो मैं मेरे इलाके में पचास गांवों में ले जाकर बता सकता हूं, आदमियों और औरतों से कहला सकता हूं कि वहां पानी 6 महीने में एक बार भी नहीं आता । इस तरह की जहां समस्यायें हैं उनको आपको हाथों में लेकर उनका समाधान निकालना चाहिए ।

दूसरे, यह निवेदन करूंगा कि जो स्कीम्स आपकी 10 वर्ष से बनी हुई हैं वहां और कई मील तक की स्कीम बनी हुई हैं उसको बीच में गडरिये, गांव वाले, ढाणी वाले उस लाइन को फोड़ देते हैं । आपके आदमी होते हैं वह कुआं ही नहीं चलाते हैं तो लाइन को कैसे चैक करेंगे । उनका काम चैक करने का नहीं है । वह एक बार एम्प्लाय होने के बाद समझते हैं कि उनकी नौकरी पक्की है और उनको कोई निकालने वाला नहीं है । आप जब यह देखते हैं कि हम इस कार्य को करने के काबिल नहीं हैं या हमारी मशीनरी फेल हो गयी है इस काम को करने के लिए, तो आप प्रत्येक दो किलोमीटर के ऊपर एक टेप लगाकर खेली बना दें ताकि गडरिये हैं, ढाणी वाले हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके । दो किलोमीटर के ऊपर आप खेली बना दें ताकि मवेशी भी आराम से पानी पी सकें और लोगों को भी दिक्कत इसमें नहीं हो ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

एक मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जो हौज बनते हैं गांवों के अन्दर वे बिलकुल अपर्याप्त हैं । हांलाकि राजस्थान पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन जो काम करते हैं वह कम से कम पक्के काम करने चाहिए । आपने दस-दस हजार गैलन के हौज बना दिये तो गांव वाले और पांच मिनट के अन्दर ही वहां के मवेशी उसको पी जाते हैं । गांवों के अन्दर पानी का दूसरा सोर्स नहीं है । तालाबों में चार महीने से ज्यादा पानी नहीं चलता है तो गांवों की मवेशी पानी कहां पियेंगे ? केवल यह कहना कि वहां पर पानी की व्यवस्था करदी गई है, मैं ठीक कहता हूं कि हौज बनायें तो 24 घंटे का तो मानकर पानी की व्यस्वथा करनी चाहिए । अपने घरों में भी हम घड़े रखते हैं, सुराही रखते हैं या कोई न कोई व्यवस्था करते हैं तो गांवों में आदमी के लिए तो व्यवस्था करें और जानवर के लिए नहीं करें तो अच्छी बात नहीं है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, मैं यही निवेदन करूंगा कि राजस्थान की अपनी सीमा है । गांवों के अन्दर जहां भी पुराने हौज और खेली बनी हुई हैं उनकी मरम्मत कराने के लिए इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहिए । अगर वह लेंगे तो आपको लाखों रुपया बचेगा । सीमेन्ट की कमी है, पाइप मिलते नहीं हैं और पाइप चूंकि हिन्दुस्तान में मिलते नहीं, सीमेन्ट का अभाव है इसलिए पुराने कुएं, कोठा तथा खेली ट्रेडीशनल सोर्स को अपना लिया है इसलिए आप जो हौज बनाते हैं, कोठी जो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कि हमारा पानी का ट्रेडीशनल सोर्स है उन्हें आप अपने हाथ में लें। काफी बचत होगी माननीय सदस्यों ने कहा था कि हमारा इतना पैसा खर्च हो जायगा और हमारे पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी तो थोड़े ही पैसों में काम चल जायगा। यह तभी संभव है जब कि उन पुराने ट्रेडीशनल सोर्स को हम अपने हाथ में लेकर उनकी मरम्मत करा दें। विद्युत मोटरें जलती हैं क्योंकि वोल्टेज पूरा नहीं मिलता है। वोल्टेज कभी तो 400 आता है कभी 500 आता है तथा कभी 250 इससे मोटरें जलती हैं जिससे पानी समय पर सब गांवों को नहीं पहुंच पाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर में बात फेमिन के ऊपर कहूंगा माननीय मंत्री महोदय नहीं है। इन्होंने भीलवाड़ा और उदयपुर में जो कुछ किया उसके लिए तो धन्यवाद देता हूं। भीलवाड़ा और उदयपुर के ही मंत्री होते तो हम उसका स्वागत करते लेकिन वह राजस्थान के मंत्री हैं इसलिए उनको सोचना चाहिए था। जोधपुर माननीय मंत्री महोदय अभी बीस दिन पहले होकर आये थे, तो हमने कहा था कि हमारे यहां 15–20 हजार मजदूर लगे हुए हैं और आपने कागजों में बताया उसके हिसाब से 8 सड़कें कुल हमारे यहां मन्जूर हुई हैं और 20 हजार लेबर लगी हुई है। हमारे यहां जोधपुर तहसील के अन्दर 500 लेबर ही लगी हुई है, मैं माननीय मंत्री महोदय को दो तीन बार कह चुका हूं एक भी काम कलेक्टर नहीं करवाना चाहता है। वह गलत आदमी है, वह नहीं चाहता कि यहां काम हो। हमारे यहां लूणी नदी के किनारे पर गांव आये हुए हैं, पूरी तहसील अकाल से ग्रस्त है वहां केवल 500 आदमी काम कर हैं। मैं बिलकुल सत्य कह रहा हूं। आप इसकी जांच करा सकते हैं। जहां पचास–पचास हजार आदमी उदयपुर और भीलवाड़ा में काम करें हमें आपत्ति नहीं है लेकिन मंत्री हैं वह बर्खास्त हो जाते हैं या दूसरे मंत्री बन जाते हैं और मंत्री महोदय के यहां लेबर कम कर दें तो उनकी क्या स्थिति होगी ? तो इनको देखना चाहिए। बहुत बड़ा माइन्ड रखना चाहिए। पूरा राजस्थान हमारा इलाका है और पूरा राजस्थान अकाल से ग्रसित है। अगर कोई कलेक्टर काम नहीं कराता है, पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी नहीं कराते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं मांग कर रहा हूं कि जोधपुर के अन्दर समान दृष्टि से काम होना चाहिए। पूरे सम्भाग को उपेक्षित किया हुआ है। 500 लेबर एक महीने से काम कर रही है। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। लेबर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यहां केवल 8 सडकें ही मन्जूर हुई हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

श्री सभापति : बस, माननीय सदस्य। श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मांग

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

संख्या 34 के अन्तर्गत मैं अपने कुछ विचार प्रकट कर रहा हूं। जैसलमेर जिला लगातार चौथे वर्ष भी आज अकाल से जूझ रहा है और केवल जैसलमेर ही नहीं बाड़मेर और सारा पश्चिमी राजस्थान भी इतने भीषण अकाल के शिकंजे में आ गया है कि इसका अनुमान तो तभी लगाया जा सकेगा जब मंत्री महोदय वहां पधार कर कुछ देखेंगे कि किस तरह का अकाल वहां पड़ा है।16 हजार वर्ग मील का जैसजमेर जिला है। माननीय सभापति महोदय, यह जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान का ही नहीं हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में अब तक केवल 7500 मजदूर अकाल राहत कार्यों में काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 2 लाख से ज्यादा की जनसंख्या, और 16 हजार वर्ग मील का क्षेत्र और 7500 मजदूर यह किस अनुपात में हैं ? यह आप स्वय अन्दाजा लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आफ फेमिन वर्क्स शुरू किये गये हैं वह कुछ एरिया में तो फेमिन वर्क्स शुरू कर दिये गये हैं और कई ऐसे सम्भाग हैं कि जहां एक भी कार्य नहीं खोला गया है, नतीजा यह है कि अगैर किसी को रोजी रोटी कमानी है फेमिन वर्क्स में काम करना है तो किसी को तो 40 मील दूर जाना पड़ेगा, किसी को 60 मील दूर जाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यमसे मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि इस सबसे बड़े जिले में फेमिन लेबर जो खुली है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जाय कि वहां के ज्यादा से ज्यादा आदमी इस फेमिन रिलीफ वर्क्स पर लग सकें। मजदूरी के भुगतान के विषय में कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 5 रुपये के हिसाव से भुगतान किया जायगा। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि 5 रुपये की बजाय 7 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जायगा। हम इसका स्वागत करते हैं। हम मुख्य मंत्री जी की भावना का भी स्वागत करते हैं कि उन्होंने पहली वार यह सोचा कि 5 रुपये एक व्यक्ति का पेट भरने के लिए काफी नहीं हैं इसलिए 7 रुपये कर दिये गये। लेकिन हम इसका स्वागत करने के बावजूद जैसलमेर में जो सही स्थिति है वह आपके सामने पेश करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन सवा रुपये से लेकर ढाई रुपये तक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। यह जो भुगतान किया जा रहा है इसका एक कारण है, वह कारण यह है कि मजदूरी के भुगतान के नियम वनाये गये हैं। उन नियमों के अन्तर्गत अगर मजदूरी चलती रही और आने वाले समय में नियम कायम रहे तो निश्चित रूप से मानकर चलें इस जिले में लोग भूखों मरेंगे। अकाल से मौतें होंगी तो इसकी जिम्मेदार आपकी सरकार होगी। माननीय सभापति महोदय, मजदूरी के भुगतान का जो नियम है 70 सी. एफटी. मिट्टी खोदने पर 5 रुपये मिलेंगे और जैसी मुख्य मंत्री जी ने अब घोषणा कर दी है 7 रुपये प्रति व्यक्ति, 100 सी एफ टी मिट्टी खोदने पर 7 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेंगे। 35 सी. एफटी. मेंटलिंग पर 7 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन मिलेगा। यह जो रेट्स हैं, माननीय सभापति

(200)

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

महोदय, यह पी. डब्ल्यू. डी. की बी. एस. ग्रार. रेट्स हैं। इतना ग्राउटपुट कभी नहीं ग्रा सकता। इसके ग्रलावा ग्रापने जो यह नियम बनाये हैं कि 20 लेबर की एक गैंग बनती है ग्रौर जब 20 लेबर की एक गैंग 15 दिन तक काम करती है तब जाकर कहीं पेमेंट होता है ग्रौर इन 20 लेबर की गैंग में ग्रौरतें भी सम्मिलित हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बात निश्चित है कि ग्रौरतें ग्रादमी जितना काम नहीं कर सकतीं ग्रौर खास तौर जब भीषण ग्रकाल पड़ा हुग्रा है, खाने के लिए ग्रनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं तो क्या यह लेबर पी. डब्ल्यू.डी. की बी.एस.ग्रार. की रेट्स के हिसाब से काम कर सकती हैं? मेरा मानना है कतई नहीं कर सकतीं। पश्चिमी राजस्थान के साथ ग्रन्याय ग्रौर ग्रधिक होगा। मैं यह मांग करता हूं कि राज्य सरकार यह एश्योर करे कि प्रति व्यक्ति प्रति दिन 7 रुपये के हिसाब से मुगतान कराया जायगा। फेमिन लेबर के लिए ग्रनाज की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, फेमिन वर्क्स पर लेबर काम करने जाती है। छोटे बच्चों को साथ ले जाते हैं। वहां छाया के लिये, धूप से बचाने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं। ग्राप स्वयं बतायें ग्रागे मार्च का महीना है, जब मई, जून का महीना ग्रायेगा जब गर्मी होगी, भयंकर लू चलेगी तो उन बच्चोंकी क्या हालत होगी? मंत्री महोदय ने ग्रब तक कोई खयाल नहीं किया। इसके ग्रलावा इस क्षेत्र के लिये जो चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराई गई है वह नगण्य है। ग्रगर किसी फेमिन लेबर को सांप काटता है या लू लग जाती है, डिसेन्ट्री हो जाती है या हैजा हो जाता है उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है, उसका केवल भगवान है। सभापति महोदय, ग्रनाज की, राशन व्यवस्था की जो समस्या है बड़ी विकट समस्या है। जैसलमेर में कई गांवो में 20–20 मील से ग्रनाज लाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर खारा टावरी वाला, राशन की दुकान वह 20 मील दूर है। यातायात के कोई साधन नहीं हैं। इसी तरह से गरडा, पोरीना पाकिस्तान के बार्डर के गांव हैं उनको 25 मील दूर से राशन लाना पड़ता है। इस भीषण ग्रकाल के समय में ग्रगर इस तरह से 20–20, 25–25 मील दूर से ग्रनाज लाना पड़े लोगों को तो कैसे पेट पालेंगे, यह ग्राप ही ग्रन्दाजा लगा सकते हैं। इसके ग्रलावा एक रुपये ग्रौर 2½ रुपये का जो मुगतान है वह भी समय पर नहीं किया जाता है। जैसलमेर जिले में एक एक महीने से मुगतान नहीं किया है। मेरी समझ में नहीं ग्राता एक तरफ तो हम यह एश्योर करते हैं कि फेमिन लेबर को समय पर मुगतान मिलेगा लेकिन जैसलमेर जिले में मैं दावे से कहता हूं एक रुपये से ढाई रुपये का पेमेंट नहीं मिला। सभापति महोदय, पेयजल की बडी विकट समस्या है। सभापति महोदय, पेयजल संकट निवारण हेतु जिला प्रशासन ने 100 वाटर टैंकर्स की मांग की थी लेकिन राज्य सरकार ने केवल 44 टैंकर्स उपलब्ध कराये हैं उन 44 टैंकर्स में से भी 12-14 टैंकर्स लगभग खराब हैं ग्रौर इन खराब टैंकर्स को ठीक करने के लिये जैसलमेर में कोई व्यवस्था नहीं है। डीजल की शार्टेज चल रही है ग्रौर डीजल की शार्टेज से भी कई टैंकर्स बन्द पड़े हैं।

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

माननीय सभापति महोदय, केवल 30 टैंकर्स 300 गांवों में जल वितरण कर सकेंगे ? आप स्वयं सक्षम हैं, आप सोच सकते हैं, किस तरह से जल का भीषण संकट बनेगा। माननीय सभापति महोदय, आज की तारीख में एक घड़ा उपलब्ध कराकर सरकार दावा करती है हमने पेयजल की समस्या का हल निकाल दिया। यह कौन सा हल है, कैसा हल है, एक एक घड़ा पानी भी गांव में समय पर नहीं पहुंचता। माननीय सभापति महोदय, जैसलमेर में कई ऐसे गांव हैं, जहां वाटर टैंकर नहीं जा सकता। पिछले वर्ष हमने आर्मी से मदद ली थी। आर्मी के द्वारा ऐसे विकट गांवों में पानी पहुंचाया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति आर्मी की मदद लेकर जिन गांवों में टैंकर्स नहीं जा सकते, पेय जल उपलब्ध कराने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। सभापति महोदय, जैसलमेर जिले की इकनामी कैटल बेस्ड है। इस जिले में 16 लाख से भी अधिक पशुधन है। पशुधन को बचाने के लिये राज्य सरकार उत्तरदायी है। राज्य सरकार को मैं चेतावनी देता हूं अगर आप चेते नहीं, सजग नहीं हुए, नहीं जगे तो इस क्षेत्र में भारी पशुधन की क्षति होगी। माननीय सभापति महोदय, आपके आंकड़ों के अनुसार जिले में 40 हजार क्विटल चारा उपलब्ध है परन्तु 16 हजार वर्ग मील में केवल 12 घास डिपो हैं। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा कि 12 घास के डिपो 16 हजार वर्ग मील का जिला, कैसे घास खरीदेंगे, कैसे ले जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, चारे की जो दर रखी है कुछ आदमी उस रेट पर चारा खरीद नहीं सकते। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप इस चारे को सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध करायें और कम से कम दर निर्धारित कर पशुपालकों को राहत दिलायें। पशुपोषण केन्द्र प्राथमिकता देकर ज्यादा से ज्यादा खुलवाये जांय। केवल 14 केन्द्र स्वीकृत हैं। केवल गाय बछड़ा चर सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यह पशु पोषण केन्द्र इस जिले में ज्यादा से ज्यादा खुलवायें। इस देश के पशु पालकों को राहत दिलाने की चेष्टा करें, चेष्टा ही नहीं दिलवायें। सभापति महोदय, एक अन्य समस्या आई है, ऊंट के चारे की कभी कमी नहीं आई लेकिन इस वर्ष ऊंट के चारे की विकट समस्या है। अगर इस विकट समस्या की ओर आपने ध्यान नहीं दिया, ऊंट के लिये चारे की व्यवस्था नहीं की गई तो ऊंट भी रेगिस्तान के साथ मर जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ऊंटों के लिये चारा इस क्षेत्र के लिये तुरन्त उपलब्ध कराया जाये। श्रीमती इन्दिरा गांधी जब जैसलमेर पधारीं....

(7.28 सायं)

(श्री पूनम चंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

यह आशा मिली थी, एक विश्वास जगा था, लोगों को कि जब देश की प्रधान मंत्री हमारे क्षेत्र में पधारी हैं, तो इस क्षेत्र का अवश्य ही उद्धार होगा लेकिन वहां के लोगों ने, ग्रामीणों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह मांग की थी कि हमें पेट भर पानी पिला दें, लेकिन आज तक भी जिन गांवों में स्वयं इन्दिरा गांधी पधारीं वहां भी पेट

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

भर पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1968-69 में जो भयंकर अकाल पड़ा था इस वर्ष भी अकाल वैसा ही स्वरूप ले रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 68-69 में जैसलमेर, बाड़मेर के लोगों ने फूस की रोटी खाई थी, कैर की छाल की रोटी खाई थी और यही नहीं अकाल के कारण कुछ मौतें भी हुई हैं। अगर आप चैक नहीं करेंगे तो मेरा दावा है इस क्षेत्र में अकाल से मौतें होंगी और अकाल में मौतें होंगी तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी उत्तरदायी यह सरकार होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : ऊंट के लिये चारा कौन सा मंगाना पड़ेगा ?

श्री चन्द्रवीरसिंह : ऊंट के लिये कुट्टी मंगानी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या 27 के अन्तर्गत।

श्री चन्द्रवीरसिंह : पाला मंगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : अब मांग संख्या 27 पर आ जाइये।

श्री चन्द्रवीरसिंह : मांग संख्या 27 के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, जिला जैसलमेर में कई जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत हैं, परन्तु इनमें से कई काम नहीं कर रही हैं। मैं मंत्री महोदय को अवगत करा चुका हूं और आपके माध्यम से फिर अवगत कराता हूं कि ढामला से अमल सागर, लुकरवा, सुण्डी, रूपसी, लाजेला, घाघरसर, मोगला की जल प्रदाय योजना स्वीकृत हैं और जिस पर लाखों रुपये लगे हैं, पाइप लाइन बिछी है, टंकी बनी हुई है। वहां पर पिछले कुछ अर्से से पानी नहीं जा रहा है। मैं मंत्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खूड़ी ट्यूब वैल से जो स्कीम बनी है, खूड़ी से स्तम्भ, खूड़ी से कनोई, खूड़ी से वरण, बोंगा, दामोदरा व कूड़ी गंगानिम्बा, गीता, पलेड़ी। इस स्कीम में भी जल प्रदाय योजना सुचारु रूप से कार्यरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल के मेरे सवाल के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने फर्माया, मैं आपकी इजाजत हो तो इसको पढ़ दूं:-

"जैसलमेर जिले की जल वितरण योजना के अन्तर्गत जो पाइप लाइन बिछायी गयी है, क्या इस योजना के अन्तर्गत सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है ?

माननीय मंत्री महोदय आपने जवाब दिया है– "ग्राम बीका, फलेड़ी व कनोई में आंशिक रूप से तथा ग्राम तूरी, पकम, डींगा, नीमा में सुचारु रूप से जल वितरण किया जा रहा है। ग्राम सांखला व दामोदरा में ग्रामवासी कनोई ग्राम से अपनी आवश्यकता पूर्ण करते हैं।" माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ मंत्री महोदय से कहना पड़ेगा कि आपके आफिसरगण, आपके जो अधिकारी हैं, ये आपको गलत राह पर ले जा रहे हैं, ये आपसे गलत बयानी करवा रहे हैं।

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

मैं आपको चैलेन्ज देता हूं कि आप इस योजना के अन्तर्गत स्वयं पधारें और देखें कि सव में कितने दिन पानी आया है, डूगापीका नीमा में कितने दिन पानी आया है, कुनोई में कितने दिन पानी आया है और ऊपर से यह लिखते हैं कि इन योजनाओं में सुचारु रूप से जल व्यवस्था की जा रही है। मेरा दावा है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं पधारें और देखें कि इस जल वितरण योजना में कितने दिन से, कब से पानी नहीं आया है। आपने स्वयं जवाब दिया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज पी. एच. ई. डी. इस अकालग्रस्त क्षेत्र की बैकबोन है। अध्यक्ष महोदय, मगर पी. एच. ई. डी. की जल वितरण योजना ठीक तरह से, पी.एच.ई.डी. के ट्यूब वैल ने सुचारु रूप से काम नहीं किया

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज हजारों की संख्या में पशुधन उन ट्यूब वैल पर पड़ा है और जो ग्रामवासी जैसलमेर में अभी तक बचे हुए हैं, वह केवल इस ट्यूब वैल की आश पर बचे हुए हैं। आप इन अफसरों के भरोसे नहीं बैठे रहें और गलत बयानी न करे। मैं जानता हूं, आप स्वयं नहीं जानते, पश्चिमी राजस्थान के बारे में। आप जैसलमेर के बारे में नहीं जानते लेकिन जो अफसर लिखकर देते हैं, वही बयान करते हैं। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जल प्रदाय योजना, वितरण व्यवस्था है, उसको सुचारु रूप से चलाने के लिए आप स्वयं पधार कर देखें और इसकी व्यवस्था करें। इसके अतिरिक्त हाल ही में जिला प्रशासन ने सुलतान ट्यूब वैल से डीगा, पाली क्षेत्र की पाइप लाइन डाली। जिला प्रशासन ने नोटिस निकाला और लोगों को अवगत कराया कि आप अपने पशुधन को इस जल वितरण योजना में ले जायं क्योंकि पाली क्षेत्र में घास उपलब्ध है और मवेशी और पशुधन बच सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां हजारों की तादाद में पशुधन एकत्रित हुआ है। इस ट्यूब वैल में केवल एक मोटर है, अगर यह मोटर जल जायेगी तो इसको सही करके वापस लगाने में, आप निश्चित रूप से मानकर चलिये 10 दिन लग जायेंगे और अगर 10 दिन इस गर्मी में लग गये तो हजारों की संख्या में पशुधन मरेगा। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि इस ट्यूब वैल के पानी पर वहां हजारों की संख्या में पशुधन और लोग डिपेण्ड हैं, आप कृपा करके इसका स्टैंडबाइ अरेंजमेंट करिये। वहां ज्यादा मोटर और जैनरेटर सेट अरेंजमेंट के रूप में रखें। यही एक आपका स्थायी हल इस वर्ष है। हम आपकी तरफ ही देख रहे हैं, हम ही नहीं सारा जिला देख रहा है, आप हमारी बैकबोन हैं। मैं आपको खुद कह रहा हूं। अगर आप नहीं जागेंगे, सचेत नहीं होंगे—

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : दो मिनट में। तो बड़ी भारी पशुधन की क्षति होगी, आदमियों को विकट संकट का सामना करना पड़ेगा। जैसलमेर शहर में जल वितरण योजना पी. एच. ई. डी. द्वारा चल रही है। ये कहेंगे, बिजली का मामला है। लेकिन इसमें निवेदन करना चाहता हूं, जैसलमेर टेल एण्ड पर है, बिजली अक्सर

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

फेल हो जाती है। बिजली के फेल होने से जैसलमेर में, अध्यक्ष महोदय, पुराने इंजन्स का कब्रिस्तान बनाया गया है। जितने भी पुराने इंजन्स हिन्दुस्तान से लाये गये हैं, उनको जैसलमेर के कब्रिस्तान में लाकर दफना दिया गया है और उन इंजन्स में से भी 90 पर्सेन्ट इंजन खराब हैं और 10 पर्सेन्ट इंजन चलते हैं, वह भी सुचारु रूप से नहीं चलते हैं। जैसलमेर की जल वितरण योजना इस पर डिपेण्ड करती है। क्योंकि आपकी बिजली फेल होती है, 6-6, 7-7 दिन बिजली नहीं आती है तो जैसलमेर में पीने के पानी के लिए ये इंजन ही चलते हैं। जैसलमेर में ही नहीं और स्थानों में भी बिजली जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन इंजनों को सुचारु रूप से तैयार करा के जैसलमेर को गर्मी से, भयंकर अकाल और सूखे की पानी की समस्या से बचाने के लिए आप पूर्ण प्रयत्न करें। मुझे विश्वास है आप अपने जवाब में इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कई माननीय सदस्यों ने अकाल पर जिक्र किया, मैं सभी को सुन रहा था, और सरकारी आंकड़े भी देखे। उन आंकड़ों के अनुसार मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि सरकार जितनी जनता को राहत दिलाना चाहती है, उतना फिगर आपके पास नहीं आया है, कम आया है। आज मैं कह सकता हूं, मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि बाड़मेर जिले में 70 हजार मजदूर लोग से भी अधिक काम कर रहे हैं, मगर आपके पास 50 हजार से ज्यादा आंकड़े नहीं है। मैं पिछले 3–4 दिनों में मेरे क्षेत्र में लगातार घूम कर आया हूं। उसी से मुझे मालूम है, आपकी किताब से नहीं। मेरे क्षेत्र में 58 पंचायतें हैं, 22 लाख रुपये जिले में जो अलाट हुए हैं, जिले में एक एक पंचायत में 200–200 मजदूर लगे हुए हैं, उनकी कोई संख्या इसमें नहीं दी गई है। इससे मुझे अफसोस होता है कि सरकारी मशीनरी जिस सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए, उसको आंकड़े से गुमराह करते हैं। मैं साफ कहता हूं, मेरे क्षेत्र में 23 हजार मजदूर लगे हुए हैं। मगर सहायता आंकड़ों में 13 हजार से ज्यादा नहीं बताये हैं। मुझे अफसोस है और हमारे जिले में शुरुआत से भी टेस्ट वर्क के बाद सरकार ने तेजी से काम संभाला है और जिला प्रशासन भी सतर्क है मगर आंकड़े और अखबार की खबरों से मुझे दुःख हुआ। उस क्षेत्र में 4 दिन घूम कर आया हूं। आंकड़े जितने आज मेरे पास नोट किये हुए हैं, 77 हजार से अधिक बाड़मेर जिले में मजदूर लगे हुए हैं। मगर आपके आंकड़े कम हैं।

श्री अध्यक्ष : आंकड़े इकट्ठे करने में 15–20 दिन लगते हैं।

श्री अमीन खां : 15–20 दिन तो क्या, एक मिनट में आंकड़े आते हैं। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हां यह बात सही है कि उस जिले में अकाल की हालत 25 साल से ज्यादा खतरनाक है। जितने मजदूर लगे हैं, इससे ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस इलाके में न इण्डस्ट्रीज हैं, न फैक्ट्री हैं, न दो

(श्री ग्रमीन खां)

फ़सली एरिया है। सारे लोग, काश्तकार जितने भी हैं उनमें कई मजदूरी के सहारे हैं। कई मजदूरों के साथ मैं घूमा हूं। उसमें सबसे बड़ी मजदूरों की तकलीफ़ है, जितने भी मेट ग्रौर सुपरवाइजर हैं, मैंने पूछा उनको पता ही नहीं है कि सी फीट मिट्टी कितनी होती है, कब होती है, मजदूर को समझाने वाला पी. एच. ई. डी. का कोई भी ग्राफिसर नहीं है, उनकी ग्रोर से कोई सुपरविजन नहीं है। ग्रापको 7 रुपये देने पर कितना काम करना पड़ेगा। मैंने खुद ने कम से कम 7 हजार मजदूरों से बात की, उनको मालूम नहीं। मेहरबानी करके, मंत्री महोदय, ग्रापकी मशीनरी को चेतावनी दें ग्रौर सतर्क करें, सख्ती से, नहीं तो बेचारे मजदूरों को पैसा कम मिलता है। जिस तरह से सरकार 30 पर्सेन्ट छूट दे रही है, डिपार्टमेन्ट के जितने भी ग्रादमी हैं, डिपार्टमेन्ट के ग्रादमी वह छूट नहीं दे रहे हैं। सरकार की ईमानदारी की घोषणा है लेकिन गरीबों को धोखा दिया जा रहा है। नम्बर 2, किसी भी साइट पर 4–4 मजदूर लगे हुए हैं। एक एक सड़क पर, मैंने खुद ने देखा है, साहू से कश्मीर, रतेऊ से कश्मीर, मोखा, पोसा, धनुऊ। यहां इन गांवों में मैंने जाकर देखा है। किसी भी मजदूर के पास साइट में कोई ढोल भी, ड्रम जिसको कहते हैं, पानी डालने के लिए नहीं है। बड़े दुःख की बात है कि किसी भी मजदूर के पास सरकारी तगाड़ी ग्रौर फावड़ा नहीं है। बेचारे मजदूर ग्रपने घरों से फावड़ा ग्रौर तगाड़ी लाते हैं। ग्राप खुद सोचें कि जिस पर सात रुपये तय कर चुकते हैं, 2–3 रुपये से ज्यादा नहीं दे पाते हैं, फिर भी उनकी तगाड़ी फावड़े खुद काम में लेते है। उस मजदूर के सामने बिलकुल तकलीफ ग्राती है ग्रौर मजबूरन वह मजदूर सहन करते हैं।

सामन्तवाद का एरिया है वहां पर। वहां के लोग संघर्ष नहीं करते हैं; सरकार की ग्रालोचना नहीं करते हैं क्योंकि उस एरिया की जनता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पूरा विश्वास करती है ग्रौर कांग्रेस के समर्थक हैं मगर उनके लिये जो फेमिन में व्यावहारिक सुविधायें होनी चाहिये वह नहीं हुई है। सर्दी तो सहन कर ली, कोई बात नहीं मगर भविष्य में ग्रौजार ग्रौर सिरकियां तो नमूने के तौर पर करने का इनको वायर-लैस से ग्रादेश दे दें।

दूसरा मुझे मालूम हुग्रा यहां पर 20 सड़कों की सैंक्शन निकाली है 12-3-81 को ग्रौर वह सैंक्शन जिलाधीश के पास 22 तक नहीं मिली। फेमीन की सड़कों की सैंक्शन में 9-9 दिन जयपुर से बाड़मेर जाने में लग जायं तो क्या हाल होगा। ग्रगर डाक में बाड़मेर ग्रौर जयपुर में इतनी डिले होती है तो ग्रकाल के बारे में ये धोखा दे रहे है। मेरा निवेदन है सैक्रेटेरियट से ग्राज की तारीख में मंजूरी निकलती है तो कलेक्टर के पास वायरलेस से पहुंचाने में देर नहीं करनी चाहिये। साधारण डाक भी जब तीसरे दिन में मिल जाती है तो सरकारी डाक 9 दिन में कैसे पहुंचती है, यह एक विडम्बना की बात है। ग्राप मेहरबानी करके इसका पुख्ता इन्तजाम करें। ग्रकाल की तरफ 11 लाख की मर्दुम शुमारी हो गई है। जैसा पिछले साल में ग्रांकड़े बताये पौने दो लाख मजदूर सम्वंत् 2026 में लगे थे, ग्राज मजदूर 70 हजार तक पहुंच गये लेकिन ग्रप्रेल में दो लाख मज-

(श्री ग्रमीन खां)

दूर लगाने पड़ेंगे तब जाकर शान्ति कायम रहेगी, नहीं तो शान्ति नहीं रहेगी। सिवाय उस जिले में बरसात के अलावा कोई साधन नहीं है। दूसरे जिलों में तो फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े ग्राफिस हैं, इसलिये शायद उनको इतनी जरूरत नहीं होती लेकिन हमारे जिले में इसकी बहुत ग्रावश्यकता है। जो सरकार ने ग्रभी मजदूर लगाये हैं, उनको दो लाख तक बढ़ायें। सरकार का यह कार्य सन्तोषजनक है।

जो ग्रखबारों में ग्रांकड़े निकलते हैं, मुझे क्षेत्र में घूमने से मालूम हुग्रा कि वे सब ग्रांकड़े गलत हैं। पी.एच.ई.डी. ने सबसे ज्यादा धोखा हमें दिया है। 800 गांवों में से ग्रापने 40 गांवों की व्यवस्था की है ग्रौर 500 गांवों में से पौने तीन व्यवस्था की है। यह चीफ इंजीनियर जयपुर हैड क्वार्टर पर बैठा है, इसमें हमें कतई विश्वास नहीं है। हम दूर के रहने वाले हैं, 6-6 महीने इनके ग्राफिस में बैठते हैं। जयपुर के इर्द-गिर्द जो बैठते हैं उनकी योजना चार-चार बार स्वीकृत होती हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे जी में जो दुःख है वह सुनाता हूं। डेजर्ट का इंजीनियर जोधपुर में ग्रलग रखना चाहिए ग्रगर न्याय दिलाना है तो। बाड़मेर का हैड क्वार्टर रखा है जोधपुर, तो मेरा निवेदन है कि जैसलमेर के ए.सी.इ. का हैडक्वार्टर बाड़मेर रखना चाहिये। ग्राज तो डबल खर्चा हो रहा है। जोधपुर में जो रखा है ग्रौर हमारे डिस्ट्रिक्ट को जो डील करता है उसको 300 मील दूर रखा है। चीफ इंजीनियर के मामले में जितना हम समझते हैं उतना शायद ये भी नहीं समझते हैं। चीफ इंजीनियर को 2500) रु. तनख्वाह मिलती है ग्रौर ए.सी.इ. को 2400) रु. तनख्वाह मिलती है क्या होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ग्राप चीफ इंजीनियर को वहां रख दें ताकि जल्दी मामले निपट जायं। नहीं तो जयपुर में हैड क्वार्टर का जो व्यवहार है, हम लोगों के साथ कि पांच सालों में पानी पिला देंगे लेकिन हमारा विश्वास है 20 साल में भी नहीं पिला सकते हैं।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्राप ग्रभी तो धन्यवाद दे रहे थे।

श्री ग्रमीन खां : पी. एच. ई.डी. के बारे में धन्यवाद नहीं देता हूं। मैं ग्रकाल के बारे में हनुमान प्रसाद प्रभाकर को धन्यवाद देता हूं जिसने हम लोगों को ग्रच्छी तरह से सम्भाला है। मगर पी. एच ई.डी. ने ग्रच्छा काम नहीं किया है। 40 गांवों को 81 तक पानी पिलाते हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है। जिन गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है वहां कलेक्टर टैंकरों से 30–30 मील से करा रहा है वे सब गांव पी. एच. इ. डी. ने छोड़ दिये हैं। 40 गांवों को सुविधायें दी है जिनमें पहले से कुछ सुविधायें थीं। हमारी सरकार जनतन्त्रीय सरकार है, कांग्रेस सरकार इन्साफ करती है, कांग्रेस में लोगों का विश्वास है, ग्राइन्दा विश्वास करें लेकिन ग्रापके चीफ इंजीनियर हमको बेवकूफ समझते है। ग्राप नहीं समझे, यह ठीक है ग्राप जनता के प्रतिनिधि हैं हम भी जनता के प्रतिनिधि है तो जनता को न्याय

(श्री ग्रमीन खां)

दिलावें ये जो किताबों में छप छप कर ग्रा जाते हैं, इनमें विश्वास नहीं है ....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मेहरवानी करके, मन्त्री महोदय, सतर्क रहें। 20-20 मील से पानी बाहर जाकर लाते हैं ग्रौर दूसरे पशु हैं उनके साथ हम मरेंगे ग्रौर जियेंगे। पशुग्रों की व्यवस्था भी साथ ही करें। जैसलमेर, वाड़मेर एक जैसा है, पशुग्रों के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं। इतना ही कह कर मैं ग्रपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री माधव सिंह दीवान।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रकाल राजस्थान के लिये कोई नई बात नहीं है परन्तु फिर भी जब ग्रकाल पड़ता है तो जैसे हम नींद से जागते हैं ग्रौर जैसे ही ग्रकाल खतम होता है फिर सो जाते हैं। पिछले साल ग्रकाल में जो काम हुग्रा उसके ग्रन्दर टूल्स, तगार, फावड़े वगैरह दिये गये किन्तु जैसे ही ग्रकाल खतम हुग्रा वे वहीं के वहीं पड़े रहे। तीन साल से कोई ग्राया ही नहीं उनको सम्भालने। ग्रब जैसे ही ग्रकाल पड़ा, नये ग्रार्डर होने लगे ग्रौर फावड़े, हथोड़े नये ग्राये। ग्राज हालत यह है कि 6-6 महीने काम शुरू हुए हो गये लेकिन ग्राधे मजदूरों को टूल्स उपलब्ध नहीं हैं। हथोड़ा, जिससे कंकरी तोड़ी जाती है, 150 ग्राम का दिया हुग्रा है, जिससे पचास वार चोट लगती है तब पत्थर टूटता है। इस तरह की हालत मजदूरों की हुई है फिर भी कहते हैं, टास्क के ग्रनुसार काम करें। तो कम से कम जो टूल्स उनको प्रोवाइड करें वह ठीक ढंग के तो प्रोवाइड करें जिससे वे काम भी ढंग का कर सकें। ग्रकाल पड़ने पर एक स्थिति यह भी होती है कि कौनसा काम करें, बिना योजना का काम है सड़क बनाने का ग्रौर सड़क बनाने में भी मिट्टी डालने का काम सबसे ग्रधिक है।

ग्राज राजस्थान में 30 लाख 30 हजार जो मजदूर काम पर है उनमें दो लाख मजदूर तो पी. डब्ल्यू. डी. ने लगाये हैं। पिछले ग्रकाल में मिट्टी पड़ी, वह बह गई ग्रौर ग्रब की बार भी ऐसा लगता है जो भी मिट्टी का काम होगा वह बह जायगा। सैंक्शन जरूर ग्रापकी सड़कों की है, मगर जो रेगुलर स्कीम में है उनको भी डामर नहीं मिल रहा है इसलिये ग्रकाल में जो सड़कें मंजूर हुई हैं उसके लिये डामर की व्यवस्था कहां से करेंगे? फिर मजदूर जो काम पर पहुचता है उससे मांगा जाता है परिचय पत्र। ग्रभी तक बहुत सारे ऐसे गांव है जिनमें परिचय पत्र इश्यू नहीं हुए है। परिचय-पत्र नहीं होता है तो काम पर नहीं लगाया जाता ग्रौर जब यह परिचय पत्र क्लेक्टर से मांगा जाता है तो वह कह देता है ग्राउट ग्राफ प्रिन्ट हैं। कौन प्रिन्ट करवायेगा, कौन नहीं करवायेगा, यह भी पता नहीं है। जब मार्च के ग्रन्त तक परिचय पत्र नहीं दे सके तो फिर मजदूर को कब काम पर लगायेंगे। ग्रापने 7) रु. कर दिये, यह तो ठीक है लेकिन पांच रुपये भी लेने वाले बैठे हैं पर ग्राप कहते हैं कि पर फेमिली एक लगायेंगे। 7) रु. कर दिये तो बहुत सीरियसली लगे लेकिन सब मजदूरों को लगायेंगे तब तो स्थिति कन्ट्रोल में ग्रायेगी वरना तो यह स्थिति भी कन्ट्रोल

(श्री माधवसिंह दीवान)

में आने वाली नहीं है और हो सकता है लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति हो जाय। एक लग रहा है और एक नहीं लग रहा है तो विषमता की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये हर विभाग जो अकाल में काम करता है जैसे इरिगेशन है, पी. डब्ल्यू. डी. है, अकाल राहत है, मेरा निवेदन है अकाल का काम अलग ही खोल दीजिये, जो योजना बना कर तैयार रखे। आज हम यह चाहते हैं पश्चिमी राजस्थान में खड़ीन और एनीकट है वे काम शुरू हो परन्तु इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है, आज सिरोही में भी नहीं है। मेरा मतलब है जब अकाल नहीं पड़ता है तो इस प्रकार की सर्वे रिपोर्ट पहले से ही तैयार रखें ताकि अकाल पड़ने के साथ ही उन पर काम हो सके।

श्री अध्यक्ष : टूटे बान्धों के बहुत से काम है।

श्री माधव सिंह दीवान : टूटे हुए बान्धों के काम हमने नवम्बर में शुरू किये थे लेकिन उनके भी कोई एस्टीमेट नहीं बने थे।

श्री अध्यक्ष : लेकिन फीजिबल तो है।

श्री माधव सिंह दीवान : टूटे हुए बान्ध है उनमें भी यह है कि टोटल एस्टीमेट इतना आयेगा तभी इमीजियेट सैंक्शन किया जा सकता है। उनका भी सर्वे नहीं किया जाता है। जमीन तैयार है, काम करें, मजदूरी पर लग जायं।

अब मैं कहना चाहता हूं, पी.एच.ई.डी. के ऊपर। इसके अन्दर तीन चार चीजें मंत्री महोदय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहले शहरों और गांवों में जल प्रदाय योजनायें हैं वहां पर मीटर की प्रणाली चालू की गई है। जिसको घर में पानी चाहिए उसको मीटर लगाना पड़ता है। अब मंत्री महोदय, जहां तक इस सिस्टम का सम्बन्ध है, जहां तक चौबीसों घण्टे पानी सप्लाई करते हैं वहां तो ठीक हो सकता है परन्तु आप जानते हैं कि जयपुर जैसे शहर में भी चौबीसों घण्टे पानी नहीं आता है तो अन्य स्थानों का तो सवाल ही कहां है। पाइप लाइन में हवा भर जाती है और जब पानी शुरू होता है तो हवा अन्दर होती है और जब टूंटियों में पानी आता है तो हवा के द्वारा मीटर घूमना शुरू कर देता है। उसका नतीजा यह होता है जितना पानी उपयोग में लेते हैं उसका दस बीस गुना मीटर में अधिक आता है। इसके कारण से आम आदमी क्या करता है कि मीटर को खराब कर देता है। आज रुपये में से पन्द्रह आने मीटर खराब पड़े हुए हैं। जो आदमी मीटर रीडिंग करने आता है वह आदमी फर्जी भर कर ले जाता है। इस बाबत निवेदन है कि या तो आप ऐसा सिस्टम निकालिये कि हवा से मीटर घूमे नहीं या फ्लेट रेट करके फेमिली के आधार पर कर दें या एरिया के बेसिस पर कर दीजिए फिर चाहे वह बाग-बगीचों को पिलाए, ताकि जो भ्रष्टाचार हो रहा है वह मिटे।

दूसरा अगर अपने नल के कनेक्शन का नाम बदलना चाहता है, तो पच्चीस चक्कर आपके विभाग के लगा लेगा तो भी उसका नाम नहीं बदलेगा। चाहे रजिस्ट्री हो जाय या कुछ भी हो जाय तो कृपा करके आप

(श्री माधवसिंह दीवान)

यह अभियान चलाइये एक हफ्ते का, एक महीने का और उस अभियान के दौरान जिसको भी अपना नाम चेंज कराना है, इस दौरान में वह नाम चेंज करवा लें ताकि आगे से तकलीफ नहीं हो।

मैंने आपकी मीटिंग में भी अर्ज किया था कि पी. एच. ई. डी. में सभी रीजनल एरिया में ए. ईएन. वगैरह को जाना जरूरी होता है और रीजनल योजनायें ज्यादातर ऐसी हैं, मेरे एरिया में कम से कम कम तीन रीजनल योजनायें हैं पर उन गांवों की हालत यह है कि कम से कम बीस गांवों में टैंकरों से पानी सप्लाई करते हैं। रीजनल योजना के बावजूद टैंकरों से पानी सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि रीजनल योजना चालू भी है या नहीं हैं। रीजनल योजना है तो टैंकरों से पानी क्यों पहुंचाया जाता है? इसका मतलब यह है कि रीजनल योजना काम नहीं कर रही है। यह योजना सुचारू रूप से चले, इसके लिए आप उनकी कोई न कोई व्यवस्था वाहन की, चाहे जीप हो चाहे मोटर साइकिल हो, करें। क्योंकि ए. ईएन. वगैरह को बीस बीस मील तक रीजनल योजना के गांवों में जाना पड़ता है वे आसानी से जा सकें काम को देख सकें और काम पूरा कर सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल के ऊपर मैं कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। अकाल की घोषणा हो चुकी है परन्तु उस घोषणा का असली रूप में कोई भी ठोस स्वरूप सामने नहीं आया है। हमारी जिला अकाल परामर्शदात्री समिति की मीटिंग होती है परन्तु उसकी सिफारिशें कहां दब जाती हैं, मालूम नहीं यहां से जो सैंक्शन जाती है उनका उन अकाल राहत समिति से कोई तालमेल नहीं होता है। वहां से हम किसी सड़क का प्रस्ताव करके भेजते हैं कि इसमें प्रारम्भिक तौर पर पचास हजार रुपया दिया जावे परन्तु यहां से सैंक्शन पांच हजार रुपये की जाती है। एक स्पेसिफिक केस, मैं आपको अपने क्षेत्र नवलगढ़-बड़वासी रोड का बताता हूं। वहां से पचास हजार का तखमीना भेजा और यहां से पांच हजार की सैंक्शन गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विचार करिये कि आज चार महीने हो गए, पांच हजार रुपयों से क्या होगा? उस पांच हजार रुपये से तो उसकी मिट्टी भी····

श्री अध्यक्ष : बिंदी की गलती रह गई होगी।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : उसके बारे में ध्यान दिलाया परन्तु कुछ नहीं हुआ। एक विरोधी दल के सदस्य के रूप में हमारा कर्त्तव्य है कि इसके लिए मैं सरकार के ध्यान में लाऊं। मैंने आपको स्पेसिफिक केस दिया है, मंत्री महोदय जांच करेंगे कि पांच हजार की सैंक्शन कैसे गई? कैसा मजाक है यह!

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कौन सा गांव बताया?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : नवलगढ़ से बड़वासी। आठ किलोमीटर रोड है. उसमें पांच हजार की सैंक्शन आपने दी है।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अकाल की कोई पूर्व रूप से तैयारी नहीं होती है। क्योंकि यह ऐसी आपदा है जो अचानक आती है। इसके लिए पहले से तैयारी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यह समस्या हमारी स्वयं की पैदा की हुई है। अगर इस प्रदेश में राजस्थान कैनाल को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जावे, पूर्ण कर दिया जावे····

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढा दिया जावे।

श्री जयदेव प्रसाद (इन्दौरिया) : मैं मांग करता हूं कि भोजन की व्यवस्था यहीं की जावे।

श्री अध्यक्ष: सदन की अनुमति से बैठक का समय मांगों के पारित होने तक के लिए बढाया जाता है।

मांग संख्या 34 व 27 पर विचार

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं साहब। बजट में प्रावधान कराया जावे।

श्रीमती उजला अरोडा : मैं माननीय सदस्य के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय से व्यवस्था चाहती हूं। उस प्रस्ताव को मद्दे नजर रखते हुए····

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था आप भोजन की चाहती हैं या उसको वोट पर रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : वोट करायेंगे तो सेंट पर्सेंट आयेंगे। कोई ना नहीं करेगा। भोजन मंगाइये।

एक माननीय सदस्य : अकाल पर बहस हो रही है और आप भोजन की बात करती हैं।

(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, अगर उदयपुर सम्भाग के विधायकों को पहले बोलने दिया जावे····

(व्यवधान)

उदयपुर सम्भाग के विधायकों को बोलने का अवसर पहले दे दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : ये उदयपुर के ही बोल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढ़ा) : मैं उदयपुरवाटी का ही हूं।

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि राजस्थान कैनाल का काम पूरा हो तब प्रदेश में अकाल की समस्या नहीं रहेगी।

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

दूसरा, एक मेरा निवेदन है, अकाल परामर्शदात्री समिति में पास करके भेजा है कि हमारे जिले को अविलम्ब जो जवाहरलाल नेहरू केनाल है उससे जोड़ा जावे ताकि हम कभी भी सदन में मांग नहीं करें कि अकाल में एक पैसा भी हमारे जिले में खर्च नहीं किया जावे। पर क्या करें इस आलसी सरकार की नींद ही नहीं टूटती। पिछले बीस सालों से इसी मांग पर हमारे माननीय सदस्य, जो अब मंत्री महोदय हो गए हैं, जिनको अब कठघरे में बन्द कर दिया गया है, श्री शीशरामजी ओला चिल्लाते चिल्लाते बूढ़े हो गए और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद चिल्लाते चिल्लाते मुझे भी बूढ़ा हो जाना पड़ेगा। परन्तु अगर हमारे अकाल राहत मंत्री महोदय इस ओर कुछ कर सकें, भागीरथ की तरह कुछ करते हैं, या नहीं कर सकते हैं। आपके कांग्रेस के सदस्यों का मानना है कि वे बहुत ही सक्षम मिनिस्टर हैं और अगर हमारी समस्या को पूरा कर देते हैं तो हम भी कहेंगे कि बहुत सक्षम हैं, नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि सक्षम नहीं हैं।

(व्यवधान)

कर देंगे तो कहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अकाल राहत कार्य पर जो मजदूर लगते हैं वे शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं होते हैं परन्तु उनका जो पेमेंट होता है, बी. एस. आर. के. अनुसार होता है। मेरा यह निवेदन है कि बी. एस. आर. के शिड्यूल को बदला जावे और अकाल का बी. एस. आर. अलग होना चाहिए जैसा कि पहले था। 70 पर्सेंट था परन्तु अब तो सौ पर्सेंट का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 60 पैसे प्रति व्यक्ति पेमेंट हुआ। कितने शर्म की बात है। एक अकाल से भूझता हुआ मजदूर पूरे दिन काम करके 60 पैसे पेमेंट पाता है तो उसको क्या मिलेगा। यह क्या उसके साथ मजाक हुआ? एक गरीब, अकाल में पीड़ित मज़दूर के साथ व्यंग किया जाना कहां तक उचित है? इसलिए न्याय की आशा करता हूं मंत्री महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपके वहां पर कितना पेमेंट हुआ?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मेरे वहां ढाई तीन रुपये आते हैं, कुल।

श्री अध्यक्ष : लगे हुए हैं, मजदूर?

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : एक सड़क का का काम चालू हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सबसे बड़ा निवेदन है कि हमारे जिले में बीस लाख रुपयों के काम स्वीकार कर दिये गये हैं परन्तु आज की तारीख में एक भी काम शुरू नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? क्योंकि तीन तीन एजेंसियों में काम बांट दिया गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा निश्चित रूप से। जो पंचायतें हैं उनके माध्यम से काम करवाइये क्योंकि उनका सम्पर्क रहता है गांव से अगर आप उनके माध्यम से काम नहीं करायेंगे तो यह कार्य शुरू नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि कार्य शुरू हों ताकि क्षेत्र की

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

समस्या है, वह सुलझे और अकाल पीड़ित मजदूरों को काम मिले। क्षेत्र का विकास हो, यह विकास जो पिछले सात-आठ महीनों से रुक गया है, वह चालू हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा, जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय जो कि हमारे आश्वासन समिति के चेयरमैन थे, वहां पर उन्होंने आश्वासन पूरा करके, मैं भी उसमें सदस्य था, हम लोगों ने संयुक्त प्रयास करके, कई आश्वासन पूरे किये थे। हमारे सदन के नेता माननीय जगन्नाथ जी पहाड़िया ने एक संकल्प लिया था कि इस प्रदेश की पीने के पानी की सब समस्याओं को दूर करूंगा। उनके सहोदर भ्राता के रूप में माननीय बनवारीलाल जी शर्मा आये हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इस समस्या को आदर्श के रूप में हम पूरा करेंगे। मैं उनसे कहता हूं कि जिस तरह आश्वासन समिति में काम किया था, उन्होंने हर जिले में एम. एल. एज. की मीटिंग बुलाकर जो उनके सुझाव थे उनको मांगा है, उनको पूरा करने का आश्वासन दिया है। परन्तु मेरा निवेदन है कि कहीं आश्वासन, आश्वासन बनकर न रह जाय। इसको कार्य रूप में परिणित करायें, इसमें जो सहयोग हमारा मिलेगा, इस प्रदेश के विकास के लिए हम बराबर के भागीदार हैं, आपको आश्वासन देते हैं कि जो सहयोग चाहेंगे वह पूरा करने में मदद करेंगे।

मेरे क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं। पता नहीं किस टेक्निकल कमी की वजह से मेरे क्षेत्र की चार जल प्रदाय योजनाएं हैं, जिनमें तीन-तीन, चार-चार लाख रुपये लग चुके हैं लेकिन उनका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। एक ग्राम छापोली है, जिसकी आबादी आज 9-10 हजार है उसमें जल प्रदाय योजना है और जिस किसी वजह से वहां कुओं का पानी नीचे चला गया है, उस पानी को रिग्स के द्वारा गहरा कराके जो जल प्रदाय योजना का उपयोग नहीं हो रहा है, उसका पूर्ण उपयोग कराया जाय।

दूसरा, एक गांव मनकसास है, जहां टंकी बन चुकी है, सब काम हो चुके हैं, परन्तु वहाँ किसी टेक्निकल कमी की वजह से सिर्फ नौ कनेक्शन हुए हैं, बाकी गांव टंकी से ऊंचा पड़ता है, उसका उपयोग नहीं उठा पा रहे हैं। अगर वह टंकी ऊंचे स्थान पर बना दी जाती है तो उससे दो सौ कनेक्शन हो सकते हैं। एक तीसरा बड़ा गांव है जिसकी आबादी आठ हजार है। उसमें नीचे जमीन पर टंकी बना दी गई है। आज बिजली की कटौती की वजह से वह पानी ऊपर नहीं फेंका जा सकता है। जिसकी वजह से रात को दो दो बजे लोग उठकर जिस तरह से भारत पाक युद्ध के के समय सायरन बजाकर चेतावनी होती थी उसी तरीके से गांव वालों ने पहरेदार नियुक्त कर रखे हैं, वह उनको जगाते हैं, भाई नल आ गया है पानी भर लो। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या आपके राज में उनको पहरेदार लगाने पड़ेंगे? यह उनकी पहरेदारी प्रथा को खतम करने का प्रयास कीजिए ताकि हम आपको भागीरथ समझ सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन डिमाण्ड्स पर मैं मेरे यह विचार प्रस्तुत करता हूं। हम जो सदन में बैठे हैं, हम सब की यह सम्मिलित जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश की समस्याओं को

(श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह)

निपटाने में अपने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें और इनको दूर करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इन समस्याओं के प्रति मंत्री महोदय बहुत सहृदयता पूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे और जो समस्या है, उनका निराकरण करके हमारे क्षेत्र की जनता का दुख दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूंलाल, उदयपुर ग्रामीण।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

(व्यवधान)

आपका नाम भूला नहीं हूं। अभी पांच घंटे हुए हैं डिबेट शुरू हुए, 300 मिनट हुए हैं। 200 सदस्य हैं, आपका डेढ़ मिनट का टाइम बना है, मैं समझता हूं 4–5 बन जाय तो अच्छा है।

श्री रामधन।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : अध्यक्ष महोदय, आज जो यह डिबेट चल रही है, दोनों ही इतनी महत्वपूर्ण हैं कि दो दिन में पूरी हों। लेकिन समयाभाव के कारण हम लोगों को थोड़ा समय मिलता है।

हमारे अकाल राहत कार्य खुले हैं। मैं प्रभाकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि खोले तो हैं, इन्होंने मेहनत की, रात को नागौर जाकर मीटिंग की 7 बजे से 11 बजे तक पदाधिकारियों को पूरी हिदायतें दी, जिस तरह जो भी कमी हो वह अभी आप कह दो लेकिन मजदूर कम से कम 25 हजार लग जाने चाहिये, नागौर जिले में। यहां की संख्या आठ हजार बताती है, लेकिन मेरे यहां लाडनू में करीब तीन साढ़े तीन हजार मजदूर लगे हुए हैं, जो अभी अभी लगे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री जी से कि जब राहत शब्द जोड़ते हैं तो सात रुपये की घोषणा करके तीन चार, दो या ढाई रुपये देना सरकार के लिये या हमारी पार्टी के लिये शोभाजनक नहीं है क्योंकि किसी परिवार में ऐसे आदमी है 4-5 आदमियों में, जो गरीब लोग बसते हैं कोई मर्द कहीं कमाने खाने बाहर चला जाता है, औरतें आती हैं, उसको दो तीन रुपये दिये जायं तो वह तीन चार बच्चों का पालन नहीं कर सकती है। इसलिये सरकार की घोषणा के मुताबिक सात रुपये से कम पेमेन्ट उनको नहीं हो और पेमेन्ट समय पर हो। ऐसी मैं आशा करता हूं। हमारे यहां मुझे कहना नहीं चाहिये, लेकिन मेरी आदत है, क्या कहूं कुछ कहा ना जाता, बिना कहे रहा नहीं जाता। एक तहसीलदार ऐसा बैठा दिया है जिसकी बड़ी प्राब्लम है। वह परिचय पत्र बनवाने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत से पटवारियों से पूछा लोगों ने शिकायत की, होली के मौके पर मैं गांव गया, जब तहसीलदार से सम्पर्क किया तो बोला आप सारे काम राज्य सरकार से करा लेते हो, आप ही परिचय पत्र बना दो। ऐसा तहसीलदार बैठा हुआ है उसके खिलाफ मैंने दो तीन शिकायत दी, बड़े दुख की बात है कि जांच तक नहीं होती। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप जांच नहीं करवायेंगे? एस. सी. के बहुत से मजदूर हैं जिनके पास परिचय-

(2 ...)

(श्री रामधन चौधरी)

पत्र नहीं हैं, हजारों की संख्या में कल सुबह से लोग तहसील का घेराव करके बैठे थे और उसको परवाह नहीं है, वह उपन्यास पढ़ता है अपनी चेयर पर बैठकर। ऐसा तहसीलदार बैठा रखा है। मैं निवेदन करूं, उस तहसीलदार को वहां से हटा दिया जाय। इसकी जांच कराके निष्पक्ष जांच करके अगर दोषी है तो वह तहसीलदार हटा दिया जाय। उसके पास मिडिल पास का भी सर्टिफिकेट नहीं है। सिवाय उपन्यास पढ़ने के कुछ करता नहीं है, ऐसे अधिकारी को बैठा कर क्या करना है। एक जो पांबदी जनता सरकार ने लगा रखी थी, पांच आदमियों में से एक आदमी को लगाने की कम से कम एस. सी. के लोगों में से तो दो आदमी लगाये जाने चाहिये। लेकिन उन्होंने वह पाबन्दी यों की यों रख रखी है इसलिये जो काम करने वाले लोग हैं वह उधर से हमारे पी. डब्ल्यू डी. के एक्स. ईएन. कहते हैं कि आपके वहां मजदूर नहीं मिलते, हमारे यहां यह प्राब्लम है कि लोग कहते हैं लगाते नहीं है, उसको लगाया जा रहा है और हमको नहीं लगाया जा रहा है। यह अकाल समस्या तीसरी साल लगातार नागौर जिले में है, लाडनू में है इसके बावजूद लोगों में यह समस्या है कि हमें काम नहीं मिलता। बड़े दुःख की बात है इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह पांच में से दो, दस में से दो और पांच में से एक वाली कहानी है, उसको जनता सरकार के साथ जाने दो, अपने तो कांग्रेस राज के साथ जो पहले वाली 72-73 वाली लैंग्वेज ही रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल का वर्ष है तीसरा, लेकिन अकाल है। प्रभाकर जी वैसे तो पुराने हो गये हैं, अभी 6 महीने से या 10 महीने से मेरे खयाल से यह अकाल राहत का मुकाबला करेंगे ही करेंगे। पर अभी आशाएं हैं वह पानी वाले मंत्रालय से हैं, बनवारीलाल जी नये-नये आये हैं, हम आशा करते हैं कि इसमें यह सफल हो जायं। भगवान इनको सफल करे। लेकिन बजट के आंकड़ों के आधार पर मुझे शक होता है, क्योंकि मैं यह कहूं कि नागौर जिले के साथ सौतेला व्यवहार जन स्वास्थ्य विभाग कर रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कि आंकड़े हैं, 1205 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं जिनमें मार्च, 81 तक 60 गांव तैयार होंगे। पहले 22, 34 और 11 हुए हैं। मैं उनको दोष नहीं देता। नागौर जिले में तीन-तीन मिनिस्टर हुए हैं किस जबान से धिक्कारें, आज वह हाउस में भी नहीं है। तो शर्म की बात है। 1200 में से 1074 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं, पानी के लिए अभावग्रस्त हैं। तो मैं तो अकाल से ज्यादा बनवारीलाल जी से आशा करता हूं कि वे विशेष ध्यान दें, पीछे वालों की नकल से न चल कर थोड़ा सा हमारे लिए अक्ल से काम करें। नागौर जिला पानी के लिए अभावग्रस्त है। अभी-अभी पानी के मामले में वहां पर, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, अध्यक्ष महोदय, झरड़िया में ट्यूब वैल खुदवाया जिसमें 15 दिन तो आर्डर आने में लग गये। इसके बाद अधिकारियों से मिल कर किस हालत में आर्डर हुए। 130 फीट पानी आया है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यह तो लचीलापन है। 6-6 महीनों तक मशीनें पड़ी रहें, काम नहीं करे उसके बाद ट्यूब वैल सक्षम हो जाय तो आगे की स्कीम चालू न करें। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे इलाके में तीन गांव

(श्री रामधन चौधरी)

तो ऐसे हैं बैर, खांखली और कोयल। तीनों में 5-6 किलोमीटर से लोग माथे पर पानी लाते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक गांव में 100 घर हैं तो 100 में से 40 के पास तो ऊंट गाड़े, बैल गाड़ी या भैंसे गाड़े होते हैं, जिन पर पानी ला सकते हैं लेकिन 60 घर ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, अनुसूचित जन जाति के होते हैं।

श्री अध्यक्ष : आजकल ऊंट की टंकी कितने में आती है ?

श्री रामधन चौधरी : 15-20 रुपये लेते हैं टंकी के और वह भी कौन लावे। उनको तो चौमासे में 1-1 हाली रख कर लाते हैं। दस दिन तक कहें तो एक दिन टंकी लाते हैं। यह हालत तीन गांवों की है इसलिए कोई बड़ी योजना नहीं है। 4-5 लाख की योजना है। बिलकुल पास में पाइप लाइन जाती है लेकिन पाइप लाइन से पानी देते नहीं तो फोड़ कर थोड़े ही ले लेंगे। तो यह हाल है। छोटी योजनाएं हैं, इनमें मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर पानी देवें।

दूसरी जोधासर योजना हमारे यहां 1959 से बन रही है। पहले तो बड़ी योजना थी, कहते थे कि बजट ज्यादा है, लेकिन अब तो 15–20 लाख का है झरड़िया का ट्यूब वैल सबसे नजदीक है जिसका पानी बाकलियावास से देना था अब यहां से दे दें तो सस्ता पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री रामधन चौधरी : दो मिनट में पूरा कर लूंगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि लाडनू से 37 टैंकर्स द्वारा जोधासरवास को पानी पहुंचाया जा रहा है। एक साल में एक लाख लगते हैं तो आज 3 लाख, अध्यक्ष महोदय, हमारे वैसे ही खर्च हो गये। इस गांव के लिये पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवायें तो अति उत्तम होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार सोती हुई है, जागती नहीं है इसको फफेड़ो। कोई जरूरत नहीं है फफेड़ने की। सरकार सजग है और अच्छी तरह से चलती है थोड़ा बहुत मान लीजिये इसमें सुधार लाना है सरकारी मशीनरी का काम थोड़ी देरी से होता है तो वह बात दूसरी है लेकिन आपकी सरकार की तरह 5 किलो की जगह सवा किलो गेहूं नहीं देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजपालसिंह

(अनुपस्थित)

श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) माननीय अध्यक्ष महोदय, समय से पहले राजस्थान में भी बरसात रूठ गई। विज्ञान विवश था। धार्मिक आस्थाएं हवन और यज्ञ के माध्यम से बरसात को मनाने को कुछ किया गया लेकिन कामयाबी नहीं मिली और राजस्थान के आकाश पर बरसात के बादलों का स्थान अकाल के बादलों ने ले लिया।

मैं बूंदी जिले के नैनवा विधान सभा क्षेत्र से हूं। बूंदी जिले में जो कोई भी प्रवेश करता है, चाहे वह अधिकारीगण हों चाहे वे मंत्रीगण हों, जैसे ही देवली से आगे हिण्डौली, बूंदी, तालेड़ा और कोटा पहुंचते हैं तो दोनों तरफ की हरियाली को देख कर लगता है कि चम्बल का वरदान बूंदी जिले

(श्री सूर्यकुमार)

की धरती पर आया है, यहां अकाल नहीं है। लेकिन बूंदी के उत्तर में खटकड़ होते हुए नैनवा तहसील में पहुंचे तो उनको देख कर आश्चर्य होगा कि पश्चिमी राजस्थान की तरह यहां पर भी अकाल है और जितना अकाल का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में है उसके मुकाबले में नैनवा तहसील में है। चम्बल की नहर ने नैनवा तहसील को छुआ तक नहीं है। सिंचाई की बड़ी योजना नहीं है। जल स्तर कुओं के पाताल तक पहुंच रहा है। वह अन्तिम सांसें गिन रहा है। अगर मैं उस धरती का वर्णन करूं तो वह वैसा है जैसा कि एक राजस्थानी कवि ने कहा है—

जीव तिसाया जांवता, जोड़ों हुयो अधीर,
ढाल डाल हिकड़ो हुयो, चाली चीरां चीर।

धरती को अगर देखें तो वहां पर धरती फटी हुई है। उस पर दरारें हैं। पशु और पक्षी जलाशयों तक जाते हैं और निराश लौट कर आते हैं।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन करना यह है, अध्यक्ष महोदय, इस दशा का वर्णन करते हुए कि नैनवा तहसील में जो अकाल राहत कार्य शुरू किये हुए हैं, वे अकाल राहत कार्य न तो उस धरती को आगे जाने वाली चीरों का मुंह मोड़ने से रोक पायेंगे और न वहां पर जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं उनको मजदूरी दे पायेंगे। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अकाल राहत कार्यों को इस तरह से आरम्भ करवायें कि एक दूरी तय कर लें 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जो भी तय करना चाहें उस दूरी पर आकर मजदूर को मजदूरी मिल जाय, इस तरह से अकाल राहत कार्य शुरू करवायें।

दूसरा, मैं अर्ज करना चाहता हूं, ऐसे छोटे छोटे सिंचाई के काम हाथ में लें जिससे आगे आने वाले किसी वक्त में हम पर प्राकृतिक आपदा पड़े उस समय किसानों को और हमको कोई परेशानी न हो। ठीक इसी प्रकार मैं पेय जल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि वारिश वहां पर नहीं हुई है, कुएं जवाब दे चुके हैं। वहां कुओं को गहरा कराने की मशीनें जितनी जल्दी पहुंचाई जा सकें उतनी जल्दी पहुंचाई जानी चाहिये और जो पेय-जल की व्यवस्था पी. एण्ड. टी. स्कीम से है उस स्कीम को और सुचारू रूप से करने के लिये उन कुओं को जितना जल्दी गहरा कराया जा सके, कराना चाहिये। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कनकराज।

श्री कनकराज मेहता (सांचौर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 34 और 27 पर निवेदन करना चाहता हूं। प्रथम तो यह कि पूर्व में लूणी नदी पर बाढ़ आई थी। कई लोग बेघरबार हो गये थे यानि सांचौर तहसील में और नागौर जिले में कम से कम 100 फेमिलीज ऐसी थी जिनके घर बह गये थे नदी में। मैंने यहां पर असेम्बली में भी प्रश्न किया था कि जिनके घर नदी में बह गये हैं उनको जमीन देना बहुत जरूरी है। इस सवाल पर राज्य सरकार से आश्वासन मिला कि उनको जमीन देने की हम कोशिश

(श्री कनकराज मेहता)

कर रहे हैं और जमीन दी जायगी उस बात को आज डेढ़ साल का अर्सा बीत गया लेकिन जिन लोगों के घर नदी में वह गये, उनका सामान बह गया, उनके बाल बच्चे तक पानी में बह गये लेकिन आज तक उनको जमीन नहीं मिली है। मैंने तहसील से मालुम किया तो बताया गया उनके कागजात जालौर भेज दिये गये, वहां से मालूम किया तो कागजात जयपुर तक आ गये बताये। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतने आवश्यक कार्य, जो नदी की बाढ़ के कारण बेघरबार लोग हैं उनको जमीन नहीं देने का क्या कारण हुआ? मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए जल्दी से जल्दी उन बेघरबार लोगों को जमीन दी जाय। जो लोग इतने अर्से तक जमीन न मिलने के कारण कहीं सैटल हो गये हैं, तो उनका भी व्यवस्था करके रेगूलेराइज किया जाय, ताकि उन लोगों को पुनः नदी आने पर ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े और वे स्थाई रूप से अपने घर बसा सकें। इसको प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें।

राजस्थान में अकाल बार बार पड़ता है। दुख की बात है कि कई वर्षों से करोड़ों रुपया अकाल पर राजस्थान के अन्दर खर्च किया गया लेकिन आज दिन तक कोई स्थायी समाधान न होने के कारण राजस्थान के अंदर हर बार करोड़ों रुपया व्यय करना पड़ता है। मैं यह मानता हूं कि जब तक राजस्थान के अन्दर ऐसा कोई नदी का स्त्रोत नहीं लाया जायगा, तब तक न तो पानी की समस्या का समाधान होगा और न अकाल की समस्या का समाधान होगा। मेरा यह कहना है कि इस क्षेत्र के अन्दर जो थोड़ी बहुत नदी बहती है, जैसे हमारे जालौर के अन्दर बड़गांव की नदी बहती है, वह बारह-मासी है, उस नदी का पानी गुजरात में जाता है जिसका बहाव हमारे सांचौर तहसील में मोड़ दिया जाय तो मेरी यह मान्यता है कि जो करोड़ों रुपया सरकार को आये वर्ष पानी के मद में खर्च करना पड़ता है, वह खर्चा कट जायगा और जो पानी की सतह गहराई में चली गई है वह ऊपर आ जायगी, लोगों को राहत मिलेगी। मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार समस्या का स्थायी हल नहीं ढूंढेगी, तब तक अकाल से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा।

मुझे यह निवेदन करना है कि अकाल के जो कार्य हमारे जिले के अन्दर किये जा रहे हैं, वह काफी अपर्याप्त हैं और लोगों को मजदूरी कम मिलती है। राज्य सरकार ने सात रुपये देने का एलान किया है वह अभी तक इम्पलीमेंट नहीं हो पाया है। यह दुख का विषय है। जब सरकार की तरफ से एलान कर दिया जाता है तो उसकी क्रियान्विति के अन्दर प्रशासन ढील कर देता है यह बड़े अफसोस की बात है। इसको जल्दी से क्रियान्वित कीजिये। मजदूरी का जो मापदण्ड है वह बराबर नहीं है। कहीं पर जमीन सख्त है, कहीं पर पोली है। जो सख्त जमीन खोदने वाला है, वही माप-दण्ड से जमीन नापी जाती है और जहां पर पोली जमीन है, वहां पर भी इसी मापदण्ड से नापा जाता है जिससे मजदूरों के साथ अन्याय होता है। मेरा यह निवेदन है कि

218

(श्री कनकराज मेहता)

मापदण्ड की जो यह प्रक्रिया है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

मेरा यह निवेदन है कि पंचायतों के अंदर गवर्नमेन्ट ने यह कहा था कि अपनी अपनी पंचायतों की स्कीम्स बना कर भेजें। पंचायतों ने अपनी स्कीम्स राहत कार्यो की बना कर गवर्नमेन्ट को भेजी परन्तु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन स्कीमों को क्रियान्वित करने की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। सांचौर तहसील के तीन चौथाई भाग के अन्दर समस्या का समाधान न होने, अकाल राहत कार्य न होने से जनता दुखी हैं। सस्ते अनाज की दुकानें भी नहीं खोली गई है। इससे लोगों को परेशानी होती है। इस तरफ मंत्री महोदय ध्यान दें और जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको तो सस्ता अनाज उसी स्थान-स्थान पर उपलब्ध कराया जावे।

पानी की समस्या के बारे में यह निवेदन करना है कि यह समस्या मेरी तहसील के अन्दर काफी उग्र है। गवर्नमेन्ट का ध्यान इस ओर है और इसको हल करने की कोशिश की है परन्तु उसमें भी कुछ खामियां हैं वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। सांचौर तहसील के अन्दर दो स्कीम्स हैं, जहां पर पानी उपलब्ध है मगर वहां पर खारा पानी है। भान और हेमा गांव स्कीम में पानी खारा है और पीने लायक नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि यहां पर पानी की समस्या बड़ी उग्र होती जा रही है। गर्मी में यह पानी पीने के काबिल नहीं रहता है। इस योजना को फागतरा स्कीम से जोड़ा जाय, जहां का पानी मीठा है। दस गांव दुखी हैं, उनको पानी मिल सकेगा और इस प्रकार दस गांवों के लोगों को लाभ होगा। एक स्कीम हमारी सांकड़ सरनाऊ की है। वहां भी पानी खारा है पीने काबिल नहीं है। दुख की बात यह है कि एक किलोमीटर पर ही एक बोरिंग है जिसका पानी मीठा है। इसका कनेक्शन बिजली न मिलने के कारण रुका पड़ा है। यह मामूली सी बात है। सरकार इस ओर ध्यान दे तो इस समस्या का समाधान हो जायगा और लोगों को मीठा पानी मिल सकेगा।

टैंकरों से पानी दिया जाता है। दुख की बात यह है कि सांचौर तहसील में तीन टैंकर लगा रखे हैं परन्तु मैंने यह पाया है कि तीन टैंकर में से एक ही टैंकर वर्क करता है, दो खराब पड़े हैं। जो खराब पड़े हैं उनकी मरम्मत करना भी भारी समस्या है इस वजह से जो टैंकर से पानी दिया जाता है उन लोगों को पानी से वंचित रहना पड़ता है। मेरा यह निवेदन है, राज्य सरकार की तरफ से यह व्यवस्था हो कि तीन टैंकर हैं उनका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिये। सरकारी मशीनरी इसका सही सदुपयोग नहीं कर रही है। यह दुख की बात है। ग्रामीण लोगों को पानी की राहत पहुंचाने में इन टैंकरों को काम में लेना चाहिये मगर मिसयूज किया जाता है। यह दुख का विषय है। साथ में यह निवेदन है कि मजदूरी का समय पर भुगतान करने की पूरी व्यवस्था हो। मेरा यह निवेदन है कि जिलाधीश के द्वारा कम से कम एक दिन हर तहसील में दिया जाय जो अकाल की समस्या है वह एक ही स्थान पर मौके पर निपट सके ताकि लोग अकाल से जूझ रहे हैं, उससे उनको लाभ हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री मानसिंह देवड़ा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह कुम्हेर।

(अनुपस्थित)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि 8 मार्च को मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिलाधीश महोदय ने जाकर के वहां पर पंचायत समिति की मीटिंग की। वहां पर हमारी पांच पंचायतों ने जिलाधीश महोदय को लिखकर आवेदन किया कि हमारे यहां पर जवाजा तालाव से एक देवा फीडर खुदवाया जाय। पांच पंचायतों ने उनसे कहा हम अकाल राहत के अन्तर्गत अन्य कार्य नहीं लेंगे। यह अति आवश्यक है इसलिए इस फीडर के कार्य को आरम्भ किया जाय। परन्तु 8 मार्च से आज 24 मार्च आ गई इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे अकाल राहत मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिलाधीश महोदय से, यह जो प्रस्ताव आये हैं फीडर के, उसे अविलम्ब मंगवा कर स्वीकृति दें। हमारी इन पांच पंचायतों ने अभी तक अन्य कार्य नहीं लिये हैं। वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। मैं वहां जाकर आया हूं। वहां के लोगों ने वहां जो कार्य मिलने वाले थे वे इसी आशा में नहीं लिए हैं। इसलिए यह जो फीडर है, इसकी स्वीकृति दें अकाल राहत के अन्तर्गत। मैं निवेदन करूंगा कि आप जिलाधीश, अजमेर से जल्दी से जल्दी फीडर का एस्टीमेट मंगवा कर इसकी स्वीकृति अविलम्ब दें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि अकाल राहत कार्यों के अन्दर आप ऐसे स्थायी कार्य लें, जिनका लाभ हमेशा उस क्षेत्र को हो सके। जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र के अन्दर सिंचाई के जो साधन है, वह बहुत कम है। इसलिए अकाल राहत कार्यों के अन्दर आप इरिगेशन विभाग को कह कर, डी. पी. ए. पी. विभाग को कह कर अधिक से अधिक एनीकट का एस्टीमेट बनवा कर जल्दी से जल्दी इनको अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवावें जिससे हमेशा के लिए बार-बार जो अकाल पड़ता है, उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को तकलीफ होती है, इस पर ध्यान दे सकेंगे तो लोगों की अधिक से अधिक सहायता आप कर सकेंगे। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे जो पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग मिनिस्टर हैं उनसे हमारे ब्यावर नगर की जो पेय-जल समस्या है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आप भी जानते होंगे सन् 1970–71 में भयंकर अकाल ब्यावर नगर में इस प्रकार का आया था, पिछले वर्ष भी अकाल था और इस वर्ष भी अकाल है। आपको ध्यान होगा और हमारे अन्य माननीय सदस्यों को भी ध्यान होगा कि छाछड़ आदि से, टैंकर आदि से, पानी लाकर ब्यावर नगर की जल की समस्या का समाधान किया था। इसी प्रकार की हालत आज है। आज वहां पर पेय-जल के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर से कि कुल मिलाकर वहां पर 15–20 मिनट पानी दिया जाता है जो कि बहुत ही शर्मनाक है । जो पानी दिया जाता है वह भी बिना प्रेशर के दिया जाता है उसके कारण से कई भाग जो अनुसूचित जाति के हैं और कई अन्य ऐसे गरीबों के मोहल्ले हैं, जिनके अन्दर एक बूंद पानी नहीं दिया जाता है । जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने अपनी ओर से एक प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज दिया है कि यह पी. एच. ई. डी. विभाग को सुपुर्द कर दिया जाय । दोनों मंत्रालयों की लड़ाई में ब्यावर नगर पानी के लिये तरस रहा है । दोनों मंत्रालय आपस में तय कर लें कि वह विभाग किसके पास रहना चाहिये । ब्यावर की जनता को पीने का पानी, जो आवश्यक है, आवश्यक मात्रा में मिलना चाहिये चाहे वह एल.एस. जी. डी. दे या फिर पी. एच. ई. डिपार्टमेंट दे हमारी जनता को तो पीने का पानी मिलना चाहिये । उसके लिये आपस के अन्दर वह कहता है वह रखेगा और वह कहता है कि वह रखेगा, तो एक निर्णय आप लें । अगर आप एल. एस. जी. डी. को देना चाहते हैं तो हमारी सरकार से निवेदन करना यह है कि हमारी नगर-पालिका को आप 25–30 लाख रुपये का ऋण देते हैं तो ब्यावर नगर पालिका वाटर वर्क्स का काम सुचारू रूप से चला सकेगी और अगर पी. एच. ई. डिपार्टमेंट को देना है, और जहां तक मेरी राय है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पी. एच. ई. डी. में ही ले लें । आज पूरे राजस्थान के अन्दर सिर्फ हमारी ब्यावर की और गंगा-नगर की दो ही नगर पालिकायें ऐसी हैं जो कि अपना स्वयं का वाटर वर्क्स चला रही है । इसके अलावा पूरे राजस्थान के जितने भी वाटर वर्क्स हैं । उन्हें पी. एच. ई. डी चला रही है सिर्फ दो ही नगर-पालिकायें बची हुयी हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा विभाग है पूरे राजस्थान के अन्दर इस व्यवस्था को सम्भाल रहा है अगर वह दो नगर पालिका और सम्भालें तो इसमें बड़ी बात नहीं होगी । इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारी जो ब्यावर नगर की जल समस्या है उसका अगर असली निराकरण हो सकता है तो वह यही है कि जब तक इस वाटर वर्क्स को पी. एच. ई. डी. नहीं लेगा तब तक ब्यावर नगर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विभाग को जिस प्रश्न पर एल. एस. जी. डी. ने नगर-पालिका को सूचित किया था कि अप्रेल में पी. एच. ई. डिपार्टमेंट लेगा । तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि हर हालत में पी. एच. ई. डिपार्टमेंट अप्रेल में इस विभाग को ले ले, जिससे हमारे ब्यावर नगर की समस्या है उसका हल निकल सके । आज के युग में 15–20 मिनट तक पानी एक औद्योगिक नगर में दिया जाय इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है । आपसे निवेदन करूंगा कि कब तक वहां का नागरिक चुपचाप सहन करता रहेगा । वहां पर आन्दोलन होंगे हड़ताल होगी, लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होगी, सरकार ऐसी ही स्थिति चाहती है तो बात अलग है, इसमें मैं कुछ कहता नहीं हूं लेकिन हम लोग जो जन प्रतिनिधि हैं, जनता को कब

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

तक धैर्य दे सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन करना यह है कि इसका जल्दी समाधान करें और इसको पी. एच. ई. डी. को सुपुर्द करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मेरे यहां जवाजा है वहां पर पी. एच. ई. डिपार्टमेंट ने वाटर वर्क्स को ले रखा है, वहां पर हालत बहुत खराब है जिसके लिये जल्दी से जल्दी जो भी इन्तजाम हो सके पीने के पानी के लिये व्यवस्था करें। इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी पंचायतें हैं उनमें तो आप कम से कम वाटर वर्क्स की योजना जल्दी से जल्दी लागू करें। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(8.34 रात्रि)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पीठासीन)

श्री सभापति : श्री फतेसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : हमारी पार्टी की तरफ से मैं ही बोलूंगा।

श्री सभापति : श्री बहादुर सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : राज्य में सूखे की स्थिति है....

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : दुबारा बोलने की इजाजत दे रहे हैं क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : मैं बोला ही कब हूं, दूसरे मामले पर बोला होगा। इन कटौती प्रस्तावों पर नहीं बोला हूं।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : गलती हो गयी।

श्री यदुनाथ सिंह : सभापति महोदय, राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति है विकराल रूप है उसका अन्दाजा यहां बैठकर, यहां पर सचिवालय के एयरकंडीशण्ड कमरों में बैठकर या एयर कण्डीशन्ड आफिस में बैठकर नहीं लगाया जा सकता है। रोज मवेशी मर रहे हैं और आदमी भूखों मरने की नौबत आ रही है। लेकिन यहां पर, जयपुर शहर में रहने वाले लोग, जयपुर शहर के निवासी, यहां के अधिकारी, यहां के पैसे वाले, उनकी अय्याशी पर, ऐशो आराम पर तनिक भी असर नहीं आता है बाकायदा सिनेमा देखें जा रहे हैं बाकायदा क्लबों में जा रहे हैं बाकायदा फाइव स्टार होटलों में लंच अधिकारी और धनपति लोग ले रहे हैं। यहां पर बैठकर कल्पना करना कि राज्य में सूखे की स्थिति है सम्भव नहीं है। मेरे जिले में अकाल नहीं है, चाहे आपने राजनैतिक कारणों से उसको अकाल ग्रस्त डिक्लेयर किया है लेकिन यह भी बहुत गलत परम्परा डाली है। मेरे जिले में मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेहनत करके पानी की परेशानी को महसूस करके इसका मुकाबला करके मेरे जिले में ऐसी फसल हुई है कि जो गत पांच वर्षों में भी पैदा नहीं हुयी। इसका जवाब तो हम आपसे अगले सदन में लेंगे कृषि उपज मंडी की कितनी आय हुयी और पिछली बार के मुकाबले में यह कितनी ज्यादा हुई है, लेकिन यह जो दूसरे क्षेत्र हैं बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर हैं, जो पश्चिमी राजस्थान हैं, वहां पर बड़ी

222

(श्री यदुनाथ सिंह)

विषम स्थिति है। पीने के पानी की और खाने की तथा रोजगार की, वहां पर भूखों मरने की नौबत आ रही है। उसका बजट काटकर राजनैतिक कारणों से मेरे जिले में, संकीर्ण भावना से नहीं कह रहा हूं, इसमें लाभ भी नहीं मिलने वाला है, काम खोलें तो भी वहां पर कोई मजदूर मिलने वाला नहीं है, खाली डिक्लेयर कर देने से काम नहीं चलने वाला है, वहां पर रोजगार बहुत मिल रहा है, मजदूरों को पैसा खेती के काम करने वाले को ज्यादा पैसा मिल रहा है, इसलिये वह अकाल राहत के काम में नहीं जायगा। वहां पर कोई मजदूर काम करने वाला नहीं आयेगा। और खाली डिक्लेयर कर देने के कारण से वह पैसा लेप्स होगा। इसको आप स्वीकार करेंगे। आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब तो आपको आगे देना होगा।

मेरा निवेदन दूसरा यह है कि सूखे की जो समस्या है, अकाल की जो समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या है, इरिगेशन की जो समस्या आती है, ये तीनों जो समस्या हैं इनको एक ही मानकर चलना पड़ेगा। राज्य में 66.5 करोड़ की राजस्थान कैनाल बन जाती, जो इसको पूरा कर लिया जाता तो आज हमें इस अकाल की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कोई भी योजना हो चाहे देश की या राज्य की हो, वह टाइम में तो पूरी होती नहीं है। यह जो बजट प्रावधान है राजस्थान कैनाल का वह चार गुना तो बजट से ज्यादा खर्च हो चुका और पता नहीं अभी कितने सालों में राजस्थान कैनाल पूरी होगी। अगर यह पूरी हो गयी होती और सिंचाई की योजनायें पूरी हो गयी होतीं तो अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, अकाल राहत के काम करने पड़ रहे हैं, परेशानी महसूस करनी पड़ रही है, वह नहीं होती। अकाल हमेशा के लिये मिट जाता और राजस्थान सरसब्ज हो जाता। राजस्थान नहर बन जाती तो अकाल जैसी स्थिति यहां पर नहीं होती।

हमें बड़ा दुख है, इमें इस बात का बड़ा दर्द है कि मुख्य मंत्री जी इन्टर स्टेट के डिस्प्यूट के अन्दर, पानी के मामले में, पानी का संबंध अकाल से है ऐसी घोषणा कर तो जाते हैं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और यह करूंगा वह करूंगा। उस राज्य के मंत्री से बात करूंगा और इन्दिरा जी से लेकर आऊंगा, लेकिन आज तक इन्दिरा जी ने उनके पत्र तक का तो जवाब दिया नहीं है। वे इसको तो प्राप्त नहीं कर सके हैं और पानी के लिये फण्ड मिलने की बात करते हैं। मैं तो समझता हूं कि वे डायलेसिस के लिये जाते हैं सांस कमजोर पड़ती है तो दिल्ली जाते हैं। इन्दिरा जी से मिलकर पांच दिन की सांस आ गयी और फिर दुबारा डायलेसिस पर जाते हैं तो वे डायलेसिस के लिये पी. एम. हाउस जाते हैं, लेकिन वहां से आज दिन तक कुछ नहीं आये हैं। दुर्भाग्य से आज ही जैसे नाथपा झाकड़ी की बात चली, इसमें हमारे हितों को, राष्ट्रीय-हितों को बेच दिया गया है इसलिये हम कह रहे हैं, सिंचाई के साधन नहीं हैं। आज अकाल के अन्दर रोजगार की व्यवस्था की गयी है वह ठीक नहीं है। जयपुर में बैठकर इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं। रेगिस्तान में प्यास से आदमी मर रहा है, इसके लिये आप चीफ इंजीनियर को ट्रेनिंग के

(श्री यदुनाथ सिंह)

लिये इंग्लैण्ड भेज रहे हैं तो उससे लोगों की प्यास नहीं बुझेगी। वहां पर तम्बूओं में टैन्ट लगने चाहिये कि ढाणी में क्या हो रहा है। लोग प्यासे मर रहे हैं। यहां पर जयपुर में एक आध घंटा पानी बंद हो जाता है तो अखबार रंग जाते हैं. हाहाकार मच जाता है। लेकिन वहां तो सदियों से आदमी प्यासे मर रहे हैं, उस दर्द का किसी को पता नहीं है। आपने जो टार्गेट दिये हैं उसमें लिखा है कि तीन लाख 81 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। आपके स्टेटमेंट में लिखा है 3,37,568 लोगों को रोजगार दिया गया है। राज्यपाल महोदय का भाषण पहले आया और आपका स्टेटमेन्ट बाद में। इतने मजदूर कैसे कम हो गये। अकाल राहत का आपका हैड भी अलग है। इसलिए आपने जो अकाल राहत के आकड़े दिये हैं उसमें भी मुझे शक होता है।

इसी प्रकार से गांवों में परेशानी आती है मजदूरी के बारे में। इसके बारे में, सभापति महोदय, थोड़े से सुझाव देना चाहता हूं। जिला स्तर पर रिलीफ कमेटी बनी हुई है लेकिन उस कमेटी में जो भी सुझाव दिये जाते हैं, उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और जिलाधीश अपनी मर्जी से जैसा चाहते हैं उसी प्रकार करते हैं। हमारे यहां तो जो जिलाधीश हैं वह डी. सी. सी. के प्रेसीडेन्ट की हैसियत से काम करते हैं। कृषि उपज मण्डियों में सड़कों के सम्बन्ध में एक कमेटी का निर्माण 1978 में हुआ था, जो कच्ची सडकें हैं उनको पक्का करवाने के लिये। यह निर्णय हुआ कि 31 दिसम्बर, 78 तक जितना पैसा था उसको इकट्ठा करके सड़कों को पक्का करवाया जाय। यह तय हुआ कि जिस मण्डी का पैसा है उसी क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने दूसरी मण्डियों के पैसे को भुसावर की मण्डी में खर्च कराया। मैं यह पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी यह आपने किस कानून के तहत किया। आज नहीं तो कल आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। जिस क्षेत्र का पैसा है, उसका पैसा दूसरी मण्डी में कैसे लगाया जा सकता है, आज नहीं तो कल आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। कलेक्टर महोदय के खिलाफ तो क्या कार्यवाही करनी है उस पर तो अलग से विचार करना पड़ेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी, भुसावर राजस्थान नहीं है, भरतपुर राजस्थान नहीं है, सारा राजस्थान आपका है। ऐसी संकीर्ण भावना से यदि आप काम करोगे तो भरतपुर वालों के साथ आप न्याय नहीं करोगे। आप तो टिकने वाले हो नहीं, आपके आसार नजर आ रहे हैं। दूसरा आदमी आयेगा तो हमारे से दुश्मनी करेगा, इसलिए आप ब्राड माइण्ड होकर चलिये। राजस्थान में शासन करने आये हो, इसलिए सारे राजस्थान का विकास करना है, यह विचार करके काम नहीं करोगे तो उचित नहीं है। पालिटिकल हिसाब से काम कराये जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र को सूखा संभावित क्षेत्र बताया गया, गिरदावरी बताती है कि मेरे यहां सूखा नहीं है। सरकार कहती है कि सूखा है। यदि हमारे यहां सूखा है तो काम भी चलने चाहिये, फिर आपने काम क्यों नहीं शुरू किये, एक भी काम हमारे यहां नहीं खोला गया। जब आप सूखा बता रहे हैं तो क्या आदमी भूखा नहीं मरता, आपके पास

(श्री यदुनाथ सिंह)

रिपोर्ट है। राजस्थान में चारा जा रहा है, भरतपुर से जा रहा है, इसको भी आप देखिये। खाली दिखाने के लिए आपने यह सब किया है। लोगों के लोन माफ नहीं किये गये उनकी कुर्कियां की जा रही हैं। आपको भूखे लोगों का पेट भरना है तो ठोस काम करिये इसी प्रकार से जो वसूलियां रोकी गई हैं जिस पर यह कहना कि भगवान की तरफ से आपदायें हैं, मैं इसको नकारता हूं। अगर सरकार सिंचाई की योजनाओं को क्रियान्वित करती तो राजस्थान में आज सूखा नहीं होता। इसलिए मैं यह मानता हूं कि यह सब कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। मैं यह मांग करता हूं कि जो भी खराबा हुआ है उसके लिये किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिये। हवाई जहाज से अगर कोई मर जाता है, संजय गांधी जी हवाई जहाज से मर गये तो उनके लिए एक लाख रुपया मुआवजा दिया जायगा। किसानों पर इसको क्यों नहीं लागू किया जा सकता जो आपकी गलत नीतियों के कारण भूखों मरते हैं। अगर आप उनको मुआवजा नहीं देंगे तो जनता आपसे जवाब मांगेगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आठ मिनट ले लिये हैं आपको-डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये....

श्री यदुनाथसिंह : क्योंकि....

श्री सभापति : क्योंकि दो सौ सदस्य हैं बोलने वाले।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय मंत्री महोदय, जो अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं, वे भी राजनीतिक आधार पर खोले जा रहे हैं। नेता लोग आप पर दबाव देकर काम करवा ले जाते हैं। फिर आपको उसका भान होता है, पछतावा होता है। एक सरपंच कल्याणसिंह की बात मैं जानता हूं। झुन्झुनू जिले में 15 अगस्त को कलेक्टर ने सर्टिफिकेट दिया बैस्ट काम करने के लिए, परफार्मेन्स का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने एलीगेशन लगा दिया कि काम कराने में अक्षम है, रामनारायणजी के कहने से उसके अगेन्स्ट में कमेटी बना दी कि यह काम नहीं कर सकता। कलेक्टर ने उसको सर्टिफिकेट दिया था। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको राजनीतिक आधार पर नहीं लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पेट में अनाज पहुंचे, काम अच्छा हो, ठोस काम हो, इस तरह का काम करिये। अगर आप राजनीतिक भावना से देखेंगे तो कदापि सफल होने वाले नहीं हैं। बहुत जल्दी ही आपका भी अकाल आने वाला है।

अब एक मिनट में पी. एच. ई. डी. के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा....

एक माननीय सदस्य : कितना टाइम दे दिया आपने इनको।

श्री यदुनाथसिंह : यह सभापति का डिस्क्रिशन है।

एक माननीय सदस्य : हम सभापति जी से ही बोल रहे हैं, आपसे नहीं।

श्री यदुनाथसिंह : पिछले वर्ष यह घोषणा की गई थी कि सभी गांवों में पांच वर्षों में पानी की व्यवस्था कर देंगे लेकिन इस साल आप केवल 2700 गांवों को पानी देने जा रहे हैं। 6ठी योजना में 358 करोड़ की आवश्यकता महसूस की गई और 160 करोड़ दिया गया है। महंगाई बढ़ रही है, 160 करोड़ की क्या वेल्यू रह जायगी। पूरे गांवों को पानी किस प्रकार से देंगे। खाली झूठे आकड़ों से विरोधाभास कर रहे हैं। एक हैण्ड पम्प की योजना चली। मुसावर में और वैर में बहुत से हैण्ड पम्प लगा दिये, चुनाव के दिनों में, सड़कों पर लगा दिये, बहुत से ऐसी जगहों पर जहां कोई रास्ता नहीं, ट्रक स्टेण्ड नहीं, बस स्टेण्ड नहीं, लोग कुओं से पानी पी रहे हैं, और हैण्ड पम्प लगा दिये। लेकिन आपने इनकी मेन्टीनेन्स के लिए क्या व्यवस्था की। जगह-जगह आपने खड़े तो कर दिये, उनकी देख-भाल की क्या व्यवस्था है ?

इसी प्रकार से पूरे पश्चिमी राजस्थान की स्थिति बहुत विकराल है। हमारे यहां पानी की खराब स्थिति नहीं है कुछ गांवों को छोड़कर। पिछली बार जिले की मीटिंग में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जहां पर खारा पानी है वहां मीठा कर दिया गया, और जहां मीठा है वहां खारा कर दिया, पता नहीं किस गड्ढे में से पानी टैस्ट करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि टैस्ट में पंचायत का सर्टिफिकेट आवश्यक हो, इसमें पार्टी इन्वाल्वमेन्ट नहीं होना चाहिये। इस तरह से झूठा सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिये, लोगों को रोटी और पानी देना आपके हाथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कटौती प्रस्ताव मन्जूर किये जायं।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, विषय बहुत लम्बा है, सभापति महोदय आज का जो विषय है, बड़ा गम्भीर विषय है....

श्री सी. पी. जोशी : पाइन्ट आफ आर्डर।

व्यवस्था का प्रश्न है। हर पार्टी को टाइम अलाट किया है तो आप प्रोसिडिंग्स मंगवाकर देखें, आपने कांग्रेस को कितना समय दिया है और अपोजीशन को कितना दिया है।

श्री सभापति : आज टाइम की बात न करें, अगर आपको टाइम गिनाऊंगा तो आपकी पार्टी का टाइम सबसे ज्यादा है।

श्री सी. पी. जोशी . देख लें।

श्री सभापति : देख लिया। आज सदन की कार्यवाही चल रही है, आपको मौका मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : समय पार्टी की संख्या के आधार पर होगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 20–25 एम. एल. एज. में से एक को भी नहीं बुलाया गया है कटौती प्रस्ताव 20–25 होते हैं....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। 24 आदमियों में से केवल 5 आदमी विपक्ष के बोले हैं। सब आपकी पार्टी के बोले हैं। अब सब

226

(श्री सभापति)

बोलेंगे, ग्राप बैठें सबको चांस दिया जायगा।

श्री मेघराज तावड़ : सभापति महोदय, यह जो ग्रकाल का विषय है, इस पर ग्राज बहस चल रही है। मैं नहीं मानता कि ग्रकाल पर कोई कन्ट्रोल नहीं किया जाता लेकिन मैं इस सरकार की नीति को जानता हूं। सरकार की नीति ऐसी नहीं है कि किसी चीज का स्थाई हल निकाले। ग्राज कई गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं तो कई ग्रकाल से ग्रस्त हैं, उनका स्थाई हल नहीं। राजस्थान नहर को यदि युद्ध स्तर पर पूरा किया जाय तो जो ग्रकाल की स्थिति है वह मिटाई जा सकती है। लेकिन, सभापति महोदय, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जो स्कीमें बनाई जाती हैं ग्रकाल के लिए या सिंचाई के लिए, कोई ऐसी योजना बनाई जाती है जो सालों तक पूरी नहीं होती उसका सर्वे ही होता है, सारा खर्चा उसमें चला जाता है।

मैं कहना चाहूंगा कि जब तक भूमि सुधार कानून लागू नहीं किया जायगा, राजस्थान नहर कम्पलीट नहीं की जायगी ग्रौर राजस्थान के दो हिस्से हैं एक पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान का इलाका है जिसकी पानी की ग्रावश्यकता राजस्थान नहर से पूरी हो सकती है, दूसरा है दक्षिणी राजस्थान जो पहाड़ी इलाका है, वहां छोटे छोटे एनीकट्स बनाकर नदियों ग्रौर नालों को बांध कर जमीन ग्रलाट करके ग्रनाज को पैदा करने का तरीका नहीं बनाया जायगा उनकी खाद व बीज की व्यवस्था पूरी नहीं की जायगी तो यह स्थिति कब तक चलती रहेगी? मैं समझता हूं ग्राप मेरी तरफ देख रहे हैं, ग्रकाल का स्थाई हल किया जाना चाहिये। ग्रगर स्थाई हल नहीं किया गया तो राजस्थान एक दिन ग्रकाल के मुंह में जायगा जिससे वह निकल नहीं पाएगा। सभापति महोदय, ग्राज सुबह भी बहस हो रही थी एक प्रोजेक्ट को हाथ में लेने की ग्रौर दूसरे प्रोजेक्ट्स जो नेशनल लेवल के हैं उनको हाथ में लिया जाना चाहिये। जोधपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि क्योंकि उदयपुर जिले के मंत्री हैं, इसलिए ग्रकाल राहत कार्य मंत्री ने उदयपुर में ज्यादा खुलवाये हैं।

मैं ग्रापके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां ग्रापके पास पूरा राजस्थान है, उदयपुर जिले के साथ ग्रन्याय किया गया है। मैं कहता हूं कि मजदूर वहां ज्यादा हैं इसलिए ज्यादा काम खुले हुए हैं। यह जो ग्रांकड़े दिए गए हैं उसके ग्रनुसार काम नहीं खोले हैं। ग्राज भी मेरे इलाके में 4 काम चल रहे हैं। गत वर्ष मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। क्योंकि मैं विरोधी पक्ष का सदस्य हूं ग्रौर इस साल भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है। ग्राप हैल्दी नीति ग्रपनायें, हैल्दी राजनीति खेलें, किसी के साथ सौतेला व्यवहार करके वहां की जनता के साथ खिलवाड़ न करें, यह प्रजातन्त्र है।

मजदूरी दर के बारे में मुख्य मंत्री ने 7 रुपए तक जो बढ़ाने की घोषणा की है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन दूसरी तरफ घोषणा तो कुछ ग्रौर होती है ग्रौर वहां मौके पर प्रेक्टिकल कुछ ग्रौर होता है।

(श्री मेघराज तावड़)

मेरे इलाके में अभी भी ढाई रुपए हैं। जो सिंचाई के काम चल रहे हैं बांध के उन मजदूरों को ढाई रुपये दिये गए और ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है। कई माननीय सदस्यों ने बात रखी कि बी. एस. आर. के आधार पर काम दिया जा रहा है। पुराना बी० एस० आर० है और हमारा जो इलाका है उसमें कटिंग का काम है, आप उनको पर्याप्त मजदूरी दें। आपके जो अधिकारी और मंत्री हैं, कितनी फाइलें निकालते हैं ? आप अन्दाजा लगायें कौन कितना काम करता है, जो जितना काम करता है उतना पैसा दिया जाना चाहिए तो मैं कहता हूं कि इन मंत्रियों की आधी तनख्वाह रह जायगी और अधिकारियों की भी इतनी ही। आज जो अकाल का इलाका है, उसमें जहां पानी नहीं मिलता है, जहां सड़क नहीं हैं, वहां पर कितने समय में अधिकारी जाता है। इनको कारें चाहिए, इनको मिनी बसें चाहिए, वे कैसे जायेंगे इलाके में, इलाके में वे जनता की तकलीफों को कैसे देख पायेंगे ? जब तक प्रेक्टिकल नहीं किया जायगा तो कौन करेगा ? मंत्री वहां नहीं पहुंच पाते हैं। मेरा जो पहाड़ी इलाका है मंत्री जी के उदयपुर में है। मैं आपको भी चेलेंज करता हूं कि ऐसा इलाका जो पंचायतों का है, ऐसा इलाका है जहां पर पटवारी भी नहीं पहुंचता है। जो अकाल का इलाका है, जहां कैनाल से कहीं सिंचाई करके जमीन पिलादी, पूरे गांव को पूरी पंचायत को उड़ा दिया। जिस पंचायत से मैं आता हूं, सरपंच हूं, जान बूझकर मेरी पंचायत को टाला गया और आज वहां की जमीन की हालत आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना अनाज पका होगा। मेरे गांव और दूसरे गांवों को अकाल में नहीं लिया गया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री घोषणा करें, जिन गांवों में पटवारी की बदमाशी हो या राजनीतिक कारण से जो अकाल ग्रस्त गांव हैं जिनको अभी तक घोषित नहीं किया गया है, उनको अकालग्रस्त घोषित किया जाय।

वहां मौके पर जाकर देखें, घरों पर जाकर देखें, उनके खलियानों और खेतों में जाकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो गांव अकाल में नहीं लिए गए हैं वे अकाल में हैं। मजदूरी बढ़ाने के बारे में मैं जोर देना चाहता हूं। जिन राहत कार्यों पर काम करने वाले मजदूरों को कड़ाके की गर्मी में काम करना पड़ता है उनको टास्क बेसिस पर काम नहीं मिलना चाहिए, रिजे-[illegible]न होना चाहिए। 80 प्रतिशत काम करें उनको एक रुपया, यह गलत। मेरा इलाका पहाड़ी इलाका है, वहां लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ लोग आवाज उठाते हैं कि गाय मारकर खा गए, भैंस मारकर खा गए तो पुलिस केस करती है। तो मैं कहना चाहता हूं भूखा क्या नहीं करता। क्या सरकार का खून पीयेंगे गरीब आदमी क्या करेंगे ? अगर काम पूरी तरह से नहीं खोले जायेंगे तो वह गायें मारेंगे पेड़ों की खाले खायेंगे, किस तरह से जिंदा रहेंगे ? तो यह भेदभाव नहीं किया जाय। पूरी तरह से काम खोले जायं। जैसे पश्चिमी राजस्थान है, पहाड़ी इलाके की हालत भी वही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

228

(श्री मेघराज तावड़)

अब मैं पेयजल पर दो शब्द कहना चाहूंगा। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल की समस्या है वही पहाड़ी इलाका दक्षिणी राजस्थान की है जैसा मेरा गोगुंदा क्षेत्र है वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पहाड़ों में एक बरसात होगी तब कुओं को पानी मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। नदी के किनारे ढूंढ–कर मवेशियों को लेकर निकल पड़ते हैं। जहां–जहां उदयपुर रीजन में पानी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि उनके पानी में नारू की बीमारी ज्यादा होती है आज तक सरकार नारू पर कन्ट्रोल नहीं कर सकी, उसमें जो भूमि फालतू है उसको कन्ट्रोल नही कर सकी।

उदयपुर जिले में जलदाय विभाग के अधिकारी हैं मैं, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लेता हूं, हीरालाल देवपुरा, रोशन–लाल देवपुरा नाम के अधिकारी हैं जहां कुएं खोदे हैं शेशरी गांव को देखें, सीमेंट बताया, काम किया है चूने का, सीमेंट नहीं तो, सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो मकान बनाया वह कहां से बनाया है। यह जो इन्होंने अपना मकान बनाया है वह सारा इसी मैटीरियल से बनाया गया है। नहीं तो उनको पूछा जाय कि इन्होंने यह माल कहां से खरीदा। क्या यू.आई. टी. से खरीदा है या कहां से खरीदा है। इसकी जांच की जानी चाहिये। इसके अलावा मैं तो इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि वह कौनसी पार्टी का व्यक्ति है। लोग कहते हैं कि आर.एस.एस. का है और खुद भी कहता है कि मैं आर.एस.एस. का व्यक्ति हूं। मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सभापति महोदय, जो भी काम होता है वह कोई आर. एस. एस. या कांग्रेस का या कम्युनिस्ट कहने से कोई बात पूरी नहीं होती है। इसमें जो भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी क्यों नहीं हो, अगर कोई बदमाश अधिकारी हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। अगर कोई अधिकारी चोर हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। लेकिन, सभा-पति महोदय, इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई और भ्रष्टाचार विभाग में जांच हुई। लेकिन वहां भी सभी अधिकारी भ्रष्ट बैठे हैं और चोर की जांच अगर कोई चोर करेगा तो चोर कैसे पकड़ा जा सकता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा आपके माध्यम से, सभापति महोदय, कि ऐसे भ्रष्ट अधि-कारियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिये। अन्त में मैं, सभापति महोदय, गोगुन्दा क्षेत्र के पेयजल के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, वहां पेयजल की स्थिति बहुत खराब है। दूसरे वहां पर एक तालाब है नाडिया उसको अगर सरकार फीडर बनाकर गोगुन्दा की जनता को पानी उपलब्ध कराये तो वहां की जनता को पानी उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा वहां पर पहाड़ी इलाका है और आप जो यहां पर नल कूप और हैण्ड पम्प की बात करते हैं, वह व्यवस्था वहां नहीं हो सकती क्योंकि वहां गाड़ियां जा नहीं सकतीं और सड़कों से वह इलाका जुड़ा नहीं है। जब सड़कें नहीं हैं तो क्या सरकार या मंत्री महोदय खुद अपने सिर पर मशीनें लेकर जायेंगे वहां कुआं खोदने। इसके लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, इसके अलावा पिछले अकाल के काम वहां पर अधूरे पड़े हैं। अकाल में कई गांवों

(श्री मेघराज तावड़)

को लिया नहीं गया, सड़कें अधूरी पड़ी हैं। कई गांवों को छोड़ दिया गया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा अकाल राहत कार्य खोले जावें, दूसरे वहां पर जो पुराने अकाल के काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा किया जावे। तीसरे अकाल राहत कार्य में जो गांव छोड़ दिये गये हैं उनको लिया जावे। अगर इस तरह से आप करेंगे तो वहां काम हो सकेंगे। इसके अलावा, सभापति महोदय, जो भी काम हाथ में लिये जायं वह कच्चे काम हाथ में नहीं लिये जायं, पक्के काम हाथ में लिये जावें। जो भी आप काम करावें वह पक्के करावें और अकाल राहत कार्य के जब कार्य बन्द हो तब वह कार्य बन्द नहीं होने चाहिये। उनको डिपार्टमेंट का काम समझ कर पक्के काम करवाने चाहिये और पूरे काम कराने चाहिये। बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रेवतराम।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 34 अकाल राहत पर सदन में बहस चल रही है। उन मांगों के विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, चूरू जिले में 548 गांव हैं जो पीने के पानी की समस्या से ग्रस्त हैं तथा जिन गांवों को पानी दे भी दिया है तो वह ग्रस्त जैसे ही हैं। सभापति महोदय, जिन गांवों में पेयजल की योजना बनाई गयी है वह 1971 की जनसंख्या के आधार पर बनी है और उसमें पशु संख्या जोड़ी नहीं गयी है। अब जो योजना बने उसमें मेरा निवेदन है कि, मन्त्री महोदय, इसमें जन संख्या के आधार पर 1981 की पशु संख्या को जरूर जोड़ा जाय। सभापति महोदय, गांव की जो योजना बनी है उसमें एक स्रोत से कोई गांव जोड़ दिये गये हैं इससे दूसरे गांव को पानी नहीं नहीं मिलता। कारण पहला गांव पूरा पानी पशुओं के पीने तक नहीं लेता तब तक आगे वाले गांव में नहीं जाने देता। इसलिये इसमें मेरा सुझाव है कि पहले स्रोत से ही जहां जहां पानी देना है सीधी पाइप लाइन से देवें। दूसरा, जो मिस्त्री कर्मचारी काम करते हैं वह लोग बहुत बदमाशी करते हैं। गांव वालों से पैसा मांगते हैं जो गांव वाले पैसा देते हैं उनको तो पानी दे देते हैं बाकी को नहीं देते हैं। इसके अलावा गांव में शादी ब्याह और मृत्युभोज होते हैं उसमें अगर कोई व्यक्ति इस विभाग के लोगों को खाना खाने के लिये नहीं बुलाता है तो उस दिन वह गांव वालों को पानी नहीं देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बिगड़ रही है कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर पेयजल योजना लगने के बाद भी आज तक पानी दिया ही नहीं है किसी प्रकार शिकायत की भी जाती है तो वह लोग परवाह नहीं करते हैं और जो शिकायत करता हैं वह बेचारा उलटा डरता है। इसमें मेरा, सभापति महोदय, यह सुझाव है। कि इन कर्मचारियों को सरपंचों के नीचे रखना चाहिये और जब सरपंच उनकी काम की तस्दीक कर दे तब उनको तनख्वाह दी जानी चाहिये। ऐसा करने से जलदाय विभाग के कर्मचारी काम कर सकेंगे। इसके अलावा वहां पर कर्मचारी लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको एक जिले से दूसरे जिले

(श्री रेवतराम चौधरी)

में करने की व्यवस्था होनी चाहिये । इसके अलावा, सभापति महोदय, जिन गांवों में पानी की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं उन गांवों की आबादी, पशु संख्या का भी ध्यान रखा जावे । मेरे डूंगरगढ़ क्षेत्र में, जो लगातार अकाल की चपेट में आ रहा है, पानी की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। जहां मीठा पानी है उन उन गांवों के कुओं को तो गहरा करा कर तुरन्त बिजली या डीजल से चला कर पानी पिलावें, वरना अब यह गांव की हालत को बर्दाश्त नहीं करेंगे । लोग गांव छोड़कर चले जायेंगे और उनको शहरों की शरण में जाना पड़ेगा । इसके लिए व्यवस्था करना बहुत जरूरी है । आज इन गांवों की आबादी करीब 500 से लेकर 3000 लोगों की है इसमें मैं आपको गांवों के नाम निवेदन करना चाहूंगा । इसमें लखासर, बंबीसर, जोधासर, झकेड़ लोडेरा, डेल्वा, उदासर, लिखमादेसर, सतासर, लालासर, कून्तासर, धीरदेसर, चोटीयान, कितासर, इनपालसर, कंवास रोडी नौसरीया, मिगसरीया धर्माख दुलचासर, गोपालसर सूडसर टेऊ देराजसर व अन्य छोटे गांव है, सभापति महोदय ।

एक माननीय सदस्य : आप किसे कह रहे हैं मंत्री जी नहीं हैं ।

श्री रेवतराम चौधरी : मंत्री जी नहीं तो क्या आप लोग बैठे हैं और अधिकारी बैठे, हैं । वह तो सुन रहे हैं। सभापति महोदय, ऐसे गांव जो कि पांच सौ से लेकर तीन हजार की आबादी से कम हैं, वहां पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । सभापति महोदय, इन गांवों में पानी की व्यवस्था बिजली देकर या डीजल को चालू करके हो सकती है क्योंकि इन गांवों में पानी बहुत है, गहरा है । गहरे पानी को निकालने के लिए किसान ठीक हालत में नहीं है इसलिए पानी बिजली देकर पिलाया जा सकता है ।

एक समस्या और है हमारे यहां का डूंगरगढ़ जो हमारा कस्बा है उसको ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत लिया जाना बहुत जरूरी है । चारों तरफ धोरों से घिरा हुआ है, जिसकी आबादी 30 हजार है लेकिन उसमें पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए ड्रेनेज योजना के अन्दर इसको लेकर पानी निकालने की व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी है । इसमें मेरी यही मांग है कि ग्रामों में पेयजल योजना का विस्तार ट्यूबवैल से किया जाना चाहिए नहीं तो पार नहीं पड़ सकेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : दस मिनट हो गये आपको । अब नहीं ।

श्री अनंगकुमार

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : सभापति महोदय, आज जो दोनों मांगें हैं दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और मानवीय दृष्टिकोण से माननीय सदस्यों से सम्बन्ध रखती हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इन मांगों पर विचार करें और बजट अलाटमेंट किया गया है, जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसको मानवीय दृष्टिकोण से सोचें न कि राजनैतिक दृष्टिकोण से । जो काम अकाल राहत में शुरू कराये गये हैं झालावाड़ जिले

(श्री अनंगकुमार जैन)

के अन्दर 504 गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है। राजस्थान के 26 जिलों में से 25 जिलों के गांवों को 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में अकालग्रस्त घोषित किया गया है। उसके बाद कई गांव हैं उनके लिए वहां के जिला प्रशासन को शिकायत की गयी, मंत्री महोदय को पत्र लिखे गये कि ऐसे कई गांव रह गये हैं जो अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं और वहां वास्तव में अकाल हैं उनको इसलिए जाच कराकर अकालग्रस्त गांवों में शामिल कराया जाय लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक भरतपुर जिला जिसको अकालग्रस्त घोषित किया गया दिसम्बर में। जब दिसम्बर में इसको अकालग्रस्त घोषित कर सकते थे, मुझे आलोचना में नहीं जाना है कि भरतपुर को अकालग्रस्त क्यों घोषित किया गया लेकिन जब दिसम्बर में एक जिले को अकालग्रस्त घोषित कर सकते थे तो जब इनके पास शिकायतें आईं तो जिला प्रशासन को आदेश देकर सर्वे कराया जाना चाहिए था। जो वास्तव में अकालग्रस्त गांव हैं और जहां लोग अकाल से पीड़ित हैं उनको निश्चित रूप से शामिल कराया जाना चाहिए था लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया है। अब भी समय है, सभापति महोदय, कि जिला प्रशासन को आदेश दिये जाने चाहिए कि जो गांव वास्तव में अकालग्रस्त हैं यदि वह अकालग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं, किसी वजह से उनका नाम सर्वे में नहीं आया है और वहां के लोग परेशान हैं अकाल से ग्रस्त हैं तो उन गांवों को तुरन्त राहत देने के लिए अकालग्रस्त घोषित करना चाहिए। आप स्वंय जांच करा लें जो गांव अकालग्रस्त हैं और जिन गांवों में काम शुरू नहीं हुए हैं वहां काम शुरू हो सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत वहां आती है कि जो गांव सीमा से लगे हुए हैं। एक गांव तो वह है जिसे अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया और वहां लोग अकाल राहत कार्यों पर काम कर रहे हैं और ठीक उसके पड़ोस में जो गांव है जो अकालग्रस्त घोषित नहीं हुआ है वहां के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। यह बहुत ही मानवीय प्रश्न है इसके ऊपर आप निश्चित रूप से सोचें और जिला प्रशासन से कहें कि वास्तव में अकाल है तो वहां पर काम शुरू कराये जायं।

दूसरे, सभापति महोदय, अकाल के क्षेत्र में अधिकांश सड़कों पर काम चालू किया गया है जिसमें मिट्टी डाली जाती है और बारिश में वह जाती है और पता भी नहीं लगता कि काम भी हुआ है या नहीं। तो मेरा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सुझाव है कि अधिकांश काम सिंचाई से संबधित लिये जाने चाहिए और ऐसे काम होने चाहिए जो कि तीन-चार महीने में पूरे हो जायं। ऐसे काम आगे के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। कोई एनीकट बनाते हैं या दूसरी स्कीम बनाते हैं तो परमानेन्ट सोल्यूशन उस योजना के माध्यम से हो सकेगा और पैसे का सदुपयोग भी हो सकेगा।

दूसरे, सभापति महोदय, पेयजल के बारे में स्वंय मुख्य मन्त्री महोदय ने भी यहां घोषणा की है कि पांच साल के अन्दर

(श्री ग्रनंगकुमार जैन)

पूरे राजस्थान के गांवों में पेयजल समस्या समाप्त कर देंगे । इस वर्ष जो प्रावधान जारी किये हैं उसमें 24 हजार गावों की समस्याग्रों का समाधान किया जायगा ग्रौर 2500 गांवों में पेयजल की समस्या का निवारण करेंगे । सभापति महोदय, 2500 गांव की एक वर्ष में समस्या का निवारण करने की सोच रहे हैं ग्रौर पिछली साल जितने गांवों को लिया है उससे इस बार काफी कम संख्या ली है । तो यह संख्या हो सकता है कि ग्रगली साल 2000 हो जायगी ग्रौर फिर 1500 हो जायगी । इस गति से काम किया गया तो यह 20 साल में भी समस्या हल नहीं होगी । मैं, सभापति महोदय, ग्रापके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही ग्रहम् समस्या है ग्रौर तीव्र गति से काम शुरू कराये जाने चाहिए । झालावाड़ जिले के ग्रन्दर 563 गांव ऐसे हैं जो कि समस्या ग्रस्त हैं लेकिन जिस गति से यह काम करना चाहते हैं उस गति से 15 साल तक भी सारे गांव की समस्या हल नहीं होगी ग्रौर इन गांवों को समस्या ग्रस्त से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती । माननीय सभापति महोदय, पेयजल के बारे में मैं विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस समस्या के ऊपर ध्यान दें ग्रौर उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके ऊपर कड़ी नजर रख कर इसके काम को पूरा कराया जाय ।

सभापति महोदय, ग्रभी पेयजल डिपार्टमेंट में कुछ प्रमोशन किये गये हैं वहां पर 13 सिविल इन्जीनियर्स की वेकेन्सीज थीं ग्रौर 4 मैकेनिकल इन्जीनियर्स की थी । उसमें, सभापति महोदय, 11 सिविल इन्जीनियर्स का प्रमोशन किया ग्रौर 6 मैकेनिकल इन्जीनियर्स का किया । सभापति महोदय, इसमें एक प्रक्रिया ग्रपनाई जाती है कि जहां चीफ इन्जीनियर ग्रौर सैक्रेटरी के बीच में विवाद है या सीनियोरिटी के मामले में विवाद है तो डी० ग्रो० पी० को रेफर किया जाता है, तो प्रमोशन का मामला डी० ग्रो० पी० को रेफर किया गया ग्रौर डी० ग्रो० पी० की राय थी कि सीनियोरिटी निश्चित रूप से गलत है इसको रिवाइज किया जाना चाहिए । इसके बारे में मंत्री महोदय को रिप्रेजेन्टेशन किया गया लेकिन ग्राज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया । यह विभाग समस्याग्रस्त हो रहा है । पेयजल का विभाग भ्रष्टाचार में फंसा हुग्रा है । चीफ इन्जीनियर ग्रौर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर सभी इसमें लगे हुए हैं कि मेरा नाम ग्रा जाय । जो भ्रष्टाचार इसमें किया गया है उन भ्रष्टाचार के माध्यम से जिन गलत लोगों को फायदा दिया गया है ग्रौर जिन लोगों का हक मारा गया तो मैं यह भी मांग करूंगा कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके ऊपर कड़ी नजर रखें ग्रौर जो इस प्रकार के मामले उनकी नालेज में लाये जाते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान दें । मैं निवेदन करूंगा कि ग्राप ग्रपने उत्तर में स्पष्ट करें कि जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, जो ग्रनियमिततायें बरती जाती हैं उस विभाग से कार्यकुशलता कैसे एक्सपेक्ट करेंगे । जहां चीफ इन्जीनियर ग्रौर सैक्रेटरी इसमें फंसे हुए हैं ग्रौर यह सोचते हैं कि किस प्रकार से पैसा बटोरें तो फिर वह गांवों की समस्याग्रों का निराकरण क्या करेंगे ?

तीसरे, सभापति महोदय, जो हैंड पम्प की स्कीम लागू की गयी है मैं ग्रापके माध्यम

(श्री अनंगकुमार जैन)

से निवेदन करूंगा कि जिन गांवों में हैंड पम्प लगाये गये हैं वह सरकार के रिकार्ड में तो लग गये हैं लेकिन वास्तव में नहीं लगे हैं। दूसरे जहां हैंड पम्प लगा दिये जाते हैं वह आठ दस रोज में खराब हो जाते हैं। उसके बारे में शिकायत की जाती है लेकिन सुनवाई नहीं होती है। उनके रख रखाव के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मंत्री महोदय अभी विभिन्न जिलों की मीटिंग बुलाई थी उसमें भी इस समस्या को रखा गया और स्वयं अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि इसके रख-रखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

निवेदन करूंगा कि इसके रख-रखाव के बारे में अपने विभाग को स्पष्ट रूप से आदेश दें ताकि जो हैंड पम्प लगे हैं उनका रख-रखाव ठीक तरह से हो और जो खराब हो गए हैं उनको शीघ्रता से ठीक किया जाय ताकि वास्तव में समस्या मिट सके। सभापति महोदय, जिन गांवों में हैंड पम्प की स्कीम फेल हो गयी है लेकिन आपके रिकार्ड में क्योंकि हैंड पम्प योजना मन्जूर है इसलिए उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उन गांवों में हैंड पम्प सक्सेसफुल नहीं हैं तो इसके अलावा दूसरी स्कीम वहां लागू की जाय ताकि वहां के लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से एक बात और निवेदन करूंगा और अकाल राहत मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि अकाल राहत के काम जहां आप शुरू करवा रहे हैं उसमें करप्शन होने का अन्देशा है। पहले भी कई काण्ड मंत्री महोदय के सामने आये हैं, तो उनके ऊपर भी पूरी निगाह रखें। इनके विभाग के जो कमिश्नर हैं पहाड़िया जी ने 9 रत्न रखें हुए हैं उनमें से वह एक रत्न हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक रत्न पर कड़ी निगाह रखने की जरूरत है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि उनके ऊपर कड़ी निगाह रखें और इन कार्यों को सुचारू रूप से चलायें।

श्री सभापति : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 34 के के बारे में मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। मैं पहले पी. एच. ई. डी. के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। पेयजल जीवन के लिये सबसे आवश्यक वस्तु है। स्वतंत्रता के बाद आज तक, हमें खेद है और दुख है इस बात का कि हम अपने राजस्थान के निवासियों के लिये पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा सके। कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही यह और बीच में विपक्ष की सरकार रही, यह दोनों का उत्तरदायित्व था कि पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान करते लेकिन हमने साइड ट्रेक होकर दूसरे मदों में पैसा खर्च किया और जो पैसा जितना हमें खर्च करना चाहिये था इस पर खर्च नहीं किया।

(श्री माणकमल मेहता)

आज भी जो हम बजट बनाते हैं उसमें पी. एच. ई. विभाग को बहुत कम पैसा दिया है यह बहुत ही दुख का विषय है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक राशि इसके लिये रखी जानी चाहिये। मैं इस विषय में एक बात आपसे यह निवेदन करूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बताया था, जो बजट भाषण उन्होंने दिया उसमें उन्होंने यह कहा कि हम 1981-82 में 2700 गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और 6675 गांवों में जल उपलब्ध हो चुका है लेकिन जब विभाग का हमारे पास यह प्रगति विवरण आया तो हमने देखा कि उसमें 4857 गांव में पेयजल उपलब्ध कर चुके हैं और इस साल केवल 2500 गांवों को पेयजल उपलब्ध करायें। यह जो बात है समझ में नहीं आती यह किस प्रकार से हुआ। 200 गांव, मुख्य मंत्री महोदय ने 2700 गांवों की बात कहीं उसके बाद जो विभागीय प्रगति विवरण हमें मिला है उसमें केवल 2500 गांवों को इस साल पानी देने की बात कही गई है। इसके साथ जब शुरूआत में, बिसमिल्ला में ही 200 गांवों को पानी नहीं देने की बात हम कर रहे हैं तो हमारा मन्तव्य क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। मेरा निवेदन है कि पाली क्षेत्र जहां से मैं आ रहा हूं रोहत पंचायत समिति का एक ऐसा क्षेत्र है जहां साल्ट, ब्रेकिश वाटर है, पीने का पानी आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जो थोड़ा बहुत रीजनल स्कीम्स बनाई गई हैं वहां पाली के गांवों तक पानी नहीं पहुंचा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन गांवों में रीजनल स्कीम्स से पानी पहुंचता है उनके पास शड्यूल्ड कास्ट की बस्तियां हैं उन बस्तियों को भी पानी नहीं देते हैं। बात समझ में नहीं आई। एक ही रेवेन्यू विलेज में तीन चार बस्तियां हैं अड़ोस पड़ोस की, उस गांव की जो मुख्य आबादी में हैं जिनके अच्छे मकान हैं उनको पानी देते हैं और जो गरीब हैं जिनसे भगवान भी रूठा हुआ है, दो जून रोटी भी नहीं मिलती, उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं। उस स्कीम का कोई लाभ नहीं है हमारी रीजनल स्कीम के बारे में हमें पूरी तरह से सोचना पड़ेगा और ऐसे गांव को जिसे रेवेन्यू विलेज कहते हैं, उस गांव को पूरा करना चाहिये।

मेरा दूसरा निवेदन आपसे यह है कि यह जो रीजनल स्कीम्स हैं उन रीजनल स्कीम्स में बूस्टर वगैरह लगाया जाना चाहिये। रीजनल स्कीम्स जहां नहीं हैं उन गांवों में भी हमें प्यासे को पानी पहुंचाना पड़ेगा। वहां पानी पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता, जो लोग प्यासे मरते हैं उनको एक टैंकर से या दो टैंकरों से 500-700 मनुष्य जहां रहते हैं, किस तरह से हम पीने का पानी दे सकते हैं। उनके जानवरों की बात। मवेशी जिसपर वैस्टर्न राजस्थान की सारी इकानामी बेस्ड है मेनली उन मवेशियों को अगर हम भूखों मारते हैं तो मैं समझता हूं दूध और घी आपको जो नजर आ रहा है यह प्रदेश में नजर नहीं आयेगा। वैस्टर्न राजस्थान की निधि है, यदि वह निधि समाप्त हो जायगी तो अगर हमारा यही दृष्टिकोण रहा कि हम मनुष्यों को पानी दें और जानवरों

(श्री माणकमल मेहता)

को पानी नहीं देंगे, मूक प्राणी आपके पास आकर नहीं कहेगा कि हमको पानी दीजिये। हमें उनकी वकालत करके उनको पानी दिलाना है और उसकी व्यवस्था करनी चाहिये। दूसरी बात पी. एच. ई. डी. के विषय में और निवेदन करना चाहूंगा आज हाउस में बहस भी हुई थी, जवाई स्कीम के लिये, पाइप लाइन के लिये, जो पैसा दिया जा रहा है उसके लिए मेरा यह निवेदन है कि वह पाइप लाइन का पैसा देने से उससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि जो इरिगेशन की जमीन है जिसको हम इरिगेट करते हैं 10,223 खातेदार उस जमीन में हैं जो जवाई कमाण्ड के अन्दर है। 10,223 खातेदारों को जब हम पानी दे पा रहे हैं 1,06,000 एकड़ जमीन उससे इरिगेट होती है। अगर हम यह देखें नार्मली 20 हजार एकड़ जमीन में जो इरिगेशन का पानी दिया जाता है उसको नहीं दे पायेंगे। यह तर्क दिया जाता है कि यह पाइप लाइन द्वारा हम ले जायेंगे और उसके पैरलल जो नहर चल रही है वह उसी तरह चलती रहेगी, मैं समझता हूं कि वह पानी पाइप लाइन के द्वारा ले जायेंगे तो कौन सा पानी रह जायगा। नहर की केपेसिटी बहुत ही कम रह जायगी तो इरिगेशन नहीं कर पायेंगे। जो आधारभूत भीषण समस्या है और हमारे एग्रीकल्चर पर बेस्ड है इरिगेशन के द्वारा किसान पानी लेता हुआ अपने खेतों को लहलहाता है, देश की सम्पदा बढ़ाता है, किस तरह से बढ़ा पायेगा। उसका नतीजा यह निकलेगा कि 40 हजार 50 हजार आदमी और उनकी फैमिलीज स्टार्व होंगी, मर जायेंगी, हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह जायगा, अपना पेट पाल सकें और उसका दूसरा नतीजा आक्रोश के रूप में सामने आयेगा और किस तरह से उनका सामना करना पड़ेगा। अगर यह पानी पाइप लाइन से ले जाते हैं, पानी जोधपुर ले जायं हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था हो और उनको इरिगेट कर सकते हों तो उसमें पूरा औचित्य हो सकता है अन्यथा कोई औचित्य नहीं। मेरा निवेदन है कि सुमेरपुर मंडी को काफी आबादी है उसमें कृषि उपज मण्डी में, आपके इनकमटैक्स में करीब दो या तीन करोड़ की आमदनी होती है यह सारी की सारी आमदनी खतम हो जायगी। इसलिए मैं मंत्री, महोदय से निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, राजस्थान कैनाल के ऊपर यही 35 करोड़ रुपया अगर हम वहां लगा देते हैं तो जो 86 में राजस्थान कैनाल में 40 करोड़ रुपया लगाकर जोधपुर में पानी लाना चाहते हैं अगर उसमें 35 करोड़ रुपया और मिला दिया जाय तो 86 तक पानी डैफीनेटली जोधपुर पहुंच सकेगा, जोधपुर में जब तक पानी नहीं पहुंचता है उस वक्त तक जोधपुर को जवाई से पानी दिया जाता रहे उसमें हमें कोई एतराज नहीं। जोधपुर को प्यासा नहीं मार सकते, लेकिन पाइप लाइन लेकर यह टैम्प्रेरी पाइप लाइन से ले जा रहे हैं 35 करोड़ रुपया आप अभी खर्च करेंगे और 86 के बाद जब राजस्थान कैनाल को लिफ्ट करके जोधपुर पानी ले जायेंगे फिर इसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, मेरी समझ में नहीं आता। जब तीन चार करोड़ की इनकम स्टेट को हो रही है इरिगेशन स्कीम को डिस्टर्ब करके उसके बाद

236

(श्री माणकमल मेहता)

पानी को टैम्प्रेरी फेज से पाइप लाइन के द्वारा ले जायं, मैं समझता हूं, यह कोई समझदारी की बात नहीं होगी । इरिगेशन विभाग और पी. एच. ई. विभाग के सैकेटरी और मंत्री महोदय बैठकर सोचें, हमारे प्रदेश की जो इकानामी है उसको आधार मानते हुए उन किसानों की दशा को देखते हुए इस बात के ऊपर बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिये और दुबारा सोचना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसके साथ साथ आपसे अकाल की विभीषिका के सिलसिले में दो तीन मिनट लूंगा। यह जो अकाल की विभीषिका है, हमारे क्षेत्र में जो काम खोले गये हैं, इस विषय में इतना ही निवेदन करना है कि प्रत्येक दो या तीन माइल के ऊपर काम खोला जाना निहायत जरूरी है । क्योंकि इस वक्त जो काम खोले गये हैं उन कामों में सारे गांवों के लोगों को एम्प्लाय नहीं कर सकते हैं जैसा कि विभागीय लोगों से मालूम हुआ कि सारे लोगों को रोजी नहीं दी जा सकती है और 7-7, 8-8 मील से चल कर रोज मर्रा नहीं आ सकते हैं । टास्क बेसिस पर जो काम दिया जाता है उनको टूल्स पूरी तरह नहीं दिये गये हैं। जैसा कि पहले एक माननीय, सदस्य ने फर्माया था कि पिछले साल के जो टूल्स पड़े हैं वे वहीं पर पड़े हैं । इस प्रकार की जो उदासीनता है उसको भी दूर किया जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सख्ती से अकाल के बारे में काम लें । जो पैसा टैक्स से आया है चाहे सेन्ट्रल गवर्नमेंट से उधार लें वह फालतू न जाय और पहले वाले टूल्स भी काम में लिये जायं । जिन मजदूरों को मजदूरी पर लगाया जाता है और जो 7) रु. आपने मजदूरी का फर्माया है वह इन्श्योर होनी चाहिये कि हर हालत में 7) रु० मिल जायेंगे वरना इस मंहगाई के जमाने में वे लोग अपना पेट नहीं भर सकेंगे । इतना ही कह कर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जयदेव ।

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर प्राकृतिक आपदाओं की समस्यायों से यह सारा सदन बहुत ही चिन्तित और परेशान है । इन समस्याओं····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार चिन्तित नहीं है, सदन तो है ।

एक माननीय सदस्य : अच्छा आप आ गये क्या ?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इन समस्याओं के समाधान के लिये राजस्थान सरकार बहुत ही प्रत्यनशील है । मैं समझता हूं कोई न कोई इसका हल निकाल लिया जायगा ।

इस सदन के अन्दर आज कई सदस्यों ने अकाल के बारे में अपने-अपने विचार प्रकट किये हैं । सरकार ने अकाल घोषित नहीं किया । सरकार ने अभावग्रस्त घोषित किया है । अकाल में और अभाव में वहुत फर्क है । अकाल पिछले साल था जहां पर

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

एक बूंद पानी भी बरसा नहीं था, किसानों ने हल खड़े नहीं किये थे और जमीन में उपज पैदा हुई नहीं। उस स्थिति में तो हम अकाल कह सकते हैं। आज तो राजस्थान के अधिकांश जिले अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में, जो अभाव ग्रस्त है और सरकार ने वहां पर राहत कार्य टैस्ट वर्क के लिये चालू कर रखे हैं सिर्फ उस पर, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि सिर्फ 57 आदमी काम पर लगे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : सिर्फ 57, बहुत शर्मनाक है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : बाड़मेर और दूसरे जिलों से कहा गया हमारे यहां 57 हजार आदमी काम कर रहे हैं, कोई कहता है 27 हजार काम कर रहे हैं। अच्छा है, और आवश्यकता हो तो लोगों को मजदूरी दी जाय लेकिन बन्धुओं, यह जरूर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि उस क्षेत्र की आबादी से भी ज्यादा मजदूर वहां लग जाय। जैसा कि एक दफा राजगढ़ से सांखू रोड पर राजगढ़ की आबादी से ज्यादा आदमी काम पर लगा दिये। मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आपकी जैसी भी वित्तीय स्थिति है उसको मद्दे नजर रखते हुए धीरे धीरे काम चालू कीजिये। एकदम काम चालू कर देंगे तो आगे आने वाला जो समय है वह बहुत विकट है और एकदम रुपयों की आवश्यकता होगी तो आपके पास बजट नहीं रहेगा। उस हालत में आप और ज्यादा काम नहीं खोल सकेंगे। तो फिलहाल मेरा सुझाव है, जहां वास्तव में जिन गांवों में अकाल की स्थिति है और अभाव है वहां प्राथमिकता के आधार पर काम चालू किये जायं। हमारे राजस्थान के पश्चिमी भू-भाग में अकाल और पेयजल कोई दो प्रश्न नहीं हैं–एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पश्चिमी भू- भाग में पेयजल की वैसे ही बहुत कमी है और वर्षा नहीं होने के कारण वहां जल की और भी कमी महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति में पानी लोगों को मिले–पीने के लिये यह समुचित व्यवस्था आपको करनी चाहिये। पहले मंत्री जी उन गांवों में पेय जल की व्यवस्था करें जहां का पानी खारा है और पिछले अकालों के अनुभव के आधार पर जहां टैंकर भेजते रहे हैं उन गांवों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की व्यवस्था करिये।

अभी आपने जो हैण्ड पम्प की योजना हाथ में ली है, मेरा अपना ऐसा अनुभव है मेरे रतनगढ़ क्षेत्र में प्राइवेट स्तर पर पहले तीन हैण्ड पम्प लगाये गये थे बहुत वर्षों पहले लेकिन आज धीरे धीरे वे नहीं रहे क्योंकि वहां पानी 160 फुट से लेकर 200 फुट तक गहरा है। डूंगरगढ़ तहसील में 200 फुट गहरा पानी है तो उन जगहों पर आपके हैण्ड पम्प नियमित रूप से काम कर सकेंगे यह एक प्रश्न वाचक चिन्ह है? यह एक टेक्निकल मामला है और इंजीनियर लोग ज्यादा बता सकते हैं लेकिन मैं व्यावहारिक दृष्टि से और जो कुछ मुझे आज तक अनुभव हुआ है उसमें यह है कि हैण्ड पम्प उस जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं जहां कि पानी गहरा नहीं हो। 40–50 फुट तक तो ठीक है लेकिन जैसा माननीय सदस्य फर्मा रहे

(238)

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

हैं दो-दो सौ फुट गहरा पानी है वहां हैण्ड पम्प काम कर सकेगा, इसके लिये आप विचार कर लें।

दूसरा, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा कि पेय जल की जहां व्यवस्था है-शहरों के अन्दर, उन शहरों में जो बाहर की वस्तियां हैं जहां अमूमन गरीब लोग बसते हैं वे भी कुछ सरकार से आकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखते हैं कि उनको भी पेय जल आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन आजकल समस्या यह है कि मेरे रतनगढ़ क्षेत्र में बाहर की वस्तियों के जो मोहल्ले हैं उनमें हजार, दो हजार फुट नल बिछाने की मांग करते हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि ऐसी जगहों पर पेयजल की लाइन बिछाने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। अगर हमारे पास इसके लिये वित्तीय प्रावधान नहीं हैं तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करूंगा कि शहरों की जो बाहर की वस्तियां हैं उनमें भी पाइप लाइन बिछाने के लिये जो आपकी वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार कुछ न कुछ राशि का प्रावधान अवश्य रखें।

मेरे यहां 3 गांव ऐसे हैं, मन्त्री महोदय चाहे आप चेष्टा कर लो और चाहे चीफ इंजीनियर चेष्टा कर लें। वहां पेयजल की व्यवस्था हो नहीं सकती, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। रतनगढ़ से पूर्व जो सड़क चूरू जाती है, उस पर मेरे क्षेत्र के तीन गांव पड़ते हैं, प्रथम जड़ाऊ द्वितीय गौरीसर और तृतीय सेहला इन तीन गांवों में प्रथम और तृतीय गांव में पेयजल की व्यवस्था है, वहां पम्प लगे हुए हैं, बिजली पहुंची हुई है लेकिन दुर्भाग्य से गौरीसर गांव जो दोनों के बीच में है सिर्फ तीन किलोमीटर का फासला है, पिछली जिला समिति में भी प्रश्न आया, कलेक्टर ने भी लिखा, अभी मैंने निवेदन किया लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब पूरब और पश्चिम में दोनों गांवों में विद्युत पम्प लगे हैं तो उस बीच में गांव को पानी नहीं देने का क्या अभिप्राय और क्या तात्पर्य हो सकता है। दूसरा गांव है टेडियासर, जो जडाऊ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तो पानी पहुंच सकता है, पहुंच रहा है और जड़ाऊ से गौरीसर सिर्फ 3 किलोमीटर है, वहां पानी नहीं दे सकते और जो जालेऊ से टेडियासर को आपने पाइप लाइन दी है, वह ऊपर ही पड़ी है। इसलिए, सभापति महोदय, गायें, भैंसे भेड़-बकरियों को चराने वाले जो लोग हैं, उनको जब प्यास लगती है तो अपनी कुल्हाड़ी से उसका पाइप काटा और पानी पिया। तो वह पानी बह रहा है व्यर्थ में ही और वहां टेडियासर के लोगों ने प्रतिमाह कम से कम 2-3 दरख्वास्तें आपको भी दी हैं और मुझे भी दी हैं लेकिन उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। अभी जो टेंडर नये सिरे से पाइप लाइन बिछाने के लिए और टैंकरों के लिए मांगें हैं दुर्भाग्य से कहीं उसी ठेकेदार को मिल गया तो वैसी ही हालत आपकी दूसरी जगह होगी। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पानी खारा और तेलवाना है, वहां प्राथमिकता के आधार पर दें और शहरी क्षेत्र के बाहर की वस्तियां रतनगढ़ राजलदेसर, पड़िहारा इनकी बाहर की बस्तियों में पेयजल के लिए आप कुछ न कुछ प्रावधान जरूर रखें। तीसरी बात, मैं

(श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया)

निवेदन करना चाहता हूं. वह यह है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ही दे, कुछ हमें जन सहयोग भी जुटाना चाहिए और जनता का सहयोग, जनता का हिस्सा इस काम में किस रूप में लगा सकते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिये। आज गांवों में प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, औषधालय है, चिकित्सालय है। वहां भी पानी की आवश्यकता है, उन जगहों पर जनता के सहयोग से पानी पहुंचाया जाय। पाइप लाइन सम्बन्धित विभाग दे दे और वहां टोंटी लगाने का जो खर्च है,

(9.38 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

वह हमको जन सहयोग से जुटाना होगा। इसमें योगदान करना चाहिए। मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और आपको धन्यवाद देता हूं। आप आये हैं।

श्री अध्यक्ष : अब कितने माननीय सदस्य और इच्छुक हैं, बोलने के ?

श्री शोभराजमल (चित्तौड़गढ़) एक तो मेरा नाम दिया हुआ है, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : अब पांच मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री शोभराजमल : भले ही पांच मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : इधर से ही शुरू कर देते हैं, आपसे।

श्री शोभराज मल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। चित्तौड़ जिला हैड क्वार्टर है, वह काफी फैला हुआ है और वहां वाटर वर्क्स का जो काम था, वह पहले नगरपालिका का था, उसे कई सालों के बाद वाटर वर्क्स को दिया गया वहां छोटी छोटी पाइप लाइन बनी हुई थीं। कहीं एक इंच की, कहीं दो इंच की, कहीं तीन इंच की, कहीं चार इंच की हैं, मकान काफी बने हुए हैं व काफी आदमियों ने बना लिये हैं तो स्वाभाविक है कि ज्यादा नल लगे हैं तो पानी कम आता है, प्रेशर नहीं आता है और दूसरी मंजिल पर तो पानी आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो नीचे वाले मकान हैं, उन पर कई जगह पर पेयजल की टंकिया या ड्रम रखे हुए हैं, उनमें पानी भरकर वे लोग काम चलाते हैं। मैं आपको ये बताने की चेष्टा करूंगा, एक हरिजन वस्ती, छीपा मोहल्ला, प्रतापनगर, कुम्भा नगर, बापू नगर, प्रेम नगर, करनी माता खेड़ा और वार्ड नं. 18 में पानी की बहुत दिक्कत है, वहां पानी टाइम पर नहीं मिलता है। आधा घण्टे पानी आता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसके लिए पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। नम्बर दूसरा, चित्तौड़ से पानी सेंती को दिया जाता है, सेंती को दिया जाना जरूरी है क्योंकि चित्तौड़ के साथ जुड़ा हुआ है। उसके लिए कार्यवाही चल रही है। उसके लिए एस्टीमेट यहां आये हुई थे, शायद मेरे खयाल से वह मंजूर हो गये हो, उसकी पानी की व्यवस्था अलग रखी जाय। वहां टंकी बना दी जाय, पाइप लाइन बिछा दी जाय। वहां जो पानी जाता है चित्तौड़ का, पानी की कमी है और दूसरे पानी सेंती को

(श्री शोभराज मल)

जाता है तो उसके लिए बहुत असर पड़ता है अतः खेती के लिये अलग से व्यवस्था की जाय। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चित्तौड़ में और भी टंकी बनानी हों तो बनायी जाय। चितौड में पानी बहुत है, चित्तौड़ में पानी खूब है, वेड़च नदी में, गम्भीरी नदी में, दोनों नदियों में पानी खूब है, खाली पाइप लाइन चाहिए और टंकी चाहिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इस पानी को आप उपयोग में लें और चित्तौड़ को पानी पहुंचाने का कष्ट करें।

तीसरी बात, मैं यह कहूंगा कि सावा-भदेसर जो बड़े गांव हैं, जहां पानी की सुविधा है, परन्तु वहां सावा में गांवों में पानी की कमी है। वहां बहुत दिक्कत है व काफी परेशानी है, सावा में टैंक की हालत बहुत खराब है, पानी निकलता रहता है, वहां से उसका सुधार किया जाय और कुएं गहरे करने हों तो गहरे करके पानी दिया जाय। चौथी शिकायत मेरी यह है, कुछ कर्मचारियों की शिकायत है, बिल जो देते हैं, पानी के मीटर को देखते नहीं हैं और अपने मनमाने ढंग से जो आया वह बिल बनाकर भेज देते हैं। मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। मीटर कभी नहीं देखा जाता है जितनी मर्जी आती है, वह बिल दे देंगे और उसका पेमेन्ट करना पड़ता है। उसके लिए कार्यवाही की जाय, खासकर निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मदद करें, कोई पन्ना इधर उधर हो गया है।

श्री शोभराज मल : माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, हमारी चित्तौड़ तहसील, जहां कभी अकाल नहीं पड़ा, इस साल चित्तौड में भी अकाल पड़ा और उसमें कुछ गांवों में अकाल घोषित किया गया भी है। खासकर जहां विजयपुर घाटा जहां जंगल भी काफी है और वहां पानी की कोई कमी कभी नहीं रही है, इसी साल में वहां पानी कम पड़ा और पानी की कमी है। 84 गांव की उन चार पंचायतों में ऐसे कुछ गांव हो सकते हैं जहां 2-3 बांध हैं, उनमें नीचे जो कमाण्ड में आते हैं, बाकी जितने गांव हैं, जो अकालग्रस्त घोषित करने के लायक हैं, वे घोषित किये जायं। मैं आपका शुक्रिया मानूंगा। तहसील वदे-सर, चित्तौड़ में तीन गांव नेताबान, केल्जर, सेमालपुरा गम्भीरी नदी के कमाण्ड में आते हैं और यह टेल में हैं काश्तकारों को पानी नहीं मिला है, वहां 3 पानी मिलना चाहिए, एक पानी मिला है। और जिन गांवों को पानी नही मिला है, उनको भी अकाल घोषित किया जाय। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद।

श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डूंगरपुर जिले के अकाल और उस पर होने वाले राहत कार्य सम्बन्धी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अर्ज करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जितनी जल्दी अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करके डूंगरपुर जिले को अकाल की तबाही से बचाने की कोशिश की है उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा।

इसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो अकाल लम्बे समय से पड़ रहे हैं और

2५५.

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

लगातार कुछ वर्षों के बीच में ऐसा समय ग्राता है जब नहीं पडते हैं परन्तु ग्रकाल हमेशा रहे हैं ग्रौर उसके लिए यह प्रयत्न किया जाता रहा है। वहां के लोगों को ग्रकाल से तात्कालिक कोई राहत मिले ऐसा प्रयत्न किया जाता रहा है. परन्तु कोई स्थायी हल निकालने की कोशिश नहीं की गई है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्थायी हल के खयाल से डूंगरपुर जिला, जिसमें कि डूंगरपुर जिले के चारों तरफ पानी के स्रोत भी हैं उनका पानी सारा ही गुजरात में वह कर चला जाता है, मैं जगह जगह पर जहां जहां सम्भव हो वहां बांध बनाया जावे ग्रौर ग्रभी भी उसके लिए प्रयत्न किया जावे तो उसका स्थायी हल निकल कर उसका निर्णय निकल सकता है। उसके लिए मेरा सुझाव है कि डूंगरपुर जिले के पश्चिमी भाग जहां से बिछीवाडा ग्रौर उसके पास कुंडावाडा के कुंवारियादरा ग्रौर उसके नीचे में मेवाडा प्रोजेक्ट ग्रौर उसके बाद वलवनिया का टैंक ग्रौर उसके लास्ट में जो ऊनावाडा पट्टी के ग्रास पास का भाग है जो 9-10 पंचायतों को कवर करता है। इतना बडा टैंक, ग्रगर ग्रमरपुरा का टैंक बन जाता है तो इस जिले की ग्राधी भूमि में जो सिंचाई होती है, ग्रभी तक होती है उतनी करीब हो जाएगी, उन लोगों की हमेशा के लिए राहत मिल सकेगी।

इसी तरीके से डूंगरपुर जिले में जो ग्रकाल क्षेत्र घोषित किये गये हैं उसमें भी थोड़ी कुछ ग्रधिकारियों की ग्रौर कर्मचारियों की लापरवाही से, जो कुछ की बदनीयति से कुछ गलतियां हुई हैं। जैसे कि मेरे क्षेत्र में गलन्धर, जालूपुरा ग्रौर उसके ग्रास पास के गांव, ग्राठ गांव हमेशा सूखे के भाग हैं ग्रौर वह ग्रभी भी इस बार भी वर्षा नहीं हुई तो उसके बावजूद ग्रकाल एरिया घोषित नहीं किया गया है ग्रौर वहां के लोगों को ग्राज भी कोई काम नहीं दिया जा सकेगा। इस बारे में माननीय ग्रकाल राहत मंत्री महोदय कुछ विचार करके उस क्षेत्र को कैसे राहत दिलाई जावे इसके बारे में ध्यान दें।

दूसरा यह है कि इस समय जो ग्रकाल राहत कार्य चल रहे हैं उसमें कुछ साधनों की समस्या है। जैसे कि कुछ साधन नहीं हैं, जैसे वहां पर जीप्स की, ट्रकों की ग्रौर कुछ कर्मचारी भी ग्रलग से नियुक्त किये जावें ताकि ग्रकाल राहत के काम ग्रधिक तेजी से शुरू किये जा सकें। इसी तरह से पेमेंट के मामले में डूंगरपुर तहसील के तहसीलदार का पद काफी समय से रिक्त है ग्रौर इसी तरह से सारे पेमेंट का साधन, पेमेंट ग्रथोरिटी की एजेंसी भी तहसीलदार को ही रखा है जब कि डूंगरपुर जिला ग्राधा इस तहसील के ग्रन्तर्गत ग्राता है ग्रौर सारे महकमों का पेमेंट करना होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी रेवेन्यू ग्रथोरिटी में जो तहसीलदार है उसका पोस्टिंग करवाया जाना ग्रावश्यक है। तहसीलदार ही नहीं, ग्रगर कोई जरूरी हो तो उसके बारे में निर्णय लिया जावे कि रेवेन्यू ग्रथोरिटी ही क्यों उनका पेमेंट करे। कोई भी एजेंसी कायम की जावे यदि सम्भव हो उचित हो ग्रौर वह काम उनसे करवाया जावे।

इसी तरह से डूंगरपुर जिले का जो माही बजाज, माही नदी के किनारे के गांव

(श्री गोविन्द ग्रामलिया)

बसे हुए हैं उन गांवों का पिछले समय में जब से एक तो कडाएा बांध बना, उसके बाद जो लोग डूब में आए हैं तो वे तो तबाह हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भाग किनारे में है, उनके लिए पानी होते हुए भी सिचाई के साधनों का अभाव है। इसलिए लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम लागू करके वहां के लोगों को अकाल में इसका स्थायी हल निकाला जावे, ऐसी व्यवस्था की जा सकती है।

दूसरा यह है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जो आंकड़े पेश किये हैं उस मामले में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि परिगणित क्षेत्र योजना में लास्ट ईयर 81-82 में उन्होंने जो आंकड़े लिखे हैं वह हैं कि एक करोड़ रुपया रखा है जब कि 80-81 में एक करोड़ पचास लाख रखे थे, जब कि पानी की समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है और पूरा साल भी उनका कार्य ऐसा ही दिखता है। उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि जून और जुलाई तक भी पानी की समस्या का निराकरण नहीं होने वाला है। कई ऐसे गांव डूंगरपुर जिले में हैं जैसे गैंजी विकासनगर, करावाड़ा, मांडली आदि जहां पर पांच-पांच, छः-छः हजार की बस्तियां हैं वहां पी. एस. एफ. जैसी स्कीम लागू नहीं हुई है इसलिए पी. एण्ड टी. जैसी स्कीम लागू की जावे। आखिर उन्होंने इस साल भी बजट कम कर दिया है तो यह जल प्रदाय योजना वाले किस तरह से इस समस्या का निराकरण करेंगे ? इसी तरह से हरिजन····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द ग्रामलिया: अध्यक्ष महोदय, हरिजन बस्ती रामसोर, पीठ और बलवानिया मांडल आदि के लिए भी मैं पूर्व में लगातार लिखता रहा हूं लेकिन ऐसी बस्तियां हैं जहां सौ-सौ हरिजन और आदिवासी एक साथ बसे हुए हैं वहां एक कुआं और हैण्ड पम्प जैसी व्यवस्था नहीं है। ऐसे गांवों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर उनके लिए जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए यही मेरी माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय से विनती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कमला भाई।

(व्यवधान)

श्री कमला भाई मीणा (लसाड़िया) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत····

श्री अध्यक्ष : अब मैट्रिक से ज्यादा पढ़े हुओं को अवसर नहीं मिलेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपने मुझे कल आश्वस्त किया था, मुझे लास्ट में नम्बर देंगे, मैं तो तभी से बराबर यहां हूं और मुझे अवसर ही नहीं दिया जा रहा है।

(व्यवधान)

मुझे बिलकुल अनपढ़ मान लो, मैं अंगूठा छाप हूं, तब भी आप मुझ को बोलने देंगे या नहीं, मुझे आश्वस्त तो करें।

श्री अध्यक्ष : मैं विचार करूंगा।

श्री कमलाभाई मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदयजी, उदयपुर जिले के क्षेत्र में अधिकांश आदिवासी और गरीब तबके के लोग रहते हैं। उनके रोटी और रोजी का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, रोटी और रोजी का सवाल है, उस जगह आज तक कोई राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के क्षेत्र में गरीब आदिवासी लोग रहते हैं, उस जगह सिचाई के लिए तालाब और जहां नदी और नाले हैं उस जगह एनीकट बनाये जावें। जहां पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की ढालू जमीन है, उन जमीनों को समतल किया जावे तो वह गरीब आदिवासी अनाज पैदा कर सकते हैं। आवागमन के साधन उन आदिवासी क्षेत्रों में नहीं के बराबर हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र के लिए सड़कों का शीघ्रातिशीघ्र कार्य चालू करवाया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया के अन्दर पानी पीने की बहुत ही गंभीर समस्या है, सो माननीय अध्यक्ष महोदयजी, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता गन्दा पानी पीने से हजारों की तादाद में नारू और बाले से पीड़ित रहते हैं। तो मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र में हर पंचायत के गांवों में हैण्ड पम्प लगवाया जावे ताकि गरीब आदिवासी लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिल सके। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम चौधरी

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने समय निर्धारित किया है। मैं मेरे क्षेत्र की थोड़ी समस्यायों की ओर अकाल राहत मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में पंचायत समितियां दो आती हैं। एक पंचायत समिति जसवन्तपुरा और एक समिति रानीवाड़ा। पंचायत समिति रानीवाडा में अभी तक अकाल राहत के तहत पुरानी सड़कों की मरमम्त का कार्य तो जरूर लिया गया है परन्तु नई सड़कें एक भी इस साल स्वीकृत नहीं हुई हैं। जिला अकाल राहत समिति ने प्रस्ताव पास करके भेजा था, लेकिन वहां एक भी सड़क मंजूर नहीं की गई है। विशेषकर कोडका वाया दातीवा, पुनासा थोबाऊ तक और इन 15–20 ग्रामों में कोई काम नहीं खोले हैं। वहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के ज्यादातर लोग हैं, वहां मैं मेरे क्षेत्र में गया था, उनकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया, वह लोग भूख के शिकार हो रहे हैं भूख के मारे रोटी की तलाश में इधर इधर भटक रहे हैं। उनके पास न कोई धंधा है न कोई काम है, न इन लोगों के पास खाने के लिये धान हैं। कृपा करके अकाल राहत मंत्री जी हमारे क्षेत्र में कोडका दातीवा इन गांवों में कोई न कोई काम खोल दें, चाहें सड़क का काम ले लीजिये या तालाब का पुनासा, थोबाऊ, वाया फागोता यह सड़क ले लीजिये। भले ही ग्रेवल सड़क लें ताकि सड़क भी बन जाए और लोगों को मजदूरी भी मिल जाय। मैंने कई बार अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन किया, हमारे जालौर में एक बार पधार कर स्थिति का जायजा लें, परन्तु

(श्री रतनाराम चौधरी)

यह अवसर भी हमको प्राप्त नहीं हुआ। अभी मैं आधा घण्टे पहले रिक्वेस्ट कर चुका हूं, हमारे वहां पशु मेला सिवाडिया पधारें और अकाल राहत का जायजा भी लें। पशु मेले में पधार कर हमें अनुग्रहीत करें तथा जसवन्तपुरा से भीनमाल सड़क बनायी जावे भीनमाल एक अच्छा कस्बा है, घनी आबदी वाला है जसवन्तपुरा आठ दस हजार की आबादी वाला गांव है, और सड़क 10–15 साल पहले की बहुत पुरानी है, और वहां पर पंचायत समिति हैड क्वाटर है, पुलिस थाना भी है, और पुराने जमाने में वहां तहसील भी थी, परन्तु डामर सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। वहां प्राइवेट बसें चलती हैं, बस कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है। इसलिये कृपा करके, भीनमाल से जसवन्तपुरा सड़क पहले की बनी हुई है उसको रेगूलेराइज में लेकर बनवाने की कृपा करेंगे। जसवन्तपुरा और मालावाड़ा पुरानी सड़क है आधी जगह मैंटल बिछाया हुआ है, आधी जगह पत्थर बिछाने हैं और उस पर डामर करनी है क्योंकि पांच साल में जो मैंटल बिछाया गया था वह मैंटल इधर उधर बिखर गया है। जल्दी से जल्दी इन दोनों सड़कों को पंचायत समिति जसवंतपुरा तक जोड़ दें पुनासा और पुनासा वाया फगुतरा-थोवाऊ यह सड़क अति आवश्यक है

श्री अध्यक्ष : बडगांव से रायपुर।

श्री रतनाराम चौधरी : जी, हां बडगांव से रायपुर यह बहुत जरूरी सड़कें हैं, बहुत धोरां धरती का इलाका है, अध्यक्ष महोदय, आप तो इस इलाके से बिलकुल वाकिफ हैं, और एरिया में सड़क नहीं के बराबर हैं इन धोरों में बैलगाड़ी भी बहुत मुश्किल से जाती है। रानीवाडा में डेयरी है, डेयरी हर महीने तीन लाख के घाटे में चल रही है। मैन कारण एक है सड़क का अभाव। क्योंकि सड़क से सिवाय गांव का दूध डेयरी तक पहुंचने में बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिये कृपा करके इस डेयरी को सफल बनाने के लिये सड़क का काम हाथ में लिया जाय जिससे किसानों की फसल, उपज है, वह मंडी तक आ जायगी और गांव का दूध भी आसानी से डेयरी आ जायगा। तो सरकार सड़कों का विस्तार करवाने की कृपा करें। दूसरा, राज्य सरकार ने आदेश दिया था कि जिले से बाहर जाने वाले पशुओं को प्रत्येक पशु को छः किलो खाने के लिये दिया जायेगा। परन्तु जालौर में एक भी डिपो नहीं खोला है, किसी एक भी पशु को घास वितरण नहीं किया गया है। एक भी डिपो नहीं है। न पंचायत समिति रानीवाड़ा में है न जसवन्तपुरा में है और किसानों के जो अपने पशु हैं, कीमती पशु हैं, आज उन पशुओं से हाथ धो चुके हैं और जो शेष पशु बचे हैं, अगर सरकार ने घास का डिपो का इंतजाम नहीं किया तो शेष पशुओं की मृत्यु हो जायगी। कृपा करके जल्दी से जल्दी घास का डिपो खुलवायें। हमने जिलाधीश से कहा परन्तु उनका कहना है कि यह काम हम पंचायत के द्वारा करवाना चाहते हैं, पांच हजार रुपये पंचायत को देना चाहते हैं, लेकिन सरपंच वहां काम करने के लिये तैयार नहीं होता है, सरपंच जहां पर करवाना चाहता है वहां तो भले ही करवा दे, जहां सरपंच यह काम

(श्री रतनाराम चौधरी)

नहीं करना चाहता है वहां सरकार अपनी ओर से डिपो खोल कर घास का वितरण अपने हाथ में ले। दूसरा, मैं जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान हमारे क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलवा दूं। मैंने एक एप्लीकेशन माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री जी को दे रखी है। परन्तु आज 30–32 साल हमारे देश के आजाद होने के बाद भी करवाड़ा,कोटड़ा हमारे ऐसे गांव है, उन गांवों में पीने के लिये पानी 8–10 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। सोथूरू में आलरेडी टंकी बनी हुई है। ट्यूब वैल खोदे हुए हैं, हर साल लाखों रुपयों का खर्चा हुआ है। सोथूरू गांव इलेक्ट्रिफाई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेकर इस टंकी में पानी दे सकते हैं, थोड़ी पाइप लाइन बिछाकर कोटड़ा को पानी पहुंचा दिया जाये तो बहुत ही सस्ते में गांवों की समस्या सदा के लिये खतम हो जायगी मैंने कई दफा रिक्वेस्ट की, परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब मुझे कुछ उम्मीद नजर आ रही है। हमारे युवा मंत्री प्राथमिकता के तौर पर ग्राम की समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं। दूसरा, जसवन्तपुरा, घनी आबादी वाला है और टंकी बिलकुल छोटी है। छोटी टंकी के कारण पूरे गांव को पानी की सप्लाई नहीं मिलती। जब दूसरी बार ट्यूब वैल चालू करते हैं तो बिजली खतम हो जाती है, बिजली नहीं मिलती है। इसलिये कृपा करके जसवन्तपुरा हैड क्वार्टर पर बड़ी टंकी बना कर गांव की पेयजल की समस्या का समाधान करें। रामसिण करीब 10 हजार की आबादी वाला गांव है और गांवों में अभी भी पानी की बड़ी भारी किल्लत है एक तो विठण गांव के पास बेरा है, बड़ा मीठा पानी है। उस गांव के बेरे पर मोटर लगाकर पानी टंकी में डाल दिया जाय तो पानी की समस्या सॉल्व हो सकती है। परन्तु ना मालूम कागजों में स्कीम बड़ी भारी बनती है, काम नहीं होता। इसलिये ग्राम रामसिण की पेयजल समस्या की ओर ध्यान दिलाया जाकर समस्या का समाधान करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक माननीय सदस्य सो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सोने का टाइम हो गया।

श्री रतनाराम चौधरी : हमारे क्षेत्र में सार्वजनिक कुओं पर इलेक्ट्रिक मोटर सरकार ने लगा दी इसकी बड़ी खुशी है, परन्तु होद की कोई स्कीम नहीं है। जब तक होद नहीं होता तो पानी निकाल कर वह बिलकुल मिट्टी में डाल दिया जाता है। जो पुराने होदे हैं उनमें पानी निकाला जाता है वे भी अनउपयोगी हैं। इसलिए जिन गांवों में आपने सार्वजनिक कुओं पर जो पम्पिग सैट लगायें हैं, इलेक्ट्रिक मोटर लगवायी है, वहां होदे बनाने की व्यवस्था जरूर करवा दें। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : होदे नहीं हो तो अवाडो बना द्यो जावे।

श्री रतनाराम चौधरी : होदे का मतलब है अवाडो। होदे में तो पानी रहेगा जो मनुष्यों के पिलाई के काम आयेगा और अवाडो में जो पानी होगा वह पशुओं के पिलाई के काम आयेगा।

(२५६)

श्री अध्यक्ष : रामकंवार ।

श्री रामकंवार बैरवा : अकाल और पेयजल की समस्या पर अनेक सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे हैं । मैं भी टाइम थोड़ा है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अकाल के जमाने में अभी कांग्रेस के बैरिस्टर, जो सामने बुजुर्ग बैठे हैं, फर्मा रहे थे कि इस वर्ष अकाल नहीं है, केवल अभाव ग्रस्त क्षेत्र है । लेकिन वह कोई साधन संपन्न होगा, शहर में रहने वाले होंगे इसलिये गांवों का अनुभव नहीं है । मैं समझता हूं कि हम लोगों से आपका भी अनुभव कम नहीं है और जो गांवों में लोग रहते हैं उनके पास खेती नहीं होती, घरू काम नहीं होता वह केवल मजदूरी करके अपना पेट पालन करता है । अध्यक्ष महोदय. इस वर्ष दोनों फसलें अकाल की स्थिति में हैं। इस स्थिति में किसान गांव के मजदूरों को नहीं बुलाना चाहता है । वह चाहता है कि अकाल के समय में खुद ही काम कर ले, तो गांव का साधारण मजदूर जो किसानों पर निर्भर करता था वह काम के लिये तरस रहा है और दो टाइम के भोजन की भी वह आशा लगाये बैठा है । मेरा आपसे निवेदन है कि अप्रैल, मई, जून के तीन महीनों में राजस्थान में दो हाथों से जो काम करना चाहते हैं उनको काम दे सकें । राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार अगर काम नहीं दे सके तो जो राजस्थान का मजदूर गरीब तबका है जिन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर वोट दिये थे वे कभी नहीं बख्शेंगे और गांवों में आन्दोलन पर भी उतारू हो सकते हैं और मेंबरों ने यह मांग की है, सिंचाई के तालाबों की मांग की है । मेरा निवेदन है कि छोटे मोटे तालाब जरूर होते हैं चाहे गांव का तालाब हो, चाहे पंचायत के तालाब हों, अगर प्रत्येक तालाब पर काम नहीं चलायेंगे तो गांव के लोगों को कभी काम नहीं मिलेगा और किसी भी तरीके से राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र नहीं बन सकती है ।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि अधिकतर सिंचाई विभाग के और सड़कों के काम हाथ में लिये गये हैं, उन कामों पर पी. डब्ल्यू. डी. हो, चाहे सिंचाई विभाग हो इन अकाल राहत के कामों पर पैसा खाने की गुंजाइश नहीं है वहां 1-2 इधर उधर कर सकते हैं इसलिये इन कामों पर जो भी मजदूर होते हैं उनकी मजदूरी में गड़बड़ की जाती है उनको या तो औजार नहीं देते या मजदूर जाता है उसकी आधी कूर एक ही मजदूर को दे दी जाती है । तो वे कभी काम पर जाना नहीं चाहेंगे । इसलिये यह शिकायत विशेष रूप से मिलेगी कि ऐसा जो मजदूर दो रोज काम पर जाता है उसके बाद जाना नहीं चाहता । इस प्रकार की बातें हैं । तो मेरा निवेदन है कि आप स्वयं वहां मौके पर जावें या जन प्रतिनिधि विधायक वगैरह विधान सभा के कार्य के तुरन्त बाद क्षेत्र में जहां काम चल रहा है वहां पर पहुंचे और वास्तविकता की जानकारी करें और विभाग के मुख्य अधिकारियों तक पहुंचावें । तो इस प्रकार मेरा निवेदन है कि जो भी मजदूर काम करना चाहे उसको अवार्ड देकर काम पर लगावेंगे तो राजस्थान के मजदूर अनुसूचित जाति के लोग समझेंगे कि अकाल के जमाने में तीन महीने सरकार ने रोटी दी थी । नार्म्स के मामले में मैं खुद लेबर कंट्रक्टर रह चुका हूं, नार्म्स के मामले में सूखे का मौसम है इसलिए एक

(श्री रामकंवार बैरवा)

व्यक्ति किसी भी प्रकार से 100 फीट मिट्टी कभी नहीं निकाल सकता बल्कि सरकार के पास तो औजार भी अच्छे नहीं हैं, न गेंती है, न कुदाली है न कोई पाना करते हैं इसलिये मजदूरों से अच्छा काम नहीं होता है आप इस ओर ध्यान दें।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जहां से कांग्रेसी विधायक आये हैं वहां तो काम दुगुनी मात्रा में एक तहसील में खोल देंगे और दूसरे क्षेत्रों में इस प्रकार सौतेला व्यवहार हो रहा है इससे मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि आप 21 मंत्री है और 1–1 करोड़ का काम तो अपने क्षेत्र में ही खोल लेंगे और कुल 80 करोड़ का काम खुला है, तो बाकी के मैम्बर क्या करेंगे जैसे टूडू में 175 लाख का काम खुला है। इसी प्रकार फुलेरा छात्रवाड़ा बांध पर काम होगा और जो हर वर्ष प्रोजेक्ट चलाते थे उनको भी अकाल में लगा दिया गया। जो 175 लाख लगायेंगे उसमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 100 मजदूर भी रोजाना काम नहीं कर सकते इस प्रकार अकाल राहत खोलना नहीं के बराबर हैं। आप रचनात्मक काम नहीं कर पायेंगे और लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, गरीब को अकाल राहत से कभी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदया, कृषि मंत्री जी को, जिनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर था लेकिन इस बार फागी तहसील में दोनों बांधों से पानी नहीं दिया गया और उनको पता नहीं चला इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फागी तहसील के बांधों को पानी दिया जावे जहां भयंकर अकाल है और कुओं का भी साधन नहीं है वहां जगह जगह काम खोले जायं।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : यह क्या निवेदन किया माननीय सदस्य ने कि मंत्री महोदया ने पानी बन्द कर दिया। मैंने न तो किसी अधिकारी से बात करी न पता है कि कहां पानी पहुंचा कहां नहीं पहुंचा। मंत्री महोदया को यों ही लपेट रहे हो, जरा सोच समझ कर बोला करो।

(व्यवधान)

श्री रामकंवार बैरवा : मेरा एक निवेदन है साहब मैं मजदूरों से लेकर अफसर तक के पास रहा हूं 20 वर्ष तक पंजाब में में रहा और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप बैठे बैठे क्या कर सकती हैं। अगर मुझे विश्वास होता कि आप नहीं कर रही हैं तो मैं आपके पास पहुंचता लेकिन मुझे विश्वास था कि जो कुछ करा रही हैं वह खुद करा रही हैं।

श्रीमती कमला : यह सरासर गलत कह रहे हैं। मैंने तो सही ढग से समझाने की कोशिश की लेकिन आप इसकी और ज्यादा गलत बयानी करते हैं तो यह और गलत बात है। न तो मैंने इंट्रेस्ट लिया और न रुचि दिखाई।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल और अकाल राहत पर बहस हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं। पेय जल की दृष्टि से हमें प्रगति

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

विवरण मिला है 80-81 का और उसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य में कुल 200 नगरों की जनसंख्या 71 की जनगणना के अनुसार 49 . 12 लाख हैं वर्तमान में विभाग द्वारा समस्त नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है अतः नगरों में शत प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल उपलब्ध है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बातें न करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो यह बात कही जा रही है और दूसरी तरफ इस विभाग से मुझे उत्तर मिला है कि 16-3-81 को टौंक नगर में जिन वार्डों और मोहल्लों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है उनमें तमोलियों की गली, मोमवाड़ा, वार्ड न० 4, कालाबास वार्ड -6, वार्ड-11, चोबदार की गली, वार्ड 13 शास्त्री नगर, नाइयों की गली, नायकों की गली, वार्ड 14 पहाड़िया सिविल लाइन के पीछे, वार्ड 15 गुलजार बाग वार्ड-18 काली पल्टन, मोहम्मद खां की गली और इसके अलावा फूल बाग, ज्ञान बाग, वहां पर आज भी 33 साल की आजादी के बाद हम दम भरते हैं कि दो सौ नगरों में व्यवस्था कराई गई है लेकिन आज आधे शहर में पानी की व्यवस्था नहीं है मैं मांग करता हूं कि इन जगहों पर तुरन्त पानी की व्यवस्था की जाय। दूसरा, सीवरेज की दृष्टि से पेय जल विभाग को देखते हैं तो टौंक एक पिछड़ा इलाका है वहां पर अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग रहते हैं। आज के वक्त हरिजन सिर पर मैला ढोते हैं, वहां इस बात की आवश्यकता है कि सीवरेज स्कीम चालू की जाय जिसके कारण से हरिजनों को मैला नहीं ढोना पड़े।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन जलदाय विभाग ने दिया है कि किस प्रकार सारे अभावग्रस्त गांवों का समाधान करेंगे। शहरी जलप्रदाय योजना में 79-80 में 1349.25 लाख और 1980-81 में 1347.06 लाख का प्रावधान था उसके मुकाबले अब 1399.33 लाख का प्रावधान किया गया है, वहीं ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 79-80 में 411.53 लाख, 80-81 में 305.10 लाख व 1981-82 में 380.70 लाख का व्यय अनुमानित है। इसमें से कितना खर्च करेंगे, कितनी मंहगाई बढ़ रही है, कितना खर्चा बढ़ रहा है। इस प्रकार 1979-80 के मुकाबले हम कितना पीछे जा रहे हैं। इसके बाद पेयजल की दृष्टि से जो समस्या ग्रस्त गांव हैं, उनकी समस्या भी आप हल करना चाहते हैं, यह केवल कल्पना है।थोथी घोषणा है जिस प्रकार शंख बजता है वह घोषणा करता है ढपोल शंख केवल घोषणा करता है मेरा यह सीधा आरोप है कि ढपोलशंखी घोषणा की जा रही है। किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। उपलब्धि नहीं रही है। टौंक जिले में 1006 गांव हैं उनमें से 503 गांव समस्याग्रस्त हैं उनमें से केवल 6 गांव की पेयजल समस्या हल कर पाये हैं, 24 गांव में ऐसी समस्या रही है और 90 गांवों का आपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इनको पेयजल उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार पांच साल में सारे नगर में पेय

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

जल की व्यवस्था कर पायेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार इस डिपार्टमेन्ट का यह हाल है। निवाई नगर के बारे में पिछले सैशन में 6.8.80 को विधान सभा में आश्वासन दिया था कि कस्बे की प्रतिदिन की आवश्यक्ता 20 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 3.80 लाख गैलन की है और डेढ लाख गैलन प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। अब भी 2.30 लाख गैलन की व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह आश्वासन दिया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जायगा। 6 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि छठी पंचवर्षीय योजना में निवाई का नाम नहीं है और इस प्रकार सदन को गुमराह किया गया है या झूठी सूचना दी जाती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से झूठे आश्वासन नहीं दिये जायें। मैं मांग करता हूं कि यदि डिपार्टमेन्ट उपभोक्ताओं को पूरे जल वितरण की व्यवस्था नहीं कर पाये तो जो मिनिमम चार्जेज है उसको घटाया जाय। पानी उपलब्ध नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कम पैसा लिया जाय, यह मेरी मांग है।

अकाल राहत कार्यों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि टोंक जिले में 14057 लोगों को रोजगार मिल रहा है जबकि 1085 गांव समस्याग्रस्त हैं और लगभग दो लाख व्यक्ति इन गांवों में अकाल से पीड़ित हैं। कांग्रेस के एम. पी. कांग्रेस के माननीय सदस्य ने इस प्रकार के स्टेटमेन्ट दिये हैं कि लोग गांव छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ने के लिये मजबूर हो रहे हैं, काफी लोग मर चुके हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के एम. एल. ए., एम.पीज. और उनके पदाधिकारी कह रहे हैं, समय नहीं है नहीं तो मैं उनको पढ़ कर सुनाता। इसी प्रकार राजस्थान का हाल है। अकाल राहत कार्य पर्याप्त रूप से प्रारम्भ नहीं हुए हैं राजनीतिक आधार मान कर चलाये गये हैं, तथा मेरा यह निवेदन है कि अकाल को राजनीति से अलग रखा जाय, जहां पर अकाल है, अकाल की समस्या से ग्रस्त है वहां पर अकाल राहत कार्य शुरू किये जाय। टोंक में सैनवा सड़क है। इस पर आज से दस साल पहले काम हुआ था परन्तु अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस सड़क को मंजूर किया जाय। जिला आयोजन समिति से प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं लेकिन राजनीतिक आधार पर इसका चयन नहीं किया जाता है, स्वीकार नही किया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार किया जाय।....

श्री अध्यक्ष : जनता पार्टी के राज में नहीं हुई ?

जनता पार्टी के राज में बनी या नहीं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह किताब आपकी दी हुई है, हमारी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूखा संभावित कार्यक्रम में 1979–80 में 1182.38 लाख रुपया खर्च किया गया और अब 1981–82 में भयंकर अकाल है और केवल 903.11 लाख का प्रावधान रखा गया है, इस प्रकार व्यवस्था कम कर रहे हैं और उसके बाद बड़ी-बड़ी लम्बी लम्बी घोषणा

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

कर रहे हैं । कहते हैं मार्च में चार लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और अप्रेल में 6 लाख को रोजगार मिलेगा । 7/–रुपया प्रतिदिन के हिसाब से चार लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाय तो एक दिन में 28 लाख रुपये दिया जायगा, एक महीने में साढ़े आठ करोड़ रुपये का भुगतान किया जायगा और यह कार्य यदि चार महीने चलाये गये तो 34 करोड़ रुपये केवल मजदूरी में दिये जायेंगे । इसके अलावा ....

श्री अध्यक्ष : मजदूरी भी कम देते हैं....

श्री महावीर प्रसाद जैन : .... इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह धोखा कर कर रहे हैं । हम राजस्थान के अकाल पीड़ित लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, धोखा कर कर रहे हैं, पर्याप्त काम नहीं दे रहे हैं, लोग मर रहे हैं और यह इस सरकार पर कलंक लगने वाला है । इतना ही मैं निवेदन कर अपनी बात समाप्त करता हूं । अध्यक्ष महोदय आपने जो समय दिया है उसके लिये धन्यवाद ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक-दो मिनट दे दें । मैं मंत्री महोदय को आग्रह करूंगी कि वे थोड़ा विश्राम करें, वे थक गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या बहुत समय हो चुका है, साढ़े दस बज चुके हैं, केवल दो मिनट ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझसे पहले सहदेव जी एम.एल.ए. आते थे मेरे क्षेत्र से, जो कि आपकी पार्टी के थे । उन्होंने एक सड़क बनवायी थी केवल उस पर कच्चा काम हुआ था, मिट्टी डाली गयी थी नायला से टूंढ तक राहोली होकर वहां पर पत्थर पांव में गड़ते हैं । उस पर से गुजर नहीं सकते हैं, उसको पक्का करा दें वह अकाल राहत के काम में आज से 9-10 साल पहले बनी थी । इसी तरह से भानपुरा कलां से साइवाड़ की जो सड़क है वह अधूरी है । वहां पर भी इसी तरह का काम है लेकिन यह कृषि उपज मंडी ने तैयार की थी यह सड़क आगे चलकर पाली तक गयी है । कृषि विपणन का पैसा है मैंने मंत्री महोदय से भी कहा था वे नहीं है नहीं तो मेरा उनके सामने ही कहने का था ...

(व्यवधान)

कौन बाधक हो रहा है । हां, तो मैं कह रही थी कि मुझे मालूम पड़ा है कि अन्य क्षेत्रों में काम शुरू हो गया है । मैंने सरपंचों को बुलाया था कुछ मेरी पार्टी के हैं, कुछ आपकी पार्टी के हैं और कुछ निर्दलीय हैं । उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में अकाल राहत के कार्य नहीं खोले गये हैं, यह चिन्ता का विषय है । मेरे लिये तो आपके लिये मान का विषय होना चाहिये मेरे क्षेत्र से आपके भूतपूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़े थे । मैंने कहीं हां की थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया होगा कि जीतूं या हारूं काम करूंगा, मान लिया कि वे दूसरे प्रदेश में चले गये हैं लेकिन उनके आश्वासन को आप अपना आश्वासन मानकर निशिचित रूप से काम करायें । जो बांध टूट गये हैं जो सड़कें अधूरी हैं उनके काम को पूरा कराने की कृपा करेंगे । दूसरा काम जल निस्सारण योजना के तहत ट्रीटमेंट प्लान्ट की जो योजना थी वह तो पूरी हो गयी है उससे जल निस्सारण हो रहा है, खाद पैदा होती है । उसमें से एक मशीन एक साल से खराब पड़ी है और केवल एक पिन लेने के लिये तीन बार हवाई जहाज से कलकत्ता और बम्बई

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गये हैं वह कितने दिनों में लौटकर आयेगी यह पता नहीं है। कब यह मशीन ठीक होगी ? मेरे यहां गटर ओवर फ्लो हो रहे हैं, वहां पर नयी गटर लाइन बनी है, जो पुरानी थी वह बैठ गयी है। इसलिये उस काम को पूरा करें। आपने लिखा है कि वह पूरा हो गया है तो वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है। कई काम ऐसे हैं जो अधूरे हैं जिनके कारण अभी भी गंदा पानी जल महल में गिर रहा है। एक तरफ तो पानी साफ करके जल महल में डाला जा रहा है दूसरी ओर गंदा पानी डाला जा रहा है ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में तो कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है। इसलिये जो शेष काम है उसको आप निश्चित रूप से जल्दी पूरा करेंगे। मेरा तो कहने का यही मतलब है। इसके साथ जो विलेज टैंक हैं उनके लिये भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है उनके लिये आप प्रावधान करें। पंचायतों के पास पैसा नहीं है। इस तरह के पक्के निर्माण करें जिससे कि आगे आने वाली बरसात में लोगों की हालत खराब नहीं हो। आज हमारे पास पैसा नहीं है अगर आपने पैसा लगा दिया तो निश्चित रूप से आपका पैसा पानी बन जायगा और हमारी भूमि सिंचित नहीं हो सकेगी। आप इन बातों पर भावना से काम करें।

एक और बताऊं कि मेरे क्षेत्र में अन्याय हुआ है। वासना में जो गिरदावरी की गयी है उसकी जांच की गयी है उसमें गिरदावरी की रिपोर्ट गलत दी गयी है। निल रिपोर्ट दी गयी है। मैं कह सकती हूं कि वहां अकाल है, इस बारे में जो गिरदावरी हुई है उसकी शिकायत मैंने जिलाधीश महोदय के यहां पर जो मीटिंग हुई थी उसमें की थी लेकिन वहां पर कोई तफतीश नहीं की गयी है। वहां पर अकाल पड़ा हुआ है परन्तु उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय हरिसिंह जी यहां पर नहीं हैं वे उस मीटिंग में से उठकर चले गये। एक सदस्य कोई मांग करता है, कोई बात कहता है और वह तीन महीने पहले करता है उसके बारे में जांच नहीं करायें तो ऐसी मीटिंग में बैठने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह की मेरे क्षेत्र में अनियमितता हुई हैं गिरदावरी में। वहां पर पास में जो भानपुरा-कलां में पटवारी रहता है उसने हमारे वासना के पटवारी को कह दिया कि भाई तू तो यहां पर गिरदावरी की रिपोर्ट ऐसे ही करदे क्योंकि यहां का सरपंच मेरा जीजा होता है और उसको मुझे मजा चखाना है। इस तरह से कहकर, पटवारी के कहने से सरपंचों को नीचा गिराने के लिये वहां की जनता को परेशान करने के लिये यह जो किया गया है यह सरासर अन्याय है। इसलिये मैं चाहूंगी कि····

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसकी जांच करायें। हम चाहते क्या हैं ? जो दुखी हैं उनकी हम सेवा कर सकें। इसके अलावा आप अकाल राहत कार्य खोल रहे हैं वहां पर आप पीने के पानी का और दवाई का इन्तजाम करें। आने वाले समय में पीने का पानी नहीं मिलेगा तो मजदूर कैसे काम कर पायेंगे, चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे, उसकी दवाइयों के लिये व्यवस्था वहीं पर उपलब्ध होनी चाहिये। इतने दूर के क्षेत्रों

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में वह दवा लेने नहीं जायगा, इसलिये इन का इन्तजाम करें। दो तीन बातें और रह गयी हैं तो शेष बातें, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो पत्र लिखकर भेज दूं फिर काम को कराने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 34 और 27 के विषय में कुछ सुझाव देता हूं....

श्री अमरचन्द : हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : खड़े तो होइये। मैंने पाइन्टेडली आपको देखा है लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आप मुंह चुरा लेते हैं, जैसे मैं आपका नाम नहीं पुकार दूं।

एक माननीय सदस्य : मैं तैयार हूं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाके में प्रायः खरीफ की फसल हो जाती है तो भी 8 महीने तक अकाल रहता है। ऐसी स्थिति में अकाल के स्थायी समाधान करने के लिये राज्य सरकार को दूरगामी और प्रभावी योजना बनानी चाहिये। गांवों में जैसा गांधीजी चाहते थे लघु कुटीर उद्योग, खादी उद्योग आदि का जब तक विस्तार नहीं होगा, गांव के लोगों को स्थायी रूप से रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी। राज्य से संबंधित कार्य में जो अब तक सरकार पैसा खर्च कर रही है वह भी नहीं करना पड़ेगा।

इसके अलावा, श्रीमान्, जो गांवों में और शहरों में अकाल राहत के काम के लिये, पशुओं के लिये, जनता पार्टी के लोगों ने भयंकर रूप से गो सेवा सदन को प्रोत्साहन दिया था वही प्रोत्साहन कांग्रेस सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है। उसमें यह हो रहा है कि दो तिहाई हिस्सा तो राज्य सरकार देती है और एक तिहाई पैसा दानदाताओं से वे लेते हैं लेकिन इन सेवा संघों में उन गरीब पशुपालकों से खुद पैसा लेते है और दानदाताओं से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इस प्रकार से अकाल राहत के नाम पर जो राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल रही है। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच करें लगभग 16 जिलों में जो उन्होंने पशु पोषण केन्द्र, पशु गो शाला केन्द्र खोल रखे हैं उनमें क्या पशुपालकों से पैसा वसूल कर रहे हैं और क्या उसमें दानदाताओं से सहायता नहीं मिल रही है। इसके साथ ही बीकानेर के दीगर लोगों से 200 की संख्या में गायें खरीदीं और उनको पशु पोषण केन्द्रों में अकाल राहत के काम में पाल रहे है। लेकिन दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक औरहरिजन जाति के लोग हैं उनकी गायें पशु पोषण केन्द्रों में नहीं ली जा रही हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अकाल राहत के कामों में रोजडी डिस्ट्रिब्यूटरी राजस्थान कैनाल का पानी आस पास के इलाके के लोगों को दिया जायगा उससे वहां की पानी की समस्या का अन्त होगा और पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग सिंचित होकर आने वाले समय में हरा भरा होगा।

बीकानेर में पानी की भारी अव्यवस्था है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के घर में पानी नहीं आता है। कई बार पानी उपलब्ध नहीं होता है, इसका कारण राजस्थान कैनाल परियोजना के अन्तर्गत जो 20 लाख गैलन पानी बीकानेर को मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है....

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कहते हैं कि मेरे घर में पानी नहीं आता है तो पानी तो बेचारी औरतें भरती हैं इसमें यहां पर जितने भी पुरुष बैठे हुये हैं उनको इसका दुख दर्द नहीं है, एक डेढ घंटा सुबह और शाम को जितनी औरतें परेशान होती हैं पुरुष नही होते हैं तो मुझे तो बोलने नहीं दिया गया है जिन्हें असली तकलीफ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिये जब तक राजस्थान कैनाल से नहीं मिलता है तब तक गर्मी के आगामी महीनों में बीकानेर में पानी देने के लिये कम से कम 20 कुओं का खोदना होगा। बीकानेर में पानी पीने का स्थायी समाधान करने के लिए अगर कुओं में अलग से विद्युत व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाय तो उपयुक्त होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पेय जल की योजना के बारे में मेरा निवेदन है कि पूरे राजस्थान में पेय जल की योजना बनाई जा रही है 1971 की जनसंख्या को आधार मानकर। उसके बाद में 32 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ गई है। इसके अलावा पशुओं की संख्या, जो गांवों में है, को सम्मिलित नहीं किया गया है। वे मनुष्यों से ज्यादा पेयजल पीते हैं इसलिए जब तक इसमें सम्मिलित नहीं किया जायगा पशुओं को यह सब योजनायें अधूरी रह जायेंगी। अगर मवेशियों को पानी नहीं मिलेगा तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं जलदाय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा, वह सदन में नहीं है, कि पशुओं की संख्या को भी इसमें शामिल किया जाय और अधिक से अधिक पानी की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र गंगरार में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं और खेती के साधन भी सीमित है। इस भयंकर अकाल की परिस्थितियों के अन्दर उन लोगों के सामने रोटी और रोजी का प्रश्न सामने है। सरकार की ओर से हमारे यहां अकाल राहत के कार्य चालू किये गये हैं और अकाल

(श्री अमरचन्द)

राहत के कार्य हमारे यहां चल रहे हैं लेकिन उसकी गति जो है, धीमी है, उसको थोड़ा तेज किया जाय तो गांवों के अन्दर बसने वाले लोगों के लिए अपनी रोजी रोटी का प्रबन्ध हो सकेगा।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को, जल प्रदाय योजना की कई बार डिमाण्ड हमने लिखकर दी लेकिन अब तक निराशाजनक मुझे रहना पड़ा है। वैसे तो चित्तौड़ एरिया को पूरे को ही अकालग्रस्त घोषित कर रखा है लेकिन जनतापार्टी के विचारों से सम्बन्धित कुछ अधिकारी लोग हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : वर्खास्त करो उनको।

श्री अमरचन्द : उन्होंने इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया कि कई गांवों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया, इस कारण से वहां के लोगों को भूख का सामना करना पड़ रहा है। मैं मेरे क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की समस्या बड़ी विकट है और वहां पर अभी से लोग गंदला पानी पी रहे हैं। मवेशियों के लिए दो-दो, तीन-तीन मीलों तक पानी का कोई ठिकाना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा गंगरार का एरिया सबसे पिछड़ा एरिया है, वहां पर आधे लोग किसान रहते हैं और हमेशा संकट की स्थिति रहती है, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि साड़ास एरिया में जलदाय की योजना का सर्वे हो गया और सैंक्शन के लिए भी कागज सरकार को पहुंचा दिये गये, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं है। मेरे क्षेत्र के लोग जल से दुखी होकर आज जयपुर पहुंच गये। सुबह उन्होने मुझसे कहा कि हमारे यहां पर पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए वहां पर इमीजियेट पानी की व्यवस्था कराई जाय। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कलेक्टर के यहां से आदेश आ चुके हैं, लेकिन उसमें ढिलाई बरती जा रही है, इसलिए आप इमीजिएट पानी की व्यवस्था कराने की कार्यवाही करावें ऐसी मैं विनती करता हूं।

साथ ही साथ आपसे यह भी निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर मेजा डेम बना हुआ है लेकिन नदी के पानी के नीचे वाले किसानों के कुओं का पानी सूख गया है, इसके लिए एनीकट्स बनाये जावें तो वहां के किसानों को कुएं में पानी मिल सकेगा।

दूसरा निवेदन है कि नगरी में एनीकट्स बनाये जायं। उसके बिना कुओं में पानी की सप्लाई नहीं होगी, अगर एनीकट्स बन जायेंगे तो कुओं में पानी की सप्लाई भी हो जायगी और खेती को भी इससे लाभ मिल सकेगा। बस्सी से जाने वाले लोगों को तीस मील का चक्कर लगाना पड़ता है, नगरी में एनीकट्स बन जाने से दस मील का चक्कर बच जायगा। उसके बाद में मेरा निवेदन है कि छोटे-छोटे एनीकट्स और बना दिये जावें जिससे पानी की समस्या हल हो सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस काम को हाथ में लेवें ताकि समस्या का हल निकल सके, इसकी

(श्री अमरचन्द)

आप इमीजिएट व्यवस्था करायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं और सारे विभाग में सुन्दर ढंग से कार्य चले इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है; इसके लिए हमको सन्तोष है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, क्योंकि पहली बार बोल रहा हूं, समय कम था और नहीं बोलने वालों को मौका दिया, इसलिए समय का ध्यान रखूंगा, जो आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष नवम्बर माह में परीक्षण के बतौर राहत कार्य शुरू किये गये और अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कोशिश की गई। इससे अकाल से पीड़ित जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और मुझे आशा है सरकार उनको राहत देने में कोई कसर नहीं रखेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी हम राहत कार्य पर्याप्त संख्या में नहीं खोल पाये हैं जिसके कारण अकाल से ग्रसित लोगों को राहत पहुंचाने और उनको रोजगार देने में असमर्थ हैं। इसके लिए मैं राज्य सरकार को दोषी नहीं मानता लेकिन जो अकाल राहत कार्य के रूप में अग्रिम योजनाओं का चयन किया जा रहा है, कई योजनायें ऐसी हैं जिनमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उनके अन्तर्गत नहीं आते हैं। बहुत लम्बा क्षेत्र 20-30 मील का है, इसकी परिधि में ऐसे बहुत से गांव रह जाते हैं जहां पर कोई काम नहीं खोला गया है, जिससे वहां के लोग रोजगार प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि पांच मील की परिधि में राहत कार्य खोलें ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिल सके। दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि अकाल से ग्रसित सभी लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, यह जानकर कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क आगरा रोड से सुजानपुरा जो बन रही थी वहां पर काम कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया और कहा कि पांच आदमियों में से केवल एक ही आदमी काम करेगा, इससे जो लोग वहां पर कार्यरत थे उनको रोजगार से वंचित होना पड़ा है।

(समय 10.50 रात्रि)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां पर ज्यादातर लोग शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, जो 50 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति के पास जमीनें नहीं हैं वे बेरोजगार हैं; इस समय उनको रोजगार की आवश्यकता है इसलिए 5 किलोमीटर की परिधि में रोजगार दिलाने की व्यवस्था करें। दूसरे जितने श्रमिक काम पर आना चाहते हैं उनको आप रोजगार उपलब्ध करायें। इसके साथ साथ अकाल ग्रस्त क्षेत्र में जहां खारा पानी है, जहरीला पानी है जहां पर अब तक टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी वह अकाल राहत विभाग की ओर से नहीं की गई। मैंने इस संदर्भ में जिलाधीश से भी निवेदन किया, लेकिन दुख इस बात का है कि दो साल से इस इलाके में खारा और

(256)

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

जहरीला पानी है उन गांवों में 6 किलो मीटर तक मीठा पानी उपलब्ध नहीं है। वहां आज तक न टैंकर की व्यवस्था की गई, न अन्य कोई व्यवस्था की गई ताकि पीने का पानी मिल सके। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 5-6 गांव जो हमारे पंचायत समिति क्षेत्र में आते हैं वहां पेयजल उपलब्ध कराने के लिए टैंकर की व्यवस्था करें जब तक दूसरी व्यवस्था न हो।

इसके साथ जलदाय विभाग के संबंध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सर्वेक्षण करने के जो तौर तरीके हैं उनको आप दुबारा देखें। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे क्षेत्र में जो समस्या ग्रस्त गांव हैं उनको आज भी समस्याग्रस्त गांव नहीं मानते। भटेरी पंचायत में दो साल से खारा और जहरीला पानी है, उन गांवों के बारे में जलदाय विभाग से निरंतर निवेदन किया जाता रहा, उसके बावजूद भी दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो साल से अब जाकर यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, तब जाकर गांवों में जाकर मौका देखा। पानी का नमूना लेकर आया हूं। आश्चर्य होता है कि आपने किस बात का सर्वे किया। जहां खारा और जहरीला पानी है उसको समस्या ग्रस्त नहीं मानते हैं, वहां पेयजल उपलब्ध नहीं कराना चाहते। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जहां पानी की समस्या नहीं है, वहां हैंड पम्प लगा रहे हैं। यह देखने की बात है। गलती जो काम करता है उसी से होती है। अगर विभाग ने सर्वे करने में गलती की है तो दुबारा देखें और ऐसे गांवों को समस्याग्रस्त गांवों में शामिल करके वहां पेयजल की जो समस्या है उसका निदान करायें।

दूसरा, मेरा निवेदन है जहां आप गांवों में हैंड पम्प जबर्दस्ती लगाने जा रहे हैं, लगायें, लेकिन जहां प्राथमिक शालायें, मिडिल स्कूल और सैकण्डरी स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां स्कूल्स में चपरासी न होने के कारण कुओं से खींचकर पानी लाना पड़ता है उसमें खतरा बना रहता है, कभी बच्चा कुएं में गिर सकता है। मेहरबानी करके हैड पम्प यदि आपको लगाना है तो शाला के प्रांगण में लगायें ताकि वह बच्चों के काम में आएगा सार्वजनिक स्थान पर होगा। उस सार्वजनिक स्थान पर पेयजल की समस्या है, वहां से पानी भर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि शाला प्रांगण में जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर भी हैंड पम्प लगाने की व्यवस्था करें। जय हिन्द।

श्री सभापति : संबंधित मंत्री महोदय उत्तर दें।

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं, मुझे भाषण नहीं देना है। केवल दो सैकण्ड। मेरा सुझाव है कि जितनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें हैं। उनको डाइरेक्ट बिजली दी जाय। हम समस्या ग्रस्त हैं, किसानों को जितनी बिजली दी जाती है उतनी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना के हैड क्वाटर्स को दिये जाने से क्या होता है कि जो 5 लाख यूनिट बिजली की क्षमता है अगर कन्टीन्यूअसली दो लाख यूनिट पानी आएगा तो कैसे जाएगा। तो मेरा सुझाव है कि जितनी राजस्थान में क्षेत्रीय जल प्रदाय

(श्री लच्छूराम)

योजनायें हैं, वहां उनमें सीधी विभाग की लाइन होनी चाहिए।

दूसरा, झुंझुनू जिले में 63 पंचायतों का 13.74 लाख पिछले साल का बकाया है। इसलिए मंत्री महोदय उत्तर देंगे कि उसका क्या होगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर (अकाल राहत मंत्री) : सभापति महोदय, सबसे पहले, मैं अपने आप को सदन में व्यक्त की गई चिंता, वह भी अकाल के प्रश्न पर, मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए आप सभी माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं उनके प्रति आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा और विश्वास देना चाहूंगा कि जो सुझाव यहां दिये गये हैं, जो संकेत यहां दिये गये हैं, उन सबको समझने की कोशिश करूंगा और प्रयत्न करूंगा कि जो कुछ हो सके वह करूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले अकाल के लिए आवश्यकता होती है जिन्स गिरदावरी की। हमारे कर्मचारी जो जिन्स गिरदावरी करते हैं ये जन गणना के कार्य में व्यस्त थे और सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न था कि जो जनगणना में व्यस्त पटवरी या दूसरे लोग हैं वे समय पर जिन्स गिरदावरी की रिपोर्ट संबंधित जिलाधीश को दे पायेंगे या नहीं और संबधित जिलाधीश राज्य सरकार को दे पायेंगे या नहीं। किन्तु मुझे प्रसन्नता है कहते हुए कि उन सभी कर्मचारियों ने अत्यधिक व्यस्त होते हुए भी समय पर बल्कि समय से पहले यदि मैं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, अपनी जिन्स गिरदावरी की रिपोर्ट भेजी है। इसके बाद राज्य सरकार से इस संबंध में जो ज्ञापन देना था और विस्तृत विवरण देना था वह भी समय पर भेजा गया उसी का परिणाम था कि एक अध्ययन दल आया और अध्ययन दल ने जाकर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दी।

सभापति महोदय, इस अध्ययन दल के टूर के बाद भारत सरकार ने जो सहायता हमको दी उसके लिए हम आभारी हैं। मैं इसके लिए भी आभारी हूं कि देश की प्रधान मंत्री ने राजस्थान की अकाल की विभीषिका को समझा, हमारे माननीय मुख्य मंत्री के प्रयत्नों से आग्रह से वह राजस्थान पधारीं और राजस्थान में आकर जो अकाल की स्थिति थी, जायजा लिया। केन्द्रीय सरकार ने जो सहायता दी, वह अग्रिम योजना के सहायता के रूप में 5 प्रतिशत की राशि के रूप में हमें आवंटित की। यह भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं कि सदस्यों ने जो मूल प्रश्न उठाये हैं उनको स्पष्ट करने की दृष्टि से इसकी आवश्यकता है। यूं जो राशि योजना कार्य के अलावा भी खर्च की जा सकती है वह करीब 7.74 करोड़ के आसपास में हमको मिलती रही है। मैं केवल सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस सदन में कभी कभी इन्टर स्टेट मसलों पर राजस्थान के हितों की रक्षा....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमें छेड़ो मत, इन्टर स्टेट के मामलों में राजस्थान को डुबो दिया।

(व्यवधान)

(258)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मुझे बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने डुबो दिया, बंटाधार कर दिया, इन्टर-स्टेट पर चर्चा नहीं होगी। नहीं तो हम भी बोलेंगे।

श्री सभापति : इन्टर-स्टेट पर कोई चर्चा नहीं है। आर्डर प्लीज।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : आप सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकाल राहत पर बोलें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, सुनिये।

एक माननीय सदस्य : मैं एक बात निवेदन करने जा रहा हूं, जब विपक्ष के सदस्य बोलते हैं तो हम लोग चुप रहते हैं, जब हमारी ओर से उत्तर दिया जाता है तो इन लोगों को पीड़ा क्यों होती है?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, यह प्रश्न हमने इसलिये उठाया, यहां पर सन् 74-75 से राजस्थान को, योजना के लिये नहीं उसके अलावा, पैसा मिलता था वह 10 करोड़ 19 लाख रुपया था वह जनता पार्टी के राज में जो विरोधी दल के नेता महोदय आज यहां बैठे हैं जब वह मुख्य मंत्री थे उस समय मैं कहना चाहता हूं····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनकी बात मत करो। उनके काम की तो × × ×

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो दस करोड़ 19 लाख रुपये की राशि हमें केन्द्र से सहायता मिलती थी वह सन् 74-75 से मिल रही थी मैं कहना चाहता हूं सदन के माननीय सदस्यों से कि वह तीन मई, 1979 को····

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आर्डर आर्डर। आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : 3 मई, 1979 को घट कर वह सहायता दस करोड़ 19 लाख रुपये से सात करोड़ 74 लाख रुपये रह गयी। मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल के नेता से····

(व्यवधान)

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर भी अकाल में लोग भूखे नहीं मरे और आपने अकाल में लोगों को भूखों मार दिया। आपने डूबो दिया।

(व्यवधान)

श्री सभापति । आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, यह हमको सहायता जो तीन मई, 79 से पहले मिल रही थी वह कम हुई । यह जो अकाल के प्रश्न को लेकर यह कहते हैं····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अकाल के समय हमने जो काम किये उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था····

एक माननीय सदस्य : हम जो करेंगे वह सामने आयेंगे ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री सूरजपाल सिंह : आपने अकाल के समय कोई भी काम शुरू नहीं किये, हमने यहां पर जोर देकर टैस्ट वर्क करवाये थे जनता पार्टी के राज में ।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : तो, सभापति महोदय, वह राशि कट गयी और जनता पार्टी के राज में हमें तीन करोड़ रुपये का राजस्थान सरकार को नुकसान हुआ । उस समय सत्तारूढ दल की नींद भी नहीं खुली । उन्होंने एक शब्द भी नहीं निकाला कि वह राशि कम क्यों की गयी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने 25 करोड़ रुपये अल्प बचत के डूबो दिये जो हमने दिये थे ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर ।

श्री रतनाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह मन्त्री महोदय को बोलने नहीं देना चाहते और हल्ला गुल्ला करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर । कृपया शान्त रहें ।

एक माननीय सदस्य : आपने केन्द्र को अकाल की रिपोर्ट समय पर नहीं भेजी । आपके काले कारनामे सामने आयेंगे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कहना चाहूंगा कि जब मंत्री जी का जवाब आ जावे तब अगर कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण के रूप में कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें, अभी शान्त रहें ।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर ।

260

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, यह अकाल का पैसा था जो अकाल राहत कार्यों में हमें मिलना चाहिये था और इसके अलावा जो ग्रान्ट हमें मिलनी चाहिये थी उसके लिये 3-5-79 को फैसला हुआ····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर वही बात।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : हां, हां वह अकाल का पैसा था और अकाल के संबंध में जब बहस का उत्तर दे रहा हूं तो अकाल के पैसे के बारे में मुझे जानकारी माननीय सदस्यों को देनी पड़ेगी। वह, सभापति महोदय, दस करोड़ 19 लाख से घट कर सात करोड़ रह गया यह कैसे हुआ, और इसका कोई कहीं पर विरोध किया गया या नहीं उसके परिणाम क्या हुए यह तो मुझे सदन को बताना होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अनाज कितना आया। आपने कितना अनाज दिया वहां पर ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : तो मैं निवेदन करना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जहां बाढ़ आती है वहां पर तो ग्रान्ट का सवाल रखा गया और जहां अकाल राहत कार्य चलते हैं, वहां ग्रान्ट नहीं दी जाय। सन् 79 में यह बात तय की गयी। मैं पूछना चाहता हूं विरोधी दल के नेता महोदय से और मैं आरोप सदन में लगा रहा हूं कि सत्तारूढ दल में जब वह थे तो यह फैसला कैसे हुआ यह किन परिस्थितियों में हुआ, मैं यह कहना चाहता हूं यदि यह फैसला नहीं होता तो जो आज राजस्थान में अकाल राहत के कार्य चल रहे हैं उससे अधिक कार्य चलते। यह व्यवस्था उन्हीं के समय में हुई थी। मैं, सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं यहां पर यह भी कहा गया है कि अकाल राहत कार्य खोलने में, जहां कार्य खोले गये हैं वहां पर मजदूरों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। तो मैं आंकड़ों से सिद्ध करने को तैयार हूं कि अकाल राहत के काम जो शुरू किये गये और उस समय मार्च तक जो काम शुरू किये गये थे वे हमारे वक्त में निश्चित रूप से अधिक सन्तोष जनक हैं अगर पुराने आंकड़ों को देखें तो यह सिद्ध होता है कि काम के बदले अनाज योजना की जो बात की जाती है वह काम के बदले अनाज योजना का सम्बन्ध अकाल राहत कार्यों से नहीं था और काम के बदले अनाज योजना में लगे श्रमिकों को जोड़कर आप अकाल राहत के अन्दर लगे लोगों को आंकते हो तो हमारे कांग्रेस पार्टी की ग्रामीण रोजगार योजना आ रही है उसके परिणाम जब सामने आयेंगे, उसके बाद में आप अपने मन को कंट्रोल कर लीजियेगा कि जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया और कांग्रेस पार्टी के शासन में क्या हुआ। मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि अकाल राहत कार्य खोलने में राजनैतिक पक्षपात हुआ है लेकिन, सभापति महोदय, इसमें कोई राजनीति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है उन क्षेत्रों को हम हथियाना चाहते हैं।

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

उसके लिये जनता की हम ज्यादा से सेवा करना चाहते हैं । हम तो राजनीति में डूबना ही नहीं चाहते हैं मैं तो निश्चित रूप से आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैं एक ऐसे दल का सदस्य हूं जो इस सिद्धान्त को निश्चित रूप से मानता है और उस पर आधारित है । जहां जहां भी कांग्रेस हारी है वहां पर सेवा करके वहां के जनमानस को हम जीतना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : सपने देखो ।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने कोई काम नहीं खोले आपने सीकर झुंझुनूं में कोई अकाल राहत के काम नहीं खोले ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर आर्डर आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज····आर्डर प्लीज ।

श्री सूरजपाल सिंह : आप बैठिये । आप सुन लीजिए उसके बाद में बोल लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : ····आने वाला इतिहास आपको बतायेगा····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : ····यह तो समय बतायेगा ····

(व्यवधान)

सभापति महोदय, अकाल राहत कार्य खोलने में राजनैतिक आधार अपनाया गया और इसका आरोप लगाया मैं उसको अस्वीकार करते हुए····

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने एक भी नहीं खोला सीकर क्षेत्र में····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज····आर्डर प्लीज अगर माननीय सदस्य अब सदन की व्यवस्था में बाधा डालेंगे मैं उनको नाम से पुकारूंगा····

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दोनों को ।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, मैं जैसा निवेदन आपसे कर रहा था कि अकाल के काम में राजनैतिक आधार काम में लाया गया, मैं इसको अस्वीकार करके चलता हूं । मैं मानकर चलता हूं कि अकाल

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

का काम किसी एक राजनैतिक दल का काम नहीं है। वह उन लोगों के लिये है जिन लोगों के लिए काम की आवश्यकता है जिन लोगों को काम की आवश्यकता है उनके मन में जो पीड़ा है उसको समझने की शक्ति निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल के अन्दर आपसे अधिक है। इस बात की मैं चुनौती देकर चलना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह इसलिए कहने का प्रश्न है कि कांग्रेस का एक इतिहास है और सत्तारूढ़ दल में निश्चित रूप से कांग्रेस दल ही है। उसका एक आधार निश्चित रूप से किसान है, पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, शिडयूल्ड कास्ट्स है वह है जिनको काम की आवश्यकता है। इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी राजनैतिक दल जो ईमानदारी से राजनीति में काम करना चाहता है, जो ईमानदारी से भाषण के आधार पर नहीं बल्कि काम के बल पर जनमानस को जीतना चाहता है वह इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता कि अकाल के काम में राजनैतिक आधार को अपनाये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमने राजनैतिक आधार को नहीं अपनाया।

सभापति महोदय, एक बात यहां और कही गयी कि मजदूरों की संख्या बहुत कम है और उनको पूरा चुकारा नहीं हो पाता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बात नहीं करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर :.... मजदूरों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं हो सकती और मैं सदन में इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो इस सदन में घोषणा की है कि एक परिवार पर एक व्यक्ति लेने का आधार है उसको हम समाप्त कर रहे हैं उस घोषणा के साथ हम बंधे हुए हैं हम देखेंगे कि यह कार्यवाही होती है या नहीं। जो अधिकारी इस सम्बन्ध में दोषी पाया जायेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के अन्दर कोई हिचक नहीं होगी। इतना मैं सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ एक बात और यहां कही गयी कि चुकारा हो रहा है वह पूरा नहीं हो पाता है। इस संबंध में, सभापति महोदय, मैं अपनी विवशता स्पष्ट करना चाहता हूं कि काम का कोई आधार हम यदि नहीं रखें तो, क्षमा करें, आखिर में हम पैसा जो देते हैं उस पैसे का कुछ प्रकार तो हमें चाहिए, उसकी एवज में काम तो चाहिए। इसलिए काम के आधार के साथ भुगतान को नहीं छोड़ेंगे। केवल उपस्थित मानकर हम भुगतान करने की स्थिति को स्वीकार करें इस स्थिति के अन्दर सरकार नहीं है। इस बात को मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। यह बात सही है कि 7 रुपये की हमने घोषणा की और यह भी बात सही है कि जो मिट्टी तोड़ने के काम या कुछ कठिन काम हैं उसके अन्दर वास्तव में मजदूरों को कठिनाइयां हैं उससे भुगतान में दिक्कत आने वाली है। परन्तु इस संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है, मैं इतना ही आपसे कह सकता हूं कि क्योंकि हमने 16 मार्च

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

को इसकी घोषणा की है, जो कठिन काम है, मिट्टी तोड़ने आदि के उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से हम कुछ रियायतें देना चाहते हैं। वह रियायतें एक दो दिन में बता दी जायेंगी। यह मैं आपसे और निवेदन करना चाहता हूं।

अभी एक बात यहां और कही गयी कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा किया जाय। बात सही है, सभापति महोदय, हम भी चाहते हैं कि अधूरे काम पूरे किये जायं। 10 हजार के करीब पंचायतों में अधूरे काम हैं उनको हमें पूरा करना है और जैसा मैंने आपको बताया, मैं सदन को इतना विश्वास दिलाकर चलता हूं कि इस अगले वित्तीय वर्ष में यह सभी काम निश्चित रूप से पूरे होंगे, क्योंकि ग्रामीण रोजगार योजना जो हमारे पास आई है उसके अन्तर्गत भी हमने करीब 31 मार्च तक 9 करोड़ रुपये के आस-पास चाहे वह चावल के रूप में हो, चाहे गेहूं उपलब्ध हैं उसके रूप में हो, चाहे नकद राशि मिली हो उसके रूप में हो उन 10 हजार कामों को पूरा करने के लिए करीब 10-11 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इन अधूरे कामों को हम पूरा करेंगे।

एक बात यह है जो यहां पर बड़े जोर-शोर से कही गयी। मैं उसको स्वयं समझता हूं कि काम किस तरीके से खोले जायं जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके। सभापति महोदय, मेरी इसमें विवशता केवल एक ही है कि 18 करोड़ रुपये मिले हैं, वह अग्रिम सहायता राशि के रूप में मिले हैं जो कि एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के रूप में हमें मिले हैं। इस राशि का उपयोग हम केवल इन्हीं कामों पर कर सकते हैं जो कि काम योजना में आने वाले हैं, और अन्य में नहीं कर सकते। यह बहुत मोटा अहम् मसला है जिसके ऊपर आप भी चिन्तित हैं और मैं भी हूं, तो चिन्ता के अन्दर जैसा मैंने कहा कि मैं शामिल हूं और यही कारण था, सभापति महोदय, कि मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से आग्रह किया, विनय किया और निवेदन किया कि राज्य सरकार को अपनी ओर से कुछ राशि चाहे बजट के अन्य भागों में कटौती करनी पड़े कटौती कराके भी इस रिलीफ, सहायता कोष के लिए हमें कुछ राशि दी जाय और यही कारण था कि राजस्थान सरकार ने अपने बजट से करीब 8-9 करोड़ रुपये की राशि, करीब 10 करोड़ के आस-पास कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सभापति महोदय, अपने बजट से इन कामों के लिए दी। हम इस राशि का उपयोग उन स्थानों पर करना चाहते है जहां पर एडवान्स प्लान असिस्टेन्स के रूप में काम कर सकते हैं। उस क्षेत्र में हम इन कामों के द्वारा काम खोलना चाहते हैं। सभापति महोदय, एक प्रश्न और यहां पर आया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम यहां कराये जाने चाहिये। मैं केवल सदन की सूचना के लिये कहना चाहते है रिलीफ वर्क्स के अन्दर 20 हजार और ग्रामीण योजनायें, बेरोजगारी के लिये जो नई योजना बनी है उसके अन्दर 20 हजार के काम ग्राम पंचायतों के द्वारा कराने का सरकार ने फैसला किया है। इसमें 10 हजार से अधिक की राशि के, 20 हजार तक की राशि के हों, उन सब अधूरे कामों को हम पूरा करना चाहते हैं। यह

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं यह सब बातें मैंने भूमिका के रूप में कही हैं। एक बात और कही गई औजारों के बारे में। मैं मानकर चलता हूं कि औज़ारों की कमी कुछ जगह हो सकती। मैं आपके द्वारा सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं जैसे ही श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, औजारों की अधिक आवश्यकता हमारे सामने आयेगी, यदि विभाग के पास औजार नहीं हैं औजारों की वजह से काम पूरा नहीं हो पाता है तो भुगतान पूरा नहीं हो पाता है। यह एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और जैसा मैंने आपसे कहा हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है। हम उन लोगों को जो लोग मेहनत करते हैं, 8 घण्टे मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं उनको प्राथमिकता से भुगतान किया जाय। उसमें यदि औजार बाधक हैं तो निश्चित रूप से उसके लिये इन्तजाम किया जायगा, व्यवस्था की जायगी। एक बात और कही यहां पर कि जो बीस लोगों को नत्थी करके भुगतान किया जाता है उसको मिटाया जाय। सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं, जो कुछ भी व्यवस्था होती है एक-एक आदमी के काम को अलग-अलग नाप करके भुगतान करना मुश्किल है। आज 20 आदमियों का सामूहिक काम नापते हैं उसमें टाइम पर हम भुगतान नहीं कर पाते हैं। अगर एक-एक आदमी के काम को नाप कर भुगतान की बात करते हैं तो यह रिलीफ का काम चलेगा नहीं। इसलिए माननीय सदस्यों ने जो यहां पर विचार प्रकट किये उन विचारों का मैं स्वागत करता हूं। मैं औचित्य को स्वीकार करते हुए जो प्रशासनिक कठिनाइयां हैं उन प्रशासनिक कठिनाइयों को स्वीकार करने में मुझे दिक्कत नहीं है।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि काम पक्के कराये जायं और ठीक तरीके से कराये जायं। प्रश्न दो सामने हैं सभापति महोदय। क्या जो भूख से पीड़ित हैं उनको रोजगार देना चाहते हैं या पक्के काम कराना चाहते हैं? यह प्रश्न बहुत साफ है। जब हम पक्के काम कराने की बात करते हैं तो मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी। अप्रेल में हम लोग 6,7लाख मजदूर लगाने चाहते हैं। इसी प्रश्न को और तरीके से उछाला जायगा, सरकार मजदूर नहीं बढ़ा रही है और जैसा मैंने आपसे कहा कि यह सरकार इस संबंध में सिद्धांततः 7 पर्सेंट लेबर कम्पोनेंट होगा, 40 पर्सेन्ट मेटीरियल कम्पोनेंट होगा उसका आधार है जो काम लिये जा सकते हैं, वही काम लिये जा सकते हैं और दूसरे काम लेने में हमारी कठिनाई है, सरकार की कठिनाई है। इसलिये जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसा काम करने का है जो निश्चित रूप से स्थाई हो, सुदृढ़ हो और आगे आनी वाली अकाल की विभीषिका को कम करने में मदद कर सके। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी विवशता है, सरकार की विवशता है कि अधिक लोगों को रोजगार देना है और जब अधिक लोगों को रोजगार देना है तो कुछ काम तो ऐसे लेने होंगे जिससे अधिक लोगों को मजदूरी मिल सके।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग के काम हमने लिये। यह मुझे स्वीकार करने में

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

कोई आपत्ति नहीं है। सिचाई विभाग के कामों को लेने में दिक्कत हुई उसके कारण बहुत साफ थे। सिंचाई विभाग का कहना यह था कि 50 एकड़ से नीचे सिंचाई होती है तो वे काम हम नहीं कर सकते, पंचायत समिति के द्वारा कराये जायं। पंचायत समितियों के पास तकनीकी लोग उपलब्ध नहीं थे इस कारण इस प्रश्न पर डिले हुई और मुझे आपसे निवेदन करते हुए प्रसन्नता है सरकार ने फैसला किया है कि इन कामों को सिंचाई विभाग कर रहा है और बनने के बाद पंचायत समिति को सौंप देगा। इसलिये जो एनीकट बनाने वाली बात है, उसका फिर आपसे निवेदन किया। इसके साथ–एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जितने काम हैं उसमें 7 और 40 का अनुपात रखा है। राज्य सरकार ने सिंचाई के कामों को स्वीकार करते हुए एनीकट में शत प्रतिशत खर्चा उठाने का फैसला किया है। यह फैसला अपने आप में साफ करता है कि हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसलिये जो मजदूरों के आंकड़ों की बात कही गई उसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। बात सही है, जो आंकड़े हमने दिये हैं, सही हैं। यह बात सही है, मैं जोधपुर गया हूं, नागौर गया हूं, जैसलमेर गया हूं, बाड़मेर गया हूं, पाली गया हूं, सिरोही गया हूं, डूंगरपुर गया हूं, उदयपुर मेरा है, गया हूं, चित्तौड़ गया हूं, भीलवाड़ा गया हूं उन जिलों में गया हूं और अकाल राहत समितियों की बैठकों में गया हूं। एक निवेदन यह करना चाहता हूं, वहां जाकर काम करने की प्रगति को गति देने का प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं मैंने अपने विभाग के साथ न्याय किया है और जैसे जोधपुर के लिये कहा गया मैंने 50 हजार मजदूरों के लिये कहा परन्तु जैसा आप सबको मालूम हैं, सभापति महोदय, होली का त्यौंहार था, फसलें कटने का समय नजदीक आ रहा है, मजदूरों की संख्या बढ़ने वाली है। आज से दस पन्द्रह दिन बाद मजदूरों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ने वाली है और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ हम कहते हैं वह करते हैं ऐसा नहीं है कि जोधपुर में 50 हजार की बात कह दी, 50 हजार पर रुकने वाले हैं। जैसा बाड़मेर के साथी ने कहा 50 हजार की बात कही, आज वह काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा के जो सदस्य हैं 50 हजार की बात, तो 50 हजार से अधिक काम कर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि जो सीमा थी वह सीमा हमने तोड़ दी। हमने प्रशासन से कहा है कि सीमा को तोड़कर ऐसे लोगों को राहत पहुंचाई जाय। जहां तक उदयपुर के साथ पक्षपात का प्रश्न है, सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरे अकाल राहत मंत्री होने के कारण उदयपुर जिले को हानि ही हुई है, लाभ नहीं हुआ। गये साल मार्च के अन्दर 73-74 हजार लेबर काम कर रही थी, आंकड़े सरकार के पास मौजूद हैं जो देखना चाहें, देख लें। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट लेबर उदयपुर जिले में गत 30 मार्च को थी और आज वह उदयपुर जिला नं. 1 पर नहीं, नं. 2 पर नहीं इससे नीचे है। इस बात का सबूत है कि मैंने कोई राजनैतिक पक्षपात नहीं किया। अगर पक्षपात करना होता तो निश्चित रूप से उदयपुर जिला नं. 1 पर होता और जैसा मैंने आपसे कहा 30 मार्च को जहां 74 हजार लेबर थी आज वहां 50 हजार भी नहीं है बल्कि 44,

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

45 हजार लेबर है। आरोप केवल आरोप के लिये लगाने की जो परम्परा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। माननीय सदस्यों ने कई रचनात्मक सुझाव दिये हैं उन सुझावों का मैं स्वागत करके चलना चाहता हूं। अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। इस अकाल के प्रश्न को लेकर निश्चित रूप से किन्हीं सदस्यों के दिमाग में, यदि किसी क्षेत्र में कहीं कोई कठिनाई है, वे बतावें। आमेर की विधायका ने बताया था कि आमेर में कोई काम शुरू नहीं हुए। वे होतीं तो शायद मैं बताता कि आमेर क्षेत्र में काम शुरू किये हैं या नहीं। मेरे पास नाम है जो आमेर क्षेत्र के अन्दर काम हुए हैं। केवल यहां कह देने से कि आमेर में काम नहीं हुए, काम नहीं चलता तो तथ्यों के आधार पर जो बात होती है उसके पीछे वजन होता है। आज यहां एक बात और कही गई उसको स्पष्ट करना चाहूंगा, अकाल राहत विभाग के जो अधिकारी लोग हैं उनके बारे में कुछ बातें कहीं गई। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात मानकर चलता हूं कि आज नौ रत्न हैं। एक राज ऐसा भी था केवल एक ही रत्न था उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता इस तरह का तरीका हमारे कांग्रेस प्रशासन में चलता नहीं। मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अकाल राहत विभाग के जो अधिकारी हैं दिन रात मेहनत करके रात को 12 बजे भी जरूरत है तो पत्रावलियां आती हैं, तत्काल मन्जूरियां जाती हैं। बाड़मेर के माननीय सदस्य ने कहा कि 20 सड़कों की जो मन्जूरी दी उनके पास पत्र नहीं पहुंचा। टेलीफोन पर उनको सूचना दी गई, जब मालूम हुआ पत्र नहीं पहुंचा उनको टेलीफोन पर सूचना दी गई कि 20 सड़कों की मन्जूरी कर दी गई है। तो यह सब बातें इस बात का सबूत है कि जो लोग काम कर रहे हैं वे इस बात के लिये प्रयत्नशील हैं यह विभाग निश्चित रूप से चुनौती का विभाग है, राजनैतिक चुनौती है, सामाजिक चुनौती है और साथ-साथ एक ऐसी चुनौती है जो इन्सानियत से वास्ता रखती है। इसलिये जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वे निश्चित रूप से अपना समय नहीं देखते अपना इन्ट्रेस्ट नहीं देखते, दिन रात मेहनत करके काम को सफलता की ओर, मंजिल की ओर ले जाने में मदद कर रहे हैं। इसलिये जो आरोप लगाये गये हैं, मेहरबानी करके जो सदस्य सदन में नहीं हैं, उनको तो क्या कहूं, वे सुनना नहीं चाहते थे। सभापति महोदय, मैं अन्त में केवल एक बात और कहना चाहता हूं–

सर्वे सन्तु सुखा मया,
सर्वे सन्तु निरामया।

यह हमारा सिद्धान्त है कि सब लोग सुखी हों, हम भी सुखी रहें और समाज का पिछड़ा वर्ग भी सुखी रहे....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तो श्लोक पूरा कर रही हूं....

(व्यवधान)

केवल एक बात कहना चाहती हूं....

सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यहां पर आरोप लगाया जा रहा है····

(व्यवधान)

मैं कह रही हूं अकाल राहत पर बोल रहे हैं और हम सबको सुखी देखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था····

(व्यवधान)

जो यहां पर बैठे हैं कर्मचारी और अधिकारी इतनी देर रात तक उन सबको ओवर टाइम दिया जाय। हम उनका शोषण कर रहे हैं, राहत की बात कर रहे हैं तो उन्हें भी राहत दें····

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : सभापति महोदय, फिर मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया। यहां यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायत के लेवल पर अनाज की व्यवस्था नहीं है। मैं उनको सूचना देना चाहता हूं हर पंचायत हैड क्वार्टर पर गेहूं की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हर पंचायत को घास के लिये पांच हजार रुपया दिया गया है। उसके टर्न ओवर से घास और ला सकते हैं, फिर भी कमी है तो उसकी ओर ध्यान दिया जा सकता है, ध्यान दिया जायगा। मेरा निवेदन केवल एक है, इस सारे प्रश्न को सावधानी से लें। क्योंकि मैंने कहा जब परेशानी का समय होता है तो सबसे बड़ा सहारा हिम्मत का होता है। तो उन लोगों को हिम्मत देने की बात है जिनको अकाल की पीड़ा हो रही है।

गांव में दूर बैठे आदमी का भी हमें ध्यान रखना होगा, किसी राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग न हो, इसे भी देखना होगा। आज गांव का दूर बैठा आदमी भी काम के लिये लालायित है, हमें उसे भी काम देना होगा। अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल से निपटने के लिये हम किसी प्रकार की कसर नहीं रखेंगे अगर इसके लिये बजट में कटौती करनी पड़ेगी तो वह भी करेंगे, केन्द्र से अधिक पैसा लाना होगा तो वह भी लायेंगे। जो कुछ पिछले सालों में हुआ है उससे भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ अकाल से निपटने की हर सम्भव कोशिश हमारी रहेगी। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि उदयपुर में चैन से नहीं बैठूंगा हर क्षेत्र का यथा सम्भव दौरा करूंगा, आप देखेंगे कि अप्रेल का महीना होगा और हनुमान प्रसाद प्रभाकर आपको साथ लेकर अकाल से जूझने में जुटा रहेगा। अतः मैं, मैं सब कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए माननीय सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि मांग को पारित करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : सारे कटौती प्रस्ताव अस्वीकार। यह कोई तरीका नहीं है····

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिये।

श्री सभापति : पहले मंत्री महोदय का वक्तव्य आ जाय, उसके बाद।

(श्री सभापति)

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज ।

श्री बनवारी लाल (राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य) : सभापति महोदय, ग्राज मांग संख्या 27 के ऊपर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने ग्रपने विचार प्रकट किये, डिबेट में भाग लिया ग्रौर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने रखे उन सबको मद्दे नजर रखते हुए जितना सम्भव हो सकेगा, उतना ही उन समस्याग्रों को दूर करने का प्रयास किया जायगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : पास करिये ।

श्री बनवारी लाल : राजस्थान में ग्रन्य समस्याग्रों के ग्रलावा पीने के पानी की एक भयंकर समस्या है जिससे ग्राप ग्रौर हम सभी चिन्तित हैं । हमारी ग्रौर ग्रापकी यही इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दी जाय ग्रौर इस समस्या पर कैसे काबू पाया जाय । समस्या ग्रनेक प्रकार की है कहीं जमीन में पानी नहीं है तो कहीं पानी बहुत दूर उपलब्ध है, कहीं पानी है तो गहरा है ग्रौर कहीं मिल भी जाता है तो खारा पानी है ग्रौर कहीं कहीं पानी में कीटाणु हैं जिसके पीने से बीमारियां फैलती हैं । ग्रत: इन सब समस्याग्रों पर काबू पाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है । ग्राप इसी से ग्रन्दाज लगा लीजिये कि 33305 गावों में से 24037 गांव समस्या ग्रस्त हैं । 72 फीसदी गांव इस समस्या से ग्रस्त हैं । इन समस्याग्रस्त गांवों की समस्या को हल करने के लिये पिछली सरकार ने भी कोशिश की ग्रौर हम भी कर रहे हैं ....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह है ईमानदारी

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ग्रापकी तरह बेइमान नहीं हैं ।

श्री बनवारी लाल : जहां 77–78 में 405 ग्रामों को पेयजल की सुविधा देने का प्रयास किया गया वहां 78–79 में 456 गांवों को यह सुविधा प्रदान की गई ग्रौर 79–80 में 1433 गांवों को यह सुविधा प्रदान की गई तथा 80–81 में 2500 ग्रामों को यह सुविधा दी गई । यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है....

एक माननीय सदस्य : टार्गेट कितना था ?

श्री बनवारी लाल : जिसमें फरवरी तक 2276 ग्रामों को पूरा कर लिया है ग्रौर ग्रब करीब 500 ग्रामों को ग्रौर पेयजल देने का विचार हैं । 2500 गांवों का जो टार्गेट था उसको पूरा करके करीब 2700 ग्रामों तक पहुंच गये हैं ।

राजस्थान राज्य उन 2-3 राज्यों में से है जहां शहरों में शत प्रतिशत लोगों को सुविधा दी जा रही है। 49.12 लाख जनता को यह सुविधा दी जा रही है जहां पर पूर्ण रूप से शहरों में पानी की व्यवस्था की गई है । कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विचार भी प्रकट किये हैं कि बाहरी कालोनीज में पानी की व्यवस्था नहीं है । किशनपोल क्षेत्र से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया कि शहर से बाहर की वस्तियों में यह व्यवस्था नहीं है । इसमें वस्तु स्थिति यह है कि जहां पर इस

(श्री बनवारीलाल)

प्रकार की बस्तियां हैं या कालोनीज हैं वे सब अनग्राथोराइज्ड रूप से बस गई हैं। जब तक यू. ग्राई. टी. से एन. ग्रो. सी. प्राप्त नहीं हो जाता है पानी आदि के कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं, मेहरबानी करके एन. ग्रो. सी. प्राप्त कर लें तो विभाग उनको कनेक्शन भी दे देगा लेकिन जब तक एन.ग्रो. सी. प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक कनेक्शन नहीं देंगे। फिर भी यदि कोई समस्या है तो हैण्ड पम्प लगाकर पानी के लिये जरूर सुविधा प्रदान करेंगे लेकिन कनेक्शन विभाग नहीं देगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : देना भी नहीं चाहिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, एक घर में तीन झगड़े हो रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है–एन. ग्रो. सी. वाले एन. ग्रो. सी. दे दें और कनेक्शन वाले कनेक्शन दे दें। आप आगे पीछे ही तो बैठे हैं····

(व्यवधान)

मुख्य सचेतक महोदय की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्या कह गये। मेरा निवेदन है पानी तो कम से कम उनको पिलायें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, क्लेरिफिकेशन का टाइम बाद में मिलेगा न ?

श्री बनवारी लाल : मार्च 80 तक 48 शहरों का काम इस स्कीम में लिया जाना था जिनमें 38 शहरों को कम्पलीट कर दिया गया, 10 का प्रोग्राम हाथ में है और 6 का 80-81 तक पूरा कर दिया जायगा, मार्च तक।

(11.40 रात्रि)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

विश्व बैंक द्वारा 137.68 करोड़ रुपये व जल प्रदाय सीवरेज योजना द्वारा 8 करोड़ डालर का ऋण स्वीकृत किया गया। यह राशि पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 137.68 करोड़ में से 84.37 करोड़ रुपये का व्यय नगरीय क्षेत्र में और शेष 53.31 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र में व्यय प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 10 जिलों में लगभग 2 हजार गांवों में जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य इस परियोजना में प्रस्तावित है। जहां पर आज के दिन राजस्थान में 41 प्रतिशत गांवों को हमने सुविधाएं उपलब्ध कराने का टार्गेट अचीव कर लिया है और राजस्थान के 10 जिलों में 50 प्रतिशत जनसंख्या को पानी उपलब्ध करा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, पिछले टार्गेट्स को देखते हुए वृद्धि की है, जो अचीवमेंट किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक बाड़मेर और जैसलमेर के सदस्यों ने जो परेशानी प्रकट की, इसमें कोई शक नहीं है कि····

एक माननीय सदस्य : जालौर के बारे में।

श्री बनवारी लाल : खास तौर से पश्चिमी राजस्थान के इलाके के लोगों ने अपनी परेशानी प्रकट की, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, ऐसी बात नहीं है विभाग ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी

(श्री बनवारीलाल)

असमानता के, बगैर किसी और चीज को देखते हुए जहां भी समस्या है, चाहे वह पूर्वी राजस्थान में हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान में हो कहीं भी हो। विभाग का उद्देश्य है हर जगह जहां पर भी सीमित साधनों में जो भी धन की उपलब्धि है, उसमें जितना हो सके, इस सम्बन्ध में प्रयास करके आपकी तकलीफ दूर की जायगी। जहां तक बाड़मेर और जैसलमेर का सवाल है, वहां की उपलब्धि तो हमारी बहुत बड़ी है। आपने कहा कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे साथ असमानता बरती गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं 837 गांवों में से हमने 5 सौ गांवों के लिए योजना स्वीकृत कर दी है और 69 प्रतिशत पापूलेशन को हम कवर कर लेंगे। जब यह योजना पूरी कर ली जायगी, जैसलमेर जिले के 438 ग्रामों में से 221 गांवों को हम पानी दे रहे हैं, इससे 73 प्रतिशत पापूलेशन, आप पता कर लीजिए, अगर आपके ज्ञान में ऐसी कोई बात है तो आप मुझे बताइये। अगर कहीं पानी नहीं पहुंच रहा हो, यदि योजना पूरी हो जाय, पानी नहीं पहुंचता है, कमीशन्ड हो गया है, वहां पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप मुझे जानकारी करायेंगे और आपको मैं संतुष्ट करूंगा। इसी प्रकार से रिग्स के मामले में वहां पर हमने विभाग में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की हैं। जहां पर मार्च, 80 तक विभाग के पास में सिर्फ 3 रिगें थीं, जो 80-81 में, एक साल के दौरान थीं, आज के दिन 57 रिगें मौजूद हैं। 37 रिगें अप्रेल, मई तक प्राप्त हो जायेंगी। 9 रिगें जो विदेशी हैं, उनके लिए आर्डर दे दिया गया है और आर्डर आते ही, वह ऐसी मशीनें हैं जो पांच सौ मीटर की गहराई तक खोद सकेंगी। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही विदेशी रिगें आयेंगी वही वहां पर सफल हो पायेंगी। जैसे ही विभाग के पास ये रिगें आयेंगी, बीकानेर डिवीजन के लिए जरूर दे दी जायेंगी। अगर और आवश्यकता होगी तो उसको पूरा किया जायगा, चाहे कहीं से भी कलेक्ट की जाय, आपकी आवश्यकता को पूरा किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : बाड़मेर में कितनी है ?

:

एक माननीय सदस्य : पाली को आप भूल गये।

:

श्री बनवारी लाल : पाली पर भी आ रहा हूं। छठी पंचवर्षीय योजना काल में नगरीय क्षेत्र हेतु 90 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस प्रस्तावित प्रावधान को पुनर्गठन, संवर्धन, सीवरेज एवम् ड्रेनेज की योजनाओं पर व्यय किया जायगा। ग्रामीण क्षेत्र में मार्च 80 के बाद शेष लगभग 18831 गांवों में 358 करोड़ रुपये की आवश्यकता आती रही है। इस राशि में से छठी योजना में अभी तक 108 करोड़ रुपये का प्रावधान योजना आयोग द्वारा किया गया है। ऐसा अनुमान है कि इसमें कुल 7 हजार ग्रामों को ही लाभ दिया जाना सम्भव होगा। शेष ढाई करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा जल प्रदाय अग्रिम आयोजना सहायता एवम् अन्य स्रोतों से प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(श्री बनवारीलाल)

80-81 की योजना में वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा कई प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है। इनमें से 7 करोड़ रुपये अग्रिम आयोजना सहायता के अन्तर्गत व 80-81 में वृहत कार्यक्रम में 4.16 करोड़ रुपये के आवण्टन को 10 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। नीदरलैंड सरकार से 5.58 करोड़ रुपये जयपुर जिले के 3 सौ ग्रामों को पेयजल योजना के लिए प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत अलवर व सवाई माधोपुर जिले के लगभग 5 करोड़ रुपये एवम् यू० एन० आई०, यू० एन० डी० पी० से उपलब्ध वाड़मेर व जैसलमेर जिले में 665 ग्रामों की योजना हेतु 33 करोड़ रुपया प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इसी सहायता के अन्तर्गत सस्ती सैनीटेशन योजना की रूप-रेखा भी तैयार की जा रही है, जिसमें एक लाख से कम की जनसंख्या वाले 15 नगरों का चयन किया गया है। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की कि 358 करोड़ रुपये की छठी पंचवर्षीय योजना में आप इन कामों को पूरा कर सकेंगे, लेकिन 108 करोड़ का प्रावधान है और जैसा आपको बताया, इस वर्ष 70 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की जा चुकी है, वाकी उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपये की योजनाएं आपके आगमेटेशन में चली जाएगी। वाकी आपके पास पैसा नहीं बचता है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी प्रकार से, जैसा कि हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजस्थान को 10-11-8. की बैठक में कहा है उसके निर्णय अनुसार बच्चों को, महिलाओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक दस वर्षीय योजना अप्रेल सन् 81 से सन् 91 तक लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास कौन्सिल की बैठक में दिनाक 13-2-81 को इस आशय की घोषणा की थी। कहने का मकसद यही है कि चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे केन्द्र से, किसी ऐसे देश से पैसे का प्रबन्ध किया जाय। 2 सौ करोड़ रुपये तक का तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 सौ करोड रुपये तक का किसी न किसी प्रकार से प्रयास करेंगे और खर्च करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जैसा विश्वास दिलाया है, केन्द्र से और कोशिश करेंगे और इसे इसी प्रकार से पूरा करके, इस योजना को चालू करने का हमारा भरसक प्रयत्न रहेगा और कमी नहीं आने दी जायगी। इसके अलावा रुपये की कमी की वजह से लोगों को परेशानी नहीं होने दी जायगी। ऐसी विभाग की कोशिश रहेगी, ऐसा प्रयास रहेगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो दूसरा है, अभी क्या हुआ है।

श्री ईश्वर लाल सैनी : आपको पानी पिलायेंगे।

श्री बनवारी लाल : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 70 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर की हैं। जो कि पिछले वर्ष से साढ़े चार गुना ज्यादा है। 6457 गांवों की योजना स्वीकृत की हैं और पिछले वर्ष से साढ़े चार गुना ज्यादा धनराशि इस पर खर्च की जा रही है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट

(श्री बनवारीलाल)

की, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वहां पर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है और ब्यावर और गंगानगर दो स्कीम्स ऐसी हैं, जिनको म्यूनिसिपल कारपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी चला रही है और वे सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। इस प्रकार की योजना है कि इन दोनों स्कीम्स को विभाग ले ले। हांलाकि इन पर 2 करोड़ का खर्चा किया जायगा। दो करोड़ का खर्चा होगा, जिससे आगमैंन्टेशन, री-आर्गेनाइजेशन स्कीम को सुधारने का है। लेकिन इसी प्रकार से विभाग ने वहां की जनता की परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि 81-82 में इन दोनों शहरों की योजना को विभाग द्वारा अपने हाथ में ले लिया जायगा, विभाग ले लेगा। ढाई पर्सेन्ट ब्याज के बारे में भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने व और सदस्यों ने बहुत चिन्ता प्रकट की कि ढाई पर्सेन्ट पर राशि जो ली जाती है, ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, परेशान हैं वह सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी स्कीम के लिए चूंकि हमारा उद्देश्य वहां के लोगों को पानी उपलब्ध कराने का है। अगर वहां पर इस प्रकार की स्थिति होगी, जहां पर लोगों की क्षमता नहीं है, वे इस प्रकार की राशि जमा नहीं करा सकें तो विभाग उसका कोई न कोई वैकल्पिक प्रबन्ध करके, वहां के लोगों की क्षमता को देखते हुए कोई न कोई प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा। दूसरी व्यवस्था करेगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, ये 12 साल या 13 साल का कन्सेशन एक्सटेंड किया गया था, मरुस्थल जिलों के विकास के लिए। ये राज्य सरकार के कोई निर्णय के अनुसार हुआ है, क्या बात थी ?

श्री बनवारी लाल : ढाई पर्सेन्ट का हुआ, राज्य सरकार ने निर्णय किया था।

श्री अध्यक्ष : आपने किया है ?

श्री ईश्वर लाल सैनी : ऐसे निर्णय तो जनता पार्टी करती है।

श्री बनवारी लाल : खास तौर से रीजनल स्कीम्स में जो माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कि रीजनल स्कीम्स में टेल एण्ड के गांवों को पानी नहीं पहुंचता है और वहां पर लोगों को काफी परेशानी होती है। इसके लिए मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की स्कीम्स अगर विभाग की किसी परेशानी की वजह से उस स्कीम्स में....

(व्यवधान)

राष्ट्रपति शासन के दौरान में यह निर्णय हुआ था, राज्य सरकार ने किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब बजाओ ताली।

श्री बनवारी लाल : रीजनल स्कीम्स के बारे में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसी स्कीम्स को, चाहे विभाग के किसी कारण की वजह से, चाहे फण्डस की वजह से, चाहे विभाग की व्यवस्था की दृष्टि से उन स्कीम्स में पानी दिलाने की व्यवस्था की जावेगी और इसके अलावा वहां की जनता का भी सहयोग लिया जावेगा। क्योंकि टेल एण्ड गांवों के लिये बीच वाले गांव हैं चाहे पाइप लाइन को तोड़ देते हों, चाहे पानी ज्यादा उपयोग में करते हों। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वहां की रीजनल स्कीम्स में

(श्री वनवारीलाल)

जितने भी गांव ग्राते हैं, वहां के सभी गांवों के प्रतिनिधियों को शामिल करके उस स्कीम से हर गांव को किस प्रकार से पानी दिया जा सकता है, इस प्रकार की एक एडवाजरी कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। जिसमें वहां के लोकल गांवों के लोगों को शामिल करके, एडवाइजरी कमेटी में ग्रापकी राय से, ग्राप लोगों के सहयोग से उस समस्या को किस प्रकार से काबू किया जा सकता है, किस प्रकार से वहां के लोगों को पानी मिल सकेगा उस पर विचार किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक हो जाएगा।

श्री बनवारी लाल : बहुत शीघ्र।

बहुत से माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की कि वर्ल्ड बैंक में दस डिस्ट्रिक्ट ग्रा गए हैं ग्रौर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में कोई काम नहीं होगा। मैं ग्रापको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक में जो डिस्ट्रिक्ट्स ग्रा गये हैं, उसके ग्रलावा जो भी डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं उनको उसी ग्रनुपात में फण्ड्स का ग्रलाटमेंट होगा। जिस ग्रनुपात में वर्ल्ड बैंक का दस डिस्ट्रिक्ट में होगा। उसमें कहीं इस प्रकार की ग्रसमानता नहीं रहने दी जाएगी जिससे उनको यह महसूस न हो सके कि यह हमारा डिस्ट्रिक्ट बैंक में नहीं ग्राया इसलिए हमारे यहां कोई काम नहीं हो रहे या हमारे यहां पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा सकी।

जयपुर की माननीय सदस्या ने बताया, जयपुर रामगढ़ बांध पर इसी वर्ष से 81–82 में पांच फुट जो रेज करने का प्रावधान था उस पर 81–82 में कार्यारम्भ कर दिया जाएगा ग्रौर जो पानी को स्टोर करने की समस्या थी, इससे ग्रौर ज्यादा पानी स्टोर किया जा सकेगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : इसके पीछे यह सोच लें कि नीचे के 15 गांव डूब जायेंगे उनकी व्यवस्था करने के बाद में तय करें। मैंने तब भी बताया था जबकि विश्व बैंक की जो टीम ग्राई थी उनसे भी कहा था······

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज···· माननीय सदस्या····ग्रार्डर प्लीज····

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : ये 15 गांव गोपालगढ़ वगैरह डूब जायेंगे उनकी व्यवस्था कराये बगैर स्कीम ग्रगर ग्रापने हाथ में ली तो गांव वाले लेने नहीं देंगे।

श्री बनवारी लाल : कई माननीय सदस्यों ने विभाग को मोबीलाइज करने के लिए कहा। बाड़मेर से ग्राने वाले सदस्य ने बताया कि चूंकि वहां पर एक चीफ इंजीनियर रखा जावे जोधपुर में। मैं निवेदन करता हूं कि चीफ इंजीनियर की पोस्टिंग से ग्रगर वहां कि समस्या पर काबू हो सके तो मैं वहां पर चीफ इंजीनियर रखने को तैयार हूं। लेकिन उससे समस्या का....

(व्यवधान)

समाधान नहीं होगा। हमने खुद ने, विभाग ने राजस्थान के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, राजस्थान की नौ डिस्ट्रिक्ट्स को सुविधा देने के

(श्री बनवारीलाल)

लिए वहां पर इस तरह से एडीशनल चीफ इंजीनियर रखे हैं और अन्य विभागों की तरफ से उनको भी उसी प्रकार के पावर्स हैं जो चीफ इंजीनियर को पावर्स हैं, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री शोभराज मल : बीकानेर और जोधपुर में कहां हैं ?

श्री बनवारी लाल : वहां पर दो एडीशनल चीफ इंजीनियर हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, इसके बावजूद भी अगर आप कोई सुझाव देंगे कि किन्हीं अधिकारियों को मोबीलाइज किस प्रकार से किया जावे, किस प्रकार से कार्य को सुचारू रूप से चलाया जावे तो उसके बारे में आप सुझाव दें मैं उस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

बहुत से माननीय सदस्यों ने विभाग के कर्मचारियों के प्रति, कुछ उनकी ग्रिवेन्सेज, उनकी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए कहा। उनकी पब्लिक सैक्टर कमेटी है जिसकी मीटिंग पिछले दो साल में नहीं हुई है। मैंने विभाग के अधिकारियों से बात की है और मैंने निश्चय किया है कि अप्रेल के महीने में उनके पब्लिक सैक्टर की मीटिंग बुलाई जावे और उनकी तकलीफें सुन करके जिस प्रकार से समाधान हो सके, समाधान करने का प्रयत्न किया जाएगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : टैम्प्रेरी जो मजदूर रखे जाते हैं उनसे पहले से तय कर लिया जाता है यह निश्चित बात है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री बनवारीलाल : समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कच्ची बस्तियों के निवासियों को पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 81-82 में दस लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस साल बीस लाख रुपयों का प्रावधान है और वर्ष 81-82 में ग्रामीण और शहरी प्रत्येक क्षेत्र में दस दस लाख का प्रावधान रखा गया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह दस लाख उलटा कम कर दिया। दस लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उलटा कम कर दिया।

श्री बनवारीलाल : दस लाख ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और दस लाख शहरों के लिए है।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आज की कीमतें देखी हैं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्यगण।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य मंत्री ने कच्ची बस्ती नाम से ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कच्ची बस्तियों के लिए 80–81 में बीस लाख का प्रावधान था और आपने उसको 81–82 में दस लाख कर दिया उलटा।

श्री हंसराज शर्मा : अस्सी प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य.... आर्डर प्लीज.... बीच में बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दस लाख से क्या होगा। दस लाख रुपये होते कितने से हैं ? क्या करेंगे दस लाख रुपयों में। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है।

श्री बनवारीलाल : इन्हीं शब्दों के साथ जो बाकी लोगों ने अपने सुझाव रखे हैं, कटमोशन रखे हैं, मैं उनको लिखित में जवाब भिजवा दूगां और क्योंकि सभी का जवाब देना सम्भव नहीं है, हर माननीय सदस्य के सुझावों का जवाब यहां पर दिया जा सके इसलिए मैं इस मांग को पारित करने के लिए निवेदन करता हूं।

(व्यवधान)

मांग संख्या 34 व 27 का पारण

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में....

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमको कहा था कि हम क्लेरिफिकेशन बाद में कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य नियमों का ध्यान रखिये, आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

.... 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 15,47,90,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27– पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 51,59,84,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25 मार्च के....

श्री भंवरलाल शर्मा : आज ही कहो साहब, बारह बज गये अब तो।

श्री अध्यक्ष : .... प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 11–58 बजे बुधवार, दिनांक 25 मार्च, 1981 के म.पू. 11–00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 420 की सूची

छात्रावास अधीक्षकों के पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति व जनजातियों के आशार्थियों की संख्या ।

क्रमांक	छात्रावास अधीक्षक की वेतन श्रृंखला	कुल पद	रिक्त	अनुसूचित जाति के नियुक्त व्यक्ति	अनुसूचित जन जाति के नियुक्त व्यक्ति
1	(550–1010)	26 (यह पद 50 प्रतिशत से व 50 प्रतिशत	2 पदोन्नति सीधी भर्ती के हैं)	3	1
2–(अ)	(355–570)	91	5	19	6
(ब)	(295–500)	56	–	20	9

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न संख्या 429 की सूची

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम लि. उदयपुर को वर्ष 1979–80 में विकास कार्यक्रम हेतु निम्न राशि प्राप्त हुई एवं व्यय की गई :

मद	कार्य	राशि
1. विशिष्ठ केन्द्रीय सहायता	आदिवासी मत्स्य सहकारी समितियों के सदस्यों को नावें एवं जाले क्रय करने हेतु अनुदान	रु० 2,00,000
2. ,, ,,	लेम्पस कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते के पुनर्भरण हेतु अनुदान	रु० 18,76,000
3. ,, ,,	लेम्पस हेतु आलमारी, तिजोरी, लकड़ी बाट एवं फर्नीचर आदि खरीदने हेतु अनुदान	रु० 1,10,000
4. ,, ,,	लेम्पस के उप केन्द्रों एवं पेक्स द्वारा ग्रामीण उपभोक्ता भण्डार चलाने हेतु	रु० 1,35,000
5. राष्ट्रीय विकास सहकारी निगम	तकनीकी एवं संवर्दन कक्ष, राजस निगम में कार्यरत विशेषज्ञों को वेतन आदि हेतु अनुदान	रु० 35,575
	योग रुपये	23,56,575

परिशिष्ट 3

तारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची

—:सूची भूमि आवंटन उपनिवेशन तहसील पीपलदा वर्ष 1980:—

क्रम सं. 1	नाम ग्राम 2	नाम अलोटी मय पूरा पता 3	खसरा नं. 4	रकबा 5
1.	गणेश खेड़ा	श्री केशरीलाल वल्द चन्दा बैरवा देह	1 मि०	7।)4
2.	डडवाड़ा	,, छीतर लाल वल्द रघुनाथ नायक देह	236	।।।)
3.	अयाना	,, जमील अहमद पुत्र रूस्तम खां लखारा देह	1494	8।)3
4.	,,	,, रघुनाथ पुत्र मोतीलाल मीना देह	851	4।)4
5.	गणेशपुरा	,, राम प्रसाद पुत्र धन्ना लाल खाती देह	341	1)2
6.	गणेशखेड़ा	,, नारायण वल्द मथुरा लाल बैरवा	1/2	4।।)1
7.	,,	,, देव लाल वल्द गोपाल बैरवा	79/1	2।।)
8.	लुहावद	,, मोहन लाल वल्द प्रभू लाल खाती	16	2)4
9.	,,	,, किशन लाल वल्द गेन्दी लाल तेली	969	6।)
10,	गणेशपुरा	,, माधोलाल पुत्र किशन लाल मीना	261	।।)
11.	गणेशखेड़ा	,, बाला वल्द पूरा भील	9 मि०	1।)4
			9/1	1।।)4
12.	बाढ़ोली	,, प्रहलाद पुत्र गोरू बैरवा	149	2)
			150 मि०	5।।)
13.	,,	,, सीताराम वल्द गिरधारी बैरवा	225 मि०	5)
			427 मि०	4)
14.	,,	,, बजरंगा वल्द सरिया बैरवा	244	5)
15.	दुर्जनपुरा	,, ईसरा पुत्र ओंकार नाई	638	7)3
16.	बाढ़ोली	,, देवा पुत्र गणेश माली	341	6।।)2
			321	।।।)4
17.	कांकरा	,, केशरी लाल वल्द केदार मीना	27	7।)4
18	,,	,, गोबरी लाल वल्द मांगी लाल मीना	14	2)2
19.	,,	,, राधा किशन पुत्र गिरधारी भील	232	3)

1	2	3	4	5
20.	कांकरा	श्री रामेश्वर वल्द सूरज मल मीणा	176	10ıı)
21.	दूधली	,, पिरिया पुत्र बिरधा कुम्हार	273 मि०	4)
22.	,,	,, भंवर लाल पुत्र भीभेड़ा मीणा	273 मि०	2)
23.	,,	,, छोटू लाल वल्द रमजानी मुसलमान	160 मि०	1)
24.	,,	,, चतरा पुत्र जगन्नाथ मीणा	110	3)
25.	विजयपुरा	,, श्रवण लाल वल्द सेवा बैरवा	139/314	6)3
26.	,,	,, लटूर लाल पुत्र चंदा लाल बैरवा	19	7)4
27.	,,	,, बिरधी लाल पुत्र घासी लाल गूजर	157	9)
28.	,,	,, किशना पुत्र मांगी लाल बैरवा	157	9)
29,	,,	,, मदन लाल वल्द धूली लाल मीणा	139/ 314	1)
30.	माटोली	,, पूरन मल वल्द लच्छी राम मीणा	78	1)
31.	,,	,, बजरंगा पुत्र मथुरा लाल गूजर	73	2ı)1
32.	छत्रपुरा	,, किशन लाल वल्द धन्ना लाल मीणा	242	4ııı)
			कुलयोग:—	157ı)1
33.	रनोदिया	,, गोपाल वल्द पोखरया बैरवा	710	4ıı)
34.	,,	,, मथुरा लाल वल्द गोपाल बैरवा	193	15)
35.	डोली	,, नाथू वल्द किशन चन्द	149	5ııı
			416	5)
36.	चाणदा	,, किशन लाल वल्द वहरा लाल मीणा चाणदा	56	15)
37.	डोली	,, अर्जुन वल्द राम चन्द्र माली	415	9)
38.	चाणदा	श्री छोटिया वल्द सेवी राम भील चाणदा	61	10)
39.	डोरली	,, चन्द्रभान वल्द भरत्या मीणा	232	5ı)
40.	मूंडली	,, बजनाथ वल्द माधोलाल मीणा	212	3ııı)2
			213	2ııı)2
41.	नलावता	,, हरी किशन पुत्र ओंकार मीणा	78	ııı)4

(280)

1	2	3	4	5
42.	नलावता	श्री हरी किशन वल्द मथुरा लाल मीणा	258	2)2
			1.40	5)
43.	अयाना	,, राम करण पुत्र किशना बैरवा	678	6)
44.	डोली	,, हीरा लाल वल्द रतन लाल बैरवा	455	4)
45.	अयाना	,, बंशी पुत्र ओंकार वोला	1369	3)
46.	लुहावड	,, जयलाल पुत्र माधो मीणा	12	1।।।)1
			14	।।)2
47.	,,	,, रघुनाथ वल्द गोपाल खाती	14	।।।)
			12	।।।)3
				99।।)1
48.	रामपुरा	,, भंवर लाल वल्द मौरपाल गूजर देह	4	1।)2
			273	3।)4
49.	पीपल्दा कला	,, मदन लाल वल्द कान्हा राठी	193	10)
50.	पीपल्दा खुर्द	,, प्रभूलाल वल्द बलदेव बैरवा देह	537	4।।)3
51.	ख्यावदा	,, माधो वल्द पीरू बैरवा	531/853	8।।।)3
52.	पीपल्दा खुर्द	,, बजरंग लाल वल्द रघुनाथ माली	320	1)
53.	ख्यावदा	,, अमरा वल्द भूरा भोई	304	3)
54.	खडीला	,, मोहन सिंह वल्द रघुनाथ सिंह राजपूत	392/148	3।।)
55.	शोभागपुरा	,, आसीन खां वल्द यासीन खां मु० केशोपुरा	114	2।।)4
			116	8।।)
56	खैड़ली बैरीशाल	,, जगन्नाथ वल्द कजोड़ गूजर	174	8)
57.	पीपल्दा खुर्द	,, सम्पत सिंह वल्द देवी सिंह राजपूत	269	15)
58.	,,	,, पन्ना लाल पुत्र बंशी लाल माली	239	5)
59.	खैड़ली बैरीशाल	,, शम्भू दयाल पुत्र नारायण दास बैरागी	217	5)
60.	,,	,, मूल चन्द वल्द गोगा खटीक	174	10)
61.	,,	,, रतन लाल वल्द पांचू गूर्जर	174	10)
62.	,,	,, रमेश वल्द गोपाल गूर्जर	174	5)
63.	,,	,, प्रभूलाल वल्द पन्ना लाल मीणा	267	1)

1	2	3	4	5
64.	खेड़ली बैरीशाल	श्री गोपाल वल्द पन्ना लाल मीणा	267	।।)
65.	,,	,, माधो लाल वल्द पन्ना लाल मीणा	267	।।)
66.	पीपल्दा खुर्द	,, भैरू वल्द पन्ना माली	269	4)
67.	,,	,, पूरन नाथ वल्द श्री नाथ नाथ	503	15)
68.	खैडली बैरीशाल	,, हरपाल वल्द भंवर लाल गूर्जर	174	10)
69.	,,	,, नन्दा वल्द वजरंगा नायक	174	5)
70.	,,	,, भोलू लाल वल्द शंकर लाल गुर्जर	238	6)
71.	,,	,, कालु लाल वल्द भंवर लाल गुर्जर	174	15)
72.	,,	,, गंगाधर वल्द घांसी लाल गुर्जर	174	8)
73.	,,	,, मोहन लाल वल्द भंवर लाल गुर्जर	174	15)
74.	खैडली बोरदा	,, धन्ना लाल वल्द किशना गुर्जर	151	5।।)
75.	देवपुरा	,, मोती लाल वल्द नालेतराम बैराठी	48	2)
76.	शेरगंज	,, जगन्नाथ वल्द सुक्ता बैरवा	2 मि०	8।।)
77.	,,	,, शंकर वल्द मोटू बैरवा	5 मि०	14)
78.	बागरोद	,, ग्यारसी राम वल्द	274।79	1।)2
79.	बागरोद	श्री रतन लाल वल्द मोती लाल बैरवा	277।79	1।)
80.	,,	,, भैरू लाल वल्द गोपाल मीना	277।79	2)
81.	ढीपरी	,, लट्टूर वल्द मेहराव खां मुसलमान	121	6)
				226।।।)
82.	दैलोद	,, नारायण वल्द माधो राव दैलोद	115	18)
83.	,,	,, इन्द्र कुमार वल्द राम किशन ब्रा.	12	10)
84.	,,	,, प्रभू लाल वल्द वजरंग लाल ब्रा.	12	10)
85.	,,	,, ओम प्रकाश वल्द कल्याण राम	79	10)
86.	,,	,, कल्याण वल्द छोटू गूजर	9	7।)2
87.	,,	,, युवराज वल्द कन्हैया गूजर	9	6)
88.	बागली	,, रमेश चन्द वल्द राम कल्याण खटीक	389	5।)

1	2	3	4	5
89.	फरेरा	श्री मोड़ू वल्द कान्हा गूजर दैह	339।263	10)
90.	दैलोद ,,	गोपाल सिंह वल्द शम्भू सिंह राजपूत	115	10)
91.	ककरावदा ,,	मांगी लाल वल्द भैरू धोबी	96	3)3
92.	सीनौता ,,	मूलचन्द वल्द कल्याण खाती	460।127	11।)
93.	बंजपुर ,,	सुक्खा वल्द रघुनाथ मीना	2।4	1।।।)3
94.	मियाना ,,	नन्ने खां वल्द छोटे खां मुसलमान	200	6)1
95.	,, ,,	पुरूषोतम वल्द गोविन्द लाल ब्रा.	222	7।)2
96.	जटवाड़ी ,,	बद्री वल्द मोती गूजर	3 मि.	4)
97.	गोठड़ा कला	गोपाल वल्द घासी काछी	188 198।1	1।।)4 ।।।)1
98.	तलाव ,,	बद्री लाल वल्द कान्हा धाकड़	427	।।।)2
99.	दैलोद ,,	चतरा वल्द शोजी गूजर	1।9	6)
100.	तलाव ,,	नारायण वल्द भागीरथ माली	227	)4
101.	ककरावदा,,	नैनगा वल्द विशना बैरवा	168	10)
102.	,, ,,	कल्याण मल वल्द विशना बैरवा	168	10)
103.	मियाना ,,	बद्री लाल वल्द घीसा गूर्जर	866।253	11।)1
104.	नीमोला ,,	केशरा वल्द भूरा माली	484।1068	9।।)
105.	सीनौता ,,	राम किशन वल्द प्रताप मीना	155	2।)2
106.	ठीकरदा ,,	गंगा विशन वल्द ओंकार कुम्हार	121	।।।)
107.	,, ,,	रामनारायण वल्द लक्ष्मीनारायण	121	2)
108.	रामपुरिया,,	मांगी लाल वल्द नाथू लाल तेली	244	1)4
109.	,, ,,	राम प्रसाद वल्द शंकर खाती	434।413। 328।9	1।।)
110.	,, ,,	बाबू वल्द कल्याण नायक	372।101	2।।।)2
111.	बालूपा ,,	हुसैना वल्द नूरा मुसलमान	554।112 563।112	5।।)2 4।)1
112.	रामपुरिया ,,	रामनाथ वल्द कल्याण नायक	216	4।।।)2
113.	बालूपा ,,	कल्याण सिंह वल्द छीतर सिंह राजपूत	555।112	10।।।)2

1	2	3	4	5
114.	फरेरा श्री	सीताराम वल्द देवा मीना देह	1	॥)3
115.	,, ,,	ढाल सिंह वल्द उदय सिंह राजपूत	1	।॥)
116.	तलाव ,,	सूरजमल वल्द गंगाराम तेली	312	।)3
117.	,, ,,	गौमदी वल्द बैंवा छीन्या माली	512	॥)2
118.	दैलौद ,,	राधाकिशन वल्द माधो ब्रा.	97	2)1
			95	2॥)1
119.	ठीकरया ,,	लक्ष्मी नारायण वल्द मांगी लाल महाजन	159	॥)
120.	,, ,,	भंवर लाल वल्द भैरू लाल दरोगा	159	॥)
121.	गनेशखेड़ा,,	विशन लाल वल्द हीरा लालजाट	7	7॥)
122.	रघुनाथपुरा,,	सीताराम वल्द हीरा लाल खाती अयानी	8	4)
123.	श्योपुरा ,,	रतन लाल वल्द धन्ना लाल धाकड़	151	1)
124.	,, ,,	सूरजमल वल्द मन्ना लाल मीना	92	3)
125.	राजपुरा ,,	कालू लाल वल्द राम नाथ मीना	84	5)
126.	,, ,,	रामकिशन वल्द जग्गा मीना	84	5)
127.	सवजीपुरा ,,	भीमड़ा वल्द चतरा मीना	91।8	2।)
			92।8	।)2
			93।8	2)4
128.				244।)
129.	छापोख ,,	मांगी लाल वल्द ग्यारस्या बैरवा किशनपुरा	736।78	2।॥)
			737।78	4।॥)
			738।78	4।॥)
130.	,, ,,	प्रभू वल्द सुखदेव बैरवा देह	751।81	5।॥)
131.	,, ,,	वंशी वल्द वर्दी बैरवा देह	741।78	7।)3
132.	,, ,,	मोती वल्द गोरधन बैरवा देह	716।78	4)
133.	,, ,,	रामदयाल वल्द गदा बैरवा देह	110।369	2॥)4
			110।370	3।)1
			110।371	3॥)
			110।372	1॥)

284

1	2	3	4	5
134.	छापौख श्री	कल्याण वल्द नैनगा बैरवा देह	181	3।)3
135.			232 मि.	3।।।)
			734।78	2)3
135.	,, ,,	सीताराम वल्द गोमदा बैरवा	752।81	9)
136.	,, ,,	कान्हा वल्द हीरा बैरवा देह	750।81	8।।।)
137.	,, ,,	किशना वल्द घूलिया बैरवा	564।78	1।)4
			565।78	2।।)4
138.	,, ,,	राम चन्द्र वल्द बजरंगा बैरवा देह	137	3।।।)1
139.	जटवाड़ी ,,	प्रहलाद वल्द पौती गूजर	41 मि.	6)4
140.	छापोल ,,	देवीराम वल्द कजोड़ बैरवा	761।78	1।)
			724।78	2।।)
141.	,, ,,	छोट्या वल्द शंकर बैरवा	714।78	5।।।)
				91।)1
142.	तलाब ,,	अल्ला रख वल्द मांगू मुसलमान	229	1।।)
143.	,, ,,	प्रभू लाल वल्द करना धाकड़	753	2।।)2
144.	नीमोला ,,	मथुरा लाल वल्द गोपाल नाई	484।1079	3)
				7)2
145.	गेता ,,	जुम्मा वल्द यासीन मुसलमान	1155।121	7।।।)
146.	,, ,,	कन्हैया लाल वल्द मोहन लाल खटीक	120	6)
147.	राजपुरा ,,	कस्तूरा वल्द भूरा मीना	439।272	3।।।)
148.	,, ,,	भैरू लाल वल्द मांगी लाल मीना	84	4)
149.	,, ,,	अर्जुन वल्द जीवन मीना	163	7)
150.	खैरदा ,,	शंकर वल्द नाथू बैरवा	385।19	1।।)
151	गेता ,,	भैरू वल्द सीताराम धाकड़	1147	9।।।)
152.	खैरादा ,,	बद्री लाल वल्द भैरू लाल मीना	386। 19	।।।)
153.	श्योपुरा ,,	राम नाथ वल्द कन्हैया लाल धाकड़	57	2)

1	2	3	4	5
154	डूगरली श्री	बजरंग लाल वल्द विरधी लाल मीना	3231	4)
155.	बौरदा ,,	पांचूलाल वल्द माधोलाल बैरवा	4	1।।।)1
156.	,, ,,	बजरंग लाल वल्द घन्ना लाल धाकड़	28	1।।।)4
157.	गणेशखेड़ा ,,	रामनाथ वल्द शंकर धाकड़	90 मि.	।।।)
158.	पीपल्दा खुर्द ,,	ब्रज मोहन वल्द मूलचन्द महाजन	461	2।।)
159.	कढ़ीला ,,	पूरन मल वल्द सुन्दर लाल मीना	196	2)4
160.	खेड़ली बैरीशाल श्री	बजरंगलाल वल्द कन्हीराम बैरवा	234	2।।।)4
161.	पीपल्दा खुर्द ,,	कन्हैयालाल वल्द किशनलाल मीना	354।659	।।)
162.	सनमानपुरा ,,	लटुर लाल वल्द ग्यारसी लाल बैरवा	2 मि.	10)4
163.	,, ,,	ग्यारसी बैवा रामनाथ धाकड़	393।234	2)
			383।234	1)
164.	गणेशखेड़ा ,,	मांगीलाल वल्द बल्लभ धाकड़	167।62	1।।।)
			62।)	5।)
165.	सनमानपुरा ,,	रामकरण वल्द वद्रीलाल धाकड़	398।135	।।)1
166.	खेड़ली बैरीशाल,,	कान्हा वल्द देवीराम बैरवा	237	2।।।)2
167.	,, ,,	शम्भू वल्द मथुरा दास बैरागी	142	6)
168.	,, ,,	गोपाल वल्द देवा राम	142	10)
169.	,, ,,	किशन लाल वल्द मन्ना लाल खाती	217	4)
170,	,, ,,	लटूर वल्द जगन्नाथ मीणा	174	5।)3
171.	हथोली ,,	प्रभूलाल वल्द रामनाथ मीणा	218	5।।)3
172.	शोभागपुरा ,,	राम नारायण पुत्र जगन्नाथ धाकड़	261।361	5।)
173.	पाड़ली ,,	सीस्या वल्द जागला भील	456।78	10।।)
174.	,, ,,	सूरज मल वल्द कल्याण भील	459।78	9)
175.	खैडली बैरीशाल,,	कल्याण वल्द गंगा राम बैरवा	497।142	11।।)
176.	पाडली ,,	राधेश्याम वल्द नारायण भील	458।78	9)
177.	खैडली बैरीशाल,,	कल्याण सिंह पुत्र जनीर सिंह राव	227	1।।।)1
			228	3।।)2
			229	3।)2

1	2		3	4	5
178.	पाडली	श्री	छगन लाल वल्द मोती लाल छीपा	457।78	5)
179.	,,	,,	देवी लाल वल्द बागला भील	457।78	4।)
180.	,,	,,	घासी वल्द गापी लाल भील	482।64	5)
181.	,,	,,	भैरू वल्द कल्याण राव	482।64	5)
182.	,,	,,	बिरदी लाल वल्द सीताराम माली	482।64	5)
183.	खंडली बैरीशाल	,,	जगन्नाथ वल्द मथुरा लाल बैरागी	488।129	5)
184.	,,	,,	जगन्नाथ वल्द कजोड़ गुर्जर	256	4।।।)2
					1 58।)2
185.	कांकरा	,,	छोटिया वल्द सूक्खा मीना	50	1)
186.	,,	,,	घुलिया वल्द सूक्खा मीना	50	3।।)3
187.	,,	,,	ग्यारसिया वल्द रघुनाथ धाकड़	108	3।।)1
				110	2।।)2
188.	अयानी	,,	मथुरा लाल वल्द कालुराम	247 मि०	2।।।)1
189.	,,	,,	राम नारायण वल्द रघुनाथ बैरवा	247	3)
190.	,,	,,	पन्ना लाल पुत्र रतन लाल मीणा	555	3)
191.	गणेशपुरा	,,	रामनाथ वल्द देव लाल चमार	387	4।)1
192.	,,	,,	राम नारायण पुत्र किशन लाल धाकड़	371	5)
193.	,,	,,	शंकर लाल वल्द श्यो नारायण चमार	403	6।।)2
194.	,,	,,	शंकर लाल वल्द देवाराम धाकड़	97	2।।)
195.	,,	,,	किशन लाल वल्द देवाराम धाकड़	262	1)
196.	रनोदिया	,,	राम किशन वल्द गोमदा बैरवा	494	2।।।)
197.	,,	,,	रामनाथ वल्द गोमदा बैरवा	490	4।।)4
198.	अयानी	,,	भैरू लाल वल्द गिरधारी गूर्जर	594	4)
199.	गनेशपुरा	,,	आनन्दी लाल वल्द अमर लाल धाकड़	409	4)
200.	दुर्जनपुरा	,,	वल्फा वल्द श्री किशन भोपा	745।668	5)
201.	वाड़ोली	,,	हीरा लाल वल्द भैरू माली	326	।।)2

1	2	3	4	5
202. लुहावद	श्री	कल्लु वल्द गिरधारी चमार	1	)4
			2	1।)2
			3	)6
			4	1।।।)1
203. अयाना	,,	जगन्नाथ वल्द पन्ना लाल बौला	588	6।।।)2
204. ,,	,,	नन्द किशोर वल्द बिरधी लाल ठाकुर	1319	6।)2
205. अरनिया	,,	बजरंग लाल वल्द कल्ला मीना	6।148	3)4
206. गोन्दी	,,	प्रभु लाल वल्द घांसी लाल नाई	237	6)
207. भाडौल	,,	मोहन लाल वल्द गोवरी लाल मेहर	114	5)
208. गोन्दी	,,	प्रभु लाल वल्द धुली लाल बैरवा	241	3)
209. दूघली	,,	प्रभु लाल वल्द ओंकार बैरवा	3061110	5।)
210. खेंडली	,,	गनपत, प्रभु, पांचू पुत्र हीरा बैरवा	165	5।।)3
211. भाडौल	,,	चतुरभुज पुत्र भैरू लाल माली	585	3)
212. लुहावद	,,	बजरंगा पुत्र पन्ना मीना	499	1।।)2
213. गणेशखेड़ा	,,	तेजमल वल्द गोमदा जाट	46	)2
214. ,,	,,	राम नाथ वल्द भंवर लाल जाट	46	)2
215. गनेशपुरा	,,	राम नारायण वल्द हरदेव धाकड़	331	2।।)
				114।)1
216. चकटोडी	,,	बद्री वल्द पन्ना बैरवा	10	10)
217. शेरपुर	,,	राम नाथ वल्द नारायण बैरवा	169।60	9।)2
218. ,,	,,	सीताराम वल्द भवाना बैरवा	3	15)
219. रामखेड़ा	,,	राम कल्याण वल्द नोन्दा बैरवा	107	4)
			119	6)1
220. नीलोला	,,	केशरा वल्द गोपाल बैरवा	415	10)
221. तलाव	,,	प्रभु लाल वल्द कान्हा धाकड़	341।1080	2।।)2
222. चकटोड़ी	,,	श्रवण पुत्र छगगा मीना	9	5।।)3
223. शेरगढ़	,,	नेनूलाल पुत्र नारायण बैरवा	105	1)3

(288)

1	2		3	4	5
224.	नीमोला	श्री	मथुरा लाल वल्द अमरा बैरवा	442 मि०	3॥)
225.	,,	,,	कल्याण पुत्र विरधा बैरवा	415	5)
226.	श्रीपुरा	,,	रतन लाल वल्द माधो मीना	90/38 96/41	3॥)1 4॥)
227.	मियाना	,,	मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान	931/19	5)
228.	शेरपुर	,,	मांग्या वल्द किशना बैरवा	18	6)
229.	सनमानपुरा	,,	चौथमल पुत्र रंग लाल कुम्हार	166	4)
230.	गनेशखेड़ा	,,	बद्री वल्द माधो नाई	20 103	॥) 1।)3
231.	सनमानपुरा	,,	सूरजमल पुत्र शंकर माली	284/234	3।)1
					101)3
232.	रनोदिया	,,	चतुरभुज वल्द राना बैरवा	737 816	10) 3॥)
233.	,,	,,	जगन्नाथ वल्द धन्ना लाल बैरवा	551	3)
234.	,,	,,	रमेशचन्द पुत्र चन्दा लाल बैरवा	553 731	15॥) 5)
235.	श्योपुरा	श्री	रामा पुत्र छपना बैरवा	32	7)
236.	,,	,,	मंगला पुत्र अमरा बैरवा	92	1)4
237.	,,	,,	चतुर्भुज पुत्र गोपाल कुम्हार	92	1।)2
238.	,,	,,	मोती पुत्र हाथी नाथ, नाथ	44	15)
239.	राजपुरा	,,	नेमी चन्द पुत्र रतीराम मीना	284	8)
240.	मूंडली	,,	शंकर लाल पुत्र भेरू लाल भील	375	14)
241.	किशनवास	,,	कुशलराज पुत्र हीरा लाल भील	422/13	5)
242.	राजपुरा	,,	प्रहलाद वल्द राम नाथ मीना	84	10)
243.	,,	,,	राम नारायण वल्द मांगी लाल खाती	313 315	 5)
244.	,,	,,	कल्याण वल्द भीमड़ा मीना	115	3।)3

1	2	3	4	5
245.	गोन्दी श्री	पांचू लाल पुत्र भैरू लाल बैरवा	262	4।।)1
246.	,, ,,	प्रभू वल्द देवा बैरवा	235	2)
247.	डोली ,,	दयाराम वल्द मन्ना लाल बैरवा	295	4)4
248.	दौलतपुरा,,	राम निवास पुत्र गोपाल मीना	19	5।)
249.	किशनपुरा ,,	राम चन्द्र पुत्र रामनाथ मीना	235	5।।।)
250.	गोन्दी ,,	मन्ना पुत्र बिरधा बैरवा	28	6)2
251.	खैड़ली बौरदा	गोरिया पुत्र गोपाल गूर्जर	382।65	4)
252.	किशनवास ,,	राम प्रसाद पुत्र गोबरिया भील	40	3)1
253.	खैड़ली बौरदा	गंगाविशन पुत्र कन्हीं राम बैरवा	151	7।।)4
254.	,, ,,	रामनिवास पुत्र शिवपाल छीपा	303	3)
255.	बंबूलिया खुर्द,,	भंवर सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत	214	1)
256.	रनोदिया ,,	जगन्नाथ पुत्र मन्ना लाल कुम्हार	775	5)
257.	राजपुरा ,,	गोपाल पुत्र लक्ष्मी नारायण ब्रा.	313	
			315	5)
258.	विजायता,,	छोटू,भंवर लाल वल्द शंकर मीना	206	3)
259.	चाणदा ,,	पन्ना लाल पुत्र गंगाराम मीना	84	3।)
260.	रनोदिया ,,	सीता राम वल्द भैरू लाल मीना	638।2	2)
261.	,, ,,	बाबूलाल पुत्र रतनदास बैरागी	569	4)4
262.	डोली ,,	राम बाबू पुत्र जगन्नाथ बैरागी	385	10)
263.	गोन्दी ,,	राम कल्याण पुत्र रतन लाल मीना	64	5)
264.	तलाव ,,	राधाकिशन रामरतन, जयलाल, पुत्र भागीरथ माली	232	4)3
265.	रनोदिया ,,	रामेश्वर वल्द राम गोपाल मीना	814	5)
266.	,, ,,	श्रीमती छगनी पत्नि कल्लू गूजर	841	4)
			425	3)
				207।।)
267.	अयानी श्री	मोरपाल पुत्र पांचू बैरवा	556	।)1
			869।559	2।।

298

1	2	3	4	5
268.	रघुनाथपुरा श्री	झवरीलाल पुत्र पांचू बैरवा	8	5।।
269.	,, ,,	बिहारी लाल पुत्र माधो खटीक	8	5)
270.	,, ,,	राम किशन वल्द शंकर बैरवा	8	5)
271.	अयानी ,,	बिरधी लाल वल्द छोटू बैरवा	298	।।।
272.	रघुनाथपुरा,,	धन्ना लाल वल्द कजोड़ बैरवा	66	7।।
273.	,, ,,	मदन लाल पुत्र मोती लाल बैरवा	66	8)
274.	पीपल्दा खुर्द,,	वादू पुत्र जगन्नाथ हरीजन	52	10)
275.	पीपल्दा खुर्द,,	कजोड़ पुत्र भैरू बैरवा	1,	10)
276.	,, ,,	लक्ष्मीनारायण पुत्र देवी सिंह बोला	1	10
277.	,, ,,	रगंलाल वल्द नैनगा माली केदार वल्द रंगलाल माली	14	5
278.	,, ,,	पन्ना वल्द बिरधा जागा	1	10
279.	,, ,,	राम किशन वल्द नाथू मीना	1	5)
280	अयाना ,,	निहाला पुत्र बिरधी लाल ठाकुर दैह	1324	4।।।)4
281.	खैड़ा ,,	सरिया पुत्र गौरू सहर खैडा	503।233	10)
282.	बोडोली ,,	हजारी पुत्र हरीराम सहर खैड़ा	482।439	6।।
283.	खैड़ां ,,	गौरधन वल्द फत्ता शहर खेड़ा	228	10।।)3
284.	,, ,,	सुन्दरा पुत्र हरी राम शहर खैड़ा	228	10)
285.	,, ,,	किशना पुत्र बंशी शहर खैड़ा	230	10)
286.	,, ,,	लौडकिया पुत्र घूलिया शहर खेड़ा	407/233	6।)
287.	,, ,,	राम पाल वल्द औंकार शहर	427/318	7)3
288.	बाडोली ,,	राम रतन वल्द घूल्या शहर	482/439	6।।)
289.	लुहावद ,,	नूर मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद मुस.	715	7)4
290.	सहनावदा ,,	मांगी लाल वल्द गोपाल बैरवा	73	4।)4
291.	,, ,,	अडीशाल सिंह पुत्र गिरवर सिंह	132/321	1)2
292.	फूसौद ,,	पन्ना वल्द गेदिया चमार	1/482	1।।)2
293.	डूंगरली ,,	लक्ष्मण पुत्र माधो बैरवा	203	8)
294.	,, ,,	रघुनाथ वल्द भूरा बैरवा	310/59	8)

291

1	2	3	4	5
295.	डूंगरली श्री	मु. रतनी बाई बेवा कालू वैरवा	310।57	11)
296.	,, ,,	सीताराम वल्द गनेश माली	209।74	10)
297.	ख्यावदा ,,	गयारसिया पुत्र गेदीया माली	162।1	।।)
298.	शहनावदा ,,	कल्याण पुत्र कंवर लाल खाती	14	5)3
299.	रौन ,,	सुन्दर लाल पुत्र जीवन माली	317	3।)4
			319	1।)2
300.	,, ,,	मांग्या वल्द गोपाल वैरवा	504	10)4
301.	शहनावदा,,	विरधी लाल वल्द बजरंग लाल काछी	13	1।।)2
302.	च्यावदा ,,	बजरंगा वल्द गेदिया माली	41	1।।।)
			161	।।)2
303.	विजयपुरा ,,	विरधी लाल वल्द शंकर वैरवा भूरा वैरवा सुखदेव वैरवा देह	45	6)
304.	रोहली ,,	रामनाथ पुत्र कन्हीं राम वैरवा	7	15)
305.	,, ,,	बद्री लाल पुत्र माधो राठी	7	11)
306.	लक्ष्मीपुरा ,, (करवाड़)	धन्ना पुत्र विरधा भील	6 मि.	8)1
307.	,, ,,	चतरभुज वल्द गंगाराम खाती	371	4)
308.	खेड़ली ,, वैरीशाल	राधा किशन वल्द घासी खटीक	142	10)
309.	,, ,,	विरधी लाल पुत्र चतुरभुज नाई	429।364	10)
310.	देवपुरा ,,	मांगी लाल वल्द कालू गूजर	48	10)
311.	कांकरा ,,	दैवा बल्द मन्ना भील	102	2।
312.	डडवाड़ा ,,	बाबू लाल वल्द मथुरा गूजर	499	।।)
313.	,, ,,	पोखरी लाल वल्द पांचू गूजर	462	4।)2
314.	नौनेरा ,,	बजरंग लाल वल्द विरधी लाल माली	696	5।।)
315.	,, ,,	लक्ष्मण पुत्र मथुरा कोली	406	2।)2
			412	2।।)
316.	,, ,,	गोवरी लाल पुत्र पन्ना लाल वैरवा	828	2।।।)

1	2		3	4	5
317.	फूसौद	श्री	लक्ष्मण पुत्र माधो बैरवा	1।558	4।।)
318.	डूंगरली	,,	कल्याण पुत्र बजरंग लाल राव	209।56	8)
319.	डडवाड़ा	,,	तेजमल वल्द श्याम लाल मीना	83	1।)
320.	,,	,,	रमेश चन्द पुत्र गोविन्द लाल मीना	488	।।।)
321.	,,	,,	राम किशन वल्द नारायण माली	671	1।।।)2
322.	लुहावद	,,	किशन लाल वल्द जयलाल कोली	128	1)1
				130	1।)3
323.	खेड़ा	,,	बैजनाथ वल्द माधो नाई	200	12)
324.	,,	,,	गोमदा वल्द राम लाल कीर	233	16।)
325.	प्रेमपुरा	,,	हीरा वल्द गोरू बैरवा	498	।।)3
326.	खैडदी पीपल्दा	,,	देवी लाल पुत्र चन्दा बैरवा	168	4।।)4
227.	पीपल्दा खुर्द	,,	किशना पुत्र बिरधी लाल माली	1	5)
328.	खैड़ली किशनपुरा	,,	केशरी लाल पुत्र राम चन्द्र बैरवा	54	1।।)2
				54।164	।।)1
				54।165	।।)1
329.	अयाना	,,	मदारी पुत्र अब्दुल्ला मुसलमान	1205	5)1
330.	खैड़ा	,,	छीत्या वल्द सुखदेव कीर	246	12)
331.	,,	,,	भैरू लाल वल्द हरबक्श कीर	232	10)
332.	विजयपुरा	,,	जगन्नाथ वल्द शंकर बैरवा	146	3।)1
333.	रघुनाथपुरा	,,	धन्ना लाल पुत्र रतन लाल बैरवा	118।64	4)
334.	माटौली	,,	राम विलाश पुत्र प्रभुदास बैरागी	29	3।।)4
335.	अयाना	,,	मदन लाल पुत्र जगन्नाथ हरीजन	1557	9।।)2
336.	गनेशपुरा	,,	मथुरा लाल पुत्र पांचू बैरवा	202	1)
				91	2।)
337.	कांकरा	,,	मांगी लाल पुत्र राम नाथ मीना	15	।।)1
				190	1)4
338.	प्रेमपुरा	,,	भंवर लाल वल्द अलारख मुसलमान	495	।)2

1	2	3	4	5
339.	गनेशखेड़ा	श्री ब्रजमोहन वल्द नाथू लाल बैरवा	74	1॥)4
340.	विजयपुरा	,, देवी शंकर वल्द मोती लाल धाकड़	51	5)1
341.	रौन	,, छोटे खां वल्द अहमद खां मुसलमान	191	2।॥)
				457॥

गोशवारा वर्ष 1980 को

कुल अलोटी	क्षेत्रफल
340	1916)1

ह० —

अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन),
कोटा ।

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 435 का मानचित्र

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1978–79 में राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं. 1	जिले का नाम 2	विवरण 3	राशि 4	दिनांक 5	कुल राशि 6
1.	उदयपुर	1—रैफरल अस्पताल भिण्डर के निर्माण कार्यों के लिए	10,000.00	7-8-78	30,000.00
		2—गोगुन्दा अस्पताल के भवन निर्माण कार्यों के लिए	10,000.00	1-9-78	
			10,000.00	22-3-79	
			30,000.00		
2.	सवाई माधोपुर	3—जनाना अस्पताल करौली (जच्चाखाना) निर्माण कार्यों के लिये	50,000.00	8-8-78	1,00,000.00
			50,000.00	12-9-78	
			1,00,000.00		

1	2	3	4	5	6
3.	भीलवाड़ा	1.—शाहपुरा अस्पताल को क्रमोन्नत करने के लिए	50,000.00	6-10-78	96,000.00
		2—खोरी, दोलतगढ़, पीपलून्द एवं कोटू कोटा के औषधालयों के निर्माण कार्य	46,000.00	2-2-78	
4.	टोंक	उनियारा क्षेत्र में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण कार्यों के लिये	10,000.00	30-11-78	10,000.00
5.	अलवर	बहादुर अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	20,000.00	12-12-78	20,000.00
6.	जोधपुर	उम्मेद अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	12,500.00	12-12-78	12,500.00
7.	बाड़मेर	टी. बी. क्लिनिक के निर्माण कार्यों के लिए	35,000.00	20-1-79	35,000.00
8.	चित्तौड़गढ़	बड़ी सादडी विलोदा एवं जाश्मा के चिकित्सालयों में निर्माण कार्यों के लिए	26,000.00	16-2-79	26,000.00
9.	पाली	बांगड़ अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	20,000,00	24-3-79	20,000.00

1	2	3	4	5	6
10.	सिरोही	जिला अस्पताल में टी.बी. वार्डों के निर्माण हेतु	20,000.00	24-3-79	20,000.00
11.	बांसवाड़ा	घाटोल में एक्सरे मशीन एवं कमरों के निर्माण के लिए	10,000.00	27-3-79	10,000.00
		कुल योग :—			3,79,500.00

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से वर्ष 1979–80 में राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं. 1	जिले का नाम 2	विवरण 3	दिनांक 4	राशि 5	कुल राशि 6
1.	जोधपुर	1—उम्मेद अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिए	6-4-79	12,500.00	62,500.00
		2—न्यूटिचिंग अस्पताल, जोधपुर में कोबाल्ट टेलीथ्यराफी यूनिट के भवन निर्माण के लिए	12-10-79	20,000.00	
		3— ,, ,, ,,	22-11-79	30,000.00	
2.	पाली	1—बांगड़ अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिए	23-4-79	25,000.00	65,000.00
		2— ,, ,, ,,	21-2-80	30,000.00	
		3—ग्राम पंचायत बावरा तहसील रामपुर चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्यों के लिए	5-3-80	10,000.00	

(298)

1	2	3	4	5	6
3.	अलवर	1—खेड़ली में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिए	30-4-79	15,000.00	50,000.00
		2— ,, ,, ,,	15-3-80	15,000.00	
		3—बहादुरपुर अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	23-8-79	10,000.00	
		4— ,, ,, ,,	23-10-79	10,000.00	
4.	भीलवाड़ा	1—शाहपुरा अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	14-5-79	25,000.00	1,06,000.00
		2— ,, ,, ,,	11-1-80	31,000.00	
		3— ,, ,, ,,	21-2-80	30,000.00	
		4—खोरी दौलतगढ़,, पीपलून्द एवं कोटाकाटा के औषधालयों के निर्माण कार्यों के लिए	5-11-79	10,000.00	
		5—जहाजपुर चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्यों के लिए	15-3-80	10,000.00	
5	टौंक	1—उनियारा में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिए	17-4-79	10,000.00	45,000.00
		2— ,, ,, ,,	23-7-79	10,000,00	

1	2	3	4	5	6
		3—टौंक में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के निर्माण के लिए	23-8-79	25,000.00	
6.	चित्तौड़गढ़	1—बड़ी सादड़ी, बिलौदा एवं जाश्मा के चिकित्सालयों के निर्माण कार्य हेतु	13-7-79	7,300.00	40,000,00
		2—बड़ी सादड़ी, बिलौदा एवं जाश्मा के चिकि. के निर्माण कार्यों हेतु	6-9-79	6,600.00	
		3— ,, ,, ,,	17-9-79	6,100.00	
		4— ,, ,, ,,	4-3-80	20,000.00	
7.	उदयपुर	1—रेफरल ग्रस्पताल भिण्डर के निर्माण कार्यों के लिए	26-7-79	20,000.00	65,000.00
		2— ,, ,, ,,	21-2-80	20,000.00	
		3—गोगुन्दा ग्रस्पताल के भवन निर्माण कार्यों के लिए	10-9-79	10,000.00	
		4—कानोड़ में वार्ड एवं ग्राउट डोर के निर्माण कार्यों के लिए	15-3-80	15,000.00	

1	2	3	4	5	6
8.	अजमेर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भिनाय को रेफरल अस्पताल बनाने के संबंध में निर्माण कार्यों के लिए	26-7-79	25,000.00	50,000.00
		,, ,, ,,	19-11-79	25,000.00	
9.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन कर्मियों के उपयोगार्थ डिस्पे. भवन निर्माण कार्यों के लिए	13-9-79	10,600.00	50,600.00
		बागीदोरा डिस्पे. के साथ भवन निर्माण तथा एक आठ शैय्याओं के वार्ड के. निर्माण कार्यों के लिए	29-11-79	20,000.00	
			23-2-80	20,000.00	
10.	बाड़मेर	ग्राम धोरीमन्ना में राजकीय चिकित्सालय तथा अस्पतालों के निर्माण कार्यों के लिए	5-11-79	25,000.00	25,000.00
11.	सिरोही	जिला अस्पताल में टी. बी. वार्ड के निर्माण कार्यों के लिए	3-1-80	16,000.00	16,000.00

1	2	3	4	5	6
12.	चूरू	भरतिया अस्पताल, चूरू में प्रयोगशाला के निर्माण एवं अधूरे पड़े निर्माण कार्यों के लिए	5-3-80	10,000.00	10,000.00
13.	श्री गंगानगर	हनुमानगढ़ कस्बे में 50 रोगी शैय्याओं के स्वीकृत एवं निर्मित अस्पताल के निर्माण कार्यों के लिए	25-3-80	50,000.00	50,000.00
		कुल योग:—			6,35,100.00

राजस्थान मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष के वर्ष 1980–81 (दिनांक 25–2–81 तक) में राजकीय चिकित्सालयों के भवन एवं निर्माण हेतु आवंटित राशि का मानचित्र

क्र.सं. 1	जिले का नाम 2	विवरण 3	दिनांक 4	राशि 5	कुल योग 6
1.	टोंक	1—जिला स्तरीय अस्पताल, टोंक में अधूरे पडे निर्माण कार्यों को पूरा करवाने के लिए	10-4-80	10,000.00	27,000.00
			2-5-80	17,000.00	
2.	चूरू	1—भरतिया अस्पताल चूरू में प्रयोगशाला आदि के निर्माण एवं अधूरे पड़े निर्माण कार्यों के लिए	17-4-80	15,000.00	65,000.00
		2—रतन नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्यों के लिए	26-7-80	50,000.00	
3	बाड़मेर	1—ग्राम धोरीमन्ना में राजकीय चिकित्सालय तथा आवासों के निर्माण कार्यों के लिए	14-5-80	25,000.00	25,000.00

1	2	3	4	5	6
4.	सिरोही	जिला अस्पताल टी.बी. वार्ड के निर्माण कार्यों के लिए	8-7-80	15,000.00	15,000.00
5.	उदयपुर	ग्राम पंचायत रेलमगरा में आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण कार्यों के लिए	16-9-80	10,000.00	10,000.00
6.	डूंगरपुर	डूंगरपुर अस्पताल में विभिन्न विकास निर्माण कार्यों के लिए	30-10-80	50,000.00	50,000.00
7.	जोधपुर	1—न्यू टिचिंग अस्पताल, जोधपुर में कोबाल्ट टेलीथ्यराफीयूनिट के भवन निर्माण कार्यों के लिए	7-1-81	50,000.00	1,50,000.00
		2—पीपाड़ शहर में निर्माणाधीन रेफरल अस्पताल के लिए	6-2-81	1,00,000.00	
8.	पाली	बांरा अस्पताल में निर्माण कार्यों के लिए	20-1-81	25,000.00	25,000.00

1	2	3	4	5	6
9.	चित्तौड़गढ	चिकित्सालय भवन, वस्सी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पारसोली में निर्माण कार्यों के लिए	23-1-81	65,000.00	65,000.00
10.	बीकानेर	पी. बी. एम. अस्पताल के ए. एन. टी. विभाग के निर्माण कार्यों के लिए	7-2-81	36,500.00	36,500.00
		कुल योग:—			4,68,500.00

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

श्री गंगानगर में 'अ' श्रेणी के अस्पताल भवन का निर्माण

436. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर में 'अ', श्रेणी के हॉस्पिटल भवन बनाने की सरकार की योजना है ? क्या इस भवन निर्माण के लिए वन ट्रस्ट ने भूमि खरीद कर उसमें चार दीवारी बना दी है ?

(2) क्या हॉस्पिटल के भवन निर्माण हेतु स्थान परिवर्तन का विचार चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? पूर्व में क्रय-शुदा भूमि और उस पर व्यय हुई धन राशि की क्षति वहन के बारे में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) योजना विचाराधीन है चिकित्सालय निर्माण ट्रस्ट ने भूमि खरीद कर वहां चार दीवारी निर्माण का कार्य चालू कर दिया है ।

(2) जी नहीं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

पंचायत समिति सुल्तानपुर के ट्राइबल एरिया बेल्ट के ग्रामों का विकास

437. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला कोटा की सुल्तानपुर पंचायत समिति के कितने व कौन-कौन से ग्राम ट्राइबल एरिया (बेल्ट) के नाम से सरकार ने कब से घोषित किए हुए है ? उन ग्रामों के विकास के लिए सरकार ने गत 1 वर्ष में क्या क्या कार्यवाही की ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति के निम्नलिखित 9 ग्राम पीपल्दा-मांगरोल-दीगोद जनजाति लघु खण्ड में सम्मिलित किये गये हैं जिनका अनुमोदन भारत सरकार से दिसम्बर, 1979 में प्राप्त हुआ है:–

1. एवरा 2. पीपल्दासमेल
3. निमोदा 4. कोटड़ापुरा
5. खेडलीखसक 6. दुर्जनपुरा
7. खेरलीशहरान 8. रामपुरिया
9. लाख सनीजा

उक्त ग्रामों के विकास के लिये जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जो 2 विकास कार्य किये गये है वे सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं ।

(306)

कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति के 9 ग्रामों के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किये गये विकास कार्य :

1. निम्नलिखित ग्रामों में पेयजल निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये: -

1. निमोदा	10,000/-
2. पीपल्दा समेल	8,000/-
3, रामपुरिया	10,000/-
4. कोटड़ापुरा	5,000/-
	33,000/-

2. शिक्षा प्रोत्साहन 30/- रुपये जनजातिके प्रत्येक छात्र/छात्रा को। यह प्रोत्साहन प्राथमिक शाला के कक्षा एक व दो के बच्चों को दिया जाता है व कक्षा एक से पांचवीं तक की समस्त छात्राओं को दिया जाता है।

3. जनजाति के व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं भी लघु विकास खण्ड पीपल्दा-मांगरोल-दीगोद के लिये स्वीकृत की गई हैं, जिनका लाभ इन ग्रामों को भी मिलेगा।

पब्लिक स्कूल्स में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को उपलब्ध सुविधायें

438. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को कुछ पब्लिक स्कूल्स में अध्ययन हेतु सुविधायें दी जाती हैं ? यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ? कृपया संबंधित नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) कृपया गत पांच वर्षों में उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पिता का नाम, आय व व्यवसाय, परीक्षा में प्राप्त श्रेणी आदि का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। छात्रों को पब्लिक स्कूल के छात्रावास में रखा जाकर उनके भोजन, फीस, वस्त्र, पुस्तकें-स्टेशनरी आदि का सम्पूर्ण व्यय विभाग द्वारा दिया जाता है, नियमों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

Copy of Govt. Notification No. F. 13(32) SW/60 dated 27th Sept. 1961 from the Dy. Secretary to the Govt Social Welfare Dep't., Rajasthan, Jaipur.

The Government of Rajasthan is hereby pleased to make the following rules for grant of special Scholarships to students of Backward Classes.

RULES

1. These rules may be called "Rules for Special Scholarships to Backward Classes. These regulate the grant of Special Scholarship for prosecuting studies in the educational institutions of high repute including public schools with a view to afford the best education to the deserving students of backward classes.

2. These rules extend to the whole of Rajasthan.

3 These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

4. In these rules unless the context otherwise requires :—

   (i) "Director" means the Director of Primary and Secondary Education Rajasthan.

   (ii) "Government" means the Government of Rajasthan.

   (iii) "The Central Government" means the Government of India.

   (iv) "Backward classes" means the scheduled castes, Scheduled Tribes and Denotified Tribes, declared as such for the State of Rajasthan under the constitution.

   (v) "Committee" means the committee as defined in rule 6(11) of these rules.

   (vi) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.

5. Candidates of the following categories shall be eligible for the award of scholarship under these rules :—

(i) He/she should be a member of scheduled caste, scheduled tribes/Denotified Tribes as recognised by the Government for the State of Rajasthan.

(ii) He/she should be a bonafied resident of Rajasthan.

(iii) He/she should have secured 60% marks in the previous examination.

(iv) The parents of the scholar should not be paying Income-Tax.

Note :— The parents shall have to file one year's return/stating that they are not actually paying income-tax before the scholarship is granted or renewed.

6. (i) The director shall at the ensuing of the academic year issue a notice specifying number of seats available in various institutions and the due date for receipt of applications. Applications in response to such notices shall be received by him or any other authority specified by him. No applications received after the expiry of the notice period shall be entertained.

(ii) All application shall be scrutinised and those found to be in order shall be placed before the Committee consisting of the Director, Secondary Education, and Director of the Social Welfare, or their nominees not below the Rank of Deputy Director. The Committee shall decide the order in which the students shall be recommended to the institutions keeping in view the merit obtained by them at the last examination. If any case of such admission to an institution, selection may be made on the basis of merit of tests and other criteria which may be decided by the Committee, irrespective of the class in which admission is desired to be sought.

(iii) The Director shall then forward the applications to the concerned institutions with a request for admiting the

student in the order of preference laid down by the committee. Action for grant of scholarship shall be taken after the student is admitted at the institution.

7. The Scholarships shall be granted for studies only in the institution recognised by the Government. The Scholarship shall be paid to meet the expenditure on the following :—

(a) Tution fee.

(b) Hostel fee if the boy is admitted at the hostel.

(c) Other charges for books and equipments etc. which are considered minimum for prosecuting studies in the Institution in which he is admitted, on the certificate of the head of the institution concerned.

8. The students admitted in the institutions before the promulgation of these rules shall continue to get the same as long as they do not fail or till their parents come in the category of income-tax payers and any such scholarships shall be deemed to have been granted under these rules subject to the availability of funds.

9. The renewal of scholarship shall be subject to the students maintaining satisfactory progress by obtaining at least a minimum of 55./· of the aggregate of marks in the annual examination or 55./· of the aggregate of marks obtained in all the terminal examinations combined.

10. The scholarship shall be paid to the student through the institution concerned which shall be liable to render accounts and to give receipts of the amounts.

11. Notwithstanding any thing contained in these rules grant of scholarship to the student shall be subject to availability of funds.

325

Government of Rajasthan

Directorate of Social Welfare

No. SED/Agency/Spl/Sch/61.62/54756-90 Dated : 28.11.1961

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Asstt. Director. S. W. Deptt., Jaipur/Jodhpur/Udaipur/Bikaner/Bharatpur.
2. The Social Welfare Officer, S. W Deptt.,
3. The Manager/Secretary/Headmaster,

Sd/-
DIRECTOR

Government of Rajasthan

Social Welfare Department

No. F. 9/4/Sch/SWD/70-71/2/806/-32 Jaipur, Dated 17.4 71

NOTIFICATION

Sub :-Rules for grant of Special Scholarships to students of Backward Classes.

The Governor has been pleased to make the following amendments in the Rules for grant of Special Scholarships to students of Backward Classes 1961 (Notification No. F. 13 (32) SW/60 dated 27.9.1961. They shall come into force with effect from 1.7.1971.

AMENDMENT

Rule No 9

The figure "50%" be inserted in place of "50" appearing in the second and third line of this rule.

This issues with the concurrence of Finance Department vide their I.D. No. F.D. (Expdt. I) 2630 dated 12th Sept., 1970 and No. 4755/PA/FC/70 dated 8 9.1970.

Sd/-
Dy. Secretary to the Government
Social Welfare Department
Raiasthan, Jaipur.

(312)

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों के

वर्ष 1976-

क्र. सं.	छात्र/छात्रा काम	पिता का नाम	जाति	कक्षा	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	भंवरलाल रेगर	श्री उदयलाल	रेगर	5	2,993
2.	भंवरलाल रेगर	,, गणेश जी	रेगर	5	2,993
3.	सतीशचन्द्र गोलछा	,, मोहनलाल	गोलछा	5	2,993
4.	गोविन्द कुमार चंदेल	,, नाथूसिंह	चंदेल	5	2,993
5,	शंकरलाल रेगर	,, पोखर जी	रेगर	5	2,993
6.	राजू हरिजन	,, अम्बालाल	हरिजन	4	2,993
7.	भूरीलाल	,, दीपलाल	कल्याणी	4	2,993
8.	घनश्याम सोनवाल	,, कालीराम	सोनवाल	4	2,993
9.	मोहनलाल	,, जेटाराम	मेघवाल	6	2,702
10.	ओम प्रकाश	,, आशाराम	बारकीस	9	2,702
11.	श्यामसुन्दर	,, शिवनाथ	खटीक	7	2,702
12.	दुलाराम	,, जगन्नाथ	मेघवाल	8	2,702
13.	पूनमचन्द	,, गिरधारी लाल	,,	6	2,702
14.	नेमीचन्द	,, शिवनाथ	खटीक	10	2,702
15.	कु. प्रेम वर्मा	,, रूड़मल बरवड़	बलाई	5	3018
16.	रमेश चन्द	,, बाबूलाल	खटीक	7	6,195.53
17.	रमेशचन्द	,, रूड़मल बरवड़	बलाई	4	636.00
18.	प्रमोद कुमार	,, श्रीमती दाखा म्हरड़ा	चमार	3	730.00
19.	बृज मोहन	,, मंगला राम	बैरवा	6	770.30

अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

77 (नूतन)

विद्यालय का नाम 7	चयन के समय जन्म तिथि 8	प्राप्त अंक प्रतिशत 9	पिता का व्यवसाय 10	आय 11	अन्य विवरण 12
विद्या भवन उ. मा. वि., उदयपुर	9-7-62	72.4	मजदूरी	1800/-	
,,	30-6-64	64.07	कृषि	3000/-	
,,	15-8-66	61.00	च. श्रे. क.	2784/-	
,,	7-8-63	60.00	,,	2684/-	
,,	16-6-64	59.08	मजदूरी	2000/-	
,,	27-1-60	58.04	च. श्रे. क.	2292/-	
,,	5-8-65	56 00	सिपाही	2620/-	
,,	8-7-65	56.00	अध्यापक	6414/-	
सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	11-3-66	77.03	लाईनमेन	6117/-	
,,	20-6-59	74.02	मजदूरी	1800/-	
,,	14 वर्ष	70 00	पेन्शनर	1428/	
,,	14 वर्ष	60.06	सिपाही	3000/-	
,,	14-5-62	58.05	कृषि	1200/-	
,,	15-8-60	55.02	पेन्शनर	1428/-	
एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल, जयपुर	22-10-64	57.44	दुकानदार	3600/-	
सेन्ट जेवीयर स्कूल, जयपुर	12 वर्ष	67.08	क. लि.	5000/-	
,,	7-7-65	55.90	दुकानदार	3600/-	हे-स्कोलर
,,	11-11-68	82.70	मजदूरी	400/-	,,
,,	18-12-65	88.00	मजदूरी	3000/-	,,

1	2	3	4	5	6
20.	महेन्द्र कुमार भगत	श्री दामोदर लाल	भगत	8	3,002
21.	बंशीलाल जोहियाला	,, रतनसिंह	जोहियाला	6	3,002
22.	राजेन्द्र कुमार	,, देवजी डामर	डामर	4	2,993
23.	विक्रमसिंह डामर	,, जनार्दनडामर	डामर	4	2,993
24.	नील कमल पलात	,, रामचन्द्र	पताल	2	2,993
25.	कु. कमला डामोर	,, सोमेश्वर	डामोर	3	2,236
26.	कु. रमीला	,, भेभ जी	डामोर	4	2,236

345

7	8	9	10	11	12
विद्या भवन उ. मा. वि., उदयपुर	15-1-63	75.04	अध्यापक	4200	
,,	15-6-64	70.00	अध्यापक	7924	
,,	2-8-65	62.02	कृषि	4000	
,,	1-4-68	78.09	कृषि	5000	
,,	18-2-69	69.04	शोध सहायक	4620	
वनस्थली विद्यापीठ निवाई, टोंक	7-3-66	72.3	क. लि.	4586	
,,	5-1-66	64.5	कृषि	4800	

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों के

वर्ष 1977–

क्र.सं.	छात्र/छात्रा	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	ताराचन्द	श्री मोतीलाल	8-6-66	कृषि	83.33
2.	मोहनलाल	श्री रामलाल	3-7-65	कुक्कट पर्यवेक्षक	78.91
3.	शंकरलाल	श्री तुलसीराम	7-4-64	मजदूरी	75.55
4.	नन्दकिशोर	श्री नाथूसिंह	20-12-67	च. श्रे. क.	75.37
5.	भागीरथलाल	श्री राजू जी रेगर	4-2-67	मजदूरी	75.12
6.	प्रहलाद	श्री मांगी लाल	5-8-62	स्वीपर	72 00
7.	किरण कुमारी	श्री बाबू लाल	24-9-66	स. अध्यापक	70.00
8.	मनोज कुमार	श्री बाबू लाल	10-9-69	स. अध्यापक	70.00
9.	इन्द्र कुमार	श्री रामेश्वर प्रसाद	24-11-63	निरीक्षक	69.00
10.	हरी नारायण	श्री राम पाल	15-7-66	स. अध्यापक	69.00
11.	छत्तर लाल	श्री डाल चन्द	28-6-61	मजदूरी	68.56
12.	सन्त कुमार	श्री नारायण लाल	3-2-68	छात्रावास अधीक्षक	68.50
13.	नरेन्द्र सिंह	श्री सुभाष चन्द	30-6-68	स. अध्यापक	68.33
14.	ओम प्रकाश	श्री सूरजा राम	1-8-65	मजदूरी	68.83
15.	राम प्रसाद	श्री सेमा जी	5-8-63	हरिजन	67.25
16.	कस्तूर चन्द	श्री भगवान सहाय	28-4-63	तार क्लर्क	66.25
17.	रघुवीर सिंह	श्री नोरंग लाल	2-3-63	अध्यापक	66.18
18.	जवाहर लाल	श्री मोती राम	10-8-63	मजदूरी	65.62
19.	कु० अर्चना यादव	श्री देवी लाल	27-10-64	सार्वजनिक कार्यकर्त्ता	65.35
20.	लता कुमारी	श्री नारायण लाल	3-2-70	छात्रावास अधीक्षक	65.33
21.	राज कुमार	श्री रघुनाथ दास	14-5-71	के० कर्मचारी	65.10

अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

78 (नूतन)

वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
7	8	9	10	11
2,200	रेगर	5	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	2993/-
5,328	बलाई	5	,,	2993/-
1,800	रेगर	7	,,	3002/-
3,384	हरिजन	5	,,	2993/-
1,800	रेगर	4	,,	2993/-
3,204	हरिजन	5	,,	2993/-
6,660	बलाई	6	महारानी गायत्री देवी बा० विद्यालय, जयपुर	2291/-
6,660	बलाई	3	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	2993/-
10,200	रेगर	9	सादुॅल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2772/-
6,220	नोगिया	6	,,	2646/-
1,800	रेगर	9	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3026/-
4,111.20	रेगर	4	सेन्ट जेवीयर स्कूल,जयपुर	2977,58
5,359.20	मुकल	5	बिड़ला पब्लिक स्कूल, पिलानी	2993/-
2,400	रेगर	7	सादुॅल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2646/-
2,976	हरिजन	6	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3000/-
9,087	रेगर	9	सादुॅल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2772/-
7,800	चमार	9	,,	2772/-
2,400	चमार	7	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3002/-
4,800	जाटव	9	वनस्थली उ.मा.वि. निवाई	2291/-
4,111.20	रेगर	3	एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल, जयपुर	3318/-
4,296	बैरवा	2	सेन्ट जेवीयर स्कूल, जयपुर	3567.58

(318)

1	2	3	4	5	6
22.	भैरू लाल	श्री कालु लाल	1-1-62	मजदूरी	63.87
23.	भगवती लाल	श्री रोशन लाल	12-7-64	च० श्रे० क०	63.71
24.	नारायण लाल	श्री पुजमल जी	15-3-63	कृषि	63.00
25.	महेन्द्र कुमार	श्री सूवा लाल	14 वर्ष	क० लिपिक	62.50
26.	हिम्मत लाल	श्री गोपी लाल	4-1-69	स० अध्यापक	60.00
27.	राजेश कुमार	श्री कालु जी	13-3-64	स्वीपर	61.50
28.	राजेश बन्धु	श्री केवल कान्त	20-12-65	कृषि	61.30
29.	विष्णु प्रकाश	श्री कली राम	10-8-68	अध्यापक	61.17
30.	चुन्नी लाल	श्री सुमेर चन्द	24-7-63	च० श्रे० क०	60.75
31.	विमल किशोर	श्री नन्द किशोर	24-4-66	लिपिक	60.00

7	8	9	10	11
2,400	रेगर	7	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3002/-
2,520	हरिजन	8	,,	3002/-
1,500	मालवी	9	,,	3026/-
5,000	रेगर	8	,,	3002/-
3,000	रेगर	4	,,	2993/-
3,744	हरिजन	5	,,	2993/-
7,080	हरिजन	4	,,	2993/-
7,448.40	सोनवाल	4	,,	2993/-
3,132	रेगर	9	,,	3026/-
4,968	गरुडा	7	,,	3002/-

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों

वर्ष 1977–

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय
1	2	3	4	5
1.	फूलाराम	श्री थावरचन्द	3-7-60	कृषि
2.	गणेश	,, लखमा जी	2-7-63	कृषि
3.	महेन्द्र कुमार	,, समरथ लाल	8-6-66	वाणिज्यकर अधि०
4.	कोदर लाल	,, नाना लाल	29-6-70	क. लिपिक
5.	मोतीलाल	,, बालकृष्ण	3-11-68	अध्यापक
6.	कान्ती लाल	,, मवासी जी	10-5-60	कृषि
7.	शान्ति सागर	,, पूंजाजी	8-5-63	कृषि
8.	कालू लाल	,, रामजी	8 वर्ष	हवलदार
9.	बाबू लाल	,, नाथू जी	30-12-65	कृषि
10.	आसू राम	,, नन्द राम	3-5-64	मजदूरी
11.	बागराम	,, पनूसा जी	7-1-63	कृषि
12.	सरोज कुमारी	,, हरलाल सिंह	1-5-63	लेखाकार
13.	शंकर लाल	,, नाथूजी	16-7-64	कृषि
14.	मनसुख लाल	,, सूरज मल	24-9-65	सिपाही

के अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

78 (नूतन)

परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत	वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
6	7	8	9	10	11
87.56	2,000	मीणा	8	विद्या भवन उ.मा.वि., उदयपुर	3002/-
76.00	3,000	भील	9	,,	3026/-
72.00	7,080	मीणा	6	,,	2993/-
72.50	4,260	डामेर	3	,,	2993/-
66.85	6,840	भील	3	,,	2993/-
66.00	1,500	भील	9	,,	3026/-
65.00	4,000	भील	9	,,	3026/-
64.00	4,920	भील	3	,,	2993/-
63.00	2,000	भील	6	,,	3002/-
60.68	1,000	मीणा	7	,,	3002/-
60.25	600	भील	9	,,	3026/-
59.41	6,240	मीणा	6	महारानी गायत्री देवी वि० जयपुर।	2291/-
58.91	2,000	भील	6	विद्याभवन उ.मा.वि., उदयपुर	2993/-
56.83	3,600	भील	6	,,	2993/-

3229

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों के वर्ष 1978–

क. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय
1	2	3	4	5
1.	अजय कुमार	श्री नानक चन्द	23-11-66	क० अभि०
2.	राजकुमार	,, नानक चन्द	1-1-68	क. अभि.
3.	हेम चन्द	,, गोपी चन्द	15-8-64	खलासी
4.	भूरालाल	,, माना राम	4-8-66	मजदूरी
5.	सन्तोष कुमार	,,नारायण लाल	27-7-69	स. अध्यापक
6.	अचलराम	,, स्वरूप जी	3-8-64	मजदूरी
7.	उर्मिला कुमारी	,, मांगीराम	1 1-67	व. लिपिक
8.	शिव कुमार	,, बिरमाराम	11 वर्ष	खलासी
9.	नारायण लाल	,, प्रतापजी	15-9-66	सुथारीकार्य
10.	दिलिप कुमार	,, दुर्गा शंकर	4-5-63	मजदूरी
11.	जसराज	,, घासी जी	7-9-60	मजदूरी
12.	कु. सरोजनी	,, कल्याण निर्भिक	28-5-67	व. लिपिक
13.	गोपाल लाल	,, टोडरमल	8-7-62	जूतीबनाना
14	चुन्नीलाल	,, नारायण लाल	1-7-64	मजदूरी
15.	गुलाब चन्द	,, फूल चन्द	1-7-64	मजदूरी
16.	कुसुम लता	,, रगलाल	14-5-69	स. अध्यापक
17.	कु. अनुराधा	,, रामस्वरूप	11-8-69	क. लिपिक
18.	बेनी माधव	,, मदन मोहन	26-7-68	स. अध्यापक

अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण 79 (नूतन)

परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत	वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
6	7	8	9	10	11
85.37	10,770	जाटव	7	विद्याभवन उ. मा. वि. उदयपुर	3264/-
86.57	10,770	जाटव	6	,,	3264/-
80 81	4,461	मोची	9	सादुंल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2762/-
80.66	2,000	रेगर	6	विद्याभवन उ. मा. वि. उदयपुर	3264/-
80.50	6,420	रेगर	5	,,	3255/-
77.83	2,400	रेगर	5	,,	3255/-
77.28	6,840	धानकिया	6	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई	2205/-
75.00	4,461	जीनगर	6	सादुंल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2646/-
73.83	1,200	रेगर	6	विद्या भवन उ.मा. वि. उदयपुर	3264/-
70.75	1,800	रेगर	9	,,	3,288/-
70.12	1,200	रेगर	9	,,	3288/-
69.58	6,720	बलाई	6	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई	2305/-
69.00	2,400	जीनगर	9	विद्याभवन उ. मा. वि. उदयपुर	3288/-
67.81	2,400	रेगर	8	,,	3264/-
67.33	2,000	मेघवाल	5	,,	3255/-
66.16	7,300	गरगंड़ा	5	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई	2305/-
56.28	6,020	खटीक	6	,,	2305/-
73.25	5,700	परिहार	6	सादुंल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2646/-

324

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों

वर्ष 1978–

क्रम स.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
अनुसूचित जन जाति					
1.	हरीश कुमार	श्री ठण्डीराम	7 वर्ष	कृषि	73.00
2.	कु० दीपिका कुमारी	श्री किरण सिंह	4-4-70	पशुधन सहा.	72 21
3.	भीम चन्द	श्री थावर जी	1-1-64	खेती	70.85
4.	दिलीप कुमार	श्री पांचा मीणा	1-3-63	खेती	70.44
5.	श्याम लाल	श्री कचरू चरपोटा	1-2-67	खेती	69.00
6.	नरेन्द्र कुमार	श्री प्रभु लाल	3-6-66	स. अध्यापक	67.87
7.	हरिश चन्द्र	श्री रूप सिंह रोत	1-5-61	खेती	65.87
8.	महेश कुमार	श्री साबूसालाल	10-4-72	कृषि	65.85

325

के अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृति का पूर्ण विवरण

79 (नूतन)

वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
7	8	9	10	11
5,000	मीणा	2	सेन्ट जेवीयर स्कूल. जयपुर	4059.45
6,360	रोत	3	वनस्थली उ.मा.वि. निवाई	2305,00
1,500	भील	9	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3288.00
500	मीणा	8	,,	3264.00
2,000	खरपोटा	6	,,	3264.00
6,000	भील	5	,,	3255.00
4,000	भील	8	,,	3264.00
6,000	मीणा	2	सेन्ट जेवीयर स्कूल, जयपुर	2147.55

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

326

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जन जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों

वर्ष 1979–

क्रम स.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	अनुसूचित जाति				
1.	दयानन्द	श्री चंदगी राम	15-8-66	चपरासी	77.75
2.	जगदीश प्रसाद	श्री मांगी लाल	25-11-68	मजदूरी	77.68
3.	भवानी शंकर	श्री हीरा लाल	5-9-69	व० लिपिक	77.07
4.	विकेश कुमारी	श्री मही राम	1-3-74	क० रसायनिक	76.42
5.	कु० कमला आगरी	श्री चुन्नी लाल	11-3-69	व० लिपिक	75.42
6.	अरविन्द कुमार	श्री हीरालाल	26-1-65	कंपाउन्डर	75.25
7.	कविता बैरवा	श्री राम नारायण	11-4-71	क० लिपिक	74.00
8.	बूटा सिंह	श्री जोगेन्द्र सिंह	15-7-68	व० लिपिक	73.57
9.	राजेन्द्र कुमार सिंह	श्री सुल्तान सिंह	11-7-67	उप अधीक्षक पुलिस	73.55
10.	ओम प्रकाश	श्री प्रताप सिंह	12-12-63	खेती	79.31
	अनुसूचित जन जाति				
11.	कु० ज्योति मीणा	श्री राजेन्द्र कुमार	17-1-72	व० लिपिक	87.33
13.	कमल मीणा	श्री प्रभु दयाल	1-1-74	खेती	86.50
13.	सुरेश कुमार	श्री राम किशोर	28-12-72	अंकेक्षक	84.83
14.	राजेश मीणा	श्री राम प्रसाद	1-5-72	खेती	81,75

327

के अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

80 (नूतन)

वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
7	8	9	10	11
3,060	चमार	8	सार्दुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2646/-
1,200	रेगर	6	,,	2646/-
6,900	रेगर	6	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3303/-
8,880	चमार	3	वनस्थली विद्यापीठ, निवाई	2660/-
8,280	मेघवाल	6	एम जी. डी. स्कूल, जयपुर	3135/-
9,360	बलाई	9	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3336/-
6,600	बैरवा	2	एम. जी. डी. स्कूल जयपुर	3135/-
6,840	वाल्मिकी	6	सार्दुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2646/-
2,600	चमार	9	,,	2772/-
3,000	जुटिया	9	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3336/-
6,696	मीणा	2	एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल जयपुर	3135/-
3,800	मीणा	1	सेन्ट जेवीयर स्कूल, जयपुर	928/-
4,000	मीणा	2	,,	4813.28
4,000	मीणा	3	,,	686/-

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों

वर्ष 1980–

क्र. सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय
1	2	3	4	5
1.	अशोक कुमार	श्री श्योदानसिंह	29.11.67	सं. स्टे.मास्टर
2.	भवानी शंकर	,, सोहनलाल मोची	6.12.68	पत्र छांटक
3.	बिमला परिहार	,, पृथ्वीराज परिहार	22.8.69	अध्यापक
4.	अशोक कुमार	,, रामस्वरूप वर्मा	1.7.66	नायवतहसीलदार
5.	सुश्री रंजना वर्मा	,, मूलाराम	1.7.74	कृषि
6.	कवरलाल कालबेलिया	,, मांगीलाल	25.8.65	कृषि
7.	नारायण लाल यादव	,, हीरा जी यादव	12.8.65	कृषि
8.	हेमन्त कुमार	,, लोकेश चन्द	28.3.69	निरीक्षक
9.	लादूलाल	,, कल्याणमल	15 6 67	कृषि
10.	मेघराज सोनगरा	,, गोपीचन्द सोनगरा	28.7.69	रेल्वे कर्मचारी
11.	सुन्दर लाल खटीक	,, नैणचन्द खटीक	30.7.66	कृषि
12.	चम्पालाल जेलिया	,, जेठाराम	15.7.72	चमड़ा रंगाई
13.	सत्यनारायण	,, गणपतलाल	12.5.68	जूता बनाना
14.	अनील कुमार मेघवाल	,, रामलाल मेघवाल	16.5.69	सुपरवाइजर
15.	विजयकुमार परिहार	,, पृथ्वीराज	7.8.68	अध्यापक
16.	शंकर लाल	,, पोकरराम	13.12.65	कृषि
17.	कैलाश चन्द रेगर	,, वक्तावर लाल	16.2.70	मजदूरी
18.	कु. कुसुम	,, नानक चन्द	16.9.71	उप मण्डल अधि. पी. एण्ड. टी

के अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

81 (नूतन)

परीक्षा में श्रेणी अंक प्रतिशत	वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
6	7	8	9	10	11
86.37	8,000	जाटव	8	सार्दुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2,646/-
86.33	6,878	मोची	6	सार्दुल ,, ,,	2,646/-
83.33	6,840	मेघवाल	6	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई (टोंक)	3,035/-
78.00	7,000	रेगर	9	सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2,772/-
76.50	2,000	रेगर	3	एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल, जयपुर	4,000/- (संभावित)
75.18	900	कालबेलिया	9	विद्या भवन उ. मा. वि. उदयपुर	3,588/-
75.06	900	चमार	9	,, ,,	3,564/-
74.35	8,520	रेगर	6	,, ,,	3,564/-
72.81	3,000	रेगर	9	सार्दुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर	2,772/-
72.71	5,055	मोची	6	,, ,,	2,646/-
72.18	4,000	खटीक	9	विद्या भवन उ. मा. वि. उदयपुर	3,588/-
72.16	1,800	रेगर	5	,, ,,	3,555/-
71.58	3,600	मोची	6	,, ,,	3,564/-
71.00	7,800	मेघवाल	6	,, ,,	3,564/-
70.25	6,840	मेघवाल	8	सार्दुल पब्लिक स्कूल,बीकानेर	2,646/-
70.05	4,000	बलाई	9	,, ,,	2,772/-
69.75	2,000	रेगर	4	विद्या भवन उ. मा. वि. उदयपुर	3,555/-
(8.58	11,807	जाटव	5	वनस्थली विद्यापीठ, निवाई (टोंक)	3,035/-

330

1	2	3	4	5
19.	संजीव कुमार चौहान	श्री ग्रोम प्रकाश	20.10.70	उप नाकेदार
20.	सुषमा साम्भारिया	,, रामसिंह	27.10.68	मुख्य ग्रारक्षण परिवेक्षक
21.	भंवरलाल मेघवाल	,, पदमा जी	17.8.67	मजदूरी
22.	ग्रनुराधा	,, नानक चन्द	16.9.71	उप मण्डल ग्रधि. पी. एण्ड. टी
23.	बसन्त कुमार	,, नारायण लाल	10.11.70	छात्रावास ग्रधीक्षक
24.	राजेश पहाड़िया	,, कमल सिंह पहाड़िया	3.9.73	च.श्रे.क.
25.	दिलीप पहाड़िया	,, कमलसिंह पहाड़िया	2.10.73	च. श्रे. क.

6	7	8	9	10	11
68.12	5,280	धोबी	5	विद्या भवन उ. मा. वि. उदयपुर	3,555/-
68.06	11,042	चमार	7	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई (टोंक)	3,035/-
67.81	800	मेघवाल	8	विद्या भवन उ. मा. वि. उदयपुर	3,564/-
67 75	11,807	जाटव	5	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई (टोंक)	3,035/-
91.85	4,050	रेगर	5	वि. भवन उ. मा. वि. उदपुर	3,555/-
86.50	4,000	खटीक	2	सेन्ट ज़ेलिवर स्कूल, जयपुर	3,796/-
81.36	4,000	खटीक	5	विद्या भवन उ. मा. वि उदयपुर	3,555/-

निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

332

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं को पब्लिक स्कूलों के

वर्ष 1980—

क्रम सं.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पिता का व्यवसाय	परीक्षा में प्राप्त श्रेणी अंक प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	कु० सुनिता	श्री गौरी शंकर	9-6-67	पेन्सनर	85.55
2.	घनश्याम लाल	श्री चिमना जी	16-7-66	कृषि	85.06
3.	कु० सुनिता	श्री इन्द्र कुमार	13-5-72	निजी कार्य	80.73
4.	नाथू लाल	श्री रूपा जी	20-8-65	खेती	80.56
5.	चुन्नी लाल	श्री राम जी खराड़ी	10-12-65	कृषि	78.78
6.	नाहर सिंह	श्री कमला शंकर	29-7-70	अध्यापक	76.66
7.	नानू राम	श्री रूपा जी रोत	16-8-61	कृषि	76.05
8.	अनिल कुमार	श्री इन्द्र कुमार	15-10-73	निजी कार्य	75.50
9.	विजय कुमारी	श्री राम निवास	2-6-66	खेतीबाड़ी	66.88

अध्ययन के लिये स्वीकार की गई पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति का पूर्ण विवरण

81 (नूतन)

वार्षिक आय	जाति	कक्षा	विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि
7	8	9	10	11
3,672	मीणा	7	एम. जी. डी. पब्लिक स्कूल, जयपुर ।	4000
900	गमेती	7	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3564
4,800	मीणा	3	वनस्थली विद्यापीठ टौंक	3035
600	अहारी	8	विद्या भवन उ.मा.वि. उदयपुर	3564
1,500	खराड़ी	9	,,	3588
8,040	भील	5	,,	3555
3,600	रोत	9	,,	3588
4,800	मीणा	1	सेन्ट जेवीयर स्कूल, जयपुर	686
5,000	मीणा	9	वनस्थली उ. मा. वि. निवाई	3035

निदेशक
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

जिला कोटा के ग्रामों में पशु चिकित्सालय खोलना

439. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मंडी) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिला के बौरावास, रानपुर खेड़ा, रूद्धा, मोड़क, पीपल्दा में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग की जाती रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों का क्षेत्र पशु बहुल है किन्तु पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ, मोड़क के अलावा बाकी सभी स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने हेतु मांग प्राप्त हुई है ।

(2) ग्राम बौरावास, रानपुर, खेड़ा रूद्ध मोड़क एवं पीपल्दा की पशुधन संख्या क्रमश: 3936, 3108, 1707, 1929, 3068, है । वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकेगा ।

मंडी समिति नरायणा (दूदू)

440. श्री सी. एल कंवरिया (दूदू) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार दूदू क्षेत्र की पुरानी व प्रसिद्ध मण्डी समिति नरायणा को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार पंचायत समिति क्षेत्र सांभर की सांभर, फुलेरा, जोबनेर व किशनगढ़ रेनवाल मण्डियों को भी विपणन के अन्तर्गत लाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार ने 1975 में उपरोक्त चार मण्डियों को मंडी समिति नरायणा में मिलाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो किन कारणों से यह निर्णय क्रियान्वित नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

राज्य सरकार के अनुसार 3 लाख रुपये आय होने पर ही कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना की जाती है । इससे कम आय होने पर उसको गौण मण्डी प्रांगण बनाने का निर्णय है । चूंकि नरायणा मण्डी समिति की आय काफी कम रही है अत: इसको कृषि उपज मण्डी समिति, जयपुर (अनाज) के क्षेत्र में सम्मिलित करने के आशय की घोषणा की गई है ।

(2) जी हां ।

सरकार द्वारा पंचायत समिति क्षेत्र जोबनेर के ग्रामीण क्षेत्र एवम् सांभर, फुलेरा जोबनेर व किशनगढ़–रेनवाल कस्बों की मण्डियों को नियमन के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां ।

राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ 10(7) कृषि ग्रुप-2/75 दिनांक 20-2-75 द्वारा पंचायत समिति, जोबनेर तथा नगरपालिका, फुलेरा तथा सांभर की सीमाओं को कृषि उपज मन्डी नरैना के मण्डी क्षेत्र में

(कृषि मंत्री)

सम्मिलित करने की घोषणा की थी। स्थानीय जनता ने मांग की कि इस क्षेत्र को नरैना के क्षेत्र में सम्मिलित करने से विकास में अवरोध आ जायेगा। उपरोक्त क्षेत्र के लिए किशनगढ़ रेनवाल में पृथक से मण्डी समिति की स्थापना की जावे। अतः इस पर विचार कर सरकार ने निर्णय लिया। इस विभाग की समसंख्यक संख्या दिनांक 14-6 75 द्वारा उक्त क्षेत्र को कृषि उपज मण्डी समिति नरैना के मण्डी क्षेत्र से पृथक करने की घोषणा की थी। अतः मण्डी समिति नरैना में सम्मिलित करने की अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

कुम्हेर सब-तहसील की क्रमोन्नति

441. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार कुम्हेर सब-तहसील को तहसील बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

सब तहसील कुम्हेर को तहसील बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

ब्यावर नगर में कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में रूपान्तरण

442. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन करने के लिए क्या नियम हैं ?

(2) ब्यावर नगर में इनकी क्या दरें हैं ?

(3) ब्यावर नगर में कितने वर्ग गज तक कृषि भूमि औद्योगिक भूमि में परिवर्तित हो सकती है ?

(4) क्या राज्य में कृषि भूमि के प्लॉट बनाकर वेचने पर प्रतिबन्ध है ?

(5) क्या ब्यावर नगर में कृषि भूमि के बेचान व उसकी रजिस्ट्री पर रोक है ? यदि हां, तो किस कानून के अन्तर्गत यह रोक लगाई गई है ?

उत्तर

(1) भूमि यदि खातेदारी की है तो उसका औद्योगिक प्रयोजनार्थ परिवर्तन राजस्थान भू-राजस्व (कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1961 के अन्तर्गत किया जाता है।

(2) रूपान्तर की दरों संबंधी नियमों की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) कोई सीमा संबंधी रोक इस हेतु नहीं है।

(4) कृषि भूमि के प्लाट बनाकर बेचना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (क) के प्रावधानों के विपरीत है।

(5) जहां तक कृषि भूमि की बिक्री का संबंध है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (क) तथा (ख) में इसकी बिक्री पर सामान्य प्रतिबंध है। धारा 42 (क) में व्यवस्था है कि कोई खातेदार आसामी अपनी सम्पूर्ण भूमि को या भूमि में अपने हित को बेचने में किसी एक सर्वे नगर का विखण्डन कर दे तो ऐसा बेचान कानूनन शून्य होगा सिवाय उस दशा के जब कि

336

(राजस्व मंत्री)

उक्त रूप में बेचे गये सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल धारा 53 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक हो परन्तु उस दशा में भी उसके पास रहा हुआ क्षेत्र फ्रेगमेन्ट न बन जावे। धारा 42 (ख) के अनुसार यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य अपनी खाते की भूमि का बेचान किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में कर दे जो उसी के वर्ग का न हो तो यह बेचान भी शून्य होगा।

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 22 (ए) के तहत एक विज्ञप्ति दिनांक 27-12-80 को जारी की गई है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत किया गया कोई भी हस्तान्तरण पब्लिक पोलिसी के विपरीत होगा। इस कारण उसका पंजीयन नहीं हो सकेगा।

THE RAJASTHAN LAND REVENUE

(Conversion of Agricultural into Non-Agricultural Land) Rules, 1961

RULE-5

Premium and urban assessment under sub-section (4) of Section 90 A. – (1) The premium and the urban assessment payable under sub-section (4) of Section 90 A in respect of land forming the subject matter of an application under rule 3 and the terms and conditions on which permission shall be granted and the restriction appiicaable to special arrears shall be as shown below:—

S. No.	Particulars of Non-agricultural purpose	Rates of premium and urban assessment and terms and conditions	Restriction applicable to special areas
1	2	3	4
1.	Construction of Factory or Mill, or the setting up of some Small industry.	Will have to surrender his khatedari rights where upon land will be allotted subject to the terms and conditions mentioned in the Rajasthan Industrial Areas Allotment Rules, 1959, with the modification that cost of the land at 30 times the sanctioned rent rates will be adjusted against development charges and rent and for the purposes of these rules the development charges payable shall be deemed to be premium, and the rent payable shall be deemed to be urban	No conversion of agricultural land for non-agricultural purposes shall be allotted in the areas not shown as reserved for industries within the approved master plan, if any, prepared for the City or town except after prior consultation with the Town Planning Department; provided that of the Master plan has not been prepared and approved for any of the cities of Jaipur, Jodhpur, Ajmer, Udáipur, Kota, Bikaner and Ganganagar

1	2	3	4
		assessment.	the conversion of agricultural land for non-agricultural purposes would be permitted by the Government only after prior consultation with the Town Planning Department.
?.	Establishment of brick klin	Will have to surrender his tenancy rights whereupon land will be allotted on the terms and conditions mentioned in the Rajasthan Colonisation project Areas Brick-Kiln (Leases) Conditions, 1959 or the Raj Land Revenue (Brick Klin Leases in Non-Project Areas) Conditions, 1960 whichever may be applicable, subject to the modification that for the first ten years, the rate of rent to be charged shall be Rs. 40/- per Bigha per annum, and the rent payable shall be deemed be urban assessment,	Provided that till such time as the master plan is ready no industrial area within fifteen miles of the limits of the Jaipur Municipality and ten miles of the limits of the Municipalities of Jodhpur, Ajmer, Udaipur, Kota, Bikaner and Ganganagar shall be set
3.	Setting up of Line Klin	Will have to surrender his tenancy rights	(2) Conversion of agricultural land

1	2	3	4
		whereupon land will be allotted subject to payment of urban assessment of Rs.30/- per acre per annum.	for the establishment of a factory or a mill shall be allowed only if an industrial area within the master plan limits is not available. If an industrial area is available the industry should be allowed to be set up within that area.
4.	Manufacture of Salt	Willl have to surrender his tenancy rights whereupon permission will be accorded for use of land for the manufacture of Salt on the terms and conditions mentioned in the Rajasthan Land Revenue (Saline Areas Attotment) Rule, 1962, with the modification that the rent payable thereunder shall be deemed to be urban assessment payable under these rules.	

(2) The premium shall be payable in a lump sum immediately on the grant of permission and the urban assessment shall be payable in two half-yearly instalments, along with the agricultural assessment payable in respect of the remaining agricultural land.

(3) If the premium and or urban assessment is not paid in accordance with the provisions of sub-rule (2), the same shall be recovered as arrears of land revenue under Sec. 256 of the Act..

Extract of rule 3 of the Rajasthan Land Revenue (Industrial Area Allotment) Rules, 1959.

"3. Development charges. - The premium to be charged by way of development charges from the lessee shall be,-

(i) Rupees one thousand five hundred per acre in an industrial area situated within a radious of fifteen miles of Jaipur city, or Kota city .

(i i) Rupees five hundred per acre in e city having a population of 3 lakhs and above, other than the cities mentioned in the preceeding clause.

(iii) Rs. 300 per acre in a town having a population of 50,000 or above but less than 3 lakhs .

(iv) Rs 200 per acre in a town having a population of more than 10,000 and less than 50,000 .

(v) Rs. 100 per acre in a town having a population of 10,000 and less;

Provided that in cities or towns where the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Limited is developing an industrial area, the rate of premium chargeable by way of development charges from the lessee shall be the same as is charged by the said Corporation. "

Extract of rule 5 of the Rajasthan Land Revenue (Industrial Areas Allotment) Rules, 1959.

5. Rate of rent to be charged Rent shall be charged at the rate of Rs. 50 per acre per year in a town with a population of 3 lakhs and above, Rs 30 per acre per year in a town with a population above 10,000 but less than three lakh & Rs. 15 per acre per year in a town with a population below 10,000.

provided that in cities or towns where the Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Limited is developing an industrial area, the rate of rent chargeable from the lessee shall be the same as is charged by the said Corporation.

Extract of rule 4 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land into Non Agricultural) Rules, 1961

"4. Enquiry by Tehsildar and transmission of application to Collector.- (1) Tehsildar shall,-

(i) Send a copy of the application to the village panchayat, Municipal Boatd or Urban Improvement Trust, as the case may be, asking them to intimate, in writing, within thirty days, whether they have objection to the permission applied for being grented; and on receipt of the objections, if any, dispose of the same; and

(ii) Prepare a receiot, in Form B, and submit the record of the case to the Collector for orders.

(2) Upon receipt of the Tehsildar's report, the Collector shall, after such further enquiry, if any, as he deems fit to make, either reject the application, giving reasons for the rejection, or sanction it or accord the raguired permission after charging the premium and/or urban assessment chargeable under the succeeding rules;

Provided that where the area involved exceeds 10 acres of unirrigated land, permission shall not be accorded by the Collector without obtaining the approval of the State Government in Revenue Department.

Extract of rule 2 of the Rajasthan Land Revenue (Industrial Allotment) Rules, 1959.

"2. Period for which land may be allotted —Land Industrial areas may be allotted on leasehold basis for a period of 99 year,—

(a) For setting up of a large scale industry any-whare in the State, by the State Government in the Industries Department, and

(b) For setting up of other Industries,—

(i) In Jaipur district, by the Director of Industries, Rajasthan, Jaipur; and

(ii) In any other district, by the Collector concerned,"

पंचायत समिति धोरीमन्ना (बाड़मेर) में छात्रावास भवन का निर्माण

443. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर की पंचायत समिति, धोरीमन्ना में छात्रावास के भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद भवन का निर्माण नहीं किया गया है ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष उक्त भवन का निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) जी नहीं।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा की समाप्ति

444. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत (भीम): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में भंगी कष्ट मुक्ति आन्दोलन की क्या प्रगति है ? इस पर वर्ष 1980-81 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया था व इस राशि में से अब तक (31 जनवरी 1981) कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

(2) राज्य में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को कब तक समाप्त करने की योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य में भंगी कष्ट मुक्ति कार्य हेतु काफी काम किया जाना शेष है। समाज कल्याण विभाग के बजट में इस कार्य के लिये कोई प्रावधान वर्ष 80-81 में नहीं है।

(2) इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिये बहुत अधिक वित्त की आवश्यकता है। अतः इसकी समाप्ति में समय लगेगा।

प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षाओं हेतु उपलब्ध राशि का अंकेक्षण

445. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षाओं के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को क्या सरकार भी कोई राशि प्रदान करती है ? यदि हां, तो कितनी ? कृपया जब से प्री-मेडिकल टेस्ट शुरू हुआ, तब से वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) आवेदकों द्वारा भी फीस के रूप में जो राशि एकत्रित की जाती है वह हर वर्ष कितनी इकट्ठी होती है ? कृपया वर्ष वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त दोनों प्रकार की एकत्रित राशि पर सरकार का अंकुश व निरीक्षण रखा गया है ?

(4) क्या इन दोनों माध्यमों से एकत्रित राशि का ऑडिट सरकार द्वारा कराया गया है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा पी० एम० टी० परीक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को कोई राशि प्रदान नहीं करती है।

(2) आवेदकों द्वारा फीस के रूप में जो राशि एकत्रित की जाती है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) राशि राज्य सरकार द्वारा दी नहीं जाती है तो उस पर नियंत्रण रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) विश्वविद्यालय का ऑडिट राज्य सरकार द्वारा नहीं कराया जाता।

आवेदकों द्वारा 35/– रुपया प्रति परीक्षार्थी से प्राप्त होने वाली राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	परीक्षा शुल्क
1969	93,488.50
1970	1,16,410.00
1971	1,57,196.00
1972	1,80,895.00
1973	1,47,657.50
1974	1,75,628.30
1975	1,71,585.80
1976	2,02,632.00
1977	1,79,320.00
1978	1,70,310.00
1979	1,31,940.00
1980	1,28,625.00

जिला जैसलमेर में ऊंटों के लिये चारे की व्यवस्था

446. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में ऊंटों के चारे का गम्भीर संकट है ?

(2) यदि हां, तो सरकार चारा उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

जैसलमेर जिले में ऊंटों के लिये चारे की बहुत गम्भीर तो नहीं किन्तु आम तौर पर समस्या है।

जैसलमेर जिले में वन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने हेतु व्यापक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जिला बांसवाड़ा में प्रस्तावित रेफरल हास्पिटल्स

447. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) :क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने रेफरल हास्पिटल्स बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? क्या ग्राम छींच पंचायत समिति बागीदोरा जन जाति क्षेत्र के लिये स्वीकृति देने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला अभिकरण समिति द्वारा ऐसा प्रस्ताव किया गया है और उक्त पंचायत आवश्यक भवन व 4 बीघा भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में 2 रेफरल अस्पताल बनाने की स्वीकृति दी है। अभी ग्राम छींछ में रेफरल अस्पताल बनाने का प्रस्ताव धनाभाव के कारण अभी तक विचाराधीन नहीं है।

(2) राज्य सरकार के समक्ष अब तक जिला अभिकरण का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अलबता सरपंच महोदय का प्रस्ताव 25-12-80 को अवश्य आया है।

बाडमेर मुख्य चिकित्सालय में शौचालय, सेप्टिक टैंक आदि को दुरुस्त कराना

448. **श्री देवदत्त तिवाड़ी** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर राजकीय मुख्य चिकित्सालय में शौचालय, मूत्रालय, सेप्टिक टैंक, सोकपिट्स आदि बुरी दशा में हैं, जिसके कारण अस्पताल के सभी मरीजों की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक हो गई है ?

(2) यदि हां, तो गन्दगी की इस बुरी हालत के लिये कौन उत्तरदायी है ?

(3) क्या अब भी इनको ठीक करने के कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या और कब तक ठीक करा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) मरम्मत का कार्य चालू है।

(चिकित्सा मंत्री)

(2) ज्यों ही खराबी उत्पन्न हुई विभाग की ओर से मरम्मत की व्यवस्था करना आरम्भ कर दिया ।

(3) प्रश्न संख्या (1) व (2) के उत्तर में उत्तर आ गया है ।

कुशलगढ़ रेफरल हास्पिटल

449. **श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़):– क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में इस वक्त कितने डाक्टर कार्यरत हैं तथा कितने डाक्टर्स का स्थान कब से रिक्त है ? अब रिक्त स्थानों की कब तक पूर्ति कर दी जावे गी?

(2) कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल के लिये किस किस वर्ग के कितने कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद खाली हैं ? इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक की जाने की सम्भावना है ? नहीं, तो उपेक्षा का क्या कारण है ?

(3) इस अस्पताल में औसतन प्रतिदिन कितने मरीज नये व पुराने उपचार के लिये आते हैं तथा कितने इनडोर मरीज रहते हैं ? इनके उपचार के लिए क्या मौजूदा स्टांफ पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो पूर्ति कब तक की जायेगी ?

(4) कुशलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में कितनी डिस्पेन्सरीज एंव अस्पताल हैं तथा कितनों में डाक्टर के पद रिक्त हैं ? इन पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

(5) कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में लेडी डाक्टर के पद हैं तथा उनमें से कितनों पर लेडी डाक्टर कार्यरत हैं ?

(6) लेडी डाक्टर का स्थान रिक्त होने का क्या कारण है और अब इसे कब तक भर दिया जावेगा ?

(7) कुशलगढ़ तहसील क्षेत्र के किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अस्पतालों में इनडोर मरीजों के भोजन की व्यवस्था है ? इनमें कितने मरीजों को प्रतिदिन भोजन दिया जाता है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार जिला चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में एक डाक्टर कार्यरत है तथा 5 डाक्टरों के पद निम्नांकित दिनांक से रिक्त है :–

1- 3 डाक्टरों के पद दिनांक 13-11-80 से रिक्त है ।

2- एक डाक्टर का पद दिनांक 1-5-77 से रिक्त है ।

3- एक डाक्टर का पद दिनांक 17-8-80 से रिक्त है ।

[रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जा रही है]

(2) कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में कर्मचारियों/अधिकारियों के स्वीकृत पदों की एंव रिक्त पदों की सूची संलग्न है । रेफरल अस्पताल का निर्माणाधीन भवन पूर्ण होने

(346)

(चिकित्सा मंत्री)

पर स्वीकृत स्टाफ की पूर्ति की जा सकेगी । उपेक्षा का प्रश्न ही नहीं है

(3) इस अस्पताल के आउटडोर–प्रति दिन औसतन

नये मरीज आते हैं	135
औसतन अस्पताल के प्रति-दिन पुराने मरीज	127
इनडोर मरीजों का औसत प्रतिदिन	24

वर्तमान स्टाफ पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। पूर्ति शीघ्र की जा रही है ।

(4) कुशलगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में निम्नांकित डिस्पेन्सरियां कार्यरत है :—

1 – छोटी सरवा
2 – मोखमपुरा
3 – सज्जनगढ़
4 – ताम्बेसरा
5 – कसारवाडी

वर्तमान में सभी डिस्पेन्सरियों में डाक्टर के पद रिक्त है। इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) कुशलगढ़ में एक महिला चिकित्सक का पद स्वीकृत है जो रिक्त है

(6) महिला चिकित्सक का अभाव एंव नियुक्त महिला चिकित्सक वहां नहीं जाती है। शीघ्र ही इस पद को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(7) केवल मात्र रेफरल अस्पताल कुशलगढ़ में ही इनडोर मरीजों को भोजन देने की व्यवस्था है किन्तु कोई भी व्यापारी इसके लिए सामान देने हेतु टेण्डर नहीं देता है। अतः कठिनाई उत्पन्न हो रही है। विभाग की ओर से व्यवस्था बिठाने का प्रयास चल रहा है।

कुशलगढ़ रेफरल अस्पताल में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	डाक्टर	6	5
2.	कम्पाउण्डर श्रेणी–1	2	2
3.	कम्पाउण्डर श्रेणी–2	3	2
4.	स्टाफ नर्स	1	1
5.	रेडियोग्राफर	1	1
6.	लेब० टेक्निशियन	1	1
7.	एल. एच. बी.	2	1
8.	प्रसाविका	3	1
9.	वरिष्ठ लिपिक	2	2
10.	कनिष्ठ लिपिक	1	1
11.	एस. आई.	1	–
12.	वाहन चालक	1	1
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	10	4

जागीर विभाग

450. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने भूतपूर्व जागीरदारों को जागीरदारी पेन्शन दी जाती है ?

(2) यदि नहीं, तो इस विभाग को क्यों नहीं समाप्त कर कर्मचारियों को अन्य विकास के कार्य में लगाया जाता है ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अनुसार भूतपूर्व जागीरदारों को पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जागीर विभाग को समाप्त करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही लिया जा चुका है। अब केवल जागीर पुनर्ग्रहण संबंधी अवशेष रहे कार्य को निपटाने हेतु जागीर आयुक्त कार्यालय एवं कुछेक जिलों में ही नाम मात्र के कर्मचारी कार्यरत हैं।

नगरपालिका मान टाउन में ठिगला तथा जटवाड़ा की काश्त शुदा भूमि का बेचान

451. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मान टाउन सवाई माधोपुर क्षेत्र में ठिगला तथा जटवाड़ा की काश्तशुदा जमीन को लोग खरीद कर प्लाट बना कर आबादी भूमि के नाम से बेच रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार काश्त की भूमि में प्लाट काटकर आबादी हेतु बेचा जा सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार नाजायज काम कर लोगों को धोखा देकर लाखों रुपये वसूल करना धोखाधड़ी में नहीं आता है ? यदि धोखाधड़ी में आता है, तो सरकार क्या उसकी जांच कर उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने का इरादा रखती है ?

(3) क्या लोगों ने लाखों रुपये की जमीनों को बेचकर नाजायज काम किया है तथा उनकी रजिस्ट्रीज तहसील सवाई-माधोपुर में करायी हैं ? उनके तथा जिन्होंने बिना इजाजत खातेदारी जमीन में मकान बनाये हैं उनके खिलाफ क्या सरकार सख्त कदम उठाने का इरादा रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) कृषि भूमि में से प्लाट बना कर बेचे जाने के बाबत कानूनन स्थिति यह है कि ऐसे बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 (क) के प्रावधानों के विपरीत हैं। इस धारा में व्यवस्था है कि कोई खातेदार आसामी अपनी सम्पूर्ण भूमि को या भूमि में अपने हित को बेचने में किसी एक सर्वे नम्बर का विखण्डन कर दे तो ऐसे बेचान कानून के विपरीत होंगे सिवाय उस दशा के जब कि उक्त रूप में बेचे गये सर्वे नम्बर का क्षेत्रफल धारा 53 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ विहित न्यूनतम क्षेत्र से अधिक हो, परन्तु उस दशा में भी

(राजस्व मंत्री)

उसके पास रहा हुआ क्षेत्र फ्रेगमेन्ट न बन जाए। अकृषि प्रयोजन हेतु किये गये ये बेचान धारा 90 क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के भी विपरीत है। उल्लेखित क्षेत्र में कौन-कौन खातेदार किन किन को भूमि बेचान कर रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(2) इस प्रकार का बेचान जिसमें एक सर्वे नम्बर का उपरोक्तानुसार विखण्डन हुआ है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (क) के प्रतिबन्धों के विपरीत है एवं इस प्रकार के बेचान का पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार के मामलों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का कानून में प्रावधान है।

(3) जिलाधीश के द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार काश्त की जमीन के प्लाट बना कर बेचान के इन मामलों में रजिस्ट्रियां कराई गई हैं। इस प्रकार के बेचानों का पंजीकरण करने पर दिनांक 27-12-80 से पूर्व रोक नहीं थी। दिनांक 27-12-80 को वित्त विभाग ने विज्ञप्ति क्रमांक एफ 1 (21) वित्त/ग्रुप -4/80 दिनांक 27-12-80 जारी करके इन बेचानों को पब्लिक पालिसी के विपरीत घोषित कर दिया है। फलतः अब इनका पंजीकरण नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार के मामलों में जिलाधीश गैरकानूनी तरीके से बेचान करने वालों के खिलाफ एवं जमीनें खरीदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। यदि रोक लगाने के बाद भी किसी अधिकारी ने रजिस्ट्रेशन किया है तो सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

मौजा मंगलाना (मकराना) की गोचर भूमि का संस्था विशेष द्वारा आवंटन किया जाना

452. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मौजा मंगलाना, जो मकराना कस्बा जिला नागौर में स्थित है, की भूमि खसरा सं. 16 रकबा 95 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन अरणगोर तालाब रिणवावाली का दर्ज होकर गोचर के लिये छोड़ा हुआ है जो ग्राम मंगलाना, गुढ़ाना, दिल्दानी एवं मकराना की मवेशी के लिये आवश्यक हैं ?

(2) क्या उक्त खसरा नम्बर में से कुछ भूमि का किसी संस्था द्वारा आवंटन किये जाने हेतु कोई आवेदन-पत्र विचाराधीन है अथवा किसी संस्था को भूमि आवंटित कर दी गई है ? यदि हां, तो कृपया संस्था का नाम, आवंटित किया गया अथवा आवंटन हेतु विचाराधीन रकबा का विवरण संदन के पटल पर रखें।

(3) उक्त अंश (2) में अंकित संस्था के उदेश्य एवं विधान तथा भूमि चाहने के उदेश्य का विवरण, कृपया सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या उक्त आवंटन से तालाब रिणवावाली में पानी की आवक में रुकावट नहीं होगी ? यदि हां, तो पशुओं के लिये पीने के पानी की कमी तथा गोचर में कमी से जो जन आक्रोश होगा उसे देखते हुए क्या उक्त आवंटन पर निषेधाज्ञा जारी की जा सकेगी ?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

(5) क्या किसी एकदम निजी संस्था को इस प्रकार का आवंटन करना वाजिब है और क्या इस आवंटन से वहां अशान्ति होने की आशंका की जानकारी सरकार को है ?

उत्तर

(1) ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 16 रकबा 95 बीघा 5 बिस्वा राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगोर दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि वर्तमान में मवेशियों के चरागाह के उपयोग में आ रही है ।

(2) ग्राम मंगलाना के खसरा नम्बर 16 रकबा 95 बीघा 5 बिस्वा में से 50 बीघा भूमि चौधरी मुबारक हुसेन चेरीटेबिल ट्रस्ट मकराना द्वारा स्कूल हेतु आवंटन करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है व इसी खसरे में से 15 बीघा भूमि ग्राम पंचायत मंगलाना द्वारा आबादी प्रयोजनार्थ मांग की गई हैं। जो अभी उप खण्ड अधिकारी परबतसर के यहां विचाराधीन है ।

(3) उक्त भाग (2) में वर्णित ट्रस्ट द्वारा मकराना में मार्बल पोलीटेक्निक स्कूल का निर्माण कर उसमें टेक्निकल अशिक्षित युवकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य है तथा ग्राम पंचायत का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य है।

(4) ट्रस्ट द्वारा मांगी जाने वाली भूमि को आवंटित करने पर पानी की आव में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी क्योंकि मौके पर सड़क निकल जाने से एवं अब प्राकृतिक कारणों से वर्षा के समय पानी का बहाव या भराव नहीं होता है तथा नाड़ी में पानी ग्राम दिस्ढाणी की कांकड से आता है। मांग किये गये रकबे की भूमि के अलावा पानी अन्य स्रोत से भी आता है ।

मांग की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन अंगोर है, इसलिये गोचर भूमि में कमी होने का प्रश्न नहीं उठता ।

5— ट्रस्ट को 50 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

पिछोला झील में टापू पर स्थित जल मन्दिर में तोड़ फोड़

453. **श्री मेघ राज तावड़** (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पिछोला झील में स्थित लेक पैलेस के पास स्थित टापू पर बना जग मन्दिर सरकार की सम्पत्ति है ? वर्तमान में यह ऐतिहासिक मन्दिर किसके कब्जे में है ?

(2) क्या उक्त ऐतिहासिक मन्दिर में तोड़ फोड़ की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त करली गई है ? यदि नहीं, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। टापू पर स्थित मंदिर भूतपूर्व महाराणा की निजी सम्पत्ति है तथा उन्हीं के आधिपत्य में है।

(2) महाराणा ने गत वर्ष इस टापू पर होटल निर्माण का कार्य चालू किया था, वह कार्य 10—15 दिन तक चला, अब उसके बाद निर्माण कार्य बन्द है। इस प्रकार के

(श्री मेघराज तावड़)

मामले में देवस्थान विभाग की स्वीकृति अपेक्षित नही है।

पंचायत समिति नैनवां के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्रों हेतु छात्रावास

454. **श्री सूर्यकुमार** (नैनवा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बून्दी जिले में नैनवा पंचायत समिति ही, एक ऐसी समिति है जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित एंव अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। प्रावधान की कमी के कारण सभी क्षेत्रों में छात्रावास खोलना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 430 की सूची)

वन विभाग के जिन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व अवैध कटाव के मामलों में आरोप व अभिकथन-पत्र जारी किये जाकर जांच जारी है उनकी सूची

क. सं.	नाम अधिकारी	पद	भ्रष्टाचार के मामले	/ अवैध कटाव के मामले	कुल मामले	जांच चालू होने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री एच.सी. गुप्ता	वन संरक्षक	1	–		26.12.77	
			1	–	3	29.8.78	
			1	–		21.1.80	
2.	श्री ओ. पी. पारीक	,,	1	–	1	2.8.78	
3.	श्री सी. डी. लोढा	नं. व. अ.	–	1		–	दिनांक 3.4.73 से आरोप-पत्र जारी किये गये।
			–	1	2	5.5.77	
4.	श्री वी. डी. माथुर	,,	–	1	1	16.2.73	
5.	श्री वी. एम. अग्रवाल	,,	1	--		9.6.78	
			1	–		26.12.77	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	–	4	29.8.78	
			1	–		21.1.80	
6.	श्री अकबर अली हाशिमी (सेवा निवृत)	व.अ.	–	1	1	30.12.70	
7.	श्री जी. एस. गुप्ता	,,	1	–		5.5.79	
			1	–	2	–	दिनांक 14.10.80 से आरोप–पत्र जारी किये गये ।
8.	श्री वी. के. पुरी	,,	1	–	1	17.10.68	श्री पुरी के विरूद्ध इस प्रकरण में निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 (47) कार्मिक/ए-3/67 दि० 31.3.80 से राज्य सेवा से
			–	1	1	30.12.70	अनुपातिक पेंशन पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति का दण्ड दिया गया है। श्री पुरी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। (दिनांक 9.4.80 को)
9.	श्री जी.एस. कोठारी, (सेवा निवृत)	मं.व.अ.	–	1	1	–	दिनांक 3.4.73 से आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।
10.	श्री बी. एस. गहलोत	,,	1	–	1	–	दिनांक 14.10.80 से आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	श्री फतेह सिंह,	उप मु.व.जी.प्र.	1	–	1	–	दिनांक 18.3.81 से आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।
12.	श्री पी.पी. गुप्ता,		1	–		29.8.78	
		सहायक वन संरक्षक	1	–	2	21.1.80	
13.	श्री दिनेशचन्द्र (निलम्बित)	,,	1	–	1	23.9.78	इस प्रकरण में श्री दिनेश चन्द्र, स. व. सं. के विरुद्ध निर्णय लिया जाकर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 1 (64) कार्मिक/क-3/78, दि. 17.11.80 से राज्य सेवा से अनुपातिक पेंशन पर सेवा निवृत्ति का दंड दिया गया है। श्री दिनेश चन्द्र द्वारा राज्य सरकार के उक्त आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय से दि. 21.11.80 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है।
14.	श्री जे.एस. सरा,	,,	1	–		–	दि. 30.5.79 को आरोप-पत्र जारी किये गये हैं।
	(निलम्बित)		1	–	2	14.12.79	
15.	श्री वाई.के. जैन	,,	1	–	1	26.12.77	
16.	श्री के.पी. गुप्ता	,,	1	–	1	9.6.78	
17.	श्री भंवरलाल वर्मा.	,,	1	–	1	21.1.80	

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची)

(बीकानेर)

क्र.सं.	तहसील	पशु चिकित्सालय	पशु औषधालय	चल पशु चिकित्सालय इकाई	स्वास्थ्य केन्द्र
(1)	बीकानेर	1. बीकानेर 2. देशनोक 3. नापासर 4. छत्तरगढ़ 5. बैरयावाली	—	बीकानेर छत्तरगढ़ पूंगल	1. नायुसर 2. सरेरा
(2)	लूणकरणसर	1. लूणकरणसर 2. महाजन	कुम्भाणा	लूणकरणसर	1. शुभलाई 2. कालू
(3)	कोलायत	1. कोलायत	1. वज्जू 2. खिदोसर		1. भाभू 2. वरसिंहसर
(4)	नोखा	1. नोखा			1. डींगसरी 2. जसरासर 3. मेउसर

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 439 का विवरण)

District wise details of Physical and Financial Progress and Institution Finance Expenditure up to Jan. 81.

S. No.	Name of District	Budget Outlay 80-81	Total expenditure incurred up to Jan. 81.	Institutional Credit Mobilised	SC	Total Number of families benefitted ST	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	15.00	12.83	18.84	186	161	752
2.	Alwar	30.00	28.81	163.29	584*	216	5014
3.	Banswara	15.00	7.44	13.68	9	230	321
4.	Barmer	20.00	2.33	3.03	42	33	223
5.	Bikaner	10.00	17.51	13.34	307	—	886
6.	Bhilwara	25.00	10.85	20.79	385	362	2204
7.	Bharatpur	30.00	49.07	110.38	2593	1917	18722
8.	Bundi	15.00	2.77	6.75	73	50	225
9.	Chittorgarh	25.00	16.61	118.14	3546	3852	13128
10.	Churu	15.00	12.60	28.61	413	7	1108
11.	Dungarpur	10.00	5.43	6.10	2	176	210

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Ganganagar	30.00	15.71	23.90	448	3	913
13.	Jaisalmer	10.00	1.74*	0.04*	1	1	24
14.	Jaipur	75.00	32.19	51.75	714	771	2965
15.	Jalore	15.00	11.27	75.53*	65*	46	435
16.	Jhunjhunu	15.00	3.33	8.21	120	11	221
17.	Jhalawar	25.00	7.11	N.A.	17	9	56
18.	Jodhpur	25.00	4.41	22.82	116	83	491
19.	Kota	35.00	4.10	8.23	146	66	358
20.	Nagaur	25.00	19.63	48.76	489	13	1678
21.	Pali	20.00	20.19	47.80	193	80	1553
22.	S. Madhopur	50.00	20.45	8.94	235	243	969
23.	Sikar	30.00	16.14	50.16	566	84	1840
24.	Sirohi	25.00	7.20	20.84	222	279	876
25.	Tonk	30.00	19.15	56.06	782	683	3040
26.	Udaipur	45.00	58.67	165.65	1796	7449	14202
	Total :	665.00	407.54	1,111.70	14,050	16725	72464

*Upto Jan. '81.

N. A. — Not Available.

(357)

ANNEXURE—2

Districtwise progress of TRYSEM in Rajasthan
Unto January, 81.

S. No.	Name of the District	No. of persons completed training by the end of Jan., 81	No of persons under Training by end of Jan, 81	No. of persons Provided Wage Employment.	Self Employment.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ajmer	207	750	—	18
2.	Alwar	276	438	—	136
3.	Banswara	150	402	—	—
4.	Barmer	—	605	—	—
5.	Bharatpur	335*	94*	—	335*
6.	Bhi wara	317	171	—	88
7.	Bikaner	961	1365	—	576
8.	Bundi	104*	60	6	14
9.	Chittorgarh	81*	65	—	—
10.	Churu	97	365	28	28
11.	Dungarpur	96	220	17	24
12.	Ganganagar	351	531	16	40
13.	Jaipur	227*	201*	25*	50*
14.	Jaisalmer	152*	452*	54*	—
15.	Jalore	116	182	5	40
16.	Jhalawar	32	7	—	—
17.	Jhunjhunu	20	86	—	—
18.	Jodhpur	355	427	49	50
19.	Kota	352	850	—	—
20.	Nagaur	299	158	10	49
21.	Pali	77*	118*	10*	—
22.	S. Madhopur	44*	156*	—	298*
23.	Sikar	322	119	31	44
24.	Sirohi	251*	110*	—	—
25.	Tonk	393*	400*	116*	139*
26.	Udaipur	450	450	193	173
	Total	6365	8788	560	2042

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के परिशिष्ट)

Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer has the jurisdiction to hear. Appeal/Revisions/References & Applications with regard to the following Acts,

1.	Tenancy Act, 1955:	Revision u/s 230 Review U/s 229 Appeal U/s 225 II Appeal U/s 224 Reference U/s 232 Transfer Application U/s 233.
2.	Land Revenue Act, 1956:	Revision U/s 83 & 84 II Appeal U/s 76 Transfer Appl. U/s 53 Special Appeal U/s 10 Reference U/s 82.
3.	Raj. Land Reforms & Resumption of Jagirs Act, 1952:	Appeal U/s 39
4.	Stamp Act, 1955:	Revision U/s 56
5.	Excise Act, 1956:	Revision U/s 9A (iv)
6.	P. D. R. Act, 1952:	Revision U/s 23 B
7.	Municipality Act, 1959:	Revision U/s 300
8.	Motor Vehicles Act, 1951:	Revision U/s 14
9.	Ceiling Act 1960/1973:	Revision U/s 230 II Appeal U/s 23 (2)
10.	Colonisation Act, 1971:	Revision U/s 17 (2)
11.	Zamidari & Biswedari Act, 1959:	II Appeal U/s 25 (1)
12.	Raj. Jagir Decisions & Proceedings (Validation) Act, 1955:	Section 8 (b)
13.	Forest Act, 1953:	Revision U/s 18 (4)
14.	Religious Buildings Act, 1954:	Appeal U/s 8 (2)
15.	Land & Building Tax Act, 1964/73:	Revision U/s 19
16.	Treasure Trove Act 1978:	Appeal U/s 9
17.	Escheat Act, 1956:	Appeal U/s 7

18.	Sales Tax Act, 1954:	Revision U/s 12 & 14 Special Appeal U/s 14 (4) Rectification U/s 17 Reference U/s 15.
19.	Urban Land Ceiling Act, 1976:	Appeal U/s 23
20.	Land Ref. & Acquisition of Land owner's Estates Act, 1963:	Appeal U/s20 (1)
21.	Agriculture Land Utilization Act, 1954:	Revision U/s 5 (6)

परिशिष्ट–2

मण्डल में अवशेष वादों की संख्या 1-2-81

	73	74	75	76	77	78	79	80	81	योग
निगरानियां	1	10	190	570	778	1240	1602	1437	232	6060
अपील/स्पेशल अपील	1	16	60	109	438	481	524	588	84	2301
रेफ/वाज/नजर/रेक्टी जांच आदि	–	1	7	44	92	154	281	353	49	981
	2	27	257	723	1308	1875	2407	2378	365	9342

मण्डल में विचाराधीन वादों की संख्या दिनांक 1-2-81 को 9342 है।

361

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न सं.

उद्देश्य वार ऋण प्रार्थना-पत्र बनाये गये व ऋण वितरण

क्रम सं.	नाम पंचायत	नलकूप		पुराना कुआ		पम्प सेट		बकरी यूनिट.	
		सं.ऋ.	ऋ. लि.	सं.	वि.	सं.	वि.	सं.	वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अचनेरा	1	–	3	3	5	4	–	–
2.	चूणना	1	–	–	–	1	1	3	–
3.	चकुण्डा	3	–	2	1	2	1	–	–
4.	फतेहगढ़	1	–	–	–	–	–	–	–
5.	थानासागथली	1	–	2	–	1	–	1	–
6.	लालगढ़	1	–	1	–	–	–	–	–
7.	जाजली	3	2	2	2	2	–	–	–
8.	मोहेड़ा	–	–	–	–	4	4	1	–
9.	कोटड़ी	2	1	–	–	5	5	1	–
10.	अचलावंदा	2	2	2	2	3	5	5	–
11.	अरनोद	1	–	–	–	1	1	1	–
12.	नोगावा	1	1	4	3	4	4	1	–
13.	आम्बीरामा	3	3	4	4	2	2	2	–
14.	उठेल	–	–	1	1	3	3	2	–
15.	बोड़ीसागथली	2	2	1	1	2	2	1	–
16.	रायपुर	–	–	8	8	4	4	1	–
17.	निनोर	1	1	1	1	2	2	1	–
18.	बेडमा	–	–	–	–	–	–	–	–
19.	दलोत	–	–	–	–	–	–	–	–
20.	देवगढ़	3	1	2	1	2	2	–	–
21.	पीलू	–	–	–	–	5	1	–	–
22.	डाबडा	–	–	–	–	–	–	2	2
23.	पोटारसी	1	–	–	–	2	1	–	–
24.	वसेडा	–	–	–	–	–	–	1	1
25.	बरमण्डल	4	4	–	–	–	–	–	–
26.	बसाड	3	3	–	–	4	4	–	–
27.	असावता	1	1	–	–	1	1	2	2
28.	झांसडी	1	1	–	–	–	–	1	1

10

442 का विवरण)

किया गया तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ बिन्दु सं. 1

मैस युनिट		बैलजोड़ी		बैल जोड़ी व गाड़ी		भेड़ युनिट		खादी बोर्ड		वि.वि.
सं.	वि.	सं.	वि.	सं.	वि.	सं	वि.	सं.	वि.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	–	1	–	–	–	–	–	7	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
2	–	–	–	–	–	1	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	2	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	
2	–	–	–	–	–	–	–	5	–	
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	3	–	–	1	1	
2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	बन्देर मल्हार	–	–	–	–	1	1	–	–
30.	कुणी	–	–	–	–	–	–	2	2
31.	मनोहरगढ़	–	–	–	–	–	–	2	2
32	खोरोट	3	3	–	–	4	4	–	–
33.	सुहागपुरा	5	–	–	–	3	2	5	–
34.	वीरपुर	1	1	1	1	–	–	–	–
35.	अचलपुरा	–	–	–	–	4	4	–	–
36.	रंठाजना	–	–	–	–	1	–	3	–
37.	कुलथाना	–	–	–	–	–	–	6	6
38.	सिद्धपुरा	2	2	–	–	2	2	2	2
39.	अमलावद	4	3	1	–	14	14	–	–
40.	अवंलेश्वर	1	1	–	–	–	–	1	1
41.	बारावरदा	4	3	1	1	5	5	–	–
42.	मघुरा तालाब	–	–	–	–	6	6	1	1
43.	नारायण खेड़ा	1	1	–	–	–	–	–	–
44.	कुलमीपुरा	4	4	1	1	3	3	1	1
45.	धमोतर	4	1	1	–	–	–	1	1
46.	पानमोडी	–	–	–	–	1	1	–	–
47.	थाडा	–	–	–	–	2	2	–	–
48.	बरडिया	–	–	–	–	7	7	1	1
	योग :	69	41	38	30	107	96	51	23

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
1	1	2	2	–	–	–	–	–	–	
1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	
12	1	19	6	15	8	1	–	26	2	25–1*

*योग खादी बोर्ड

परियोजना निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़

1 बिन्दु – 21

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

लघु कृषक समन्वित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 1979 से फरवरी, 1981 तक तहसील प्रतापगढ़ के आदिवासियों को ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया गया

क्र सं.	नाम योजना	कृषकों की संख्या		ऋण उपलब्ध कराया		अनुदान दिलाया		अनुदान का प्रतिशत
		1979–80	80–81	79–80	80–81	79–80	80–81	
1.	बैल जोड़ी	68	2	1.03	0.07	0.51	0.03	50 प्रतिशत
2.	बैलगाड़ी	2	2	0.04	0.04	0.02	0.02	,, ,,
3.	कृषि उपकरण	1	–	0.003	–	0.001	–	,, ,,
4.	नल कूप	16	31	0.34	0.50	0.17	0.25	,, ,,
5.	पुराना कुआ	4	17	0.07	0.30	0.03	0.15	,, ,,
6.	पम्पसेट्स	57	77	2.59	3.70	1.29	1.85	,, ,,
7.	भैंस	11	1	0.19	0.014	0.09	0.007	,, ,,
8.	गाय	2	1	0.01	0·007	0.005	0.003	,, ,,
9	बकरी यूनिट	43	8	0.68	0.13	0.34	0.06	,, ,,
	योग :	204	139	4.953	4.761	2.456	2.370	

परियोजना निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न सं. 449 की सूची)

सूची "क"

जैसलमेर जिले में समस्त पशु चिकित्सालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत हैं।

क्र. सं.	पशु चिकित्सालय का स्थान	स्वीकृत पदों का विवरण					
		सहा.श.प.	वी.ए.	पशुधन सहायक	सईस	पानीवाला	स्वीपर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जैसलमेर	1	–	2	1	1	1
2	पोकरण	1	–	2	1	1	1
3	रामगढ़	1	–	2	1	1	1
4	बनियाना	1	1	1	1	1	1
5	नाचना	1	1	1	1	1	1
6	फलसूंड	1	–	2	1	1	1
7	खूरी	1	–	2	1	1	1
8	मोहनगढ़	1	–	2	1	1	1
9	सत्तो	1	–	2	1	1	1
10	सम	1	–	2	1	1	1
11	सतियाया	1	–	2	1	1	1
12	लोहारकी	1	–	2	1	1	1
13	आर.डी. 1235	1	–	2	1	1	1
14	देवा	1	–	1	1	1	1
15	डागरी	1	–	2	1	1	1
16	राजमथाई	1	–	2	1	1	1
17	नोख	1	–	2	1	1	1
18	बड़ोडागांव	1	–	2	1	1	1
19	देवीकोट	–	1	1	1	1	1
20	सांकड़ा	–	1	1	1	1	1
21	लाठी	–	1	1	1	1	1
योग—		18	5	36	21	21	21

369

सूची "ख"

जैसलमेर जिले के पशु चिकित्सालयों के अन्तर्गत स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पशु चिकित्सालय का नाम	पदों का नाम			
		सहा.श प. चिकित्सक	वी.ए.	एल.एस.ए.	च. श्रे. वर्ग
1	2	3	4	5	6
1	जैसलमेर	–	–	–	–
2	पोकरण	–	–	–	–
3	रामगढ़	–	–	–	–
4	बनियाना	3/80 से रिक्त	2/81 से रिक्त		
5	नाचना	10/80	–	–	.
6	फलसूड	–	–	–	.
7	खुरी	8/80 से रिक्त–		–	–
8	मोहनगढ़	–	–	–	–
9	सत्तो	2/79 से रिक्त–		12/80 से रिक्त–	
10	सम	–	–	10/79 ,, ,, –	
11	सतियाया	10/80 से रिक्त–		10/79 ,, ,, –	
12	लोहारकी	11/80 से रिक्त–		–	–
13	आर. डी. 1235	2/79 से रिक्त –		–	..
14	देवा	7/80 से रिक्त –		–	–
15	डागरी	9/79 से रिक्त –		–	–
16	राजमथाई	9/79 से रिक्त -		–	–

369

1	2	3	4	5	6
17	नोख	–	–	210/80 से 1/81 रिक्त	–
18	बड़ोडागांव	11/80 से रिक्त	–	11/80 से रिक्त	–
19	देवीकोट	–	3/79 से रिक्त	–	–
20	सांकड़ा	–	3/79 से रिक्त	–	–
21	लाठी	–	7/80 से रिक्त	–	–
योग		11	4	7	–

परिशिष्ट –

(अतारांकित प्रश्न संख्या

जिला जैसलमेर में रिक्त

क्र. सं.	रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	तिथि जबसे पद रिक्त हैं
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी कार्यालय			
1.	चिकित्सक	5	1976
2.	मेल नर्स ग्रेड प्रथम	3	1976
3.	मेल नर्स ग्रेड द्वितीय	25	1974
4.	एल. एच. वी.	2	1974
5.	वरिष्ठ लिपिक	1	1976
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.)			
6.	एल. एच. वी.	4	1974
7.	ए. एन. एम.	8	1974
8.	वरिष्ठ लिपिक	1	1974
9.	एफ. पी. एच. ए.	11	1974
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी (मलेरिया)			
10.	लेखाकार	1	1977
11.	वाहन चालक	1	1977
12	मलेरिया सर्वलेन्स वर्कर	1	1977
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. (स्वा.)			
13.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1	1977
चिकित्सा अधिकारी (क्षय)			
14.	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	4	1975
	योग	68	

12

(

450 की सूची)

पदों का ब्यौरा

पद न भरे जाने का कारण	पद कब तक भरने का विचार है ।	टिप्पणी
लोकसेवा आयोग से चयनित डाक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण ।	चयनित डाक्टर उपलब्ध होते ही भर दिए जावेंगे	
प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव में ।	प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने पर	
—यथा -	—यथा—	
—यथा—	—यथा —	
पद स्थापन स्थान पर नहीं जाना पसंद करते हैं ।		
प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव में ।	प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने पर	
—यथा—	—यथा—	
बाड़मेर में कर्मचारी नहीं जाते हैं ।		
प्रशिक्षित कर्मचारी के अभाव में ।	प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होने पर	
उपस्थिति देने में असमर्थ	राजनैतिक दवाव से निरस्त करा लेते हैं ।	
—यथा—	—यथा—	
—यथा—	—यथा--	
—यथा—	—यथा—	
प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण	प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध होने पर ।	

(372)

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 458 का विवरण)

जनजाति लघु खण्डों को आवंटित राशि का जिलानुसार विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष 1978–79 में आवंटित राशि	वर्ष 1979–80 में आवंटित राशि
1.	अलवर	172000	1311070
2.	भरतपुर	69000	420910
3.	भीलवाड़ा	220000	891070
4.	बून्दी	237000	1135570
5.	चित्तौडगढ़	262000	1014070
6.	जयपुर	555000	4336150
7.	झालावाड़	74000	451910
8.	कोटा	114000	741070
9.	पाली	125000	434910
10.	सावाई माधोपुर	647000	5117060
11.	सिरोही	177000	653070
12.	टौंक	77000	797070
13.	उदयपुर	421000	1696070
	योग	3150000	190000000

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 461 का परिशिष्ट "अ")

वर्ष 1976 से 1980 तक पौध संरक्षण औषधियों के लाइसेन्सधारी डीलरों की सूची – जिला अजमेर।

क्र संख्या	नाम डीलर	लाइसेन्स जारी की तारीख
1.	गोपाल ओटोमोबाइल्स, विजय नगर	5-2-76
2.	स्पेशल वर्क्स, रिसर्च सेन्टर तिलोनिया	31-12-77
3.	गणेश आयल कं., गगवाना	,,
4.	मिल्क स्टोर, अजमेर	,,
5.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, पडाना	,,
6.	,, ,, देवलियापला	,,
7.	,, ,, बानदनवाड़ा	,,
8.	,, ,, एकलसिंघी	,,
9.	,, ,, बारोल	,,
10.	,, ,, मागोल	,,
11.	शंकर कृषि चिकित्सालय, किशनगढ़	31-12-78
12.	नेशनल एग्रो ट्रेडर्स, नान्दनवाड़ा	,,
13.	अनिल कृषि केन्द्र, सरवाड़	,,
14.	मेहता ब्रादर्स, अजमेर	,,
15.	पौध संरक्षण औषधी भण्डार, धग्रा	,,
16.	टांक इंजिनिरिंग कं., अजमेर	,,
17.	पुरोहित मेडिकल हाल, अजमेर	,,
18.	मुलचन्द केदारनाथ, अजमेर	,,
19.	श्याम नोवल्टी स्टोर, अजमेर	,,
20.	तोताराम पैरुमल, अजमेर	,,
21.	कृष्णा मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
22.	मोहन फैन्सी स्टोर, अजमेर	,,
23.	एम. आर. फैन्सी स्टोर, अजमेर	,,
24.	हीरा मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
25.	हरिश चन्द मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
26.	रिझुमल झामनदास, अजमेर	,,
27.	अजमेर मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
28.	राजस्थान मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
29.	राजकमल स्टोर, अजमेर	,,

1	2	3
30.	सुन्दर मेडिकल स्टोर अजमेर	31-12-78
31.	राम फैन्सी स्टोर अजमेर	,,
32.	भारत मेडिकल स्टोर अजमेर	,,
33.	राम विलास सुरजमल अजमेर	,,
34.	लक्की फैन्सी स्टोर अजमेर	,,
35.	सुरेश नोवल्टी स्टोर अजमेर	,,
36.	क्रय विक्रय सहकारी समिति ब्यावर	,,
37.	,, ,, विजयनगर	,,
38.	,, ,, किशनगढ़	,,
39.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सयाना	,,
40.	राजस्थान जनरल स्टोर, किशनगढ़	,,
41.	गर्ग ऐसोसियनस, अजमेर	,,
42.	सुरजमल सत्यनारायण, नसीराबाद	,,
43.	कुमार ब्रादर्स जनरल स्टोर, ब्यावर	,,
44.	कुमार एण्ड कं., अजमेर	,,
45.	पटेल एण्ड कं., अजमेर	,,
46.	राजस्थान मेडिकल स्टोर, विजयनगर	,,
47.	महावीर कृषि भण्डार, भिनाय	,,
48.	मसूदा एग्रो सर्विस सेन्टर, मसूदा	,,
49.	किस्तूरमल पारसकुमार, केकड़ी	,,
50.	गोपाल बीज भण्डार, ब्यावर	,,
51.	यूनिवर्सल ट्रेडिंग क., ब्यावर	,,
52.	,, ,, ,,	,,
53.	महालक्ष्मी ऐजेन्सी, ब्यावर	,,
54.	मूलचन्द भगवान सहाय, अजमेर	,,
55.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामपुरा डावला	,,
56.	किशनलाल सन्तूमल, नसीराबाद	,,
57.	बाफना ब्रादर्स, किशनगढ़	,,
58.	महेश्वरी कं., विजयनगर	,,
59.	मजीद एग्रो सर्विस सेन्टर, केकड़ी	25-4-79
60.	आर. के. शर्मा भिनाय	,,
61.	रमेश मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
62.	सरदार जनरल स्टोर, अजमेर	,,
63	प्रकाश जनरल एण्ड मेडिकल स्टोर, अजमेर	,
64.	झामनदास जीवतराम, अजमेर	,,

1	2	3
65	कन्हैया जनरल स्टोर, अजमेर	25-4-79
66.	महेश मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
67.	शामूमल थावरदास, अजमेर	,,
68.	लक्की फैन्सी स्टोर, अजमेर	,,
69.	मोहन फैन्सी स्टोर, अजमेर	,,
70.	वलचाणी जनरल स्टोर, अजमेर	,,
71.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, रानाखेड़ा	15-6-79
72.	क्रय विक्रय सहकारी समिति, नसीराबाद	,,
73.	किशोर ट्रेडर्स, अजमेर	,,
74.	राजस्थान एग्रो इंजिनियर्स, अजमेर	,,
75.	आर. पी. मंगल, नसीराबाद	,,
76.	हरि शंकर बीज भण्डार, अजमेर	,,
77.	गजानन्द ब्रदर्स, ब्यावर	,,
78.	वुद्धराज लाहाटी, कडेल	,,
79.	यूनिवर्सल ट्रेडिंग कं. ब्यावर	27-7-78
80.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, गोविन्दगढ़	,,
81.	राज मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
82.	अशोक नोवल्टी स्टोर, अजमेर	,,
83.	गोपीलाल गिरधारीलाल, नसीराबाद	,,
84.	शेख रमजान, अजमेर	,,
85.	राम कृषि सदन, विजयनगर	,,
86.	भगवत स्टोर, अजमेर	,,
87.	कृषि कल्याण केन्द्र, सावर	,,
88.	जनरल मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
89.	गर्ग ऐसोशियसन, अजमेर	,,
90.	किसान बीज कं. अजमेर	,,
91.	रतन बीज कं. अजमेर	,,
92.	कृषि चिकित्सा केन्द्र, नसीराबाद	,,
63.	मसूदा इलेक्ट्रीक मशीनरी आर्ट, विजयनगर	,,
94.	झबर ब्रदर्स, विजयनगर	,,
95.	कैलाश चन्द शर्मा, विजयनगर	,,
96.	किसान सेवा केन्द्र, भिनाय	,,
97.	देवलिया कला कृषि भंडार, देवलिया कला	,,
98.	चौहान कृषि सेवा केन्द्र, वान्दनवाड़ा	,,

1	2	3
99.	कुन्दन इलेक्ट्रीक स्टोर, विजयनगर	27-7-78
100.	भंवरलाल कवेरीमल सुनार, रामगढ़	,,
101.	प्रकाश चन्द अरविन्द कुमार, जालिया	,,
102.	नजीर अहमद देवलिया कला	,,
103.	किसान सेवा केन्द्र, अजमेर	,,
104.	जय किसान बीज भण्डार, नसीराबाद	,,
105.	कृषि चिकित्सालय, अजमेर	27-2-79
106.	गोयल कृषि सेवा केन्द्र, किशनगढ़	,,
107.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, सराधना	24-4-79
108.	,, ,, ,, मकरेड़ा	,,
109.	अप्सरा जनरल स्टोर, किशनगढ़	27-4-79
110.	सीताराम सत्यनारायण, अजमेर	,,
111.	गुलाब मेडिकल स्टोर, अजमेर	,,
112.	अशोक ब्रदर्स स्टोर अजमेर	,,
113.	राज मेडिकल स्टोर अजमेर	,,
114.	कृषि सेवा केन्द्र, किशनगढ	,,
115.	सनु ट्रेडर्स टाटा टी	13-6-79
116.	नानु कृषि केन्द्र, सरधा	22-6-79
117.	विजयनगर कृषि सेवा केन्द्र, मसूदा	25-6-79
118.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, टाटोटी	3-8-79
119.	ए. एस. ट्रेडिंग, ब्यावर	9-8-79
120.	नेशनल एग्रो सेन्टर्स जढाजा	6-8-79
121.	हरकचन्द धर्मचन्द गोयल	18-8-79
122.	रामलाल धोरचन्द, बोराडा	,,
123.	मनोहर ब्रदर्स, फतेहगढ़	,,
124.	मुकेश कृषि सेवा केन्द्र, मसूदा	26-1-79
125.	पुरोहित मेडिकल ऐजेन्सी, अजमेर	20-7-79
126.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, अराई	5-9-79
127.	भानु कृषि व्यवस्था, अजमेर	10-9-79
128.	दीपक कृषि चिकित्सा केन्द्र, पुष्कर	17-9-79
129.	मुलचन्द भगवान सहाय, अजमेर	5-10-79
130.	बद्री प्रसाद शर्मा, न्यारा	12-11-79
131.	आदेश कृषि सेवा केन्द्र, नसीराबाद	29-12-79

1	2	3
132.	बाबा ऐजेन्सीज ब्यावर	8-11-80
133.	सन्तोष कृषि सेवा केन्द्र, भीमांगज	5-3-80
134.	किसान कृषि चिकित्सालय, केकड़ी	26-4-80
135.	नवरंग एग्रो सर्विस सेन्टर, मसूदा	4-6-80
136.	कृषि सेवा केन्द्र, गोविन्दगढ़	5-7-80
137.	कुन्दन श्रोटो स्पेयर्स, विजयनगर	,,
138.	कमल कृषि सेवा केन्द्र, विजयनगर	1-7-80
139.	पंडित कृषि केन्द्र, विजयनगर	20-8-80
140.	भंसाली बीज भंडार, घूवरा	4-8-80
141.	मनोज कृषि केन्द्र, रामगढ़	,,
142.	महूराम बीजराम केसरगंज, श्रजमेर	6-1-78 (नवीनीकरण) 1-1-80